चतुर्दश माला, खंड 21, अंक 7

मंगलवार, 1 अगस्त, 2006
10 श्रावण, 1928 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 60
Dated 30 Oct 2007

(खण्ड 21 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य: अस्सी रुपये

**सम्पादक मण्डल**

**पी.डी.टी. आचारी**
**महासचिव**
**लोक सभा**

**ए.के. सिंह**
**संयुक्त सचिव**

**हरनाम दास टक्कर**
**निदेशक**

**प्रतिमा श्रीवास्तव**
**संयुक्त निदेशक-I**

**सरिता नागपाल**
**संयुक्त निदेशक-II**

**सुनीता थपलियाल**
**सहायक सम्पादक**


---

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

# विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 21, आठवां सत्र, 2006/1928 (शक)
अंक 7, मंगलवार, 01 अगस्त, 2006/10 श्रावण, 1928 (शक)


| विषय | कॉलम |
|---|---|
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 140 | 7-64 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 886 से 1038 | 64-669 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | 669-674 |
| **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन** | 674-675 |
| **लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव** | 675-676 |
| **अनुबंध-I** | |
| तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका | 677-678 |
| अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका | 678-682 |
| **अनुबंध-II** | |
| तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका | 683 |
| अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका | 683-684 |

# लोक सभा के पदाधिकारी

**अध्यक्ष**

श्री सोमनाथ चटर्जी

**उपाध्यक्ष**

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

**सभापति तालिका**

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

**महासचिव**

श्री पी.डी.टी. आचारी

## लोक सभा

मंगलवार, 1 अगस्त, 2006/10 श्रावण, 1928 (शक)

*लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।*

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुखदेव सिंह ढींडसा** (संगरूर): अध्यक्ष महोदय, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं पहले ही बोल चुका हूं।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न सं. 121

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं केवल यही कह सकता हूं कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** आप मेहरबानी करके बैठ जाइए।

*[अनुवाद]*

आपकी बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जा रही है।

...*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया बैठ जाइये। आप शोर क्यों मचा रहे हैं? मैं आप सभी से सहयोग करने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूं। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। कोई चर्चा नहीं हो सकती। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं सभा के हरेक दल को मौका देने का प्रयत्न कर रहा हूं। आप अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं। आप यह बात अच्छी तरह जानते हैं। जैसे ही कल मुझे इस के बारे में बताया गया, मैंने स्वयं सुझाव दिया कि हमें इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाना चाहिए ताकि आपको तुरंत मंत्री का उत्तर मिल सके। सभा में आज इसका उल्लेख कर देने से आपको मंत्री का उत्तर नहीं मिल पाएगा। यह विषय पहले ही कार्य-सूची में शामिल है तथा इसे प्रश्न काल के तुरंत बाद लिया जाएगा। इसलिए, कृपया सहयोग कीजिए।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** जहां तक श्री मोहन सिंह के मामले का संबंध है, उन्होंने नोटिस में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि किस मुद्दे पर चर्चा की जानी है। निलंबन का कोई अर्थ नहीं है। फिर भी मैंने उनके नेता को यह बता दिया कि मैं उन्हें प्रश्नकाल के बाद दूसरे नम्बर पर इसे उठाने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

**श्री सुखबीर सिंह बादल** (फरीदकोट): महदोय, यह एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:** अध्यक्ष महोदय, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** ढींडसा जी, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इस बात से सहमत हुए हैं। मैंने सभा में इसकी घोषणा की थी तथा यह कार्यसूची में भी आयी है।

...*(व्यवधान)*

**श्री नवजोत सिंह सिद्धू** (अमृतसर): किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इससे अधिक महत्वपूर्ण क्या है?...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप 12 बजे तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

**श्री सुखबीर सिंह बादल:** यह किसानों से संबंधित मुद्दा है ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राजनरायन बुधौलिया:** (हमीरपुर, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**पूर्वाह्न, 11.03 बजे**

*(इस समय श्री सुखबीर सिंह बादल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)*

...*(व्यवधान)*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी):** महोदय, मैं इसे समझ नहीं पाया हूं। यह मुद्दा पहले ही सूची में ध्यानाकर्षण के रूप में सूचीबद्ध है। इसके बावजूद भी वे सभा की कार्यवाही में व्यवधान पैदा कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा):** महोदय, आप आज इस विषय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने पर सहमत हुए हैं...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** महोदय, कृषि मंत्री ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान हस्तक्षेप करेंगे। यह उनके अनुरोध पर ही स्वीकृत किया गया है। सभा की कार्यवाही में व्यवधान क्यों डाला जा रहा है?...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** एक शब्द भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** आपका इश्यू लिस्ट में है। 12 बजे इस पर डिसकशन होगी। आपका यह तरीका ठीक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** आप यह बात 12.00 बजे कहिए। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री ढींडसा जी, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** आप लोग 12 बजे डिसकशन करने के लिए राजी हुए थे। हमने आपको सुझाव दिया था।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** आप अपने कर्तव्य के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** एक घंटे में क्या ज्यादा बहस हो जायेगी? क्या आपका यह रिस्पांसिबिल बिहेवियर है?

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** आप इस पर चर्चा नहीं करना चाहते।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप अपने स्थान पर जाइये।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** ठीक है। आप शोर मचाते रहिए।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** जब तक ये सदस्य अपने स्थान पर नहीं जाएंगे, तब तक मैं कोई बात नहीं सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं आपको बताऊंगा। आप अपने-अपने स्थान पर वापिस जाइये।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं तय करूंगा कि क्या हटाया जाएगा क्या नहीं?

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** आप थोड़ा सुनिये।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** आप मेरी परेशानी पर भी ध्यान दीजिए। कृपया मेरी परेशानी पर भी ध्यान दीजिए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** हमें भी दुख लगता है। हम भी फार्मर्स की मदद करना चाहते हैं लेकिन आप बहस नहीं चाहते।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** आप चर्चा नहीं करना चाहते।

...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** महोदय, वे किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते। वे अपने ही प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करना चाहते। इसीलिए वे सभा की कार्यवाही में विघ्न डाल रहे हैं। वे सभा की कार्यवाही में इसलिए विघ्न डाल रहे हैं क्योंकि वे अपने ही प्रस्ताव से बचना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य है...*(व्यवधान)*। हमने इसे स्वीकार किया तथा इसे आज के लिए स्वीकृत किया। इसे प्रश्न काल के बाद लिया जाएगा, फिर भी वे यह देखने के लिए सभा की कार्यवाही में विघ्न डाल रहे हैं कि किसानों के संबंध में कोई चर्चा न हो...*(व्यवधान)*। इसलिए, वे कार्यवाही में विघ्न डाल रहे हैं...*(व्यवधान)*। आपको संसदीय शिष्टाचार सीखने चाहिएं। यह क्रिकेट का मैदान नहीं है। आपको संसदीय शिष्टाचारों की जानकारी होनी चाहिए।

महोदय, वे सभा की कार्यवाही रोकना चाहते हैं...*(व्यवधान)*। मैं नहीं जानता कि श्री ढींडसा और उनके दल के सहयोगी ऐसा क्यों कर रहे हैं...*(व्यवधान)*। उन्होंने इस ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव रखा था तथा इसे स्वीकार कर लिया गया है तथा यह आज चर्चा के लिए सूचीबद्ध है...*(व्यवधान)* परन्तु वे अभी भी कार्यवाही में विघ्न डाल रहे हैं।...*(व्यवधान)* मुझे नहीं पता वे क्या कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं चाहूंगा कि माननीय नेतागण मुझे यह बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। इस सभा का क्या होगा? इस देश में संसदीय लोकतंत्र का क्या होगा? कृपया मुझे बताइये। यह आज की संसद है। *[हिन्दी]* यह पार्लियामेंट ऑफ इण्डिया है। *[अनुवाद]* यह शर्मनाक व्यवहार है।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं पूरे दिन बैठूंगा।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

...*(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11.16 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**पर्वाह्न 11.30 बजे**

*लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे पुनः समवेत हुई।*

**(अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए)*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य, कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए। उत्तेजित होकर मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया था, जिन्हें मैं वापिस लेता हूं। आप किसान विरोधी नहीं हैं। आप किसानों के मित्र हैं।

...*(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11.31 बजे**

*(इस समय श्री सुखबीर सिंह बादल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** सिद्धू जी, 12 बजे इस विषय पर चर्चा शुरू हो जाएगी।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं सिर्फ आधे मिनट का समय लूंगा।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री नवजोत सिंह सिद्धू, इस पर चर्चा 12 बजे आरम्भ होगी।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यों, क्या इसी प्रकार आप लोगों की सेवा कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी):** महोदय, मैं नहीं जानता कि संसद के सभा इतिहास में कभी मूल्यों में निर्धारित या [illegible] किए गए हों।...*(व्यवधान)*।

जब तक कि ये मंत्री को बहस का उत्तर नहीं देने देंगे तब तक वह किस प्रकार इसे स्पष्ट कर सकते हैं? वे ऐसा नहीं कर सकते...*(व्यवधान)*। आप नहीं समझते। मैं आपको बता सकता हूं कि श्री प्रकाश सिंह बादल तथा रा.ज.ग. सरकार के जमाने में क्या हुआ था...*(व्यवधान)* आपको यह जानकर शर्म आएगी कि आपने किसानों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

आप लोगों ने क्या किया, आपको मालूम नहीं, पूरे देश को बर्बाद करके चले गए और फिर ऐसा काम कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* ये लोग राजनीति कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* ये लोग किसानों का भला नहीं चाहते...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** चूंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का विषय किसानों के हित के लिए है, इसलिए मैं अंतिम अवसर दे रहा हूं।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

*[अनुवाद]*

### हथकरघा बुनकरों को ऋण

***121. श्री सुग्रीव सिंह:**

**श्री किसनभाई वी. पटेल:**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण न मिलने के कारण हथकरघा बुनकरों की स्थिति बिगड़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार हथकरघा बुनकरों/सहकारी समितियों को कम ब्याज पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने हेतु किसी योजना/पैकेज की घोषणा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त योजना/पैकेज कब तक घोषित/क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(च) क्या हथकरघा इकाइयों के पुनरुद्धार के परिणामस्वरूप उक्त योजना के माध्यम से रोजगार सृजन तथा उत्पादन में वृद्धि के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो हथकरघा बुनकरों/समितियों की दशा में सुधार के लिए उठाए गए अन्य कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला):** (क) और (ख) सरकार को यह जानकारी है कि अधिक ब्याज दर एवं बैंकों/वित्तीय संस्थानों को पूर्ववर्ती बकायों के भुगतान न किए जाने के कारण हथकरघा क्षेत्र के ऋण प्राप्त करने की समस्या है।

(ग) से (ङ) हथकरघा बुनकरों/सहकारी समितियों के लिए ऋणों पर ब्याज की दर कम करने का मामला सरकार के विचाराधीन है। इस मामले में विभिन्न वित्तीय संस्थानों के साथ विचार-विमर्श किए जा रहे हैं।

(च) आशा है कि कम ब्याज दर पर बैंक ऋण की उपलब्धता से हथकरघा उत्पादों की कीमत प्रतिस्पर्धी बनाकर हथकरघा क्षेत्र का पुनरुद्धार होगा, जिससे केवल उनकी विपणन क्षमता ही नहीं बढ़ेगी बल्कि बेहतर रोजगार अवसर भी सृजित होंगे।

(छ) भारत सरकार पहले से ही हथकरघा क्षेत्र के विकास एवं बुनकरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, जैसे दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, एकीकृत हथकरघा, प्रशिक्षण परियोजना, विपणन संवर्धन कार्यक्रम, मिल गेट कीमत योजना, कार्यशाला सह आवास योजना, बुनकर कल्याण योजना, हथकरघा निर्यात योजना इत्यादि। इसके अतिरिक्त, एकीकृत हथकरघा समूह विकास योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादि नई योजनाएं शुरू की गई हैं। हैण्डलूम मार्क हाल ही में शुरू की गई है।

यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005-06 में हथकरघा क्षेत्र में अनुमानित कपड़े का उत्पादन 6203 मिलियन वर्ग मीटर (अनन्तिम) था जबकि 2004-05 में 5722 मिलियन वर्ग मीटर और 2003-04 में 5493 मिलियन वर्ग मीटर था जो वर्ष 2005-06 में 8.41% तथा वर्ष 2004-05 में 4.17% की वृद्धि दर्शाता है।

*[हिन्दी]*

### खुदरा क्षेत्र में एकल ब्रांड उत्पाद

***122. डा. चिन्ता मोहन:**

**श्री रामजीलाल सुमन:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी कंपनियों ने एकल ब्रांड उत्पाद के अंतर्गत खुदरा बाजार में उत्पादों की बिक्री के लिए अपनी अभिरुचि व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत के खुदरा विक्रेताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ):** (क) और (ख) जी, हां। मार्च-जुलाई, 2006 के दौरान सरकार को एकल ब्राण्ड उत्पाद के खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु 8 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) सरकार ने 'एकल ब्राण्ड' उत्पादों के केवल खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति के द्वारा लघु व्यापारियों पर विपरीत प्रभाव के प्रति उपयुक्त सुरक्षोपाय लागू किये हैं। इस नीति से इस क्षेत्र में आर्थिक कार्यकलाप, रोजगार अवसरों तथा निवेश को प्रोत्साहित किये जाने का अनुमान है। एकल ब्राण्ड उत्पाद के खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से वैश्विक डिजाइन, प्रौद्योगिकी तथा पद्धतियों को पहुंच की अनुमति देकर भारतीय विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ एकल ब्राण्ड खुदरा व्यापार के अन्तर्गत बेचे जाने वाले उत्पाद जिन ग्राहकों की जरूरतें पूरी करते हैं वे लघु खुदरा व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सेवा से भिन्न होते हैं।

*विवरण*

| क्र. सं. | आवेदक का नाम | विदेशी निवेशक का नाम | कार्यकलाप | विदेशी इक्विटी भागीदारी | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | मै. मोजा शूज | मै. टेनो इंडिया प्राइवेट इक्विटी फंड 1/और अथवा इसकी सहायक कंपनी | सभी तरह के फुटवियर, स्पोर्टस वियर, बूट्स स्लिपर्स, सेंडल, एथलेक शूज तथा कंपनी द्वारा स्वामित्व वाली विशेष खुदरा के जरिये "नाइक ब्राण्ड" के एपरल्स | 20% | 31 मई, 2006 को अनुमोदन जारी किया गया |
| 2. | मै. एल.वी. ट्रेडिंग इंडिया | मै. लुईस वियुट्टन मेलेटायर | डेयरी रिफिल्स पेपर सहित एल.वी.एम. उत्पादों, 2. पेन तथा पेन की रिफिल, 3. शूज, 4. ट्रंक्स यात्रा थैले/पर्स, 5. चमड़े की अन्य वस्तुएं, 6. सनग्लास, 7. घड़ियां, 8. प्लास्टिक की अन्य वस्तुएं, 9. नकली आभूषण, 10. टाईयां, 11. वस्त्र (मफलर तथा शॉल), 12. छाते, 13. रेडी टू वियर | 51% | प्रस्ताव जांच के अधीन |
| 3. | मै. एस.पी.ए. लाइफ स्टाइल प्रा. लि. | मै. लाड्रो कामर्सियल एस.ए. | लाड्रो के उत्पादों के विपणन के लिए दुकानों का एक नेटवर्क स्थापित करने हेतु मै. लाड्रो तथा एस.पी.ए. एजेंसियों द्वारा एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए | 26% | -वही- |
| 4. | मै. फन फेशन इंडिया प्रा. लि. | मै. फेंडी इंटरनेशनल एस.ए. | शूज, वियरिंग एपरल्स ट्रंक्स/यात्रा थैले/पर्स, सनग्लास, घड़ियां, नकली आभूषण, वस्त्र सहित फेंडी उत्पादों का खुदरा व्यापार। | 51% | -वही- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | मै. सिकोरा एकटिंग सेल्सचाफ्ट | मै. सिकोरा एकटिंग सेल्स चाफ्ट | मापन तथा नियंत्रक प्रौद्योगिकी यन्त्रों (डिवाइसेस) के खुदरा व्यापार के लिए एक डब्ल्यू.ओ.एस. की स्थापना करना | 100% | प्रस्ताव खारिज |
| 6. | मै. डामरो फर्नियर प्रा. लि. | मै. डामरो एक्पोर्टस प्रा. लि. श्रीलंका | डामरो एकल ब्राण्ड नाम के अन्तर्गत नोक-डाऊन किये गये फर्नीचर का खुदरा व्यापार | 51% | प्रस्ताव जांच के अधीन |
| 7. | मै. ला मोडा फेशन्स प्रा. लि. | 1. दामोदर लाल सेवाक्रमाणी 2. अशोक सेवा-क्रमाणी | गार्मेन्ट्स, सेगयू, सिसले, बेनेटन के सहायक सामानों तथा लगेज वस्तुओं का खुदरा व्यापार | 51% | आवेदनक से सूचना मांग गई |
| 8. | मै. हसन जैम्स एंड ज्वैलरी प्रा. लि. | एक एन.आर.आई. | बहुमूल्य रत्नों तथा आभूषणों का खुदरा व्यापार | 50% | –वही– |

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा सर्वेक्षण**

***123. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने विद्यालयों में शिक्षा के स्तर, उनकी स्थिति तथा विद्यालयों के माहौल के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट में क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद समय-समय पर विद्यालय शिक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न स्टेक होल्डरों के उपयोग के लिए सर्वेक्षण कराती है और आंकड़ों का संकलन करती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने दिनांक 30 सितम्बर, 2002 को आधार मानते हुए सातवां अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण कराया था। जून, 2005 में जारी की गई अनंतिम रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तरों तक शिक्षा सुविधाएं, कक्षावार-नामांकन, शिक्षकों की संख्या इत्यादि से सम्बन्धित आंकड़े दिए गए हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा कराया गया अन्य प्रकार का सर्वेक्षण सर्व शिक्षा अभियान के तहत भाषा और गणित में कक्षा-III की पढ़ाई पूरी करने पर, भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन में कक्षा-V की पढ़ाई पूरी करने पर तथा भाषा, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान में कक्षा VII/VIII की पढ़ाई पूरी करने पर आधारभूत उपलब्धि से सम्बन्धित है। उपलब्धि सर्वेक्षण में प्राथमिक और अपर-प्राथमिक विद्यालय शिक्षा की प्रगति और विद्यार्थियों के निष्पादन की जानकारी दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने जून, 2005 में सातवें अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण के आधार पर 'अनंतिम आंकड़े' जारी किए हैं। ग्रेड-III, V और VII/VIII के आधारभूत उपलब्धि सर्वेक्षण निष्कर्ष सरकार को प्राप्त हो गए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने भी विभिन्न मंचों पर ग्रेड-III, V और VII/VIII के आधारभूत उपलब्धि सर्वेक्षण के निष्कर्ष की जानकारी दी है।

(घ) और (ङ) सातवें अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण के 'अनंतिम आंकड़ों' में देश में विद्यालय शिक्षा की स्थिति/दशा को स्पष्ट करने सम्बन्धी आंकड़ों को संकलित किया गया है। इसमें भारत सरकार से कोई विनिर्दिष्ट सिफारिश नहीं

की गई है। तथापि सातवें अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण और साथ ही आधारभूत उपलब्धि सर्वेक्षण के निष्कर्षों का उपयोग विद्यालयों में शैक्षिक मानकों के सुधार के लिए किया गया है।

**लघु उद्योगों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा**

***124. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या लघु उद्योग मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में राज्य-वार तथा उद्योग-वार कितने लघु उद्योग चल रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन प्रत्येक उद्योगों द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा लघु उद्योगों, विशेषकर निर्यातक लघु उद्योग इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद):** (क) देश में मार्च, 2006 के अंत तक कार्यरत लघु उद्योगों (पंजीकृत और अपंजीकृत) की कुल संख्या अनंतिम रूप से 123.42 लाख आकलित की गई है। राज्य-वार और उद्योग-वार ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ख) विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों से प्राप्त सूचना के आधार पर 2002-03, 2003-04 और 2004-05 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान निर्यात कर रही लघु उद्योग इकाइयों द्वारा निर्यातों का आकलित मूल्य निम्नलिखित है:-

(करोड़ रुपये)

| मद/वर्ष | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 |
|---|---|---|---|
| लघु उद्योग इकाइयों से निर्यात | 86013 | 97644 | 124417 |

पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योग इकाइयों के विस्तृत उद्योगवार निर्यातों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र मुख्य रूप से जवाबदेह हैं। फिर भी, लघु उद्योगों (निर्यातक लघु उद्योग सहित) के विकास और संवर्धन के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई नीतिगत निर्णय लिए गए हैं और कई योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ मुख्यतः (i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना और (ii) प्रौद्योगिकी उन्नयन, आई.एस.ओ. 9000/14001 प्रमाणपत्र प्राप्ति, विपणन, एकीकृत आधारभूत संरचना विकास और उद्यमिता विकास के लिए सहायता शामिल हैं। ये योजनाएं/कार्यक्रम वर्तमान वर्ष में भी जारी हैं।

इसके साथ-साथ लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहलें की गई हैं:-

(i) सरकार ने 10 अगस्त, 2005 को लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु एक नीतिगत पैकेज की घोषणा की है ताकि इस क्षेत्र को उपलब्ध ऋण अगले पांच वर्षों में दुगना हो।

(ii) क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना को अधिक आकर्षक बनाने हेतु सितम्बर 2005 में ऋण की उच्चतम सीमा को 40 लाख रुपये से बढ़ाकर 100 लाख रुपये तथा सब्सिडी को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है।

(iii) अप्रैल 2005 में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से कार्य निष्पादन तथा क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने में लघु उद्योग इकाइयों की सहायता की एक योजना आरंभ की गई है।

लघु उद्योग निर्यातकों के लिए बाजार विकास सहायता (एम.डी.ए.) योजना के तहत, लघु उद्योग इकाइयों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें शामिल हैं:-

(i) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए वैयक्तिक निर्यातकों के लिए आने-जाने के विमान किराए के 90 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति;

(ii) विदेशी प्रचार सामग्री के उत्पादन लागत के 25 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता, जो एक वित्तीय वर्ष में 15,000 रुपये तक सीमित है;

(iii) विशिष्ट बाजार अध्ययन करवाने के लिए 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और एंटी डंपिंग के मामले आरंभ करने/लड़ने के लिए लघु उद्योग संघों की सहायता, जो कुल लागत की 50 प्रतिशत या 1 लाख रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित है; और

(iv) बार कोडिंग पंजीकरण प्राप्त करने के लिए लघु उद्योग इकाइयों द्वारा भुगतान किए गए एक-मुश्त पंजीकरण शुल्क के 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति।

*विवरण-I*

*31-03-2006 की स्थिति के अनुसार कार्यरत ल.उ. इकाइयों (पंजीकृत तथा अपंजीकृत) का राज्य-वार ब्यौरा (अनंतिम)*

| क्र. सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | कार्यरत ल.उ. इकाइयों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | पंजीकृत | अपंजीकृत | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | जम्मू-कश्मीर | 19628 | 66228 | 85856 |
| 2. | हिमाचल प्रदेश | 13210 | 75827 | 89037 |
| 3. | पंजाब | 69002 | 369446 | 438448 |
| 4. | चण्डीगढ़ | 1506 | 24472 | 25978 |
| 5. | उत्तरांचल | 22157 | 103062 | 125219 |
| 6. | हरियाणा | 41207 | 218431 | 259638 |
| 7. | दिल्ली | 7660 | 198939 | 206599 |
| 8. | राजस्थान | 61724 | 456182 | 517906 |
| 9. | उत्तर प्रदेश | 265582 | 1745189 | 2010771 |
| 10. | बिहार | 71609 | 536927 | 608536 |
| 11. | सिक्किम | 239 | 198 | 437 |
| 12. | अरुणाचल प्रदेश | 426 | 1064 | 1490 |
| 13. | नागालैण्ड | 3620 | 13601 | 17221 |
| 14. | मणिपुर | 5047 | 50925 | 55972 |
| 15. | मिजोरम | 4029 | 9120 | 13149 |
| 16. | त्रिपुरा | 974 | 27436 | 28410 |
| 17. | मेघालय | 3715 | 22921 | 26636 |
| 18. | असम | 21848 | 206176 | 228024 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 47841 | 852578 | 900419 |
| 20. | झारखण्ड | 25418 | 130019 | 155437 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 21. | उड़ीसा | 15296 | 438295 | 453591 |
| 22. | छत्तीसगढ़ | 40155 | 267988 | 308143 |
| 23. | मध्य प्रदेश | 137794 | 792411 | 930205 |
| 24. | गुजरात | 188898 | 435402 | 624300 |
| 25. | दमन एवं दीव | 1923 | 408 | 3868 |
| 26. | दादर एवं नगर हवेली | 1537 | | |
| 27. | महाराष्ट्र | 118008 | 824566 | 942574 |
| 28. | आंध्र प्रदेश | 70521 | 950998 | 1021519 |
| 29. | कर्नाटक | 151740 | 621890 | 773630 |
| 30. | गोवा | 3080 | 5323 | 8403 |
| 31. | लक्षद्वीप | 120 | 510 | 630 |
| 32. | केरल | 148991 | 375834 | 524825 |
| 33. | तमिलनाडु | 302666 | 637866 | 940532 |
| 34. | पाण्डिचेरी | 2531 | 7921 | 10452 |
| 35. | अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 1105 | 2705 | 3810 |
| | योग | 1870807 | 10470858 | 12341665 |

*विवरण-II*

*31-03-2006 की स्थिति के अनुसार कार्यरत ल.उ. इकाइयों (पंजीकृत तथा अपंजीकृत) का उद्योग-वार विवरण (अनंतिम)*

| क्र. सं. | एन.आई.सी. 1998 के अनुसार उद्योगों का नाम | कार्यरत ल.उ. इकाइयों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | वियरंग एपैरल, ड्रैसिंग तथा फर डाईंग का विनिर्माण | 2145505 |
| 2. | खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 1786890 |
| 3. | फर्नीचर का विनिर्माण | 746916 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | फैब्रिकेटिड मेटल उत्पाद का विनिर्माण | 637740 |
| 5. | लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पादों का विनिर्माण | 606761 |
| 6. | वस्त्र विनिर्माण | 451304 |
| 7. | अन्य नॉन मेटेलिक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 331415 |
| 8. | तम्बाकू उत्पादों का विनिर्माण | 190510 |
| 9. | एन.ई.सी. मशीनरी और उपस्करों का विनिर्माण | 169953 |
| 10. | लगेज, हैंड बैग्स सैडलरी, हार्नेस एण्ड फुटवियर का विनिर्माण | 159585 |
| 11. | रबड़ एवं प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण | 135638 |
| 12. | रसायन एवं रसायन उत्पादों का विनिर्माण | 132809 |
| 13. | इलैक्ट्रिकल मशीनरी एवं आपरेटस का विनिर्माण | 103281 |
| 14. | बेसिक मैटल का विनिर्माण | 102279 |
| 15. | रेडियो, टेलीविजन एंड कम्यूनिकेशन इक्विपमेंट एवं आपरेटस का विनिर्माण | 52541 |
| 16. | कागज एवं कागज उत्पाद का विनिर्माण | 31648 |
| 17. | मोटर व्हीकल, ट्रेलर्स एवं सेमी ट्रेलर्स का विनिर्माण | 20893 |
| 18. | अन्य ट्रांसपोर्ट उपकरणों का विनिर्माण | 19405 |
| 19. | मेडिकल, प्रिसिसियन एंड आप्टीकल इन्स्ट्रुमेंट्स, घड़ियां एवं क्लाकस का विनिर्माण | 15275 |
| 20. | अन्य विनिर्माण | 19397 |
| 21. | पर्सनल एवं घरेलू उत्पादों की मरम्मत | 1714135 |
| 22. | डाक एवं दूरसंचार | 681124 |
| 23. | मोटर व्हीकल एंड मोटरसाईकिल की मरम्मत अनुरक्षण | 628273 |
| 24. | रिकार्डिड मीडिया की पब्लिशिंग, प्रिंटिंग एंड रिप्रोडक्शन | 186453 |
| 25. | कम्प्यूटर तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप | 72631 |
| 26. | अन्य व्यवसाय क्रियाकलाप | 291848 |
| 27. | अन्य सेवा क्रियाकलाप | 907451 |
| | कुल | 12341665 |

**विवरण-III**

*गत तीन वर्षों (2002-03, 2003-04 और 2004-05) के दौरान लघु उद्योगों के निर्यात का निष्पादन*

| क्रम संख्या | उत्पाद समूह | लघु उद्योगों का निर्यात (करोड़ रुपये) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 |
| 1. | इंजीनियरिंग उत्पाद | 12500.00 | 16040.81 | 23561.00 |
| 2. | मूलभूत रासायनिक, फार्मास्यूटिकल और सौंदर्य प्रसाधन | 9659.12 | 11763.10 | 13851.96 |
| 3. | रसायनिक व संबद्ध उत्पाद | 3354.67 | 3750.72 | 14248.38 |
| 4. | प्लास्टिक उत्पाद | 1862.56 | 2122.91 | 3632.33 |
| 5. | पूर्ण चर्म एवं चर्म उत्पाद | 6108.24 | 6695.22 | 7437.87 |
| 6. | समुद्री उत्पाद | 3251.40 | 2878.45 | 3411.86 |
| 7. | प्रसंस्कृत उत्पाद | 9679.57 | 9928.91 | 11378.42 |
| 8. | ऊन और ऊनी उत्पाद | 1224.71 | 1564.00 | 1763.15 |
| 9. | खेल उत्पाद | 317.51 | 429.00 | 395.10 |
| 10. | तैयार वस्त्र | 23404.85 | 25179.36 | 22247.15 |
| 11. | सिंथेटिक एवं रेयान वस्त्र | 1484.19 | 1586.88 | 1839.43 |
| 12. | प्रसंस्कृत तम्बाकू, बीड़ी और नसवार | 675.19 | 744.53 | 986.65 |
| 13. | इलेक्ट्रानिक्स और कंप्यूटर | 9860.00 | 12437.01 | 16147.29 |
| 14. | काजू | 2014.77 | 1811.46 | 2717.15 |
| 15. | लाख | 100.69 | 163.12 | 165.88 |
| 16. | मसाले | 515.05 | 548.09 | 632.94 |
| | कुल | 86012.52 | 97643.57 | 124416.56 |

*[हिन्दी]*

**एनटीसी तथा एनजेएमसी को बंद करना**

*125. **श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन तथा नेशनल जूट-मैन्यूफैक्चरर्स कार्पोरेशन की कतिपय मिलों को बंद करके उनका निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला):** (क) और (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) के संबंध में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्वासन योजना के अनुसार एन.टी.सी. की 66 गैर अर्थक्षम मिलें बंद कर दिए गए हैं। जहां तक राष्ट्रीय पटसन विर्निर्माण निगम (एन.जे.एम.सी.) का संबंध है, सरकार ने एक कार्य योजना मंजूर की है जिसमें सभी इच्छुक कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.), दो एककों-किनीसन और खाड़दा का सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बोर्ड (बी.आई.पी.एस.ई.) द्वारा सिफारिश किए जाने वाले तरीके से पुनरुद्धार करना शामिल है।

(ग) और (घ) सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि एन.टी.सी. और एन.जे.एम.सी. की मिलों में प्रबंधन में श्रमिकों की प्रतिभागिता बढ़ाई जाए, उत्पादकता में सुधार लाया जाए और दक्षता आदि बढ़ाई जाए।

**जनजातीय योजनाओं की समीक्षा**

***126. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:**

**श्री रामदास आठवले:**

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय लोगों हेतु बनाई गई योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने जनजातीय लोगों हेतु बनाई गई वर्तमान सभी योजनाओं में आमूलचूल परिवर्तन करने हेतु कोई उच्चस्तरीय समिति गठित की है जैसा कि दिनांक 02 जुलाई, 2006 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस समिति के विचारार्थ विषय क्या है; और

(छ) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) और (ख) योजनाओं की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण के संदर्भ में योजना आयोग ने योजना आयोग के सदस्य डॉ. भालचन्द्र मुंगेकर की अध्यक्षता में "अनुसूचित जनजातियों की अधिकारिता" पर एक संचालन समिति का गठन किया है। यह समिति, अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जनजातियों को अधिकार देने के लिए सतत कार्यक्रमों के मौजूदा दृष्टिकोण, नीतियों और प्राथमिकताओं की समीक्षा करेगी, "जनजातीय उपयोजना नीति" के कार्यान्वयन की प्रभावकत्मकता का मूल्यांकन करेगी, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मौजूदा कानूनों की प्रभावत्मकता की समीक्षा करेगी, गैर-सरकारी संगठनों आदि की भूमिका का मूल्यांकन करेगी और अनुसूचित जनजातियों को अधिकार देने के लिए एक दृष्टिकोण और आवश्यक नीतियों, प्राथमिकताओं, नीतियों और कार्यक्रमों का सुझाव देगी।

(ग) और (घ) यह तथ्य सही नहीं है कि जनजातियों की योजनाओं के लिए निर्धारित निधियों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक योजनाओं के अधीन व्यय संशोधित परिव्ययों का क्रमशः 99.29% 98.47% और 99.51% रहा है।

(ङ) से (छ) योजना आयोग ने सतत आधार पर अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी.) की विशेष नीतियों के कार्यान्वयन और अनुसूचित जनजातियों की जनजातीय उपयोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के संबंध में उसके नीति संबंधी मामलों का समाधान करने के लिए डॉ. बी.एल. मुंगेकर की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय त्रिपक्षीय समिति का गठन किया है। समिति के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

***विवरण***

(1) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के इसके प्रारंभ से कार्यन्वयन की समीक्षा करना।

(2) योजना आयोग द्वारा जारी की गई एस.सी.पी. और टी.एस.पी. दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को दिशानिर्देश देना और उनके अनुपालन के लिए विशिष्ट उपायों का सुझाव देना।

(3) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

की एस.सी.पी. और टी.एस.पी. योजनाओं/कार्यक्रमों की निधियों को आरक्षित रखने, कार्यान्वयन और निगरानी से सम्बद्ध समस्याओं, यदि कोई हो, की जांच-पड़ताल करना।

(4) विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लाभ देने वाली विशिष्ट योजनाओं, उनके लिए निधियों को आरक्षित रखने सहित उनकी प्राथमिकता, कार्यान्वयन और मानीटरिंग का पता लगाना।

(5) एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के कार्यान्वयन, मानीटरिंग और प्रभाव-निर्धारण की प्रक्रिया और एस.सी.पी. और टी.एस.पी. को विशेष केन्द्रीय सहायता और अनुच्छेद 275(1) के अधीन सहायता अनुदान के उपयोग की समीक्षा करने के लिए और उन उपायों पर जो इन समुदायों के हितों को और अधिक प्रभावत्मकता से प्रदान करेंगे, योजना आयोग और प्रधानमंत्री को परामर्श देना।

(6) अन्य बातों के साथ-साथ 73वीं एवं 74वीं संशोघन तथा उससे निर्गत अन्य विधायी उपायों को ध्यान में रखते हुए जनजातीय उपयोजना तथा विशेष केन्द्रीय परियोजना (एस.सी.पी.) तथा ऊपर संदर्भित केन्द्रीय आबंटनों के अंतर्गत योजनाओं की तैयारी एवं कार्यान्वयन में लाभार्थी समूहों के भाग लेने हेतु व्यवस्था की पैरवी करना तथा इसे संस्थागत करना।

*[अनुवाद]*

**कृषि और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा**

***127. श्री सुब्रत बोस:**

**श्री चंद्रकांत खैरे:**

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन हेतु कितनी वस्तुएं आरक्षित हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस क्षेत्र में राज्य वार कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ;

(ख) कृषि आधारित उद्योग विशेषकर कागज उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगारों का सृजन करने संबंधी सरकार के पास इस समय चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं;

(ग) क्या कृषि आधारित उद्योग को और बढ़ावा देने हेतु कोई योजना तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद):** (क) सरकार के कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में कृषि एवं ग्रामोद्योगों में खादी, ग्रामोद्योग और कयर उद्योग शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (यथासंशोधित) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों और 20,000 तक की जनसंख्या वाले शहरों में स्थापित ऐसे उद्योग, जिनमें प्रति कारीगर अथवा कामगार नियत पूंजी निवेश एक लाख रुपए (पर्वतीय क्षेत्रों में एक लाख पचास हजार रुपए) से अधिक नहीं है, ग्रामोद्योग के रूप में परिभाषित है। केवल ग्रामोद्योगों द्वारा ही उत्पादों के विनिर्माण के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान ग्रामोद्योग क्षेत्र में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में उल्लिखित है।

(ख) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के संवर्धन के माध्यम से रोजगार सृजन हेतु सरकार (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय) दो ऋण-संबद्ध सब्सिडी योजनाओं नामतः ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) व प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) कार्यान्वित करती है। आर.ई.जी.पी. का कार्यान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से और पी.एम.आर.वाई. का कार्यान्वयन राज्य और संघ शासित प्रदेश की सरकारों के माध्यम से किया जाता है। पी.एम.आर.वाई. का कार्यान्वयन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। पी.एम.आर.वाई. के अंतर्गत स्थापित इकाइयों में से लगभग पचास प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होती हैं।

वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत सृजित रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

ग्रामोद्योग के संवर्धन और विकास के लिए कार्यान्वित की जाने वाली अन्य योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) ऐसे उद्योगों को अवसंरचनात्मक सहायता और सेवाएं प्रदान करने हेतु साझा सुविधा केंद्रों की स्थापना के

लिए ग्रामीण उद्योग सेवा केंद्र (आर.आई.एस.सी.) योजना।

(ii) उत्पादों की डिजाइन और पैकेजिंग सुधारने के लिए उत्पाद विकास, डिजाइन मध्यस्थता और पैकेजिंग (प्रोदीप) कार्यक्रम।

(iii) ग्रामोद्योग उत्पादों का विपणन सुधारने के लिए राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय स्तरों आदि पर प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए ग्रामोद्योग इकाइयों को सहायता।

मुख्यतः ग्रामोद्योग की ही श्रेणी में होने के फलस्वरूप हस्तनिर्मित कागज उद्योगों को भी खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ग्रामोद्योगों के संवर्धन के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त होता है।

(ग) और (घ) सरकार ने हाल ही में वर्ष 2005-06 से प्रारंभ करते हुए पांच वर्षों में खादी, ग्रामोद्योग और कयर उद्योगों के 100 क्लस्टरों में पारम्परिक उद्योगों के पुनरुज्जीवन के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति) का कार्यान्वयन अनुमोदित किया है। इस योजना के अन्तर्गत साझा सुविधा केंद्रों की स्थापना, गुणवत्ता सुधार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, नये उत्पादों का विकास, सुधरी हुई पैकेजिंग, नई डिजाइन, बाजार संवर्धन आदि के लिए सहायता की व्यवस्था है।

*विवरण-I*

*वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान ग्रामोद्योग क्षेत्र में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या*

| क्र. सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेश | रोजगार (व्यक्तियों की संख्या) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| 2. | बिहार | 1.59 | 1.62 | 1.68 |
| 3. | झारखंड | 0.10 | 0.14 | 0.21 |
| 4. | उड़ीसा | 2.04 | 2.18 | 2.33 |
| 5. | सिक्किम | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| 6. | पश्चिम बंगाल | 4.31 | 4.58 | 4.95 |
| 7. | दादर और नागर हवेली | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 8. | दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | गोवा | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| 10. | गुजरात | 0.71 | 0.73 | 0.87 |
| 11. | महाराष्ट्र | 5.46 | 5.62 | 5.87 |
| 12. | चंडीगढ | 0.15 | 0.15 | 0.15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 13. | दिल्ली | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 14. | हरियाणा | 0.84 | 1.17 | 1.53 |
| 15. | हिमाचल प्रदेश | 1.00 | 1.13 | 1.25 |
| 16. | जम्मू-कश्मीर | 1.05 | 1.12 | 1.22 |
| 17. | पंजाब | 1.49 | 1.63 | 1.94 |
| 18. | राजस्थान | 4.44 | 4.95 | 5.36 |
| 19. | आंध्र प्रदेश | 3.65 | 3.97 | 4.64 |
| 20. | कर्नाटक | 2.12 | 2.42 | 2.64 |
| 21. | केरल | 2.21 | 2.71 | 2.88 |
| 22. | लक्षद्वीप | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| 23. | पांडिचेरी | 0.08 | 0.08 | 0.01 |
| 24. | तमिलनाडु | 11.80 | 12.05 | 12.29 |
| 25. | छत्तीसगढ़ | 0.07 | 0.27 | 0.45 |
| 26. | मध्य प्रदेश | 1.99 | 2.23 | 2.64 |
| 27. | उत्तरांचल | 0.09 | 0.26 | 0.36 |
| 28. | उत्तर प्रदेश | 9.28 | 9.86 | 10.59 |
| 29. | अरुणाचल प्रदेश | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 30. | असम | 1.12 | 1.28 | 1.54 |
| 31. | मणिपुर | 0.61 | 0.62 | 0.63 |
| 32. | मेघालय | 0.25 | 0.27 | 0.31 |
| 33. | मिजोरम | 0.23 | 0.24 | 0.29 |
| 34. | नागालैंड | 0.29 | 0.31 | 0.35 |
| 35. | त्रिपुरा | 0.28 | 0.33 | 0.37 |
| | कुल | 57.87 | 62.58 | 68.14 |

टिप्पणी: वर्ष 2005-06 के दौरान सृजित रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा संकलनाधीन है।

**विवरण-II**

*वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान आर.ई.जी.पी. के अधीन सृजित रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा*

| क्र. सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेश | रोजगार (व्यक्तियों की संख्या) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1392 | 504 | 93 |
| 2. | बिहार | 1965 | 3818 | 5049 |
| 3. | झारखंड | 9398 | 3968 | 6855 |
| 4. | उड़ीसा | 2816 | 13431 | 15241 |
| 5. | सिक्किम | 120 | 2140 | 3227 |
| 6. | पश्चिम बंगाल | 22531 | 27350 | 36581 |
| 7. | दादर और नागर हवेली | 192 | 61 | 0 |
| 8. | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 |
| 9. | गोवा | 3556 | 1715 | 1670 |
| 10. | गुजरात | 1717 | 2236 | 8581 |
| 11. | महाराष्ट्र | 27990. | 15498 | 25040 |
| 12. | चंडीगढ़ | 7 | 162 | 188 |
| 13. | दिल्ली | 293 | 231 | 144 |
| 14. | हरियाणा | 15964 | 33201 | 35691 |
| 15. | हिमाचल प्रदेश | 11644 | 13485 | 12256 |
| 16. | जम्मू-कश्मीर | 3129 | 6845 | 9406 |
| 17. | पंजाब | 31461 | 13600 | 30665 |
| 18. | राजस्थान | 43040 | 51337 | 38267 |
| 19. | आंध्र प्रदेश | 34500 | 31996 | 66463 |
| 20. | कर्नाटक | 29648 | 29958 | 19478 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 21. | केरल | 21394 | 50291 | 16434 |
| 22. | लक्षद्वीप | 0 | 127 | 0 |
| 23. | पांडिचेरी | 5 | 219 | 146 |
| 24. | तमिलनाडु | 11017 | 24028 | 19159 |
| 25. | छत्तीसगढ़ | 7254 | 19815 | 18347 |
| 26. | मध्य प्रदेश | 10947 | 23683 | 40539 |
| 27. | उत्तरांचल | 6881 | 16825 | 10471 |
| 28. | उत्तर प्रदेश | 42652 | 57847 | 64900 |
| 29. | अरुणाचल प्रदेश | 806 | 864 | 1219 |
| 30. | असम | 7003 | 15548 | 25768 |
| 31. | मणिपुर | 2196 | 682 | 1313 |
| 32. | मेघालय | 2515 | 2171 | 3789 |
| 33. | मिजोरम | 3970 | 1174 | 5180 |
| 34. | नागालैंड | 981 | 2332 | 3851 |
| 35. | त्रिपुरा | 2021 | 4316 | 3994 |
| | कुल | 361005 | 471458 | 530025 |

टिप्पणी: वर्ष 2005-06 के दौरान सृजित रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा संकलनाधीन है।

***विवरण-III***

*वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान पी.एम.आर.वाई. के अधीन सृजित रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा*

| क्र. सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेश | रोजगार (व्यक्तियों की संख्या) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | हरियाणा | 10512 | 11588 | 12443 |
| 2. | हिमाचल प्रदेश | 3314 | 4466 | 4220 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | जम्मू-कश्मीर | 908 | 951 | 578 |
| 4. | पंजाब | 11657 | 12639 | 10403 |
| 5. | राजस्थान | 18401 | 20196 | 18300 |
| 6. | चंडीगढ़ | 71 | 290 | 119 |
| 7. | दिल्ली | 948 | 1073 | 861 |
| 8. | असम | 6224 | 12395 | 5604 |
| 9. | मणिपुर | 824 | 651 | 408 |
| 10. | मेघालय | 384 | 852 | 719 |
| 11. | नागालैंड | 161 | 158 | 1865 |
| 12. | त्रिपुरा | 1628 | 2679 | 2852 |
| 13. | अरुणाचल प्रदेश | 441 | 674 | 362 |
| 14. | मिजोरम | 233 | 216 | 524 |
| 15. | सिक्किम | 39 | 48 | 41 |
| 16. | बिहार | 11909 | 15431 | 16007 |
| 17. | झारखंड | 6531 | 7329 | 6323 |
| 18. | उड़ीसा | 10088 | 17301 | 15953 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 3792 | 5685 | 5823 |
| 20. | अंडमान और निकोबार | 213 | 213 | 140 |
| 21. | मध्य प्रदेश | 25065 | 32439 | 25151 |
| 22. | छत्तीसगढ़ | 4509 | 5756 | 4218 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 57024 | 62558 | 52845 |
| 24. | उत्तरांचल | 7025 | 8892 | 10365 |
| 25. | गुजरात | 10776 | 9662 | 9014 |
| 26. | महाराष्ट्र | 26447 | 33230 | 32790 |
| 27. | दमन और दीव | 3 | 33 | 18 |
| 28. | गोवा | 411 | 66 | 60 |
| 29. | दादर और नागर हवेली | 15 | 6 | 36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 30. | आंध्र प्रदेश | 20448 | 23940 | 22907 |
| 31. | कर्नाटक | 15039 | 22020 | 18884 |
| 32. | केरल | 14780 | 26676 | 27518 |
| 33. | तमिलनाडु | 14393 | 25137 | 26484 |
| 34. | लक्षद्वीप | 15 | 6 | 8 |
| 35. | पांडिचेरी | 320 | 527 | 432 |
| | निर्दिष्ट नहीं | 1242 | 1550 | 2096 |
| | अखिल भारतीय | 285790 | 367333 | 336371 |

टिप्पणी: वर्ष 2005-06 के दौरान सृजित रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा संकलनाधीन है।

स्त्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े

**विश्वविद्यालयों हेतु एक समान शैक्षिक सत्र**

***128. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:**
**श्री इकबाल अहमद सरडगी:**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार देश भर के विश्वविद्यालयों में एक समान शैक्षिक सत्र लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सभी विश्वविद्यालयों में इसका प्रारूप विचार जानने के लिए परिचालित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इसके क्रियान्वयन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे छात्रों को क्या लाभ होने की संभावना है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षिक सत्र आरंभ करने और परीक्षा परिणामों की घोषणा करने की तारीखों को समाविष्ट करते हुए एक समान शैक्षिक सत्र कार्यान्वित करने के लिए 340 विश्वविद्यालयों और संस्थाओं से अपने प्रारूप प्रस्ताव पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। यह प्रारूप प्रस्ताव आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

(ङ) कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(च) एक समान शैक्षिक सत्र से विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शैक्षिक संस्थाओं में छात्रों में अधिक गतिशीलता बनेगी।

**नकदी फसलों का उत्पादन/निर्यात**

***129. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नकदी फसलों, विशेषकर अदरक, काली मिर्च और इलायची के उत्पादन एवं निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में नकदी फसलों के उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ):** (क) और (ख) काली मिर्च और इलायची (बड़ी) जिनक मामले में वर्ष 2005-06

में उत्पादन में गिरावट आई है जैसाकि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है, को छोड़कर मुख्य नकदी फसलों के उत्पादन और निर्यात में सामान्य तौर पर वृद्धि हुई है। इस गिरावट की वजह प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां और कम उत्पादकता है।

उत्पादन

(मात्रा: मी. टन में)

| वस्तु | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|---|---|---|---|
| काजू गिरि | 53500 | 544000 | 573000 |
| मसाले | | | |
| (क) अदरक | 341510 | 362770 | उ.न. |
| (ख) काली मिर्च | 62000 | 70000 | 45000 |
| (ग) इलायची | | | |
| (i) छोटी | 11580 | 11415 | 12540 |
| (ii) बड़ी | 6154 | 5773 | 5185 |
| चाय* | 878650 | 906840 | 930850 ** |
| कॉफी | 270500 | 275500 | 27400 # |
| तम्बाकू | 221670 | 243350 | 228250 |

*केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकरण से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर चाय बोर्ड द्वारा प्रस्तुत संशोधित आंकड़ों के अनुसार।

** अनुमानित # अनंतिम

निर्यात

(मात्रा: मी. टन/मूल्य करोड़ रु.)

| वस्तु | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| काजू गिरी | 100828 | 1804.43 | 126667 | 2709.24 | 114143 | 2514.86 |
| मसाले | | | | | | |
| (क) अदरक | 4696 | 22.75 | 13000 | 59.50 | 7250 | 40.76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ख) काली मिर्च | 16635 | 142.77 | 14150 | 121.40 | 16700 | 140.50 |
| (ग) इलायची | | | | | | |
| (i) छोटी | 757 | 36.92 | 650 | 23.90 | 875 | 27.01 |
| (ii) बड़ी | 924 | 12.34 | 950 | 11.34 | 1025 | 10.60 |
| चाय | 183070 | 1636.99 | 205810 | 1924.71 | 181060 | 1631.60* |
| कॉफी | 232684 | 1158.45 | 211765 | 1224.67 | 201517** | 1509.71 |
| तम्बाकू | 150982 | 1175.63 | 162933 | 1362.18 | 165882 | 1404.72 |

(स्रोत: वस्तु बोर्ड/काजू निर्यात संवर्धन परिषद)

* अनुमानित  ** अनंतिम

(ग) वस्तु बोर्ड जैसे मसाला, तम्बाकू, चाय, कॉफी और रबड़ बोर्ड तथा काजू के लिए निर्यात संवर्धन परिषद के पास निर्यातकों और उपजकर्ताओं के उत्पादन और निर्यातों में वृद्धि करने के लिए उनकी सहायता करने हेतु अनेक स्कीमें हैं। उन्हें कृषि प्रथाओं, फसलोत्तर प्रौद्योगिकियों में सुधार करने, विपणन सहायता तथा बाजारों की आवश्यकताओं की निर्यात जानकारी रखने के लिए विदेशी व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। सरकार ने आंतरिक परिवहन के लिए 2 रुपए/कि.ग्रा. और काली मिर्च निर्यातकों की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय भाड़ा प्रभारों को पूरा करने के लिए 5 रुपए/कि.ग्रा. की दर पर एक बार परिवहन सब्सिडी देना भी शुरू किया है। परंपरागत चाय के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने हेतु एक नई स्कीम के अंतर्गत आई.सी.डी. (अंतर्देशीय कंटेनर डिपो), अमीनगांव के जरिए निर्यात के लिए और दार्जिलिंग चाय के लिए भौगोलिक सूचक के पंजीकरण के लिए 1.50 रुपए/कि.ग्रा. की सब्सिडी देना। चाय के लिए उठाए गए कुछ अन्य कदम हैं - सरकार ने तम्बाकू, मसालों, कॉफी, एपीडा द्वारा अनुसूचित उत्पादों और समुद्री उत्पादों जैसी नकदी फसलों के निर्यात पर से उप-कर भी हटा लिया है। इसके अतिरिक्त, कार्यशील पूंजी पर लघु कॉफी उपजकर्ताओं को 5% ब्याज राहत प्रदान करने/वित्तीय संस्थानों से 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान लिए गए फसल ऋणों पर भी 5% ब्याज राहत स्कीम कार्यान्वित की गई थी।

**विशेष आर्थिक क्षेत्र**

***130. श्री के.एस. राव:**

**श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) विभिन्न पार्टियों से विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) की स्थापना के संबंध में अभी तक स्थानवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं/और कितने स्वीकृत हुए हैं;

(ख) इन क्षेत्रों को प्रदत्त कर रियायतों के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष कितने राजस्व की हानि होती है; और

(ग) सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत नियमों/उद्देश्यों के उल्लंघन को रोकने के लिए कोई तंत्र विकसित किया गया है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ):** (क) 26 जुलाई, 2006 की स्थिति के अनुसार विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना के लिए प्राप्त नए आवेदनों की कुल संख्या 388 है। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम के अधीन निजी/संयुक्त क्षेत्रों अथवा राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा 105 विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के लिए अभी तक औपचारिक अनुमोदन दिए गए हैं। इन अनुमोदनों का राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

| राज्य | प्राप्त नए आवेदन | प्रदान किया गया औपचारिक अनुमोदन | | |
|---|---|---|---|---|
| | | अनुसमर्थन प्रस्ताव | नए प्रस्ताव | कुल अनुमोदन |
| आंध्र प्रदेश | 53 | 4 | 16 | 20 |
| चंडीगढ़ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| छत्तीसगढ़ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| दिल्ली | 2 | 1 | 0 | 1 |
| गोवा | 3 | 0 | 0 | 0 |
| गुजरात | 24 | 8 | 2 | 10 |
| हरियाणा | 54 | 1 | 4 | 5 |
| हिमाचल प्रदेश | 1 | 0 | 0 | 0 |
| झारखण्ड | 0 | 1 | 0 | 1 |
| कर्नाटक | 51 | 9 | 5 | 14 |
| केरल | 5 | 6 | 0 | 6 |
| महाराष्ट्र | 63 | 3 | 15 | 18 |
| मध्य प्रदेश | 10 | 1 | 1 | 2 |
| उड़ीसा | 9 | 0 | 0 | 0 |
| पंजाब | 13 | 2 | 0 | 2 |
| राजस्थान | 19 | 0 | 2 | 2 |
| तमिलनाडु | 42 | 8 | 8 | 16 |
| उत्तरांचल | 3 | 0 | 0 | 0 |
| उत्तर प्रदेश | 18 | 1 | 3 | 4 |
| पश्चिम बंगाल | 17 | 3 | 0 | 3 |
| जोड़ | 388 | 49 | 56 | 105 |

(ख) कर-रियायतों के कारण राजस्व की हानि की राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यह कहना संभव नहीं है कि यदि इन विशेष आर्थिक जोनों को कोई रियायतें नहीं दी गई होती तो कितना निवेश किया जाता।

(ग) स्कीम के नियमों/उद्देश्यों के उल्लंघन को रोकने की दृष्टि से विशेष आर्थिक जोन अधिनियम/नियमावली में निम्नलिखित तंत्र की व्यवस्था की गई है:-

– उचित उपयोग उल्लेखों के बारे में जिम्मेदारी पूरी करने के लिए यूनिट को बांड-सह-कानूनी वचनबद्धता करनी होती है।

– जहां उद्यमी अथवा विकासकर्ता माल अथवा सेवाओं का उपयोग नहीं करता जिन पर छूट प्राप्त कर ली गई हो वहां प्राप्त किए गए लाभों के समान राशि को वापस करना होता है।

– शर्तों अथवा दायित्वों के उल्लंघन करने/पूरा न करने के मामले में उद्यमी के अनुमोदन पत्र को रद्द किया जा सकता है।

– सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा प्राप्त न होने के मामले में दण्डात्मक कार्रवाई के प्रावधान की भी व्यवस्था है।

– आयातित वस्तुओं अथवा घरेलू टैरिफ क्षेत्र से खरीदे गए माल के उपयोग की निगरानी करने के लिए विशेष आर्थिक जोन नियमावली में प्रस्ताव हैं।

**महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याण योजनाएं**

***131. श्री बाडिगा रामकृष्णा:**

**श्री ए. साई प्रताप:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं प्रशिक्षण विशेषकर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाली योजनाओं सहित चल रही महिला और बाल विकास योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 31 मार्च, 2006 तक योजना-वार, एन.जी.ओ. और राज्य-वार उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं से राज्य-वार कितनी महिलाएं और बच्चे लाभान्वित हुए;

(घ) क्या सरकार के पास कुछ नई योजनाएं आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो शुरू की जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इन योजनाओं के कार्यकरण के संबंध में कोई अध्ययन कराया है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

**महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी):** (क) से (ग) तथा (च) और (छ) रोजगार एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाली स्कीम सहित प्रचालित महिला एवं बाल विकास की स्कीमों, स्कीम-वार निर्धारित राशियों तथा लाभार्थी महिलाओं एवं बच्चों की संख्या का ब्यौरा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों (2003-04, 2004-05 एवं 2005-06) में दिया गया है। ये रिपोर्टें लोक सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) नई स्कीमों को शुरू करने के लिए महिला एवं बाल विकास की मौजूदा स्कीमों की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) हेतु महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास पर सरकार द्वारा गठित कार्य दलों द्वारा समीक्षा की जा रही है।

**जनजातीय लोगों के लिए स्वास्थ्य और खाद्य नीति बनाना**

***132. श्री सुबोध मोहिते:**

**श्री हंसराज जी. अहीर:**

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक व्यवसायों की अनुपलब्धता और नए रोजगार के अवसर के सृजित न करने के कारण कुपोषण और भुखमरी के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो जनजातीय क्षेत्रों में वन उत्पादों पर आधारित पारंपरिक व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश के जनजातीय लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश भर के जनजातीय लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) कुपोषण के कारण बहु-आयामी तथा अंतर-पीढ़ीय स्वरूप के हैं, जो घरेलू स्तर पर खाद्य असुरक्षा, निरक्षरता तथा अज्ञानता, विशेष रूप से महिलाओं में; अस्वस्थता, स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच का अभाव, सुरक्षित पेयजल एवं

स्वच्छता, जनसंख्या वृद्धि की उच्च [illegible] गरीबी, महिलाओं की दयनीय आर्थिक स्थिति इत्यादि जैसे कारणों के अंतः संबंधित घटकों के परिणामस्वरूप हैं। वर्तमान वर्ष में महाराष्ट्र राज्य से अनुसूचित जनजातीय बच्चों में कुपोषण के मामलों के बारे में सूचना प्राप्त हुई है। वर्तमान वर्ष के दौरान भुखमरी का कोई मामला मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों को मान्यता) विधेयक, 2005 संसद में पहले ही प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लघु वन उत्पाद सहित वन उत्पादों पर जनजातियों के पारंपरिक अधिकारों को संरक्षण देना सम्मिलित है।

(ग) से (ड) विशेष रूप से समाज के गरीब एवं वंचित वर्ग, जिसमें अनुसूचित जनजातियां भी शामिल हैं, के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार करना सरकार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। जनजातीय आवासीय इलाके दुर्गम एवं दूरस्थ होने तथा कुछ विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जनजातीय, पहाड़ी एवं पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बढ़ावा देने तथा पारंपरिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को पूरक बनाने को प्राथमिकता दी गई है। जनजातीय क्षेत्रों में उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना तथा बहु-उद्देशीय श्रमिकों की नियुक्ति हेतु जनसंख्या को अंतर्गत लाने के मानदंडों में छूट दी गई है।

### विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम (एफ.सी.आर.ए.) में संशोधन

*133. **श्री मोहन रावले:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रियों के समूह ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (एफ.सी.आर.ए.) में आवश्यक संशोधन करने के लिए सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जयसवाल):** (क) से (ग) मंत्रियों के ग्रुप ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (एफ.सी.आर.ए.) में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार-विमर्श किया है। इसकी टिप्पणियों के आधार पर मौजूदा अधिनियम के स्थान पर नया कानून बनाने हेतु कार्रवाई शुरु कर दी गई है।

### सुरक्षा के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

*134. **श्री निखिल कुमार:**
**श्री अधीर चौधरी:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूसरे देशों, विशेषकर सिंगापुर से भारत में पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा से संबंधित अन्य मुद्दों पर सहयोग करने के तरीके ढूंढने हेतु हाल ही में चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ देश भारत को उसके आंतरिक सुरक्षा मामलों में सहायता देने हेतु सहमत हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) और (ख) माननीय गृह मंत्री ने श्री वोंग कॉन सेंग, गृह मंत्री, सिंगापुर के निमंत्रण पर 30 मई से 2 जून, 2006 तक सिंगापुर की सरकारी यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान गृह मंत्री ने सिंगापुर के शीर्ष राजनीतिक नेताओं के साथ बैठकें कीं और सुरक्षा संबंधी मामलों पर आपसी सहयोग के संबंध में प्रतिनिधिमंडल स्तर पर वार्तायें हुईं।

(ग) और (घ) भारत ने 23 देशों के साथ आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें से 19 देशों के साथ संधियां परिचालन में हैं। इन संधियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अपराध निवारण, जांच-पड़ताल और अभियोजन चलाने, अपराध आदि की आगम का पता लगाने, रोकने और जब्त करने या अधिहरण की कारगरता में सुधार करने हेतु संविदाकारी देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कारगरता में सुधार लाने हेतु सहयोग के व्यापक उपाय करना शामिल है। सिंगापुर के साथ संधि नवम्बर, 2005 से प्रभावी है। इसके अतिरिक्त, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए 23 देशों के साथ संयुक्त कार्यकारी ग्रुपों का गठन किया गया है और 2 क्षेत्रीय मंच अर्थात् यूरोपीय संघ और वे ऑफ बंगाल इनीसियेटिव फार मल्टी सेक्टोरल टेक्नीकल एंड इकानॉमिकल को-आपरेशन (बिम्सटेक) भी है। संयुक्त कार्यकारी ग्रुपों का उद्देश्य, सूचना और समन्वय का आदान-प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुकाबले में सहयोग के लिए संस्थागत ढांचे की स्थापना करना है। उन देशों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है जिनके साथ भारत की आपसी कानूनी सहयोग संधियां हैं और संयुक्त कार्यकारी ग्रुपों की स्थापना की गई है।

**विवरण**

*आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहयोग संधि (एम.एल.ए.टी.) पर हस्ताक्षर के संबंध में स्थिति (04-07-2006) की स्थिति के अनुसार*

**पहले से लागू संधियां**

1. स्विटजरलैंड (1989)
2. तुर्की (1993)
3. यूनाईटेड किंगडम (1995)
4. कनाडा (1998)
5. कजाकस्तान (2000)
6. संयुक्त अरब अमीरात (2001)
7. रूस (2001)
8. उजबेकिस्तान (2003)
9. ताजिकिस्तान (2003)
10. यूक्रेन (2003)
11. मंगोलिया (2004)
12. थाईलैंड (2004)
13. फ्रांस (2005)
14. बहरीन (2005)
15. दक्षिण कोरिया (2005)
16. संयुक्त राज्य अमेरिका (2005)
17. सिंगापुर (2005)
18. दक्षिण अफ्रीका (2005)
19. मॉरीशस (2006)

**पहले से हस्ताक्षरित संधियां लेकिन जो अभी प्रभावी नहीं हुई हैं।**

1. क्रिर्गिस्तान (1999)
2. कुवैत (2004)
3. बेलारूस (2005)
4. स्पेन (2006)

**भारत ने निम्नलिखित देशों के साथ संयुक्त कार्यकारी ग्रुप/क्षेत्रीय मंच स्थापित किए हैं:-**

1. यू.एस.ए.
2. यू.के.
3. जर्मनी
4. फ्रांस
5. कनाडा
6. इजरायल
7. चीन
8. कजाकस्तान
9. थाइलैंड
10. उज्बेकिस्तान
11. रूस
12. क्रोशिया
13. तुर्की
14. सिंगापुर
15. आस्ट्रेलिया
16. मिस्त्र
17. ताजिकिस्तान
18. मारीशस
19. इंडोनेशिया
20. पोलैंड
21. म्यांमार
22. जापान
23. कम्बोडिया

**क्षेत्रीय मंच**

1. बिमस्टेक
2. यूरोपियन यूनियन

*[हिन्दी]*

**प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन**

***135. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:**

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकार द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी/अलगाववादी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन प्रतिबंधित संगठनों को विदेशों से वित्तीय सहायता मिल रही है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिबंधित संगठनों को देश-वार कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई;

(घ) क्या सरकार प्रतिबंधित आतंकवादी/अलगाववादी संगठनों द्वारा विदेशों से प्राप्त की जा रही वित्तीय सहायता को रोकने के लिए कोई योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जयसवाल):** (क) सितंबर, 2004 में यथासंशोधित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 के अंतर्गत बत्तीस संगठनों पर आतंकवादी संगठनों के रूप में प्रतिबंध जारी है। इन संगठनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, भारत में आतंकवादी ग्रुप मुख्य रूप से हवाला और अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से विदेशों से धन प्राप्त कर रहे हैं। आतंकवादी ग्रुपों को प्रति वर्ष आने वाली धनराशि कई करोड़ होने का अनुमान है तथापि उनके द्वारा प्राप्त की जा रही धनराशि की सही-सही मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है।

(घ) और (ङ) सितम्बर, 2004 में यथासंशोधित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 में, आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए उपबंध हैं। विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976, (एफ.सी.आर.ए.) भी धन प्राप्तकर्ताओं द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उसके उपयोग को विनियमित करता है और उसका प्रबोधन करता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, (एफ.ई.एम.ए.) में हवाला सहित विदेशी मुद्रा के अनधिकृत रूप से अंतरण संबंधी मामलों से निपटने के उपबंध हैं। धन-शोधन निवारण अधिनियम और वित्तीय आसूचना इकाई (एफ.आई.यू.-आई.एन.डी.) भी प्रभावी हो गए हैं। सुरक्षा और कानून प्रवर्तन तथा राजस्व एजेंसियों को, समय-समय पर, आतंकवादी ग्रुपों के धन प्राप्ति चैनलों और उनके द्वारा प्राप्त की जा रही धनराशि के उपयोग का पता लगाने के लिए अंतर-एजेंसी दृष्टिकोण अपनाने के प्रति सुग्राही बनाया जाता है।

***विवरण***

1. बब्बर खालसा इंटरनेशनल
2. खालिस्तान कमांडो फोर्स
3. खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स
4. इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन
5. लश्कर-ए-तैयबा/पासबान-ए-अहले हदीस
6. जैश-ए-मोहम्मद/तहरीक-ए-फुरकान
7. हरकत-उल-मुजाहिदीन/हरकत-उल-अंसार/हरकत-उल-जेहाद-ए-इस्लामी
8. हिज्ब-उल-मुजाहिदीन/हिज्ब-उल-मुजाहिदीन पीर पंजाल रेजिमेंट
9. अल-उमर-मुजाहिदीन
10. जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट
11. यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)
12. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन.डी.एफ.बी.)
13. पीपल्स लिब्रेशन आर्मी (पी.एल.ए.)
14. यूनाईटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यू.एन.एल.एफ.)
15. पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लेईपाक (पी.आर.ई.पी.ए.के.)
16. कांग्लेईपाक काम्युनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.)
17. कँग्लई याओल कन्बा लुप (के.वाई.के.एल.)
18. मणिपुर पीपल्स लिब्रेशन फ्रंट (एम.पी.एल.एफ.)
19. आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स
20. नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा
21. लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एल.टी.टी.ई.)
22. स्टूडेन्ट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (एस.आई.एम.आई.)

23. दीनदार अंजुमन

24. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) - पीपल्स वार, इसके सभी फार्मेशन और प्रमुख संगठन।

25. माओवादी कम्यूनिस्ट सेंटर (एम.सी.सी.), इसके सभी फार्मेशन और प्रमुख संगठन।

26. अल बदर

27. जमात-उल-मुजाहिदीन

28. अल-कायदा

29. दुखतरन-ए-मिल्लत (डी.ई.एम.)

30. तमिलनाडु लिब्रेशन आर्मी (टी.एन.एल.ए.)

31. तमिल नेशनल रिट्रीवॅल ट्रुप्स (टी.एन.आर.टी.)

32. अखिल भारत नेपाली एकता समाज (ए.बी.एन.ई.एस.)

*[अनुवाद]*

## प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

***136. श्री बिक्रम केशरी देव:**

**श्री एस. अजय कुमार:**

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान खनन क्षेत्र में स्वीकृत किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई विदेशी कंपनियों को देश में लौह-अयस्क के उत्खनन हेतु लाइसेंस दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने लौह-अयस्क के निर्यात की अनुमति दी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

**खान मंत्री (श्री शीश राम ओला):** (क) सरकार ने खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए वर्ष 2004-05 के दौरान 5 प्रस्तावों जिसमें 188.35 करोड़ रुपए और वर्ष 2005-06 के दौरान 2 प्रस्तावों जिसमें 37.20 करोड़ रुपए की परिकल्पना की गई है, को अनुमोदित किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त (ख) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। मौजूदा विदेश व्यापार नीति के तहत 64% से कम लौह की मात्रा वाले लौह अयस्क का बेरोकटोक निर्यात किया जा सकता है। तथापि, 64% और उससे ऊपर की मात्रा वाले लौह अयस्क की भी निर्दिष्ट राज्य व्यापार उद्यम अर्थात एम.एम.टी.सी. लिमिटेड और निजी खान मालिकों/पट्टाधारकों को जिन्हें लाइसेंस जारी किए गए हैं, के जरिए निर्यात की अनुमति है।

## निर्यात में वृद्धि

***137. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-06 के दौरान किए गए निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान भारतीय निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्षेत्रवार कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है;

(घ) क्या जिन वस्तुओं में समग्र निर्यात लक्ष्य की तुलना में पहले कम वृद्धि दर्ज की गई थी उनमें चालू वित्त वर्ष के दौरान वृद्धि दिखाई पड़ी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ):** (क) पूर्ववर्ती वर्ष अर्थात् 2004-05 के दौरान हुए 83.5 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात की तुलना में वर्ष 2005-06 के दौरान 102.7 बिलियन अमरीकी डालर का कुल निर्यात हुआ जिसमें लगभग 23% की वृद्धि दर्ज की गई है।

(ख) उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के आधार पर चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही अर्थात् अप्रैल-जून, 2006-07 के दौरान निर्यातों में पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि के लिए अनंतिम आंकड़ों की तुलना में 32.4% की वृद्धि दर्ज की गई है।

(ग) से (ङ) चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही अर्थात अप्रैल-जून, 2006-07 के लिए निर्यातों के वस्तु क्षेत्र-वार विस्तृत ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। वर्ष 2005-06 के दौरान

प्रमुख वस्तुओं के निर्यातों और पूर्ववर्ती वर्ष अर्थात 2004-05 की तुलना में उनकी वृद्धि दर के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) निर्यात का संवर्धन करना सरकार का सतत् प्रयास रहता है। निर्यातों में आगे और वृद्धि करने के लिए हाल ही में अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें अन्य उपायों के साथ-साथ शामिल हैं - अवसंरचना एवं उत्पादनकारी क्षमता में निवेश के प्रवाह को बढ़ाने के लिए एस.ई.जेड. अधिनियम, 2005 को लागू करना; निर्यातकों की सौदा लागत को कम करने के लिए प्रक्रियागत सरलीकरण पर विशेष जोर देना और भारत के तुलनात्मक लाभ के अनुरूप निर्यात बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय व्यापार करारों पर हस्ताक्षर करना। इसके अलावा, निर्यातों में आगे और वृद्धि करने के लिए विदेश व्यापार नीति 2006-07 में अनेक नई पहलें की गई हैं - जिनमें फोकस उत्पाद स्कीम, फोकस बाजार स्कीम, विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना, शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार स्कीम और रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए कई उपाय शामिल हैं।

**विवरण**

*प्रमुख वस्तुओं का निर्यात - अप्रैल-मार्च, 2005-06*

(मिलि. अमरीकी डालर)

| वस्तुएं | अप्रैल-मार्च, 2004-05 | अप्रैल-मार्च, 2004-05 | वृद्धि (%) |
|---|---|---|---|
| इंजीनियरी वस्तुएं | 15383.02 | 19168.82 | 24.61 |
| रत्न एवं आभूषण | 13761.77 | 15546.57 | 12.97 |
| रसायन एवं संबद्ध उत्पाद | 13164.05 | 15514.10 | 17.85 |
| वस्त्र | 12918.49 | 15205.99 | 17.71 |
| पेट्रोलियम उत्पाद | 6989.34 | 11514.57 | 64.74 |
| कृषि एवं संबद्ध उत्पाद | 6293.34 | 7407.89 | 17.71 |
| अयस्क एवं खनिज | 5078.57 | 6189.10 | 21.87 |
| अवर्गीकृत निर्यात | 2262.95 | 3011.26 | 33.07 |
| चर्म एवं विनिर्माण | 2421.59 | 2625.84 | 8.43 |
| इलैक्ट्रॉनिक सामान | 1890.31 | 2243.85 | 18.70 |
| समुद्री उत्पाद | 1439.80 | 1435.59 | -0.29 |
| कालीनें | 636.43 | 828.87 | 30.24 |
| बागान | 647.51 | 724.85 | 11.94 |
| अपशिष्ट सहित कपास | 94.05 | 630.60 | 570.49 |
| हस्तशिल्प | 377.42 | 410.45 | 8.75 |
| परियोजना सामान | 75.01 | 134.50 | 79.31 |
| खेल सामान | 102.29 | 132.25 | 29.29 |

### व्यपगत न होने वाले संसाधनों का केंद्रीय पूल

*138. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यपगत न होने वाले संसाधनों के केंद्रीय पूल (एन.एल.सी.पी.आर.) की स्थापना के बाद से इसके उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.एल.सी.पी.आर. की स्थापना के समय कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो प्राप्त उपलब्धियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जिन परियोजनाओं को एन.एल.सी.पी.आर. कोष से शुरू किए जाने का प्रस्ताव होता है उनकी सिफारिश जन प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों द्वारा करनी होती है?

(च) यदि नहीं, तो परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(छ) क्या एन.एल.सी.पी.आर. में अंशदान करने वाले अंशदायी मंत्रालयों/विभागों द्वारा कोई विलंब/चूक की गई है; और

(ज) यदि हां, तो उन मंत्रालयों/विभागों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है जिन्हें एन.एल.सी.पी.आर. में अंशदान करने से छूट दी गई है?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) और (ख) जी, हां। अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एन.एल.सी.पी.आर.) स्कीम का व्यापक उद्देश्य क्षेत्र में अवसंरचना परियोजनाओं/स्कीमों के लिए बजटीय प्रवाह को बढ़ाकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र का तीव्र विकास करना है। इस पूल से आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों जैसे कि सिंचाई, विद्युत, सड़कें एवं पुल, शिक्षा स्वास्थ्य, जलापूर्ति आदि की परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं।

इसके गठन से अब तक और 30-06-2006 तक सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 5386.64 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत से सात सौ पचासी अवसंरचना विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। स्वीकृत 785 परियोजनाओं में से 356 परियोजनाएं 30.06-2006 तक पूरी की जा चुकी हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एन.एल.सी.पी.आर. निधियों से शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं की सिफारिश राज्य सरकारों द्वारा विशेष वर्ष के लिए परियोजनाओं की प्राथमिकता सूची के रूप में की जाती है। तथापि, अब सरकार माननीय संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित, संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा परियोजना की प्राथमिकता सूची के भाग के रूप में प्राप्त परियोजनाओं पर भी विचार करती है।

(च) राज्य सरकारें प्रत्येक वर्ष परियोजनाओं की प्राथमिकता सूची विचार हेतु भेजती हैं। प्राथमिकता सूची पर एन.एल.सी.पी.आर. को प्रशासित करने के लिए गठित अंतरमंत्रालयीय समिति द्वारा विचार किया जाता है। इन परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए मुख्य मानदण्ड इन राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना में अंतर, अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धात्मक मांगें और निधियों के उपयोग के लिए राज्य की क्षमता है। परियोजनाओं की प्राथमिकता सूची पर विचार करते समय समिति उत्तर पूर्व के राज्यों में एक समान निधियां आबंटित करने के भी व्यापक प्रयास करती है।

(छ) जी, नहीं। निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के 10 प्रतिशत बजटीय प्रावधान में से व्यय न हुई राशि का शेष स्वतः ही नोशनल पूल अर्थात् एन.एल.सी.पी.आर. में अंतरित हो जाता है। तथापि, इस राशि का समायोजन और स्वीकृति वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है।

(ज) एन.एल.सी.पी.आर. में अंशदान से छूट प्राप्त मंत्रालयों/विभागों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

*विवरण*

*एन.एल.सी.पी.आर. में अंशदान से छूट प्राप्त विभागों/मंत्रालयों की सूची*

1. आणविक ऊर्जा
2. जैव प्रौद्योगिकी
3. कंपनी कार्य
4. आर्थिक कार्य
5. व्यय

6. विदेश

7. विधि कार्य

8. महासागर विकास

9. राजभाषा

10. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

11. पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस

12. योजना

13. राजस्व

14. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

15. इस्पात

16. अंतरिक्ष

17. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

18. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान

*एन.ई. क्षेत्र के लिए अनुसूचित जाति प्रमाण (एस.सी.डी.) से केवल 2 प्रतिशत निधियां आबंटित की जाती हैं। 10 प्रतिशत का मानदण्ड एस.सी.डी. से अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों पर लागू होता है।

**व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना**

***139. श्रीमती प्रतिभा सिंह:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय छात्रों को शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य कौन से कदम उठाए जाने का विचार है?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) से (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहले से ही जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जो केन्द्र द्वारा 100% वित्तपोषित है और इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों एवं गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जनजातीय युवकों का कौशल उन्नयन करना है ताकि वे लाभदायक रोजगार/स्व-रोजगार प्राप्त करने के योग्य बन सकें। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को और गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त निधियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-। एवं ।। पर दिए गए हैं।

***विवरण-I***

*राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश*

(रुपए लाख में)

| क्र. सं. | राज्य | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | धनराशि | केन्द्रों की संख्या | धनराशि | केन्द्रों की संख्या | धनराशि | केन्द्रों की संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 107.60 | 9 | 0 | | 107.90 | 9 |
| 2. | असम | 0 | | 62.54 | 10 | 65.37 | 10 |
| 3. | गुजरात | 141.46 | 13 | 145.68 | 13 | 0 | |
| 4. | जम्मू-कश्मीर | 0 | | 0 | | 15.50 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | कर्नाटक | 0 | | 66.73 | 10 | 68.27 | 10 |
| 6. | केरल | 0 | | 40.50 | 3 | 0 | |
| 7. | मध्य प्रदेश | 0 | | 0 | | 57.00 | 10 |
| 8. | महाराष्ट्र | 73.52 | 15 | 0 | | 0 | |
| 9. | मिजोरम | 61.08 | 5 | 0 | | 64.78 | 5 |
| 10. | पश्चिम बंगाल | 0 | | 0 | | 63.60 | 4 |
| 11. | छत्तीसगढ़ | 0 | | 134.55 | 12 | 0 | |
| 12. | सिक्किम | 16.34 | 3 | 0 | | 42.58 | 10 |
| | कुल | 400.00 | 45 | 450.00 | 48 | 485.00 | 59 |

### *विवरण-II*

*व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त सहायता-अनुदान*

(रुपए लाख में)

| क्र. सं. | राज्य | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | धनराशि | केन्द्रों की संख्या | धनराशि | केन्द्रों की संख्या | धनराशि | केन्द्रों की संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | असम | 25.09 | 2 | 28.08 | 2 | 53.10 | 4 |
| 2. | कर्नाटक | 0 | 0 | 13.98 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | मध्य प्रदेश | 29.69 | 2 | 13.98 | 1 | 14.46 | 1 |
| 4. | मणिपुर | 6.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | मेघालय | 6.88 | 1 | 0.50 | 1 | 3.97 | 1 |
| 6. | उड़ीसा | 35.34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | तमिलनाडु | 6.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | दादर व नगर हवेली | 7.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | दिल्ली | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 1 |
| | कुल | 118.00 | 11 | 56.54 | 5 | 73.41 | 7 |

### खनन पट्टे हेतु दिशा-निर्देश

*140. **श्री जुएल ओराम:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट जिन दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाना है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्यों के लिए खनन पट्टा देते समय इन दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ ऐसे दृष्टान्त है जिनमें राज्य सरकारों ने विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं कि खनन पट्टा देते समय स्थानीय आवेदकों को प्राथमिकता दी जाए; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**खान मंत्री (श्री शीश राम ओला):** (क) राज्य सरकारें, खनिजों की मालिक हैं और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम.एम.डी.आर. एक्ट) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत खनन पट्टों सहित खनिज रियायतें प्रदान करती है। एम.एम.डी.आर. एक्ट की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध खनिजों के मामले में केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

(ख) राज्यों के लिए एम.एम.डी.आर. एक्ट और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है।

(ग) और (घ) इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में शामिल खनिजों के संबंध में केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन, मंत्रालय द्वारा, इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया जाता है। वर्ष 2005-06 में टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे सहित खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त 49 प्रस्ताव, जो एम.एम.डी.आर. एक्ट और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं थे, उन्हें संबंधित राज्य सरकारों को लौटा दिया गया है।

(ङ) और (च) इस अधिनियम की धारा 5(1) के प्रावधानों के अधीन, राज्य सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत यथा परिभाषित किसी कंपनी या किसी भारतीय नागरिक को टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करेगी।

*[हिन्दी]*

### प्री-मेडिकल टेस्ट में विसंगतियां

886. **श्री संजय धोत्रे:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्री-मेडिकल टेस्ट के सफल अभ्यर्थियों की सूची में कोई विसंगति पायी गयी है;

(ख) क्या इस मामले में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गयी है और सरकार इस मामले से किस प्रकार निपट रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी):** (क) से (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रोफेसर/रीडर पद के समकक्ष गोपनीयता अधिकारियों द्वारा गलत कोडिंग के कारण प्री-मेडिकल परीक्षा (2006) के सफल अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार करते समय कुछ त्रुटि पाई गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पहल पर मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश

हेतु योग्यता/प्रतीक्षा सूची में समुचित संशोधन करने का आदेश दिया है। संबंधित गोपनीयता अधिकारियों को अखिल भारतीय प्री-मेडिकल परीक्षा से संबंधित भावी कार्यों से मुक्त कर दिया गया है।

*[अनुवाद]*

**रेशम कीट पालन को बढ़ावा देना**

**887. श्री नवीन जिन्दल:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीणों को कोई वित्तीय सहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितनी धनराशि दी गयी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसी सहायता से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) इसके परिणामतः इस क्षेत्र में उत्पादन को कितना बढ़ावा मिला है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन):** (क) जी, हां। रेशम उत्पादन के संवर्धन के लिए ग्रामीण लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। देश में रेशम उत्पादन के संवर्धन के लिए अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से प्रौद्योगिकी के अंतरण और बीज सहायता के अलावा केन्द्रीय रेशम बोर्ड राज्य सरकारों के सहयोग से दसवीं योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाएं भी कार्यान्वित करता आ रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने 24 राज्यों में उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के निमित्त क्रमशः 3922.63 लाख रुपए, 4844.16 लाख रुपए और 6756.93 लाख रुपए की सहायता प्रदान की है। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त अवधि में इस सहायता से लाभान्वित लोगों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-II तथा विवरण II-"क" में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान शहतूती रेशम के समग्र उत्पादन में वर्ष 2004-05 और 2003-04 के दौरान भी उत्पादन की तुलना में वृद्धि हुई है। शहतूत एवं वन्य रेशम के संबंध में पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य वार कच्ची रेशम का उत्पादन संलग्न विवरण-III एवं IV में दिया गया है।

***विवरण-I***

*दसवीं योजना के दौरान उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम*

*पिछले तीन वर्षों (2003-04 से 2005-06) के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी.एस.बी.) द्वारा राज्यवार खर्च की गई/कुल जारी की गई राशि*

(लाख रुपए में)

| # | राज्य का नाम | अवधि के दौरान व्यय | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | कर्नाटक | 764.24 | 825.38 | 1112.43 | 2702.05 |
| 2. | तमिलनाडु | 152.33 | 166.58 | 269.42 | 588.33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | जम्मू-कश्मीर | 313.61 | 262.84 | 594.79 | 1171.24 |
| 4. | आंध्र प्रदेश | 878.68 | 1203.59 | 1658.04 | 3740.31 |
| 5. | पश्चिम बंगाल | 48.47 | 112.63 | 133.97 | 295.07 |
| 6. | महाराष्ट्र | 104.47 | 50.80 | 48.83 | 204.10 |
| 7. | मध्य प्रदेश | 74.92 | 79.65 | 187.04 | 341.61 |
| 8. | उड़ीसा | 82.29 | 24.32 | 154.49 | 261.10 |
| 9. | बिहार | 38.30 | 88.99 | 161.79 | 289.08 |
| 10. | उत्तर प्रदेश | 52.91 | 92.05 | 60.24 | 205.20 |
| 11. | केरल | 82.30 | 106.32 | 34.31 | 222.93 |
| 12. | पंजाब | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 349.62 | 308.41 | 17.91 | 675.94 |
| 14. | छत्तीसगढ़ | 125.23 | 156.35 | 128.55 | 410.13 |
| 15. | झारखंड | 83.77 | 0.00 | 100.84 | 184.61 |
| 16. | उत्तरांचल | 112.29 | 117.43 | 178.38 | 408.10 |
| 17. | सिक्किम | 16.45 | 43.27 | 25.51 | 85.23 |
| 18. | असम | 315.28 | 442.21 | 922.53 | 1680.02 |
| 19. | अरुणाचल प्रदेश | 48.79 | 88.63 | 54.19 | 191.61 |
| 20. | मणिपुर | 24.00 | 67.24 | 80.25 | 171.49 |
| 21. | मेघालय | 87.39 | 173.19 | 183.49 | 444.07 |
| 22. | मिजोरम | 106.97 | 141.71 | 367.91 | 616.59 |
| 23. | नागालैंड | 32.31 | 106.45 | 151.59 | 290.35 |
| 24. | त्रिपुरा | 28.01 | 185.73 | 130.43 | 344.17 |
| | कुल | 3922.63 | 4844.16 | 6756.93 | 15523.72 |

**विवरण-II**

*दसवीं योजना के दौरान उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम*

*पिछले तीन वर्षों (2003-04 2004-05 तथा 2005-06) के दौरान विभिन्न योजनाओं/संघटकों के तहत शामिल किसान/लाभार्थी*

(दर्शाए गए अनुसार वास्तविक इकाइयां)

| क्र. सं. | उपसंघटन/गतिविधियां | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | **शहतूत क्षेत्र/संघटक** | | | | |
| 1. | कृषकों को कीटपालन उपस्कर/फार्म उपकरणों की आपूर्ति | | | | |
| | क) नए शहतूत रेशम उत्पादकों को क्षेत्र प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति (सामान्य कृषकों के लिए) - **कृषकों की संख्या** | 12,824 | 13,570 | 17,713 | 44,107 |
| | ख) कृषकों को कीटपालन उपस्कर/फार्म उपकरणों की आपूर्ति (उन्नत माउंटेजस सहित) - **कृषकों की संख्या** | 5,197 | 5,982 | 8,597 | 19,776 |
| 2. | ड्रिप सिंचाई तथा दूसरे जल संरक्षण तथा तकनीकी उपयोग के लिए सहायता प्रदान करना - **संख्या** | 1,975 | 2,558 | 3,379 | 7,912 |
| 3. | क) गुणवत्ता रोगाणुनाशन सामग्री की आपूर्ति **पी1/एफ/1/कृषकों की संख्या** | 18,765 | 11,834 | 15,085 | 45,684 |
| | ख) वर्मी कम्पोस्ट शेड्स के निर्माण के लिए सहायता **(संख्या)** | – | – | 1,053 | 1,053 |
| 4. | कीटपालन गृह निर्माण हेतु कृषकों को सहायता **(कृषकों की संख्या)** | 7,421 | 10,596 | 9,612 | 27,629 |
| II. | **तसर क्षेत्र/संघटक** | | | | |
| 1. | व्यवस्थित तसर/ओक तसर परपोषी पौधे के संवर्धन/रखरखाव हेतु सहायता **चौकी कृषकों (सं.)** | 1,441 | 3,330 | 5,967 | 10,738 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | राज्य में तसर/ओक तसर बीज गुणन अवसंरचना के रखरखाव हेतु सहायता | | | | |
| | **तसर बीज पालक (अदद.)** | 428 | 758 | 728 | 1,914 |
| | **ओक तसर बीज पालक (अदद.)** | 155 | 113 | 318 | 586 |
| 3. | निजी तसर बीज उत्पादकों को सहायता | 357 | 110 | 421 | 888 |
| | **कृषक (अदद)** | 952 | 1,365 | 2,543 | 4,860 |
| III. | **ऐरी क्षेत्र/घटक** | | | | |
| 1. | प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार सहित ऐरी खाद्य पौधों का संवर्धन | 2,299 | 3,460 | 11,440 | 17,199 |
| 2. | ऐरी कीट पालन गृह निर्माण के लिए सहायता **(कृषकों की संख्या)** | 688 | 2,948 | 5,635 | 9,271 |
| IV. | **मूगा क्षेत्र/घटक** | | | | |
| 1. | मूगा खाद्य पौधों का संवर्धन बीज कीटपालक **(संख्या)** | 710 | 876 | 1,244 | 2,830 |
| 2. | मूगा निजी बीजागरों को सहायता | | | | |
| | **बीजागर (अदद)** | 163 | 204 | 248 | 615 |
| | **कृषक (अदद)** | 718 | 942 | 877 | 2,537 |
| V. | **कोसोत्तर क्षेत्र/घटक** | | | | |
| 1. | क) बहुछोरीय रेशम धागाकरण मशीन की आपूर्ति (अदद) | 2 | 0 | 1 | 3 |
| | ख) हॉट एयर ड्राइंग चैम्बर्स/उष्ण कोटि की स्थापना (अदद) | | | 30 | 30 |
| 2. | धागाकरण एककों की सहायता:- | | | | |
| | क) धागाकरण एककों को बैंक द्वारा संस्वीकृत कार्यशील पूंजी पर ब्याज इमदाद **शहतूत (सं.)** | 23 | 3 | 9 | 35 |
| 3. | राज्यों को प्रधान धागाकार/बुनकर/रंगाईकार प्रदान करना **(संख्या)** | – | 11 | 9 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | उन्नत धागाकरण/कताई उपकरणों के उन्नयन तथा लोकप्रिय बनाने हेतु अभिकरणों (एनजीओ/सहकारी समिति) को समर्थन | | | | |
| | (i) धागाकरण उपकरण (संख्या) | 67 | 822 | 312 | 1,201 |
| | (ii) कताई उपकरण (संख्या) | 172 | 1,200 | 670 | 2,042 |
| 5. | स्वचालित धागाकरण मशीनों की (संख्या) | | | 3 | 3 |

***विवरण-II(क)***

*सी.एस.बी. द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विशेष परियोजनाओं के तहत शामिल किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या*

| # | विशेष परियोजनाएं/राज्य | लाभार्थियों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | मणिपुर रेशम पालन परियोजना | | 5000 | 5000 |
| 2. | मणिपुर में ओक तसर पर सूक्ष्म परियोजना | | 103 | 48 |
| 3. | मिजोरम में शहतूत के लिए एस.जी.एस.वाई. परियोजना | 600 | 1500 | 1500 |
| 4. | नागालैंड के वोखला और मोकोक चंग जिले में ऐरी उत्पाद परियोजना का विकास (फेज-I) | | 1800 | – |
| 5. | नागालैंड के मून तथा ट्यूनसंग जिले में ऐरी उत्पाद परियोजना का विकास (फेज-II) | – | | 4000 |
| 6. | झारखंड में तसर पर विशेष एस.जी.एस.वाई. परियोजना | 615 | 698 | 122 |
| 7. | बिहार में तसर पर विशेष एस.जी.एस.वाई. परियोजना | | 2777 | 3218 |
| 8. | आंध्र प्रदेश में ऐरी उत्पादन का विकास | 200 | 401 | 761 |
| 9. | उत्तर प्रदेश श्रमिक भारती पायलेट परियोजना | | 100 | 300 |
| 10. | उत्तरांचल में ओक तसर, मूगा तथा ऐरी का विकास-ए.टी.आई. | – | – | 243 |
| 11. | उत्तरांचल में मूगा तथा ऐरी उत्पादन का विकास-अवनी | – | – | 30 |
| 12. | उत्तरांचल में शहतूत तथा ऐरी उत्पादन का विकास-जी.के.वी.एस. | – | – | 50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 13. | महाराष्ट्र थाने जिले में तसर का विकास | – | – | 50 |
| 14. | उत्तरांचल-ओक तसर-द्वितीय फेज | 745 | 660 | – |
| 15. | अरुणाचल प्रदेश-मूगा तथा ऐरी | – | – | 202 |
| 16. | अरुणाचल प्रदेश में वन्य रेशम के विकास के लिए परिप्रेक्ष्य योजना | – | 400-650 | – |
| 17. | असम में मूगा तथा ऐरी उत्पादन का विकास-बी.टी.सी. | – | – | 300 |

*विवरण-III*

*शहतूत कच्ची रेशम उत्पादन के आंकड़े*

(इकाई : मी.टन)

| राज्य | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 (अ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आंध्र प्रदेश | 6054.00 | 5084.00 | 5375.38 |
| जम्मू-कश्मीर | 85.00 | 90.00 | 95.00 |
| कर्नाटक | 5949.00 | 7301.90 | 7471.00 |
| तमिलनाडु | 285.00 | 443.00 | 738.85 |
| पश्चिम बंगाल | 1453.00 | 1520.09 | 1552.48 |
| **उप योग (क)** | **13826** | **14439** | **15233** |
| **गैर पारंपरिक राज्य** | | | |
| असम | 8.00 | 9.00 | 8.00 |
| अरुणाचल प्रदेश | – | नगण्य | 1.00 |
| बिहार | 6.00 | 8.00 | 3.00 |
| छत्तीसगढ़ | 1.00 | 2.30 | 3.00 |
| गुजरात | – | – | – |
| हिमाचल प्रदेश | 12.00 | 12.00 | 16.00 |
| हरियाणा | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| झारखंड | – | नगण्य | 1.00 |
| केरल | 4.00 | 8.00 | 12.00 |
| मध्य प्रदेश | 9.00 | 14.00 | 23.00 |
| महाराष्ट्र | 42.00 | 37.00 | 44.00 |
| मणिपुर | 27.00 | 54.00 | 48.00 |
| मिजोरम | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
| मेघालय | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| नागालैंड | – | 0.50 | 1.00 |
| उड़ीसा | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| पंजाब | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| राजस्थान | – | 0.30 | 0.05 |
| सिक्किम | – | – | – |
| त्रिपुरा | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| उत्तरांचल | 9.00 | 9.00 | 14.00 |
| उत्तर प्रदेश | 9.00 | 9.50 | 19.00 |
| **उप योग (ख)** | **144.00** | **181.10** | **212** |
| कुल-योग (क+ख) | 13970 | 14620 | 15445 |

स्रोत: समस्त राज्यों के डी.ओ.एस.

अ: अनंतिम

एसएस: 07-07-2006

*विवरण-IV*

*वन्य कच्ची रेशम उत्पादन के आंकड़े*

(इकाई : मी.टन)

| राज्य | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 (अ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **उष्ण कटिबंधीय तसर (क)** | | | |
| आंध्र प्रदेश | 14.00 | 16.00 | 20.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| बिहार | 8.00 | 8.00 | 14.00 |
| छत्तीसगढ | 118.00 | 120.00 | 90.00 |
| मध्य प्रदेश | 13.00 | 14.00 | 16.00 |
| झारखंड | 84.00 | 91.00 | 96.00 |
| महाराष्ट्र | 8.00 | 5.00 | 6.00 |
| मिजोरम | – | नगण्य | 0.00 |
| उड़ीसा | 37.00 | 33.00 | 21.00 |
| पश्चिम बंगाल | 27.00 | 26.00 | 34.00 |
| **उप-योग (क)** | **309** | **313** | **297** |
| **ओक तसर (ख)** | | | |
| अरुणाचल प्रदेश | – | नगण्य | नगण्य |
| मिजोरम | 0.00 | | नगण्य |
| मणिपुर | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| नागालैंड | – | 0.20 | नगण्य |
| उत्तर प्रदेश | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
| उत्तरांचल | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| **उप-योग (ख)** | **6.00** | **9.20** | **11.00** |
| **कुल (क+ख)** | **315** | **322** | **308** |
| **एरी** | | | |
| आंध्र प्रदेश | 0.00 | 10.00 | 27.00 |
| असम | 480 | 554.00 | 745.00 |
| अरुणाचल प्रदेश | 3 | 4.00 | 10.00 |
| बिहार | 18 | 15.00 | 1.00 |
| झारखंड | – | 1.00 | नगण्य |
| मणिपुर | 434 | 431.00 | 235.00 |
| मिजोरम | 3 | 3.00 | 3.20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| मेघालय | 317 | 327.00 | 280.00 |
| नागालैंड | 96 | 98.00 | 130.00 |
| उड़ीसा | नगण्य | 1.00 | 2.00 |
| तमिलनाडु | | 0.60 | नगण्य |
| उत्तरांचल | | 0.60 | नगण्य |
| पश्चिम बंगाल | 1 | 2.00 | 4.00 |
| छत्तीसगढ़ | 0 | 1.00 | 3.00 |
| उत्तर प्रदेश | 0.00 | | 2.00 |
| **कुल** | **1352** | **1448** | **1442** |
| **मूगा** | | | |
| असम | 99 | 104.00 | 104.00 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0.20 | 0.10 | 0.24 |
| मिजोरम | – | 0.10 | 0.07 |
| मेघालय | 6.00 | 5.40 | 5.40 |
| उत्तरांचल | | नगण्य | नगण्य |
| नागालैंड | – | 0.10 | 0.18 |
| पश्चिम बंगाल | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| मणिपुर | neg | 0.10 | 0.06 |
| कुल | 105 | 110 | 110 |

स्रोत: सभी राज्यों के डी.ओ.एस.

अ: अनंतिम

एसएस: 07-07-2006

**प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत इकाइयां**

**886. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:** क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के अन्तर्गत बंद पड़ी कृषि एवं ग्रामीण उद्योग इकाइयों की कुल संख्या कितनी है और इसमें वर्षवार, राज्यवार और इकाईवार कितनी निवल बकाया ऋण राशि फंसी हुई है; और

(ख) पी.एम.आर.वाई. के अन्तर्गत उक्त इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद):** (क) इन्स्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपॉवर रिसर्च,

दिल्ली द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के दूसरे दौर के मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार सर्वेक्षित इकाइयों में से 17.5 प्रतिशत बंद पाई गई थीं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, पी.एम.आर.वाई. के तहत मार्च 2002, मार्च 2003 और मार्च, 2004 के अंत तक संचयी बकाया ऋण का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पी.एम.आर.वाई. के तहत आरंभ की गई बंद इकाइयों पर बकाया ऋण राशियों का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अलग डाटा तैयार नहीं किया जाता है।

(ख) संभावित रूप से जीवनक्षम रुग्ण लघु उद्योगों के समय पर पहचान करने एवं पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय पी.एम.आर.वाई. के तहत स्थापित इकाइयों पर भी लागू होते हैं। इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने आरंभिक स्तर पर रूग्णता का पता लगाने और उपचारात्मक उपाय करने तथा संभाव्य रूप से जीवनक्षम रूप में पहचानी गई रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास के लिए बैंकों को जनवरी 2002 में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में रुग्ण लघु उद्योगों की परिभाषा बदलने, उनमें संभावित रूप से जीवन क्षमता का निर्णय करने के मानदण्ड, उनका सस्ती दरों पर वित्त पोषण करना आदि सम्मिलित है जिससे बैंकों को आरंभिक स्तर पर इनकी रुग्णता का पता लग सके और वे संभावित रूप से जीवनक्षम रुग्ण लघु उद्योग इकाईयों के पुनर्जीवन के लिए सुधारात्मक कार्यवाही कर सकें। जैसा कि केन्द्र सरकार ने 10 अगस्त, 2005 को 'लघु और मझोले उद्योगों (एस.एम.ई.) को ऋण प्रदान करने में वृद्धि करने हेतु नीतिगत पैकेज' में घोषणा की थी, कि भारतीय रिजर्व बैंक ने उसी के अनुसार 8 सितम्बर, 2005 को सभी पात्र एस.एम.ई. (लघु उद्योगों सहित) के लिए ऋण का पुनर्गठन करने का मार्ग प्रशस्त करने हेतु ऋण पुनर्गठन तंत्र से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में व्यवहार्यता मानदण्ड, खातों का पुनर्गठन करने के लिए विवेकाधीन मानदण्ड, अतिरिक्त वित्त, पुनर्गठन पैकेज तैयार करने हेतु एक निर्धारित समय सीमा और उसका कार्यान्वयन आदि सम्मिलित हैं।

***विवरण***

*पी.एम.आर.वाई. के तहत बकाया ऋण राशि का राज्य-वार विवरण*
*(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार)*

(लाख रु.)

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | समाप्त अर्धवर्ष के लिए बकाया ऋण राशि | | |
|---|---|---|---|
| | मार्च 2002 | मार्च 2003 | मार्च 2004 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| हरियाणा | 3004.05 | 2819.10 | 3103.42 |
| हिमाचल प्रदेश | 7565.55 | 665.93 | 667.41 |
| जम्मू-कश्मीर | 1528.10 | 1511.83 | 2619.4 |
| पंजाब | 2821.48 | 2865.67 | 2649.22 |
| राजस्थान | 3887.24 | 4757.09 | 6985.29 |
| चंडीगढ़ | 81.10 | 85.74 | 483.39 |
| दिल्ली | 1115.40 | 1084.08 | 974.1 |
| असम | 15791.46 | 14123.32 | 20916.33 |
| मणिपुर | 2894.02 | 3138.89 | 2857.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| मेघालय | 954.28 | 1164.23 | 1150.62 |
| नागालैंड | 1303.88 | 1092.36 | 828.24 |
| त्रिपुरा | 1392.03 | 1387.09 | 1729.82 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1386.03 | 507.87 | 1115.86 |
| मिजोरम | 823.81 | 400.52 | 641.98 |
| बिहार | 8053.22 | 8914.34 | 10626.04 |
| झारखंड | 4108.00 | 4304.11 | 3525.14 |
| उड़ीसा | 6738.80 | 5276.14 | 9382.53 |
| पश्चिम बंगाल | 5190.56 | 6461.37 | 8829.72 |
| अंडमान और निकोबार | 37.00 | 43.37 | 64.02 |
| सिक्किम | 79.06 | 35.51 | 31.93 |
| छत्तीसगढ़ | 2001.42 | 2620.97 | 3013.64 |
| मध्य प्रदेश | 10604.89 | 11665.79 | 12787.25 |
| उत्तरांचल | 528.24 | 539.87 | 1003.33 |
| उत्तर प्रदेश | 13481.14 | 14860.41 | 15575.34 |
| गुजरात | 2085.05 | 2546.56 | 3039.65 |
| महाराष्ट्र | 20525.99 | 14514.62 | 26427.36 |
| दमन और दीव | 1.70 | 0.41 | -0.7 |
| गोवा | 193.67 | 180.03 | 289.67 |
| दादर और नगर हवेली | 89.32 | 28.24 | 55 |
| आंध्र प्रदेश | 8605.81 | 7848.78 | 9550.1 |
| कर्नाटक | 6811.35 | 6154.70 | 7552.5 |
| केरल | 5241.68 | 6525.03 | 6773.45 |
| तमिलनाडु | 4851.14 | 4610.22 | 7037.1 |
| लक्षद्वीप | 3.71 | 2.08 | 0 |
| पांडिचेरी | 160.00 | 168.67 | 267.99 |

**सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एन्ड इम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम**

**889. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार 'सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एण्ड इम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम' के अंतर्गत विभिन्न विधाओं यथा कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्यन, हथकरघा, हस्तशिल्प उद्योग, रेशम कीट पालन, सामाजिक वानिकी और परती भूमि विकास इत्यादि में प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एण्ड इम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम (स्टेप) के अंतर्गत उन्हें क्या-क्या ऋण सुविधाएं उपलब्ध हैं?

**महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी):** (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 'स्टेप' स्कीम के अंतर्गत ऋण संपर्क सुविधा कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों द्वारा प्रदान की जाती है। ये अभिकरण राष्ट्रीय महिला कोष, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि जैसी वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण संबंधी मांगों को पूरा करते हैं।

***विवरण***

*स्टेप स्कीम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों की संख्या*

| क्र. सं. | राज्य | स्टेप स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | – | – | 2200 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | – | – | 125 |
| 3. | असम | 1050 | 500 | 4990 |
| 4. | केरल | – | 10000 | – |
| 5. | कर्नाटक | 10500 | – | 4000 |
| 6. | मणिपुर | 500 | 2000 | 750 |
| 7. | नागालैण्ड | 1100 | – | 85 |
| 8. | मध्य प्रदेश | – | 1200 | 295 |
| 9. | मिजोरम | – | 1500 | – |
| 10. | महाराष्ट्र | 2200 | 700 | 1000 |
| 11. | उड़ीसा | – | – | 4880 |
| 12. | पंजाब | – | – | 4825 |
| 13. | राजस्थान | 1000 | – | 5000 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | – | – | 6300 |
| | कुल | 16350 | 15900 | 34575 |

## सेलोफेन पेपर की कमी

**890. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्याप्त 'सेलोफेन पेपर' की कमी के कारण शिवकाशी, तमिलनाडु में स्थित पटाखा उद्योग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार):** (क) और (ख) जी, हां। मै. केसोराम रेयोन, कोलकाता, जो कि आतिशबाजी उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाले सेलोफेन पेपर के एकमात्र विनिर्माता थे, के बंद हो जाने के कारण इस पेपर की कमी हो गई थी। अब इस कंपनी ने इस कागज का उत्पादन और आतिशबाजी उद्योग को इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है।

*[हिन्दी]*

## पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश

**891. श्री कैलाश मेघवाल:** क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु घरेलू व विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य हेतु आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) से (ग) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक औद्योगिक नीति अधिसूचित की है जिसका लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगीकरण को संवर्धित करना है। इस नीति के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को अनेक रियायतें/आर्थिक सहायता यथा 10 वर्षों के लिए उत्पाद और आयकर में छूट, पूंजीगत सहायता, ब्याज सब्सिडी और व्यापक बीमा की अनुमति दी जाती है। इसके अतिरिक्त, परिवहन सब्सिडी योजना, 1971 के अंतर्गत परिवहन सब्सिडी भी उपलब्ध है। एन.ई.आर. को विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कोई अलग एफ.डी.आई. नीति नहीं है और तकनीकी आर्थिक पैरामीटरों के आधार पर निवेशक निर्णय लेते हैं।

## उद्योगों की स्थापना हेतु प्रस्ताव

**892. श्री हरिसिंह चावड़ा:**
**श्री वी.के. ठुम्मर:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में उद्योगों की स्थापना हेतु सरकार को विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या कितनी है और अब तक राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गयी; और

(ग) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार):** (क) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अन्तर्गत उद्यमियों को और न कि राज्य सरकारों को उद्योगों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन/आवेदन दायर करना अपेक्षित होता है। 1-4-2003 से 30-6-2006 तक के दौरान औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्राप्त औद्योगिक उद्यम ज्ञापन (आई.ई.एम.) तथा जारी किए गए आशय पत्र (एल.ओ.आई.)/प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों (डी.आई.एल.) से संबंधित सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) यद्यपि उद्योगों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों को निधियां आबंटित नहीं की जाती है, लेकिन सरकार विभिन्न स्कीमों के तहत अवसंरचना सुविधाएं तथा अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। इन स्कीमों में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग चलायी जा रही विकास केन्द्र योजना, औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना, पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति पैकेज, विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के लिए पैकेज, चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास तथा औद्योगिक पार्क योजना शामिल है तथा इन योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए मानदंडों के अनुसार निधियां आबंटित की जाती हैं। 1-4-2003 से 30-6-2006 के दौरान जारी किए गए एल.ओ.आई./डी.आई.एल. संबंधी सूचना संलग्न विवरण-II पर दी गई है।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदनों को प्राप्त करना तथा उन पर विचार-विमर्श करना एक सतत प्रक्रिया है तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की लाइसेंसिंग समिति द्वारा एक समयबद्ध तरीके से आवेदनों का निपटान किया जाता है।

**विवरण-I**

*1-4-2003 से 30-6-2006 तक राज्यवार निवेश आशय*
*(आई.ई.एम.+एल.ओ.आई.+डी.आई.एल.)*

| क्र. सं. | राज्य का नाम | संख्या | प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 2 | 31 |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | 1359 | 70516 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 22 | 165 |
| 4. | असम | 201 | 1845 |
| 5. | बिहार | 79 | 6942 |
| 6. | चंडीगढ़ | 2 | 1 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 956 | 118421 |
| 8. | दादर और नगर हवेली | 436 | 8414 |
| 9. | दमन और द्वीव | 230 | 1625 |
| 10. | दिल्ली | 23 | 60 |
| 11. | गोवा | 108 | 983 |
| 12. | गुजरात | 1982 | 152785 |
| 13. | हरियाणा | 685 | 17602 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 327 | 7146 |
| 15. | जम्मू-कश्मीर | 344 | 6277 |
| 16. | झारखंड | 383 | 71557 |
| 17. | कर्नाटक | 766 | 46102 |
| 18. | केरल | 104 | 1486 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 429 | 31030 |
| 20. | महाराष्ट्र | 2437 | 52352 |
| 21. | मणिपुर | 2 | 7 |
| 22. | मेघालय | 101 | 1767 |
| 23. | नागालैंड | 6 | 16036 |
| 24. | उड़ीसा | 596 | 114602 |
| 25. | पांडिचेरी | 146 | 986 |
| 26. | पंजाब | 527 | 15911 |
| 27. | राजस्थान | 575 | 12114 |
| 28. | सिक्किम | 15 | 819 |
| 29. | तमिलनाडु | 1511 | 76064 |
| 30. | त्रिपुरा | 10 | 253 |
| 31. | उत्तर प्रदेश | 1685 | 76940 |
| 32. | उत्तरांचल | 864 | 15811 |
| 33. | पश्चिम बंगाल | 1368 | 35282 |
| 34. | स्थापना-स्थल एक से अधिक राज्य में | 3 | 11 |
| | जोड़ | 18284 | 961945 |

टिप्पण: 1. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंसिंग उपबंधों से छूट प्राप्त उद्योगों और जिनके लिए अनुमोदन आवश्यक नहीं ऐसे उद्योगों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.) उद्यमियों द्वारा दायर किए जाने होते हैं।

2. एल.ओ.आई./डी.आई.एल. ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए जारी किए जाते हैं जो औद्योगिक लाइसेंसिंग के अध्यधीन हैं।

**विवरण-II**

*1-4-2003 से 30-6-2006 तक राज्यवार निवेश आशय*
*(एल.ओ.आई.+डी.आई.एल.)*

| क्र. सं. | राज्य का नाम | संख्या | प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | 64 | 2742 |
| 3. | असम | 1 | 2 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 5 | 16 |
| 5. | दादर और नगर हवेली | 9 | 155 |
| 6. | दमन और द्वीव | 5 | 10 |
| 7. | गोवा | 1 | 0 |
| 8. | गुजरात | 28 | 453 |
| 9. | हरियाणा | 13 | 80 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 2 | 11 |
| 11. | जम्मू-कश्मीर | 2 | 10 |
| 12. | झारखंड | 4 | 14 |
| 13. | कर्नाटक | 23 | 355 |
| 14. | केरल | 8 | 260 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 5 | 13 |
| 16. | महाराष्ट्र | 33 | 5324 |
| 17. | मेघालय | 2 | 2 |
| 18. | पांडिचेरी | 1 | 3 |
| 19. | पंजाब | 61 | 1180 |
| 20. | राजस्थान | 1 | 6 |
| 21. | तमिलनाडु | 102 | 1548 |
| 22. | उत्तर प्रदेश | 12 | 54 |
| 23. | उत्तरांचल | 1 | 3 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 14 | 171 |
| 25. | स्थापना-स्थल एक से अधिक राज्य में | 3 | 11 |
| | जोड़ | 401 | 12424 |

*[अनुवाद]*

**कागज उद्योग**

**893. श्री मिलिन्द देवरा:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कागज/पुस्तिकाओं की मांग में कई गुणा वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस मांग को यह उद्योग किस प्रकार पूरा करेगा;

(ग) क्या कागज उद्योग अतिरिक्त कुशल/अकुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध करा पाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार):** (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कागज और गत्ते की मांग और आपूर्ति निम्न प्रकार है:-

(इकाई: मिलियन टन)

| वर्ष | मांग | आपूर्ति |
|---|---|---|
| 2002-03 | 5.256 | 5.475 |
| 2003-04 | 5.567 | 5.791 |
| 2004-05 | 5.718 | 5.988 |

(स्रोत: सी.एम.आई.ई.)

(ग) और (घ) कई कागज कंपनियां आधुनिकीकरण और क्षमता में विस्तार की योजनाएं आरंभ कर रही हैं। इन उपायों से आगामी पांच वर्षों में लगभग 2 मिलियन टन अतिरिक्त क्षमता का सृजन होने की आशा है। आशा है कि इसके कारण श्रमिकों को अतिरिक्त कुशल/अकुशल कार्य उपलब्ध होने चाहिए।

**किशोर बालिकाओं हेतु पोषाहार कार्यक्रम**

**894. श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किशोर बालिकाओं हेतु पोषाहार कार्यक्रम (एन.पी.ए.जी.) योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इन लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित लड़कियों की संख्या कितनी है और इस उद्देश्य हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ग) क्या वर्ष 2006-07 के दौरान एन.पी.ए.जी. को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किशोर बालिकाओं के लिए शत-प्रतिशत पोषाहार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी):** (क) योजना आयोग ने 'किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम' देशभर के 51 पिछड़े जिलों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में वर्ष 2002-03 में आरंभ किया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अल्प-पोषित किशोरियों की संख्या में कमी लाना है। इस स्कीम का प्रभाव जानने के लिए किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य भारतीय पोषण प्रतिष्ठान, नई दिल्ली को सौंपा गया है। इस अध्ययन कार्य के अगले तीन माह में संपन्न होने की संभावना है।

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2005-06 के दौरान जारी की गई राशि तथा लाभान्वित बालिकाओं की संख्या का यथा-उपलब्ध ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। वर्ष 2002-03 में 53.96 करोड़ रुपये; 2003-04 में 40.04 करोड़ रुपये तथा 2005-06 में 63.76 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2004-05 में किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम को जारी रखे जाने का अनुमोदन नहीं किया जा सका।

(ग) किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम के कार्यान्वयन को वर्ष 2006-07 में भी जारी रखने का अनुमोदन सरकार ने कर दिया है।

(घ) इस स्कीम के लिए वार्षिक योजना, 2006-07 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु केंद्रीय सहायता (शत-प्रतिशत अनुदान) के रूप में 162.77 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिसमें से अब तक 61.20 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को जारी की जा चुकी है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) इस परियोजना का अधिदेश अल्प-पोषित किशोरियों (35 कि.ग्रा. से कम वजनी) को प्रति लाभार्थी प्रति माह 6 कि.ग्रा. खाद्यान्न प्रदान करना है। राज्यों से निरंतर यह कहा जा रहा है कि वे इस परियोजना के अनुमोदित मानकों के अनुसार यथासंभव अधिकतम संख्या में अल्प-पोषित किशोरियों को लाभान्वित करके, इस परियोजना का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

***विवरण-I***

*किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2005-06 के दौरान जारी की गई राशि एवं लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा*

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2002-03 | | 2003-04 | | 2005-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जारी की गई राशि (रुपये लाखों में) | लाभार्थियों की संख्या (बालिकाएं) | जारी की गई राशि (रुपये लाखों में) | लाभार्थियों की संख्या (बालिकाएं) | जारी की गई राशि (रुपये लाखों में) | लाभार्थियों की संख्या (बालिकाएं) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 527.78 | 775575* | 420 | | 544.85 | 0 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 4.23 | | 3 | | 3.46 | |
| 3. | असम | 124.51 | | 100 | | 122.17 | |
| 4. | बिहार | 412.24 | 0 | 330 | | 525.95 | |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 129.55 | 0 | 104 | 40,559 | 164.43 | 30,653 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | गोवा | 44.11 | 0 | 35 | 0 | 45.02 | 0 |
| 7. | गुजरात | 309.17 | 41419 | 247 | 105750 | 305 | |
| 8. | हरियाणा | 98.44 | | 79 | 63133 | 120.17 | 52857 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 70.63 | | 57 | 38432 | 180.13 | |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 68.41 | | 55 | | 66.81 | |
| 11. | झारखंड | 140.1 | | 112 | | 178.73 | |
| 12. | कर्नाटक | 504.62 | 0 | 358 | | 516.4 | 95220 |
| 13. | केरल | 266.21 | 0 | 213 | 21610 | 247.87 | 0 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 219.93 | 33128* | 176 | | 276.96 | 0 |
| 15. | महाराष्ट्र | 600.81 | 0 | 481 | 0 | 612.8 | 0 |
| 16. | मणिपुर | 16.78 | | 13 | | 15.8 | |
| 17. | मेघालय | 18.22 | | 15 | | 16.86 | 9652 |
| 18. | मिजोरम | 6.93 | 2498 | 6 | | 6.77 | |
| 19. | नागालैंड | 17.23 | | 14 | | 33.6 | 33263 |
| 20. | उड़ीसा | 281.32 | 35465 | 205 | 46526 | 289.53 | 0 |
| 21. | पंजाब | 114.03 | 35138 | 91 | 0 | 129.65 | 19847 |
| 22. | राजस्थान | 184.95 | 0 | 148 | | 236.49 | 80065 |
| 23. | सिक्किम | 7.38 | 3705* | 6 | 0 | 12.19 | 5555 |
| 24. | तमिलनाडु | 213.25 | 188495 | 171 | 449601 | 422.9 | |
| 25. | त्रिपुरा | 90.57 | 19920 | 72 | 0 | 91.03 | |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 248.44 | 14837 | 199 | 14890 | 311.31 | 62222 |
| 27. | उत्तरांचल | 82.67 | 15891 | 66 | | 106.95 | |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 593.23 | | 228 | | 620.88 | 266153 |
| 29. | अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह | | 0 | | 6870 | | |
| 30. | चण्डीगढ़ | | 0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | दमन व दीव | | 0 | | 348 | | 348 |
| 32. | दादर व नगर हवेली | | 17922 | | 6500 | | |
| 33. | दिल्ली | | | | | 148.62 | |
| 34. | लक्षद्वीप | | 0 | | 0 | | 2072 |
| 35. | पाण्डिचेरी | | 0 | | 4533 | 22.4 | |
| | कुल | 5395.74 | 1183993 | 4004 | 798752 | 6375.73 | 657907 |

*लाभान्वित अल्प-पोषित लाभार्थियों की कुल संख्या दर्शायी गई है। किशोरियों की संख्या अलग से नहीं दर्शायी गयी है।

**विवरण-II**

*किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान पहली किस्त के रूप में आबंटित/जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण*

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का आबंटन (2006-07) (रुपये लाखों में) | जारी की गई राशि (आबंटन का 50%) (रुपये लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1113.73 | 556.87 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 7.48 | 3.74 |
| 3. | असम | 251.29 | 125.65 |
| 4. | बिहार | 1073.78 | 536.89 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 336.73 | 168.37 |
| 6. | गोवा | 93.07 | 46.54 |
| 7. | गुजरात | 624.63 | 312.32 |
| 8. | हरियाणा | 248.32 | 124.16 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 185.48 | 92.74 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 138.29 | 69.15 |
| 11. | झारखंड | 365.78 | 182.89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 12. | कर्नाटक | 1055.39 | 527.70 |
| 13. | केरल | 520.73 | 260.37 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 566.33 | 283.17 |
| 15. | महाराष्ट्र | 1253.27 | 626.64 |
| 16. | मणिपुर | 33.12 | 16.56 |
| 17. | मेघालय | 34.99 | 17.50 |
| 18. | मिजोरम | 14.08 | 7.04 |
| 19. | नागालैण्ड | 35.26 | 17.63 |
| 20. | उड़ीसा | 589.1 | 294.55 |
| 21. | पंजाब | 273.02 | 136.51 |
| 22. | राजस्थान | 483.4 | 241.70 |
| 23. | सिक्किम | 13.17 | 6.59 |
| 24. | तमिलनाडु | 436.36 | 218.18 |
| 25. | त्रिपुरा | 188.17 | 94.09 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 636.93 | 318.47 |
| 27. | उत्तरांचल | 219.67 | 109.84 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 1265.5 | 632.75 |
| 29. | अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह | 38.79 | |
| 30. | चण्डीगढ़ | 65.7 | |
| 31. | दमन व दीव | 23.83 | |
| 32. | दादर व नगर हवेली | 35.68 | |
| 33. | दिल्ली | 160.01 | 80.005 |
| 34. | लक्षद्वीप | 5.13 | |
| 35. | पाण्डिचेरी | 23.08 | 11.54 |
| | कुल | 12409.29 | 6[illegible]20.08 |

## पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों से निर्यात

**895. श्री मणी कुमार सुब्बा:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से निर्यात के लिए चाय सहित बागवानी और हस्त-शिल्प उत्पादों की प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में पूर्वोत्तर राज्यों में से प्रत्येक राज्य द्वारा इन वस्तुओं का कितना उत्पादन/निर्यात किया गया; और

(ग) इन वस्तुओं के निर्यात गंतव्य स्थलों की पहचान करने तथा उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) जी, हां। इन मदों को निर्यात हेतु थ्रस्ट क्षेत्र माना जाता है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) संबंधित व्यापार संवर्धन संगठनों/परिषदों के जरिए बागवानी तथा हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा संबद्ध कार्यकलापों के लिए राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.) स्कीम से प्रदान की जा रही केन्द्रीय सहायता के अलावा विदेशी बाजारों में संवर्धनात्मक कार्यकलाप और पूर्वोत्तर क्षेत्र के निर्यातकों के विपणन प्रयासों में उन्हें संवर्धनात्मक सहायता प्रदान करना भी शामिल है।

### विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों से बागवानी, चाय उत्पादों के उत्पादन/निर्यात से संबंधित उपलब्ध ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

**क. पूर्वोत्तर क्षेत्र से चाय का उत्पादन/निर्यात**

(उत्पादन एवं निर्यात मि. कि.ग्रा. में)

| राज्य का नाम | 2003 | | 2004 | | 2005 | | 2006 (जून-मई) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | उत्पादन | निर्यात* | उत्पादन | निर्यात* | उत्पादन | निर्यात* | उत्पादन | निर्यात* |
| असम | 434.76 | | 435.65 | | 474.14 | | 92.12 | |
| त्रिपुरा | 8.58 | | 7.17 | | 7.32 | | 0.56 | |
| मणिपुर | 0.12 | | 0.11 | | 0.11 | | 0.01 | |
| अरुणाचल प्रदेश | 1.74 | | 2.22 | | 2.25 | | 0.17 | |
| नागालैण्ड | 0.19 | | 0.19 | | 0.19 | | 0.01 | |
| मेघालय | 0.08 | | 0.10 | | 0.10 | | 0.01 | |
| मिजोरम | 0.08 | | 0.07 | | 0.07 | | 0.00 | |
| सिक्किम | 0.11 | | 0.15 | | 0.15 | | 0.01 | |
| कुल | 445.66 | 74.00 | 445.66 | 81.00 | 484.33 | 73.00 | 92.89 | 17.00 |

*व्यापार सूचना के अनुसार प्राक्कलित और उस पर आधारित ** अनंतिम और संशोधनाधीन

ख. पूर्वोत्तर क्षेत्र से बागवानी उत्पादों का निर्यात

(लाख रु. में)

| राज्य का नाम | निर्यात | |
|---|---|---|
| | 2003 | 2004 |
| असम | 150.43 | 182.61 |
| त्रिपुरा | 34.82 | 36.26 |
| मणिपुर | 1518.59 | - |
| अरुणाचल प्रदेश | - | - |
| नागालैण्ड | - | - |
| मेघालय | 27.64 | 31.47 |
| मिजोरम | - | - |
| सिक्किम | - | - |
| कुल | 1761.48 | 250.34 |

## विश्व वस्त्र व्यापार में भारतीय भागीदारी

**896. श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005 के दौरान विश्व वस्त्र और परिधान व्यापार में भारत की प्रतिशत भागीदारी कितनी है;

(ख) क्या 1 जनवरी, 2005 से कोटा प्रणाली को समाप्त किए जाने से भारतीय वस्त्र उद्योग को लाभ पहुंचा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तब से भारतीय भागीदारी में कितने प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में विभिन्न उपाय किए जाने के पश्चात वस्त्र उद्योग द्वारा क्या परिणाम प्राप्त किए गए हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन):** (क) डब्ल्यु.टी.ओ. के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004 के दौरान विश्व वस्त्र एवं क्लोदिंग व्यापार में भारत का हिस्सा क्रमशः 4% एवं 2.8% है।

(ख) से (घ) जी, हां। 1 जनवरी, 2005 से कोटा व्यवस्था की समाप्ति के पश्चात भारत के वस्त्र एवं क्लोदिंग निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। डी.जी.सी.आई. एंड एस. के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान भारत का वस्त्र एवं क्लोदिंग निर्यात 17.08 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का हुआ है जो वर्ष 2004-05 के दौरान हुए निर्यात की तुलना में 21.8% की वृद्धि दर्ज करता है। संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को भारत के वस्त्र एवं क्लोदिंग निर्यात, जो हमारे कुल वस्त्र एवं क्लोदिंग निर्यात का लगभग दो-तिहाई है, में विश्व व्यापार एटलस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004 की तुलना में वर्ष 2005 में क्रमशः 26% और 18% की वृद्धि दर्ज हुई है।

## खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा खादी के वस्त्रों की बिक्री

**897. श्री प्रहलाद जोशी:** क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा राज्यवार कुल कितनी मात्रा में खादी के वस्त्रों का उत्पादन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने उत्पादन की बिक्री नहीं हुई और इस क्षेत्र को कितनी हानि उठानी पड़ी;

(ग) क्या सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग की हानि की भरपाई हेतु कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद):** (क) 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान, खादी के उत्पादन की राज्य-वार मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) 01-04-2005 की स्थिति के अनुसार, खादी के अनबिके स्टॉक की मात्रा लगभग 450 करोड़ रु. थी। खादी का उत्पादन और विक्रय खादी संस्थानों द्वारा किया जाता है जो सामान्यतः सोसाइटियों के रूप में पंजीकृत स्वायत्त निकाय (गैर-सरकारी संगठन) हैं। इन संस्थानों की लाभ और हानि का प्रबंध मात्र उनके निजी संसाधनों द्वारा ही किया जाता है तथा इन पर सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है।

संस्थानों को और अधिक जीवनक्षम बनाने की दृष्टि से, देश में खादी के उत्पादन और विक्रय के संवर्धन के उद्देश्य से निम्नोक्त कदम उठाए गए हैं:-

(i) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आई.एस.ई.सी.) योजना के तहत, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.)/ राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों (के.वी.आई.बी.) से पंजीकृत संस्थानों की आंकलित आवश्यकताओं के अनुसार बैंकों द्वारा 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर क्रेडिट प्रदान किया जाता है।

(ii) खादी की बिक्री पर छूट के भुगतान के लिए निधियों का उच्च प्रावधान।

(iii) खादी वस्त्रों के सुधरे हुए डिजाइन और पैकेजिंग के लिए, के.वी.आई.सी. द्वारा 2002-03 से कार्यान्वित की जा रही उत्पाद विकास, डिजाइन इण्टरवेंशन और पैकिंग (पी.आर.ओ.डी.आई.पी.) योजना के तहत सहायता।

(iv) उत्पादों के विपणन में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय स्तरों, आदि पर प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए खादी संस्थानों को सहायता।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने हाल ही में, खादी, ग्रामीण और कॅयर उद्योग क्लस्टरों में कार्यान्वित किए जाने के लिए "पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि योजना" (स्फूर्ति) आरंभ की है। योजना में खादी की कताई करने वालों और बुनकरों की उत्पादकता में सुधार लाने, खादी कपड़े को सिलेसिलाए खादी उत्पादों में बदलने के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों (सी.एफ.सी.) की स्थापना, कपड़े और सिलेसिलाए वस्त्रों के लिए नए डिजाइनों का विकास करने, विपणन संवर्धन और अन्य क्लस्टरों और संस्थानों में प्रदर्शन दौरे जैसी गतिविधियां आरंभ करने, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, खादी कारीगरों का कौशल उन्नयन, आदि के लिए सहायता की परिकल्पना की गई है।

***विवरण***

*2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान, खादी के उत्पादन की राज्यवार मात्रा*

| क्र. सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | खादी के उत्पादन की मात्रा (लाख रु.) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | चंडीगढ़ | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 2. | दिल्ली | 121.94 | 151.65 | 156.57 |
| 3. | हरियाणा | 2585.38 | 2593.56 | 2940.77 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | 208.09 | 282.70 | 294.66 |
| 5. | जम्मू-कश्मीर | 896.21 | 854.56 | 836.02 |
| 6. | पंजाब | 1234.31 | 1057.06 | 1106.60 |
| 7. | राजस्थान | 2135.21 | 2681.04 | 2777.49 |
| 8. | बिहार | 908.63 | 836.91 | 842.05 |
| 9. | झारखण्ड | 382.10 | 278.11 | 278.11 |
| 10. | उड़ीसा | 331.03 | 354.53 | 262.75 |
| 11. | पश्चिम बंगाल | 5241.24 | 4879.18 | 4582.55 |
| 12. | अरुणाचल प्रदेश | 3.57 | 3.90 | 5.88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 13. | असम | 446.69 | 395.38 | 443.98 |
| 14. | मणिपुर | 47.57 | 46.30 | 59.20 |
| 15. | मेघालय | 4.42 | 4.45 | 4.65 |
| 16. | मिजोरम | 2.70 | 56.28 | 58.83 |
| 17. | नागालैण्ड | 56.01 | 40.59 | 42.75 |
| 18. | सिक्किम | 4.34 | 4.34 | 9.37 |
| 19. | त्रिपुरा | 3.30 | 3.90 | 4.02 |
| 20. | आन्ध्र प्रदेश | 1750.37 | 1572.48 | 1612.69 |
| 21. | कर्नाटक | 3416.24 | 3336.97 | 3404.07 |
| 22. | केरल | 1021.25 | 1081.85 | 1004.01 |
| 23. | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. | पाण्डिचेरी | 22.35 | 22.32 | 12.79 |
| 25. | तमिलनाडु | 5969.79 | 5482.80 | 5595.67 |
| 26. | गुजरात | 2816.15 | 2657.23 | 2783.80 |
| 27. | महाराष्ट्र | 2655.75 | 259.18 | 284.10 |
| 28. | छत्तीसगढ़ | 652.91 | 700.97 | 784.81 |
| 29. | मध्य प्रदेश | 539.51 | 393.00 | 491.60 |
| 30. | उत्तरांचल | 895.14 | 1038.26 | 1057.63 |
| 31. | उत्तर प्रदेश | 9954.71 | 14280.63 | 14416.30 |
| | कुल | 44307.25 | 45350.47 | 46154.06 |

*[हिन्दी]*

**जनजातीय क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र में वर्गीकृत करना**

**898. श्री कैलाश बैठा:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) और (ख) अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट संविधान के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों से अभिप्राय उन ऐसे क्षेत्रों से हैं, जो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित किए जाएं। सामान्यतया किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड जनजातीय आबादी की बहुलता, क्षेत्र का संहत एवं

उचित आकार, क्षेत्र का अधो-विकसित स्वरूप तथा लोगों के आर्थिक मानक में स्पष्ट असमानता से संबंधित हैं। राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं राजस्थान के नौ राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए हैं।

*[अनुवाद]*

**जेल में बंद कैदी**

**899. श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में कुल कितनी जेल अधिकृत क्षमता वाली हैं;

(ख) देश भर में कुल कितने कैदी इस समय विचाराधीन हैं;

(ग) देश में इस समय राज्य-वार कुल कितनी जेल हैं; और

(घ) मृत्युदंड की सजा पाए अभियुक्तों को छोड़कर कारावास की विनिर्दिष्ट अवधि के आधे से अधिक समय से निरुद्ध विचाराधीन कैदियों की संख्या कितनी है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित):** (क) से (ग) राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II के अनुसार "जेल" राज्य का विषय है और जेल प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। ऐसे कोई आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

***विवरण***

*31-12-2004 की स्थिति के अनुसार जेलों की संख्या, जेलों की प्राधिकृत क्षमता, विचाराधीन कैदियों की संख्या और जेलों में कुल जनसंख्या निम्न है:-*

| क्र. सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | जेलों की संख्या | प्राधिकृत क्षमता | विचारणाधीन कैदियों की | कुल जनसंख्या संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 141 | 12270 | 9078 | 13881 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | असम | 27 | 6215 | 4298 | 7828 |
| 4. | बिहार | 54 | 21575 | 27375 | 33073 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 27 | 4563 | 4337 | 8873 |
| 6. | गोवा | 5 | 380 | 277 | 427 |
| 7. | गुजरात | 23 | 5543 | 7202 | 11570 |
| 8. | हरियाणा | 18 | 5607 | 7396 | 12010 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 12 | 948 | 487 | 1044 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 13 | 3100 | 1387 | 20 9 |
| 11. | झारखंड | 27 | 5814 | 12447 | 17497 |
| 12. | कर्नाटक | 97 | 9271 | 7962 | 11542 |
| 13. | केरल | 41 | 5859 | 4400 | 7194 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | मध्य प्रदेश | 113 | 17374 | 15777 | 28932 |
| 15. | महाराष्ट्र | 38 | 16216 | 15784 | 24922 |
| 16. | मणिपुर | 3 | 1140 | 359 | 465 |
| 17. | मेघालय | 4 | 500 | 430 | 493 |
| 18. | मिजोरम | 6 | 1004 | 742 | 959 |
| 19. | नागालैंड | 9 | 1160 | 390 | 589 |
| 20. | उड़ीसा | 70 | 8006 | 9444 | 13158 |
| 21. | पंजाब | 26 | 10754 | 10001 | 15064 |
| 22. | राजस्थान | 102 | 15778 | 7283 | 13171 |
| 23. | सिक्किम | 1 | 100 | 99 | 162 |
| 24. | तमिलनाडु | 133 | 18152 | 2918 | 21102 |
| 25. | त्रिपुरा | 11 | 771 | 708 | 1265 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 60 | 33868 | 41224 | 51706 |
| 27. | उत्तरांचल | 9 | 2433 | 1610 | 2365 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 53 | 19721 | 12790 | 16319 |
| | **कुल (राज्य)** | **1123** | **228122** | **206205** | **317650** |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 4 | 309 | 165 | 221 |
| 30. | चंडीगढ़ | 1 | 1000 | 429 | 549 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 1 | 50 | 33 | 33 |
| 32. | दमण और दीव | 2 | 120 | 19 | 27 |
| 33. | दिल्ली | 8 | 5050 | 10087 | 12610 |
| 34. | लक्षद्वीप | 4 | 56 | 0 | 0 |
| 35. | पांडिचेरी | 4 | 305 | 192 | 301 |
| | **कुल (संघ शासित क्षेत्र)** | **24** | **6890** | **10925** | **13741** |
| | कुल (अखिल भारत) | 1147 | 235012 | 217130 | 331391 |

(स्त्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो)

*अरुणाचल प्रदेश में कोई जेल नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के 18 दोषसिद्ध कैदियों को असम की जेलों में रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश में कोई विचारणाधीन कैदी जेलों में नहीं है।

## भारत और स्विट्जरलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता

**900. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने में रूचि दिखायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय भारत-स्विट्जरलैंड द्विपक्षीय व्यापार की क्या स्थिति है; और

(घ) स्विट्जरलैंड द्वारा भारत के साथ सहयोग करने में जिन क्षेत्रों में रूचि दिखायी गयी है, उनका ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, स्विस प्राधिकारियों ने अन्ततोगत्वा एक मुक्त व्यापार करार पर वार्ता करने के विकल्प सहित द्विपक्षीय आर्थिक एवं व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार-विमर्श करने तथा उनकी जांच करने के लिए यूरोपीय मुक्त व्यापार एसोसिएशन (ई.एफ.टी.ए.) के देशों (जिनमें स्विट्जरलैंड, नार्वे, आइसलैंड तथा लिचटेंस्टाइन शामिल हैं) और भारत के बीच वार्ता के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच की जा रही है।

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान भारत तथा स्विट्जरलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार की कुल मात्रा 6999.66 मिलियन अमरीकी डालर रही थी। वर्ष 2004-05 में हुए कुल द्विपक्षीय व्यापार की तुलना में कुल द्विपक्षीय व्यापार में 8% वृद्धि हुई है। वर्ष 2005-06 के दौरान स्विट्जरलैंड को भारत के निर्यात 474.14 मिलियन अमरीकी डॉलर के हुए थे, जिनमें वर्ष 2004-05 की तुलना में 12.34% गिरावट दर्ज की गई थी। पिछले वर्ष की तुलना में 9.86% वृद्धि दर्शाते हुए वर्ष 2005-06 के दौरान स्विट्जरलैंट से भारत के आयात 6225.52 मिलियन अमरीकी डालर के हुए थे। भारत से स्विट्जरलैंड को होने वाले निर्यात की प्रमुख मदें रत्न एवं आभूषण, औषधियां, भेषज तथा परिष्कृत रसायन, सहायक सामग्री सहित सिले-सिलाए सूती वस्त्र और मशीनें एवं उपकरण हैं। स्विट्जरलैंड से होने वाले आयात की प्रमुख मदें स्वर्ण, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को छोड़कर मशीनें, औषधीय एवं भेषजीय उत्पाद आदि हैं।

(घ) स्विट्जरलैंड ने वस्त्र, औषधि तथा प्रिसिजन - इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग में रूचि प्रदर्शित की है।

## लौह अयस्क के निर्यात हेतु समझौता

**901. श्री अनन्त नायक:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लौह अयस्क के निर्यात हेतु किन-किन देशों से दीर्घकालीन समझौते किए गए हैं;

(ख) क्या कुछ देशों के साथ समझौते की अवधि समाप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बढ़ती घरेलू मांग के बावजूद लोहे का निर्यात जारी रखने हेतु और आगे समझौता करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) से (घ) जापानी स्टील मिलों, पी.ओ.एस.सी.ओ., दक्षिण कोरिया और चीनी स्टील मिलों के साथ पहले दीर्घकालिक करार (एल.टी.ए.एस.) दिनांक 31-3-2006 को समाप्त हुए थे। एम.एम.टी.सी. ने दिनांक 1-4-2006 से प्रारंभ होने वाली 5 वर्ष की अवधि के लिए जापानी स्टील मिलों और पी.ओ.एस.सी.ओ., दक्षिण कोरिया के साथ नए दीर्घकालिक करार किए हैं। इन करारों की 1-4-2006 से 5 वर्ष के लिए 3 चीनी स्टील मिलों के साथ पुष्टि भी हो गई है।

*[हिन्दी]*

## मध्याह्न भोजन योजना

**902. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद्र खंडूडी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्कूलों के लिए प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों हेतु 'मध्याह्न भोजन योजना' का प्रावधान करना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं के गरीब छात्रों को उक्त सुविधा उपलब्ध कराई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सभी केंद्रीय विद्यालयों में उक्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी):** (क) से (घ) प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार

सहायता कार्यक्रम, 2004 (मध्याह्न भोजन योजना) के मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, इस योजना में सरकार, स्थानीय निकाय द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों एवं शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों तथा वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केंद्रों में प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों को शामिल किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा संचालित स्कूलों में इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[अनुवाद]*

**लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा उत्पादन में वृद्धि**

**903. श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान लघु और मध्यम उद्यमों का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय लघु उद्योग इकाइयां मांग की कमी, कार्यकारी पूंजी की कमी और घटिया विपणन ढांचे के कारण रुग्ण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन कठिनाईयों को दूर करने और उन्हें व्यवहार्य बनाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद):** (क) और (ख) निम्नोक्त सारणी से यह पता चलता है कि लघु उद्योगों के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई है:-

| वर्ष | वर्तमान मूल्यों में उत्पादन (करोड़ रु. में) |
|---|---|
| 2001-02 | 282270 |
| 2002-03 | 311993 |
| 2003-04 | 357733 |
| 2004-05 | 418263 |
| 2005-06 | 471244* |

*आंकलन अप्रैल-सितम्बर के दौरान वृद्धि दर पर आधारित है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) उन रुग्ण लघु उद्योगों जोकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से क्रेडिट के संबंध में पहुंच बनाते हैं, के बारे में डाटा का संकलन करता है, मार्च, 2006 के अन्त तक रुग्ण लघु उद्योगों की संख्या 1,24,565 थी। पंजीकृत लघु उद्योगों (2001-02) की तीसरी अखिल भारतीय गणना में रुग्णता के कारणों का पता लगाया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मांग की कमी, कार्यशील पूंजी की कमी, कच्चे माल की गैर-उपलब्धता, श्रमिक समस्याएं, विपणन समस्याएं तथा प्रबन्धन समस्याएं शामिल हैं।

(घ) आर.बी.आई. ने समय-समय पर बैंकों को लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) में शुरुआती स्तर पर रुग्णता का पता लगाने तथा उपचारिक उपाय करने तथा पता लगाई गई संभाव्य जीवनक्षम रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास के संबंध में मार्ग-दर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं।

16 जनवरी, 2002 के विस्तृत मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों के उपरान्त, आर.बी.आई. ने 8 सितम्बर, 2005 को नए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं जोकि 10 अगस्त, 2005 को केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित "लघु तथा मध्यम उद्यमों (एस.एस.आई.) को क्रेडिट बढ़ाने के लिए नीति पैकेज" पर आधारित हैं। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त अन्य बातों के साथ-साथ जीवनक्षम मानदंड, पुनर्गठित लेखों के लिए विवेकी मानदंड, अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था, पुनर्गठन पैकेज तथा इसके क्रियान्वयन के टाईम फ्रैम निर्धारित करने से सम्बद्ध हैं।

आर.बी.आई. द्वारा बैंकों को भी परामर्श दिया गया है कि वे पुनर्वास की प्रगति तथा एस.एम.ई. लेखों के पुनर्गठन की समीक्षा तिमाही आधार पर करें। आर.बी.आई. के प्रतिनिधि के संयोजन में प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय अन्तर-संस्थागत समिति की स्थापना भी की गई है जोकि अन्य बातों के साथ-साथ इन मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों के क्रियान्वयन का भी अनुवीक्षण करेगी।

*[हिन्दी]*

**खनिजों का निर्यात**

**904. श्री स्वदेश चक्रवर्ती:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान देश से निर्यात किए गए खनिजों का खनिजवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खनिजों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी):** (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, निर्यात किए जाने वाले खनिज और अयस्क, मौजूदा विदेश व्यापार नीति के अनुसार, कतिपय शर्तों या प्रतिबंधों के अधीन आते हैं। विशिष्ट मदों की निर्यात संबंधी योग्यता का निर्णय करने के लिए चार नीतिगत श्रेणियां हैं, नामतः वर्जित, प्रतिबंधित, एस.टी.ई. (स्टेट ट्रेडिंग इन्टरप्राइजिस) के माध्यम से निर्यात और मुक्त रूप से निर्यात की जाने वाली मदें। प्रतिबंधित मदों को लाइसेंस के तहत् निर्यात की मंजूरी दी जा सकती है। एस.टी.ई. के माध्यम से निर्यात के लिए निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और कुछ शर्तों के अध्यधीन रहते हुए नामित एस.टी.ई. के माध्यम से निर्यात किया जा सकता है और मुक्त रूप से निर्यात की जाने वाली मदों को, निर्यात लाइसेंस या विदेश व्यापार महानिदेशक (डी.जी.एफ.टी.) की मंजूरी के बिना, निर्यात किया जा सकता है।

*[अनुवाद]*

### अध्यापकों के लिए संवर्ग बनाना

**905. श्री गुंडलूर निजामुद्दीन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्त द्वारा अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के लिए राज्य-वार संवर्ग बनाने हेतु कोई आदेश जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संवर्गों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी):** (क) से (ग) शिक्षकों के स्थानांतरण में कमी करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि नवोदय विद्यालय समिति में शिक्षकों की भर्ती भविष्य में राज्य-विशिष्ट हो न कि अखिल भारतीय संवर्ग के एक अंग के रूप में। यह भी निर्णय लिया गया है कि शिक्षकों को एक संवर्ग-विशेष का चुनाव करने का विकल्प प्रदान करते हुए संवर्गों के विभाजन का कार्य पूरा होने तक चालू भर्ती राज्य-विशिष्ट आधार पर की जानी चाहिए और प्रत्याशियों से आवेदित संवर्ग दर्शाने के लिए कहकर तथा अभ्यार्थियों की संवर्गवार योग्यता सूची बनाकर सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

### केंद्रीय विद्यालयों में रिक्त पद

**906. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों/विषयों के काफी पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार, क्षेत्रवार और विषयवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(घ) क्या कई केंद्रीय विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के कारण शिक्षण कार्य स्तरीय नहीं है;

(ङ) क्या केंद्रीय विद्यालयों ने शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करते हुए दोपहर की पाली के लिए कई अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी):** (क) और (ख) 30-6-2006 की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों/विषयों के रिक्त पड़े पदों की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण I से VII में दिया गया है।

(ग) 30-6-2006 की स्थिति के अनुसार 4853 रिक्त पदों में से अब तक 825 पद भर लिए गए हैं। रिक्त पदों का भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

(घ) जी, नहीं। केंद्रीय विद्यालय अपने शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए संविदा आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए अधिकृत हैं, ताकि शिक्षण प्रभावित न हो।

(ङ) और (च) अपराह्न की पाली में भी नियमित शिक्षक हैं और जहां कहीं भी रिक्तियां होती हैं, नियमित पालियों की तरह संविदा आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाता है।

## विवरण-I

*30-06-2006 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षकों के रिक्त पदों की राज्यवार और क्षेत्रावार संख्या*

| क्षेत्र | राज्य | स्नातकोत्तर शिक्षक (पी.जी.टी.) | | | | | | | | | | क्षेत्र में राज्यवार कुल | कुल क्षेत्रवार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | गणित | जीव विज्ञान | अंग्रेजी | हिन्दी | रसायन विज्ञान | भौतिक विज्ञान | इतिहास | भूगोल | वाणिज्य | अर्थ-शास्त्र | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| अहमदाबाद | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | गुजरात | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 32 | 32 |
| बैंगलोर | गोवा | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| | कर्नाटक | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 36 | |
| | केरल | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 |
| भोपाल | मध्य प्रदेश | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 39 | |
| | महाराष्ट्र | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 50 |
| भुवनेश्वर | झारखंड | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
| | उड़ीसा | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 40 |
| चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| | हरियाणा | 4 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 26 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | हिमाचल प्रदेश | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| | पंजाब | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 65 |
| चेन्नई | केरल | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | पांडिचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | तमिलनाडु | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 |
| देहरादून | उत्तर प्रदेश | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | |
| | उत्तरांचल | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6 | 7 | 43 | 56 |
| दिल्ली | दिल्ली | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | |
| | हरियाणा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | उत्तर प्रदेश | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 27 |
| गुवाहाटी | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| | असम | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 8 | 42 | |
| | मेघालय | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 63 |
| हैदराबाद | आंध्र प्रदेश | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 |
| जबलपुर | छत्तीसगढ़ | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | |
| | मध्य प्रदेश | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 29 | 46 |
| जयपुर | राजस्थान | 9 | 11 | 13 | 13 | 9 | 9 | 2 | 0 | 4 | 7 | 77 | 77 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जम्मू | हिमाचल प्रदेश | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| | जम्मू और कश्मीर | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 38 | |
| | पंजाब | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 25 | 70 |
| कोलकाता | अंडमान और निकोबार | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| | सिक्किम | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| | पश्चिम बंगाल | 10 | 3 | 8 | 8 | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 65 | 72 |
| लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 19 | 19 |
| मुम्बई | महाराष्ट्र | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 37 | 37 |
| पटना | बिहार | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | |
| | उत्तर प्रदेश | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 23 |
| सिल्चर | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | असम | 9 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 47 | |
| | मणिपुर | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | |
| | मिजोरम | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| | नागालैंड | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| | त्रिपुरा | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 83 |
| | कुल | 110 | 75 | 105 | 96 | 108 | 120 | 33 | 25 | 84 | 86 | 842 | 842 |

*विवरण-II*

*30-06-2006 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के रिक्त पदों की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या*

| क्षेत्र | राज्य | प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टी.जी.टी.) | | | | | | क्षेत्र में राज्यवार कुल | कुल क्षेत्रवार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | गणित | जीव विज्ञान | अंग्रेजी | हिन्दी | संस्कृत | सामाजिक विज्ञान | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| अहमदाबाद | दादरा और नगर हवेली | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| | दमन और दीव | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| | गुजरात | 20 | 17 | 9 | 5 | 11 | 11 | 73 | 80 |
| बैंगलोर | गोवा | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
| | कर्नाटक | 3 | 0 | 6 | 15 | 11 | 5 | 40 | |
| | केरल | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 56 |
| भोपाल | मध्य प्रदेश | 33 | 10 | 17 | 11 | 6 | 22 | 99 | |
| | महाराष्ट्र | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 114 |
| भुवनेश्वर | झारखंड | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 23 | |
| | उड़ीसा | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 29 | 52 |
| चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | |
| | हरियाणा | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 20 | |
| | हिमाचल प्रदेश | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
| | पंजाब | 7 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 26 | 70 |
| चेन्नई | केरल | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 15 | 30 | |
| | लक्षद्वीप | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| | पांडिचेरी | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| | तमिलनाडु | 0 | 1 | 2 | 26 | 10 | 9 | 48 | 84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| देहरादून | उत्तर प्रदेश | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| | उत्तरांचल | 24 | 4 | 14 | 4 | 2 | 7 | 55 | 66 |
| दिल्ली | दिल्ली | 16 | 0 | 9 | 6 | 2 | 12 | 45 | |
| | हरियाणा | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| | उत्तर प्रदेश | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | 67 |
| गुवाहाटी | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 18 | |
| | असम | 12 | 10 | 7 | 15 | 7 | 11 | 62 | |
| | मेघालय | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 20 | 100 |
| हैदराबाद | आंध्र प्रदेश | 0 | 3 | 11 | 8 | 12 | 7 | 41 | 41 |
| जबलपुर | छत्तीसगढ | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | |
| | मध्य प्रदेश | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 33 | 63 |
| जयपुर | राजस्थान | 48 | 7 | 25 | 14 | 7 | 8 | 109 | 109 |
| जम्मू | हिमाचल प्रदेश | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| | जम्मू और कश्मीर | 20 | 8 | 22 | 9 | 8 | 11 | 78 | |
| | पंजाब | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 20 | 105 |
| कोलकाता | अंडमान और निकोबार | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
| | सिक्किम | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| | पश्चिम. बंगाल | 19 | 8 | 22 | 10 | 2 | 8 | 69 | 88 |
| लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 20 | 9 | 7 | 12 | 0 | 11 | 59 | 59 |
| मुम्बई | महाराष्ट्र | 12 | 1 | 22 | 11 | 4 | 15 | 65 | 65 |
| पटना | बिहार | 9 | 11 | 10 | 8 | 3 | 2 | 43 | |
| | उत्तर प्रदेश | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 54 |
| सिल्चर | अरुणाचल प्रदेश | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | |
| | असम | 12 | 9 | 12 | 7 | 15 | 11 | 66 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मणिपुर | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | |
| | मिजोरम | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| | नागालैंड | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17 | |
| | त्रिपुरा | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 130 |
| | कुल | 361 | 154 | 290 | 234 | 140 | 224 | 1403 | 1403 |

*विवरण-III*

*30-06-2006 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या*

| क्षेत्र | राज्य | प्राथमिक शिक्षक | प्रधानाध्यापक | क्षेत्र में राज्यवार कुल | कुल क्षेत्रवार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| अहमदाबाद | दादरा और नगर हवेली | 8 | 1 | 9 | |
| | दमन और दीव | 1 | 0 | 1 | |
| | गुजरात | 92 | 6 | 98 | 108 |
| बैंगलोर | गोवा | 15 | 2 | 17 | |
| | कर्नाटक | 88 | 8 | 96 | |
| | केरल | 17 | 2 | 19 | 132 |
| भोपाल | मध्य प्रदेश | 84 | 4 | 88 | |
| | महाराष्ट्र | 24 | 2 | 26 | 114 |
| भुवनेश्वर | झारखंड | 39 | 3 | 42 | |
| | उड़ीसा | 37 | 4 | 41 | 83 |
| चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | |
| | हरियाणा | 17 | 0 | 17 | |
| | हिमाचल प्रदेश | 33 | 1 | 34 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | पंजाब | 33 | 1 | 34 | 85 |
| चेन्नई | केरल | 35 | 5 | 40 | |
| | लक्षद्वीप | 1 | 0 | 1 | |
| | पांडिचेरी | 0 | 1 | 1 | |
| | तमिलनाडु | 60 | 7 | 67 | 109 |
| देहरादून | उत्तर प्रदेश | 11 | 1 | 12 | |
| | उत्तरांचल | 80 | 1 | 81 | 93 |
| दिल्ली | दिल्ली | 27 | 0 | 27 | |
| | हरियाणा | 4 | 0 | 4 | |
| | उत्तर प्रदेश | 1 | 0 | 1 | 32 |
| गुवाहाटी | अरुणाचल प्रदेश | 20 | 2 | 22 | |
| | असम | 35 | 5 | 40 | |
| | मेघालय | 14 | 0 | 14 | 76 |
| हैदराबाद | आंध्र प्रदेश | 11 | 4 | 15 | 15 |
| जबलपुर | छत्तीसगढ | 42 | 3 | 45 | |
| | मध्य प्रदेश | 31 | 2 | 33 | 78 |
| जयपुर | राजस्थान | 96 | 12 | 108 | 108 |
| जम्मू | हिमाचल प्रदेश | 9 | 0 | 9 | |
| | जम्मू और कश्मीर | 93 | 13 | 106 | |
| | पंजाब | 9 | 0 | 9 | 124 |
| कोलकाता | अंडमान और निकोबार | 21 | 2 | 23 | |
| | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | |
| | पश्चिम बंगाल | 118 | 2 | 120 | 143 |
| लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 11 | 1 | 12 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| मुम्बई | महाराष्ट्र | 72 | 4 | 76 | 76 |
| पटना | बिहार | 90 | 2 | 92 | |
| | उत्तर प्रदेश | 9 | 1 | 10 | 102 |
| सिल्चर | अरुणाचल प्रदेश | 16 | 0 | 16 | |
| | असम | 62 | 7 | 69 | |
| | मणिपुर | 21 | 0 | 21 | |
| | मिजोरम | 5 | 1 | 6 | |
| | नागालैंड | 10 | 0 | 10 | |
| | त्रिपुरा | 11 | 2 | 13 | 135 |
| | कुल | 1513 | 112 | 1625 | 1625 |

*विवरण-IV*

*30-06-2006 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विद्यालयों में विविध श्रेणियों के रिक्त पदों की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या*

| क्षेत्र | राज्य | विविध | | | | | क्षेत्र में राज्यवार कुल | कुल क्षेत्रवार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | चित्रकला शिक्षक | संगीत शिक्षक | शारीरिक शिक्षा शिक्षक | योग | कार्यानुभव शिक्षक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| अहमदाबाद | दादरा और नगर हवेली | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| | दमन और दीव | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| | गुजरात | 1 | 13 | 4 | 1 | 9 | 28 | 32 |
| बैंगलौर | गोवा | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| | कर्नाटक | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | केरल | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 24 |
| भोपाल | मध्य प्रदेश | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 16 | |
| | महाराष्ट्र | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| भुवनेश्वर | झारखंड | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | |
| | उड़ीसा | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 19 |
| चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | हरियाणा | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
| | हिमाचल प्रदेश | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 | |
| | पंजाब | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 38 |
| चेन्नई | केरल | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
| | लक्षद्वीप | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | पांडिचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | तमिलनाडु | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 20 | 33 |
| देहरादून | उत्तर प्रदेश | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| | उत्तरांचल | 2 | 16 | 4 | 0 | 2 | 24 | |
| दिल्ली | दिल्ली | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| | हरियाणा | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| | उत्तर प्रदेश | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| गुवाहाटी | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 14 | |
| | असम | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 13 | |
| | मेघालय | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| हैदराबाद | आंध्र प्रदेश | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 |

| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जबलपुर | छत्तीसगढ़ | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
| | मध्य प्रदेश | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 20 |
| जयपुर | राजस्थान | 2 | 18 | 0 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| जम्मू | हिमाचल प्रदेश | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| | जम्मू और कश्मीर | 0 | 18 | 10 | 0 | 11 | 39 | |
| | पंजाब | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50 |
| कोलकाता | अंडमान और निकोबार | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | पश्चिम बंगाल | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 |
| लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 |
| मुम्बई | महाराष्ट्र | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 |
| पटना | बिहार | 3 | 14 | 7 | 1 | 2 | 27 | |
| | उत्तर प्रदेश | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 33 |
| सिल्चर | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | |
| | असम | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 15 | |
| | मणिपुर | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| | मिजोरम | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| | नागालैंड | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | |
| | त्रिपुरा | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 49 |
| | कुल | 29 | 221 | 98 | 17 | 99 | 464 | 464 |

**विवरण-V**

*30-06-2006 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विद्यालयों में गैर-शिक्षण स्टाफ के रिक्त पदों की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या*

| क्षेत्र | राज्य | गैर शिक्षण स्टाफ | | | | | | | | | | क्षेत्र में राज्यवार कुल | क्षेत्रवार कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पुस्तकालयाध्यक्ष | सहायक अधीक्षक | यू.डी. सी. | एल.डी. सी. | प्रयोगशाला सहायक | प्रयोगशाला अनुचर | वरिष्ठ आशुलिपिक | कनिष्ठ आशुलिपिक | हिन्दी अनुवादक | स्टाफ कार ड्राइवर | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| अहमदाबाद | दादरा और नगर हवेली | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | दमन और दीव | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| | गुजरात | 12 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 46 |
| बैंगलोर | गोवा | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | कर्नाटक | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| | केरल | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| भोपाल | मध्य प्रदेश | 12 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| | महाराष्ट्र | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 |
| भुवनेश्वर | झारखंड | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| | उड़ीसा | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 21 |
| चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| | हरियाणा | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | हिमाचल प्रदेश | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| | पंजाब | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 |
| चेन्नई | केरल | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | पांडिचेरी | 0 | 0 | 0 | Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | तमिलनाडु | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 22 |
| देहरादून | उत्तर प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| | उत्तरांचल | 15 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 37 |
| दिल्ली | दिल्ली | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | |
| | हरियाणा | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| | उत्तर प्रदेश | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| गुवाहाटी | अरुणाचल प्रदेश | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| | असम | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| | मेघालय | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 |
| हैदराबाद | आंध्र प्रदेश | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| जबलपुर | छत्तीसगढ़ | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| | मध्य प्रदेश | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 | 45 |
| जयपुर | राजस्थान | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जम्मू | हिमाचल प्रदेश | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| | जम्मू और कश्मीर | 8 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | |
| | पंजाब | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 |
| कोलकाता | अंडमान और निकोबार | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | पश्चिम बंगाल | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 |
| लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| मुम्बई | महाराष्ट्र | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 |
| पटना | बिहार | 11 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | |
| | उत्तर प्रदेश | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| सिल्चर | अरुणाचल प्रदेश | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| | असम | 8 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | |
| | मणिपुर | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| | मिजोरम | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| | नागालैंड | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| | त्रिपुरा | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 65 |
| | कुल | 168 | 0 | 99 | 209 | 6 | 0 | 4 | 21 | 8 | 4 | 519 | 519 |

**विवरण-VI**

*30-06-2006 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विद्यालयों में कुल रिक्त पद*

| पद | पदों की रिक्ति |
|---|---|
| 1 | 2 |
| स्नातकोत्तर शिक्षक श्रेणी | 842 |
| प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक श्रेणी | 1403 |
| प्राथमिक शिक्षक और प्रधानाध्यापक श्रेणी | 1625 |
| विविध श्रेणी | 464 |
| गैर-शिक्षण स्टाफ | 519 |
| कुल | 4853 |

**विवरण-VII**

*30-06-2006 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विद्यालयों में राज्यवार और श्रेणीवार रिक्तियों की समेकित स्थिति*

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | स्नातकोत्तर शिक्षक | प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक | प्रधानाध्यापक | प्राथमिक शिक्षक | विविध | गैर-शिक्षण स्टाफ | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | अंडमान और निकोबार (यू.टी.) | 3 | 15 | 2 | 21 | 6 | 1 | 48 |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | 16 | 41 | 4 | 11 | 9 | 9 | 90 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 14 | 31 | 2 | 36 | 24 | 25 | 132 |
| 4. | असम | 89 | 128 | 12 | 97 | 28 | 39 | 393 |
| 5. | बिहार | 13 | 43 | 2 | 90 | 27 | 23 | 198 |
| 6. | चंडीगढ़ (यू.टी.) | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 17 | 30 | 3 | 42 | 11 | 19 | 122 |
| 8. | दादरा और नगर हवेली (यू.टी.) | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 15 |
| 9. | दमन और दीव (यू.टी.) | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 10. | दिल्ली | 17 | 45 | 0 | 27 | 6 | 23 | 118 |
| 11. | गोवा | 7 | 8 | 2 | 15 | 2 | 2 | 36 |
| 12. | गुजरात | 32 | 73 | 6 | 92 | 28 | 42 | 273 |
| 13. | हरियाणा | 26 | 31 | 0 | 21 | 19 | 8 | 105 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 25 | 25 | 1 | 42 | 21 | 11 | 125 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | जम्मू-कश्मीर | 38 | 78 | 13 | 93 | 39 | 38 | 299 |
| 16. | झारखंड | 16 | 23 | 3 | 39 | 9 | 10 | 100 |
| 17. | कर्नाटक | 36 | 40 | 8 | 88 | 15 | 16 | 203 |
| 18. | केरल | 13 | 38 | 7 | 52 | 19 | 12 | 141 |
| 19. | लक्षद्वीप (यू.टी.) | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 20. | मध्य प्रदेश | 68 | 132 | 6 | 115 | 25 | 56 | 402 |
| 21. | महाराष्ट्र | 48 | 80 | 6 | 96 | 13 | 24 | 267 |
| 22. | मणिपुर | 11 | 15 | 0 | 21 | 7 | 6 | 60 |
| 23. | मेघालय | 8 | 20 | 0 | 14 | 3 | 8 | 53 |
| 24. | मिजोरम | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 21 |
| 25. | नागालैंड | 12 | 17 | 0 | 10 | 11 | 10 | 60 |
| 26. | उड़ीसा | 24 | 29 | 4 | 37 | 10 | 11 | 115 |
| 27. | पांडिचेरी (यू.टी.) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28. | पंजाब | 43 | 46 | 1 | 42 | 13 | 10 | 115 |
| 29. | राजस्थान | 77 | 109 | 12 | 96 | 30 | 13 | 337 |
| 30. | सिक्किम | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 31. | तमिलनाडु | 10 | 48 | 7 | 60 | 20 | 11 | 156 |
| 32. | त्रिपुरा | 8 | 13 | 2 | 11 | 4 | 6 | 44 |
| 33. | उत्तर प्रदेश | 52 | 92 | 3 | 32 | 24 | 23 | 226 |
| 34. | उत्तरांचल | 43 | 55 | 1 | 80 | 24 | 34 | 237 |
| 35. | पश्चिम बंगाल | 65 | 69 | 2 | 118 | 9 | 15 | 278 |
| | कुल | 842 | 1403 | 112 | 1513 | 464 | 519 | 4853 |

**दमन और दीव में शिक्षा सुविधाएं**

907. **श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में इन शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी):** (क) से (ग) संघ शासित क्षेत्र दमन और दीव में कोई भी इंजीनियरी और मेडिकल कालेज कार्य नहीं कर रहा है। वहां सिविल, यांत्रिकी और रसायन इंजीनियरी के विषयों का केवल एक पॉलिटेक्निक कार्य कर रहा है जिसमें 90 छात्रों को दाखिला देने की क्षमता है। इसलिए ऐसी सुविधाओं की कमी वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा विदेशी और अन्य श्रेणी के छात्रों के लिए डिग्री और डिप्लोमा स्तर के तकनीकी पाठ्यक्रमों में सीटों के आरक्षण की स्कीम के अन्तर्गत दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र को सरकार ने वर्तमान शैक्षिक सत्र 2006-2007 के लिए तकनीकी पाठ्यक्रमों में डिग्री स्तर पर 30 सीटें और डिप्लोमा स्तर पर 15 सीटें आरक्षित की है। जहां तक शिक्षा सुविधाओं के विस्तार का संबंध है, कोई भी नया तकनीकी संस्थान या मेडिकल कालेज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद प्रति वर्ष तकनीकी संस्थानों की स्थापना हेतु आवेदन मंगवाता है और उन पर अपनी नीति के अनुसार कार्रवाई करता है। इसी प्रकार सरकार चिकित्सा परिषद अधिनियम के प्रावधानों और उनके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत मेडिकल कालेजों की स्थापना की अनुमति दे रही है। भारतीय चिकित्सा परिषद के विनियमों में निर्धारित अर्हक शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति मेडिकल कालेज शुरू करने की अनुमति हेतु केन्द्र सरकार से आवेदन कर सकता है। हालांकि संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*[हिन्दी]*

**आई.आई.एम. शिक्षा**

**908. श्री वी.के. ठुम्मर:**
**श्री हरिकेवल प्रसाद:**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रबंध संस्थान का ढांचा इस प्रकार है कि कोई मध्यवर्गीय परिवार का छात्र वहां अध्ययन का खर्च वहन नहीं कर सकता है;

(ख) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन संस्थानों का लाभ मध्यवर्गीय परिवारों के छात्रों को प्रदान करने के लिए व्यवस्था की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी):** (क) से (घ) सरकार का यह प्रयास रहता है कि अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण किसी छात्र को भारतीय प्रबंध संस्थानों सहित किसी भी संस्थान में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर खोना न पड़े। भारतीय प्रबंध संस्थानों ने निर्णय लिया है कि वे प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (प्रथम और द्वितीय दोनों वर्षों) के छात्रों को आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। दाखिल किए गए सभी छात्र जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 2.00 लाख तथा उससे कम है, वे सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क में छूट तक की आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता के पात्र होंगे।

*[अनुवाद]*

**नक्सल विरोधी ऑपरेशन के लिए अमरीकी सहायता**

**909. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:**
**श्री तूफानी सरोज:**
**श्री गुरुदास दासगुप्त:**
**श्री मिलिन्द देवरा:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गृह मंत्रालय ने अमरीकी मिशन के अधिकारियों के रायपुर दौरे के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से ब्यौरेवार रिपोर्ट मांगी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने नक्सल विरोधी ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को सहायता देने की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) हमारी आंतरिक सुरक्षा तथा राज्य में कानून और व्यवस्था के मुद्दे में किसी विदेशी सरकार को शामिल करने की अनुमति देने के संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार का विचार राज्य में मानव अधिकारों के उल्लंघन को किस प्रकार नियंत्रित करने का है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) से (ङ) छत्तीसगढ़ की सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार,

अमेरिकी वाणिज्य दूतावास मुम्बई के दो अधिकारी मई, 2006 में रायपुर के अपने दौरे के दौरान अपर मुख्य सचिव से उनके मंत्रालय चैम्बर में मिले थे। यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी और वे नक्सलवादी हिंसा का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने यह जानने की इच्छा भी प्रकट की कि क्या राज्य सरकार नक्सलवादियों के खतरे के कारण ऐसे राहत शिविरों के लिए मानवीय सहायता चाहेंगे जहां बड़ी संख्या में आदिवासी रह रहे हैं। अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार ने इन अधिकारियों को बताया कि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के पूर्ण सहयोग से इस खतरे का मुकाबला करने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है और इस खतरे से निपटने के लिए अमेरिकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है।

(घ) राज्य से ऐसी किसी मानवाधिकार उल्लंघन की घटना की रिपोर्ट नहीं है, सुरक्षा बल, नक्सल विरोधी अभियान चलाते समय लोगों के मानव अधिकारों के प्रति सुग्राही बने रहते हैं।

*[हिन्दी]*

**हिन्दी माध्यम से शिक्षा**

**910. श्री कमला प्रसाद रावत:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय सहित देश के अनेक विश्वविद्यालयों में हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है और हिन्दी में पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी):** (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आयोग के पास 128 विश्वविद्यालयों के संबंध में सूचना है जिनमें से 94 विश्वविद्यालय हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों में हिन्दी में पाठ्यपुस्तकें भी उपलब्ध हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय को 40 लाख रुपये की राशि भी जारी की है।

*[अनुवाद]*

**फीस में वृद्धि**

**911. श्री चन्द्रभूषण सिंह:**
**श्री प्रबोध पाण्डा:**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों में फीस में वृद्धि की अनुशंसा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार शिक्षण संस्थानों में विभेदक फीस ढांचा आरंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या अनुशंसाएं प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी):** (क) और (ख) योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा में छात्र-शिक्षक शुल्क बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**लघु उद्योग मदों को आरक्षित सूची से हटाया जाना**

**912. श्री हेमलाल मुर्मू:**
**प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
**श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:**
**श्री अशोक कुमार रावत:**
**श्री मो. ताहिर:**

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के लिए आरक्षित सूची में से कुछ मदों विशेषकर यांत्रिक एवं रसायन मदों को बाहर कर दिया है/सरकार का बाहर करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार इन मदों की संख्या सहित नाम क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे उत्पादों के उत्पादन के लिए रियायतों/राजसहायताओं में वृद्धि की गई है/की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद):** (क) विगत में स्थापित अनेक विशेषज्ञ ग्रुपों/समितियो की सिफारिशों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा विशिष्ट विनिर्माण के लिए मदों के आरक्षण को जारी रखने की व्याथहार्यता की जांच पड़ताल करने के लिए 1971 से कवायद कर रही है। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत स्थापित परामर्श समिति ने विभिन्न संगत कारकों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू तथा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मकता, रोजगार तथा निर्यात की संभाव्यता, विनिर्माण की तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक जीवनक्षमता, लघु उद्योग की वृद्धि तथा विकास पर प्रभाव, इत्यादि शामिल हैं, को मद्दे नजर रखते हुए लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए मदों के आरक्षण/अनारक्षण करने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मदों के अनारक्षण के संबंध में सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। इसके अलावा, अनारक्षण के लिए मदों का पता लगाने की प्रक्रिया लघु उद्योग संघों के साथ विस्तृत परामर्श पर आधारित होती है तथा ऐसा सामान्यतः सर्वसम्मति से किया जाता है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान अनारक्षित मदों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) सरकार ने ऐसे उत्पादों के विनिर्माण कर रहे लघु उद्योगों की सहायता के लिए अनेक सहायक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उन इकाइयों को जिनकी वार्षिक कुल बिक्री 4 करोड़ रुपये तक की है उन्हें सामान्य लघु उद्योग उत्पाद शुल्क छूट स्कीम के तहत 1 करोड़ रुपये तक की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूट देना, 5 लाख रुपये तक के ऋणों के संबंध में सम्पार्श्विकता प्रतिभूति से छूट (अच्छे ट्रैक रिकार्ड तथा वित्तीय स्थिति वाली इकाई के लिए 25 लाख रुपये तक), लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के तहत 1 करोड़ रुपये तक की उच्चतम ऋण सीमा सहित 15 प्रतिशत की कैपिटल सब्सिडी, आई.एस.ओ. 9000/14000 प्रमाणन की अधिप्राप्ति के लिए 75,000/- की अधिकतम सीमा में लागत के 75 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति, लघु उद्योगों के लिए कार्यनिष्पादन तथा क्रेडिट रेटिंग स्कीम के तहत 40,000/- रुपये की उच्चतम सीमा के अध्यधीन 75 प्रतिशत तक की शुल्क की प्रतिपूर्ति, इत्यादि शामिल हैं।

### *विवरण*

*दिनांक 20 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना एस.ओ. 1169(ई) के तहत अनारक्षित उत्पादों के नाम*

| क्र. सं. | गजट अधिसूचना के अनुसार क्र.सं. | उत्पाद कोड | उत्पाद का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 14 | 214302 | काजू के मीठे उत्पाद |
| 2. | 16ए | 219502 | टेपियोका सागो |
| 3. | 16बी | 219504 | टेपियोका फलोर |
| 4. | 39 | 272201 | टी चेस्ट प्लाईवुड |
| 5. | 43 | 273013 | टेंट पोल्स |
| 6. | 44 | 274102 | लकड़ी के प्लग |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 7. | 45 | 274301 | लकड़ी तथा बांस के हैंडल |
| 8. | 46 | 27440101 | टीक फेब्रिकेटेड राउंड ब्लाक |
| 9. | 51 | 280402 | वैक्स पेपर |
| 10. | 52 | 280403 | बिटुमेंसीड वाटर प्रूफ पेपर |
| 11. | 62 | 283201 | पेपर कोन |
| 12. | 63 | 28320201 | पेपर ट्यूब (टेक्सटाइल उद्योग के लिए हैवी ड्यूटी रेसिन इंप्रेगनेटेड कोनिकल स्पिनिंग ट्यूब को छोड़कर) |
| 13. | 64 | 283901 | पीने के पाइप |
| 14. | 66 | 283903 | गम्ड टैप |
| 15. | 69 | 283908 | टेली टेप रोल |
| 16. | 77 | 283916 | सेनिटरी टॉवल |
| 17. | 119 | 302511 | हार्ड रबड़ बैटरी कंटेनर |
| 18. | 213 | 31220720 | 20. प्रत्यक्ष लाल 2 23500 |
| 19. | | 31220721 | 21. प्रत्यक्ष लाल 7 24100 |
| 20. | | 31220722 | 22. प्रत्यक्ष नीला 8 24140 |
| 21. | | 31220723 | 23. प्रत्यक्ष नीला 15 24400 |
| 22. | | 31220724 | 24. प्रत्यक्ष नीला (बोरडक्स-बी) 1 24410 |
| 23. | | 31220777 | 17. एसिड लाल 128 24125 |
| 24. | | 31220780 | 20. एसिड लाल 73 27200 |
| 25. | 217 | 31221106 | 6. फास्ट लाल टीआर बेस (एजोइक डिएजो कांप 11) 37085 |
| 26. | | 31221108 | 8. फास्ट स्कारलेट जी बेस (एजोइक डिएजो कांप 12) |
| 27. | | 31221116 | 16. फास्ट नाला बी बेस (एजोइक डिएजो कांप 48) 72335 |
| 28. | 220 | 315104 | चंदन की लकड़ी का तेल |
| 29. | 221 | 315105 | पाइन ऑयल (कंपोजिट स्कीम के अलावा) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 30. | 222 | 315107 | यूकेलिप्टस तेल |
| 31. | 224 | 315110 | लेमन ग्रास ऑयल |
| 32. | 225 | 315112 | पाम रोजा ऑयल |
| 33. | 249एफ | 316103 | रोसिन |
| 34. | 301 | 312402 | शू पॉलिश |
| 35. | 302 | 312403 | वुड पॉलिश/फ्रेंच पॉलिश |
| 36. | 303 | 312404 | मेटल पॉलिश |
| 37. | 306 | 312406 | फर्श की पॉलिश |
| 38. | 315 | 319103 | ब्लू प्रिंट पेपर्स - सभी प्रकार के |
| 39. | 328 | 279936 | रूफिंग टाइल्स - लकड़ी |
| 40. | | 321901 | रूफिंग टाइल्स - ग्लास |
| 41. | | 326113 | रूफिंग टाइल्स - ग्रेनाइट (10 एम.एम. से कम मोटाई वाली टाइलों को छोड़कर) |
| 42. | | 326135 | रूफिंग टाइल्स - मार्बल (10 एम.एम. से कम मोटाई वाली टाइलों को छोड़कर) |
| 43. | 329 | 279937 | लकड़ी की फ्लोरिंग टाइलें |
| 44. | 350 | 331101 | मैनहोल कवर - सी.आई. |
| 45. | 351 | 331118 | भार |
| 46. | 352 | 331141 | सरक्लिप्स |
| 47. | 356 | 331301 | कंड्यूट पाइपें मेटलिक |
| 48. | 359 | 33160101 | बेंच वाइस - (सभी प्रकार के) |
| 49. | 374 | 340323 | जी.आई. बाथ टब |
| 50. | 392ए | 340922 | क्राउन कार्क, कॉर्क वुड लाइनिंग के साथ (कैप्टिव कंजप्शन को छोड़कर) |
| 51. | 395 | 341011 | लालटेन पोस्ट और बॉडी |
| 52. | 401 | 34200601 | इनवेलिड के लिए व्हील चेयर |
| 53. | 425 | 343203 | बाइफ रकेटेड सहित सभी प्रकार के रिवेट |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 54. | 433 | 343402 | चैन लैशिंग |
| 55. | 461 | 343624 | गेट हुक्स |
| 56. | 462 | 343625 | शू नेल्स - एनिमल |
| 57. | 467ए | 344029 | वीट्रस इनैमल हॉलो वेयर्स एंड स्लेट |
| 58. | 475 | 345203 | घरेलू बर्तन - बेल मेटल |
| 59. | 476 | 345204 | घरेलू बर्तन - तांबा |
| 60. | 478 | 345208 | घरेलू बर्तन - चांदी |
| 61. | 479 | 345209 | घरेलू बर्तन - कांसा |
| 62. | 480 | 345210 | घरेलू बर्तन - जर्मन सिल्वर |
| 63. | 483 | 345407 | गैस लाइटर - मैकेनिकल |
| 64. | 484 | 349201 | रैजर |
| 65. | 488 | 3499070222 | पोस्टल वेइंग स्केल |
| 66. | 489 | 349909 | एक्सपेंडिड मेटल |
| 67. | 492 | 349914 | स्टील वूल |
| 68. | 493 | 349940 | हेयर पिन |
| 69. | 496 | 349943 | ब्लैकस्मिथ हीट |
| 70. | 497 | 349944 | ब्रास डैंपर्स |
| 71. | 520ए | 35711701 | हैंड थ्रेडिंग टैप होल्डर्स |
| 72. | 527 | 357809 | मशीन वाइसेस -मशीन टूल्स |
| 73. | 528 | 35781101 | कार्बाइड - टिप्ड टूल्स - सिंगल प्वाइंट ब्रेज्ड कार्बाइड बिट्स, विनिर्माताओं से खरीदा गया |
| 74. | 533 | 350601 | बायोलॉजिकल और एयरकंडीशनिंग एप्लीकेशन के लिए एबसॉल्यूट फिल्टर्स |
| 75. | 534 | 35903601 | विशेष प्रकार की मशीनें छोड़कर डुप्लीकेटिंग मशीनें |
| 76. | 548 | 359953 | सभी पॉल्ट्री उपकरण |
| 77. | 575 | 36371501 | आधे दर्जन अंडों तक एग बॉयलर्स |
| 78. | 578 | 36371901 | 1.70 लीटर तक का कॉफी प१कोलेटर |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 79. | 594 | 369802 | ब्लैक एड्हेसिव इंसुलेटिंग टेप इलेक्ट्रिकल यूज |
| 80. | 610 | 366207 | डिमर और ट्वीलाइट स्विच |
| 81. | 624 | 37461601 | वायरिंग हार्नेस इंटीग्रेटेड वायरिंग हारनेस को छोड़कर |
| 82. | 633 | 37472801 | ऑटो लीफ स्प्रिंग्स टेपर्ड लीफ स्ट्रिंग्स लीफ को छोड़कर |
| 83. | 634 | 374729 | लगेज कैरियर |
| 84. | 636 | 374742 | ब्रेक और पैडल पैड्स - ऑटो |
| 85. | 805 | 389902 | स्पेक्टेकल हिंग्स |

*दिनांक 28 मार्च, 2005 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 420(ई) के तहत अनारक्षित मदों के नाम*

| क्रम संख्या | क्रम संख्या (राजपत्र अधिसूचना के अनुसार) | उत्पाद-कोड | उत्पाद का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 17 | 260101 | बुने हुए सूती कपड़े |
| 2. | 18 | 260102 | बुनी हुई सूती बनियानें |
| 3. | 19 | 260103 | बुने हुए सूती मोजे |
| 4. | 20 | 260104 | बुने हुए सूती अधोवस्त्र |
| 5. | 21 | 260106 | बुनी हुई सूती शाल |
| 6. | 22 | 260199 | बुने हुए अन्य सूती वस्त्र |
| 7. | 23 | 260201 | बुने हुए ऊनी कपड़े |
| 8. | 24 | 260202 | बुनी हुई ऊनी बनियानें |
| 9. | 25 | 260203 | बुने हुए ऊनी मोजे |
| 10. | 26 | 260204 | बुने हुए ऊनी स्कार्फ |
| 11. | 27 | 260205 | बुने हुए ऊनी अधोवस्त्र |
| 12. | 28 | 260206 | बुनी हुई ऊनी टोपियां |
| 13. | 29 | 260207 | बुनी हुई ऊनी शालें |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 14. | 30 | 260206 | ऊनी दस्ताने |
| 15. | 31 | 260207 | बुने हुए ऊनी मफलर |
| 16. | 32 | 260299 | ऊन के बुने हुए अन्य वस्त्र |
| | 32ए | | आर्ट सिल्क/मैन मे फाइबर हौजरी |
| 17. | | 260310 | 1. बुनी हुई सिन्थेटिक, जुराबें और स्टाकिंग्स |
| 18. | | 260302 | 2. बुने हुए सिन्थेटिक, अंतर्वस्त्र जैसे-बनियानें, ब्रीफ और ड्राअर |
| 19. | | 260304 | 3. बुने हुए सिन्थेटिक, उपरिवस्त्र जैसे - जर्सी, स्लिप ओवर, पुलओवर, कार्डीगन और जैकेट |
| 20. | | 260308 | 4. बुने हुए सिन्थेटिक बच्चों के वस्त्र जैसे - बेबी सूट, निकर, फ्राक, अंतर्वस्त्र और उपरिवस्त्र |
| 21. | | 26030901 | 5. स्लाइवर निटिंग से बने हाई पाईल फैब्रिक को छोड़कर सिन्थेटिक बुने हुए फैब्रिक |
| 22. | | 260311 | 6. बुने हुए सिन्थेटिक तैराकी वस्त्र जैसे - ट्रंक और पोशाक |
| 23. | | 260312 | 7. बुने हुए सिन्थेटिक वस्त्र जैसे स्कार्फ, मफलर, शॉल, टोपियां, टाईयां, ब्लाउज और जीन |
| 24. | | 260313 | 8. बुनी हुई सिन्थेटिक कमीजें, टी शर्ट, कॉलर शर्ट और स्पोर्ट्स स्कर्ट |
| 25. | | 260314 | 9. बुने हुए सिन्थेटिक होज |
| 26. | | 260316 | 11. अन्य सिन्थेटिक निट वियर |
| 27. | 33 | 261102 | स्टोव की बत्तियां |
| 28. | 35 | 266901 | सूती पट्टे |
| 29. | 36 | 266902 | लैस पट्टा |
| 30. | 37 | 266903 | नापने का फीता-सूती |
| 31. | 102 | 26720101 | रबड़ चढ़े कपड़े (डाक्टर की ब्लेड तकनीक द्वारा बनाए गए) |
| 32. | 103 | 269304 | किरमिच का पाइप |
| 33. | 104 | 300301 | साइकिल टायर और रिक्शा टायर |
| 34. | 105 | 3003020 | साइकिल और रिक्शा की ट्यूबें |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 35. | 107 | 30040201 | केमल बैक टायर रिट्रीडिंग सामग्री (प्राप्त किए गए "कोल्ड क्योरिंग टायर मैटीरियल" को छोड़कर) |
| 36. | 109 | 302102 | गर्म पानी के थैले (रबड़ के) |
| 37. | 110 | 302103 | रबड़ के बर्फ के थैले |
| 38. | 111 | 302301 | रबड़ के गुब्बारे |
| 39. | 112 | 30240201 | रबड़ के बने होज पाइप (तार लगे होजों को छोड़कर) |
| 40. | 113 | 30240202 | रबड़ लगे कनवैस होज-पाइप (तार लगे उच्च दबाव वाले होजों को छोड़कर) |
| 41. | 114 | 302403 | रबड़ की ट्यूबें |
| 42. | 115 | 302502 | रबड़ के वाशर |
| 43. | 117 | 30250901 | रबड़ के धागे 80 गेज से ऊपर के खुले रबड़ के धागों और हीट रेजिस्टेंट (रबड़ के धागों को छोड़कर) |
| 44. | 118 | 302510 | मिटाने का रबड़ (इरेजर) |
| 45. | 121 | 302514 | 'ओ' रिंग-रबड़ |
| 46. | 122 | 30260101 | लेटेक्स फोम और लेटेक्स फोम रबड़ के उत्पाद-(सिन्थेटिक रबड़ के कोट, एप्रोन और लुब्रीकेटिंग पैडों को छोड़कर) |
| 47. | 123 | 302702 | माइक्रो-सेल्यूलर सीटें |
| 48. | 124 | 302904 | डिप्ड लेटेक्स उत्पाद (गर्भ निरोधक को छोड़कर) |
| 49. | 124ए | 31060102 | आर्थो अमीनो फिनोल |
| 50. | 125 | 31865101 | रबड़ फुलाने वाले अभिकारक (डी.एन.पी.टी.) |
| 51. | 145ए | 303907 | एच.डी.पी.ई. वोवन सैक्स को (सर्कुलर लूम पर निर्मित सैक्स को छोड़कर) |
| 52. | 151 | 303925019 | बोतलों के प्लास्टिक के ढक्कन (उन बोतलों के प्लास्टिक के ढक्कनों को छोड़कर जो कम से कम 12 सप्ताह की अवधि के लिए कम से कम 100 प्साई के दाब को प्रतिधारित करने में समर्थ हों) |
| 53. | 156 | 303930 | घड़ियों के फीते (पी.वी.सी.) |
| 54. | 156ए | 303931 | पी.पी. वुवन सैक्स (सर्कुलर लूम पर निर्मित सैक्स (बोरों) को छोड़कर) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 55. | 156 बी | 30700101 | * घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त कोक-ब्रिकुएटस |
| 56. | 156 सी | 30700201 छोड़कर) | * घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त कोल-ब्रिकुएटस (लिग्नाइट को |
| 57. | 435 | 343503 | कुट्टी काटने की मशीन |
| 58. | 436 | 343504 | कुट्टी काटने की ब्लेड |
| 59. | 437 | 343505 | पशुचालित उपकरण |
| 60. | 442 | 343510 | कीटनाशी डस्टर-मैन्यूअल |
| 61. | 443 | 343511 | कीटनाशी स्प्रेयर-मैनुअल |
| 62. | 444 | 343512 | फोर्क |
| 63. | 445 | 343514 | कुदालें |
| 64. | 449 | 343521 | हैंडपंप |
| 65. | 451 | 343527 | दस्ती बेलचा |
| 66. | 452 | 343529 | हसिया (दंतिया) |
| 67. | 455 | 343537 | कुदाली |
| 68. | 456 | 34359901 | अन्य कृषक उपकरण |
| 69. | 499 | 349946 | लैंप होल्डर |
| 70. | 549 | 36020201 | कैपटिव कंजेप्शन को छोड़कर 11 कि.वा. के पोंटशियल ट्रांसफार्मर |
| 71. | 550 | 36020301 | कैपटिव कंजेप्शन के उपयुक्त ट्रांसफार्मरों को छोड़कर 11 केवी के करन्ट ट्रांसफार्मर |
| 72. | 551 | 78273 | 5 कि.वाट तक के बूस्टर ट्रांसफार्मर |
| 73. | 554 | 360403 | एक अ.श. से कम ए.सी. मोटर (विशेष किस्म की मोटरों के अतिरिक्त) |
| 74. | 556 | 36100201 | घरेलू किस्म के वी.आई.आर. तार |
| 75. | 559 | 36340201 | छोटे निर्वात बल्ब ऑटो लैम्प को छोड़कर |
| 76. | 560 | 36340302 | टार्च के बल्ब प्री फोकस्ड किस्म के बल्बों को छोड़कर |
| 77. | 561 | 363404 | रेडियो पैनल के बल्ब |
| 78. | 562 | 363405 | साईकिल डाईनमों के बल्ब |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 79. | 563 | 363406 | सजावट के बल्ब |
| 80. | 565 | 36070201 | बिजली के स्टोव 3 किलोवाट तक के |
| 81. | 566 | 36370301 | हॉटप्लेट/बॉयलर प्लेट, 3 हार्सपॉवर तक की/4 किलोवाट तक के |
| 82. | 572 | 77729 | हाट केसेस 20 लीटर तक |
| 83. | 574 | 3637140 | रूम हीटर 3 किलोवाट तक के |
| 84. | 576 | 36371701 | 100 लीटर की क्षमता वाले वाटर बॉयलर |
| 85. | 579 | 77738 | इमर्शन वाटर हीटर 2 किलोवाट तक के |
| 86. | 580 | 36372201 | खाना गर्म रखने वाली ट्रे 500 वाट तक |
| 87. | 581 | 363723 | बिजली के स्वचालित तन्दूर |
| 88. | 583 | 36372501 | आईसक्रीम बनाने वाली मशीन 1 लीटर की क्षमता वाली (घरेलू रैफ्रीजरेटरों में उपयोग हेतु) |
| 89. | 584 | 36372601 | घरेलू कपड़ा धुलाई की मशीन प्रग्रामेबल टाइप को छोड़कर |
| 90. | 585 | 77743 | बेकिंग ओवन (रोस्टिंग/ग्रिलिंग की व्यवस्था सहित या रहित 20 लि. तथा 2 किलोवाट तक) माइक्रोवेव ओवन को छोड़कर |
| 91. | 586 | 363801 | बिजली की रोशनी के लिए फिटिंग वाले रेफ्रीजरेटर |
| 92. | 590 | 36391501 | 19 स्ट्रैंड तक के ए.ए. चालक |
| 93. | 591 | 36391601 | 19 स्ट्रैंड तक के इस्पात प्रबलित एल्यूमिनियम ए.सी.एस.आर. के कन्डक्टर |
| 94. | 592 | 77919 | 11 किलो वाल्ट तक के एयर ब्रेक आफ लोड आईसेलेटर |
| 95. | 595 | 77702 | इमरजेन्सी लैंप्स/लालटेन |
| 96. | 596 | 36990401 | नरम ढले हार्डवेयर प्रीफार्मड किस्म की व 400 के.वी. अधिक की लाइनें छोड़कर (बशर्ते की वे इन्टीग्रेटेड प्लांट में बनी हो) |
| 97. | 598 | 36420101 | 250 रुपये तक की कीमत के रेडियो/कार रेडिया |
| 98. | 699 | 364302 | दूरदर्शन एंटिना |
| 99. | 600 | 361303 | दूरदर्शन ट्यूनर इलेक्ट्रानिक ट्यूनर को छोड़कर |
| 100. | 602 | 364802 | दूरदर्शन बुस्टर एम्पलीफायर |
| 101. | 609 | 78938 | पंखों के इलेक्ट्रॉनिक रेग्युलेटर तथा डिमर्स |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 102. | 616 | 369601 | रेडियो रिसीवरों के लिए टेलिस्कोपिक एरियल |
| 103. | 617 | 369 | बैटरी एलीमिनेटर |
| 104. | 674 | 374918 | वाल्व लिफ्टर |
| 105. | 675 | 374919 | वाल्व बदलने व पुनः लगाने के औजार |
| 106. | 676 | 374920 | कम्बर जांच उपकरण |
| 107. | 683 | 38913 | गाड़ियों के धूपरोधी शीशे |
| 108. | 722 | 1376860 | साइकिलों के रिम (कैपिटव खपत को छोड़कर) |

*दिनांक 16 मई, 2005 की अधिसूचना एस.ओ. 722(ई) के तहत अनारक्षित उत्पादों के नाम*

**आर्गेनिक रसायन, औषधियां और औषधि मध्यवर्ती**

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1. | 227 | 31060101 | पैरा एमीनो फिनोल (औद्योगिक ग्रेड) |
| 2. | 228 | 310605 | गोलियां पैरा डाइक्लोरोबेनजीन से निर्मित क्यूब्स |
| 3. | 230 | 310627 | डायमथील सल्फेट-मेथिल अल्कोहल पर आधारित |
| 4. | 234 | 310631 | टारट्रेटस |
| 5. | 237 | 310647 | डाइब्यूटिकल थैलेट |
| 6. | 238 | 310648 | डाईमेथिल थैलेट |
| 7. | 239 | 310649 | बेंजिल क्लोराइड खपत को छोड़कर |
| 8. | 240 | 310650 | बेंजिल बेंजोएट |
| 9. | 240(ए) | 310669 | एल्यूमिनियम स्टीयरेट |
| 10. | 240(बी) | 310670 | मैगनिशियम स्टीयरेट |
| 11. | 240(सी) | 310671 | कैल्शियम स्टीयरेट |
| 12. | 240(डी) | 310672 | जिंक स्टीयरेट |
| 13. | 246 | 313149 | ग्लैसेरोफास्फरिक |
| 14. | 248 | 313151 | जैन्थेट्स |
| 15. | 249 | 313152 | डाइक्लोरोफिनोल |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 16. | 249ए | 31315801 | पैरा हाइड्रॉक्सी एन्जाइक-एसिड से लेकर मेथिल पैराबेंस और सोडियम साल्ट |
| 17. | 249बी | 31315901 | पैरा हाइड्रॉक्सी एन्जाइक-एसिड से लेकर पैराबेंस और सोडियम साल्ट |
| 18. | 249सी | 31319501 | पैरा हाइड्रॉक्सी एन्जाइक-एसिड से लेकर प्रोपिल पैराबेंस और सोडियम साल्ट |
| 19. | 249डी | 3131960 | कैल्शियम ग्लूकोनेट |
| 20. | 250 | 316201 | पोलिएस्टर रेजिन अन्सेचुरेटिड |
| 21. | 252ए | 31942960 | निकोटीनिक एसिड |
| | | | **अन्य रसायन तथा रसायन उत्पाद** |
| 22. | 254 | 305901 | नेप्थालीन की गोलियां |
| 23. | 255 | 310100 | पोटाशियम मेटा बाई सल्फाइट |
| 24. | 257 | 310112 | बेरियम सल्फाइड |
| 25. | 258 | 310113 | बेरियम सल्फाइड |
| 26. | 259 | 310115 | सोडियम सल्फाइड-सह उत्पाद को छोड़कर |
| 27. | 260 | 310121 | सोडियम थियो सल्फेट |
| 28. | 261 | 31012301 | जिंक आक्साइड औद्योगिक ग्रेड-सह उत्पाद को छोड़कर |
| 29. | 262 | 31012401 | जिंक आक्साइड औद्योगिक ग्रेड |
| 30. | 263 | 313126 | एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गेल |
| 31. | 264 | 310139 | जिंक नाइट्रेट |
| 32. | 265 | 310301 | निकल सल्फेट - एक उप उत्पाद की तरह प्राथमिक उत्पादक के रूप में निर्मित को छोड़कर |
| 33. | 266 | 310302 | निकल क्लोराइड |
| 34. | 267 | 310304 | निकल कार्बोनेट |
| 35. | 268 | 310305 | निकल फारमेट |
| 36. | 270 | 301307 | कॉपर नाइट्रेट |
| 37. | 271 | 310308 | कॉपर क्लोराइड |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 38. | 272 | 310322 | कैडमियम आक्साइड |
| 39. | 273 | 31323 | कैडमियम आयोडाइड |
| 40. | 274 | 31325 | कैडमियम नाइट्रेट |
| 41. | 275 | 310329 | कैडमियम फास्फेट |
| 42. | 276 | 310330 | बेरियम क्लोराइड |
| 43. | 277 | 310331 | बेरियम नाइट्रेट |
| 44. | 277ए | 310334 | कैलशियम नाइट्रेट - सह उत्पाद को छोड़कर |
| 45. | 278 | 310336 | जिंक क्लोराइड |
| 46. | 280 | 310360 | कॉपर आक्सी-क्लोराइड |
| 47. | 281 | 310361 | कॉपर कार्बोनेट |
| 48. | 282 | 310362 | पोटाशियम आयोडाइड |
| 49. | 283 | 310363 | सोडियम आयोडाइड |
| 50. | 284 | 310364 | अवक्षेपित सिलिका फ्यूम्ड व स्प्रे-सुखाई गई सिलिका को छोड़कर |
| 51. | 285 | 310365 | गंधक-चूर्ण रबड़ का वल्कानाइज करने हेतु अविलेय के अतिरिक्त |
| 52. | 287 | 310409 | सोडियम थियोसायनेट |
| 53. | 289 | 310424 | विद्युत लेपन लवण-मिश्रित |
| 54. | 290 | 310426 | जिंक सायनाइड |
| 55. | 291 | 310435 | कैडमियम सायनाइड |
| 56. | 296 | 312122 | रैड लैड पेंट |
| 57. | 297 | 312123 | रैड आक्साइड पेंटस |
| 58. | 298 | 3212124 | वैगन ब्लैक पेंट |
| 59. | 304 | 312408 | एल्यूमिनियम पेंट्स |
| 60. | 305 | 312109 | बिटुमिन पर आधारित पेंट्स |
| 61. | 316 | 31930301 | गुआर गोंद की स्पिलिट व आहार (भूसी युक्त व भूसी सहित) |
| 62. | 317 | 319501 | जानवर से बना सरेस |
| 63. | 318 | 319504 | कार्यालय उपयोगी गोंद लेप |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 64. | 318ए | 319602 | सैक्रीन |
| 65. | 318बी | 319603 | सोडियम सैकरीन |
| 66. | 321 | 319701 | लाख |
| 67. | 323 | 3199802 | एल्यूमिनियम सल्फेट सहित ऐलम औद्योगिक ग्रेड इंटिग्रेटिड सल्फ्यूरिक एसिड प्लांटस में निर्मित सल्फेट व विषाक्त निस्सारी पदार्थ से प्राप्त को छोड़कर |
| 68. | 324 | 319921 | पोटाशियम सिलिकेट |
| | | **33-35** | |
| 69. | 355 | 331152 | गरम लो तथा देग चूने के फ्लेन्जस |
| 70. | 357 | 33130401 | 35 एम.एम. व्यास तक के लचीले धात्विक |
| 71. | 358 | 331503 | पाइप गैरदबाव के कार्यों उपयोग हेतु कई तारों से बटा हुआ तार |
| 72. | 360 | 33172201 | 30 टन तक के यांत्रिक जैक |
| 73. | 361 | 33172301 | 30 टन तक क्षमता वाले द्रव चालित जैक |
| 74. | 362 | 331727 | सिगनल सीढ़ी |
| 75. | 363 | 331751 | स्ट्रीट लाइट फिटिंग |
| 76. | 365 | 340102 | स्टील वाल्टस, सेफ तथा कैश बाक्स (नीचे दी गई वस्तुएं जिनके विस्तृत विनिर्देश नीचे दिए गए हैं को छोड़कर)<br>**(1) अग्नि-अवरोधक रिकार्ड संरक्षण साज-सामान**<br>इसकी जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के विनिर्देशन सं. आई.एस.ओ.आर. 834 द्वारा विनिर्दिष्ट समय तापकान ग्राफ के विपरीत 1,000 सेंटीग्रेड पर दो घंटे तक की जानी चाहिए। इस जांच में रिम टैस्ट करते सुय बीच में ड्राप टैस्ट भी शामिल होगा। केबिनों की जांच व प्रमाणीकरण केन्द्रीय जांच अनुसंधान संस्थान, रूड़की या इसी प्रकार के मान्यता प्राप्त जांच संगठन द्वारा की जानी चाहिए।<br>**(2) अग्नि और डकैती अवरोधी सेफ**<br>विशेषज्ञ जांच प्रहार किए जाने पर इस सेफ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। मान्यता प्राप्त जांच प्रणाली के अनुसार विशेष जांच प्रहार की परिभाषा दी गई है:- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | क. जांच दल में दो अनुभवी आपरेटर होंगे जिन्होंने सेफ का अध्ययन किया हुआ होगा और जो इस सेफ से विस्तृत विनिर्माण और आपरेशन को पूरी तरह जानते होंगे। इन आपरेटरों ने सेफ की विस्तृत बनावट (कंपोनेंट) और असेंबली ड्राइंग का भी अध्ययन किया हुआ होगा। |
| | | | ख. इस सेफ के लिए उपलब्ध 3.5 किलोग्राम साइज के बड़े हथौड़े और 1.5 मीटर लंबे क्री-बार्स सहित सभी औजार हाथ में इस्तेमाल किए जाने वाले साधारण औजार होंगे। बिजली चालित औजारों में 25 मिलीमीटर नाप के पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिलों को समायोजित करने वाले पोर्टेबल ड्रिल होल्डिंग मैकेनिज्म कार्बाइल मिली मीटर व्यास तक की आरियां और 62.5 मि.मी. तक के व्यास की होल सॉ और रेसिप्रोकेटिंग सॉ जिनकी अधिकतम ब्लेड क्षमता 200 मिलीमीटर होगी, भी इस्तेमाल में लाई जाएगी। |
| | | | ग. इस जांच का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ग सेंटीमीटर तक का सुराख करना या फिर ताले को तोड़कर सेफ का दरवाजा खोलना होगा। |
| | | | घ. यह उपयुक्त जांच केवल एक निश्चित समय अवधि के लिए ही की जाएगी। |
| | | | 4. **ज्वेलर्स सेफ** जो विशेषज्ञ जांच प्रहार सहन कर सकती हो। इस संबंध में मान्य जांच प्रणाली के अनुसार विशेषज्ञ जांच प्रहार की परिभाषा नीचे दी गई है: |
| | | | इस विशेषज्ञ जांच प्रहार के लिए अग्नि और डकैती अवरोधी सेफ संबंधी सभी बातें लागू होंगी और उनके साथ-साथ अन्य मुख्य बातें होंगी: |
| | | | क. इस प्रहार के लिए आक्सी ऐसिटिलीन गैस कटिंग टार्च इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। प्रहार के लिए इस्तेमाल की गई गैस की मात्रा कुल मिश्रित आक्सीजन और ईंधन गैस का 30 क्यूबिक मीटर तक सीमित होगी। |
| | | | ख. इन सेफों के लिए एक कंबीनेशन ताला अत्यंत आवश्यक है। यह ताला मैनिपुलेशन प्रूफ होगा और कई विभिन्न कंबीनेशंस के काबिल होगा। |
| | | | ग. इन सेफों में 2 मूवमेंट टाइप लॉक के फिटिंग की व्यवस्था भी होगी। |
| | | | घ. ब्रेकिंग, एक्सप्लोसिव्स, बहुत ज्यादा तापमान और जबरदस्त धक्के पर सेफ को आप से आप बंद कर देंगे। यदि कभी बंद या |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | किसी और कारण से कोई ताला खुल भी जाएगा तो भी सेफ आप से आप बंद हो जाएंगे। |
| | | | ङ. इस प्रहार का उद्देश्य 13 वर्ग क्यूबिक सेंटीमीटर तक का सुराख करना होगा। |
| | | | च. इन सेफों पर किए गए प्रहार की अवधि अग्नि और डकैती अवरोधी सेफ पर किए गए प्रहार से दुगुनी होगी। |
| | | | **5. सेफ डिपोजिट लॉकर** |
| | | | इन सेफों के लॉकर दरवाजों के किनारे मशीन से बने होंगे ताकि ये दरवाजे एकदम सट जाएं। इससे ये क्रो-बार प्रहार को सह सकेंगे तथा इन्हें एक दूसरे से बदला भी न जा सके। इन लॉकर्स के इस्तेमाल की दृष्टि से यह बहुत जरूरी है। लॉकर्स के ताले आपस में एक दूसरे से बदले जा सकेंगे और इस्तेमाल की दृष्टि से यह बहुत जरूरी पहलू है। हरेक ताला लॉकर लेने वाले (रेन्टर्स) की दी गई चाबी (रेन्टर्स) और लॉकर के कस्टोडियन के पास उपलब्ध मास्टर चाबी (मास्टर की) को संयुक्त रूप से लगाने से खुलता है। कस्टोडियन के पास यह मास्टर की एक स्थान के सभी लॉकर्स, चाहे उनकी संख्या कुछ सौ ही हो, के लिए एक ही होती है। |
| | | | लॉकर्स के तालों के लीवर कम्बीनेशन्स कम्प्यूटर से गढे होंगे, जिससे कोई भी चाबियां एक जैसी न हों और हर ताला अपनी एक ही चाबी से खोला जा सके। |
| | | | रेंटर द्वारा चाबियों को खोया जाना एक सामान्य बात है। इसलिए ताले को तोड़कर लॉकर खोलना (चूंकि कोई डुप्लीकेट चाबी का अन्य रिकार्ड नहीं रखा जाता है) लॉकर के दरवाजे की तुरंत मरम्मत करवानी और इसमें नई इंटरचेंजेबल लाक का दोबारा लगवाया जाना लॉकर के इस्तेमाल की दृष्टि से बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लॉकर के कस्टोडियन की मास्टर की खो जाती है जिससे कई लॉकर्स के खुलने में परेशानी हो जाती है। इस स्थिति में जहां यह लॉकर होता है, वहां एक मैकेनिक को तैनात किया जाता है और बारी बारी से रैंन्टर्स को बुलाकर उनके सामने ये लॉकर खोले जाते हैं। यह कार्य अपने में बहुत प्रमुख होता है। |
| | | | **(6) सेफ डिपोजिट लॉकर वाले सेफ** |
| | | | इस प्रकार के सेफ में ऊपर बताए गए अग्नि और डकैती अवरोधी सेफ और डिपाजिट लॉकर की सभी विशेषताएं शामिल |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | होनी चाहिए। इस प्रकार के सेफ उन बैंकों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके अपने रीइन्फोर्स्ड वोल्ट नहीं होते। इसके अलावा ये सेफ बड़े-बड़े होटलों में भी ग्राहकों का कीमती सामान रखने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इनकी आवश्यकता तब पड़ती है जब होटल में आने वाले व्यक्तियों की अपनी चाबियां खो गई हों और उनके पास रुपया-पैसा, एयरलाइन टिकट और पासपोर्ट आदि जैसा कोई सामान हो उस समय होटल द्वारा अपने ग्राहकों को इसकी सुविधा प्रदान करना बहुत जरूरी हो जाता है एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार का 2085 मिलीमीटर ऊंचाई वाला सेफ सबसे अधिक लोकप्रिय होता है। इसका भार 2.5 टन के लगभग होता है और इसके निर्माण में समय एक ओवर हैड वे की आवश्यकता होती है। |
| 77. | 366 | 340103 | मांस तथा खाना रखने की धातु सेफ |
| 78. | 368 | 340201 | लोहे के सन्दूक |
| 79. | 369 | 34030101 | बिना छपाई वाले टिन के डिब्बे-18 लीटर की क्षमता के ओ.टी.एस. तथा केन को छोड़कर |
| 80. | 370 | 340306 | जी.आई. बाल्टियां |
| 81. | 371 | 24030801 | 60 लीटर की क्षमता तक के बैरल |
| 82. | 372 | 34032001 | 60 लीटर की क्षमता के ड्रम |
| 83. | 373 | 340322 | टिन की ट्रे |
| 84. | 375 | 340324 | कूड़ा |
| 85. | 378ए | 34101201 | नरम इस्पात के बने स्टोरेज टैंक-15,000 लीटर स्टोरेज की क्षमता वाले (सादे किस्म के रिबट/वैल्डिंग सहित परन्तु प्रेश्ड रिबों को छोड़कर) |
| 86. | 380 | 340502 | बत्ती वाला स्टोव |
| | | | आई.एस.ओ. के नाम से दर्ज किए गए (नूतन टाइप स्टोव) नम्बर 145215, 145216 व 145299 के डिजाइन अनुसार तैयार किए गए स्टोवों को छोड़कर) |
| 87. | 381 | 340601 | लालटेन |
| 88. | 382 | 340605 | सिगनल लैम्प |
| 89. | 383 | 340606 | हाथ के लैम्प |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 90. | 387 | 340906 | धातु के जीप फासनर-सभी पुर्जे बनाने वाले इन्टीग्रेटिड प्लांटों के मामले छोड़कर |
| 91. | 388 | 340907 | टिन कटर |
| 92. | 389 | 340918 | पेटी फासनर |
| 93. | 390 | 340919 | स्नेप फासनर |
| 94. | 392 | 340921 | बन्दूक के खोल |
| 95. | 397 | 34200301 | अस्पताल के समंजनीय पलंग |
| 96. | 403 | 34200701 | अस्पताल की स्टील की मेज |
| 97. | 405 | 34200801 | रेलवे प्लेटफार्म पर पीने के पानी की ट्रालियां |
| 98. | 406 | 34200802 | अस्पताल का लोहा और स्टील की ट्रालियां |
| 99. | 407 | 342009 | लोहा और स्टील के स्ट्रेचर |
| 100. | 408 | 342010 | इस्पात के पात्र |
| 101. | 410 | 343101 | लोहा आरी के फ्रेम |
| 102. | 415 | 343108 | निहाई |
| 103. | 419 | 343113 | कील खींचने वाला |
| 104. | 420 | 343114 | छेनी |
| 105. | 421 | 343115 | संडसी |
| 106. | 422 | 343116 | तार कर्तक |
| 107. | 423 | 343199 | लुहारी, बढ़ईगिरी, हाथ की गढ़ाई-ढलाई आदि के लिए अन्य हाथ के औजार |
| 108. | 426 | 343207 | तार समजंक पेच |
| 109. | 427 | 343301 | टम्बलर ताले |
| 110. | 448 | 343517 | धात्विक पिकर |
| 111. | 463 | 343626 | हाब नेल |
| 112. | 466 | 343901 | धातु के वाशर छल्ले |
| 113. | 468 | 345101 | चम्मच, छुरे, कांटे |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 114. | 469 | 345102 | फार्म, छुरे, कांटे |
| 115. | 470 | 345103 | मेज के चाकू/घरेलू चाकू |
| 116. | 471 | 345104 | डबल रोटी कतरक |
| 117. | 473 | 345201 | घरेलू बर्तन पीतल |
| 118. | 485 | 349903 | सेफ्टी पिन |
| 119. | 486 | 349906 | धातु की घड़ी की चेन |
| 120. | 487 | 34990701 | तराजू |
| 121. | 494 | 349941 | चमड़े के सामान और कपड़े की धातु की फिटिंग |
| 122. | 495 | 349942 | तसले |
| 123. | 506 | 350108 | 5 अ.श. की मोटिव शक्ति वाले कॉटन डिलिटिंग मशीन |
| 124. | 508ए | 35080101 | खेतीबाड़ी की मशीनों में काम आने वाले यंत्र कृषि के काम आने वाली मशीनों जैसे बरैसर |
| 125. | 513ए | 353804 | रूई ओटने के चामू |
| 126. | 513ई | 345805 | काटने के चामू और माचिस उद्योग में काम आने वाली छुरियां |
| 127. | 513एफ | 354806 | प्लास्टिक उद्योग में बारीक टुकड़े व दाने तैयार करने में काम आने वाले चाकू |
| 128. | 513जी | 354807 | चाकू और शियरिंग ब्लेड (धातु पेपर, बांस और लकड़ी की हस्तचालित मशीनों पर काम आने वाले सभी किस्म के ब्लेड और चाकुओं सहित) |
| 129. | 513एच | 354808 | डाक्टर ब्लेड |
| 130. | 513आई | 354809 | स्टेनलैस स्टील रिफाइनर/बार लाइव्स |
| 131. | 514 | 35490701 | कंक्रीट मिश्रक 3 क्यूबिक मीटर की क्षमता तक के |
| 132. | 517 | 355819 | एयर कंडीशनिंग डक्टिंग, लोअर्स, ग्रिल्स तथा एयर कंडीशनिंग का अन्य शीट फब्रीकोन |
| 133. | 519ए | 356803 | इलेक्ट्रो फामर्ड-रसायन और खंडसारी उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाली स्क्रीनें |
| 134. | 520बी | 35720201 | 12 मि.मि. की ड्रिलिंग मशीन प्रति मिनट 1,500 चक्कर लगाने वाले बैंच और पेडस्टल किस्म की |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 135. | 521 | 35720901 | खराद, सुराख करने, चूड़ी डालने की छोटी मशीनों के अड्डे (छोट एकल या बहुसंचलन) वाले उपस्कर |
| 136. | 522 | 35741001 | 300 मि.मि. व्यास तक के बैंच ग्राइंडर |
| 137. | 523 | 35750201 | बिजली की हेक्सा मशीन (यांत्रिक) ब्लेड का आकार 300 मि.मी. |
| 138. | 524 | 357806 | कूलेन्ट पम्प आदि |
| 139. | 525 | 357807 | स्टैडिज |
| 140. | 526 | 357808 | डाग प्लेट |
| 141. | 529 | 358601 | तोल मशीन/चौकी तुला-साधारण |
| 142. | 530 | 358901 | फाईल मेकेनिज्म |
| 143. | 532 | 359203 | घरेलू बनाई की मशीनें |
| 144. | 535 | 359910 | बोतल साफ रखने के यंत्र |
| | | गाड़ियों के हिस्से पुर्जे तथा सहायक सामान व गैरेज के उपकरण | |
| 145. | 626 | 374606 | ग्रीस निप्पल |
| 146. | 627 | 374708 | गन मैटल बुशें |
| 147. | 630 | 374721 | होज पाइप तथा रेडियेटर होज आटो |
| 148. | 631 | 374722 | हार्न बटन |
| 149. | 632 | 37472601 | शैकल पि-ओटोमोबाईल के प्रयोग के लिए |
| 150. | 638 | 374752 | रेडियेटर जाली-ऑटो |
| 151. | 640 | 374759 | सीट कुशन |
| 152. | 642 | 374778 | सन शेड आटो |
| 153. | 643 | 37478001 | साइड लैम्प का सामान-आटो |
| 154. | 648 | 374811 | बैटरी केबल तथा फिटिंग |
| 155. | 649 | 374812 | बैटरी सैल टैस्टर |
| 156. | 650 | 374869 | इलेक्ट्रिकल फ्यूज बॉक्स-ऑटो |
| 157. | 651 | 374870 | इलेक्ट्रिल फ्यूट आटो |
| 158. | 654 | 374883 | पैट्रोल की टंकी का ढक्कन आटो |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 159. | 657 | 374901 | आरमेचर टेस्टर |
| 160. | 658 | 374902 | बैटरी टर्मीनल लिफ्टर |
| 161. | 659 | 374903 | कंडेंसर तथा रेजिस्टैन्स टेस्टर |
| 162. | 660 | 374904 | फंडर स्पून तथा हैमर |
| 163. | 661 | 374905 | फीलर गेज |
| 164. | 662 | 374906 | फ्लेयरिंग टूल्स |
| 165. | 663 | 374907 | गियर फ्लशर |
| 166. | 664 | 374908 | सभी प्रकार के पुलर |
| 167. | 665 | 374909 | रिंग एक्सपैण्डर |
| 168. | 666 | 374910 | रिंग कंप्रेसर |
| 169. | 667 | 374911 | स्क्रू एक्सट्रैक्टर |
| 170. | 668 | 374912 | स्पार्क प्लग टैस्टर एंड क्लीनर |
| 171. | 669 | 374913 | स्टड रिमूवर्स- एक्सट्रैक्टर |
| 172. | 670 | 374914 | टो इन गाजेज |
| 173. | 671 | 374915 | टायर के वाल्व निकालने के औजार |
| 174. | 672 | 374916 | ट्यूब कटर |
| 175. | 673 | 374917 | फलैजिंग टूल्स |
| 176. | 677 | 374921 | पेंट करने का उपकरण जैसे स्प्रेगन आदि |
| 177. | 678 | 374925 | ग्रीस गन |
| 178. | 679 | 374926 | टायर में हवा भरने के पम्प-हाथ तथा पैर दोनों से चलने वाला |
| 179. | 681 | 374994 | मोटर गाड़ियों के पुर्जे निम्नानुसार: |
| | | 37499401 | 1. ब्रेक पैडल |
| | | 37499402 | 2. क्लच पैडल |
| | | 37499403 | 3. डस्टर कवर |
| | | 37499404 | 4. वाइपर ब्लेड कम्पोनेंट |
| | | 37499405 | 5. विंड स्क्रीन वीडिंग्स |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 37499406 | 6. डोर चैनल |
| | | 37499407 | 7. रबड़ बीडिंग |
| | | 30260701 | 8. रबड़ मेट्स |
| 180. | 682 | 375804 | ऑटो साइकिल की तीलियां तथा निप्पल स्वेज्ड टाइप को छोड़कर |

### अनाथों का कल्याण

813. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में अनाथों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या उक्त गैर-सरकारी संगठनों में से कुछ संगठनों ने इन निधियों का दुरुपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी):** (क) और (ख) देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशु गृहों हेतु सहायता स्कीम के अंतर्गत कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों तथा गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। इस मंत्रालय द्वारा 6 वर्ष तक की आयु के अनाथ/परित्यक्त बच्चों को संस्थागत देखभाल प्रदान करके तथा देश के भीतर उनके दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देकर उनके कल्याणार्थ इस स्कीम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

### *विवरण*

*देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशुगृहों हेतु सहायता स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे गैर-सरकारी संगठनों तथा वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान उन्हें प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का राज्य-वार विवरण*

(रुपये लाखों में)

| क्र. सं. | संगठन का नाम | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **अरुणाचल प्रदेश** | | | | |
| 1. | ओजू वेलफेयर एसोसिएशन, नहारियागण, पुलिस स्टेशन के निकट जिला पापुम्पेयर, अरुणाचल प्रदेश-791 110 | 497250 | 228150 | 750150 |
| | **उप-जोड़** | **497250** | **228150** | **750150** |
| **असम** | | | | |
| 2. | भारतीय बाल कल्याण परिषद, असम शाखा, गुवाहाटी | 0 | 219750 | 0 |
| | **उप-जोड़** | **0** | **219750** | **0** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **बिहार** | | | | |
| 3. | रामानंदी देवी हिन्दू अनाथालय, नाथनगर, जिला भागलपुर | 0 | 211351 | 219400 |
| | **उप-जोड़** | **0** | **211351** | **219400** |
| **दिल्ली** | | | | |
| 4. | सेवा भारती, 10196/ए, सेवा कुंज, झंडेवालान् माता मंदिर के सामने | 390870 | 512550 | 1164150 |
| | **उप-जोड़** | **390870** | **512550** | **1164150** |
| **गुजरात** | | | | |
| 5. | अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन एंड आफ्टर केयर एसोसिएशन, अहमदाबाद | 198600 | 0 | 830626 |
| | **उप-जोड़** | **198600** | **0** | **830626** |
| **हरियाणा** | | | | |
| 6. | एस.ओ.एस. चिल्ड्रन्स विलेजेज एसोसिएशन, बाल निकेतन, सेक्टर-2 पंचकुला | 366300 | 142650 | 139311 |
| 7. | हरियाणा राज्य बाल भवन, चंडीगढ़ | – | 288900 | 0 |
| | **उप-जोड़** | **366300** | **431550** | **139311** |
| **हिमाचल प्रदेश** | | | | |
| 8. | हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद, मिनी सचिवालय, शिमला-171 002 | 399735 | 293261 | 447300 |
| | **उप-जोड़** | **399735** | **293261** | **447300** |
| **केरल** | | | | |
| 9. | केरल राज्य बाल कल्याण परिषद थाइकोड, तिरुवनंतपुरम-695014 | 851940 | 456750 | 479700 |
| 10. | होली एंजल्स फांउडलिंग होम, डाकघर पुल्लाजी, त्रिसूर | 438683 | 874359 | 236265 |
| **मणिपुर** | | | | |
| 11. | आनंद भवन (फाउंडलिंग होम), मालामपुजा, जिला-पालघाट | 944325 | 474300 | 467100 |
| | **उप-जोड़** | **944325** | **474300** | **467100** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| मध्य प्रदेश | | | | |
| 12. | श्री बांके बिहारी कुंज बहुउद्देशीय महिला कल्याण समिति, लहर, जिला भिंड | 490500 | 493200 | 512550 |
| 13. | सेवा भारती (मध्य भारत) भोपाल, मध्य प्रदेश | – | 301500 | 169180 |
| | उप-जोड़ | 490500 | 794700 | 681730 |
| महाराष्ट्र | | | | |
| 14. | आधाराश्रम, 491/6, घरपुरे घाट, नासिक-422 002 | 236562 | 1021725 | 910196 |
| 15. | पीपुल्स एजुकेशन सोसायटी, श्री शिवाजी विद्यालय रोड, बुलडाना | 506655 | 520200 | 256500 |
| 16. | ज्ञान गंगोत्री शिक्षा समिति, नूर पटेल कालोनी, उदगीर, जिला लातूर-413517 | 470950 | 477000 | 469350 |
| 17. | डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन एंड आफ्टर केयर एसोसिएशन, 1924/5, "बाल कल्याण सांकुल" कोल्हापुर | 908576 | 227286 | 725058 |
| 18. | संधि निकेतन शिक्षण संस्थान, गांव व डाकघर-वडगांव, तालुका-मुखेड, नांदेड | 474300 | 483750 | 504000 |
| 19. | पटेल बहुद्देशीय शिक्षण संस्थान, कोंधाली, तहसील-कटोल, जिला नागपुर-441 103 | 504000 | 497250 | 512550 |
| 20. | श्रीमती नरसाबाई महिला मंडल, गांव व डाकघर-वडगांव, तालुका-मुखेड, नांदेड | 245250 | 672300 | 486450 |
| 21. | डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन एंड आफ्टर केयर एसोसिएशन, जरेकर लेन, उप-कारागार के निकट, अहमदनगर | 517500 | 512100 | 519300 |
| 22. | श्री गणेश शिक्षण प्रसारक मंडल, प्रियदर्शनी चौक, खडगांव रोड, लातूर | 743850 | 493200 | 508500 |
| 23. | ज्योतिबा फुले सेवा ट्रस्ट, 7, लक्ष्मी नारायण अपार्टमेंट, वाडिया फैक्ट्री एरिया, शिवाजी नगर, नांदेड-431602 | 547200 | 501300 | 529650 |
| 24. | उन्नतिशील महिला मंडल "रवि भवन" क्रांति नगर, पंचशील स्कूल के पास, नांदेड-431 602 | 0 | 0 | 989100 |
| 25. | साकार (सोसायटी फॉर एडॉप्शन नॉलेज, अवेयरनेस एंड रिसोर्स) 46, जय नगर, दशमेशनगर के पास औरंगाबाद | 479160 | 443520 | 493470 |
| | उप-जोड़ | 5634003 | 5849631 | 6904124 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| मणिपुर | | | | |
| 26. | सामुदायिक विकास कार्यक्रम केंद्र एम.आई. रोड, थाउबल अचोबा, मणिपुर | 239850 | 466200 | 257400 |
| 27. | टीयर फंड इंडिया कमेटी ऑन रिलीफ एंड रिहैबिलीटेशन सर्विस, थिंमतुंग वेंग, डॉरकस रोड, चूराचंद्रपुर | 504000 | 467550 | 245250 |
| 28. | इंटीग्रेटिड वीमेन एंड चिल्ड्रन डवलपमेंट सेंटर, थांगमेईबंद, युमनाम लेईकई, लामफेलपट, इम्फाल | 487800 | 509400 | 507600 |
| | उप-जोड़ | 1231650 | 1443150 | 1010250 |
| मेघालय | | | | |
| 29. | इम्पल्स एन.जी.ओ. नेटवर्क, शिलांग, मेघालय | – | 219750 | 0 |
| | उप-जोड़ | 0 | 219750 | 0 |
| मिजोरम | | | | |
| 30. | इंटरनेशनल पुअर चिल्ड्रन, शिशु गृह चिल्ड्रन होम, सेवन्थ डे तलंग, डाकघर-वायवकान, आइजॉल | 495900 | 490500 | 490500 |
| | उप-जोड़ | 495900 | 490500 | 490500 |
| उड़ीसा | | | | |
| 31. | सुभद्रा मेहताब सेवा सदन, गांव-कोलाथिया, डाकघर-आईजेनिया, खुर्द | 254700 | 986400 | 504000 |
| 32. | निलांचल सेवा प्रतिष्ठान, दया विहार (कनस), पुरी | 266400 | 754650 | 463050 |
| 33. | बनवासी सेवा समिति, गांव व डाकघर-बालीगुडा, कंधमल (फुलबनी) | 0 | 491850 | 1037700 |
| 34. | लुथेरन महिला समिति गांव व डाकघर-पाटलिपंक, वाया कुंजांग, केंद्रपाड़ा | 525600 | 525600 | 512550 |
| 35. | महर्षि दयानंद सेवा मिशन, गांव जोरांदा, डाकघर महिमागढ़ी, धेनकनाल | 498600 | 522900 | 256050 |
| 36. | नेहरू सेवा संघ, गांव व डाकघर परमानंदपुर वाया भवानीपाटना, जिला कालीहांडी, उड़ीसा-766001 | 161325 | 307710 | 150435 |
| | उप-जोड़ | 1706625 | 3589110 | 2923785 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **राजस्थान** | | | | |
| 37. | श्री करणी नगर विकास समिति, गोरधनपुरा, कोटा | 510750 | 518850 | 278100 |
| 38. | नवजीवन संस्थान (मध्य भारत) जोधपुर राजस्थान | – | 211351 | 155340 |
| | **उप-जोड़** | **510750** | **730201** | **433440** |
| **त्रिपुरा** | | | | |
| 39. | त्रिपुरा राज्य बाल कल्याण परिषद, लियोनगेट (पश्चिमी) लक्ष्मीनारायण बाड़ी रोड, डाकघर अगरतला, त्रिपुरा (पश्चिमी)-799001 | 1237050 | 1202130 | 499815 |
| | **उप-जोड़** | **1237050** | **1202130** | **499815** |
| **पश्चिम बंगाल** | | | | |
| 40. | स्कॉटलेन पॉवरटी इरैडिकेशन सेंटर, 27, गोकुल बोरल स्ट्रीट, कोलकाता | 245250 | 703350 | 0 |
| 41. | रामकृष्ण विवेकानंद मिशन, 7, रिवरसाइड रोड, बैरकपुर, 24 परगना (उत्तरी) पश्चिम बंगाल-700120 | 52166 | 272252 | 263782 |
| 42. | विवेकानंद कल्याण एवं विकास समिति, 18-सी, कलीमुद्दीन लेन, कोलकाता | 412200 | 0 | 0 |
| | **उप-जोड़** | **709616** | **975602** | **263782** |
| | कुल जोड़ | 16103797 (34 गैर-सरकारी संगठन) | 18996795 (39 गैर-सरकारी संगठन) | 17941428 (37 गैर-सरकारी संगठन) |

*[अनुवाद]*

**डाकघरों के माध्यम से असम चाय की बिक्री**

**914. श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में असम चाय को डाकघरों के माध्यम से बेचने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसी तरीके से अन्य वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा देने का सरकार को कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) से (घ) डाकघरों के जरिए किसी वस्तु की बिक्री का संवर्धन करने की कोई सहमत नीति नहीं है। तथापि, अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने की दृष्टि से डाक सर्किलों को मौजूदा सुविधाओं के संयोजन का प्रस्ताव करके तथा कुछ मूल्यवर्धनों द्वारा पहुंच बनाकर व्यावसायिक पैकेजों में

शामिल होने का अधिकार दिया गया है। असम डाक सर्किल ने रीटेल पोस्ट स्कीम के अंतर्गत मै. ग्रीन गोल्ड (असम) प्रा. लि. के असम से बाहर चाय उत्पादों का विपणन करने के लिए उनके साथ एक व्यावसायिक पैकेज विकसित किया है।

*[हिन्दी]*

**केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में जनजातियों के लिए अध्ययन केन्द्र**

915. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**

**श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**

**क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में जनजाति संबंधी सांस्कृतिक समस्याओं के लिए और उनके विकास के लिए कोई अध्ययन केन्द्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में जनजातीय अध्ययन केन्द्र खोलने हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी):** (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यद्यपि केवल एक ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय यथा नागालैंड विश्वविद्यालय में अलग से जनजातीय शोध केन्द्र मौजूद है, परन्तु जनजातीय संस्कृति और इससे जुड़ी समस्याओं से संबंधित अध्ययन/शोध की संभावनाएं अन्य विश्वविद्यालयों यथा मिजोरम विश्वविद्यालय, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय, विश्वभारती, हैदराबाद विश्वविद्यालय तथा मणिपुर विश्वविद्यालय के कई केन्द्रों/विभागों में मौजूद हैं।

किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने, जो कि विश्वविद्यालय के मत में उसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने हेतु अपेक्षित है, का अधिकार स्वयं विश्वविद्यालय के पास है।

*[अनुवाद]*

**पूर्व उन्मुख नीति**

916. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा भारत की "पूर्व उन्मुख नीति" के क्रियान्वयन में कोई प्रगति की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) प्रत्येक देश के साथ वर्तमान वर्ष के दौरान अभी तक कितनी मात्रा में व्यापार दर्ज किया गया है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) और (ख) जी, हां। हमारी लुक ईस्ट नीति की महत्वपूर्ण विशेषताओं के रूप में पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सी.ई.सी.ए.) और मुक्त व्यापार करार (एफ.टी.ए.) करने हेतु पहल की जा रही है। इन पहलों में जून, 2005 में सिंगापुर के साथ एक सी.ई.सी.ए. की स्थापना, मलेशिया के साथ सी.ई.सी.ए. की व्यवहार्यता की जांच करने हेतु एक संयुक्त अध्ययन दल (जे.एस.जी.) का गठन करना, इंडोनेशिया के साथ एक संयुक्त अध्ययन दल (जे.एस.जी.) का गठन करने हेतु समझौता ज्ञापन तैयार करना, चीन के साथ एक क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था (आर.टी.ए.) पर विचार करने हेतु संयुक्त अध्ययन दल गठित करना, थाईलैंड के साथ एफ.टी.ए. के संबंध में एक कार्यढांचा करार करना और कोरिया गणराज्य और जापान के साथ क्रमशः आर्थिक भागीदारी करार (ई.पी.ए.) हेतु द्विपक्षीय पहल और एक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सी.ई.पी.ए.) करना शामिल हैं। इसके अलावा, आसियान के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सी.ई.सी.ए.) करने हेतु वार्ताएं जारी हैं।

(ग) वर्ष 2006-07 (अप्रैल, 2006 तक) के दौरान आसियान देशों और उत्तर पूर्वी एशिया सहित पूर्वी एशिया के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 21,172.98 करोड़ रु. का हुआ है। अपने सभी व्यापारिक भागीदारों के साथ भारत के व्यापार संबंधी विस्तृत देशवार/वस्तुवार आंकड़े वाणिज्य विभाग की वेबसाइट http://commerce.nic.in/. के जरिए उपलब्ध कराए गए हैं।

**चाय का उत्पादन**

917. **श्री प्रबोध पाण्डा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में चाय का राज्य-वार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान चाय के उत्पादन में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस कमी से देश में चाय उद्योग के प्रभावित होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में चाय के उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) पिछले 2 वर्षों और वर्तमान वर्ष, प्रत्येक के दौरान चाय का उत्पादन राज्यवार इस प्रकार है:-

(आंकड़े: मिलियन कि.ग्रा. में)

| राज्य | 2004-05 | 2005-06* | 2006-07* (अप्रैल-मई) | 2005-06* (अप्रैल-मई) |
|---|---|---|---|---|
| असम | 446.05 | 475.68 | 55.82 | 61.08 |
| पश्चिम बंगाल | 215.52 | 216.05 | 25.70 | 31.68 |
| अन्य | 12.00 | 12.19 | 0.76 | 0.75 |
| कुल उत्तर भारत | 673.57 | 703.92 | 82.28 | 93.51 |
| तमिलनाडु | 161.48 | 154.65 | 28.58 | 33.67 |
| केरल | 66.08 | 66.94 | 14.25 | 16.02 |
| कर्नाटक | 5.71 | 5.34 | 0.82 | 1.00 |
| कुल दक्षिण भारत | 233.27 | 226.93 | 43.65 | 50.69 |
| सम्पूर्ण भारत | 906.84 | 930.85 | 125.93 | 144.20 |

*अनुमानित तथा संशोधन के अधीन

(ख) और (ग) प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों, दक्षिण भारत में सूखा और असम में अत्यधिक वर्षा के कारण भारत में चाय का उत्पादन 2005 की समरूपी अवधि की तुलना में अप्रैल-मई, 2006 में कुछ कम हो गया है।

(घ) अप्रैल-मई, 2006-07 के दौरान फसल में कमी से देश में चाय उद्योग पर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि इस कमी को जून से नवम्बर तक जब उत्तरी बागानों में 70% से अधिक फसल प्राप्त कर ली जाती है, उच्चतम फसल मौसम के दौरान पूरा किया जा सकता है।

(ङ) चाय बोर्ड द्वारा उत्पादकता बढ़ाने, देश में उत्पादित चाय की गुणवत्ता और विपणीयता में वृद्धि करने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में अनेक विकास स्कीमें पहले ही कार्यान्वित की जा रही हैं जिनके अंतर्गत पुनर्रोपण, नवीकरण और गैर-परंपरागत क्षेत्रों में नवरोपण, सिंचाई सुविधाओं के सृजन, लघु चाय उपजकर्ताओं में स्व-सहायता समूह गठित करने, कारखानों के आधुनिकीकरण करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। सरकार व्यापक पुनर्रोपण और पुरानी चाय झाड़ियों के नवीकरण के लिए अनेक कार्यक्रम लागू करने के तौर-तरीकों की भी जांच कर रही है। एक विशेष

प्रयोजन चाय निधि स्थापित करने सहित कार्यक्रम का वित्तपोषण करने के लिए ब्यौरेवार लागत और रूपरेखाओं की भी जांच की जा रही है।

*[हिन्दी]*

**वस्त्र क्षेत्र में बेरोजगारी**

**918. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र उद्योग असफल हो रहा है और उदारीकरण एवं आधुनिकीकरण के कारण लाखों कामगार बेरोजगार हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

*[अनुवाद]*

**बागान क्षेत्र के लिए दीर्घावधिक रणनीति हेतु अध्ययन**

**919. श्री बसुदेव आचार्य:**

**श्री सी.के. चन्द्रप्पन:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव बागान क्षेत्र के लिए दीर्घावधिक रणनीति तैयार करने हेतु अध्ययन करने का है जैसाकि दिनांक 11 जुलाई, 2006 के "बिजनेस लाइन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) से (ग) जी, हां। हाल ही में बागान क्षेत्र के कार्यनिष्पादन की समीक्षा के बाद सरकार बागान उद्योगों अर्थात् चाय, कॉफी, रबड़ तथा मसालों की दीर्घावधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता के मूल्यांकन व पुराने बागानों की समस्याओं के निवारण हेतु एक अध्ययन करा रही है।

**संयुक्त राष्ट्र मानव दुर्व्यापार-रोधी इकाइयां**

**920. श्री जी.वी. हर्ष कुमार:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के औषधि एवं अपराध विंग का इरादा देश में यौन उत्पीड़ित लोगों की देखभाल एवं संरक्षण हेतु मानव दुर्व्यापार-रोधी इकाइयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र की इस पहल में सरकार द्वारा क्या भूमिका निभाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या देश में दुर्व्यापार को रोकने के लिए चुने गए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित):** (क) और (ख) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, जिसे नशीले पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सहयोग से गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, के माध्यम से मानव के दुर्व्यापार के विरुद्ध कानून प्रवर्तन कार्रवाई को सुदृढ़ करने के संबंध में दो-वर्ष की एक परियोजना के तहत चुने हुए राज्यों में राज्य स्तर पर मानव के दुर्व्यापार - विरोधी कुछ इकाइयों को विकसित या सुदृढ़ किए जाने का प्रस्ताव है। मानव के दुर्व्यापार - विरोधी इकाइयों की मुख्य भूमिका, कानून प्रवर्तन करने की होगी और वे पीड़ित लोगों की देखभाल और पुनर्वास के लिए अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ संपर्क करेंगी और कार्य करेंगी।

(ग) और (घ) "पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण, राज्य पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी, मुख्यतया राज्य सरकारों की है। तथापि, राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर केन्द्र सरकार द्वारा उनके प्रयासों में सहायता की जा रही है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, स्टेशन हाऊस अधिकारियों, उप-प्रभागीय पुलिस अधिकारियों और समतुल्य रैंक के अधिकारियों के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर लोगों के दुर्व्यापार और पुलिस की भूमिका पर कार्यशाला और सेमीनार आयोजित करता रहा है। इसके अतिरिक्त, मानव के दुर्व्यापार की समस्या से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों और अभियोजनकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम

से व्यक्तियों के दुर्व्यापार के विरुद्ध कानून प्रवर्तन कार्रवाई को सुदृढ़ करने के संबंध में उपरिलिखित परियोजना के तहत कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई है।

### लघु उद्योगों को बढ़ावा

**921. श्री एनेन बर्मन:** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लघु उद्योग के लिए प्रस्तावित, स्वीकृत, जारी और वास्तव में उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद):** लघु उद्योगों के लिए विभिन्न योजना स्कीमों के तहत विगत तीन वर्षों (2003-04 से 2005-06) के दौरान बजट आंकलनों में प्रदान की गई निधियों तथा उनके उपयोग संबंधी ब्यौरा निम्नोक्त है:-

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष | बजट आंकलन | उपयोगिता |
|---|---|---|
| 2003-04 | 346.49 | 334.80 |
| 2004-05 | 362.25 | 348.20 |
| 2005-06 | 408.91 | 402.68 (अनन्तिम) |

*[हिन्दी]*

### आवश्यक वस्तुओं का आयात/निर्यात

**922. श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में देश में और देश से देशवार गेहूं, चीनी, दलहनों और खाद्य तेलों की कितनी मात्रा का मूल्य सहित आयात/निर्यात किया गया है:

(ख) देश में जिन वस्तुओं का अभाव है उनका निर्यात किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान बाद में इन वस्तुओं का बढ़े हुए मूल्यों पर आयात किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) आयातों और निर्यातों के ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) विदेश व्यापार नीति संबंधित प्रशासनिक विभागों के साथ विचार-विमर्श तथा चर्चा करने के बाद तैयार की जाती है। जरूरत के अनुसार आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को अस्थाई रूप से प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाए जाते हैं।

(ग) और (घ) संबंधित सत्ताओं द्वारा वाणिज्यिक अपेक्षाओं के आधार पर कीमत संबंधी निर्णय लिए जाते हैं।

*विवरण-I*

*आयात*

| वस्तुएं | देश | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06* (अनन्तिम)/ (नवीनतम उपलब्ध) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मात्रा टन में | औसत दर (रु./किग्रा.) | मात्रा टन में | औसत दर (रु./किग्रा.) | मात्रा टन में | औसत दर (रु./किग्रा.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| गेहूं | नेपाल | 457 | 5.44 | 222 | 5.05 | शून्य | |
| | **कुल** | **457** | **5.44** | **222** | **5.05** | **शून्य** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दलहन | म्यांमार | 702764 | 13.62 | 479229 | 14.17 | 459624 | 18.87 |
| | पाकिस्तान आई.आर. | 55449 | 15.84 | 10947 | 17.17 | 128308 | 16.91 |
| | आस्ट्रेलिया | 130837 | 13.00 | 78095 | 12.25 | 74764 | 15.60 |
| | यूएसए | 4045 | 18.27 | 4935 | 14.54 | 49448 | 12.03 |
| | तंजानिया आर.ई.पी. | 42003 | 15.25 | 28019 | 16.36 | 48132 | 16.58 |
| | ईरान | 46056 | 17.78 | 77425 | 16.75 | 34769 | 26.56 |
| | चीन जन.गण. | 47064 | 17.66 | 27278 | 18.18 | 34629 | 20.75 |
| | फ्रांस | 146405 | 9.89 | 72297 | 11.66 | 32266 | 9.69 |
| | यूक्रेन | 3804 | 12.02 | 14875 | 10.29 | 30934 | 9.35 |
| | तुर्की | 23335 | 20.78 | 18995 | 21.72 | 17869 | 28.03 |
| | नेपाल | 13037 | 24.54 | 15503 | 23.21 | 15143 | 24.46 |
| | रूस | 10253 | 12.15 | 4773 | 12.90 | 12212 | 13.84 |
| | अन्य | 498276 | 11.86 | 507076 | 11.22 | 670140 | 10.12 |
| | **कुल** | **1723328** | **13.26** | **1339447** | **13.27** | **1608238** | **14.59** |
| चीनी | ब्राजील | शून्य | | 831558 | 10.43 | 451216 | 11.66 |
| | दक्षिण अफ्रीका | 72998 | 8.31 | 48322 | 10.60 | 53049 | 11.16 |
| | आस्ट्रेलिया | शून्य | | 42000 | 10.35 | 25000 | 11.83 |
| | मोजाम्बिक | शून्य | | शून्य | | 21000 | 11.07 |
| | संयुक्त अरब अमीरात | 1297 | 12.42 | 2240 | 13.91 | 3655 | 16.37 |
| | पाकिस्तान आई.आर. | शून्य | | शून्य | | 3560 | 11.79 |
| | अन्य | 108 | 42.82 | 8621 | 12.42 | 1293 | 27.84 |
| | **कुल** | **74403** | **8.43** | **932741** | **10.47** | **558773** | **11.68** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नियत वनस्पति तेल (खाद्य) | इंडोनेशिया | 2781751 | 20.85 | 2705243 | 22.22 | 2131196 | 19.08 |
| | अर्जेंटिना | 795334 | 26.46 | 771731 | 26.99 | 1180277 | 23.47 |
| | मलेशिया | 1304862 | 21.41 | 898371 | 21.62 | 389688 | 18.54 |
| | ब्राजील | 223009 | 26.40 | 281189 | 26.70 | 350235 | 23.67 |
| | संयुक्त अरब अमीरात | 2566 | 41.90 | 56233 | 25.80 | 81524 | 23.80 |
| | यूएसए | 62838 | 31.83 | 12527 | 46.46 | 26330 | 37.17 |
| | अन्य | 119936 | 17.46 | 25900 | 25.79 | 15540 | 23.75 |
| | कुल | 5290296 | 22.08 | 4751194 | 23.31 | 4174790 | 20.88 |

*विवरण-II*

*निर्यात*

| वस्तुएं | देश | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06* (अनन्तिम)/ (नवीनतम उपलब्ध) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मात्रा टन में | औसत दर (रु./प्रति किग्रा.) | मात्रा टन में | औसत दर (रु./प्रति किग्रा.) | मात्रा टन में | मात्रा टन में (रु./प्रति किग्रा.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| गेहूं | बांग्लादेश जन.गण. | 1566070 | 5.75 | 1176311 | 7.25 | 578469 | 7.84 |
| | फिलीपीन्स | 118830 | 5.40 | 23948 | 5.62 | 98350 | 5.15 |
| | संयुक्त अरब अमीरात | 361227 | 6.18 | 199286 | 7.43 | 18025 | 7.77 |
| | सूडान | 21459 | 7.17 | 99318 | 7.80 | 16800 | 7.43 |
| | म्यांमार | 13265 | 6.15 | 19690 | 7.38 | 11691 | 9.11 |
| | अन्य | 2012233 | 5.86 | 490794 | 7.20 | 22230 | 7.22 |
| | **कुल** | **4093084** | **5.84** | **2009347** | **7.27** | **745565** | **7.47** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दलहन | बांग्लादेश | 62332 | 20.13 | 78005 | 20.67 | 131335 | 23.24 |
| | श्रीलंका डी.एस.आर. | 7805 | 16.82 | 52783 | 19.69 | 59812 | 22.45 |
| | पाकिस्तान आई.आर. | 582 | 16.03 | 10516 | 21.84 | 37733 | 22.11 |
| | संयुक्त अरब अमीरात | 10410 | 22.34 | 19797 | 24.53 | 26504 | 26.00 |
| | नेपाल | 17889 | 17.83 | 23034 | 15.08 | 24327 | 21.32 |
| | सूडान | 3350 | 21.58 | 3570 | 23.39 | 20891 | 24.81 |
| | यूएसए | 13035 | 25.72 | 15252 | 26.09 | 19156 | 28.86 |
| | मिस्र ए.आर.पी. | 206 | 19.02 | 4053 | 23.59 | 14842 | 24.05 |
| | साऊदी अरब | 7475 | 22.24 | 11425 | 25.18 | 14120 | 29.05 |
| | अल्जीरिया | शून्य | | 4605 | 41.75 | 12472 | 39.60 |
| | कुवैत | 4865 | 24.53 | 8286 | 25.92 | 10677 | 26.48 |
| | यूके | 7575 | 24.72 | 9093 | 23.34 | 10363 | 25.74 |
| | तंजानिया आर.ई.पी. | 94 | 18.16 | 53 | 21.45 | 9582 | 12.02 |
| | मलेशिया | 2243 | 23.33 | 3695 | 25.57 | 4689 | 28.01 |
| | अन्य | 16017 | 25.04 | 27009 | 27.12 | 48103 | 30.39 |
| | **कुल** | **153878** | **21.35** | **271176** | **22.22** | **444606** | **24.80** |
| चीनी | पाकिस्तान आई.आर. | 18650 | 9.52 | 1958 | 12.11 | 72285 | 18.03 |
| | श्रीलंका डी.एस.आर. | 258205 | 9.66 | 43180 | 11.16 | 53043 | 18.06 |
| | बांग्लादेश जन.गण. | 150365 | 9.63 | 8235 | 10.58 | 52722 | 17.79 |
| | इंडोनेशिया | 90034 | 10.73 | 800 | 13.03 | 35332 | 16.04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुर्तगाल | 263 | 24.22 | 26 | 25.42 | 20173 | 22.66 |
| | मलेशिया | 232713 | 9.78 | 8654 | 10.75 | 16774 | 14.32 |
| | नेपाल | 2899 | 11.18 | 5868 | 12.77 | 14864 | 15.55 |
| | यूएसए | 22255 | 16.39 | 1593 | 20.52 | 13223 | 16.06 |
| | सिंगापुर | 19581 | 10.40 | 511 | 14.91 | 8594 | 15.78 |
| | मालद्वीव | 9368 | 10.16 | 7501 | 13.64 | 8172 | 15.57 |
| | बेल्जियम | 19252 | 10.28 | 8219 | 30.14 | 5126 | 28.62 |
| | अन्य | 377014 | 10.35 | 22142 | 15.04 | 16518 | 15.37 |
| | **कुल** | **1200599** | **10.13** | **106687** | **13.76** | **316826** | **17.56** |
| नियत वनस्पति तेल (खाद्य) | जार्डन | 285 | 67.65 | 5084 | 38.65 | 5863 | 27.50 |
| | श्रीलंका डी.एस.आर. | 66 | 56.02 | 198 | 49.40 | 2489 | 40.80 |
| | बांग्लादेश जन.गण. | 3914 | 25.57 | 3235 | 28.51 | 2424 | 30.71 |
| | संयुक्त अरब अमीरात | 1789 | 71.40 | 1529 | 66.29 | 2185 | 59.16 |
| | सिंगापुर | 320 | 52.61 | 128 | 59.39 | 1079 | 26.64 |
| | सुडान | शून्य | | 3 | 104.00 | 852 | 57.20 |
| | यूएसए | 7423 | 49.10 | 10496 | 50.26 | 700 | 41.98 |
| | कुवैत | 119 | 94.14 | 248 | 78.17 | 629 | 43.34 |
| | नेपाल | 809 | 43.37 | 1172 | 49.45 | 504 | 57.15 |
| | सऊदी अरब | 319 | 83.57 | 377 | 94.20 | 486 | 78.74 |
| | मैक्सिको | 14 | 71.00 | 62 | 72.45 | 437 | 62.60 |
| | अन्य देश | 31241 | 47.93 | 39731 | 42.30 | 3184 | 57.49 |
| | कुल | 46299 | 47.59 | 62263 | 43.90 | 20831 | 42.15 |

*[अनुवाद]*

**अग्रिम यात्री सूचना प्रणाली**

**923. श्री देविदास पिंगले:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशियों संबंधी आदेश, 1948 में संशोधन करके शुरू किए गए अग्रिम यात्री सूचना प्रणाली ने देश में कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके पश्चात देश में यात्रियों/पर्यटकों की संख्या पर अग्रिम यात्री सूचना प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) और (ख) अग्रिम यात्री सूचना प्रणाली (ए.पी.आई.एस.), एयर इंडिया से आंकड़ों के साथ, 01-07-2006 से आई.जी.आई. एयरपोर्ट, दिल्ली पर पायलट आधार पर शुरू कर दी गई है।

(ग) ए.पी.आई.एस. से शीघ्र आप्रवासन क्लियरेंस सुकर हो जाएगा।

**लघु उद्योगों को प्रोत्साहन**

**924. श्री सुनील खां:** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जो लघु उद्योग के विकास में पीछे हैं; और

(ख) लघु उद्योगों की वस्तुओं को आरक्षित सूची से बाहर निकालने से इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार और प्रतिस्पर्द्धा पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद):** (क) लघु उद्योगों की संख्या तथा उनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या जो कि लघु उद्योगों की वृद्धि को दर्शाती है, के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विगत में किए अनारक्षण संबंधी किसी बुरे प्रभाव के संबंध में विशेषतौर से अब तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान अनारक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के संबंध में आयोजित किए गए दो अध्ययनों से भी लघु उद्योग पर किसी बुरे प्रभाव का पता नहीं चलता है। अनारक्षण के लिए मदों का पता लगाने की प्रक्रिया लघु उद्योग संघों के साथ विस्तृत परामर्श पर आधारित होती है तथा यह सामान्यतः मतैक्य से किया जाता है।

***विवरण***

*वर्ष 2005-06 के लिए लघु उद्योग इकाइयों (पंजीकृत एवं अपंजीकृत) एवं रोजगार का राज्यवार ब्यौरा*

| क्र. सं. | राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम | लघु उद्योग इकाइयां (संख्या) | | | रोजगार (व्यक्ति) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पंजीकृत | अपंजीकृत | कुल | पंजीकृत | अपंजीकृत | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01. | जम्मू-कश्मीर | 19628 | 66228 | 85855 | 63942 | 117351 | 181293 |
| 02. | हिमाचल प्रदेश | 13210 | 75827 | 89037 | 43062 | 108453 | 151514 |
| 03. | पंजाब | 69002 | 369446 | 438448 | 352400 | 679007 | 1031406 |
| 04. | चंडीगढ़ | 1506 | 24472 | 25978 | 12125 | 44056 | 56181 |
| 05. | उत्तरांचल | 22157 | 103062 | 125218 | 54072 | 177404 | 231477 |
| 06. | हरियाणा | 41207 | 218431 | 259638 | 248447 | 372083 | 620530 |
| 07. | दिल्ली | 7660 | 198939 | 206599 | 89360 | 633670 | 723030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08. | राजस्थान | 61724 | 456182 | 517906 | 263563 | 771757 | 1035321 |
| 09. | उत्तर प्रदेश | 265582 | 1745189 | 2010772 | 854208 | 3909101 | 4763309 |
| 10. | बिहार | 71609 | 536927 | 608537 | 174163 | 1096646 | 1270809 |
| 11. | सिक्किम | 239 | 198 | 436 | 1301 | 373 | 1673 |
| 12. | अरुणाचल प्रदेश | 426 | 1064 | 1490 | 2197 | 2433 | 4630 |
| 13. | नागालैंड | 3620 | 13601 | 17221 | 20361 | 54316 | 74677 |
| 14. | मणिपुर | 5047 | 50925 | 55972 | 21124 | 137790 | 158914 |
| 15. | मिजोरम | 4029 | 9120 | 13149 | 12722 | 17462 | 30183 |
| 16. | त्रिपुरा | 974 | 27436 | 28410 | 11592 | 53171 | 64763 |
| 17. | मेघालय | 3715 | 22921 | 26637 | 18087 | 61888 | 79975 |
| 18. | असम | 21848 | 206176 | 228024 | 88585 | 421017 | 509601 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 47841 | 852578 | 900420 | 280801 | 2241956 | 2522757 |
| 20. | झारखण्ड | 25418 | 130019 | 155437 | 90561 | 236926 | 327487 |
| 21. | उड़ीसा | 15296 | 438295 | 453591 | 92494 | 984717 | 1077211 |
| 22. | छत्तीसगढ़ | 40155 | 267988 | 308143 | 104079 | 516277 | 620356 |
| 23. | मध्य प्रदेश | 137794 | 792411 | 930204 | 322373 | 1263293 | 1585666 |
| 24. | गुजरात | 188898 | 435402 | 624300 | 748914 | 779319 | 1528233 |
| 25. | दमन और दीव | 1923 | 408 | 3868 | 42453 | 1469 | 67839 |
| 26. | दादर और नगर हवेली | 1537 | | | 23918 | | |
| 27. | महाराष्ट्र | 118008 | 824566 | 942574 | 867815 | 1632225 | 2500040 |
| 28. | आन्ध्र प्रदेश | 70521 | 950998 | 1021519 | 419640 | 2059602 | 2479242 |
| 29. | कर्नाटक | 151740 | 621890 | 773630 | 601527 | 1341467 | 1942994 |
| 30. | गोवा | 3080 | 5323 | 8403 | 21219 | 14391 | 35610 |
| 31. | लक्षद्वीप | 120 | 510 | 630 | 410 | 1544 | 1953 |
| 32. | केरल | 148991 | 375834 | 524824 | 488000 | 749893 | 1237893 |
| 33. | तमिलनाडु | 302666 | 637866 | 940531 | 1264075 | 1256410 | 2520485 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. | पांडिचेरी | 2531 | 7921 | 10452 | 27721 | 17372 | 45093 |
| 35. | अंडमान और निकोबार | 1105 | 2705 | 3809 | 3958 | 5330 | 9287 |
| | अखिल भारतीय | 1870806 | 10470855 | 12341661 | 7731268 | 21760167 | 29491435 |

टिप्पणी: 1. पंजीकृत इकाइयों की संख्या का आकलन गत चार वर्षों की राज्यवार औसत वृद्धि दर के आधार पर किया गया है।

2. रोजगार की गणना भी प्रति इकाई में मौजूदगी के आधार पर की गई है।

*[हिन्दी]*

### अल्पसंख्यक शिक्षा को बढ़ावा

**925. श्री बालासाहिब विखे पाटील:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा अनुवीक्षण समिति के भावी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी):** (क) से (ग) सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा अनुवीक्षण समिति अल्पसंख्यक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों की पुनरीक्षा करती है। इसकी स्थायी समिति पुनरीक्षा संबंधी कार्य में निरन्तर लगी रहती है। यह समिति अनुशंसा करने वाली एक निकाय है और यह अपनी रिपोर्टों में समय-समय पर नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित सुझाव देने के लिए स्वतंत्र है।

*[अनुवाद]*

### लघु उद्योगों को सहायता

**926. श्री बी. विनोद कुमार:** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सी.एल.सी.एस.एस.) के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए राज्यवार कितनी लघु उद्योग इकाइयों को पूंजी राजसहायता प्रदान की गई है?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद):** 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सी.एल.सी.एस.एस.) के तहत प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए कैपिटल सब्सिडी प्राप्त करने वाली लघु उद्योग इकाइयों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

*31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार सी.एल.सी.एस.एस. के तहत कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठाने वाली लघु उद्योग इकाइयों की राज्यवार संख्या*

| क्रम संख्या | राज्य | इकाईयों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 111 |
| 2. | बिहार | 5 |
| 3. | चंडीगढ़ | 7 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 35 |
| 5. | गोवा | 3 |
| 6. | गुजरात | 44 |
| 7. | हरियाणा | 65 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 1 |
| 9. | झारखंड | 5 |
| 10. | कर्नाटक | 185 |
| 11. | केरल | 5 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 12. | मध्य प्रदेश | 29 |
| 13. | महाराष्ट्र | 128 |
| 14. | नई दिल्ली | 57 |
| 15. | उड़ीसा | 5 |
| 16. | पंजाब | 74 |
| 17. | राजस्थान | 97 |
| 18. | तमिलनाडु | 495 |
| 19. | उत्तर प्रदेश | 70 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | 12 |

*[हिन्दी]*

### पुलिस स्मारक को हटाना

**927. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शांतिपथ, नई दिल्ली पर स्थित पुलिस स्मारक को हटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्मारक पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) और (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वर्तमान ढांचे का परित्याग किया जाना है।

(ग) अब तक 13.35 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

### दिल्ली पुलिस के कार्मिकों द्वारा आत्महत्याएं

**928. श्री रघुराज सिंह शाक्य:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आज की तिथि तक दिल्ली पुलिस के रैंकवार कितने कार्मिकों द्वारा आत्महत्याएं की गई हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने आत्महत्या के ऐसे प्रत्येक मामले की कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) से (घ) वर्ष 2003, 2004 और 2006 (15 जुलाई तक) के दौरान दिल्ली पुलिस के जिन कार्मिकों ने आत्महत्या की उनके वर्ष-वार और रैंक-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

| वर्ष | एसआई/एएसआई | एचसी | कांस्टेबल | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 2004 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 2005 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2006 (15 जुलाई तक) | 1 | 1 | 5 | 7 |

आत्महत्या के कारणों में बीमारी, मानसिक अवसाद पारिवारिक विवाद, पीने की लत और घरेलू समस्याएं शामिल हैं।

एक मामले, जिसमें अपमृत्यु विचारणा रिपोर्ट को छोड़ दिया गया था को छोड़कर सभी मामलों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के तहत अपमृत्यु विचारण कार्यवाही शुरू की गई थी। इसके अतिरिक्त, इन मामलों में से दो में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज की गई थी।

दिल्ली पुलिस ने आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं उनमें शामिल है:-

(i) तबादले तैनाती और ड्यूटियों के वितरण में पारदर्शिता (ii) फील्ड ड्युटी करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक आराम सुनिश्चित करना; (iii) आवश्यकता पड़ने पर सभी पुलिस

कर्मियों को छुट्टी प्रदान करना; (iv) एक दिन में 12 घंटे से अधिक के लिए स्टाफ की तैनाती न करने के बारे में सावधानी बरतना; (v) पुलिस कार्मिकों की शिकायतों को दूर करने हेतु पुलिस स्टेशनों और जिला/इकाई स्तरों पर सम्पर्क सभाएं करना; (vi) पुलिस अधिकारियों को शिकायतें दूर करने के लिए अपनी बात किसी वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष रखने को अवसर देना; (vii) सभी पुलिस कर्मियों की नियमित चिकित्सा जांच करना; (viii) बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और यूनिट स्तरीय पाठ्यक्रम में पुलिस कार्मिकों के व्यवहार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना; (ix) अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को उनकी ड्यूटियों के संबंध में और असमंजसता की स्थिति को टालने हेतु सभी जिला/इकाईयों को स्पष्ट आदेश देने के संबंध में दिशानिर्देश जारी करना; और (x) दिल्ली पुलिस में पुलिस कार्मिकों के कल्याण हेतु विभिन्न उपाय करना है।

*[अनुवाद]*

**बिजली गिरने से हुई मौतें**

**929. डा. के धनराजू:**

**श्री आलोक कुमार मेहता:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-2006 के दौरान आज की तिथि तक बिजली गिरने के कारण राज्यवार कितने लोगों की मौतें हुई हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इसके कारणों और लोगों को इससे बचानेके लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) बारहवें वित्त आयोग द्वारा "बिजली गिरने" को आपदा राहत निधि और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि की राहत स्कीमों के अन्तर्गत सहायता हेतु पात्र प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार में, बिजली गिरने से संबंधित विशिष्ट सूचना नहीं रखी जाती है। संबंधित राज्य सरकारें इन घटनाओं से प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध करवा सकती है।

(ख) से (घ) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) के अनुसार बिजली गिरना, गरजने वाले तूफान से संबंधित है जो कि विशेषकर देश के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर अप्रैल से जून के महीनों के दौरान आते हैं। तथापि बिजली गिरना अपेक्षाकृत कभी-कभार होने वाली घटना है, जिसमें बादलों से पैदा होने वाला विद्युतीय करन्ट किसी पदार्थ के जरिए धरती को छूता है। सुरक्षा के उपाय के रूप में बड़े भवन और कृत्रिम संरचनायें बिजली रोधी यंत्रों से सुसज्जित होते हैं। बिजली गिरने की उत्पत्ति के कारणों की जांच करने हेतु आई.एम.डी. द्वारा कोई अलग अध्ययन नहीं करवाया गया है। गृह मंत्रालय ने भी ऐसा कोई अध्ययन नहीं करवाया है।

**यार्न डिपो**

**930. श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में यार्न डिपुओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में खोले जाने हेतु प्रस्तावित यार्न डिपुओं का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे क्या लाभ होने की संभावना है;

(घ) क्या किसी हैंडलूम मार्क की शुरुआत किए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन):** (क) देश में यार्न डिपो के राज्यवार ब्यौरे विवरण-I में संलग्न है।

(ख) 1000 करघों वाले प्रत्येक हथकरघा समूह में या हथकरघा समूहों के समीप कम से कम एक यार्न डिपो खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) हथकरघा समूहों में यार्न डिपो की स्थापना से हथकरघा बुनकर उचित कीमत पर गुणवत्ता यार्न की लगातार उपलब्धता के लिए सक्षम होंगे ताकि उनकी रोजगार अवधि एवं आय में वृद्धि होना सुनिश्चित हो सके।

(घ) और (ङ) माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 28 जून, 2006 को हथकरघा मार्क योजना शुरू की गई है जो पूरे देश में संचालित की जाएगी। योजना का विवरण विवरण-II में संलग्न है।

### विवरण-I

*देश में यार्न डिपो का राज्यवार विवरण*

| राज्य | जिला | संख्या | अभिकरण का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आसाम | करीमगंज | 1 | करीमगंज डिस्ट्रिक हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. सोसायटी लि., एच.ओ. स्टेशन रोड, करीमगंज फोन नं.: 03843-2769 |
| | कामरूप | 1 | आर्टफेड, जागरा आर्टफेड, सुआलकुची |
| | कामरूप | 1 | कस्तूरबा ग्रामीण बायर समबे, बिजोयागर |
| | कामरूप | 1 | ए.जी.एम.सी., प्रग्योतिका, बस स्टैण्ड सुआलकुची |
| | एन.सी. हील्स | 1 | एन.सी. हील्स, ट्राइबल रीजाल हैण्डलूम वीवर्स |
| | हाफलांग | | को-ऑप. सोसायटी लि., हाफलांग |
| | धीमाजी | 1 | धीमाजी जिला केन्द्रीय बी.एस.एस. लि., धीमाजी |
| | कोकराझार | 1 | कोकराझार जिला केन्द्रीय बी.एस.एस. लि., कोकराझार |
| | **राज्य योग** | **7** | |
| अरुणाचल प्रदेश | दोईमुख | 1 | रिसर्च एण्ड डिजाइन सेंटर, दोईमुख |
| | **राज्य योग** | **1** | |
| आंध्र प्रदेश | वेस्ट गोदावरी | 1 | भीमावरम हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. प्रोडक्शन एण्ड सेल्स सोसायटी, प्रियर-मावूलाम्मा टेम्पल, भीमावरम |
| | कृष्णा | 1 | मार्कण्डेया हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. सोसायटी, पडाना |
| | प्रकाशम | 1 | चिराला प्रातीय हैण्डलूम क्लॉथ मीनुफैक्चरर्स सेलर्स म्युचुअली एडेड को-ऑप. सोसायटी लि., पेराला पोस्ट, चिराला |
| | प्रकाशम | 1 | पेराला हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. प्रो. एण्ड सेल्स सोसायटी लि. पेराला, चिराला |
| | ईस्ट गोदावरी | 1 | श्री गणपति हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. प्रो. एण्ड सेल्स सोसायटी लि., अंगारा, कपिलेश्वरपुरम मण्डल, ईस्ट गोदावरी |
| | ईस्ट गोदावरी | 1 | के.जे. पुरम हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. प्रो. एण्ड सेल्स सोसायटी लि., के. जगन्नाथपुरम, अमलापुरम मण्डल, ईस्ट गोदावरी |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | ईस्ट गोदावरी | 1 | हसाबदा हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. प्रो. एण्ड सेल्स सोसायटी लि., हसाबदा, द्रक्षरामा |
| | नालगोण्डा | 1 | कोयलागुडम हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. प्रो. एण्ड सैल्स सोसायटी लि., कोयलागुडम, चौट्टुपाल मण्डल |
| | नालगोण्डा | 1 | संदीप हैण्डलूम्स, वेलांकी, जिलाः नालगोण्डा |
| | नालगोण्डा | 1 | पोचम्पल्ली हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. प्रो. एण्ड सैल्स सोसायटी लि., पोचम्पल्ली |
| | करीमनगर | 1 | हुजूराबाद हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. प्रो. एण्ड सेल्स सोसायटी, हुजूराबाद |
| | प्रकाशम | 1 | ए.पी. स्टेट हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. सोसायटी लि. |
| | करीमनगर | 1 | ए.पी. स्टेट हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. सोसायटी लि. |
| | विजयवाडा | 1 | ए.पी. स्टेट हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. सोसायटी लि. |
| | कुडप्पा | 1 | ए.पी. स्टेट हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. सोसायटी लि. |
| | वारांगल | 1 | ए.पी. स्टेट हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. सोसायटी लि. |
| | राजामुंदरी | 1 | ए.पी. स्टेट हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. सोसायटी लि. |
| | श्रीकाकुलम | 1 | ए.पी. स्टेट हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. सोसायटी लि. |
| | विजयनगरम् | 1 | ए.पी. स्टेट हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. सोसायटी लि. |
| | तिरूपति | 1 | ए.पी. स्टेट हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. सोसायटी लि. |
| | कुरनूल | 1 | ए.पी. स्टेट हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. सोसायटी लि. |
| | सिकंदराबाद | 1 | ए.पी. स्टेट हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. सोसायटी लि. |
| | वेस्ट गोदावरी | 1 | के. इलदालापरू हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. सोसायटी लि., वेस्ट गोदावरी |
| | वेस्ट गोदावरी | 1 | इलुरू हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. सोसायटी लि., वेस्ट गोदावरी |
| | चिराला | 1 | चिराला हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. सोसायटी लि., चिराला |
| | चिराला | 1 | श्यामला हैण्डलूम्स, पेराला, चिराला |
| | प्रकाशम | 1 | श्री वेंकटेश्वरा हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. सोसायटी लि., इपुरूपलम, प्रकाशम |
| | चोट्टुपाल | 1 | सविता हैण्डलूम्स, चोट्टुपाल |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | चोट्टूपाल | 1 | श्रीवेंकटेश्वरा साड़ी हाऊस, चोट्टूपाल |
| | सीरीपुरम | 1 | जेला लक्मइह एण्ड संस, सीरीपुरम |
| | सीरीपुरम | 1 | आल्विा हैण्डलूम्स, सीरीपुरम |
| | करीमनगर | 1 | हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. सोसायटी लि., कोठापल्ली, जिला: करीमनगर |
| | करीमनगर | 1 | हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. सोसायटी लि., कमलापुर, जिला: करीमनगर |
| | **राज्य योग** | **33** | |
| बिहार | गया | 1 | मानपुर प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि., मानपुर पोस्ट-बुनियादगंज, गया: 823003 |
| | **राज्य योग** | **1** | |
| छत्तीसगढ़ | रायपुर | 1 | छत्तीसगढ़ स्टेट हैण्डलूम्स एम.एफ. लि. |
| | **राज्य योग** | **1** | |
| गुजरात | भुज | 1 | भुजोडी कॉटा एण्ड वूल वीविंग को-ऑप. सोसायटी लि. पो.ऑ. भुजोडीताल, कच्छ: 370 820 |
| | भुज | 1 | सेवा भारती फाउण्डेशन |
| | **राज्य योग** | **2** | |
| कर्नाटक | बेलगांव | 1 | पी.सी.क्यू.सी.-ऐडमिनिस्ट्रेटर के.एच.डी.सी. लि., रामदुर्ग: 591123, फोन. नं. : 42112 |
| | बगलकोट | 1 | पी.सी.क्यू.सी.-ऐडमिनिस्ट्रेटर रॉ मैटेरियल बैंक के.एच.डी.सी. लि., बाहट्टी: 587 811, फोन नं. : 21318 |
| | हावेरी | 1 | पी.सी.क्यू.सी.-ऐडमिनिस्ट्रेटर के.एच.डी.सी. लि., नियर गुप्ता पेट्रोल बंक, पी.बी. रोड, रानीबेन्नूर: 581 115, फोन नं. : 66545 |
| | गुलबर्गा | 1 | पी.सी.क्यू.सी.-ऐडमिनिस्ट्रेटर के.एच.डी.सी. लि., ए.जी. देसाई बिल्डिंग, 1-1166ए, चद्रशखर नगर, डॉ. मीलाकात पाटिल रोड, गुलबर्गा : 585 102, फोन नं. : 46005 |
| | बीजापुर | 1 | कावेरी हैण्डलूम्स, इलकल |
| | बैंगलोर | 1 | के.एच.डी.सी. लि., टैक रोड, प्रियदर्शिनी कॉम्प्लेक्स उल्सर |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | बैंगलोर | 1 | कर्नाटक को-ऑप. हैण्डवीवर्स फेड. लि., 49 मॉडल हाऊस स्ट्रीट, बैंगलोर |
| | **राज्य योग** | **7** | |
| केरल | कौझीकोड | 1 | हैवीव, श्रीपदम, कालाथिल पाराम्बिल रोड |
| | त्रिवेंद्रम | 1 | हैवीव, पीओ-नेमम, त्रिवेन्द्रम-20 |
| | कन्नूर | 1 | हैवीव, पीएम-थिल्लेरी रोड, कन्नूर-1, फोन नं. : 270 5038; फैक्स नं. : 0497-270 1998 |
| | कन्नूर | 1 | केरल हैण्डलूम एसोसिएशन, कन्नूर |
| | एर्नाकुलम | 1 | एर्नाकुलम डिस्ट्री. को-ऑप. यार्न बैंक लि., नं. H-Ind-11 करीमपदम चेंदामंगलम, केरल |
| | त्रिवेंद्रम | 1 | हैटेक्स-पोस्ट बैग नं. 64, थिरूवाथपुरम |
| | कन्नूर | 1 | कैन्नेनोर हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट्स |
| | कन्नूर | 1 | कइराली हैण्डलूम |
| | कन्नूर | 1 | वासुलाल इंटरनेशनल |
| | कन्नूर | 1 | विकास फैब्रिक्स |
| | **राज्य योग** | **10** | |
| मध्य प्रदेश | सौसर | 1 | एम.पी. हस्तशिल्प विकास निगम, हैण्डलूम प्रोडक्शन सेंटर, यूनिट-सौसर, मोहगांव रोड, सौसर |
| | ग्वालियर | 1 | एम.पी. हस्तशिल्प विकास निगम, कला व्यापार मेला ग्राउण्ड |
| | इंदौर | 1 | –तदैव– |
| | मंदसौर | 1 | –तदैव– |
| | चंदेरी | 1 | –तदैव– |
| | पढ़ाना | 1 | –तदैव– |
| | वारासिवानी | 1 | –तदैव– |
| | सेहोर | 1 | –तदैव– |
| | माहेश्वर | 1 | –तदैव– |
| | चंदेरी | 1 | यूनाइटेडनेशंस इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चंदेरी |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | सौसर | 1 | कबीर बुनकर सहकारी समिति, सौसर |
| | बालाघाट | 1 | सत्यम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, वारासिवनी, बालाघाट |
| | **राज्य योग** | **12** | |
| मणिपुर | इम्फाल | 1 | रॉ मैटेरियल बैंक, डायरेक्टर ऑफ कामर्श एण्ड इंडस्ट्रीज, लाम्फलपेट, इम्फाल |
| | इम्फाल | 1 | मणिपुर डेवलपमेंट सोसायटी, पो. बॉ. नं. 53, इम्फाल: 795 001 |
| | इम्फाल | 1 | मणिपुर स्टेट हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. सोसायटी लि. |
| | **राज्य योग** | **3** | |
| मेघालय | तुरा | 1 | मेघालय एपेक्स हैण्डलूम वीवर्स एण्ड हैण्डीक्राफ्ट को-ऑप. फेडरेशन लि., को-ऑप. एपेक्स बैंक कॉम्प्लेक्स, कचहरी रोड, शिलांग, फोन नं. : 227 118 |
| | **राज्य योग** | **1** | |
| नागालैण्ड | कोहिमा | 1 | मोहा खोला एम.पी.सी.एस. लि., ए.ओ.सी. एरिया, कोहिमा |
| | दीमापुर | 1 | सू वीविंग एण्ड निटिंग को-ऑप. सोसायटी लि., वोरागापथर |
| | दीमापुर | 1 | नागालैण्ड एपेक्स वीवर्स एण्ड आर्टीसो को-ऑप. फेड. लि. को-ऑपरेटिव कॉम्प्लेक्स, दीमापुर |
| | **राज्य योग** | **3** | |
| पाण्डिचेरी | पाण्डिचेरी | 1 | पॉडिचेरी स्टेट हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप, सोसायटी, लि. पोस्ट बैग-57, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, थत्तानचावडी |
| | **राज्य योग** | **1** | |
| राजस्थान | जयपुर | 1 | राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि., प्लॉट नं. सी-954, विश्वकर्मा औद्योगिक फील्ड, जयपुर |
| | कोटा | 1 | कोटा डोरिया विकास हरात सेस |
| | बाड़मेर | 1 | बाड़मेर हथकरघा वस्त्र उत्पादक संस्था |
| | जयपुर | 1 | मॉडर्न हैण्डलूम प्रोड्यूसर को-ऑप. सोसायटी लि., कटवारा हाऊस, तोपखाना रोड, जयपुर |
| | बीकानेर | 1 | धुनरू सूती-ऊनी वस्त्र उत्पादक संस्था लि. |
| | **राज्य योग** | **5** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| तमिलनाडु | पेरियार | 1 | चेनकुमार इण्डस्ट्रियल को-ऑप. सोसायटी, चेन्नीमलाई |
| | कांचीपुरम् | 1 | को-ऑपटेक्स यार्न यूनिट, 84 टी.के. नाम्बी स्ट्रीट, कांचीपुरमः 631 503 |
| | नॉर्थ आर्कोट | 1 | को-ऑपटेक्स यार्न यूनिट, 16, तहसीलदार स्ट्रीट, सुवालपेट, अराकोनमः 631 001 |
| | नॉर्थ आर्कोट | 1 | को-ऑपटेक्स यार्न यूनिट, 11-ए, पूजा मुदलियार स्ट्रीट, धरामपेट, गुडियट्टमः 632 002 |
| | साऊथ आर्कोट | 1 | को-ऑपटेक्स यार्न यूनिट, 104, शंकर नायडू स्ट्रीट कुडालोरः 607 002 |
| | वैल्लोर | 1 | को-ऑपटेक्स यार्न यूनिट 13, बैजनई कायल स्ट्रीट, पलावन साथू कुप्पम, वेल्लोरः 632 002 |
| | ट्रिची | 1 | को-ऑपटेक्स यार्न यूनिट, 8 जुबली रोड जयनकोन्डमः 631 802 |
| | ट्रिची | 1 | को-ऑपटेक्स यार्न यूनिट, मुल्ला साहब स्ट्रीट करूरः 639 104 |
| | ट्रिची | 1 | को-ऑपटेक्स यार्न यूनिट, 147 मीतू स्ट्रीट, वोरियू, ट्रिचीः 620 002 |
| | धरमपुरी | 1 | को-ऑपटेक्स यार्न यूनिट, बाजार स्ट्रीट धरमपुरीः 636 702 |
| | सेलम | 1 | को-ऑपटेक्स यार्न यूनिट, 343-बाजार स्ट्रीट सेलमः 636 001 |
| | सेलम | 1 | को-ऑपटेक्स यार्न यूनिट, 19-नार्थ कार स्ट्रीट, तिरूचेनगोडः 637 211 |
| | इरोड | 1 | को-ऑपटेक्स यार्न यूनिट, द्वारा ईरोटेक्स डाई फैक्ट्री, पेरियामरीयामू कायल स्ट्रीट इरोड-3 |
| | पेरियार | 1 | को-ऑपटेक्स यार्न यूनिट, 108, कंगोयम रोड चेन्नीमलाइः 638 452 |
| | गोबी | 1 | को-ऑपटेक्स यार्न यूनिट, 13, 4 बाजार स्ट्रीट गोबीः चेटीपलायम-638 452 |
| तमिलनाडु | कोयम्बटूर | 1 | को-ऑपटेक्स यार्न यूनिट 201-ए, डा. एलागेसन रोड साईबाबा कालोनी कोयम्बटूरः 641 011 |
| | मदुरई | 1 | को-ऑपटेक्स यार्न यूनिट, बालाजी स्ट्रीट, एलागप्पा नगर, पेलागेनाथम मदुरईः 625 003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | कमराजर | 1 | को-ऑपटेक्स यार्न यूनिट, 50-केन्यादेई स्ट्रीट, श्रीविलीपुथूर: 626 125 |
| | रामण्ड | 1 | को-ऑपटेक्स यार्न यूनिट, 101-ग्रेट काटन रोड अरूप्पूकोटई |
| | तिरूनैलवेली | 1 | को-ऑपटेक्स यार्न एण्ड क्लोथ गोदाम, स्वामी नेल्लाइयाप्पर हाई रोड, आपोजिट टालुक ऑफिस, तिरूनेलवेली टाउन, तिरूनेलवेली-627 006 |
| | कन्याकुमारी | 1 | को-ऑपटेक्स यार्न यूनिट, नं. 1 अराट्टू रोड, चैदासेरी, नागरकायल: 629 001 |
| | चेन्नई | 1 | पी.एम.पी. लुंगी प्राइवेट लिमिटेड |
| | कुरूजीपडी | 1 | नेशनल पायलकोट कम्पनी |
| | चेन्नई | 1 | को-ऑपटेक्स 350, पैन्थीयन रोड चेन्नई-08 |
| | इरोड | 1 | चेनकुमार वीवर्स कोऑपरेटिव पी एण्ड एस सोसाइटी लि. सीएच-एमएसके चेनीमलाई इरोड |
| | करूर | 1 | एटलान्टिक फैब्रिक्स |
| | करूर | 1 | ब्रिटिश वीविंग कम्पनी |
| | करूर | 1 | लक्ष्मी ए डिजाइन |
| | करूर | 1 | मैक्सीकेन एक्सपोर्ट |
| | करूर | 1 | प्रेम टेक्सटाइल्स इंटरनेशनल |
| | करूर | 1 | श्री बाबा फैब्रिक्स |
| | गुडियाटम | 1 | हिन्दुस्तान लुंगी कम्पनी गुडियाटम |
| | चेन्नई | 1 | पी.एम. पलानी मुदालियर एण्ड कम्पनी चेन्नई |
| | चेनामलाई | 1 | टी.एस. हैण्डलूम चेन्नामलाई |
| | चेन्नई | 1 | जयम एक्सपोर्ट चेन्नई |
| | चेन्नई | 1 | के.ए.एस. जेनूलबदिन एण्ड कम्पनी चेन्नई |
| | गुडियाटम | 1 | वी.एम. कृष्णन मुदालियर, गुडियाटम |
| | करूर | 1 | वीरा एक्सपोर्टर |
| | कुल राज्य | 38 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| त्रिपुरा | अगरतला | 1 | त्रिपुरा हैण्डलूम एण्ड हैण्डीक्राफ्ट डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि. एबीबी सरनी जेल रोड, अगरतला |
| | अगरतला | 1 | त्रिपुरा एपेक्स वीवर्स को-आप. सोसाइटी लि. आई.टी.आई. रोड, इंदिरानगर अगरतला |
| | **कुल राज्य** | **2** | |
| उत्तर प्रदेश | वाराणसी | 1 | उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड वाराणसी |
| | संत कबीर नगर | 1 | उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड खलीलाबाद |
| | अलीगढ | 1 | उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड अलीगढ |
| | गोरखपुर | 1 | उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड गोरखपुर |
| | मऊनाथ भंजन | 1 | उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड मऊनाथ भंजन |
| | बिजनौर | 1 | उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड नेहलार |
| | अम्बेडकर नगर | 1 | उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड टांडा |
| | अम्बेडकर नगर | 1 | उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड जलालपुर |
| | सीतापुर | 1 | उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड खैराबाद सीतापुर |
| | इटावा | 1 | उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड इटावा |
| | इटावा | 1 | सिक्की सराय बुनकर उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड, इटावा |
| | कानपुर | 1 | यूपिका कानपुर |
| | मेरठ | 1 | यूपिका मेरठ |
| | गोरखपुर | 1 | यूपिका गोरखपुर |
| | इटावा | 1 | ऐपेक्स हैण्डलूम सोसायटी लिमिटेड करनपुरा |
| | वाराणसी | 1 | उत्तर प्रदेश हस्तकरघा सहकारी संघ रासूलपुरा |
| | कानपुर | 1 | यूपी एपेक्स एक्सपोर्ट कोआपरेटिव मार्केटिंग एसोसियेशन |
| | कानपुर | 1 | उत्तर प्रदेश हैण्डलूम टेक्सटाइल्स ऐपेक्स मार्केटिंग कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड |
| | बाराबंकी | 1 | ग्लोटेकस हैण्डलूम सोसायटी लिमि. अलापुर बाराबंकी |
| | बाराबंकी | 1 | हथकरघा औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड बाराबंकी |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | बाराबंकी | 1 | आइडियल हैण्डलूम कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड सआदतगंज |
| | सीतापुर | 1 | सुजावलपुर हथकरघा उत्पादन समिति लिमि. |
| | सीतापुर | 1 | हाफिजिया आर्ट एण्ड क्राफ्ट पक्का बाग, ओल्ड सिटी सीतापुर |
| | सीतापुर | 1 | इरम इंटरप्राइजेज लतीफ मार्केट खैराबाद |
| | हाथरस | 1 | कृष्णा सेल्स कारपोरेशन हाथरस |
| | अमरोहा | 1 | गृह उद्योग कर्घा सहकारी समिति लिमि. |
| | अमरोहा | 1 | नेशनल बुनकर सहकारी समिति |
| | मेरठ | 1 | कबीर ओलटेक्स |
| | मेरठ | 1 | कंटीनेंटल होम फर्मिसिंग |
| | आगरा | 1 | के. संस एक्सपोर्ट |
| | बुलंदशहर | 1 | देव हैण्डलूम्स |
| | वाराणसी | 1 | उत्तर प्रदेश हैण्डलूम मार्केटिंग कोआपरेटिव फेडरेशन |
| | सुल्तानपुर | 1 | हथकरघा दरी कपड़ा औद्योगिक सहकारी समिति |
| | राज्यवार संख्या | 33 | |
| उत्तरांचल | टिहरी गढ़वाल | 1 | हिमालय इंस्टीट्यूट फार इनवारमेंट इकोलोजी |
| | राज्यवार संख्या | 1 | |
| पश्चिम बंगाल | वर्दमान | 1 | चांदपुर टी.एस.एस. लिमिटेड |
| | वर्दमान | 1 | सिंघारी पुरबापारा आदर्श |
| | वर्दमान | 1 | माथापुर सरदारपारा |
| | वर्धमान | 1 | पुरवास्ता ब्लाक 1 टेगली |
| | वर्दमान | 1 | श्यामवती वैद्यपुर |
| | वर्धमान | 1 | कटवा शिल्पा सहकारी समिति |
| | वर्धमान | 1 | नसरतपुर उदावस्तु टेगेल बासक |
| | मिदनापुर | 1 | झुकरा टी.एस.एस. लि. |
| | राज्यवार संख्या | 8 | |
| | कुल संख्या | 169 | |

*विवरण-II*

**हैण्डलूम मार्क योजना:-**

हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, भारत सरकार ने हैण्डलूम मार्क योजना शुरू किया है जो क्रेता को यह गारंटी देगा कि खरीदा हुआ उत्पाद वास्तव में हाथ से बुना हुआ है। यह हथकरघा उत्पाद को एक पहचान देगा और यह केवल भारत में और विदेशों में हाथ से बुने उत्पादों को ख्याति नहीं देगा बल्कि शक्तिशाली सृजनात्मक कार्य का मुद्रण चिन्ह होता है जो विद्युतकरघा से उत्पाद का भेद दिखलाता है और बुनकरों को बेहतर आय प्रदान करने में सहायता करता है।

**उद्देश्य**

1. उत्पाद मूल की वास्तविकता के बारे में उपभोक्ताओं को आश्वासन देना।
2. घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हथकरघा उत्पादों का संवर्धन।
3. हथकरघा बुनकरों को अंतर्राष्ट्रीय विपणन संपर्क प्रदान करवाना।
4. हथकरघा उत्पादों के लिए आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना।
5. घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हथकरघा उत्पादों की मूल्य उपलब्धि में सुधार करना।
6. हथकरघा बुनकर समुदाय की आय में सुधार।
7. हथकरघा बुनकरों को वर्ष में निरंतर कार्य को सुकर बनाना।
8. हथकरघा आपूर्ति एवं बुनकरों के डाटा बेस का विकास जो भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित चालू योजनाओं एवं भविष्य की योजनाओं में बुनकरों की सहायता करेगी।

**हैण्डलूम मार्क लोगो:-**

हैण्डलूम मार्क लोगो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा विकिसत किया गया है। यह मार्क दो रूप में है। एक घरेलू प्रयोग के लिए है - लोगो के नीचे हथकरघा शब्द लिखा है तथा दूसरा निर्यात के लिए है - उसी प्रकार के लोगो के नीचे भारत में हाथ से बुना हुआ शब्द लिखा है।

Handloom hand woven in India

आसान पहचान/वर्गीकरण के लिए लेबल में उसके पीछे की ओर कोड दिया गया है। उदाहरण के तौर पर डी.एफ. कोड नम्बर घरेलू बिक्री के लिए, डी.एम. कोड नम्बर मेड अप्स एवं गारमेंटस की घरेलू बिक्री के लिए, ई.एफ. कोड नम्बर वस्त्रों के निर्यात के लिए, ई.एम. कोड नम्बर मेड अप्स एवं गारमेंट निर्यात के लिए।

प्रत्येक हथकरघा कटपीस, मेड अप्स वस्तु एवं प्रत्येक हस्तनिर्मित वस्त्र से उत्पादित गारमेंट पर एक लेबल लगाया जाएगा।

**क्षेत्र**

1. योजना में सभी प्रकार के हथकरघा वस्त्र एवं उत्पाद शामिल है।
2. हथकरघा मार्क योजना पूरे देश में चलाई जाएगी। व्यक्तिगत बुनकर, बुनकर सहकारी समितियां, मास्टर बुनकर, खुदरा विक्रेता एवं निर्यातक योजना में भाग लेने व लाभ उठाने के हकदार हैं।

**कार्यान्वयन एजेंसी**

वस्त्र समिति 1963 में संविधान की एक अधिनियम के तहत गठित वस्त्र मंत्रालय में एक सांविधिक निकाय भारतीय वस्त्र की गुणवत्ता संवर्धन की अवधारणा से हथकरघा मार्क योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।

**अपराधों में पुलिस कार्मिकों की संलिप्तता**

931. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
**श्री हन्नान मोल्लाह:**
**श्री प्रभुनाथ सिंह:**
**श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार/अपराधों में संलिप्त होने के मामलों में वृद्धि हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार, बलात्कार, धोखाधड़ी, चोरी अपहरण, हत्या इत्यादि के आरोप में रैंकवार, अपराधवार और पुलिस स्टेशनवार, दिल्ली पुलिस के कितने कार्मिकों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) सरकार द्वारा इसकी वृद्धि के कौन-कौन से कारणों की पहचान की गई है;

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने और दिल्ली पुलिस से भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) से (घ) वर्ष 2005 में दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के विरुद्ध 59 आपराधिक और भ्रष्टाचार के 27 मामले दर्ज किए गए थे जब कि वर्ष 2004 में 81 आपराधिक और भ्रष्टाचार के 42 मामले दर्ज किए गए थे जिससे पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध दर्ज किए गए आपराधिक और भ्रष्टाचार के मामलों में कमी का पता चलता है। वर्ष 2003, 2004, 2005 और 30 जून, 2006 तक भ्रष्टाचार, बलात्कार, धोखाधड़ी, चोरी, अपहरण, हत्या आदि के आरोपों के लिए गिरफ्तार किए गए दिल्ली पुलिस के कार्मिकों और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार रोकने के लिए उठाए गए कदमों में गश्त लगाने की ड्यूटी और पुलिस पिकेटों में तैनात कार्मिकों की गतिविधियों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अचानक जांच करना; संदिग्ध चरित्र वाले कार्मिकों पर नजर रखना; आपराधिक प्रवृत्ति वाले कार्मिकों का गैर-संवेदनशील पोस्टों में स्थानांतरण करना; जिन कार्मिकों को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाए उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी और विभागीय कार्रवाई करना; संयुक्त पुलिस आयुक्त और इससे उच्च रैंक के अधिकारियों द्वारा पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध की गई आपराधिक शिकायतों को सीधे ही निपटाया जाना; पुलिस कार्मिकों पर नजदीकी नजर रखने के लिए जिलों/यूनिटों में लोक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना; संवेदनशील पोस्टों पर तैनात कार्मिकों की आपराधिक गतिविधियों पर सतर्कता शाखा द्वारा निगरानी रखना; जिलों के पुलिस उपायुक्त द्वारा शिकायत रजिस्टर रखना; और ई-मेल के जरिये भ्रष्ट पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध शिकायत करने के लिए आम जनता को सुविधा प्रदान करना शामिल है।

*विवरण*

**वर्ष 2003**

**(I) हत्या/हत्या का प्रयास**

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भजनपुरा | – | – | 1 | – | – | – | मामले दर्ज कर दिए गए हैं। |
| नारायणा | – | – | – | – | – | 1 | |
| कंझावला | – | – | – | – | 1 | – | |
| शाहदरा | – | – | – | – | – | 1 | मामले दर्ज कर दिए गए हैं और पुलिस कार्मिकों को निलम्बित कर दिया गया है। |
| गोकुलपुरी | – | – | – | – | – | 1 | |
| नजफगढ़ | – | – | – | 1 | – | 1 | |

(ii) जबरन धन ऐंठना/लूटपाट

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लाहौरी गेट | – | – | – | – | – | 1 | मामले दर्ज कर दिए गए हैं और पुलिस कार्मिकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। |
| कमला मार्केट | – | – | – | – | 1 | 2 | |
| करोल बाग | – | – | 1 | – | – | – | एक मामला दर्ज कर दिया गया है और पुलिस कार्मिक को निलम्बित कर दिया गया है। |

(iii) ठगी/चोरी

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विशेष प्रकोष्ठ | – | – | – | 2 | – | 1 | मामले दर्ज कर दिए गए हैं और पुलिस कार्मिकों को निलम्बित कर दिया गया है। |
| कनॉट प्लेस | – | – | – | – | – | 1 | |

(iv) बलात्कार/छेड़खानी

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उत्तम नगर | – | – | – | – | – | 1 | मामले दर्ज किए गए हैं और पुलिस कार्मिकों और निलम्बित किया गया है। |
| कापसहेड़ा | – | – | – | – | 1 | – | |

(v) अपहरण

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पांडव नगर | – | – | – | – | – | 1 | एक मामला दर्ज किया गया है और पुलिस कार्मिक को निलम्बित किया गया है। |

(vi) चोट पहुंचाना

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पंजाबी बाग | – | – | – | – | – | 1 | एक मामला दर्ज किया गया है और पुलिस कार्मिक को निलम्बित किया गया है। |

(vii) विविध आई.पी.सी.

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कश्मीरी गेट | – | – | – | – | – | 1 | मामले दर्ज किए गए हैं और पुलिस कार्मिकों को निलम्बित किया गया है। |
| तुगलक रोड | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| हरी नगर | – | – | – | – | – | 1 | |
| गोकुल पुरी | – | – | – | – | – | 1 | |
| कंझावला | – | – | – | – | – | 1 | |
| मौरिस नगर | – | – | – | 1 | – | – | |
| हौज खास | – | 1 | – | – | – | – | |
| आई.पी. एस्टेट | – | – | – | – | 1 | – | एक मामला दर्ज किया गया है। |

(viii) भ्रष्टाचार

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| केन्द्रीय जांच ब्यूरो | – | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | मामले दर्ज किए गए हैं और न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया है। सभी मामले विचारण के लिए लंबित हैं। |
| भ्रष्टाचार निरोधक-शाखा | – | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | मामले दर्ज किए गए हैं और पुलिस कार्मिक निलम्बित किए गए हैं। |

वर्ष 2004

(i) हत्या/हत्या का प्रयास

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नरेला | – | – | – | 1 | – | 1 | मामले दर्ज किए गए हैं और नरेला पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल को छोड़कर सभी पुलिस कार्मिकों को निलम्बित कर दिया गया है। |
| नांगलोई | – | – | – | 1 | – | – | |
| महरौली | – | – | – | – | – | 1 | |
| मयूर विहार | – | – | – | – | – | 1 | |

(ii) जबरन धन वसूली/लूटपाट

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हौजखास | – | – | – | – | 2 | 1 | एक मामला दर्ज किया गया है और पुलिस कार्मिकों को निलम्बित किया गया है। |

(iii) ठगी/चोरी

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एस.पी. बादली | – | – | – | – | 1 | – | |
| पश्चिम विहार | – | – | – | 1 | – | – | |
| करोल बाग | – | – | – | – | – | 1 | मामले दर्ज किए गए हैं और पुलिस कार्मिकों को निलम्बित किया गया है। |
| लोधी कालोनी | – | – | – | – | – | 1 | |
| विशेष प्रकोष्ठ | – | – | – | 1 | – | – | |
| न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी | 1 | – | – | – | – | – | |

(iv) बलात्कार/छेड़खानी

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बवाना | – | – | – | – | – | 1 | एक मामला दर्ज किया गया है। |
| डाबरी | – | – | – | – | 1 | – | मामले दर्ज किए गए हैं और पुलिस कार्मिकों को निलम्बित किया गया है। |
| डिफेंस कालोनी | – | – | – | – | 1 | – | |
| विकास पुरी | – | – | – | – | – | 3 | |
| सिविल लाइन्स | – | – | – | – | – | 1 | |
| कोतवाली | – | – | – | – | – | 1 | |

(v) चोट पहुंचाना

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रीत विहार | – | – | – | – | – | 1 | मामले दर्ज किए गए हैं और एक कांस्टेबल को छोड़कर पुलिस कार्मिकों को निलंम्बित किया गया है। |
| नजफगढ़ | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| जाफरपुर कलां | – | – | – | – | – | 1 | मामले दर्ज किए गए हैं। |
| द्वारका | – | – | – | – | – | 1 | |
| आदर्श नगर | – | – | – | – | – | 1 | |
| माडल टाऊन | – | – | – | – | – | 1 | |
| जनकपुरी | – | – | 1 | – | – | – | |
| भजनपुरा | – | – | – | – | – | 1 | |

(vi) विविध आई.पी.सी.

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| शाहदरा | – | – | 1 | – | – | – | मामले दर्ज कर लिए गए हैं |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| केशवपुरम | – | – | – | – | – | 1 | और पुलिस कार्मिक निलंबित कर दिए गए हैं। |
| समयपुर बादली | – | – | 1 | – | – | – | |
| तिलक मार्ग | – | – | – | – | 1 | – | |
| रोहिणी | – | – | – | – | – | 1 | |
| चाणाक्यपुरी | – | – | – | – | – | 1 | |
| शकरपुर | – | – | – | – | 1 | 2 | मामले दर्ज कर लिए गए हैं। |
| कश्मीरी गेट | – | – | – | – | – | 1 | |
| रुप नगर | – | – | – | – | – | 1 | |
| कालकाजी | – | – | – | – | – | 1 | |
| सिविल लाइन्स | – | – | 1 | – | 2 | 1 | |

(vii) भ्रष्टाचार

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| केन्द्रीय जांच ब्यूरो | 1 | 3 | 9 | 5 | – | 2 | मामले दर्ज कर लिए गए हैं और एक मामले को छोड़कर सभी मामले विचारण हेतु लंबित हैं। सहायक उप निरीक्षक के एक मामले में, मामले को बंद करने संबंधी रिपोर्ट फाइल कर दी गई है। |
| भ्रष्टाचार विरोधी शाखा | – | – | 4 | 5 | 4 | 12 | मामले दर्ज कर लिए गए हैं और पुलिस कार्मिक निलंबित कर दिए गए हैं। |

वर्ष 2005

(i) हत्या/हत्या का प्रयास

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| कंझावला | – | – | – | – | 1 | 1 | मामले दर्ज कर लिए गए हैं |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शाहदरा | – | – | 1 | 1 | – | 1 | पुलिस कार्मिक निलंबित कर दिए गए हैं। |
| न्यू उस्मानपुर | – | – | – | 1 | – | – | |
| नरेला | – | – | – | – | – | 1 | |
| शालीमार बाग | – | – | – | – | 1 | – | |

(ii) जबरन धन ऐंठना/लूटपाट

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रशांत विहार | – | – | – | – | – | 1 | एक मामला दर्ज करा लिया गया है और पुलिस कार्मिक निलंबित कर दिया गया है। |

(iii) ठगी/चोरी

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शास्त्री नगर मैट्रो | – | – | – | – | – | 1 | मामले दर्ज कर लिए गए हैं और पुलिस कार्मिक निलंबित कर दिए गए हैं। |
| मुखर्जी नगर | – | – | – | – | – | 1 | |
| सीलमपुर | – | – | – | – | – | 1 | एक मामला दर्ज कर लिया गया है। |

(iv) बलात्कार/छेड़खानी

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सराय रोहिल्ला (रेलवे) | – | – | – | – | – | 1 | एक मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस कार्मिक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। |

(v) चोट पहुंचाना

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सरस्वती विहार | – | – | – | – | – | 1 | मामले दर्ज कर लिए गए हैं। |
| नंद नगरी | – | – | – | – | – | 1 | |
| खजूरी खास | – | – | – | – | 1 | – | |
| आदर्श नगर | – | – | – | – | – | 1 | मामले दर्ज कर लिए गए हैं और पुलिस कार्मिक निलंबित कर दिए गए हैं। |
| मुखर्जी नगर | – | – | – | – | – | 1 | |

(vi) विविध आई.पी.सी.

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विवेक विहार | – | – | – | – | 1 | – | मामले दर्ज कर लिए गए हैं। |
| हरी नगर | – | – | – | – | – | 1 | |
| सब्जी मंडी | – | – | – | – | – | 1 | |
| सुल्तान पुरी | – | – | – | – | – | 1 | |
| नारायणा | – | – | – | – | – | 1 | |
| कोतवाली | – | – | – | – | – | 1 | मामले दर्ज कर लिए गए हैं और जफरपुर कलां पुलिस स्टेशन के एक उप निरीक्षक को छोड़कर सभी पुलिस कार्मिक निलंबित कर दिए गए हैं। |
| राजौरी गार्डन | – | – | – | – | – | 1 | |
| जे.पी. कलां | – | – | 1 | – | – | 1 | |
| प्रशांत विहार | – | 1 | – | – | – | – | |
| भजनपुरा | – | – | – | – | – | 1 | |
| न्यू उस्मानपुर | – | – | – | – | – | 1 | |
| मैहरोली | – | – | 1 | – | 1 | 1 | |
| नंद नगरी | – | – | – | – | – | 1 | |
| महिपालपुर | – | – | – | – | – | 1 | |
| वेल्कम | – | – | – | – | – | 1 | |

(vii) भ्रष्टाचार

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| केन्द्रीय जांच ब्यूरो | – | – | 5 | – | 1 | – | मामले दर्ज कर लिए गए हैं और तीन पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। तीन मामलों में जांच पड़ताल चल रही है। |
| भ्रष्टाचार निरोधक शाखा | – | – | 4 | 4 | 2 | 6 | मामले दर्ज कर लिए गए हैं और पुलिस कार्मिकों को निलंबित किया गया है। |
| मानसरोवर पार्क | – | – | 1 | – | – | – | |

वर्ष 2006 (30-6-2006 तक)

(i) हत्या/हत्या का प्रयास

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तिलक मार्ग | – | – | – | – | – | 1 | एक मामला दर्ज किया गया है और पुलिस कार्मिक को निलंबित कर दिया गया है। |

(ii) बलात्कार/छेड़खानी

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रशांत विहार | – | – | 1 | – | – | – | एक मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस कार्मिक को सेवा से बर्खास्त किया गया है। |

(iii) विविध आई.पी.सी.

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| बवाना | – | – | – | 1 | – | 1 | मामले दर्ज किए गए हैं और |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शकरपुर | – | – | – | – | – | 1 | पुलिस कार्मिकों को निलंबित किया गया है। |
| डाबड़ी | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | |
| रोहिणी | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | |
| गोकुलपुरी | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | |
| मोतीनगर | – | – | – | – | – | 1 | एक मामला दर्ज किया गया है और पुलिस कार्मिक को सेवा से बर्खास्त किया गया है। |
| मुखर्जी नगर | – | – | – | – | 1 | – | मामले दर्ज किए गए हैं। |
| वसंत विहार | – | – | – | – | – | 1 | |

(iv) भ्रष्टाचार

| पुलिस स्टेशन | सहायक पुलिस आयुक्त | निरीक्षक | उप-निरीक्षक | सहायक उप-निरीक्षक | हैड-कांस्टेबल | कांस्टेबल | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| केन्द्रीय जांच ब्यूरो | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | मामले दर्ज किए गए हैं और तीन मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। चार मामलों में जांच-पड़ताल चल रही है। |
| भ्रष्टाचार निरोधक शाखा | – | – | – | 3 | 1 | 1 | मामले दर्ज किए गए हैं। दो सहायक उप निरीक्षक सेवा से बर्खास्त किए गए हैं और तीन अन्य कार्मिक निलंबित किए गए हैं। |

*[हिन्दी]*

**बीफ उद्योग की स्थापना**

**932. श्री काशीराम राणा:**

**श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बीफ उद्योग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी अनुमति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) सरकार का देश में गोमांस (बीफ) उद्योग की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

**जनजातीय विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में अनियमितताएं**

**933. कुंवर मानवेन्द्र सिंह:**
**श्री हेमलाल मुर्मू:**

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश और झारखंड के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ रहे जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का संवितरण करने में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान केन्द्र सरकार की जानकारी में आए ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसी अनियमितताएं बरतने में संलिप्त लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) से (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पी.एम.एस.) की एक केन्द्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वन करता है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान छात्रवृत्ति के संवितरण में अनियमितता बरतने का कोई मामला मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

*[अनुवाद]*

**खाद्य क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय तम्बाकू कम्पनियां**

**934. श्री ए.वी. बेल्लारमिन:**
**श्री सुबोध मोहिते:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ तम्बाकू कम्पनियों को भारत में अपना उत्पाद बेचने तथा खाद्य व्यवसाय शुरू करने हेतु अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ कम्पनियां विशेषकर फिलिप्स मॉरीस इस सुविधा की आड़ में देश में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों का व्यापार/आयात करने के कार्य में संलिप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उनकी गतिविधियां रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**प्लास्टिक की वस्तुओं हेतु कच्चा माल**

**935. श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्लास्टिक की वस्तुओं हेतु कच्चे माल की कीमत में पिछले कुछ महीनों से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कच्चे मालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा घरेलू प्लास्टिक उद्योग के हितों के रक्षार्थ कदम उठाए गए हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) और (ख) जी हां, लगभग सभी प्लास्टिक पॉलीमर्स की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में लगभग 200 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन तक की वृद्धि हुई है। प्लास्टिक पॉलीमर्स वस्तुगत व्यवहार का अनुसरण करते हैं और उनकी कीमतों का निर्धारण मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांत द्वारा होता है।

(ग) से (ङ) जी नहीं, सरकार द्वारा कच्ची सामग्रियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि पेट्रो-रसायन उद्योग नियंत्रण मुक्त तथा लाइसेंस मुक्त हैं और प्लास्टिक वस्तुओं की कच्ची सामग्रियों की कीमतें बाजार आधारित होती हैं।

## लघु उद्योगों हेतु कानून

**936. श्री चन्द्रभान सिंह:** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में राज्य-वार कितनी लघु उद्योग इकाइयां बंद हो चुकी हैं/बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों के संबंध में एक विधेयक/कानून लाने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तीन करोड़ रुपये तक की पूंजी वाले उद्योगों को लघु उद्योगों की श्रेणी में लाने का है;

(घ) लघु उद्योग क्षेत्र में नियोजित लोगों की आजीविका बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) लघु उद्योग क्षेत्र की 25 लाख रु. तक की पूंजी वाली इकाइयों का देश के कुल निर्यात में कितना हिस्सा है?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद):** (क) देश में बंद हो चुके/बंद होने के कगार पर खड़े लघु उद्योगों पर सूचना केन्द्रीय तौर पर तैयार नहीं की जाती है। तथापि, संदर्भ वर्ष 2001-02 के लिए लघु उद्योगों की तृतीय अखिल भारतीय गणना के परिणामों के अनुसार, 31-03-2001 तक पंजीकृत 22,62,401 लघु उद्योग इकाइयों में से 39 प्रतिशत (संख्या 8,87,427) इकाइयां बंद पाई गई थी। इन बंद लघु उद्योग इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने मई 2005 में संसद में "लघु एवं मध्यम उद्यम विकास" विधेयक, 2005 पेश किया था। विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एवं अधिसूचित कर दिया गया है। अधिनियम के अनुसार, एक उद्यम, जिसका संयंत्र और मशीनरी में निवेश 25 लाख रुप. से अधिक, परन्तु पांच करोड़ रु. से कम है, लघु उद्योग के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

(घ) देश में लघु उद्योगों के संवर्धन एवं विकास के लिए प्राथमिक रूप से राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश प्रशासन जिम्मेदार हैं। तथापि, केन्द्र सरकार मुख्यतया लघु उद्योग क्षेत्र में संलग्न लोगों के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से आधारभूत संरचना, क्रेडिट, विपणन, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता विकास के क्षेत्रों में लघु उद्योगों को सहयोग प्रदान करने के लिए कई योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित करती है।

(ङ) विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश के कुल निर्यातों में निर्यातक लघु उद्योगों (25 लाख रु. तक की पूंजी वाली इकाइयों सहित) का भाग लगभग 34 प्रतिशत है।

### *विवरण*

*पंजीकृत लघु उद्योगों की तृतीय अखिल भारतीय गणना, 2001-02 के अनुसार बंद लघु उद्योग इकाइयों का राज्य-वार वितरण*

| क्र. सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | बंद इकाइयों की कुल संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | जम्मू-कश्मीर | 22709 |
| 2. | हिमाचल प्रदेश | 6509 |
| 3. | पंजाब | 82731 |
| 4. | चंडीगढ़ | 1405 |
| 5. | उत्तरांचल | 12100 |
| 6. | हरियाणा | 27546 |
| 7. | दिल्ली | 8357 |
| 8. | राजस्थान | 36847 |
| 9. | उत्तर प्रदेश | 122282 |
| 10. | बिहार | 20525 |
| 11. | सिक्किम | 155 |
| 12. | अरुणाचल प्रदेश | 248 |
| 13. | नागालैंड | 129 |
| 14. | मणिपुर | 1226 |
| 15. | मिजोरम | 1313 |
| 16. | त्रिपुरा | 1077 |
| 17. | मेघालय | 1908 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 18. | असम | 10338 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 26080 |
| 20. | झारखण्ड | 13822 |
| 21. | उड़ीसा | 9708 |
| 22. | छत्तीसगढ़ | 27830 |
| 23. | मध्य प्रदेश | 65649 |
| 24. | गुजरात | 39159 |
| 25. | दमन और दीव | 454 |
| 26. | दादर और नगर हवेली | 423 |
| 27. | महाराष्ट्र | 54243 |
| 28. | आन्ध्र प्रदेश | 38582 |
| 29. | कर्नाटक | 46611 |
| 30. | गोवा | 2327 |
| 31. | लक्षद्वीप | 16 |
| 32. | केरल | 74832 |
| 33. | तमिलनाडु | 127185 |
| 34. | पांडिचेरी | 2586 |
| 35. | अंडमान और निकोबार | 515 |
| | अखिल भारतीय | 8,87,427 |

### विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने हेतु मानदंड

937. श्री पी. करुणाकरन:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के मानदंड काफी कठोर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इन मानदंडों को ढीला बनाने हेतु राज्य सरकारों/विभिन्न सोसाइटियों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) जी, नहीं। विशेष आर्थिक जोनों (एस.ई.जेड्स) की स्थापना के मापदण्डों को एस.ई.जेड. अधिनियम, 2005 और एस.ई.जेड. नियमावली, 2006 में सुनिर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

### ऑनलाइन छात्रवृत्ति

938. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न चरणों पर छात्रों के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति सुविधा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या वर्तमान राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना में संशोधन किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी):** (क) से (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित छात्रवृत्ति स्कीमों के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों के एकाउंट में छात्रवृत्तियों के इलेक्ट्रानिक अदायगी हेतु आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं:

(1) व्यावसायिक अध्ययन हेतु सी.बी.एस.ई. योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम।

(2) अवर स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु सी.बी.एस.ई. योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम।

(3) अपने माता-पिता की इकलौती बालिका संतान हेतु यू.जी.सी. इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति।

(4) विश्वविद्यालय रैंक होल्डरों हेतु यू.जी.सी. स्नातकोत्तर योग्यता छात्रवृत्ति।

छात्र आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के ए.टी.एम. कार्ड/स्मार्ड कार्ड के द्वारा भी पैसे निकाल सकते हैं। यह एक मॉडल प्रणाली साबित होगी।

सामान्यतः नई योजना स्कीमों हेतु नई योजना अवधि के लिए नई संस्वीकृति अपेक्षित होती है तथा उस समय फीडबैक के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। इस बात की संभावना नहीं है कि मौजूदा योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम में संशोधन किया जाएगा।

*[हिन्दी]*

### लापता पाकिस्तानी नागरिक

**939. श्री संतोष गंगवार:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काफी संख्या में पासपोर्टधारी पाकिस्तानी नागरिक लापता हैं और देश के विभिन्न भागों में छिपे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत में छिपे पाकिस्तानी नागरिकों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) और (ख) तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31-12-2005 की स्थिति के अनुसार उन पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की संख्या 4,742 है जो वीजा की वैधता के दौरान वापस नहीं गए और इस प्रकार उन्हें निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरे रहते हुए पाया गया। जहां तक पाकिस्तानी पासपोर्ट धारक लापता पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के राज्य-वार ब्यौरे का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) भारत में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों सहित विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) के अन्तर्गत शक्ति राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्यायोजित की गई है। इसके अतिरिक्त, देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए विशेष अभियान चलाने हेतु उन्हें समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

*[अनुवाद]*

### जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

**940. श्री रघुनाथ झा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि में से करोड़ों रुपए ऐसे कार्यकलापों पर खर्च किए गए जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के मानदंडों के अंतर्गत नहीं आते;

(ख) यदि हां, तो क्या इन करोड़ों रुपयों को अन्य योजनाओं पर खर्च किया गया अथवा सार्वजनिक जमाओं में रखा गया;

(ग) यदि हां, तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की निधियों के दुरुपयोग व उनके अन्यत्र उपयोग के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों की निधियों का भविष्य में दुरुपयोग न हो/अन्यत्र उपयोग न हो?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी):** (क) से (घ) वर्ष 2000 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-I तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-II परियोजनाओं के संबंध में निधियों के विपथन तथा निधियों को सिविल जमा में रखने के कुछ मामले प्रकाश में आए थे। इन मामलों को तत्काल सुलझाया गया था तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले राज्यों को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के वित्तीय मानदंडों का सख्ती से पालन करने और निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे।

### कॉफी का उपभोग

**941. श्री एम. शिवन्ना:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के प्रत्येक राज्य विशेषकर कॉफी उत्पादक राज्यों में कितनी मात्रा में कॉफी का उपभोग हुआ;

(ख) क्या लगभग सभी राज्यों में कॉफी का उपभोग घट रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा देश में कॉफी के उपभोग को बढ़ावा देने हेतु क्या रणनीति बनायी गयी है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्यों में कॉफी की वर्षवार खपत और देश में समग्र खपत निम्नानुसार हैं:-

(मात्रा: मी. टन में)

| वर्ष | कर्नाटक | केरल | तमिलनाडु | आंध्र प्रदेश | देश में कुल खपत |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 17,500 | 11,700 | 22,700 | 13,000 | 70,000 |
| 2004 | 18,000 | 12,500 | 22,000 | 11,500 | 75,000 |
| 2005 | 19,000 | 13,000 | 22,000 | 10,000 | 80,200 |

तथापि चालू वर्ष अर्थात 2006 के लिए आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) यद्यपि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कॉफी की खपत में मामूली गिरावट आई है तथापि कर्नाटक और केरल में कॉफी की खपत तथा देश में समग्र खपत में वृद्धि हो रही है।

(ग) भारत सरकार कॉफी बोर्ड के जरिए "बाजार संवर्धन" संबंधी एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है जिसमें घरेलू खपत बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय उत्सवों और प्रदर्शनियों में भागीदारी, बोर्ड द्वारा उच्च प्रौद्योगिकी रोस्टिंग एवं पैकेजिंग सुविधाओं की स्थापना और बोर्ड के संवर्धन एककों के जरिए बिक्रियों का संवर्धन करना, को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, सरकार कॉफी बोर्ड के जरिए देश के विभिन्न स्थानों में हितबद्ध निजी क्षेत्र/उद्यमियों को कॉफी की खुदरा बिक्री की कला में तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए "काफी शास्त्र कार्यक्रम" चला रही है।

## अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

**942. श्री पी. मोहन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिरासत में हिंसा के लिए क्षतिपूर्ति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सुझाव को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) से (ग) सरकार को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा हिरासत में हिंसा के पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान का सुझाव देते हुए हिरासत में हिंसा के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान के मुद्दे पर सीधे निर्णय देने की कोई जानकारी नहीं है।

## वस्त्र निर्यात

**943. श्रीमती मिनाती सेन:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मद-वार कितनी मात्रा व मूल्य के वस्त्रों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या श्रमिकों की खराब होती स्थिति वस्त्र निर्यात बढ़ाने का अवसर हासिल करने में एक बाधा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने हेतु वस्त्र क्षेत्र में श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):** (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) सरकार अधिक उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए कार्य का स्वस्थ परिवेश बनाने की ओर उचित ध्यान देकर कामगारों के हितों की संरक्षा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है; इससे अधिक निर्यात होगा। वह कामगारों का कल्याण बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम करती आई है ताकि कामगारों, व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। वस्त्र क्षेत्र विशिष्ट कुछ महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं:-

(i) किसी भी मिल के स्थायी रूप से बंद होने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टी.डब्ल्यू.आर.एफ.एस.) प्रचालन में है।

(ii) उद्योग को उनके वस्त्र एककों की स्थापना के लिए विश्व श्रेणी की अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए मौजूदा दो योजनाओं वस्त्र केंद्र अवसंरचना विकास योजना (टी.सी.आई.डी.एस.) और निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना (ए.ई.पी.एस.) का विलय कर एक नई योजना नामतः एकीकृत वस्त्र पार्क योजना शुरू की गई है। इस योजना में प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्रों, शिशु सदन, कैंटीन, कामगारों के होस्टल, श्रमिक विश्राम एवं मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान है।

(iii) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), उसकी सात शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्र (ए.टी.डी.सी.) डिजायन, व्यापार एवं विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कार्मिकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं। प्रबंधकीय स्तर पर ही कुशल और अर्धकुशल कामगारों के मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना से कामगारों की नौकरी की सुरक्षा बढ़ जाती है और इसके अलावा यह गुणवत्ता और उत्पादकता के मामले में कारखाने के उत्पादन में सकारात्मक योगदान करती है।

(iv) वस्त्र समिति इस उद्योग को आईएसओ: 9000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियां; आई.एस.ओ: 14000 पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियां; एसए: 8000 सामाजिक उत्तरदायित्व मानक; पेशे से संबंधित स्वास्थ्य और सुरक्षा मूल्यांकन शृंखला (ओ.एच.एस.ए.एस.: 18001) और अनुपालन एवं आपूर्ति शृंखला प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान कर रही है। विनिर्मात्री कंपनी द्वारा इन प्रणालियों का कार्यान्वयन पर्यावरणीय सामाजिक और गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता दर्शाता है जिसके फलस्वरूप न केवल कार्य का बेहतर वातावरण बनता है जिससे उत्पादकता बढ़ती है बल्कि राष्ट्रीय संविधों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की आवश्यकता का अनुपालन भी होता है।

(v) हथकरघा क्षेत्र में हाल की पहलों में स्वास्थ्य बीमा योजना; जीवन बीमा योजना; समूह बीमा योजना; कौशल उन्नयन उपाय आदि शामिल हैं। हस्तशिल्प क्षेत्र में ऋण गारंटी योजना शुरू की गई है।

***विवरण***

(मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में)

| मदें | 2003-2004 | | 2004-05 | | 2005-06 (अप्रैल-सितम्बर) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **फाइबर (टन)** | | | | | | |
| ऊन | 2338.80 | 13.91 | 3033.36 | 18.85 | 1039.78 | 5.80 |
| कपास | 176705.10 | 202.60 | 70062.82 | 76.78 | 121523.40 | 116.93 |
| एम.एम.एफ. | 57759.97 | 68.48 | 72058.90 | 100.03 | 28432.09 | 39.12 |
| फ्लैक्स एवं जूट | 37633.04 | 8.76 | 54911.58 | 11.34 | 35756.48 | 6.38 |
| रेशम | 71.82 | 1.77 | 92.56 | 1.94 | 98.32 | 1.70 |
| **उप योग** | **274508.73** | **295.52** | **200159.22** | **208.94** | **186850.07** | **169.93** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **फाइबर अपशिष्ट (टन)** | | | | | | |
| ऊन अपशिष्ट | 259.27 | 0.74 | 114.13 | 0.39 | 81.68 | 0.25 |
| कपास अपशिष्ट | 2898.62 | 3.03 | 6537.11 | 7.06 | 3412.40 | 2.84 |
| मानव निर्मित फाइबर के अपशिष्ट | 3111.71 | 2.54 | 3302.02 | 2.84 | 1922.08 | 1.43 |
| रेशम अपशिष्ट | 286.01 | 1.17 | 78.59 | 0.29 | 300.56 | 1.21 |
| **उप योग** | **6555.61** | **7.48** | **10031.85** | **10.58** | **5716.72** | **5.73** |
| **यार्न (टन)** | | | | | | |
| रेशम यार्न | 334.24 | 8.07 | 395.05 | 9.35 | 134.17 | 3.5 |
| जानवरों के बालों के यार्न सहित ऊनी यार्न | 4000.35 | 25.77 | 3991.76 | 27.99 | 2153.11 | 16.08 |
| सूती यार्न (सिलाई धागे सहित) | 466120.81 | 1308.74 | 416923.49 | 1177.07 | 214211.9 | 577.77 |
| मानव निर्मित फिलामेंट यार्न | 117980.51 | 210.44 | 134305.32 | 258.89 | 63972.48 | 131.79 |
| फ्लैक्स एवं जूट | 97174.97 | 59.13 | 130127.74 | 84.46 | 39128.87 | 32.27 |
| 100% गैर-सूती यार्न (सिलाई धागे सहित) | 156800.79 | 347.46 | 143679.15 | 346.11 | 57125.85 | 138.44 |
| **उप योग** | **842411.67** | **1959.61** | **829422.51** | **1903.87** | **376726.38** | **899.65** |
| **फैब्रिक्स (हजार वर्ग मीटर)** | | | | | | |
| रेशम फैब्रिक्स | 40075.61 | 330.73 | 41744.48 | 343.28 | 19770.06 | 174.88 |
| ऊनी फैब्रिक्स | 3128.22 | 17.19 | 3667.84 | 20.78 | 2432.25 | 14.76 |
| सूत के बुने हुए फैब्रिक्स | 772973.27 | 957.93 | 615557.01 | 859.66 | 268107.01 | 357.59 |
| मानव निर्मित वूवन फैब्रिक्स | 628372.91 | 965.51 | 664958.95 | 997.06 | 284333.31 | 421.45 |
| फ्लैक्स एवं जूट | 127752.23 | 66.25 | 124939.03 | 74.02 | 71579.95 | 43.37 |
| पाइल एंड निटेड | 100406.63 | 51.78 | 69863.85 | 41.52 | 34806.075 | 16.95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| विशेष ऊनी फैब्रिक्स | 106262.93 | 111.45 | 88430.63 | 110.79 | 59379.225 | 62.29 |
| **उप योग** | **1776971.80** | **2502.84** | **1609161.79** | **2447.11** | **740407.88** | **1091.3** |
| **आर.एम.जी. (मि.सं.)** | | | | | | |
| सूती | 1557.00 | 4751.83 | 1317.00 | 4707.40 | 783.03 | 2597.54 |
| मानव-निर्मित | 204.00 | 795.03 | 179.00 | 734.52 | 112.45 | 476.1 |
| रेशम | 18.00 | 124.10 | 20.00 | 132.42 | 10.25 | 79.21 |
| ऊन | 98.00 | 285.69 | 40.00 | 343.58 | 21.07 | 184.47 |
| अन्य | 84.00 | 303.00 | 75.00 | 296.52 | 58.4 | 204.77 |
| **उप योग** | **1961.00** | **6259.65** | **1631.00** | **6214.44** | **985.2** | **3542.09** |
| **मेडअप्स (टन)** | | | | | | |
| सूती | 305903.31 | 1237.44 | 245463.53 | 1360.46 | 138202.52 | 757.91 |
| मानव-निर्मित | 10972.07 | 85.24 | 9845.05 | 72.78 | 6317.6 | 47.92 |
| रेशम | 900.22 | 19.17 | 1382.68 | 24.07 | 725.42 | 13.05 |
| ऊन | 1068.69 | 15.33 | 1210.30 | 18.74 | 659.54 | 10.07 |
| अन्य | 124229.53 | 272.25 | 175410.35 | 366.23 | 60624.21 | 218.07 |
| **उप योग** | **443073.82** | **1629.43** | **433311.91** | **1842.28** | **206529.29** | **1047.02** |
| **अन्य वस्त्र** | | | | | | |
| कालीन एवं अन्य फ्लोर कवरिंग (हजार वर्ग मी.) | 132585.85 | 736.13 | 129804.15 | 779.07 | 77087.90 | 445.98 |
| वैडिंग, फेल्ट एंड नॉन वूवन्स और अन्य वस्त्र मदें* | | 125.05 | | 117.57 | | 66.68 |
| **उप योग** | | **861.18** | | **896.64** | | **512.66** |
| कुल योग | | 13515.71 | | 13523.86 | | 7268.58 |

स्रोत: भारतीय विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े, डी.जी.सी.आई. एंड एस. कोलकाता

नोट: * उप समूह के भीतर की सभी मदों की अलग-अलग इकाइयां हैं।

## निराश्रित बच्चों के लिए योजनाएं

**944. श्री विजय कृष्ण:** क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा निराश्रित बच्चों के लिए क्रियान्वित की गई योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सरकार द्वारा उक्त योजनाओं के लिए राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य को राज्य-वार तथा योजना-वार कितना अनुदान जारी किया गया;

(ग) उक्त योजनाओं से राज्य-वार कुल कितने गरीब और निराश्रित बच्चे लाभान्वित हुए;

(घ) क्या बेघर बच्चों के लिए अलग से कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इससे कितने प्रतिशत बच्चे लाभान्वित हुए हैं?

**महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी):** (क) से (ग) निराश्रित बच्चों हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही स्कीमें इस प्रकार हैं:-

(i) बेघर बच्चों हेतु समेकित कार्यक्रम;

(ii) किशोर न्याय कार्यक्रम; तथा

(iii) देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशु गृहों हेतु सहायता।

गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों एवं गैर-सरकारी संगठनों को जारी अनुदान तथा लाभान्वित हुए गरीब एवं निराश्रित बच्चों की कुल संख्या का राज्य-वार तथा स्कीम-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) विवरण उत्तर के भाग (क) से (ग) में दिये गए उत्तर के अनुसार।

(च) बेघर बच्चों की संख्या के संबंध में सरकार के पास सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए, लाभान्वित हुए बच्चों का प्रतिशत निर्धारण करना संभव नहीं है।

### *विवरण-I*

*'बेघर बच्चों हेतु समेकित कार्यक्रम' के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न संगठनों को निर्मुक्त सहायतानुदान तथा लाभार्थी बच्चों की संख्या का राज्य-वार विवरण*

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में) | | | लाभान्वित बच्चों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 124.56 | 124.00 | 105.00 | 6200 | 6105 | 4400 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | असम | 11.65 | 21.07 | 19.33 | 700 | 764 | [illegible] |
| 4. | बिहार | 5.01 | 6.20 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | गोवा | 1.52 | 8.12 | 8.16 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | गुजरात | 120.58 | 112.34 | 71.77 | 5764 | 4866 | 3652 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | हरियाणा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300 | 0 | 0 |
| 11. | झारखण्ड | 3.47 | 5.79 | 6.59 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | कर्नाटक | 37.52 | 58.17 | 55.66 | 1700 | 2100 | 3100 |
| 13. | केरल | 27.50 | 38.19 | 42.91 | 600 | 300 | 662 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 8.57 | 15.50 | 13.89 | 300 | 0 | 0 |
| 15. | महाराष्ट्र | 79.28 | 134.92 | 120.50 | 2220 | 2244 | 1200 |
| 16. | मणिपुर | 4.75 | 13.03 | 7.60 | 200 | 300 | 200 |
| 17. | मेघालय | 2.18 | 10.60 | 4.68 | 0 | 166 | 0 |
| 18. | मिजोरम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | नागालैण्ड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | उड़ीसा | 18.79 | 26.08 | 21.13 | 600 | 600 | 600 |
| 21. | पंजाब | 14.28 | 12.09 | 19.38 | 1100 | 850 | 1200 |
| 22. | राजस्थान | 30.77 | 27.96 | 41.72 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 23. | सिक्किम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | तमिलनाडु | 92.65 | 97.43 | 91.24 | 3403 | 3957 | 3682 |
| 25. | त्रिपुरा | 3.95 | 6.76 | 2.93 | 200 | 200 | 0 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 89.09 | 94.63 | 88.76 | 5250 | 4697 | 5350 |
| 27. | उत्तरांचल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 223.93 | 273.61 | 248.45 | 9793 | 12485 | 12722 |
| 29. | अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | चण्डीगढ़ | 19.84 | 13.16 | 15.16 | 600 | 600 | 600 |
| 31. | दादर व नगर हवेली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | दमन व दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | दिल्ली | 67.88 | 78.76 | 72.21 | 3026 | 3100 | 3134 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पाण्डिचेरी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल | 990.00 | 1178.41 | 1059.07 | 43556 | 44934 | 43088 |

**विवरण-II**

*'किशोर न्याय कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त सहायतानुदान तथा लाभार्थी बच्चों की संख्या का राज्य-वार विवरण*

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में) | | | लाभान्वित बच्चों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 0.00 | 407.93 | 133.73 | 0 | 1062 | 1606 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | असम | 0.00 | 50.00 | 24.11 | 0 | 400 | 400 |
| 4. | बिहार | 43.20 | 0.00 | 103.27 | 836 | 0 | 847 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 54.18 | 90.11 | 34.33 | उ.न. | 528 | 258 |
| 6. | गोवा | 1.25 | 4.95 | 5.35 | 104 | 74 | 87 |
| 7. | गुजरात | 65.91 | 70.00 | 133.98 | 955 | 2381 | 2413 |
| 8. | हरियाणा | 24.80 | 23.59 | 41.55 | 326 | 354 | 327 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | झारखण्ड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | कर्नाटक | 79.41 | 50.31 | 70.95 | 2766 | 2764 | 2341 |
| 13. | केरल | 13.10 | 26.96 | 35.06 | 765 | 700 | 739 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 106.86 | 124.89 | 90.91 | 4072 | 4298 | 711 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | महाराष्ट्र | 742.76 | 752.28 | 682.42 | 19629 | 19659 | 15048 |
| 16. | मणिपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | मेघालय | 9.13 | 9.92 | 6.17 | 76 | 76 | 76 |
| 18. | मिजोरम | 32.37 | 15.78 | 10.51 | 225 | 225 | 225 |
| 19. | नागालैण्ड | 4.56 | 5.76 | 5.76 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | उड़ीसा | 5.43 | 5.73 | 6.00 | 120 | 143 | 130 |
| 21. | पंजाब | 30.56 | 64.96 | 31.94 | 465 | 398 | 474 |
| 22. | राजस्थान | 12.12 | 11.95 | 47.00 | 338 | 284 | 324 |
| 23. | सिक्किम | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 25 | 25 | 25 |
| 24. | तमिलनाडु | 124.68 | 138.18 | 119.86 | 1830 | 1780 | 1625 |
| 25. | त्रिपुरा | 0.04 | 0.02 | 0.80 | 4 | 5 | 5 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 127.35 | 0.00 | 160.58 | 1723 | 0 | 2870 |
| 27. | उत्तरांचल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 80.84 | 50.81 | 166.39 | 2735 | 3525 | 5956 |
| 29. | अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | चण्डीगढ़ | 6.00 | 6.00 | 0.00 | उ.न. | उ.न. | 0 |
| 31. | दादर व नगर हवेली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | दमन व दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | दिल्ली | 70.00 | 59.00 | 90.38 | 1655 | 1758 | 1772 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पाण्डिचेरी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल | 1636.98 | 1971.46 | 2003.38 | 38749 | 40739 | 38359 |

उ.न. : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए हैं।

## विवरण-III

*'देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने हेतु शिशु गृहों के लिए सहायता स्कीम' के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों और संगठनों को निर्मुक्त सहायतानुदान विवरण तथा लाभार्थी बच्चों की संख्या का राज्य-वार*

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में) | | | लाभान्वित बच्चों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 38.63 | – | – | 100 | – | – |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 4.97 | 2.28 | 7.50 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | असम | – | 2.20 | – | – | 10 | – |
| 4. | बिहार | – | 2.11 | 2.19 | – | 10 | 10 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | – | – | – | – | – | – |
| 6. | गोवा | – | – | – | – | – | – |
| 7. | गुजरात | 19.70 | – | 47.44 | 90 | – | 90 |
| 8. | हरियाणा | 3.66 | 4.32 | 1.39 | 10 | 20 | 10 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 4.00 | 2.93 | 4.47 | 10 | 10 | 10 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | – | – | – | – | – | – |
| 11. | झारखण्ड | – | – | – | – | – | – |
| 12. | कर्नाटक | – | 12.84 | – | – | 40 | – |
| 13. | केरल | 22.35 | 18.05 | 11.83 | 30 | 30 | 30 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 4.91 | 7.95 | 6.82 | 10 | 20 | 20 |
| 15. | महाराष्ट्र | 56.34 | 58.50 | 69.04 | 110 | 120 | 130 |
| 16. | मणिपुर | 21.88 | 14.43 | 10.10 | 80 | 30 | 30 |
| 17. | मेघालय | – | 2.20 | – | – | 10 | – |
| 18. | मिजोरम | 4.96 | 8.26 | 10.00 | 10 | 20 | 20 |
| 19. | नागालैण्ड | – | – | – | – | – | – |
| 20. | उड़ीसा | 17.07 | 35.89 | 29.24 | 50 | 60 | 60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | पंजाब | – | – | – | – | – | – |
| 22. | राजस्थान | 7.04 | 7.30 | 4.33 | 30 | 20 | 20 |
| 23. | सिक्किम | – | – | – | – | – | – |
| 24. | तमिलनाडु | – | – | – | – | – | – |
| 25. | त्रिपुरा | 12.37 | 12.02 | 5.00 | 20 | 30 | 20 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | – | 16.36 | – | – | 50 | – |
| 27. | उत्तरांचल | – | – | – | – | – | – |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 7.09 | 9.76 | 2.64 | 30 | 20 | 10 |
| 29. | अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह | – | – | – | – | – | – |
| 30. | चण्डीगढ़ | – | – | – | – | – | – |
| 31. | दादर व नगर हवेली | – | – | – | – | – | – |
| 32. | दमन व दीव | – | – | – | – | – | – |
| 33. | दिल्ली | 3.91 | 5.13 | 11.64 | 10 | 20 | 20 |
| 34. | लक्षद्वीप | – | – | – | – | – | – |
| 35. | पाण्डिचेरी | – | – | – | – | – | – |
| | कुल | 228.88 | 222.53 | 223.63 | 600 | 530 | 490 |

**कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के लिए आबंटन**

**945. श्री पी. राजेन्द्रन:**

**श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-2006 तथा 2004-2005 की तुलना में वर्ष 2006-2007 में आवंटन में कोई कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत देश में राज्य-वार कितने विद्यालय खोले गए हैं/खोले जाने का प्रस्ताव है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी):** (क) से (ग) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जुलाई, 2004 में शुरू की गई थी। वर्ष 2004-05 के लिए आबंटन 100 करोड़ रु. था और वर्ष 2005-06 के लिए आबंटन 225 करोड़ रु. था जिसमें नए स्कूलों की स्थापना की पूंजीगत लागत शामिल की गई थी। वर्ष 2006-07 के लिए मुख्यतः आवर्ती लागतों हेतु 115.20 करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया है।

भारत सरकार द्वारा फरवरी 2006 में 430 विद्यालयों सहित अब तक 1180 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को संस्वीकृति प्रदान की गई है।

**राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज के मानदण्डों में संशोधन**

**946. डा. के.एस. मनोज:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुनामी से खेतों तथा मत्स्य प्रजनन केन्द्रों को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार केरल के विशेष संदर्भ में खेतों तथा मत्स्य प्रजनन केन्द्रों को जगह तथा सहायता देने के लिए बने राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज के मानदण्डों में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) तमिलनाडु और पांडिचेरी में क्रमशः मत्स्य पालन फार्मों के 375 हैक्टेयर क्षेत्र और झींगी (श्रिम्प) फार्मों के 77.08 हैक्टेयर क्षेत्र को हानि पहुंची थी। केरल में, 6 अंडज उत्पत्तिशाला (हैचरीज) को पहुंची क्षति के अतिरिक्त, फार्मों को क्षति का अनुमान 2500 हैक्टेयर लगाया गया है।

(ख) दीर्घकालिक पुनर्वास पर ध्यान दिए जाने और 2005-06 से 2008-09 तक चार वर्षों की अवधि में 9870.25 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ कार्यान्वित किए जाने वाले सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम (टी.आर.पी.) का अनुमोदन हो जाने के कारण, राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज के मानदंडों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। टी.आर.पी. के अंतर्गत, केरल राज्य के लिए मात्स्यिकी सेक्टर हेतु राज्य के लिए मात्स्यिकी सेक्टर हेतु 162.82 करोड़ रुपए की धनराशि उद्दिष्ट की गई है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता है।

*[हिन्दी]*

**बिहार में बड़े उद्योग स्थापित किया जाना**

**947. श्री गिरिधारी यादव:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1962 के बाद से बिहार में कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस राज्य में कोई बड़ा उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार):** (क) बिहार राज्य के संबंध में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में उपलब्ध और रखे जा रहे आंकड़ों के अनुसार, लाइसेंसमुक्त क्षेत्र में कुल 218 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्राप्त हुए थे, जिनमें 9,951 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश अंतर्ग्रस्त है तथा अगस्त, 1991 से जून, 2006 के दौरान 33 आशय पत्र/प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे जिनमें 1462 करोड़ रुपये का निवेश अंतर्ग्रस्त है।

(ख) और (ग) उदारीकृत आर्थिक वातावरण में निवेश संबंधी निर्णय उद्यमियों द्वारा तकनीकी-आर्थिक विचारों तथा अवसंरचना संबंधी सुविधाओं तथा अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर प्रेरक वातावरण का सृजन करने में राज्य सरकारों की पहलों के आधार पर लिए जाते हैं। केन्द्र सरकार इनके प्रयासों में यथासंभव मदद करती है।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड**

**948. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:**
**श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अपहरणकर्ताओं के विरुद्ध तुरन्त कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को सर्वप्रथम उपलब्ध वायुयान की कमान सम्भालने में सक्षम बनाने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि 25 जून, 2006 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एन.एस.जी. की विशेषकर इसकी गतिविधियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान कर एन.एस.जी. ईकाई को मोबाइल बनाने की आवश्यकता का भी अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) से (घ) नागर विमानन मंत्रालय/गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन.एस.जी.) को उपयुक्त वायुयान की व्यवस्था करने हेतु समुचित प्रक्रिया मौजूद है।

**हस्तशिल्प का निर्यात**

949. **श्री हरिभाऊ राठौड़:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय हस्तशिल्प के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार अच्छा है;

(ग) ऐसे उत्पाद किन-किन देशों को निर्यात किये जा रहे हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष निर्यात की गई वस्तुओं की प्रतिशतता कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार यूरोप के देशों में हस्तशिल्प वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष उपाय करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):** (क) हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए नए हस्तशिल्प विशिष्ट आर्थिक जोन्स (एस.ई.जेड.) स्थापित करने, सजावटी सामान के शुल्क मुक्त आयात की हकदारी उपलब्ध कराना आदि की परिकल्पना की गई है। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव व मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम के अंतर्गत विशेष धनराशि का निर्धारण किया जाएगा। इसके अलावा 250.00 करोड़ रुपये की घटाई गई न्यूनतम सीमा के साथ निर्यात उत्कृष्टता के नए शहर अधिसूचित किए जाएंगे।

(ख) जी, हां। भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात का अच्छा अंतराष्ट्रीय बाजार है।

(ग) जिन प्रमुख देशों को हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात किया जाता है वे हैं संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, नीदरलैण्ड, साऊदी अरब और स्विटजरलैण्ड।

(घ) अखिल भारतीय निर्यात की तुलना में पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्पों के निर्यात का प्रतिशत इस प्रकार है:-

| | | |
|---|---|---|
| 2003-04 | – | 3.59% |
| 2004-05 | – | 3.60% |
| 2005-06 | – | 3.19% |

(ङ) और (च) जी हां, स्विटजरलैण्ड, बेल्जियम, स्पेन, फ्रांस और इटली आदि जैसे देशों में भारत संवर्धन कार्यक्रमों के माध्यम से यूरोपीय देशों में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

**राष्ट्रीय शिक्षा आयोग**

950. **श्री के.सी. पलनिसामी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब तक गठित हो जाने की संभावना है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

**मुम्बई में हीरा उद्योग**

951. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
**श्री रवि प्रकाश वर्मा:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुम्बई में हीरा व्यापार का औसत वार्षिक कुल कारोबार कितना है; और

(ख) राज्य में हाल ही में हुए बम धमाकों के कारण हीरा उद्योग को कितना नुकसान हुआ है तथा इनका व्यापार पर क्या असर पड़ा है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन

परिषद (जी.जे.ई.पी.सी.) जो व्यापार का एक प्रतिनिधि निकाय है, के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान मुम्बई से 11,566.98 मिलियन अम. डालर के तराशे हुए और पॉलिश किए हुए हीरों का निर्यात किया गया था।

(ख) जी.जे.ई.पी.सी. के अनुसार, मुम्बई में हाल के बम धमाकों के कारण हीरा उद्योग को कोई बड़ा वित्तीय घाटा नहीं हुआ था। हीरों के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

*[अनुवाद]*

**भूकम्प संबंधी प्रशिक्षण**

952. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भूकम्प से निपटने के लिए उच्च भूकम्प संवेदी क्षेत्रों में कार्यरत सिविल अभियंताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन-किन राज्यों में अब तक पहल की गई है; और

(ग) ऐसी गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित संगठनों/विभागों के क्या नाम हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) से (ग) संरचनात्मक इंजीनियरों के प्रशिक्षण द्वारा भूकम्प सुरक्षित निर्माण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने भूकम्प जोखिम प्रबंधन में इंजीनियरों के क्षमता-निर्माण हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया है। कार्यक्रम में 420 प्रशिक्षक इंजीनियरों और 10000 सेवारत सिविल इंजीनियरों के प्रशिक्षण की परिकल्पना है और इसे सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान और राज्य इंजीनियरिंग कॉलेज इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

**चाय के छोटे उत्पादकों के लिए राजसहायता**

953. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चाय के छोटे उत्पादकों के लिए चार महीने की अवधि के लिए मूल्य राजसहायतां योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत कितने किसान लाभान्वित हुए हैं तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि खर्च की गई है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) और (ख) जी हां। लघु चाय उपजकर्ताओं के लिए कीमत सब्सिडी स्कीम चार महीने की अवधि अर्थात् फरवरी से मई, 2004 तक के लिए शुरू की गई थी। इस स्कीम से कुल लगभग 47,888 उपजकर्ता लाभान्वित हुए थे और 20.54 करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में वितरित की गई थी।

**शिक्षा सुविधाओं के उन्नयन के लिए विश्व बैंक वित्त-पोषित परियोजना**

954. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने शिक्षा सुविधा परियोजनाओं के उन्नयन के लिए 1800 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विश्व बैंक से प्राप्त धनराशि का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी):** (क) से (च) मानव संसाधन विकास मंत्रालय शैक्षिक सुविधाओं के स्तरोन्नयन हेतु विश्व बैंक से क्रमशः 364 करोड़ रु. और 1550 करोड़ रु. की सहायता से भारत सरकार की दो परियोजनाएं नामतः तकनीशियन शिक्षा परियोजना III (तकनीकी शिक्षा III) और तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

तकनीकी शिक्षा-III जनवरी, 2001 में शुरू की गई थी इसमें 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ शासित प्रदेश के 21 पॉलिटेक्निकों को शामिल किया गया है। यह परियोजना जून, 2007 में समाप्त हो जाएगी।

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम मार्च, 2003 में

शुरू हुआ था। इसमें 13 राज्यों नामतः आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 18 केन्द्रीय वित्त पोषित संस्थाएं और 110 राज्य संस्थाएं शामिल की गई। यह परियोजना जून, 2008 में समाप्त हो जाएगी।

तकनीकी शिक्षा III और तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए निर्धारित राशि क्रमशः जून, 2007 और जून, 2008 तक उपयोग कर ली जाए।

**औद्योगिक इकाइयों का बंद होना**

**955. श्री ए. साई प्रताप: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी तथा सरकारी क्षेत्र की कितनी कंपनियां बंद हो गई हैं तथा बी.आई.एफ.आर. को सौंपी गई हैं तथा उनके राज्य-वार विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में नाम क्या हैं; और

(ख) इन उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार):** (क) औद्योगिक तथा वित्तीय पनर्निर्माण ब्यूरो (बी.आई.एफ.आर.) से प्राप्त सूचना के अनुसार 30-4-2006 को बी.आई.एफ.आर. के पास निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की 5315 कंपनियां पंजीकृत हैं। राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) एक नीतिगत व्यवस्था उपलब्ध कराने के अलावा, जो उद्योगों की वृद्धि एवं विकास में सुविधा प्रदान करती है तथा उसका पोषण करती है, रूग्ण औद्योगिक एककों के पुनरूज्जीवन के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) की स्थापना करना तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता के लिए तथा स्वस्थ्य एककों के साथ रूग्ण एककों के समामेलन के लिए बैंकों को दिशा-निर्देश जारी करना शामिल है। जहां व्यवहार्य होता है बी.आई.एफ.आर. के पास पंजीकृत एककों के पुनरूज्जीवन के लिए पुनर्वास योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जाती है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी की संरचना, प्रवर्तकों द्वारा नई निधियों का समावेश, सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के लिए सरकारी सहायता, अन्य कंपनियों के साथ विलय, देय राशि के बारे में पुनः व्यवस्था करके वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा सरकार द्वारा राहत व रियायतें और प्रबंधन में परिवर्तन करना शामिल है।

**विवरण**

*औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की राज्यवार-सूची दिनांक 30-4-2006 की स्थिति अनुसार*

पृष्ठ सं. : 1

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| **आन्ध्र प्रदेश** | | |
| 1. | 602/1992 | सिंगरेनी कोल्लियरीज् लि. |
| 2. | 613/1992 | ए.पी. स्टील्स लि. |
| 3. | 627/1992 | ए.पी. हैवी मशीनरी एंड इंजीनियरिंग लि. |
| 4. | 631/1992 | हैदराबाद ऑलविन लि. |
| 5. | 601/1993 | ए.पी. स्कूटर लिं. |
| 6. | 605/1993 | रिपब्लिक फोर्ज |
| 7. | 609/1993 | सदर्न ट्रांसफार्मर्स एंड इलेक्ट्रिकल लि. |
| 8. | 504/1994 | सदर्न पेस्टिसाइड्स कार्प. लिं. |
| 9. | 507/1994 | हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लि. |
| 10. | 601/1995 | मैरीन एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रोनिक (आई) |
| 11. | 605/1995 | सदर्न ट्रांसफार्मर्स एंड इले. लि. |
| 12. | 504/1998 | प्राग टूल्स लिमिटेड |
| 13. | 502/2005 | एच.एम.टी. बियरिंग्स लि. |
| **बिहार** | | |
| 1. | 515/1992 | फर्टिलाइजर कार्प. ऑफ इंडिया लि. |
| 2. | 625/1992 | निरंजन टैक्सटाइल्स लि. |
| 3. | 502/1993 | माइका ट्रेडिंग कार्प. ऑफ इंडिया |
| 4. | 622/1993 | बिहार स्कूटर्स लि. |
| 5. | 604/1994 | कुमारधुबी मैटल कास्टिंग एंड इंजी. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 6. | 501/2001 | भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कं. लि. |
| **गोवा** | | |
| 1. | 601/1997 | गोवा एन्टीबायोटिक्स फार्मास्युटिकल्स लि. |
| 2. | 601/2002 | गोवा आटो एक्सेसरीज लि. |
| **गुजरात** | | |
| 1. | 535/1992 | एन.टी.सी. (गुजरात) लि. |
| 2. | 615/1993 | गुजरात स्टेट टैक्सटाइल कार्पो. लि. |
| 3. | 607/1994 | गुजरात डेरी डिवेलपमेंट कार्पो. |
| 4. | 603/2002 | गुजरात कम्युनिकेशन इलेक्ट्रोनिक्स लि. |
| **हरियाणा** | | |
| 1. | 503/1992 | आई.डी.पी.एल. |
| 2. | 611/1995 | हरियाणा कॉन्कास्ट लि. |
| **हिमाचल प्रदेश** | | |
| 1. | 620/1993 | हिमाचल प्रदेश एग्रो इंड. कार्पो. |
| **झारखंड** | | |
| 1. | 511/1992 | हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि. |
| 2. | 521/1992 | प्रोजेक्ट एंड डिवेलपमेंट इंडिया लि. |
| 3. | 525/1992 | भारत रेफ्रेक्टरीज लि. |
| 4. | 537/1992 | इंडिया फायरब्रिक्स इंड. इंसुलेशन कं. लि. |
| 5. | 504/1995 | भारत कुकिंग कोल लि. |
| 6. | 503/1999 | पायरराइट्स, फास्फेट्स इंड. केमिकल्स लि. |
| 7. | 502/2001 | भारत कुकिंग कोल लि. |
| 8. | 502/2002 | सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| **केरल** | | |
| 1. | 604/1992 | आटोकास्ट लि. |
| 2. | 605/1992 | केल्ट्रॉन रेक्टिफायर्स लि. |
| 3. | 606/1992 | केल्ट्रॉन पावर डिवासेस् लि. |
| 4. | 608/1992 | स्टील एंड इंडस्ट्रियल फोर्जिंग लि. |
| 5. | 614/1992 | स्टील कॉम्पलेक्स लि. |
| 6. | 619/1992 | केल्ट्रॉन कंट्रीज लि. |
| 7. | 621/1992 | केरला स्टेट डिटर्जेंट एंड कैमिकल्स लि. |
| 8. | 623/1992 | केल्ट्रॉन इलेक्ट्रो सिरेमिक |
| 9. | 626/1992 | केरला स्टेट सैलीसाइलेट्स एंड कैमिकल्स लि. |
| 10. | 628/1992 | केरला मिनरल्स एंड मैटल्स लि. |
| 11. | 630/1992 | केरला आटोमोबाइल्स लि. |
| 12. | 603/1993 | केरला स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. |
| 13. | 604/1993 | केरला वुड इंडस्ट्रीज लि. |

*औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची-राज्यवार दिनांक 30-4-2006 की स्थिति अनुसार*

पृष्ठ सं. : 2

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 14. | 612/1993 | त्रवनकोर प्लाइवुड इंडस्ट्रीज लि. |
| 15. | 617/1993 | त्रिवेन्द्रम स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 16. | 621/1993 | केरला सोप्स एंड ऑयल्स लि. |
| 17. | 608/1995 | दि त्रवनकोर शुगर्स एंड कैमिकल्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 18. | 610/1995 | ट्रांसफार्मर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स केरला लि. |
| 19. | 602/1996 | केल्ट्रॉन क्रिस्टल्स लि. |
| 20. | 604/1999 | केरला हाइटैक इंडस्ट्रीज लि. |
| 21. | 602/2002 | त्रावनकोर-कोचीन कैमिकल्स लिमिटेड |
| 22. | 605/2002 | केरला स्टेट इलेक्ट्रोनिक डिवे. कार्पो. लि. |
| 23. | 601/2003 | केल्ट्रॉन क्रिस्टल्स लि. |
| 24. | 604/2003 | केरला स्टेट टैक्सटाइल कार्पो. लि. |
| 25. | 605/2003 | केल्ट्रॉन कम्पोनेंट काम्पलेक्स लि. |
| 26. | 602/2004 | सीताराम टैक्सटाइल लि. |
| 27. | 603/2004 | केरला इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंज. कं. लि. |
| 28. | 601/2005 | ट्रैको केबल कंपनी लि. |
| 29. | 602/2005 | स्टील इंडस्ट्रियल केरला लि. |
| **कर्नाटक** | | |
| 1. | 505/1992 | भारत गोल्ड माइन्स लि. |
| 2. | 512/1992 | विज्ञान इंडस्ट्रीज लि. |
| 3. | 522/1992 | मंड्या नेशनल पेपर लि. |
| 4. | 534/1992 | नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन लि. (ए.पी.के.के.एम.) |
| 5. | 629/1992 | कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लि. |
| 6. | 608/1993 | कर्नाटक इंप्लीमेंटस एंड मशीनरी कं. लि. |
| 7. | 602/1994 | एन.जी.ई.एफ. लि. |
| 8. | 604/1995 | कर्नाटक सिल्क इंडस्ट्रीज कार्पो. लि. |
| 9. | 606/1995 | कर्नाटक स्टेट टैक्सटाइल्स लि. |
| 10. | 603/1996 | दि मैसूर लैंप वर्क्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 11. | 605/1996 | दि मैसूर लैंप वर्क्स लि. |
| 12. | 603/1997 | कर्नाटक टेलीकॉम लि. |
| 13. | 602/1999 | कर्नाटक स्टेट वनीयर्स लि. |
| 14. | 603/1999 | दि मैसूर एसिटेट एंड कैमिकल्स कं. लि. |
| 15. | 504/2004 | आई.टी.आई. लि. |
| 16. | 505/2004 | तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि. |
| 17. | 601/2004 | मैसूर शुगर कंपनी लि. |
| 18. | 501/2006 | एच.एम.टी. मशीन टूल्स लि. |
| **मध्य प्रदेश** | | |
| 1. | 501/1993 | एन.टी.सी. (एम.पी.) |
| 2. | 503/1994 | इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री लि. |
| 3. | 501/1996 | सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया |
| 4. | 502/1998 | नेपा लिमिटेड |
| 5. | 603/2005 | आप्टेल टेलीकम्युनिकेशंस लि. |
| **महाराष्ट्र** | | |
| 1. | 509/1992 | रिचर्डसन कुडास लि. |
| 2. | 513/1992 | नेशनल बाइसाकल कार्पो. ऑफ इंडिया लि. |
| 3. | 536/1992 | एन.टी.सी. (महाराष्ट्र उत्तर) लि. |
| 4. | 615/1992 | महाराष्ट्र स्टेट टैक्स. कार्पो. लि. |
| 5. | 617/1992 | देवगिरी टैक्सटाइल मिल्स |
| 6. | 622/1992 | टैक्सटाइल कार्प. (मराठवाड़ा) लि. |
| 7. | 505/1993 | एन.टी.सी. (साउथ महाराष्ट्र) लि. |
| 8. | 507/1993 | एन.टी.सी. (साउथ महाराष्ट्र) कोहिनूर मिल्स |
| 9. | 616/1993 | शायाद्री ग्लास वर्क्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 10. | 624/1993 | दि प्रताप स्पि., वीविंग एंड मैन्यु. कं. लि. |
| 11. | 625/1993 | पुलगांव कॉटन मिल्स लि. |
| 12. | 626/1993 | कलमेश्वर टैक्सटाइल मिल्स लि. |
| 13. | 502/1996 | महाराष्ट्र एंडीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स |
| 14. | 501/1997 | हिन्दुस्तान एंटीबयोटिक्स लि. |
| 15. | 603/1998 | महाराष्ट्र स्टेट ऑयलसीड्स कमर्शियल ए.एन. |
| 16. | 605/1999 | महाराष्ट्र इलेक्ट्रोनिक्स कार्पो. लि. |
| 17. | 601/2001 | देवगिरि टैक्सटाइल मिल्स लि. |
| 18. | 501/2002 | महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड |
| 19. | 606/2002 | कमलेश्वर टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड |
| 20. | 502/2003 | महाराष्ट्र इलोक्ट्रोस्माल्ट लि. |
| 21. | 602//2003 | वेस्टर्न महाराष्ट्र देव. कार्पो. लि. |
| 22. | 603/2003 | महाराष्ट्र स्टेट टैक्स. कार्पो. लि. |
| 23. | 606/2003 | देवगिरी टैक्स. मिल्स लि. |
| 24. | 501/2005 | हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स कैमिकल्स लि. |
| **मणिपुर** | | |
| 1. | 504/1997 | मणिपुर राज्य ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स |
| **मेघालय** | | |
| 1. | 601/1998 | नागालैंड पल्प एंड पेपर्स कं. लि. |
| **एन.सी.टी. दिल्ली** | | |
| 1. | 501/1994 | एन.टी.सी. (डी.पी.आर.) लि. |
| 2. | 502/1999 | हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कार्पो. लि. |
| 3. | 501/2004 | हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइडस लि. |
| 4. | 503/2004 | भारत हैवी प्लॉट्स एंड वेसल्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| **नागालैंड** | | |
| 1. | 502/1992 | नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लि. |
| **उड़ीसा** | | |
| 1. | 514/1992 | उड़ीसा ड्रग एंड कैमिकल्स लि. |
| 2. | 624/1992 | इपिट्रान लि. |
| 3. | 611/1993 | एबीएस स्पिनिंग उड़ीसा लि. |
| 4. | 613/1993 | ओरिकैम लि. |
| 5. | 614/1993 | उड़ीसा टैक्सटाइल मिल्स |
| 6. | 604/1996 | एबीएस स्पिनिंग उड़ीसा लि. |
| 7. | 602/1998 | आईडीकॉल पाइपिंग एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लि. |
| 8. | 604/1998 | आईडीकॉल सीमेंट लिमिटेड |
| **पंजाब** | | |
| 1. | 607//1993 | पंजाब स्टेट होजरी एंड निटवेयर डेव. |
| 2. | 603/1994 | पंजाब स्पिन. एंड वीविंग मिल्स लि. |
| 3. | 608/1994 | पंजाब पावर पैक्स लि. |
| 4. | 605/1998 | इलेक्ट्रोनिक्स सिस्टम्स पंजाब लिमिटेड |
| 5. | 607/2002 | एच.पी.एच.पी.एम.पी.सी. लि. |
| 6. | 607/2003 | पंजाब डिजिटल इंडस्ट्रियल सिस्टम्स लि. |
| **राजस्थान** | | |
| 1. | 509//1993 | इंस्ट्रुमेंटेशन लि. |
| 2. | 610/1993 | राजस्थान स्टेट एग्रो. इंड. कार्पो. लि. |
| 3. | 502/2000 | हिन्दुस्तान साल्ट्स लि. |
| **तमिलनाडु** | | |
| 1. | 601/1992 | तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इक्सप्लोसिव लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 2. | 610/1992 | सदर्न स्ट्रक्चरल लि. |
| 3. | 601/1994 | तमिलनाडु टैक्सटाइल कार्पो. लि. |
| 4. | 503/1995 | हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु. कं. लि. |
| 5. | 612/1995 | तमिलनाडु मैगनीशियम एंड मैरीन कैमिकल्स |
| 6. | 606/1999 | तमिलनाडु शुगर कार्पोरेशन लि. |
| 7. | 607/1999 | पेराम्बलूर शुगर मिल्स लि. |
| 8. | 604/2002 | तमिलनाडु सीमेंट्स कार्पोरेशन लिमिटेड |
| 9. | 502/2004 | नेशनल टैक्सटाइल कार्पो. (टी.एन. एंड पॉन) लि. |
| **त्रिपुरा** | | |
| 1. | 616/1992 | त्रिपुरा जूट मिल्स लि. |
| 2. | 503/1997 | नार्थ ईस्टर्न रीजनल मार्केटिंग कार्पो. लि. |
| **उत्तर प्रदेश** | | |
| 1. | 501/1992 | भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लि. |
| 2. | 504/1992 | स्कूटर्स इंडिया लि. |
| 3. | 506/1992 | टैनरी एंड फुटवेयर कं. लि. |
| 4. | 507/1992 | त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लि. |
| 5. | 518/1992 | ब्रिटिश इंडिया कार्पो. लि. |
| 6. | 519/1992 | दि एल्जिन मिल्स लि. |
| 7. | 527/1992 | कॉनपोर टैक्सटाइल्स लि. |
| 8. | 530/1992 | यू.पी. ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. |
| 9. | 603/1992 | यू.पी. इंस्ट्रुमेंट लि. |
| 10. | 607/1992 | यू.पी. स्टेट सीमेंट कार्पो. लि. |
| 11. | 609/1992 | यू.पी. टायर्स एंड ट्यूब्स लि. |
| 12. | 612/1992 | यू.पी. स्टेट स्पिनिंग कं. लि. |
| 13. | 618/1992 | भदोही वूलन्स लि. |
| 14. | 620/1992 | यू.पी. स्टेट यार्न लि. |
| 15. | 632/1992 | श्री ट्रॉन इंडिया लि. |
| 16. | 633/1992 | अप्ट्रॉन इंडिया लि. |
| 17. | 504/1993 | एन.टी.सी. (यू.पी.) लि. |
| 18. | 508/1993 | एंथरटन मिल्स |
| 19. | 602/1993 | इंडियन टरपेंटाइन एंड रेजिन लि. |
| 20. | 619/1993 | यू.पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कार्पो लि. |
| 21. | 606/1994 | अपट्रॉन इंडिया लि. |
| 22. | 609/1994 | यू.पी. स्टेट टैक्सटाइल कार्पो. लि. |
| 23. | 501/1995 | स्वदेशी माइनिंग एंड मन्यु. कं. लि. |
| 24. | 602/1995 | नंदगंज सिबोरी शुगर कं. लि. |
| 25. | 603/1995 | छाता शुगर कं. लि. |
| 26. | 607/1995 | घटंपुर शुगर कं. लि. |
| 27. | 609/1995 | उत्तर प्रदेश शुगर कार्पो. लि. |
| 28. | 601/1996 | नंदगंज सिरोही शुगर कं. लि. |
| 29. | 502/1997 | भारत इम्यूनोलोजिकल्स एंड बायोलोजिकल्स कार्पो. |
| 30. | 602/1997 | छाता शुगर कं. लि. |
| 31. | 503/1998 | भारत इम्यूनोलोजिकल्स एंड बायोलोजिकल्स कार्पो. |
| 32. | 601/2000 | ऑटो ट्रैक्टर्स लि. |
| 33. | 602/2000 | अप्ट्रॉन पावर ट्रोनिक्स लि. |
| **उत्तरांचल** | | |
| 1. | 611/1992 | यू.पी. कार्बाइड एंड कैमिकल्स |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| **पश्चिम बंगाल** | | |
| 1. | 508/1992 | साइकिल कार्पो. ऑफ इंडिया लि. |
| 2. | 510/1992 | माइनिंग एंड अलाइड मशीनरी कार्पो. लि. |
| 3. | 517/1992 | बीका जॉरी |
| 4. | 520/1992 | भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजी. |
| 5. | 523/1992 | टायर कार्पोरेशन लि. |
| 6. | 524/1992 | वेबर्ड इंडिया लि. |
| 7. | 526/1992 | भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स |
| 8. | 528/1992 | ब्रेथवेट लि. |
| 9. | 529/1992 | स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मा. लि. |
| 10. | 531/1992 | नेशनल इंस्ट्रुमेंट लि. |
| 11. | 532/1992 | भारत आप्थैल्मिक ग्लास लि. |
| 12. | 533/1992 | बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मा. लि. |
| 13. | 538/1992 | बंगाल इम्युनिटी लि. |
| 14. | 503/1993 | एन.टी.सी. (पश्चिम बंगाल एबी एंड ओ) |
| 15. | 506/1993 | नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरस एसोसिएशन |
| 16. | 502/1994 | दामोधर सीमेंट एंड स्लैग लि. |
| 17. | 505/1994 | दि इंडियान आयरन एंड स्टील कं. लि. |
| 18. | 506/1994 | रेरोले बर्न लि. |
| 19. | 508/1994 | बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लि. |
| 20. | 502/1995 | जेस्सोप एंड कं. लि. |
| 21. | 501/1998 | ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लि. |
| 22. | 501/1999 | बर्ड्स जूट एंड इक्सपोर्ट्स लि. |
| 23. | 501/2000 | ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. |
| 24. | 503/2002 | हिन्दुस्तान केबल्स लि. |
| 25. | 504/2002 | बीको लॉरी लि. |
| 26. | 505/2002 | हिन्दुस्तान केबल्स लि. |
| 27. | 501/2003 | एंड्रू यूले एंड कंपनी लि. |
| **असम** | | |
| 1. | 516/1992 | हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पो. लि. |
| 2. | 606/1993 | असम पालीटैक्स लि. |
| 3. | 618/1993 | असम स्पन सिल्क मिल्स लि. |
| 4. | 623/1993 | असम सिन्टैक्स |
| 5. | 601/1999 | असम स्टैक टैक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड |

*औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची-राज्यवार दिनांक 30-4-06 की स्थिति अनुसार*

पृष्ठ सं. : 1

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** | | |
| 1. | 3/2006 | एवी अलॉइज लि. |
| **आन्ध्र प्रदेश** | | |
| 1. | 3/1987 | चल्लनपल्ली शुगर |
| 2. | 30/1987 | श्री मैन्यु. कं. लि. |
| 3. | 56/1987 | आन्ध्रा फाउंड्री |
| 4. | 60/1987 | गलादा कन्टीन्यूअस कास्टिंग्स |
| 5. | 91/1987 | पेन्नार पेपर्स |
| 6. | 109/1987 | डी.बी.आर. मिल्स |
| 7. | 118/1987 | पैनगंगा ऑयल्स |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 8. | 119/1987 | अवंती लैदर्स लि. |
| 9. | 135/1987 | इलैक्ट्रो थर्मिक्स |
| 10. | 138/1987 | आदिवासी पेपर्स लि. |
| 11. | 145/1987 | वेन्निलाइन फाइन कैम |
| 12. | 161/1987 | तेलंगाना पेपर मिल्स लि. |
| 13. | 179/1987 | यूनिवर्सल वायर |
| 14. | 185/1987 | मैटेंगकास्ट लि. |
| 15. | 200/1987 | कृषि एंजीनर्स लि. |
| 16. | 206/1987 | नागार्जुन पेपर मिल्स लि. |
| 17. | 211/1987 | पी.जे. कैमिकल्स लि. |
| 18. | 212/1987 | एल.डी. स्टेल (हैद.) लि. |
| 19. | 216/1987 | आन्ध्रा सिंथेटिक्स एंड एन्टीबायोटिक्स लि. |
| 20. | 233/1987 | कृलांपुडी शुगर मिल्स |
| 21. | 234/1987 | ए.पी. रेफ्रेक्टरीज लि. |
| 22. | 239/1987 | मोपेड्स इंडिया लि. |
| 23. | 250/1987 | वोलरो लि. |
| 24. | 253/1987 | पूर्ण एग्रो इंड. एंड आयल्स लि. |
| 25. | 263/1987 | साहनी स्टील एंड प्रेस वर्क्स लि. |
| 26. | 300/1987 | सरसिल्क |
| 27. | 303/1987 | क्राउन कास्टिंग (प्रा.) लि. |
| 28. | 12/1988 | इंसुलेशन्स एंड प्लास्ट |
| 29. | 18/1988 | आन्ध्रा कॉटन मिल्स |
| 30. | 21/1988 | क्लेमैन पोर्सलीन |
| 31. | 24/1988 | यूनिलॉयड्स लि. |
| 32. | 26/1988 | श्रीकृष्ण ऑयल काम्पलेयस |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 33. | 37/1988 | श्रीरामचन्द्र टूल्स लि. |
| 34. | 42/1988 | गोलकुंडा एब्रेसिव्स लि. |
| 35. | 45/1988 | गार्डियन पेपर्स लि. |
| 36. | 51/1988 | आन्ध्र प्रदेश रेयॉन्स लि. |
| 37. | 56/1988 | ए.पी. कार्बाइड्स लि. |
| 38. | 60/1988 | श्री लक्ष्मी सरस्वती पेपर्स लि. |
| 39. | 80/1988 | सुब्बाराय सप्लवेन्ट |
| 40. | 85/1988 | सुगन्ति एलॉय कास्टिंग्स लि. |
| 41. | 109/1988 | नीको एग्रो ऑयल प्रोडक्ट्स |
| 42. | 112/1988 | नीलम स्टील्स लि. |
| 43. | 113/1988 | सरकार पेपर मिल्स लि. |
| 44. | 136/1988 | डक्ट्रॉन कास्टिंग्स लि. |
| 45. | 138/1988 | नागार्जुन कोटेड ट्यूब्स लि. |
| 46. | 139/1988 | गंगप्पा इंडस्ट्रीज |
| 47. | 147/1988 | विशाखा वायर रोप्स |
| 48. | 159/1988 | डेल्ही ट्यूब्स |
| 49. | 160/1988 | कोरोमंडल फार्मास्यूटिकल्स |
| 50. | 186/1988 | पार्थसारथी सीमेंट (गोल्डस्टार सीमेंट) |
| 51. | 200/1988 | ए.आर.पी.के.जी. सिस्टम लि. |
| 52. | 204/1988 | आर.जी. फाउंड्री फोर्ज |
| 53. | 214/1988 | सनसिप लि. |
| 54. | 226/1988 | श्री मुरली स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 55. | 253/1988 | उप्पलपति सॉलवेन्ट ऑयल्स प्रा. लि. |
| 56. | 257/1988 | कृष्णा फ्रूटस प्रोडक्ट्स |
| 57. | 258/1988 | नेलिमरला जूट |
| 58. | 265/1988 | साहनी पेरिस रोन लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 59. | 275/1988 | सूर्यचन्द्र पेपर मिल्स |
| 60. | 300/1988 | ग्रीव्स सेमी कंडक्टर्स लि. |
| 61. | 1/1989 | सत्य स्टील लि. |
| 62. | 25/1989 | ए.पी. इंड. गैसेस |
| 63. | 30/1989 | सेवन स्टार फूड प्रोडक्ट्स |
| 64. | 42/1989 | श्री बजरंग जूट मिल्स |
| 65. | 47/1989 | सदर्न फार्मेट्स |
| 66. | 67/1989 | डेल्टा पेपर मिल्स लि. |
| 67. | 70/1989 | विनेडेल डिस्टिलरीज |
| 68. | 76/1989 | यूनिवर्सल टाइल्स |
| 69. | 81/1989 | डेक्कन ड्रग्स |
| 70. | 86/1989 | आन्ध्रा फर्टिलाइजर्स |
| 71. | 93/1989 | जयलक्ष्मी काटन एण्ड ऑयल प्रोडक्ट्स |
| 72. | 100/1989 | श्री रारयलसीमा पेपर मिल्स |
| 73. | 107/1989 | वेशु इंजी. |
| 74. | 116/1989 | पन्यम सीमेंट्स एण्ड मिनरल इंड. |
| 75. | 141/1989 | सुवर्ण सीमेंट्स |
| 76. | 145/1989 | प्रीमियम ट्यूब्स लि. |
| 77. | 155/1989 | रासी सिरेमिक इंड. |
| 78. | 170/1989 | अन्नवरम स्पिनिंग मिल्स |
| 79. | 190/1989 | जय ऑर्गेनिक्स |
| 80. | 194/1989 | जी.एस.बी. फोर्ज |
| 81. | 196/1989 | आन्ध्रा सिंटर लि. |
| 82. | 198/1989 | माडर्न स्ट्रामिट (इंडिया) |
| 83. | 200/1989 | डेक्सो लेबोरेटरीज |
| 84. | 1/1990 | बाइमैटिलिक स्टील एंड एलॉइज |
| 85. | 18/1990 | श्री गुरूवयुरप्पा स्वामी आयल्स |
| 86. | 23/1990 | श्री पेपर्स लि. |
| 87. | 27/1990 | रिलायंस रबर वर्क्स |
| 88. | 30/1990 | स्टैलियन टायर्स |
| 89. | 33/1990 | आन्ध्रा सीमेंट कं. |
| 90. | 45/1990 | सोनार कैप्स एंड लैंप्स |
| 91. | 47/1990 | गोदावरी प्लाइवुड्स |
| 92. | 52/1990 | एम.सी.ए. कैमिकल्स |
| 93. | 59/1990 | विक्टरी स्ट्राबोर्ड्स |
| 94. | 67/1990 | टक्समैको लि. |
| 95. | 73/1990 | सीताराम स्ट्रा प्रोडक्ट्स |
| 96. | 74/1990 | चन्द्र फार्मास्यूटिकल्स |
| 97. | 77/1990 | भारत स्ट्रिप्स |
| 98. | 78/1990 | हैदराबाद पॉलीमर्स |
| 99. | 87/1990 | महीन्द्रा निसान आलविन |
| 100. | 90/1990 | सोमेश्वर सीमेंट्स एण्ड कैमिकल्स |
| 101. | 93/1990 | पॉलीटैक आर्गेनिक्स |
| 102. | 109/1990 | एस.वी. सीमेंट्स |
| 103. | 116/1990 | रस्सी रेफ्रेक्टरीज |
| 104. | 129/1990 | लक्ष्मी पोर्सलीन्स |
| 105. | 132/1990 | दक्षिण फैब्रिक्स |
| 106. | 140/1990 | तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज |
| 107. | 143/1990 | केरा सिंटर्स |
| 108. | 146/1990 | मेघना हार्डटैंपलि |
| 109. | 147/1990 | श्री विष्णु सीमेंट्स |
| 110. | 6/1991 | मारुति गोल्डस्टार सिल्क्स |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 111. | 19/1991 | अमरेश्वरी सीमेंट्स लि. |
| 112. | 35/1991 | आर.आर. फास्टनर्स लि. |
| 113. | 39/1991 | बाप्पाना आयल्स लि. |
| 114. | 42/1991 | आन्ध्र प्रदेश फाइबर्स लि. |
| 115. | 46/1991 | अरंडी लेबोरेटरीज |
| 116. | 50/1991 | कोस्टल कैमिकल्स लि. |
| 117. | 54/1991 | गोदावरी स्वीटरेस |
| 118. | 55/1991 | क्यूर ड्रग्स प्रा. लि. |
| 119. | 57/1991 | ओडिन मैटल पाउडर्स लि. |
| 120. | 68/1991 | सतवाहना चेन्स लि. |
| 121. | 73/1991 | प्रियदर्शनी सीमेंट्स |
| 122. | 75/1991 | लक्ष्मी पोर्सलीन्स लि. |
| 123. | 94/1991 | अन्नपूर्ण फॉइल्स लि. |
| 124. | 120/1991 | विल्डन इंडिया लि. |
| 125. | 122/1991 | मेगना फाउंड्रिनरीज लि. |
| 126. | 131/1991 | सीताराम सीमेंट्स लि. |
| 127. | 135/1991 | वाइब्रा आटोमैट लि. |
| 128. | 140/1991 | पैरागांव बिजनिस फार्म्स |
| 129. | 144/1991 | प्रियदर्शनी थ्रेड्स लि. |
| 130. | 146/1991 | रामा आर्गेनिक्स प्रा. लि. |
| 131. | 153/1991 | पदमजा एडिबल बाउन ऑयल |
| 132. | 2/1992 | मलवला आयल्स लि. |
| 133. | 5/1992 | श्री पद्दवी फोर्ज लि. |
| 134. | 9/1992 | राइस ऑयल एण्ड फूड्स लि. |
| 135. | 11/1992 | नागार्जुन क्लोरेट्स लि. |
| 136. | 12/1992 | खोसला इन्डेर लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 137. | 20/1992 | अन्नपूर्ण सीमेंट्स लि. |
| 138. | 23/1992 | हिफ्लॉन इंडिया लि. |
| 139. | 26/1992 | आराधना पेपर्स (प्रा.) लि. |
| 140. | 48/1992 | आर.आर. फास्टनर्स लि. |
| 141. | 57/1992 | सूपर शॉक एब्जार्वर्स लि. |
| 142. | 59/1992 | यूनिवर्सल सिरेमिक्स लि. |
| 143. | 63/1992 | चारमीनार पेपर लि. |
| 144. | 68/1992 | रिलायंस सेललोज प्रोडक्ट्स लि. |
| 145. | 70/1992 | सत्यप्रिया स्ट्राबोर्डस लि. |
| 146. | 71/1992 | आर.आर. पालीमर्स प्रा. लि. |
| 147. | 83/1992 | लक्ष्मी वूलन्स इंडस्ट्रीज लि. |
| 148. | 89/1992 | वी.डी.आर. एंड कं. नाइलॉन प्रा. लि. |
| 149. | 92/1992 | श्री आटो पार्ट्स लि. |
| 150. | 100/1992 | समर मैटालर्जिकल एंड कैम. प्रोडक्ट्स लि. |
| 151. | 102/1992 | सुचित्रा टेलीट्यूब्स लि. |
| 152. | 103/1992 | सुधा सेविंग थ्रेड्स लि. |
| 153. | 3/1993 | चारमीनार बाटलिंग कं. प्रा. लि. |
| 154. | 9/1993 | गौतम सीमेंट्स प्रा. लि. |
| 155. | 10/1993 | स्वेग पॉलीपैक प्रा. लि. |
| 156. | 15/1993 | रंका केबल्स लि. |
| 157. | 25/1993 | एस.के.एस. ड्रग्स प्रा. लि. |
| 158. | 32/1993 | श्री रामालिंगेश्वर एग्रो प्रोसेसर्स लि. |
| 159. | 37/1993 | विनलॉन सिंथेटिक्स लि. |
| 160. | 38/1993 | फेनोविजन लि. |
| 161. | 39/1993 | आन्ध्रा सिंथटिक एंड एंटीबायोटिक्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 162. | 52/1993 | श्री जगन्नाथ स्ट्रिप्स लि. |
| 163. | 75/1993 | श्याम विनाइल्स लि. |
| 164. | 93/1993 | तेलंगाना स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि. |
| 165. | 103/1993 | मर्क्यूरी रेजिन्स एंड पालीमर्स प्रा. लि. |
| 166. | 107/1993 | एकेसी स्टील एंड. लि. |
| 167. | 109/1993 | चारमीनार बोल्टिंग कं. प्रा. लि. |
| 168. | 16/1994 | श्री अंबुजा पेट्रो केमिकल्स लि. |
| 169. | 20/1994 | एन.सी.एल. सेक्कोलर लि. |
| 170. | 22/1994 | रीजेंसी डायपर इंड. लि. |
| 171. | 25/1994 | गोदावरी सिरेमिक्स लि. |
| 172. | 34/1994 | रीमो पाइप्स लि. |
| 173. | 42/1994 | प्रोफेशनल ग्रेड कंपोनेंट्स लि. |
| 174. | 73/1994 | जयकृष्ण एलुमिनियम लि. |
| 175. | 75/1994 | सत्यसाई पॉलमर्स लि. |
| 176. | 76/1994 | फेनोविजन लि. |
| 177. | 83/1994 | स्वेक पॉलीपैक प्रा. लि. |
| 178. | 96/1994 | सुमन मैटालर्जिकल एंड कैमिकल |
| 179. | 98/1994 | वासुदेव सीमेंट लि. |
| 180. | 99/1994 | बालाजी फेरो अलॉइज लि. |
| 181. | 101/1994 | मोनार्क पाइप्स लि. |
| 182. | 141/1994 | कोरामंडल सीमेंट्स लि. |
| 183. | 146/1994 | वीबीसी एलॉइज लि. |
| 184. | 147/1994 | लूमिनो लैंप्स |
| 185. | 161/1994 | कोहिनूर सीमेंट्स लि. |
| 186. | 162/1994 | सेफपैक पॉलीमर्स लि. |
| 187. | 167/1994 | हिमाद्री सीमेंट्स |
| 188. | 169/1994 | हैदराबाद लैंप्स लि. |
| 189. | 4/1995 | ओमयाल एग्रो इंडस्ट्रीज लि. |
| 190. | 9/1995 | एक्सल रबड़ प्रा. लि. |
| 191. | 35/1995 | आन्ध्र प्रदेश लाइटिंग लि. |
| 192. | 66/1995 | एम मदन लाल (स्टील) लि. |
| 193. | 75/1995 | आन्ध्र प्रदेश लाटिंग्स लि. |
| 194. | 79/1995 | एक्सल रबड़ प्रा. लि. |
| 195. | 95/1995 | श्री मारुति टैक्सटाइल्स लि. |
| 196. | 98/1995 | रॉक्वूल (आई) लि. |
| 197. | 5/1996 | पेंग्विन टैक्सटाइल्स |
| 198. | 19/1996 | आन्ध्रा ऑयल केक प्रोडक्ट्स लि. |
| 199. | 28/1996 | टेलीटैक इंडिया लि. |
| 200. | 33/1996 | सैल रिमेडीज लि. |
| 201. | 54/1996 | शेज रिमेडीज लि. |
| 202. | 75/1996 | हैदराबाद कनेक्ट्रोनिक्स लि. |
| 203. | 88/1996 | श्याम विनाइल्स |
| 204. | 89/1996 | एमी पावर लि. |
| 205. | 1/1997 | राम टायर्स लि. |
| 206. | 6/1997 | नीरज पेट्रोकैमिकल्स लि. |
| 207. | 7/1997 | रघुनाथ कॉटन एंड ऑयल प्रोडक्ट्स लि. |
| 208. | 23/1997 | अखिल सिरेमिक्स लि. |
| 209. | 32/1997 | राम टायर्स लि. |
| 210. | 36/1997 | मदनपल्ली स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 211. | 44/1997 | सदर्न स्टील लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 212. | 57/1997 | भाग्य एग्रो ऑयल्स प्रा. लि. |
| 213. | 62/1997 | टेलीटैक इंडिया लि. |
| 214. | 65/1997 | हिन्दुस्तान मैगनेटिक्स लि. |
| 215. | 66/1997 | श्री कैलाश शुगर एंड कैमिकल्स लि. |
| 216. | 73/1997 | कटरागड्डा इलेक्ट्रोनिक्स लि. |
| 217. | 74/1997 | इरोस सुअरीज लि. |
| 218. | 91/1997 | एस.एस. आर्गेनिक्स लि. |
| 219. | 94/1997 | मदनापल्ली स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 220. | 120/1997 | ग्रेगोल्ड सीमेंट्स लि. |
| 221. | 133/1997 | प्रीमियर ट्यूब्स लि. |
| 222. | 139/1997 | नासा कांटिनेंटल एक्सपोर्टर्स लि. |
| 223. | 140/1997 | रघु फैब्रिक्स प्रा. लि. |
| 224. | 142/1997 | गौतम कंस्ट्रक्शन एंड फिशरीज लि. |
| 225. | 145/1997 | रघु इंडस्ट्रीज लि. |
| 226. | 163/1997 | एरो मैटलस्पिन लि. |
| 227. | 166/1997 | विजय पैकेजिंग सिस्टम्स लि. |
| 228. | 167/1997 | टेलीटैक इंडिया लि. |
| 229. | 171/1997 | एस.एन.एम. फोटो कंपनी लि. |
| 230. | 179/1997 | वी.टी.एस. इंजीनियरिंग प्रा. लि. |
| 231. | 181/1997 | ओम्नीट्रोड आदित्य इलेक्ट्रोड्स प्रा. लि. |
| 232. | 186/1997 | अल्ट्रा पैकेजिंग लि. |
| 233. | 191/1997 | आई.डी.एल. साल्जबाऊ (आई) लि. |
| 234. | 205/1997 | लीना टैक्सटाइल्स लि. |
| 235. | 215/1997 | श्रीनिवास एन्टरप्राइजेज लि. |
| 236. | 216/1997 | निरूप सिंक्रोम लि. |
| 237. | 18/1998 | प्रेयांशु इंडस्ट्रीज लि. |
| 238. | 33/1998 | रेस्टाइल सिरेमिक्स लिमिटेड |
| 239. | 44/1998 | सैंगफ्राइड रिमेडीज लिमिटेड |
| 240. | 62/1998 | श्रीलक्ष्मी फाइबर्स लि. |
| 241. | 101/1998 | कोरोमंडल स्टैंपिंग्स एंड स्टोन्स लि. |
| 242. | 105/1998 | न्यूटैक स्ट्यूविंग टेलीकॉम लि. |
| 243. | 120/1998 | सुवर्ण एक्वा फार्म एंड एक्स. लि. |
| 244. | 129/1998 | शिव शक्ति रिफाइनरीज प्रा. लि. |
| 245. | 133/1998 | प्लांट आर्गेनिक्स लि. |
| 246. | 159/1998 | रिचलाइन फार्मा लि. |
| 247. | 170/1998 | एल्फा कंज्यूमर एप्लासंस लि. |
| 248. | 180/1998 | दिव्य एंटरप्राइजेज लिमिटेड |
| 249. | 194/1998 | डीसीएल मैनीटैक लि. |
| 250. | 203/1998 | सरवरय टैक्सटाइल्स लि. |
| 251. | 231/1998 | ला मैंशन ग्रेनाइट लिमिटेड |
| 252. | 235/1998 | सोमकन मैरीन फूड्स लि. |
| 253. | 236/1998 | सोल फार्मा लि. |
| 254. | 247/1998 | हिमाद्री सीमेंट्स लि. |
| 255. | 248/1998 | ए.जे.बी. ट्यूब्स लि. |
| 256. | 257/1998 | मारुति आर्गेनिक्स लिमिटेड |
| 257. | 267/1998 | रैंक इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 258. | 271/1998 | स्नेहधारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 259. | 276/1998 | टारगॉट प्योर ड्रग्स लि. |
| 260. | 319/1998 | रवि रॉक्स (प्रा.) लि. |
| 261. | 323/1998 | गुनिमैटल इस्पात लिमिटेड |
| 262. | 338/1998 | डीसी[illegible] मैनीटैक्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 263. | 347/1998 | रिसोर्स टैक्नोलॉजीज प्रा. लि. |
| 264. | 356/1998 | मिडलैंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 265. | 357/1998 | श्री राघव टैक्सटाइल्स लिमिटेड |
| 266. | 358/1998 | बुल पावर सिस्टम्स लिमिटेड |
| 267. | 20/1999 | मिडवस्ट आयरन एंड स्टील कं. लि. |
| 268. | 22/1999 | सरकार पेपर मिल्स लि. |
| 269. | 25/1999 | कुडप्पा स्पिनिंग मिल्स |
| 270. | 38/1999 | ईस्टर्न ग्रेनाइट्स लि. |
| 271. | 55/1999 | भारत मैटल बॉक्स कं. लि. |
| 272. | 59/1999 | जीसेल (इंडिया) लि. |
| 273. | 68/1999 | श्री वीर वेंकट लक्ष्मी टैक्सटाइल्स |
| 274. | 70/1999 | मापको स्ट्रक्चरल फोम प्रा. लि. |
| 275. | 84/1999 | पेन्नार प्रोफाइल्स लिमिटेड |
| 276. | 92/1999 | डेक्कन ग्रेनाइट्स लिमिटेड |
| 277. | 95/1999 | गोपीकृष्ण ग्रेनाइट्स इंडिया लिमिटेड |
| 278. | 112/1999 | लक्ष्मी दुर्गा ग्रेनाइट्स लि. |
| 279. | 137/1999 | जसवाल ग्रेनाइट्स लि. |
| 280. | 142/1999 | फाइमेक्स फार्मा लि. |
| 281. | 149/1999 | के.एल.जे. प्लास्टिक्स लि. |
| 282. | 171/1999 | किट्टी स्टील्स लि. |
| 283. | 192/1999 | शीलेन्द्र इंडस्ट्रीज लि. |
| 284. | 195/1999 | पाटिल एक्वा प्रोडक्ट्स प्रा. लि. |
| 285. | 196/1999 | डाक्टर्स आर्गेनिक कैमिकल्स लि. |
| 286. | 208/1999 | हाइकल फार्मा लि. |
| 287. | 213/1999 | सुवर्ण एप्पनल एंड एक्सपो. लि. |
| 288. | 227/1999 | गारवी ग्रेनाइट लि. |
| 289. | 229/1999 | श्री हर्षदीप एक्वा. लि. |
| 290. | 241/1999 | सुवर्ण फ्लोरेक्स लि. |
| 291. | 245/1999 | जी.पी. इंडस्ट्रीज |
| 292. | 250/1999 | रीजेंट एग्रो प्रोडक्ट्स लि. |
| 293. | 252/1999 | एवन इंडस्ट्रीज लि. |
| 294. | 255/1999 | श्री लक्ष्मी इंजीनियरिंग इंड. लि. |
| 295. | 259/1999 | सुलक्षणा सर्किट्स लि. |
| 296. | 261/1999 | रघु मिल्क प्रोडक्ट्स लि. |
| 297. | 262/1999 | वितावा मार्वन लि. |
| 298. | 264/1999 | रिकविन फ्लोर्स लि. |
| 299. | 283/1999 | जैन मार्बल उद्योग लि. |
| 300. | 285/1999 | क्यूबेक्स ट्यूबिंग्स लि. |
| 301. | 288/1999 | रिन्यूएबल इनर्जी सिस्टम्स लि. |
| 302. | 304/1999 | इंडो-डच प्रोटीन्स लि. |
| 303. | 313/1999 | रिलायंस ग्रेनाइट प्रा. लि. |
| 304. | 317/1999 | श्री शक्ति एग्रो किल्स लि. |
| 305. | 324/1999 | पित्ती लेमिनेशंस लि. |
| 306. | 345/1999 | मारुति प्लास्टिक्स लि. |
| 307. | 351/1999 | सोम फाइटोफार्मा (इंडिया) लि. |
| 308. | 353/1999 | इंडिया टर्क्स लि. |
| 309. | 357/1999 | पैनर एक्वा एक्सपोर्ट्स लि. |
| 310. | 358/1999 | मिडलैंड इंडस्ट्रीज लि. |
| 311. | 376/1999 | श्री गिरिजा स्मेल्टर्स लि. |
| 312. | 383/1999 | बालाजी-बायो-टैक्निकल लि. |
| 313. | 391/1999 | इंटिग्रेटेड थर्मोप्लास्टिक्स लि. |
| 314. | 398/1999 | कार्डियल इंजी. प्रा. लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 315. | 21/2000 | नेचुराइट एग्रो प्रोडक्ट्स लि. |
| 316. | 47/2000 | वीज्ञा ग्रेनाइट्स लि. |
| 317. | 51/2000 | शरत इंडस्ट्रीज लि. |
| 318. | 57/2000 | पी.आर. सीमेंट्स लि. |
| 319. | 59/2000 | मावती कॉटेक्स लि. |
| 320. | 69/2000 | तेजस्विनी रसायन्स लि. |
| 321. | 133/2000 | मयूर एलॉय इंड. लि. |
| 322. | 142/2000 | सोल बैकबवे एक्वा. लि. |
| 323. | 147/2000 | एक्सल मान्यूमेंट्स लि. |
| 324. | 180/2000 | स्पेक्ट्रा एग्रोकेम |
| 325. | 184/2000 | डेकन ग्रेनाइट्स |
| 326. | 205/2000 | गोथम ग्रेनाइट्स |
| 327. | 210/2000 | टैरीगोल्ड (इंडिया) लि. |
| 328. | 220/2000 | वीज्ञा ग्रेनाइट्स लि. |
| 329. | 222/2000 | गोल्डवन टैक्सटाइल्स लि. |
| 330. | 244/2000 | एन.सी.सी. ब्लूवाटर प्रोडक्ट्स लि. |
| 331. | 250/2000 | डेकन फोम प्लास्टिक्स प्रा. लि. |
| 332. | 262/2000 | फार्मेशिया लि. |
| 333. | 263/2000 | गायत्री स्टार्चकौर लि. |
| 334. | 271/2000 | एवन इंडस्ट्रीज लि. |
| 335. | 293/2000 | मारुति कोटेक्स लि. |
| 336. | 319/2000 | सुवर्न फ्लोरेक्स लि. |
| 337. | 320/2000 | चारमीनार ग्रेनाइट्स एक्सपोर्ट्स लि. |
| 338. | 334/2000 | रिधमेन सिल्क्स लि. |
| 339. | 335/2000 | टाइचि इलेक्ट्रोनिक्स लि. |
| 340. | 342/2000 | शरत् इंडस्ट्रीज |
| 341. | 374/2000 | गाल्दा पावर एंड टेलीकॉम लि. |
| 342. | 397/2000 | रविलीला डेरी प्रोडक्ट्स लि. |
| 343. | 400/2000 | सिस्टला इंड. लि. |
| 344. | 403/2000 | सिरिस लि. |
| 345. | 6/2001 | ट्रेजर ऑयल एग्रोटैक लि. |
| 346. | 16/2001 | भाग्यलक्ष्मी वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लि. |
| 347. | 18/2001 | मखन ड्रग प्रोडक्ट्स लि. |
| 348. | 70/2001 | जयकृष्ण एल्यूमिनियम लि. |
| 349. | 76/2001 | हिसेल फार्मा लि. |
| 350. | 84/2001 | टारगोफ प्योर ड्रग्स लि. |
| 351. | 99/2001 | यूनिकार्न आर्गेनिक्स लि. |
| 352. | 106/2001 | टीम इलेक्ट्रोनिक्स लि. |
| 353. | 113/2001 | रिन्यूएबल इनर्जी सिस्टम्स लि. |
| 354. | 119/2001 | नयागारा टैक्नालोजीज लि. |
| 355. | 125/2001 | सत्यकमल एग्रोस लि. |
| 356. | 138/2001 | लिबर्टी कार्पोरेशन लि. |
| 357. | 220/2001 | नयागारा पेपर प्रोडक्ट्स (इंडिया) लि. |
| 358. | 226/2001 | आदित्य सिपनर्स लि. |
| 359. | 235/2001 | धनानिवाला टैक्सटाइल्स लि. |
| 360. | 237/2001 | रिधमेन सिल्क्स लि. |
| 361. | 241/2001 | यूनीफ प्लास्टिक्स लि. |
| 362. | 265/2001 | सिरिस एग्रो लि. |
| 363. | 271/2001 | आनंद सॉलवेक्स लि. |
| 364. | 281/2001 | श्रीनिवास फेरो एलॉइज लि. |
| 365. | 288/2001 | सुबोधय कैमिकल्स लि. |
| 366. | 292/2001 | कार्तिक एलॉइज लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 367. | 300/2001 | डेक्कन ग्रेनाइट्स लि. |
| 368. | 328/2001 | फार्मेशिया लि. |
| 369. | 343/2001 | ग्लोबल ड्रग्स (प्रा.) लि. |
| 370. | 356/2001 | बेकटाइट डाइलैम लि. |
| 371. | 357/2001 | नोवो एग्रीटैक लि. |
| 372. | 366/2001 | प्रियरंजनी फाइब्रिस लि. |
| 373. | 377/2001 | क्यूबेक्स ट्यूबिंग्स लि. |
| 374. | 382/2001 | धननिवाला एग्रो फंड्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 375. | 453/2001 | संगम हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स लि. |
| 376. | 42/2002 | सिरिस इंडिया लि. |
| 377. | 45/2002 | मखन ड्रग प्रोडक्ट्स लि. |
| 378. | 70/2002 | फोइल ड्रग्स एंड कैमिकल्स लि. |
| 379. | 84/2002 | जी.पी. इंडस्ट्रीज लि. |
| 380. | 114/2002 | आन्ध्रा प्रिंटर्स लि. |
| 381. | 140/2002 | भास्कर एग्रो केमिकल्स लि. |
| 382. | 176/2002 | किट्टी स्टील्स लिमिटेड |
| 383. | 183/2002 | टैक्ट्रान एग्रो इंडस्ट्रीज लि. |
| 384. | 197/2002 | सुदर्शन ड्रग्स एंड इंटरनेशनल लि. |
| 385. | 215/2002 | स्टिलबेन केमिकल्स लि. |
| 386. | 248/2002 | श्री शक्ति एल.पी.जी. लि. |
| 387. | 252/2002 | इंडियन कैंफर लि. |
| 388. | 299/2002 | कुमार्स कोटेक्स लि. |
| 389. | 310/2002 | मखन ड्रग प्रोक्ट्स लि. |
| 390. | 349/2002 | बेटालेक्ट लेबोरेटरीज लि. |
| 391. | 360/2002 | कुमार्स कोटेक्स लि. |
| 392. | 393/2002 | इननोवेटिव टैक पैक लि. |
| 393. | 422/2002 | हैदराबाद फ्लैक्सटैक लि. |
| 394. | 423/2002 | एवन इंडस्ट्रीज |
| 395. | 426/2002 | कोनार आर्गेनिक्स लि. |
| 396. | 469/2002 | शार्पस्कैन एंड प्रिंट्स लि. |
| 397. | 472/2002 | येंकी ड्रग्स एंड फार्मा. लि. |
| 398. | 476/2002 | नाइलोफाइल्स इंडिया लि. |
| 399. | 478/2002 | सम्राट स्पाइनर्स |
| 400. | 479/2002 | आदित्य स्पाइनर्स |
| 401. | 484/2002 | भाग्यलक्ष्मी वेज. प्रोडक्ट्स लि. |
| 402. | 488/2002 | स्टैंडर्ड फेरा एलॉय प्रा. लि. |
| 403. | 497/2002 | पण्यम सीमेंट्स एण्ड मिनरल इंड. लि. |
| 404. | 16/2003 | फार्मेशिया लि. |
| 405. | 41/2003 | श्री गौरवी प्लास्टिक्स लि. |
| 406. | 53/2003 | शरत् इंड. लि. |
| 407. | 57/2003 | गोल्डन एग्रोटैक इंड. लि. |
| 408. | 69/2003 | सूर्यवंशी टैक्सटाइल्स लि. |
| 409. | 86/2003 | ट्रेजर ऑयल एग्रोटैक लि. |
| 410. | 87/2003 | पेन्नार इंडस्ट्रीज लि. |
| 411. | 100/2003 | गोल्ड थिक प्लेटचेरीज एण्ड फूड्स लि. |
| 412. | 110/2003 | स्टिलबेनी कैमि. लि. |
| 413. | 112/2003 | विनसारी फ्रूटैक लि. |
| 414. | 114/2003 | किट्टी स्टील्स लि. |
| 415. | 128/2003 | श्री गिरीजा स्मेल्टर्स लि. |
| 416. | 134/2003 | सिरिस एग्रो लि. |
| 417. | 163/2003 | आनंद सॉलवेक्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 418. | 164/2003 | जयकृष्ण एल्यूमिनियम लि. |
| 419. | 210/2003 | फेनो फाइबर लि. |
| 420. | 250/2003 | सुदर्शन ड्रग्स एंड इंटरमीडिएट्स लि. |
| 421. | 274/2003 | आनंद सोलवेक्स लि. |
| 422. | 276/2003 | फाइन प्लास्ट पालीमर्स लि. |
| 423. | 297/2003 | सिरिस लि. |
| 424. | 311/2003 | सचिन फ्लोरिटैक लि. |
| 425. | 319/2003 | श्री गौरवी प्लास्टिक्स लि. |
| 426. | 328/2003 | के.एल.जे. प्लास्टिक लि. |
| 427. | 329/2003 | पी.एम. टेलीलिंक्स लि. |
| 428. | 337/2003 | बालाजी बायोटैक लि. |
| 429. | 355/2003 | एरो केबल्स लि. |
| 430. | 381/2003 | गायत्री सुगर कांपलेक्स लि. |
| 431. | 387/2003 | आदित्य स्पिनर्स लि. |
| 432. | 414/2003 | पेनार एक्वा एक्सपो. लि. |
| 433. | 1/2004 | कुमार्स कोटेक्स लि. |
| 434. | 4/2004 | सरिता स्टील एंड इंड. लि. |
| 435. | 9/2004 | अनंत एग्रोस लि. |
| 436. | 13/2004 | बालाजी इंड. कार्पो. लि. |
| 437. | 22/2004 | ए.पी. मैट. इंजी. लि. |
| 438. | 26/2004 | तिरुमाला स्यूइंग हैन टैक्सटाइल्स लि. |
| 439. | 36/2004 | एवरेस्ट आर्गेनिक्स लि. |
| 440. | 38/2004 | पोषक विल एंड फैट्स लि. |
| 441. | 40/2004 | एल.सी.के. सीमेंट्स लि. |
| 442. | 46/2004 | भाग्यलक्ष्मी वेजीटेबल प्रोडक्ट्स लि. |
| 443. | 58/2004 | डेकन ग्रेनाइट्स लि. |
| 444. | 68/2004 | कुमार्स मेटा. कार्पो. लि. |
| 445. | 96/2004 | पायनियर एलाय कास्टिंग्स लि. |
| 446. | 103/2004 | बालाजी डिस्टिलरीज लि. |
| 447. | 109/2004 | ट्रेजर ऑयल एग्रोटैक लि. |
| 448. | 112/2004 | आदिमचंद टोपनदास ऑयल इंड. लि. |
| 449. | 116/2004 | येंकी ड्रग्स एंड फार्मा. लि. |
| 450. | 128/2004 | न्यूट्रीन स्वीट्स प्रा. लि. |
| 451. | 132/2004 | श्री जयलक्ष्मी स्पिन, मिल्स लि. |
| 452. | 141/2004 | एस.एम.एल. डाइटैक्स एंड इंड. (प्रा.) लि. |
| 453. | 158/2004 | स्टिलबेन कैमि. लि. |
| 454. | 166/2004 | गोल्डन एग्रो-टैक इंड. लि. |
| 455. | 179/2004 | विसाका सीमेंट इंड. लि. |
| 456. | 191/2004 | कोजीलॉन क्वॉयर प्राडक्ट्स लि. |
| 457. | 200/2004 | लोट्स चाकलेट कं. लि. |
| 458. | 251/2004 | मनसा इंड. (प्रा.) लि. |
| 459. | 252/2004 | सरिता सिंथे. एंड इंड. लि. |
| 460. | 258/2004 | श्री वसावी इंड. लि. |
| 461. | 264/2004 | श्रीवाथसा पावर प्रोजे. लि. |
| 462. | 272/2004 | किट्टी स्टील्स लि. |
| 463. | 275/2004 | आनंद सोलवेक्स लि. |
| 464. | 278/2004 | किट्टी स्टील्स लि. |
| 465. | 286/2004 | प्रत्युषा कैम. एंड फर्टि. लि. |
| 466. | 300/2004 | इनोवेट टैक पैक लि. |
| 467. | 301/2004 | एस.वी.आर. केबल्स प्रा. लि. |
| 468. | 303/2004 | गोल्डन एग्रोटैक इंड. लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 469. | 315/2004 | बालाजी डिस्टीलरीज लि. |
| 470. | 321/2004 | कल्यानी रिफा. लि. |
| 471. | 336/2004 | श्रीवेंकट नरसिंह सोलवेंट आयल्स लि. |
| 472. | 347/2004 | आदित्य स्पिनर्स लि. |
| 473. | 349/2004 | तिरुमाला स्यूइंग हैन टैक्स. लि. |
| 474. | 362/2004 | तिरूधुरा बायोटैक लि. |
| 475. | 369/2004 | श्री गौरवी प्लास्टिक्स लि. |
| 476. | 378/2004 | कैबसंस इंड. लि. |
| 477. | 10/2005 | बालाजी बायोटैक लि. |
| 478. | 22/2005 | बालाजी इंड. कार्पो. लि. |
| 479. | 64/2005 | भाग्यलक्ष्मी वेजीटेबल प्रोडक्ट्स लि. |
| 480. | 75/2005 | ट्रेजर ऑयल एग्रो टैक लि. |
| 481. | 89/2005 | सुदर्शन ड्रग्स एंड इंटरमीडिएट्स लि. |
| 482. | 90/2005 | सिरिस लि. |
| 483. | 102/2005 | कल्पना कैमि. लि. |
| 484. | 107/2005 | एच.सी.एल. एग्रो पावर लि. |
| 485. | 110/2005 | प्रुडेंशल स्पिनर्स लि. |
| 486. | 135/2005 | सिनर्जीज ड्रूरे आटोमोटिव्स लि. |
| 487. | 140/2005 | अवंती लैअर्स लि. |
| 488. | 175/2005 | व्हाइट सर्कल आक्साइड् लि. |
| **बिहार** | | |
| 1. | 65/1987 | डुमराओल टैक्स. मिल्स |
| 2. | 81/1987 | चंपारन शुगर |
| 3. | 83/1987 | कॉनपुर शुगर वर्क्स |
| 4. | 132/1987 | गंगा वनस्पति लि. |
| 5. | 230/1987 | सारण इंजी. |
| 6. | 249/1987 | हाथवा वनस्पति प्रोड. लि. |
| 7. | 301/1987 | हाथवा मैटल्स |
| 8. | 97/1988 | नालंदा सिरेमिक्स |
| 9. | 180/1988 | रंजन कैमि. लि. |
| 10. | 191/1988 | आर्यभट्ट पेर मिल्स प्रा. लि. |
| 11. | 291/1988 | नार्थ बिहार पल्प एण्ड पेपर कं. लि. |
| 12. | 53/1989 | विनसम इंटरनेशनल लि. |
| 13. | 96/1989 | बरूनी पेपर इंड. |
| 14. | 147/1989 | प्रिसिजन ब्लैंकिंग (इंडिया) लि. |
| 15. | 56/1990 | अर्निल सिरेट्रोनिक्स लि. |
| 16. | 128/1991 | भवानी पेर मिल्स लि. |
| 17. | 40/1992 | गोपाल जूट इंड. प्रा. लि. |
| 18. | 42/1993 | प्रोग्रेसिव सीमेंट लि. |
| 19. | 78/1993 | औरो व्हीट प्रोड. लि. |
| 20. | 49/1994 | रिफ्रेक्टरी स्पेशलिटीज (आई) लि. |
| 21. | 108/1994 | श्री विश्वनाथ पेर मिल्स प्रा. लि. |
| 22. | 115/1994 | प्रोग्रेसिव सीमेंट लि. |
| 23. | 6/1995 | पाली आर्ट इंड. प्रा. लि. |
| 24. | 63/1996 | एच.एम.पी. शुगर लि. |
| 25. | 15/1997 | भवानी पेर मिल्स प्रा. लि. |
| 26. | 189/1997 | नैक्रो कैमि. लि. |
| 27. | 87/1998 | सुनील पॉलीप्लास्ट लि. |
| 28. | 89/1998 | सोन वनस्पति लि. |
| 29. | 90/1998 | रंजन कैमिकल्स लि. |
| 30. | 379/2000 | प्रोग्रेसिव स्टील्स (इंडिया) लि. |
| 31. | 86/2002 | क्वालिटी पेपर्स प्रा. लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 32. | 94/2002 | एस.आर.पी. इंड. लि. |
| 33. | 167/2002 | एक्लैट इंड. लि. |
| 34. | 216/2002 | नालंदा इलेक्टो स्टील लि. |
| 35. | 221/2002 | जे.एम.डी. एलाइज लि. |
| 36. | 242/2002 | बेल्ट्रॉन टेलीकॉम लि. |
| 37. | 294/2002 | कैंप कॉन्कास्ट लि. |
| 38. | 362/2002 | एम.एस.एल. इंडस्ट्रीज लि. |
| 39. | 174/2003 | सुपर इंडक्टो स्टील्स लि. |
| 40. | 248/2003 | मोहन इलेक्ट्रोकास्टिंग लि. |
| 41. | 300/2003 | जे.एम.डी. एलॉइज लि. |
| 42. | 176/2004 | एस.आर.पी. इंड. लि. |
| 43. | 296/2004 | जे.एम.डी. एलॉइज लि. |
| 44. | 387/2004 | ईस्टर्न नाप्था-कैम. लि. |
| **छत्तीसगढ़** | | |
| 1. | 19/1990 | अन्नपूर्ण मैलीएबल्स |
| 2. | 133/1990 | हिम्मत स्टील फाउंड्रीज |
| 3. | 30/1991 | स्टील स्ट्रिप्स एलाइज लि. |
| 4. | 152/1991 | हीरा इंडस्ट्रीज लि. |
| 5. | 87/1992 | कैल्कार प्रोडक्ट्स लि. |
| 6. | 50/1993 | रायपुर स्टील मोल्डिंग प्रा. लि. |
| 7. | 59/1993 | भोपाल पेपर एंड बोर्ड्स लि. |
| 8. | 101/1993 | संघानिया स्टील्स प्रा. लि. |
| 9. | 86/1994 | मोदी सीमेंट लि. |
| 10. | 131/1994 | वल्लभ सीमेंट प्रा. लि. |
| 11. | 74/1995 | यूनिसींस एंड सूनीज लि. |
| 12. | 38/1996 | बिलासपुर कास्टिंग |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 13. | 56/1996 | बिलासपुर कास्टिंग लि. |
| 14. | 137/1997 | नोवा आयरन एंड स्टील लि. |
| 15. | 160/1998 | केडिया डिस्टालरीज लि. |
| 16. | 381/1999 | साल उद्योग लि. |
| 17. | 155/2000 | त्रिदेव डुप्लेक्स बोर्ड्स लि. |
| 18. | 156/2000 | राजनंदगांव आयल प्रा. लि. |
| 19. | 186/2000 | निकिता लीजिंग एंड फाइनेंस लि. |
| 20. | 209/2000 | श्रीगणेश फेरो एलाइज लि. |
| 21. | 221/2000 | नोवा स्टील (इंडिया) लि. |
| 22. | 285/2000 | राजेश स्ट्रिप्स लि. |
| 23. | 136/2001 | राजनंदगांव आयल प्रा. लि. |
| 24. | 4/2002 | प्रीमियर लेमिनेट्स |
| 25. | 416/2002 | राजनंदगांव ऑयल प्रा. लि. |
| 26. | 171/2003 | विजय इस्पात एलाइज (प्रा.) लि. |
| 27. | 234/2003 | हनुमान माइनर आयल्स लि. |
| 28. | 341/2003 | नोवा स्टील (इंडिया) लि. |
| 29. | 174/2004 | इनोवा स्टील्स प्रा. लि. |
| **चंडीगढ़** | | |
| 1. | 246/1987 | चंडीगढ़ पेपर बोर्ड्स मिल्स लि. |
| 2. | 197/1888 | मोडेला वूलन्स |
| 3. | 55/1997 | निधि पाइप्स लि. |
| 4. | 72/1997 | माडर्न डेरीज लि. |
| 5. | 122/1997 | पंजाब टिश्यू लि. |
| 6. | 285/1998 | आर्गेनिक्स कैमिआयल्स लि. |
| 7. | 211/1999 | निटिका सीमेंट्स लि. |
| 8. | 296/1999 | खन्ना वाचेस लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 9. | 305/2001 | ओएसिस लैदर लि. |
| 10. | 245/2002 | उषा आटो लिमिटेड |
| 11. | 470/2002 | ग्लोबल निटफैब लि. |
| **दादर और नगर हवेली** | | |
| 1. | 65/1993 | क्रिपेक्स सिंथेटिक्स लि. |
| 2. | 158/1994 | क्रिपेक्स सिंथेटिक्स लि. |
| 3. | 16/1995 | गुप्ता पालीस्टर लि. |
| 4. | 77/1995 | फ्यूजन पालीमर लि. |
| 5. | 191/1998 | वेकरॉन इंडस्ट्रीज लि. |
| 6. | 214/2000 | परसरामपुरिया इंड. लि. |
| 7. | 55/2001 | सूपरटैक्स इंड. लि. |
| 8. | 72/2001 | ब्लॉसस इंड. लि. |
| 9. | 202/2001 | जट्टा इंड. लि. |
| 10. | 378/2001 | सरला फिलामेंट्स प्रा. लि. |
| 11. | 24/2006 | मै. परसरामपुरिया इंड. लि. |
| **गोवा** | | |
| 1. | 305/1987 | चौगुले इंजी. |
| 2. | 69/1988 | बांदेकर एलॉय स्टील |
| 3. | 149/1988 | क्लासिक एक्सट्रर्जस |
| 4. | 69/1992 | जैनिथ मैगनेटिक्स लि. |
| 5. | 168/1994 | नेशनल आटो एक्सेसरीज लि. |
| 6. | 93/1995 | गोवा इलेक्ट्रिकल एंड फैन्स लि. |
| 7. | 45/1998 | जयंती बिजनिस मशीन लि. |
| 8. | 322/1998 | हिन्दुस्तान फूड्स लि. |
| 9. | 175/1999 | मारमागोवा स्टील लि. |
| 10. | 316/1999 | अरलम ब्रुअरीज लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 11. | 115/2000 | तिरुपति स्टील (प्रा.) लि. |
| 12. | 116/2000 | समुद्र रोप्स प्रा. लि. |
| 13. | 229/2001 | डुपोन्ट स्पोर्ट्सवेयर लि. |
| 14. | 424/2001 | आई.जी. पेट्रोकैमिकल्स लि. |
| 15. | 456/2001 | समराइज जिंस लि. |
| 16. | 51/2002 | पूजा फैरो एलाइज लि. |
| 17. | 58/2002 | ट्रांस पालीयूरेथेन प्रा. लि. |
| 18. | 355/2002 | मंडोवी कास्टिंग प्रा. लि. |
| 19. | 454/2002 | कैनवेस शु कं. (गोवा) लि. |
| 20. | 96/2003 | पूजा फेरो एलाइज लि. |
| 21. | 196/2003 | आई पैट्राकमिकल्स लि. |
| 22. | 317/2003 | ट्रांस पालीयूरेथेन प्रा. लि. |
| 23. | 53/2004 | इंपाला डिस्टिलरी एंड ब्रुअरी लि. |
| 24. | 124/2004 | आई.जी. पैट्राकमिकल्स लि. |
| 25. | 157/2004 | ट्रांस एग्रोटैक लि. |
| 26. | 177/2004 | आई.जी. पैट्राकमिकल्स लि. |
| 27. | 31/2005 | ट्रांस एग्रोटैक लि. |
| 28. | 136/2005 | फिल कार्पोरेशन लि. |
| **गुजरात** | | |
| 1. | 5/1987 | सनराइज सोप |
| 2. | 12/1987 | न्यू गुजरात सिंथेटिक्स लि. |
| 3. | 14/1987 | एलडी टैक्सटाइल्स |
| 4. | 18/1987 | श्री बल्लभ ग्लास |
| 5. | 25/1987 | टैन्साइल स्टील |
| 6. | 31/1987 | वॉइंड लि. |
| 7. | 52/1987 | स्टार ऑफ गुजरात टैक्सटाइल |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 8. | 53/1987 | श्री राम मिल्स |
| 9. | 54/1987 | निरंजन मिल्स |
| 10. | 57/1987 | गायकवाड मिल्स लि. |
| 11. | 74/1987 | वीस्ट एल्को एन्जाइम्स लि. |
| 12. | 78/1987 | गुजरात स्टेट मशी. टूल्स |
| 13. | 111/1987 | गुजरात एयरोमैटिक्स लि. |
| 14. | 115/1987 | श्री सलफ्यूरिक्स लि. |
| 15. | 125/1987 | स्टार मशीनरी मैन्यु. |
| 16. | 129/1987 | कॉमर्शल अहमदाबाद मिल्ज्स लि. |
| 17. | 139/1987 | पटेल मिल्स कं. लि. |
| 18. | 159/1987 | श्री यमुना मिल्स लि. |
| 19. | 180/1987 | हाथीसिंह मैन्यु. कं. |
| 20. | 184/1987 | विजय मिल्स |
| 21. | 188/1987 | टेस्टील्स लि. |
| 22. | 226/1987 | पीजी टैक्सटाइल्स मिल्स |
| 23. | 240/1987 | पदमिनी मिल्स लि. |
| 24. | 247/1987 | श्री बंशीधर |
| 25. | 264/1987 | मोहन कार्पेट्स |
| 26. | 275/1987 | रस्टम मिल्स |
| 27. | 285/1987 | डायमंड टैक्सटाइल मिल्स |
| 28. | 286/1987 | गुजरात लैदर इंड. |
| 29. | 290/1987 | राज प्रकाश स्पिनिंग |
| 30. | 292/1987 | कांकरिया कैमि. इंड. लि. |
| 31. | 295/1987 | धनमल सिल्क मिल्स प्रा. लि. |
| 32. | 309/1987 | पटेल एलॉय स्टील लि. |
| 33. | 6/1988 | नागरी मिल्स कं. |
| 34. | 17/1988 | स्पेशियलिटी पेपर्स लि. |
| 35. | 20/1988 | श्री पृथवी कॉटन वर्क्स लि. |
| 36. | 22/1988 | आर्योदय गिनिंग एण्ड मैन्यु. कं. लि. |
| 37. | 27/1988 | ब्रोच टैक्सटाइल मिल्स |
| 38. | 48/1988 | रूबी बियरिंग्स लि. |
| 39. | 61/1988 | वुड पेपर्स लि. |
| 40. | 74/1988 | कांदला हैंडटूल्स लि. |
| 41. | 83/1988 | के पैकेजिंग लि. |
| 42. | 123/1988 | कामदार सीमेंट्स लि. |
| 43. | 124/1988 | ललित स्टेनलेस स्टील |
| 44. | 129/1988 | महाराणा मिल्स लि. |
| 45. | 143/1988 | साराभाई मशीनरी |
| 46. | 167/1988 | सेंट्रल पल्प |
| 47. | 171/1988 | गांधीधाम स्पिनिंग |
| 48. | 174/1988 | पायनियर इक्विपमेंट |
| 49. | 181/1988 | नवजीवन मिल्स लि. |
| 50. | 196/1988 | यूनिमैक टॉलिंग बियरिंग |
| 51. | 201/1988 | अहमदाबाद मैन्यु. एण्ड कैलिको पीटीजी कं. लि. |
| 52. | 208/1988 | साराभाई सरफेक्टेंट्स (स्वास्तिक सरफैक्ट) |
| 53. | 211/1988 | ज्योति लि. |
| 54. | 225/1988 | हंस्पा निट प्रा. लि. |
| 55. | 247/1988 | स्टार स्टील लि. |
| 56. | 248/1988 | अहमदाबाद जुबली मिल्स लि. |
| 57. | 282/1988 | केसीए लि. |
| 58. | 284/1988 | कलोल मिल्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 59. | 288/1988 | रोहित मिल्स लि. |
| 60. | 296/1988 | गोपाल ग्लास वर्क्स |
| 61. | 7/1989 | के.एस. डीजल्स |
| 62. | 36/1989 | ओमेक्स इन्वेस्टर्स लि. |
| 63. | 45/1989 | प्रोफील सेन्टीनल लि. |
| 64. | 54/1989 | नीमा लि. |
| 65. | 57/1989 | यूनाइटेड वर्क्स एंड इंड. लि. |
| 66. | 65/1989 | गुजरात थर्मिस बायोसिन लि. |
| 67. | 80/1989 | श्री अरबुदा मिल्स |
| 68. | 83/1989 | राधा कृष्ण सीमेंट |
| 69. | 84/1989 | श्री अमृत मिल्स लि. |
| 70. | 91/1989 | शक्ति सीमेंट इंटरनेशनल |
| 71. | 92/1989 | पटेल फिल्टर्स |
| 72. | 108/1989 | सौराष्ट्र स्टील इंड. |
| 73. | 110/1989 | इंडियन इलेक्ट्रो कैम. लि. |
| 74. | 117/1989 | बॉम्बे कंडक्टर्स एंड इलेक्ट. |
| 75. | 136/1989 | अहमदाबाद न्यू काटन मिल्स |
| 76. | 156/1989 | महेश्वरी मिल्स |
| 77. | 158/1989 | सत्यदेव कैमिकल्स |
| 78. | 162/1989 | गुजरात नर्मदा आटो |
| 79. | 168/1989 | खेडियार पाटरी वर्क्स |
| 80. | 171/1989 | गुजरात हिमालयाज सीमेंट |
| 81. | 189/1989 | सहयाद्रि स्टील ट्यूब्स |
| 82. | 197/1989 | नवसारी काटन एंड सिल्क मिल्स |
| 83. | 6/1990 | ओक्यूमैक्स लि. |
| 84. | 11/1990 | अरुनेश प्रोसेसर्स |
| 85. | 21/1990 | सुविन सीमेंट |
| 86. | 31/1990 | गुजरात मल्को इलेक्ट्रोनिक्स |
| 87. | 37/1990 | केमोक्स सिंथेटिक्स |
| 88. | 41/1990 | जयंत एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज. |
| 89. | 46/1990 | श्री अंबिका मिल्स |
| 90. | 50/1990 | विक्रम स्टील |
| 91. | 58/1990 | बालकृष्ण टैक्सटाइल्स लि. |
| 92. | 61/1990 | श्री दिगविजय सीमेंट कं. |
| 93. | 64/1990 | रामा फर्टिलाइजर्स लि. |
| 94. | 65/1990 | गुजरात सिटको क्लच |
| 95. | 80/1990 | अशोक मिल्स |
| 96. | 96/1990 | नूतन मिल्स |
| 97. | 101/1990 | अरुणा मिल्स |
| 98. | 104/1990 | गुजरात सिद्धि सीमेंट लि. (सीमेंट कार्पोरेशन) |
| 99. | 111/1990 | सौराष्ट्र सीमेंट कंपनी एंड कैम. इंड. |
| 100. | 148/1990 | श्रीराम समेंट्स |
| 101. | 4/1991 | एस.एल.एम. माणिकलाल इंडस्ट्रीज |
| 102. | 15/1991 | नर्मदा एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन लि. |
| 103. | 25/1991 | विनसर फूड्स लि. |
| 104. | 41/1991 | कैमि फाइन इंटरनेशनल लि. |
| 105. | 60/1991 | अनंग पालीफैब लि. |
| 106. | 66/1991 | गोएक्स माइको सर्कस लि. |
| 107. | 74/1991 | ब्रिटिश इंडिया स्टील्स लि. |
| 108. | 83/1991 | सर्जिप्लास्ट लि. |
| 109. | 21/1992 | गुजरात पालीवियर लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 110. | 30/1992 | डलसन फाउंड्री प्रा. लि. |
| 111. | 38/1992 | गुजरात मिनिस्टील लि. |
| 112. | 39/1992 | मोडेला स्टील्स एंड एलाइज लि. |
| 113. | 74/1992 | मधु फैब्रिक्स लि. |
| 114. | 76/1992 | मधु टैक्सटाइल्स अहमदाबाद लि. |
| 115. | 78/1992 | राजकुमार वीविंग मिल्स लि. |
| 116. | 79/1992 | राजकुमार सिंटेक्स मिल्स लि. |
| 117. | 80/1992 | राजकुमार निटिंग मिल्स लि. |
| 118. | 98/1992 | सिनरकैम प्रा. लि. |
| 119. | 6/1993 | आशुतोष टैक्स. ओ-पैक प्रा. लि. |
| 120. | 27/1993 | यूनिटी स्टील्स लि. |
| 121. | 44/1993 | वुड पालीमर लि. |
| 122. | 61/1993 | डायनेमेटिक फोर्जिंग्स इंडिया लि. |
| 123. | 87/1993 | नीका ट्यूब्स लि. |
| 124. | 97/1993 | गुजरात बिनिल कैमिकल्स लि. |
| 125. | 114/1993 | कॉन्टिनेंटल टैक्सटाइल मिल्ड लि. |
| 126. | 116/1993 | सिन बायोटिक लि. |
| 127. | 4/1994 | यूनिटी स्टील लि. |
| 128. | 18/1994 | गुजरात साइकल्स लि. |
| 129. | 43/1994 | सिनर्जी कैम. प्रा. लि. |
| 130. | 44/1994 | एयर कंट्रोल एंड कैमि. इंजी. कं. लि. |
| 131. | 52/1994 | बलराम सीमेंट्स लि. |
| 132. | 56/1994 | धतु संसाकर लि. |
| 133. | 58/1994 | जगदंबा सीमेंट्स लि. |
| 134. | 70/1994 | नीका ट्यूब्स लि. |
| 135. | 79/1994 | केडिया एग्लोमरेटेड मार्बल्स लि. |
| 136. | 95/1994 | डायनामैटिक फोर्जिंग्स इंडिया लि. |
| 137. | 139/1994 | ओरिएंट सरवूल लि. |
| 138. | 144/1994 | गुजरात हाइटैक इंड. लि. |
| 139. | 150/1994 | जुपीटर सीमेंट्स इंड. लि. |
| 140. | 154/1994 | ब्रिटिश इंडिया स्टील्स लि. |
| 141. | 166/1994 | भावनगर वेजीटेबल प्रोडक्ट्स |
| 142. | 174/1994 | ई.इल.बी. शिलक (आई) लि. |
| 143. | 12/1995 | महिंद्रा मिल्स लि. |
| 144. | 17/1995 | गुजरात बी.डी. लगेजेस लि. |
| 145. | 32/1995 | दि अहमदाबाद एडवांस मिल्स |
| 146. | 39/1995 | माजदा टैक्सटाइल्स इंड. लि. |
| 147. | 58/1995 | क्वालिटी स्टील्स एंड फोर्जिंग्स लि. |
| 148. | 59/1995 | वर्धमान टैक्सचराइजर्स प्रा. लि. |
| 149. | 71/1995 | सुनील मिल्स. लि. |
| 150. | 94/1995 | दि रायपुर मैन्यु. कं. लि. |
| 151. | 2/1996 | क्वालिटी स्टील्स एंड फोर्जिंग्स लि. |
| 152. | 4/1996 | तिलोक टैक्सटाइल्स मिल्स लि. |
| 153. | 11/1996 | पालोड मशीन्स लि. |
| 154. | 15/1996 | गुजरात सिंथवुड लि. |
| 155. | 24/1996 | दि नरिकरम सोभराज मिल्स लि. |
| 156. | 34/1996 | इंडियन नाइट्रो मैट्रिक्स लि. |
| 157. | 36/1996 | गुजरात इंजेक्टो लि. |
| 158. | 41/1996 | श्री जगदीश ऑयल इंड. लि. |
| 159. | 44/1996 | मनीश आर्गेनिक इंडिया लि. |
| 160. | 45/1996 | के.ए. माले फार्मास्यूटिकल्स लि. |
| 161. | 46/1996 | आर्मर कैमिकल्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 162. | 50/1996 | भारत पाइप्स एण्ड फिटिंग्स लि. |
| 163. | 71/1996 | गुजरात इंजेक्ट लि. |
| 164. | 72/1996 | रानुका सिल्क मिल्स |
| 165. | 27/1997 | स्विस हेल्दी फूड्स प्रा. लि. |
| 166. | 39/1997 | गुजरात पॉली आक्स इलेक्ट्रोनिक्स लि. |
| 167. | 78/1997 | एनर्जोन टैक्निक्स कं. लि. |
| 168. | 82/1997 | गुजरात पर्स ट्रॉप इलेक्ट्रोनिक्स लि. |
| 169. | 99/1997 | गुजरात स्टील ट्यूब्स लि. |
| 170. | 126/1997 | जालन इस्पात कास्टिंग्स लि. |
| 171. | 156/1997 | एस.के. फार्मा. लि. |
| 172. | 157/1997 | वरुण सीकॉन लि. |
| 173. | 176/1997 | संगरीला लेटेक्स इंड. प्रा. लि. |
| 174. | 178/1997 | गुजरात हेल्थकेयरल लि. |
| 175. | 180/1997 | रावजी ऑयल इंडस्ट्रीज लि. |
| 176. | 188/1997 | ओरिएंट कैमिकल्स |
| 177. | 192/1997 | श्याम प्रकाश एस.पी.जी. मिल्स लि. |
| 178. | 220/1997 | गांधीनगर इलेक्ट्रोनिक्स लि. (शॉ वालेस) |
| 179. | 222/1997 | अमर पॉलीस्टर्स लि. |
| 180. | 6/1998 | वीनटेक्स डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स |
| 181. | 9/1998 | गुजरात इलैक्ट्रोमेल्ट लि. |
| 182. | 21/1998 | गुजरात रोडरेल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स लि. |
| 183. | 28/1998 | ए.पी.एस. स्टार इण्डस्ट्रीज लि. |
| 184. | 38/1998 | डायमण्ड टाइल्स लि. |
| 185. | 39/1998 | डेकोरा सिरमिक्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 186. | 42/1998 | गुजरात गार्जियन लिमिटेड |
| 187. | 68/1998 | हिन्दुस्तान फेशन्स |
| 188. | 81/1998 | वोल्वो स्टील लि. |
| 189. | 88/1998 | राजहंस फूड लि. |
| 190. | 99/1998 | यूनिपोल (इंडिया) लि. |
| 191. | 100/1998 | मार्डिया स्टील लि. |
| 192. | 108/1998 | अनमोल डेयरी लि. |
| 193. | 131/1998 | जालान फोर्जिंग लि. |
| 194. | 140/1998 | बड़ौदा एक्सट्रजन लि. |
| 195. | 147/1998 | गुजरात ससपेंसन लि. |
| 196. | 168/1998 | ट्यूबटेक सीमलैस लि. |
| 197. | 172/1998 | सारीगाम स्टील्स लि. |
| 198. | 176/1998 | दि अहमदाबाद एडवांस मिल्स लि. |
| 199. | 185/1998 | मार्डिया कॉपर प्रोडक्ट्स लि. |
| 200. | 206/1998 | गोबिन्द ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लि. |
| 201. | 208/1998 | बेन्जो पेट्रो केमिकल्स लि. |
| 202. | 213/1998 | गुजरात नर्मदा निटवियर लि. |
| 203. | 215/1998 | एस.के. फार्मास्यूटिकल्स लि. |
| 204. | 239/1998 | गुजरात बोरोसिल लि. |
| 205. | 258/1998 | डायमाइंस एंड केमिकल्स लि. |
| 206. | 272/1998 | मारवाल एग्रेक्स लिमिटेड |
| 207. | 283/1998 | ग्लोबल आर्या इण्डस्ट्रीज लि. |
| 208. | 295/1998 | राही केमिकल्स लिमिटेड |
| 209. | 298/1998 | बाहुमा पॉलीटेक्स लि. |
| 210. | 320/1998 | गुजरात लिका आर्गेनिक्स लि. |
| 211. | 328/1998 | जय एग्रो केमि. लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 212. | 331/1998 | एसोसिएटिड पल्प एंड पेपर मिल्स लि. |
| 213. | 339/1998 | हितायसम मेगनेटीज लि. |
| 214. | 342/1998 | प्रशान्त इंडिया लि. |
| 215. | 352/1998 | वोल्वो स्टील्स लि. |
| 216. | 353/1998 | शानिल ड्राईंग एंड प्रिंटिंग मिल्स लि. |
| 217. | 360/1998 | आर्म पॉलीमर्स लि. |
| 218. | 7/1999 | भगवती फाउण्डरीज लि. |
| 219. | 15/1999 | राजेश मेलयेबल्स लि. |
| 220. | 24/1999 | सारीगाम सीमलैस पाइप्स लि. |
| 221. | 35/1999 | एन.के. इण्डस्ट्रीज लि. |
| 222. | 41/1999 | जेनिथ रोपस प्रा. लिमिटेड |
| 223. | 83/1999 | स्टील्को गुजरात लिमिटेड |
| 224. | 86/1999 | श्री शक्ति विजय इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 225. | 97/1999 | इंडियन पोलीफिन्स लिमिटेड |
| 226. | 103/1999 | मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड |
| 227. | 118/1999 | संदीप इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 228. | 124/1999 | टोरेन्ट केबल्स लिमिटेड |
| 229. | 134/1999 | रंदेसरी रासायनि लिमिटेड |
| 230. | 139/1999 | टोरेन्ट गुजरात बायो-टेक लिमिटेड |
| 231. | 182/1999 | रोटोफलेक्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 232. | 186/1999 | रिशभ इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 233. | 198/1999 | एयर कंमाड इंडिया लि. |
| 234. | 206/1999 | वोल्गा एयर टेकनीक लि. |
| 235. | 268/1999 | वेल्टरमेन इंटर नेशनल लि. |
| 236. | 269/1999 | रूपांगी इम्पेक्स लि. |
| 237. | 271/1999 | ट्यूबेटेक सीमलेस लि. |
| 238. | 279/1999 | कानेल ऑयल एंड एक्सपोर्ट इण्डस्ट्रीज लमिटेड |
| 239. | 318/1999 | स्थलाघोर्षट इंजीनियरिंग (इंडिया) लि. |
| 240. | 319/1999 | वृन्दावन एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 241. | 340/1999 | संदीप टेक्सस्पीन लि. |
| 242. | 341/1999 | पार्श्व टेक्सटाइल प्रा. लि. |
| 243. | 342/1999 | नावपाद टेक्सटाइल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 244. | 343/1999 | शिखर यार्न लि. |
| 245. | 359/1999 | दादा केमिकल्स लि. |
| 246. | 360/1999 | रामोलीन टेक्सटाइल्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 247. | 370/1999 | राही केमिकल्स लि. |
| 248. | 392/1999 | शॉटेक्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 249. | 397/1999 | मार्डिया कॉयर एक्सट्रूजन्स लि. |
| 250. | 7/2000 | सिधी विनायक मेटल कं. लि. |
| 251. | 23/2000 | विक्रम स्टील प्रा. लि. |
| 252. | 25/2000 | हामको माइनिंग तथा स्मेलिटंग लि. |
| 253. | 67/2000 | सुरभि प्रिन्टस लि. |
| 254. | 68/2000 | मोनार्थ डाइस्टफर इण्डस्ट्रीज एण्ड एक्सपोर्टस |
| 255. | 75/2000 | आयोटा केमिकल्वर लि. |
| 256. | 83/2000 | मयूरडाई-केम इंटरमीडिएट्स लि. |
| 257. | 94/2000 | डी.आर. सोफ्टेक तथा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 258. | 104/2000 | मफतलाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 259. | 110/2000 | श्री दिगविजय सीमेंट कं. लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 260. | 117/2000 | पस्टपार्थ पेपर्स लि. |
| 261. | 126/2000 | सासवला पल्प तथा पेपर मिल्स प्रा. लि. |
| 262. | 134/2000 | हाइनोप फूड एंड ऑयल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 263. | 153/2000 | कनोरिया डाई-केमि. लि. |
| 264. | 175/2000 | द अहमदाबाद केसर-ई-हिन्द मिल्स लि. |
| 265. | 176/2000 | संघवी राइटिंग इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 266. | 198/2000 | टेक्सेल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 267. | 211/2000 | गुलकेस डिस्टीलर्स इंडिया लि. |
| 268. | 232/2000 | रोटोफ्लेक्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 269. | 247/2000 | कायल सिन्टेक्स लि. |
| 270. | 253/2000 | स्टेनरोज स्टील्स लि. |
| 271. | 254/2000 | जी.एस.एल. (इंडिया) लि. |
| 272. | 270/2000 | मार्डिया केमिकल्स लि. |
| 273. | 310/2000 | टेक्सप्रिन्ट इंजीनियर्स प्रा. लि. |
| 274. | 315/2000 | बाहुया पोलीटेक्स लि. |
| 275. | 316/2000 | संघवी राइटिंग पोम्टस (पी.) लि. |
| 276. | 322/2000 | स्वीफ्ट प्रेस प्रा. लि. |
| 277. | 341/2000 | जोरा फार्मा. लि. |
| 278. | 357/2000 | एन.के. इण्डस्ट्रीज |
| 279. | 362/2000 | सोराष्ट्र पेपर एंड बोर्ड मिल्स लि. |
| 280. | 380/2000 | क्लासिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 281. | 385/2000 | महेन्द्रा पेट्रोकेमिकल्स लि. |
| 282. | 387/2000 | एल.एम.पी. गुजरात एग्रो एक्सपोर्टस लि. |
| 283. | 401/2000 | कावेरी पोली स्नेक्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 284. | 425/2000 | श्री कृष्णकेशन लेबोरेटरीज (इंडिया) लि. |
| 285. | 4/2001 | रूपांगी इम्पेक्स लि. |
| 286. | 8/2001 | जिली केमी लेबोरेटरीज लि. |
| 287. | 13/2001 | भगवती ग्लास कम्टेनर्स लि. |
| 288. | 24/2001 | गुजरात स्पेशिलिटी ल्यूबर लि. |
| 289. | 61/2001 | परशुराम पोटरी वर्क्स कं. लि. |
| 290. | 73/2001 | स्पेशल टिप्स लि. |
| 291. | 74/2001 | सहेली वस्त्र उद्योग लि. |
| 292. | 78/2001 | कमल ऑयल एंड एक्सपोर्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 293. | 82/2001 | संदीप सीमेंट प्रा. लि. |
| 294. | 92/2001 | गुजरात फिलामेंटस लि. |
| 295. | 94/2001 | दादा केमिकल्स लि. |
| 296. | 100/2001 | राजहंस फूड लि. |
| 297. | 101/2001 | मलहोत्रा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 298. | 112/2001 | ला. बेल लेमिनेटस प्रा. लि. |
| 299. | 135/2001 | किनारीवाला स्पिनर्स लि. |
| 300. | 149/2001 | कोर हेल्थकेयर लि. |
| 301. | 173/2001 | चारभुजिया मेटल्स लि. |
| 302. | 174/2001 | श्री योगी स्टील प्रा. लि. |
| 303. | 183/2001 | श्री प्रमुख इण्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड |
| 304. | 197/2001 | अतुल आयलकेक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 305. | 199/2001 | मार्डिया केमिकल्स लि. |
| 306. | 201/2001 | गोल्ड मल्टीफेब लि. |
| 307. | 209/2001 | मोड्रन टेरी जोवेल्स लि. |
| 308. | 211/2001 | हियासबम मोरानैटिक्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 309. | 215/2001 | जला पोलिस्टर्स लि. |
| 310. | 223/2001 | रघुनाथ सिल्क मिल्स लि. |
| 311. | 224/2001 | हिमाली स्टील्स लि. |
| 312. | 236/2001 | नंदी प्रोटीन्स लि. |
| 313. | 240/2001 | जय भारत फेब्रिक्स लि. |
| 314. | 245/2001 | दुर्गा रिकॉल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 315. | 255/2001 | द अनूप इंजीनियरिंग लि. |
| 316. | 268/2001 | मधुरिफायल्स एंड केमिकल्स लि. |
| 317. | 304/2001 | एन.बी.जे. वनकम्पाउण्ड्स प्रा. लि. |
| 318. | 316/2001 | सुजलोन फाइबर्स लि. |
| 319. | 319/2001 | मेगसन रबड़ इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 320. | 346/2001 | हैप्पी टेक्सटाइल लि. |
| 321. | 350/2001 | दीप्ती एलायस स्टील लि. |
| 322. | 353/2001 | अपना पेपर मिल्स प्रा. लि. |
| 323. | 370/2001 | पंचमहल स्टील प्रा. लि. |
| 324. | 384/2001 | स्वीफ्ट प्रेस प्रा. लि. |
| 325. | 404/2001 | कोर एम्बेलेंस लि. |
| 326. | 423/2001 | राजू कोटेक्स लि. |
| 327. | 427/2001 | सर्वोत्तम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 328. | 432/2001 | दादरा वाला पेपर्स लि. |
| 329. | 433/2001 | टेक्सेल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 330. | 437/2001 | श्री हरिराज पेपर्स लि. |
| 331. | 457/2001 | नोवेना केमिकल्स लि. |
| 332. | 1/2002 | बाहुमा पोलीटेक्स लि. |
| 333. | 10/2002 | एक्सी ओम मादीसर्ज लि. |
| 334. | 26/2002 | मार्डिया कॉयर एक्सट्रजन लि. |
| 335. | 64/2002 | स्मृति सिरेमिक्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 336. | 68/2002 | प्रेम नमक उद्योग लि. |
| 337. | 76/2002 | सारासिल अल्ट्रा केमि. (एक्सपोर्टस) लि. |
| 338. | 90/2002 | सावला पल्प एंड पेपर मिल्स प्रा. लि. |
| 339. | 99/2002 | घनश्याम स्टील वर्क्स लिमिटेड |
| 340. | 100/2002 | टयूबेटेक सीमलेस लि. |
| 341. | 135/2002 | श्री भगवती ब्राइट बार्स लिमिटेड |
| 342. | 142/2002 | सिट्रान आर्गेनिक्स लि. |
| 343. | 157/2002 | काडकिया अल्कलीज एंड केमिकल्स लि. |
| 344. | 170/2002 | रोटोफ्लेक्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 345. | 179/2002 | रीमा पेपर एंड बोर्ड लि. |
| 346. | 180/2002 | श्री एक्स ट्रूजन्स लि. |
| 347. | 190/2002 | एम.एच. मिल्स एंड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 348. | 198/2002 | नोवा इंटरनेशनल लि. |
| 349. | 219/2002 | नेपच्यून स्पिनर्स प्रा. लि. |
| 350. | 223/2002 | एपेक्स इलैक्ट्रिकल्स लि. |
| 351. | 230/2002 | एम.आई.जी. वेल्ड एंड मशीन्स लि. |
| 352. | 238/2002 | संदीप सीमेंट्स प्रा. लि. |
| 353. | 261/2002 | गुजरात मेटल कास्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 354. | 264/2002 | उसमान पेपर मिल्स लि. |
| 355. | 266/2002 | मारूति को आत्सू सिलेंडर प्रा. लि. |
| 356. | 288/2002 | प्रिज्म इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 357. | 289/2002 | [illegible]को सीमलैस रिंगंन (गुजरात) लि. |
| 358. | 296/2002 | पे[illegible] आटो [illegible] |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 359. | 311/2002 | मार्डिया केमिकल्स लि. |
| 360. | 312/2002 | इन्दू निशान ओक्सो केमिकल्स इण्डस्ट्रीज लि. |
| 361. | 315/2002 | अकबर लेमिनेशन लि. |
| 362. | 318/2002 | डीलक्स क्राफ्टस बोर्ड प्रा. लि. |
| 363. | 326/2002 | कार्निवाला स्पिनर्स लि. |
| 364. | 327/2002 | चारभुजा मेटल्स प्रा. लि. |
| 365. | 338/2002 | सिंफोनी कम्फोर्ट सिस्टम लि. |
| 366. | 340/2002 | कर्नाटक ज्वेल्स लि. |
| 367. | 353/2002 | जत्ता पोलीस्टर्स लि. |
| 368. | 373/2002 | मार्क वाकर्स आप्टिकल्स लि. |
| 369. | 389/2002 | महिन्द्रा गुजरात ट्रेक्टर लि. |
| 370. | 398/2002 | एलेम्बिक ग्लास इण्डस्ट्रीज लि. |
| 371. | 400/2002 | सावला पल्प एंड पेपर्स मिल्स प्रा. लि. |
| 372. | 401/2002 | श्री जी इण्डस्ट्रीज लि. |
| 373. | 403/2002 | पान पाइप्स रेसप्लेंडेटंस लि. |
| 374. | 409/2002 | गिरीराज फाइबर्स प्रा. लि. |
| 375. | 452/2002 | बाहुमा पालीटेक्स लि. |
| 376. | 453/2002 | भगवती ग्लास कन्टेनर्स लि. |
| 377. | 458/2002 | हितायुसुन मेगनेटिक्स लि. |
| 378. | 459/2002 | माजना टेक्सटाइल इण्डस्ट्रीज लि. |
| 379. | 460/2002 | दिव्या फाइबर लि. |
| 380. | 471/2002 | ऊमा पेट्रोप्रोडक्ट्स इंडिया लि. |
| 381. | 483/2002 | प्रेम नमक उद्योग प्रा. लि. |
| 382. | 1/2003 | मधु रिफायल्स एंड केमिकल्स लि. |
| 383. | 13/2003 | एक्सीओम मेडीसर्ज लि. |
| 384. | 37/2003 | फेनिल इंफोर्मेशन सिस्टम्स प्रा. लि. |
| 385. | 38/2003 | सेफ इलैक्ट्रानिक्स लि. |
| 386. | 46/2003 | कर्नाटक स्टील इण्डस्ट्रीज लि. |
| 387. | 52/2003 | पीटर प्लास्ट सिन्थेटिक्स प्रा. लि. |
| 388. | 58/2003 | स्मृति सिरेमिक्स इण्डस्ट्रीज लि. |
| 389. | 75/2003 | मार्डिया कॉयर एक्सट्रजन्स लि. |
| 390. | 101/2003 | सूरत टेक्सटाइल मिल्स लि. |
| 391. | 105/2003 | रोटोफ्लेक्स इण्डस्ट्रीज लि. |
| 392. | 108/2003 | एन.के. इण्डस्ट्रीज लि. |
| 393. | 115/2003 | पंजाब स्टील रोलिंग मिल्स |
| 394. | 116/2003 | प्रशान्त इंडिया लि. (बड़ोदा) लि. |
| 395. | 118/2003 | हामको माइनिंग एंड स्मेल्टिंग लि. |
| 396. | 119/2003 | आदित्य पालीमर्स लि. |
| 397. | 130/2003 | हाइनप फूड एंड ऑयल इण्ड. लि. |
| 398. | 156/2003 | नंदी प्रोटीन्स लि. |
| 399. | 159/2003 | केनल ऑयल एंड एक्सफोर्ट इण्ड. लि. |
| 400. | 175/2003 | मेघा इन्सुलेशन्स प्रा. लि. |
| 401. | 178/2003 | फिलोक्स फार्मास्युटिकल्स लि. |
| 402. | 188/2003 | कर्णावती आफसेट प्रा. लि. |
| 403. | 209/2003 | संदीप सीमेंट्स प्रा. लि. |
| 404. | 225/2003 | स्केन प्वायन्ट ग्राफिक्स लि. |
| 405. | 227/2003 | कोर एम्बेलेन्स लि. |
| 406. | 242/2003 | स्पेशल टिप्स लि. |
| 407. | 246/2003 | नेपचून टेक्सटाइल्स मिल्स लि. |
| 408. | 260/2003 | आशापुरा प्रोटीन्स (पी) लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 409. | 262/2003 | एच.एम. मिल्स एंड इन्डस्ट्रीज लि. |
| 410. | 264/2003 | मार्डिया कैमिकल्स लि. |
| 411. | 270/2003 | पान ड्रग्स लि. |
| 412. | 271/2003 | जय भारत फेब्रिक्स मिल्स लि. |
| 413. | 277/2003 | आर्यमेन स्पिनर्स प्रा. लि. |
| 414. | 290/2003 | ओंकार टेक्सटाइल मिल्स लि. |
| 415. | 296/2003 | सावला पल्प एंड पेपर मिल्स प्रा. लि. |
| 416. | 310/2003 | श्री एक्सट्रूजन्य लि. |
| 417. | 327/2003 | वैभव पेपर बोर्डस प्रा. लि. |
| 418. | 346/2003 | घरेलू स्पीसिज एंड फूड्स प्रा. लि. |
| 419. | 347/2003 | आदित्य फोर्ज लि. |
| 420. | 362/2003 | ला-बेल लेमिनेटस (पी) लि. |
| 421. | 363/2003 | एमराल्ड पेपर मिल्स प्रा. लि. |
| 422. | 371/2003 | गुजरात साइप्रोमेट लि. |
| 423. | 385/2003 | इजी स्लाइड फासनर्स लि. |
| 424. | 391/2003 | दीप्ती एलॉय स्टील लि. |
| 425. | 405/2003 | पान पाइल्स रेस्पलेंडेंट्स लि. |
| 426. | 409/2003 | सर्वोत्तर इण्डस्ट्रीज लि. |
| 427. | 2/2004 | प्रेम नमक उद्योग प्रा. लि. |
| 428. | 14/2004 | नेपच्यून स्पिन फेब प्रा. लि. |
| 429. | 15/2004 | नोवेनो केमिकल्स प्रा. लि. |
| 430. | 28/2004 | धमेन्द्र इण्डस्ट्रीज लि. |
| 431. | 29/2004 | नंदी प्रोटीन्स लि. |
| 432. | 30/2004 | कोर हेल्थकेयर लि. |
| 433. | 31/2004 | कोर हेल्थकेयर लि. |
| 434. | 32/2004 | कोर हेल्थकेयर लि. |
| 435. | 39/2004 | प्रशान्त इंडिया लि. |
| 436. | 50/2004 | इन्दु निशान और केमिकल, इण्डस्ट्रीज लि. |
| 437. | 70/2004 | श्री जी. फॉसफेट लि. |
| 438. | 71/2004 | रविराज फोयल्स लि. |
| 439. | 86/2004 | एन.के. इण्डस्ट्रीज लि. |
| 440. | 88/2004 | नेपच्यून इक्विपमेंट प्रा. लि. |
| 441. | 99/2004 | फोर्ज एंड ब्लोवर इण्डस्ट्रीज लि. |
| 442. | 100/2004 | सुपरटेक्स इण्डस्ट्रीज लि. |
| 443. | 101/2004 | सुपरटेक्स इण्डस्ट्रीज लि. |
| 444. | 127/2004 | ट्राइसन्स कैमिकल इण्डस्ट्रीज लि. |
| 445. | 129/2004 | किरण टेक्स प्रिन्ट प्रा. लि. |
| 446. | 155/2004 | आलोक सिन्थेटिक्स लि. |
| 447. | 156/2004 | गोपी सिन्थेटिक्स लि. |
| 448. | 170/2004 | गुजरात टेलीफोन केबल लि. |
| 449. | 180/2004 | गोपी सिन्थेटिक्स लि. |
| 450. | 193/2004 | जयन्त एक्सट्रेक्शन इण्ड. प्रा. लि. |
| 451. | 197/2004 | जी.टी.सी.एल. मोबाइल कॉम टेक्नोलोजी लि. |
| 452. | 201/2004 | वज्र बीयरिंग लि. |
| 453. | 210/2004 | नेशनल फ्लास्क इण्डस्ट्रीज लि. |
| 454.- | 216/2004 | हेमी पेट्रो प्रोडक्ट्स लि. |
| 455. | 221/2004 | इन्कॉरपोरेटिड इंजीनियर्स लि. |
| 456. | 229/2004 | स्केनप्वायन्फ ग्राफिक्स लि. |
| 457. | 242/2004 | मोनो एक्रिग्लास इण्डस्ट्रीज लि. |
| 458. | 244/2004 | श्रामतग्भार फेब्रिक्स प्रा. लि. |
| 459. | 249/2004 | जी.एल.डी. [illegible]टीफेब लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 460. | 253/2004 | नूजेन मशनरीस लि. |
| 461. | 267/2004 | गुजरात सिप्रोमेट लि. |
| 462. | 277/2004 | धमेन्द्र एग्री फूड इण्ड. लि. |
| 463. | 282/2004 | अक्षत पेपर लि. |
| 464. | 298/2004 | कान्हा फेरो एलायस लि. |
| 465. | 307/2004 | टेक्साको सिन्थेटिक्स लि. |
| 466. | 312/2004 | मार्डिया केमिकल्स लि. |
| 467. | 363/2004 | गुजरात लिक्विं फार्माकेप्स प्रा. लि. |
| 468. | 367/2004 | डुकाट एग्रो एक्सट्रेक्टस लि. |
| 469. | 373/2004 | इन्दू निशान ओक्सो केमिकल्स इण्डस्ट्रीज लि. |
| 470. | 377/2004 | यूनिक डिहाइड्रेट्स लि. |
| 471. | 383/2004 | एन.के. इण्डस्ट्रीज लि. |
| 472. | 7/2005 | ज्योति लि. |
| 473. | 13/2005 | पान ड्रग्स लि. |
| 474. | 21/2005 | युवराज इण्डस्ट्रीज लि. |
| 475. | 25/2005 | सर्वोत्तम इण्डस्ट्रीज लि. |
| 476. | 29/2005 | क्लेरिसिस आर्गेनिक्स लि. |
| 477. | 38/2005 | रविराज फोयल्स लि. |
| 478. | 46/2005 | स्पेशल प्रिन्टस लि. |
| 479. | 62/2005 | अरूणोदय मिल्स लि. |
| 480. | 63/2005 | प्रशान्त इंडिया लि. |
| 481. | 73/2005 | के.बी. टेक्सस्पिन लि. |
| 482. | 83/2005 | हेमन्त प्लास्पिकस एंड केमिकल्स लि. |
| 483. | 100/2005 | झावेरी पालीमर्स प्रा. लि. |
| 484. | 106/2005 | गुजरात आप्टिकल कम्यूनिकेशन लि. |
| 485. | 141/2005 | रोनक सिरेमिक इण्डस्ट्रीज लि. |
| 486. | 145/2005 | फाइबर वेब (इंडिया) लि. |
| 487. | 150/2005 | नर्मदा रोलर एंड पल्स मिल्स प्रा. लि. |
| 488. | 152/2005 | माल्विका इंजीनियर्स लि. |
| 489. | 159/2005 | बड़ौदा पोलीप्लास्ट लि. |
| 490. | 160/2005 | स्काईलीड केमिकल्स लि. |
| 491. | 164/2005 | ब्रोच टेक्सटाइल मिल्स लि. |
| 492. | 167/2005 | सन स्टार फर्नीचर वुड्स लि. |
| 493. | 168/2005 | डेयरी डेन लि. |
| 494. | 169/2005 | डेयरी डेन कियोस्क लि. |
| 495. | 1/2006 | जमनादास माधवजी इंटरनेशनल लि. |
| 496. | 9/2006 | मै. सौराष्ट्र सीमेंट लि. |
| 497. | 139/2006 | मै. श्री रबड़ इण्डस्ट्रीज |
| 498. | 16/2006 | मै. रामा फिलामेंट्स प्रा. लि. |
| 499. | 22/2006 | मै. मधु रिफायल्स एंड केमिकल्स लि. |
| 500. | 27/2006 | मै. स्काई लिंक केमिकल्स प्रा. लि. |
| 501. | 34/2006 | मै. प्राइम फर्नीशिंग प्रा. लि. |
| 502. | 37/2006 | मै. देव श्री सिन्टेक्स प्रा. लि. |
| **हरियाणा** | | |
| 1. | 20/1987 | नार्दन इंडिया आयरन एंड स्टील कं |
| 2. | 86/1987 | यूनीवर्सल स्टील एंड एलोयस |
| 3. | 95/1987 | परफेक्ट पेक लि. |
| 4. | 116/1987 | राधिका वुलन एंड सिल्क मिल्स |
| 5. | 142/1987 | पान फूड्स लि. |
| 6. | 156/1987 | ओम स्टील ट्यूब लि. |
| 7. | 225/1987 | बेक्को इंजी. |
| 8. | 251/1987 | आटोपिन्स (इंडिया) |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 9. | 255/1987 | एल्सन कॉटन |
| 10. | 288/1987 | झलानी टूल्स |
| 11. | 11/1988 | तिरूपति वुलन |
| 12. | 40/1988 | रामा फाइबर |
| 13. | 64/1988 | कृष्णा सोलवेंट इण्ड. |
| 14. | 82/1988 | सिकन्ड लि. |
| 15. | 96/1988 | बी.सी.आर. लि. |
| 16. | 137/1988 | सिरोक्को आटो प्रा. लि. |
| 17. | 231/1988 | जी.टी.एम. सिन्थेटिक्स लि. |
| 18. | 234/1988 | जे.बी. पेपर मिल्स लि. |
| 19. | 238/1988 | कोरालिया इलैक्ट्रानिक्स प्रा. लि. |
| 20. | 280/1988 | मल्टी टेक इंटरनेशनल लि. |
| 21. | 50/1989 | क्यू.एच. टालब्रोस लि. |
| 22. | 62/1989 | रोहतक टेक्सटाइल्स |
| 23. | 66/1989 | फोर्जिंग्स लि. |
| 24. | 73/1989 | क्लच आटो लि. |
| 25. | 82/1989 | सिद्धार्थ पेपर मिल्स |
| 26. | 87/1989 | गैलेक्सी पावर केबल्स लि. |
| 27. | 152/1989 | सूरज स्टील |
| 28. | 5/1990 | यूनाइटेड फार्मा इंटरनेशनल |
| 29. | 57/1990 | भारत स्टील ट्यूबस लि. (बी.एस.टी. मेन्यूफे.) |
| 30. | 66/1990 | डाबरीवाला स्टील |
| 31. | 139/1990 | रबड़ रिक्लाम कं. ऑफ इंडिया |
| 32. | 18/1991 | क्योरवेल (इंडिया) लि. |
| 33. | 26/1991 | संचेम प्रोसेसिंग इंड. लि. |
| 34. | 27/1991 | पी.एस.बी. पेपर मिल (प्रा.) लि. |
| 35. | 29/1991 | अशोक ऑयल स्टील्स प्रा. लि. |
| 36. | 71/1991 | जोगिन्दर स्टील एंड ट्यूबस लि. |
| 37. | 91/1991 | सत्यम साइनफेब लि. |
| 38. | 1/1992 | हरियाणा आटो कार्स्टिग्स |
| 39. | 19/1992 | खोसला फाउंड्री लि. |
| 40. | 2/1993 | इलेक्ट्रानिक्स लि. |
| 41. | 13/1993 | सुरेका काटेड ट्यूबस एंड शीट्स लि. |
| 42. | 56/1993 | सत्यम साइनफेब लि. |
| 43. | 70/1993 | डी.एच. वुडहेड लि. |
| 44. | 28/1994 | मेटलेक्स सिरेमिक्स लि. |
| 45. | 123/1994 | कायम फूड इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. |
| 46. | 132/1994 | भिवानी कोल्ड रोलिंग मिल्स. लि. |
| 47. | 137/1994 | विक्टर केबल इण्डस्ट्रीज लि. |
| 48. | 152/1994 | ट्रेकटेल टिफोर इंडिया प्रा. लि. |
| 49. | 155/1994 | बोर्नमान इंडिया लि. |
| 50. | 165/1994 | हेनेन इंडिया लि. |
| 51. | 36/1995 | पसुपति हरियाणा वुलन लि. |
| 52. | 43/1995 | यूनिवर्सल कन्वेयर वेल्टिंग |
| 53. | 55/1995 | यूटिलिटी इंजीनियर्स (इंडिया) लि. |
| 54. | 83/1995 | कंसॉलिडेटिड रेडियेटर |
| 55. | 49/1996 | प्रताप स्टील लि. |
| 56. | 52/1996 | ईस्ट इंडिया काटन मेन्यूफे. कं. लि. |
| 57. | 74/1996 | वर्षा स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 58. | 2/1997 | छतार इण्डस्ट्रीज लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 59. | 49/1997 | इंटरनेशनल सिरेमिक लि. |
| 60. | 53/1997 | हरियाणा पेट्रोकेमिकल्स लि. |
| 61. | 59/1997 | हरियाणा टेक्सटाइल्स कार्पो लि. |
| 62. | 79/1997 | रिषभ फूड प्रोडक्ट्स लि. |
| 63. | 121/1997 | फोयनेक्स फाइन केमि. प्रा. लि. |
| 64. | 151/1997 | सोभाग टेक्सटाइल्स लि. |
| 65. | 158/1997 | रिषभ एग्रो इण्डस्ट्रीज लि. |
| 66. | 165/1997 | हिसार सीमेंट्स प्रा. लि. |
| 67. | 168/1997 | जरसी इंडिया लि. |
| 68. | 190/1997 | गंगा सागर एंड कं. प्रा. लि. |
| 69. | 197/1997 | कोवेंट्री कोयल-ओ-मेटिक (हरियाणा) लि. |
| 70. | 213/1997 | मारुति सिंटेक्स (आई) लि. |
| 71. | 25/1998 | दीपक पाइप्स इंडिया लि. |
| 72. | 34/1998 | मेल रोलर फ्लोर मिल्स (पी) लि. |
| 73. | 36/1998 | हरियाणा ट्यूबस मेन्युफेक्चरिंग कं. लि. |
| 74. | 48/1998 | भारकरा इण्डस्ट्रीज लि. |
| 75. | 72/1998 | आर.पी. स्पिनटेक्स लि. |
| 76. | 93/1998 | भिवानी डेनिम एंड एपरल्स लि. |
| 77. | 104/1998 | इण्डो टेक्सप्रिन्टर (ओवरसीज) लि. |
| 78. | 110/1998 | हरियाणा ब्रीवेरिज लि. |
| 79. | 119/1998 | स्वराज एग्रो ऑयल्स लि. |
| 80. | 123/1998 | बी.आर.डी. टेक्सटाइल्स |
| 81. | 128/1998 | एम.एल.जी. इण्डस्ट्रीज लि. |
| 82. | 142/1998 | सुभारी पेपर्स प्रा. लि. |
| 83. | 153/1998 | संदीप सिरेमिक्स लि. |
| 84. | 195/1998 | सेंचुरी प्रोटीन्स लि. |
| 85. | 250/1998 | फरीदाबाद फोर्जिंग्स (पी) लि. |
| 86. | 263/1998 | कपिल रोलर फ्लोर मिल्स लि. |
| 87. | 278/1998 | सी.ई.सी. लिमिटेड |
| 88. | 336/1998 | जी.के. टेक्सटाइल्स लि. |
| 89. | 9/1999 | जय विनिल्स लि. |
| 90. | 27/1999 | ओ.के. प्ले इंडिया लि. |
| 91. | 36/1999 | हरियाणा टेल्कॉम |
| 92. | 45/1999 | श्री वर्धमान ओवरसीज लि. |
| 93. | 74/1999 | एस.जे. निटिंग एंड फिनिशिंग मिल्स |
| 94. | 81/1999 | सेंचुरी ट्यूबस लि. |
| 95. | 135/1999 | बी.ई.एच.एल. रोलर फ्लोर मिल्स लि. |
| 96. | 263/1999 | वेस्ट्रन फूड्स लि. |
| 97. | 287/1999 | अनंतराज इण्डस्ट्रीज लि. |
| 98. | 325/1999 | एडवांस इण्डस्ट्रीज लि. |
| 99. | 356/1999 | ए.एन.एस. एग्रो. इण्डस्ट्रीज लि. |
| 100. | 362/1999 | हिल्टन रबर्स लि. |
| 101. | 365/1999 | अरावली (इंडिया) लि. |
| 102. | 384/1999 | इण्डो वेनिलॉन केमिकल्स लि. |
| 103. | 389/1999 | हरियाणा स्टील एंड एलायस लि. |
| 104. | 42/2000 | लोरल आर्गेनिक्स लि. |
| 105. | 50/2000 | इंडिया सल्फाशिड इण्डस्ट्रीज लि. |
| 106. | 168/2000 | श्री गणेस रोलिंग मिल्स लि. |
| 107. | 173/2000 | सेमसंस पेपर इण्डस्ट्रीज लि. |
| 108. | 179/2000 | शुभ कोटिंग लि. |
| 109. | 223/2000 | एनचांटे ज्वैलरी लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 110. | 227/2000 | मुदगिल फाइबर्स लि. |
| 111. | 256/2000 | वेस्टन कंपोनेट्स लि. |
| 112. | 260/2000 | जी.टी.एम. सिंथेटिक्स लि. |
| 113. | 423/2000 | श्री वर्धमान सोलवेक्स लि. |
| 114. | 22/2001 | जय लक्ष्मी स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 115. | 33/2001 | प्रभात क्रायो गैसिस प्रा. लि. |
| 116. | 43/2001 | जगदम्बा फूड्स लि. |
| 117. | 45/2001 | इण्डोवेनिलॉन केमिकल्स लि. |
| 118. | 75/2001 | हिसार स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 119. | 193/2001 | इन्नोवेटिव टेकपेक लि. |
| 120. | 214/2001 | श्री वर्धमान ओवरसीज लि. |
| 121. | 249/2001 | पुंज टील मशीन टूल्स प्रा. लि. |
| 122. | 250/2001 | पंकज एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. |
| 123. | 415/2001 | श्री वर्धमान सोलवेक्स लि. |
| 124. | 65/2002 | तिरूपति सिरेमिक लि. |
| 125. | 141/2002 | भानु इण्डस्ट्रीज लि. |
| 126. | 227/2002 | हरियाणा स्ट्रिप्स (पी) लि. |
| 127. | 244/2002 | भानु स्टील (पी) लि. |
| 128. | 307/2002 | ज्योति वनस्पति एंड एलाइड इण्डस्ट्रीज लि. |
| 129. | 334/2002 | हिसार स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 130. | 395/2002 | श्री वर्धमान राइस इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. |
| 131. | 2/2003 | हिसार स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 132. | 6/2003 | भानु इण्डस्ट्रीज (पी) लि. |
| 133. | 31/2003 | श्री वर्धमान सोलवेक्स लि. |
| 134. | 266/2003 | इन्नोवेटिव टेक पेक लि. |
| 135. | 330/2003 | बिसको लि. |
| 136. | 352/2003 | भिवानी फाइबर्स लि. |
| 137. | 354/2003 | श्री वर्धमान सोल्वज लि. |
| 138. | 359/2003 | हरियाणा स्टील एंड एलायस लि. |
| 139. | 44/2004 | ए.सी.ई. बायगनोस्टिक्स तथा बायोटेक लि. |
| 140. | 214/2004 | एस.के. फायल्स लि. |
| 141. | 246/2004 | मंगलम स्ट्रिप्स प्रा. लि. |
| 142. | 248/2004 | पदम कॉटन (पी) लि. |
| 143. | 97/2005 | श्री वर्धमान सोलवेक्स लि. |
| 144. | 36/2006 | मै. पेकेजिंग लि. |
| **हिमाचल प्रदेश** | | |
| 1. | 72/1987 | बरोठीवाला पेपर मिल्स प्रा. लि. |
| 2. | 163/1987 | पामवी स्पेसिलिपी एंड टिशू पेपर्स लि. |
| 3. | 308/1987 | सराव पेपर मिल्स लि. |
| 4. | 58/1988 | शैल पेपर्स प्रा. लि. |
| 5. | 162/1988 | थिरानी केमिकल्स लि. |
| 6. | 175/1988 | प्रोम्टो स्टीयरिंग्स |
| 7. | 227/1988 | एच.पी. रूपेकलेम |
| 8. | 237/1988 | लालजी पेपर मिल्स |
| 9. | 261/1988 | हिमाचल एयर प्रोडक्ट प्रा. लि. |
| 10. | 33/1989 | जय माता रोल्ड ग्लास लि. |
| 11. | 56/1989 | एडम्स पेपर प्रोडक्ट्स प्रा. लि. |
| 12. | 95/1989 | विलेज पेपर्स |
| 13. | 163/1989 | कंवर पेपर्स |
| 14. | 195/1989 | प्योरवाल एंड एसोसिएटिड लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 15. | 55/1990 | एस.आर. फोर्जिंग |
| 16. | 83/1990 | कोनवेल केन्स |
| 17. | 94/1990 | शिवालिक कास्टिंग्स |
| 18. | 110/1990 | रांगड ब्रीवेरीज |
| 19. | 127/1990 | अतुल कास्टिंग्स |
| 20. | 101/1991 | गेलोपजिलेटिन्स लि. |
| 21. | 10/1992 | देसराज पेपर्स (पी) लि. |
| 22. | 51/1992 | स्नेह इण्डस्ट्रीज लि. |
| 23. | 53/1992 | यूनि टेकनो सिलेंडर्स प्रा. लि. |
| 24. | 24/1993 | रिषभ इस्पात लि. |
| 25. | 40/1993 | सिरमोर सुडबर्ग आटो लि. |
| 26. | 89/1993 | गेलोप जिलेटिन्स प्रा. लि. |
| 27. | 36/1994 | टिसू एंड फाइबर्स लि. |
| 28. | 45/1994 | विक्रम सीमेंट्स |
| 29. | 129/1994 | हिम इस्पात लि. |
| 30. | 19/1995 | श्री रामा स्टील्स प्रा. लि. |
| 31. | 40/1995 | डिजिटल डिवाइस लि. |
| 32. | 3/1996 | इंजीनियरिंग इन्नोवेशन्स लि. |
| 33. | 17/1996 | इंडियन मेगनेटिक लि. |
| 34. | 47/1996 | विक्रम सीमेंट्स |
| 35. | 42/1997 | लक्ष्मी रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि. |
| 36. | 54/1997 | हिमाचल सीमेंट प्रा. लि. |
| 37. | 98/1997 | बी.सी.सी. फ्यूबा इंडिया लि. |
| 38. | 16/1998 | हिमाचल एडवांसड सरकिट लि. |
| 39. | 243/1998 | ओबराय प्लास्टिक लि. |
| 40. | 349/1998 | जे.के. लेदर राइट लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 41. | 236/2000 | हिम नीले ब्रीवेरीज लि. |
| 42. | 240/2000 | सिगमा सीमेंट्स लि. |
| 43. | 340/2000 | ईडर टेकनोलोजीज लि. |
| 44. | 364/2001 | जयमाता ग्लास लि. |
| 45. | 39/2002 | मेजेस्टिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 46. | 14/2003 | विनर निप्पोन इलैक्ट्रानिक्स लि. |
| 47. | 250/2004 | हिम टेकनोफोर्स लि. |
| **जम्मू और कश्मीर** | | |
| 1. | 7/1991 | जे. एंड के. रिगरेटा |
| 2. | 92/1991 | फार्मा रिनिन्स प्रा. लि. |
| 3. | 26/1994 | एसीम कोटेड स्टील (जे. एंड के.) लि. |
| 4. | 87/1994 | जे. एंड के. रूबकलेम प्रा. लि. |
| 5. | 110/1994 | हरियाणा मेलेबल एंड एलॉय कास्टिंग्स लि. |
| 6. | 32/1996 | ट्रानासिया ट्यूबस एंड इण्डस्ट्रीज लि. |
| **झारखंड** | | |
| 1. | 6/1987 | बिहार कास्टिक |
| 2. | 63/1987 | अशोका सीमेंट |
| 3. | 98/1987 | इण्डस्ट्रीयल फोर्ज एंड इंजी. |
| 4. | 140/1987 | ऊषा गेसिस उद्योग लि. |
| 5. | 171/1987 | श्री राम नीडल बीयरिंग्स |
| 6. | 201/1987 | श्री राम बियरिंग |
| 7. | 236/1987 | बिहार सोलक्स लि. |
| 8. | 257/1987 | रोहतास इण्डस्ट्रीज |
| 9. | 266/1987 | हेरी रिफ्रैक्टरी एंड सिरेमिक्स |
| 10. | 272/1987 | सोने वेली पोर्टलेंड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 11. | 8/1988 | बिहार फायरब्रिक्स एंड पेटरीज लि. |
| 12. | 65/1988 | कुमार धुबी फायर क्ले सिलिका वर्क्स |
| 13. | 88/1988 | सेराइकेला ग्लास वर्क्स |
| 14. | 140/1988 | एल्लेन ड्रिंक्स |
| 15. | 206/1988 | बिहार गेसिस लि. |
| 16. | 228/1988 | बिहार वुलन फेब्रिक्स लि. |
| 17. | 114/1989 | इन्डस इलैक्ट्रानिक्स लि. |
| 18. | 164/1989 | राजहंस स्टील |
| 19. | 104/1991 | फ्यूजन इंजी. प्रोडक्ट्स लि. |
| 20. | 123/1991 | इंडिया आटोमोटिक लि. |
| 21. | 64/1992 | रिषि सीमेंट कंपनी लि. |
| 22. | 51/1996 | अंबिका व्हीट प्रोडक्ट्स प्रा. लि. |
| 23. | 69/1996 | बिहार स्पंज आयरन लि. |
| 24. | 111/1997 | रवि हाई टेक लि. |
| 25. | 5/1998 | उमी स्पेशल स्टील लि. |
| 26. | 146/1999 | एस.एस.एल. स्टील लि. |
| 27. | 50/2001 | अक्षय टेकनोलोजी (पी) लि. |
| 28. | 88/2001 | ईस्टर्न साइनपेकस लि. |
| 29. | 156/2001 | मिहीजाम वनस्पति लि. |
| 30. | 59/2002 | ईस्टर्न नाप्था केमि. लि. |
| 31. | 85/2002 | रिषी सीमेंट कं. लि. |
| 32. | 224/2002 | अक्षय रोल मिल (पी) लि. |
| 33. | 277/2002 | के. स्टील प्राइवेट लि. |
| 34. | 139/2003 | अक्षय टेकनोलोजीज (पी) लि. |
| 35. | 216/2003 | रिषी सीमेंट कं. लि. |
| 36. | 81/2004 | सुपर स्टील कास्टिंग लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| **केरल** | | |
| 1. | 39/1987 | प्रीमियर टायर्स लि. |
| 2. | 62/1987 | पीयरलाइट वायर प्रोडक्ट्स |
| 3. | 93/1987 | एल्यूमीनियम इण्डस्ट्रीज |
| 4. | 103/1987 | प्रीमियर मोरारजी केमि. |
| 5. | 172/1987 | पुनालार पेपर मिल्स लि. |
| 6. | 183/1987 | केरल एसिडस एंड केमिकल्स |
| 7. | 189/1987 | वेल्ट्रान प्रीफेब एलीमेंट्स लि. |
| 8. | 229/1987 | वांजीनाद लेदर्स |
| 9. | 232/1987 | ट्रावनकोर रेयोन्स |
| 10. | 94/1988 | कथाययी कॉटन मिल्स |
| 11. | 104/1988 | कार्बन एंड केमिकल्स |
| 12. | 119/1988 | माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स (आई) लि. |
| 13. | 198/1988 | साउथ इंडिया वायर रोप |
| 14. | 220/1988 | मेरमेड मेरीन प्रोडक्ट्स |
| 15. | 232/1988 | लक्ष्मी स्टार्च लि. |
| 16. | 299/1988 | ट्रावनकोर ऑक्सीजन लि. |
| 17. | 6/1989 | तिरूनेपति मिल्स |
| 18. | 24/1989 | केरल इलैक्ट्रिक लेम्प वर्क्स लि. |
| 19. | 26/1989 | त्रिचूर कॉटन मिल्स |
| 20. | 126/1989 | अल्लमपल्ली ब्रोस लि. |
| 21. | 173/1989 | सुदर्शन क्ले |
| 22. | 182/1989 | तोशिबा आनंद बेटरीज लि. |
| 23. | 34/1990 | के.टी.सी. (इंडिया) लि. |
| 24. | 89/1990 | पिगमेंट्स इंडिया |
| 25. | 32/1991 | वीनर्स एंड लेमीनेशन्स (आई) लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 26. | 62/1991 | प्रीमीयर केबल्स कंपनी लि. |
| 27. | 79/1991 | टी.के. केमिकल्स लि. |
| 28. | 89/1991 | तोशिबा आनंद बेटरीज लि. |
| 29. | 118/1991 | थाम्पसन ड्रग्स एंड केमिकल्स लि. |
| 30. | 137/1991 | पेनिनसुला पालीमर्स लि. |
| 31. | 147/1991 | पी.एस.आई. डाटा सिस्टम्स |
| 32. | 50/1992 | पुनालूर पेपर लि. |
| 33. | 52/1992 | ओरिएंटल प्लास्टिक एंड लेमिनेशन्स लि. |
| 34. | 67/1992 | सेवन सीज जाइलॉन लि. |
| 35. | 73/1992 | सेंचुरी पेरीफेरियल्स लि. |
| 36. | 91/1992 | भगवती बेवरेज लि. |
| 37. | 18/1993 | प्रीमियर पॉली क्वाटर्स लि. |
| 38. | 15/1994 | चांसलर पेपर मिल्स लि. |
| 39. | 27/1994 | ऑप्टिमा पेकेजिंग लि. |
| 40. | 105/1994 | एल्लीरा सब्सट्रेट्स लि. |
| 41. | 143/1994 | यूनिवर्सल ग्लोब्ल प्रा. लि. |
| 42. | 171/1994 | टाटा केल्ट्रॉन लि. |
| 43. | 8/1995 | सेंचुरी पेरीफेरियल्स लि.. |
| 44. | 13/1996 | ट्रावनकोर सल्फेट लि. |
| 45. | 21/1996 | ओवरसीज लेटेक्स प्रा. लि. |
| 46. | 63/1997 | साउर्दन रिफाइनरीज लि. |
| 47. | 106/1998 | हिन्दुस्तानी सिलेंडर कंपनी लि. |
| 48. | 266/1998 | मालाबार आर्गेनिक्स लि. |
| 49. | 1/1999 | गुजरात इंजेक्ट (केरल) लि. |
| 50. | 210/1999 | इन्नोवेटिव मेरिन फूड्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 51. | 244/1999 | स्टार रिफाइनरी आर.टी. लि. |
| 52. | 332/1999 | कोपुरथारा एक्सपोर्टस लि. |
| 53. | 32/2000 | एमिशन फूड्स लि. |
| 54. | 76/2000 | एमटेक्स इंटरनेशनल लि. |
| 55. | 106/2000 | श्री साई महानी पल्प एंड पेपर मिल्स लि. |
| 56. | 158/2000 | कोविया फिलामेंट्स लि. |
| 57. | 161/2000 | मधुमिलन साइनेटक्स लि. |
| 58. | 251/2000 | टीकटेक्स प्रोसेसिंग कांपलेक्स लि. |
| 59. | 289/2000 | यूनिरॉयल मेरिन एक्सपोर्टस लि. |
| 60. | 290/2000 | श्री साई महाराज पल्प एंड पेपर मिल्स लि. |
| 61. | 382/2000 | कोल्नथारा एक्सपोर्टस लि. |
| 62. | 396/2000 | सुपर स्टार डिस्टीलरीज एंड फूड्स लि. |
| 63. | 15/2001 | ओसीन ड्रडगिंग (इंडिया) लि. |
| 64. | 121/2001 | चाया इण्डस्ट्रीज लि. |
| 65. | 225/2001 | लक्ष्मी आटोमेटिक लूम वर्क्स लि. |
| 66. | 287/2001 | मधुर आप्ट सिरेमिक्स लि. |
| 67. | 385/2001 | एमिशन फिसरीज लि. |
| 68. | 411/2001 | केरल स्पिनर्स लि. |
| 69. | 47/2002 | फासफोरेस एंड केमि. ट्रावनकोर लि. |
| 70. | 81/2002 | श्रीला स्पिन लि. |
| 71. | 119/2002 | यूरोस्पिन इण्डस्ट्रीज लि. |
| 72. | 143/2002 | इण्डो जर्मन कार्बन्स प्रा. लि. |
| 73. | 177/2002 | टाबा ग्लोन्ज प्रा. लि. |
| 74. | 199/2002 | साफ्रेस एक्सपोर्टस लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 75. | 212/2002 | राष्ट्र दीपिका लि. |
| 76. | 309/2002 | कैराली टी प्लांटेशन प्रा. लि. |
| 77. | 335/2002 | माइराकल फूड प्रोसेसेर्स इंटरनेशनल लि. |
| 78. | 358/2002 | टेकिल केमिकल्स एंड हाइड्रो पावर लि. |
| 79. | 388/2002 | चाया इण्डस्ट्रीज लि. |
| 80. | 457/2002 | ओसीन ड्रेडगिंक (इंडिया) लि. |
| 81. | 487/2002 | इण्डो जर्मन कार्बन्स लि. |
| 82. | 4/2003 | ओसीनिक फिशरीज (इंडिया) लि. |
| 83. | 78/2003 | श्रीला स्पिन लि. |
| 84. | 141/2003 | माइराकल फूड प्रोसेसस इंटरनेशनल लि. |
| 85. | 149/2003 | नीराका ग्लोव्ज (पी) लि. |
| 86. | 166/2003 | इंटीग्रेटिड रूवियान एक्सपोर्टस |
| 87. | 211/2003 | ओसीन ड्रेडगिंक (इंडिया) लि. |
| 88. | 218/2003 | यूनिवर्सल ग्लोव्स प्रा. लि. |
| 89. | 219/2003 | यूनिवर्सल ग्लोव्स प्रा. लि. |
| 90. | 321/2003 | यानाजा टेक्सटाइल्स लि. |
| 91. | 420/2003 | बी.एस.टी. लि. |
| 92. | 120/2004 | जानू डिप्पड प्रोडक्ट्स प्रा. लि. |
| 93. | 169/2004 | मलयालम सोजवेंट एक्सटेन्शन |
| 94. | 254/2004 | महावीर प्लांटेशन्स प्रा. लिं. |
| 95. | 255/2004 | महावीर प्लांटेशन्स प्रा. लि. |
| 96. | 256/2004 | महावीर प्लांटेशन्स प्रा. लि. |
| 97. | 271/2004 | प्राइमा एग्रो लि. |
| 98. | 310/2004 | कोलूथारा एक्सपोर्टस लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 99. | 322/2004 | पालेडे पेपर मिल्स लि. |
| 100. | 323/2004 | पोनमूडी पेपर मिल्स प्रा. लि. |
| 101. | 381/2004 | ओसीन ट्रेडिंग (इंडिया) लि. |
| 102. | 23/2005 | रूबको हुआत वुडस प्रा. लि. |
| 103. | 24/2005 | केरल स्पिनर्स लि. |
| 104. | 26/2005 | केरल स्पिनर्स लि. |
| 105. | 30/2005 | लान्सी फूड्स प्रा. लि. |
| 106. | 36/2005 | प्राइमा इण्डस्ट्रीज लि. |
| 107. | 101/2005 | टी.सी.एम. लि. |
| 108. | 158/2005 | अयप्पा रोलर फ्लोर मिल्स लि. |
| **कर्नाटक** | | |
| 1. | 7/1987 | कर्नाटक एक्सप्लोसिव्ज |
| 2. | 23/1987 | डम्पो डेयरी इण्डस्ट्रीज |
| 3. | 47/1987 | शिवमोनी स्टील लि. |
| 4. | 49/1987 | श्री गणेश्वर टेक्सटाइल्स |
| 5. | 101/1987 | डावनगिरी शुकर के. |
| 6. | 110/1987 | डांडेली फेरो एलायज |
| 7. | 146/1987 | राजशील पेपर प्रा. लि. |
| 8. | 168/1987 | लोहारू स्टील इण्ड. लि. |
| 9. | 173/1987 | माइप्रो इंटरनेशनल |
| 10. | 178/1987 | काबिनी पेपर मिल्स |
| 11. | 213/1987 | रेपेडस लि. |
| 12. | 228/1987 | श्री सिद्देश्वर टेक्सटाइल |
| 13. | 237/1987 | नंदी हास्बी टेक्सटाइल |
| 14. | 252/1987 | बाडेका प्रपर मेन्यु. कं. प्रा. लि. |
| 15. | 269/1987 | कर्नाटक एग्रो प्रोटीन्स |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 16. | 270/1987 | तुनगाभान्दरा शुगर वर्क्स |
| 17. | 313/1987 | सरोज एलायस एंड स्टील लि. |
| 18. | 317/1987 | श्री कृष्णा राजेन्द्रा मिल्स लि. |
| 19. | 3/1988 | विष्णु फोर्ज (मैसूर) |
| 20. | 16/1988 | कर्नाटक पोली प्रोडक्ट्स |
| 21. | 43/1988 | कर्नाटक मिनिरलस |
| 22. | 47/1988 | मैग्नीशियम प्रोडक्ट्स लि. |
| 23. | 77/1988 | जय रामदास उद्योग लि. |
| 24. | 125/1988 | मैसूर चिपबोर्ड्स |
| 25. | 127/1988 | सलारेजंग शुगर |
| 26. | 131/1988 | कोडियाला फूड्स एंड फेट्स |
| 27. | 134/1988 | गोगेटे टेक्सटाइल्स |
| 28. | 152/1988 | कावेरी पेपर्स लि. |
| 29. | 155/1988 | कर्नाटक सीमेंट |
| 30. | 161/1988 | कर्नाटक वुलन मिल्स |
| 31. | 182/1988 | विजय स्टील |
| 32. | 190/1988 | श्रीयास कार्बन लि. |
| 33. | 213/1988 | सिपानी आटो |
| 34. | 215/1988 | क्लीन फूड |
| 35. | 218/1988 | इनफोर्ड इंजी. |
| 36. | 221/1988 | गंगावती शुगर |
| 37. | 224/1988 | साउर्दन आर्गेनो केमि. लि. |
| 38. | 242/1988 | लेमिना फाउन्ड्रीज |
| 39. | 264/1988 | सपन शिल्क इंडिया |
| 40. | 267/1988 | कर्नाटक बाल बीयरिंग्स |
| 41. | 268/1988 | दीपक इंसुलेटिड केवल कार्पो. लि. |
| 42. | 292/1988 | श्री चामुंडी मोपेडस |
| 43. | 298/1988 | फाल्कोन टायर्स लि. |
| 44. | 18/1989 | रामगोपाल पेपर्स मिल्स |
| 45. | 28/1989 | इंटर मॉडल टी.वी.टी. टेक सिस्टमय |
| 46. | 29/1989 | विकॉन लि. |
| 47. | 34/1989 | नवा कर्नाटक स्टील |
| 48. | 39/1989 | मधु पेपर मिल्स |
| 49. | 89/1989 | विष्णु टेक्सटाइल्स लि. |
| 50. | 111/1989 | इंटर नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स |
| 51. | 125/1989 | बी.एस.टी. टिलर्स ट्रेक्टर्स |
| 52. | 133/1989 | मैसूर स्टोनवेयर्स पाइपस |
| 53. | 148/1989 | इंटरनेशनल कोच बिल्डर्स |
| 54. | 151/1989 | मफतलाल प्लाइवुड इंडस्ट्रीज |
| 55. | 157/1989 | डावनगिरी कॉटन मिल्स |
| 56. | 167/1989 | सेफपेक प्लास्टिक |
| 57. | 169/1989 | वेदा सीमेंट |
| 58. | 193/1989 | पॉटेप मेगनेटिक्स लि. |
| 59. | 8/1990 | लोखांडवाला सीमेंट |
| 60. | 15/1990 | शिवा मिनरल्स एंड सीमेंट्स |
| 61. | 35/1990 | श्री अंजनिया कॉटन मिल्स |
| 62. | 62/1990 | मानवलक्स पेपर्स एंड बोर्ड्स |
| 63. | 95/1990 | वृन्दावन एलायेंस |
| 64. | 108/1990 | आप्टेन फोर्जिंगस |
| 65. | 112/1990 | कोठारी जनरल फूड्स कार्पो. |
| 66. | 126/1990 | सुप्रीम रबड़ रिक्लेमर्स |
| 67. | 131/1990 | आइडियल जावा (इंडिया) |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 68. | 142/1990 | अनीता प्रोसेसिस एंड फूड |
| 69. | 16/1991 | जैमिनी ग्राफिक्स लि. |
| 70. | 21/1991 | बज्र सीमेंट एंड मिनिरल्स प्रा. लि. |
| 71. | 40/1991 | कोलार वुलन एंड टेक्सटाइल्स लि. |
| 72. | 45/1991 | मंगलौर फर्टिलाइजर्स लि. |
| 73. | 80/1991 | एपान्न फोर्ज प्रा. लि. |
| 74. | 88/1991 | विजयनगर सोलवेंट आयल्स प्रा. लि. |
| 75. | 96/1991 | भोरूका एल्यूमीनियम |
| 76. | 125/1991 | जैमिनी स्टील ट्यूबस |
| 77. | 127/1991 | मक सीमेंट लि. |
| 78. | 8/1992 | बिदार स्पेशल एलॉय |
| 79. | 15/1992 | एन.पी. फूड्स लि. |
| 80. | 27/1992 | ओरसी इलैक्ट्रानिक्स लि. |
| 81. | 31/1992 | कामथ पैकेजिंग लि. |
| 82. | 42/1992 | लाकपुर सीमेंट लि. |
| 83. | 58/1992 | कृष्णा फ्लोर मिल्स लि. |
| 84. | 84/1992 | विष्णु टेक्सटाइल्स लि. |
| 85. | 85/1992 | जी.एच. एसोसिएट प्रा. लि. |
| 86. | 16/1993 | मेहर केपेस्टिर्स प्रा. लि. |
| 87. | 22/1993 | श्री क्वालिटी सीमेंट लि. |
| 88. | 43/1993 | गोपाल कृष्णा टेक्सटाइल्स मिल्स लि. |
| 89. | 64/1993 | बी.जे.पी. सेक्स प्रा. लि. |
| 90. | 69/1993 | होयसाला सीमेंट्स एंड सिरेमिक (आई) प्रा. लि. |
| 91. | 76/1993 | साउथ इंडिया सीमेंट |
| 92 | 86/1993 | स्वेदे (इंडिया) टेलट्रानिक्स लि. |
| 93. | 104/1993 | सहयाद्री सोलवेक्स प्रा. लि. |
| 94. | 108/1993 | भावरा पेक एंड प्रा. लि. |
| 95. | 115/1993 | श्री वैश्वनी प्रिंटर्स प्रा. लि. |
| 96. | 29/1994 | मित्सुजन ग्लेजिज लि. |
| 97. | 37/1994 | अनिल री-रोलिंग मिल्स लि. |
| 98. | 55/1994 | मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लि. |
| 99. | 61/1994 | केडू मशीन्स लि. |
| 100. | 74/1994 | के.जी. ग्लूको बायोल्स लि. |
| 101. | 77/1994 | पावर फ्लो लि. |
| 102. | 119/1994 | बंगलौर सीमेंट्स लि. |
| 103. | 136/1994 | स्पार इक्विपमेंट |
| 104. | 160/1994 | कर्नाटक होरोलोजिकल लि. |
| 105. | 14/1995 | कर्नाटक कॅयर काम्पलेक्स प्रा. लि. |
| 106. | 34/1995 | वी.एम. कन्फेक्शनरी लि. |
| 107. | 51/1995 | एक्रो-शा प्रोफाइल्स लि. |
| 108. | 61/1995 | रेखा सीमेंट एंड केमिकल्स लि. |
| 109. | 1/1996 | भोरूका स्टील लि. |
| 110. | 5/1997 | के ओनिक्स पेंटा सेमी कंडक्टर्स लि. |
| 111. | 14/1997 | रेयोटर टेक्सटाइल्स एंड ऑयल प्रा. लि. |
| 112. | 19/1997 | रेड्डी फूड्स लि. |
| 113. | 30/1997 | स्टार स्पिन एंड ट्विस्ट मशीनरीज लि. |
| 114. | 88/1997 | स्टीवन सोलीवेक्स (इंडिया) लि. |
| 115. | 143/1997 | जी. टीम इण्डस्ट्रीज लि. |
| 116. | 160/1997 | अंकित ग्रेनाइट्स लि. |
| 117. | 182/1997 | डब्ल्यू.एस. टेलीसिस्टम लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 118. | 20/1998 | कावेरी स्टील लि. |
| 119. | 40/1998 | सिपानी आटोमोबाइल्स लि. |
| 120. | 67/1998 | कॉसमोस लेदर एक्सपोर्ट लि. |
| 121. | 121/1998 | कॉसमोस वाच इण्डस्ट्रीज लि. |
| 122. | 136/1998 | कॉसमोस लेदर एक्सपोर्ट प्रा. लि. |
| 123. | 152/1998 | श्रीशमा फाइन कैमिकल्स एंड फार्मा कर्ना.) |
| 124. | 154/1998 | मेटगढ़ एक्सट्रेक्शन्स (पी) लि. |
| 125. | 192/1998 | फार्गड केमिकल्स लि. |
| 126. | 193/1998 | गिलिटेक ग्रेनाइट लि. |
| 127. | 253/1998 | सात्विक ड्रग्स लि. |
| 128. | 281/1998 | नमस्ते एक्सपोर्ट लि. |
| 129. | 282/1998 | गुलबर्गा एग्रो एक्सट्रेक्शन्स प्रा. लि. |
| 130. | 301/1998 | मालादिनी यार्न (पी) लि. |
| 131. | 321/1998 | डांडेली स्टील एंड एरो एलायस लि. |
| 132. | 325/1998 | सुन्दर माइको सरकिट्स लि. |
| 133. | 332/1998 | होयासाला ब्लो गाउल्डर्स इंडिया लि. |
| 134. | 355/1998 | मित्तल स्टील लि. |
| 135. | 359/1998 | मिरांका इस्पात लि. |
| 136. | 39/1999 | नोवा ग्रेनाइट्स (इंडिया) लि. |
| 137. | 46/1999 | लम्बोधरा ग्रेनाइट्स प्रा. लि. |
| 138. | 47/1999 | ट्रांस इंडिया लेम्पस लि. |
| 139. | 50/1999 | टाटा एडवान्सड मेटिरियल्स लि. |
| 140. | 61/1999 | न्यूकोर वायर्स लि. |
| 141. | 62/1999 | कर्नाटक केमसानइ लि. |
| 142. | 67/1999 | श्रुति ग्रेनाइट्स प्रा. लि. |
| 143. | 82/1999 | येनापोया मिनरल्स एंड ग्रेनाइट्स लि. |
| 144. | 96/1999 | साउर्दन फेरो लि. |
| 145. | 102/1999 | द इंडिया शुगर एंड रिफाइनरीज लि. |
| 146. | 128/1999 | साउर्दन फ्यूल लि. |
| 147. | 138/1999 | कर्नाटक मालाडी बायोटिक्स लि. |
| 148. | 143/1999 | पासारी स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 149. | 166/1999 | के.एन. गुरुस्वामी ऑयल मिल्स लि.. |
| 150. | 185/1999 | करीमस स्पन सिल्क लि. |
| 151. | 215/1999 | करीमन सिल्क इंटरनेशनल लि. |
| 152. | 294/1999 | प्रीसिजेन पेनल वर्क्स प्रा. लि. |
| 153. | 295/1999 | श्रुति ग्रेनाइट्स प्रा. लि. |
| 154. | 306/1999 | टाइटन फूड्स एंड फेशन्स लि. |
| 155. | 328/1999 | विशाल कोट स्पिन लि. |
| 156. | 375/1999 | द संदुकर मेंगनीज एंड आयरन ओर्स लि. |
| 157. | 387/1999 | कनाडा स्टील लि. |
| 158. | 10/2000 | ट्रेडंसवियर एक्सपोर्टस (आई) प्रा. लि. |
| 159. | 34/2000 | सोपरनिका बीवरेजिज प्रा. लि. |
| 160. | 48/2000 | माइक्रो एनर्जी (इंडिया) लि. |
| 161. | 49/2000 | इलैक्ट्रेक्स (इंडिया) लि. |
| 162. | 61/2000 | स्मार्ट अशोका एक्सपोर्टस लि. |
| 163. | 74/2000 | एस.एस.एस. इंजीनियरिंग कं. लि. |
| 164. | 80/2000 | साउथ इंडिया स्टील इण्डस्ट्रीज लि. |
| 165. | 89/2000 | हिरीयूर टेक्सटाइल्स लि. |
| 166. | 100/2000 | संसुद लेमिनेटर्स लि. |
| 167. | 132/2000 | श्री राजाराजेश्वरी इण्डस्ट्रीज (प्रा.) लि. |
| 168. | 138/2000 | कुसुम एलायस लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 169. | 143/2000 | बैगाई थ्रेड प्रोसेसर्स लि. |
| 170. | 171/2000 | श्री जयाबंत प्रोडक्ट्स लि. |
| 171. | 192/2000 | द मैसूर कॉफी क्योरिंग वर्क्स लि. |
| 172. | 195/2000 | सीता इण्डस्ट्रीज लि. |
| 173. | 230/2000 | उमाशंकर एलायस प्रा. लि. |
| 174. | 239/2000 | गुल्लांगी स्पिनटेक्स लि. |
| 175. | 280/2000 | फ्लोरा इंटरनेशनल लि. |
| 176. | 373/2000 | स्पेन प्रोजेक्ट्स (पी) लि. |
| 177. | 394/2000 | सजावट इण्डस्ट्रीज लि. |
| 178. | 409/2000 | द मैसूर किलेस्किर लि. |
| 179. | 105/2001 | सोना राजेन्द्रा स्पिनर्स प्रा. लि. |
| 180. | 118/2001 | द मैसूर कॉफी क्योरिंग वर्क्स लि. |
| 181. | 128/2001 | कर्नाटक ओस्वाल आयल्स पामस लि. |
| 182. | 145/2001 | शिमोगा कास्टिंगस प्रा. लि. |
| 183. | 227/2001 | डोमिनियोन केमिकल इण्ड. लि. |
| 184. | 233/2001 | रिचांद पाश्वर टेक्सटाइल प्रा. लि. |
| 185. | 248/2001 | मंगयारकर्सी एप्परलस प्रा. लि. |
| 186. | 267/2001 | फ्लोरा सिल्कस लि. |
| 187. | 270/2001 | फ्लोरा वाल कवरिंगस लि. |
| 188. | 273/2001 | श्री मीनाक्षी एप्परलस प्रा. लि. |
| 189. | 282/2001 | ओवोबेल फूड्स लि. |
| 190. | 290/2001 | सन निटवियर प्रा. लि. |
| 191. | 333/2001 | अन्नामलाई कॉटन मिल्स प्रा. लि. |
| 192. | 414/2001 | करीमस सिल्क इंटरनेशनल लि. |
| 193. | 34/2002 | टोरस नोवल्टीज लि. |
| 194. | 44/2002 | फ्लोरा इंटरनेशनल लि. |
| 195. | 48/2002 | श्री कुमारवेल टेक्सटाइल्स लि. |
| 196. | 60/2002 | हिरीयूर टेक्सटाइल्स लि. |
| 197. | 82/2002 | श्री मीनाक्षी सुन्दरम टेक्सटाइल्स लि. |
| 198. | 87/2002 | साम टर्बो इण्ड. लि. |
| 199. | 108/2002 | उमाशंकर एलॉयस प्रा. लि. |
| 200. | 125/2002 | मैसूर पालीमर्स एंड रबड़ प्रोडक्ट्स लि. |
| 201. | 126/2002 | भोरूका टेक्सटाइल्स लि. |
| 202. | 155/2002 | मैसूर पेट्रोकेमिकल्स लि. |
| 203. | 168/2002 | किर्लोस्कर ऑफ लि. |
| 204. | 204/2002 | भोरूका गैसिस लि. |
| 205. | 210/2002 | बेलगुण्डी सीमेंट लि. |
| 206. | 214/2002 | श्री राजराजेश्वरी लि. |
| 207. | 254/2002 | शिमोगा स्टील्स लि. |
| 208. | 269/2002 | शिमोगा टेकनोलोजीज लि. |
| 209. | 320/2002 | किर्लोस्कर इलैक्ट्रिक कंपनी लि. |
| 210. | 397/2002 | विवादा कैमिकल्स प्रा. लि. |
| 211. | 467/2002 | करीमस सिल्क इंटरनेशनल लि. |
| 212. | 12/2003 | साम टर्बो इण्डस्ट्री लि. |
| 213. | 17/2003 | हिरीयूर टेक्सटाइल्स लि. |
| 214. | 24/2003 | चित्र दुर्गा सनफ्लावर ऑयल काम्पलक्स लि. |
| 215. | 40/2003 | पुष्पा पैकेजिज लि. |
| 216. | 42/2003 | मैसूर पालीमर्स एंड रबड़ प्रोडेक्ट्स (पी) लि. |
| 217. | 62/2003 | पीयर्ल वेली सिल्कास लि. प्रोडक्ट्स (पी) लि. |
| 218. | 74/2003 | मैसूर पेट्रोकेमिकल्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 219. | 83/2003 | तुगभदरा फर्टीलाइजर्स एंड केमि. कं. लि. |
| 220. | 106/2003 | टोरस नावल्टीज लि. |
| 221. | 107/2003 | किर्लोसकर ऑफ लि. |
| 222. | 131/2003 | एन्कलोटेक पेनल्स लि. |
| 223. | 142/2003 | सन निटवियर प्रा. लि. |
| 224. | 143/2003 | श्री मीनाक्षी एप्परल्स प्रा. लि. |
| 225. | 152/2003 | सिद्देश्वर ऑयल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स लि. |
| 226. | 179/2003 | कुदरेकुखं आयरन एवं स्टील कं. लि. |
| 227. | 187/2003 | सिंडोल लेदर्स लि. |
| 228. | 193/2003 | किर्लोस्कर बेटरीज प्रा. लि. |
| 229. | 199/2003 | कप स्टील लि. |
| 230. | 215/2003 | इन्दस स्टील एंड एलॉयर (पी.) लि. |
| 231. | 287/2003 | रायचन्द्र पासर फ्टेक्सटाइलस प्रा. लि. |
| 232. | 299/2003 | इन्दस स्टील एंड एलॉयर (पी) लि. |
| 233. | 336/2003 | सिमोगा टेकनोलोजीज लि. |
| 234. | 368/2003 | बी.एस. रेफरीजरेटर लि. |
| 235. | 383/2003 | हाइड्रोमेट (इंडिया) लि. |
| 236. | 390/2003 | चित्रदुर्गा सनफ्लावर ऑयल कांपलेक्स लि. |
| 237. | 416/2003 | उमाशंकर एलॉयस प्रा. लि. |
| 238. | 10/2004 | जिरकास्ट लि. |
| 239. | 57/2004 | श्री गणेश गियर्स (पी) लि. |
| 240. | 60/2004 | शक्ति कम्फोर्टस प्रा. लि. |
| 241. | 93/2004 | एच.जे.एस. स्पन शिल्क मिल्स प्रा. लि. |
| 242. | 114/2004 | बेल्लारी स्टील्स एंड एलॉयस लि. |
| 243. | 172/2004 | श्री कुमारावेल टेक्स्टाइल्स लि. |
| 244. | 208/2004 | यरियॉन टेकनोलोजीज लि. |
| 245. | 227/2004 | आर.पी.वी. केबल्स लि. |
| 246. | 263/2004 | क्लास केन प्रा. लि. |
| 247. | 279/2004 | मैसूर सीमेंट्स लि. |
| 248. | 305/2004 | एस.टी.आई. प्रोडक्ट्स इंडिया लि. |
| 249. | 308/2004 | बी.एस. एपालियांसेज लि. |
| 250. | 316/2004 | कुसुम ग्रेनाइट्स प्रा. लि. |
| 251. | 329/2004 | चित्रदुर्गा सनफलावर ऑयल काम्प्लेक्स लि. |
| 252. | 364/2004 | शिमोगा टेकनोलोजीज लि. |
| 253. | 1/2005 | फ्लोरा वाल कवरिंग लि. |
| 254. | 34/2005 | तामोरी टेक्सटाइल्स प्रा. लि. |
| 255. | 94/2005 | केरेबरा इंजीग्रेटिड टेक्नालोजीज लि. |
| 256. | 98/2005 | फ्लोरा इंटरनेशनल लि. |
| 257. | 99/2005 | फ्लोरा सिल्क लि. |
| 258. | 112/2005 | रमानाजी श्री कम्फर्टस लि. |
| 259. | 116/2005 | रमाना श्री शॉपिंग आरकाडस् प्रा. लि. |
| 260. | 127/2005 | रचना रबर्स प्रा. लि. |
| 261. | 30/2006 | मै. इलेक्ट्रानिक्स रिसर्च प्रा. लि. |
| **मध्य प्रदेश** | | |
| 1. | 100/1987 | रतलाम इस्पात लि. |
| 2. | 108/1987 | बिनोद मिल्स |
| 3. | 167/1987 | एम.पी. इलैक्ट |
| 4. | 169/1987 | राजकुमार मिल्स |
| 5. | 174/1987 | एयरोफिल पेपर्स लि. |
| 6. | 194/1987 | हुकमचन्द मिल्स |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 7. | 198/1987 | होप टेक्सटाइल्स |
| 8. | 215/1987 | आर.जे. क्लाड मेटल्स लि. |
| 9. | 4/1988 | माना सिंघा ऑयल मिल्स लि. |
| 10. | 46/1988 | टेकनोकास्ट प्रा. लि. |
| 11. | 95/1988 | ओरियन्ट प्लाईवुड एंड वेनियरिंग इण्डस्ट्रीज |
| 12. | 100/1988 | जीवाजी राव् शुगर |
| 13. | 120/1988 | देवास सिंथेटिक्स लि. |
| 14. | 133/1988 | एम.पी. एलॉय कास्टिंग लि. |
| 15. | 141/1988 | कपिल एग्रो |
| 16. | 169/1988 | जैन कालियावाला केमि. |
| 17. | 177/1988 | सज्जन केमि. लि. |
| 18. | 263/1988 | एम.पी. कार्बाइड |
| 19. | 10/1989 | साउथ दिल्ली इरेक्टर्स (इंडिया) |
| 20. | 48/1989 | आटो फोर्ज (एम.पी.) प्रा. लि. |
| 21. | 52/1989 | कंसोलीडेटिड स्टील एंड एलॉयस |
| 22. | 68/1989 | ट्राई स्टार सोया प्रोड्क्ट्स लि. |
| 23. | 85/1989 | एम.पी. प्लाईवुड लि. |
| 24. | 119/1989 | साहयादेरी पेपर मिल्स |
| 25. | 143/1989 | सतपुडा पेपर एंड बोर्ड मिल्स लि. |
| 26. | 175/1989 | श्री सज्जन मिल्स |
| 27. | 176/1989 | सी.जे. जेलेदिन प्रोडक्ट्स |
| 28. | 185/1989 | एग्रो सोलवेंट प्रोडक्ट्स |
| 29. | 201/1989 | डी.डब्ल्यू. वुलन मिल्स |
| 30. | 10/1990 | एलायड स्टील |
| 31. | 92/1990 | कल्पना इण्डस्ट्रीज (इन्दौर) |
| 32. | 106/1990 | एम.पी. विद्युत यंत्र |
| 33. | 114/1990 | अभिषेक सीमेंट्स |
| 34. | 9/1991 | ग्वालियर सिंथेटिक्स लिमिटेड |
| 35. | 82/1991 | कल्याण सोलवेन्ट एक्सट्रेक्शन लिमिटेड |
| 36. | 116/1991 | सतल वूलेन्स प्रा. लिमिटेड |
| 37. | 126/1991 | रिलायंस इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 38. | 143/1991 | बालाघाट सीमेंट्स प्रा. लिमिटेड |
| 39. | 14/1992 | बिदासरिया मिल्स (प्रा.) लिमिटेड |
| 40. | 18/1992 | वियरवैल टायर एंड ट्यूब्स इण्डस्ट्रीज (प्रा.) लिमिटेड |
| 41. | 43/1992 | मयूर ऑयल्स एंड फूड लिमिटेड |
| 42. | 93/1992 | जीवाजीराव कॉटन मिल्स लिमिटेड |
| 43. | 97/1992 | ए.जी. ग्लास लिमिटेड |
| 44. | 101/1992 | ए.वी.एन. ट्यूब्स लिमिटेड |
| 45. | 29/1993 | न्यू प्रिंसीजन (इंडिया) लिमिटेड |
| 46. | 74/1993 | ग्वालियर स्ट्रिप्स लिमिटेड |
| 47. | 92/1993 | कोलंबिया इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड |
| 48. | 95/1993 | रिलायेबल फूड इण्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड |
| 49. | 102/1993 | गंगवाल उद्योग प्रा. लिमिटेड |
| 50. | 117/1993 | शिवशक्ति पेपर मिल्स लिमिटेड |
| 51. | 6/1994 | वेस्मैन हलबेरसचेदी फोर्जिंग लिमिटेड |
| 52. | 13/1994 | वर्धमान स्नैक फूड लिमिटेड |
| 53. | 35/1994 | डी.पी. कैम. लिमिटेड |
| 54. | 39/1994 | रीता रूफिंगस लिमिटेड |
| 55. | 48/1994 | सौराष मैटल्स प्रा. लिमिटेड |
| 56. | 63/1994 | माइक्रोविन इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड |
| 57. | 66/1994 | बोराड इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड |
| 58. | 84/1994 | यूनाइटेड सोया प्रोडक्ट्स लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 59. | 92/1994 | ए.वी.एन. ट्यूब्स लिमिटेड |
| 60. | 109/1994 | यूनिअल्कम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड |
| 61. | 113/1994 | रूद्र सीमेंट लिमिटेड |
| 62. | 127/1994 | भारत फूड इंडिया लिमिटेड |
| 63. | 177/1994 | स्टील इन्गोट्स लिमिटेड |
| 64. | 3/1995 | जी.एम. मित्तल स्टेनलैस स्टील्स लिमिटेड |
| 65. | 20/1995 | एम.पी. यूनी मेघना तीख लिमिटेड |
| 66. | 25/1995 | शमा इंजिन वाल्वस लिमिटेड |
| 67. | 28/1995 | अंकुर क्रिम्प्रस एंड टैक्सट्राइर्स प्रा. लिमिटेड |
| 68. | 29/1995 | स्वैन प्लास्टिक प्रा. लिमिटेड |
| 69. | 45/1995 | किशोरी पुजारी ग्रेनाईट प्रा. लिमिटेड |
| 70. | 52/1995 | जी.एम. मित्तल स्टेमलैस स्टील्स लिमिटेड |
| 71. | 6/1996 | महेश्वरी प्रोटीन लिमिटेड |
| 72. | 12/1996 | वरूण एग्रो प्रोटीन लिमिटेड |
| 73. | 16/1996 | यूनाइटेड डायमंडस लिमिटेड |
| 74. | 31/1996 | वरूण एग्रो प्रोटीन लिमिटेड |
| 75. | 39/1996 | धीरज पोली पैक प्रा. लिमिटेड |
| 76. | 40/1996 | हर्षवर्धन कैमिकल्स एंड मिनरल लिमिटेड |
| 77. | 43/1996 | विनटेक तपारिया लिमिटेड |
| 78. | 77/1996 | अंजनि सोलवैन्टस इंडिया लिमिटेड |
| 79. | 84/1996 | एलकैप्स कैपीसिटोर्स लिमिटेड |
| 80. | 85/1996 | फैरो कंक्रीट कंपनी (आई) लिमिटेड |
| 81. | 8/1997 | सिम्प्लैक्स ट्यूब्स प्रा. लिमिटेड |
| 82. | 34/1997 | बद्रीश पेपर एंड स्पैशियलिटी बोर्ड मिल्स |
| 83. | 47/1997 | मदालसा इंटरनैशनल लिमिटेड |
| 84. | 48/1997 | वेर्षा अलॉय लिमिटेड |
| 85. | 80/1997 | नैशनल इंफोरमेशन टैक्नालाजी लिमिटेड |
| 86. | 81/1997 | सस्ल इंडिया लिमिटेड |
| 87. | 84/1997 | गिल्ट पैक लिमिटेड |
| 88. | 107/1997 | घड़ स्पिनर्स प्रा. लिमिटेड |
| 89. | 114/1997 | श्री सिंथेटिक्स लिमिटेड |
| 90. | 119/1997 | सोमनी सीमेंट कंपनी लिमिटेड |
| 91. | 128/1997 | प्रीमियर इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड |
| 92. | 135/1997 | नर्मदा प्लास्टिक लिमिटेड |
| 93. | 172/1997 | राजश्री फोरेक्स लिमिटेड |
| 94. | 174/1997 | नैशनल इंफोरमेशन टैक्नालाजीज लिमिटेड |
| 95. | 212/1997 | केडिया लिकर्स लिमिटेड |
| 96. | 27/1998 | घड़ सीमेंट लिमिटेड |
| 97. | 35/1998 | विद्याचल सिंथेटिक प्रा. लिमिटेड |
| 98. | 60/1998 | एस.के.जी. सोलवैक्स लिमिटेड |
| 99. | 97/1998 | प्रोमिनेंट सीमेंट लमिटेड |
| 100. | 138/1998 | सैन्ट्रल इंडिया फूड प्रोडेक्ट्स प्रा. लिमिटेड |
| 101. | 149/1998 | बी.एस.आई. लिमिटेड |
| 102. | 173/1998 | बायोकैम साइनर्जी लिमिटेड |
| 103. | 183/1998 | बेता नेफथाल लिमिटेड |
| 104. | 186/1998 | बेता कारपोरेशन लिमिटेड |
| 105. | 216/1998 | मधु मिलन सिंटैक्स लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 106. | 221/1998 | गिरधारीलाल शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज |
| 107. | 222/1998 | प्रीमियर प्रोटीनस लिमिटेड |
| 108. | 223/1998 | काबड़ा एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 109. | 237/1998 | भारत जिंक लिमिटेड |
| 110. | 241/1998 | मध्य भारत एक्सोल लिमिटेड |
| 111. | 265/1998 | डिकोरा ट्यूब्स लिमिटेड |
| 112. | 297/1998 | विंध्या सोया लिमिटेड |
| 113. | 300/1998 | सिम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज लमिटेड |
| 114. | 305/1998 | महेन्द्रा सीमेंट लिमिटेड |
| 115. | 340/1998 | श्री ईशर एग्रो लिमिटेड |
| 116. | 14/1999 | मलायोपुर लैदर्स लिमिटेड |
| 117. | 31/1999 | कोठारी पोलीमर्स लिमिटेड |
| 118. | 56/1999 | विजय सिंथेटिक्स प्रा. लिमिटेड |
| 119. | 58/1999 | अल्पाईन इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 120. | 89/1999 | जयंत विटामिन्स प्रा. लिमिटेड |
| 121. | 187/1999 | प्रैस्टीज फूड्स लिमिटेड |
| 122. | 237/1999 | बी.डब्ल्यू.एल. लिमिटेड |
| 123. | 238/1999 | काबड़ा ड्रग्स लिमिटेड |
| 124. | 248/1999 | गिरधारीलाल शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज |
| 125. | 266/1999 | अल्पाइन बॉयोटैक लिमिटेड |
| 126. | 297/1999 | मध्य प्रदेश इलैक्ट्रिकल लिमिटेड |
| 127. | 367/1999 | निकेत उद्योग लिमिटेड |
| 128. | 9/2000 | खालसा ओवरसीज लिमिटेड |
| 129. | 12/2000 | एम.पी. यूनाईटेड पोलीप्रोपलीन लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 130. | 17/2000 | प्रीमियर प्रोटीन लिमिटेड |
| 131. | 27/2000 | कोचर ऑयल मिल्स लिमिटेड |
| 132. | 45/2000 | बेता नेफथाल लिमिटेड |
| 133. | 54/2000 | विशाल एग्रीटैक इंडिया लिमिटेड |
| 134. | 56/2000 | मौयरा स्टील्स लिमिटेड |
| 135. | 58/2000 | मौयरा वायर्स लिमिटेड |
| 136. | 73/2000 | हैमिल्टन शूज लिमिटेड |
| 137. | 88/2000 | भारत कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 138. | 150/2000 | अल्पाईन इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 139. | 177/2000 | रहिनी स्ट्रिप्स लिमिटेड |
| 140. | 196/2000 | गोविन्द टाईल्स लिमिटेड |
| 141. | 207/2000 | बी.डब्ल्यू.एल. लिमिटेड |
| 142. | 213/2000 | काबड़ा ड्रग्स लिमिटेड |
| 143. | 217/2000 | खालसा ओवरसीज लिमिटेड |
| 144. | 226/2000 | विद्या सागर इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 145. | 297/2000 | मिडलैंड पौलिमर्स लिमिटेड |
| 146. | 366/2000 | प्रीमियर प्रोटीनस लिमिटेड |
| 147. | 372/2000 | सिम्मको बिरला लिमिटेड |
| 148. | 395/2000 | गिरधारीलाल शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 149. | 417/2000 | त्रिवेणी शिंडन इंटरनैशनल लिमिटेड |
| 150. | 9/2001 | फोरच्यून फूड्स लिमिटेड |
| 151. | 20/2001 | विप्पी इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 152. | 30/2001 | सी.टी. कॉटन यार्न लिमिटेड |
| 153. | 37/2001 | केडिया ग्रेट गेलॉन लिमिटेड |
| 154. | 39/2001 | बेता नेपथाल लिमिटेड |
| 155. | 42/2001 | पारेश स्पिनर्स लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 156. | 59/2001 | स्टैन्डर्ड क्रोम लिमिटेड |
| 157. | 164/2001 | स्नेह डाइ कैमिकल्स लिमिटेड |
| 158. | 179/2001 | पडदा स्टील्स प्रा. लिमिटेड |
| 159. | 194/2001 | कुसुम इंगोट्स एंड एलौयस लिमिटेड |
| 160. | 210/2001 | गोविन्द टाइल्स लिमिटेड |
| 161. | 262/2001 | बेता कारपोरेशन लिमिटेड |
| 162. | 298/2001 | मिडलैंड पौलिमर्स लिमिटेड |
| 163. | 326/2001 | रजनी एक्सट्रेक्सन लिमिटेड |
| 164. | 383/2001 | खालसा ओवरसीज लिमिटेड |
| 165. | 436/2001 | कोर्डिया देयबल |
| 166. | 439/2001 | काबड़ा ड्रग्स लिमिटेड |
| 167. | 458/2001 | अल्पाईन इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 168. | 18/2002 | एरावत फार्मा. लिमिटेड |
| 169. | 19/2002 | मनवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 170. | 31/2002 | कोर्डिनल ड्रग्स लिमिटेड |
| 171. | 55/2002 | कुसुम इंगोट्स एंड एलौयस लिमिटेड |
| 172. | 89/2002 | वैषनव फाईबर लिमिटेड |
| 173. | 101/2002 | शोभा सोया ऑयल प्रोडेक्ट्स लिमिटेड |
| 174. | 107/2002 | रेवती मिनरल एंड कैमिकल्स लिमिटेड |
| 175. | 115/2002 | घड इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 176. | 121/2002 | मिड इंडिया इंटरनैशनल लिमिटेड |
| 177. | 133/2002 | फोरचून फूड्स लिमिटेड |
| 178. | 136/2002 | मिड इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 179. | 239/2002 | मधु मिलन इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 180. | 275/2002 | एम.पी. प्रैट्रोकैम लिमिटेड |
| 181. | 303/2002 | स्टील ट्यूब्स ऑफ इंडिया लिमिटेड |
| 182. | 314/2002 | सार टैली-टैक्नोलॉजीज लिमिटेड |
| 183. | 350/2002 | सनमति फोरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 184. | 377/2002 | स्नेह डाईकैम लिमिटेड |
| 185. | 386/2002 | कुसुम इंगोट्स एंड एलौयस लिमिटेड |
| 186. | 396/2002 | रेवती मिनरल एंड कैमिकल्स लिमिटेड |
| 187. | 410/2002 | फ्लोर एंड फूड लिमिटेड |
| 188. | 418/2002 | खालसा ओवरसीज लिमिटेड |
| 189. | 425/2002 | मधु मिलन सिंटैक्स लिमिटेड |
| 190. | 449/2002 | प्रीमियर प्रोटीनस लिमिटेड |
| 191. | 493/2002 | पडदा स्टील्स प्रा. लिमिटेड |
| 192. | 5/2003 | मध्य भारत एग्रो प्रोडेक्ट्स लिमिटेड |
| 193. | 7/2003 | मैनन स्पिनर्स प्रा. लिमिटेड |
| 194. | 20/2003 | शोभा सोया ऑयल प्रोडेक्ट्स लिमिटेड |
| 195. | 66/2003 | सेफवे पैकिंगस प्रा. लिमिटेड |
| 196. | 67/2003 | सुरेका मार्केटिंग एंड इंजीनियरिंग प्रा. लिमिटेड |
| 197. | 117/2003 | हिमांशु फ्लोर मिल्स लिमिटेड |
| 198. | 132/2003 | मिड इंडिया इंटरनैशनल लिमिटेड |
| 199. | 151/2003 | कोर्डिया इडिबल्स ऑयल प्रा. लिमिटेड |
| 200. | 165/2003 | परेश स्पिनर्स लिमिटेड |
| 201. | 172/2003 | अर्नेसट हैल्थकेयर लिमिटेड |
| 202. | 182/2003 | वैषणव फाईबर लिमिटेड |
| 203. | 221/2003 | दी मालवा वनस्पति एंड कैमिकल्स कंपनी लिमिटेड |
| 204. | 235/2003 | पटनी इंजीनियरिंग लिमिटेड |
| 205. | 240/2003 | मनवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 206. | 241/2003 | एम.पी. ओवरहैड लाइन्स प्रा. लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 207. | 251/2003 | रितस्पिन सिंथैटिक्स लिमिटेड |
| 208. | 268/2003 | गृह गीयर्स लिमिटेड |
| 209. | 313/2003 | मधु मिलन सिंटेक्स लिमिटेड |
| 210. | 314/2003 | राजनंदगांव ऑयल प्रा. लिमिटेड |
| 211. | 324/2003 | ज्योति ओवरसीज लिमिटेड |
| 212. | 326/2003 | गोविन्द टाईल्स लिमिटेड |
| 213. | 386/2003 | केडिया ग्रेट गेलोन लिमिटेड |
| 214. | 7/2004 | सनमति फोरैस्ट इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड |
| 215. | 8/2004 | कुसुम इंगोट्स एंड एलौयस लिमिटेड |
| 216. | 80/2004 | स्टील ट्यूब्स ऑफ इंडिया लिमिटेड |
| 217. | 146/2004 | बोर्डिया कैमिकल्स लिमिटेड |
| 218. | 241/2004 | अरिहंत फर्टीलाइर्ज एंड कैमिकल्स इंडिया लिमिटेड |
| 219. | 295/2004 | सिद्धार्थ ट्यूब्स लिमिटेड |
| 220. | 351/2004 | सनमति फोरैस्ट इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड |
| 221. | 353/2004 | दी धड टैक्सटाईल मिल्स लिमिटेड |
| 222. | 372/2004 | कुसुम इंगोट्स एंड इलौयस लिमिटेड |
| 223. | 379/2004 | एम.पी. पैट्रोकैम लिमिटेड |
| 224. | 388/2004 | मधु मिलन पैट्रोकैम लिमिटेड |
| 225. | 32/2005 | स्टील ट्यूब्स ऑफ इंडिया लिमिटेड |
| 226. | 85/2005 | सार टैली-टैक्नोलॉजीज लिमिटेड |
| 227. | 86/2005 | दी मालवा वनस्पति एंड कैमिकल्स कंपनी लिमिटेड |
| 228. | 91/2005 | फोरचून फूड्स लिमिटेड |
| 229. | 163/2005 | श्री गणेश फैरो अलॉय लिमिटेड |
| 230. | 174/2005 | रावलका रिफाईनरी प्रा. लिमिटेड |
| 231. | 15/2006 | मैसर्स सत्यम स्पिनर्स प्रा. लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 232. | 33/2006 | मैसर्स धड इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| महाराष्ट्र | | |
| 1. | 4/1987 | रमण एंड डेम्म |
| 2. | 8/1987 | नैशनल रैयन |
| 3. | 15/1987 | मैल्ट्रन सेमी कंडक्टर्स लिमिटेड |
| 4. | 22/1987 | इंडो फार्मा |
| 5. | 27/1987 | नानको रबड़ एंड प्लास्टिक |
| 6. | 28/1987 | कमला मिल्स |
| 7. | 32/1987 | पोसिल रोलिंग |
| 8. | 33/1987 | कैमिकुइप |
| 9. | 38/1987 | चेस ब्राईट स्टील |
| 10. | 40/1987 | इंडियन ब्राईट स्टील |
| 11. | 41/1987 | स्टार इंडस्ट्रियल |
| 12. | 43/1987 | सुदर्शन अलुमिनियम इंडस्ट्रीज |
| 13. | 44/1987 | महेन्द्रा ओवन |
| 14. | 45/1987 | मार्डन मिल्स |
| 15. | 55/1987 | अमा डाई कैम. लिमिटेड |
| 16. | 61/1987 | जनसंज लिमिटेड |
| 17. | 64/1987 | लावीनो कपूर कॉटन |
| 18. | 70/1987 | रघुवंशी मिल्स |
| 19. | 71/1987 | सेठ इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 20. | 73/1987 | लोक मान्य मिल्स लिमिटेड |
| 21. | 85/1987 | दोवुर्ग लेजर ब्रूअरी |
| 22. | 87/1987 | घाटगे पाटिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 23. | 90/1987 | एमकोल टूल्स लिमिटेड |
| 24. | 97/1987 | जे.जी. ग्लास लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 25. | 105/1987 | इपको पेपर मिल्स लिमिटेड |
| 26. | 114/1987 | स्वास्तिक रबड़ प्रोडेक्ट्स |
| 27. | 133/1987 | जे.के कैमिकल्स लिमिटेड |
| 28. | 134/1987 | इनैक्स इंजन वाल्वस |
| 29. | 144/1987 | न्यू ग्रेट इस्टरण स्पिंग एंड विविंग कं. लिमिटेड |
| 30. | 155/1987 | एस्ट्रेला बैटरीज लिमिटेड |
| 31. | 157/1987 | एसोटैक्स इंजीनियरिंग |
| 32. | 160/1987 | किलिक स्लोटिड एंगल्स |
| 33. | 164/1987 | राजाबहादुर मोतीलाल |
| 34. | 176/1987 | बाम्बे फोर्जिग्स (प्रा.) लिमिटेड |
| 35. | 181/1987 | गोदावरी शुगर मिल्स |
| 36. | 187/1987 | मल्टीवैल्ड एंड वायर कंपनी लिमिटेड |
| 37. | 191/1987 | सी.टी.आर. मैन्युफैक्चिरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 38. | 197/1987 | क्रेसेम्ट ऑयरन एंड स्टील |
| 39. | 208/1987 | माधवनगर कॉटन |
| 40. | 218/1987 | कमानी ट्यूब्स |
| 41. | 227/1987 | साधना टैक्सटाइल्स |
| 42. | 231/1987 | वेस्टरवर्क्स |
| 43. | 235/1987 | शील थर्मोप्लास्टिकस |
| 44. | 241/1987 | ओगले ग्लास वर्क्स लिमिटेड |
| 45. | 242/1987 | आई.ए.ई.सी. (इंडिया) लिमिटेड |
| 46. | 244/1987 | चोगुले एंड कंपनी हिंद प्रा. लिमिटेड |
| 47. | 254/1987 | स्वैन मिल्स |
| 48. | 259/1987 | मफतलाल इंजीनियरिंग |
| 49. | 260/1987 | त्रिमूर्ति मैलिएबल्स (प्रा.) लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 50. | 265/1987 | ला प्रिसीजन एंड स्पिनिंग |
| 51. | 267/1987 | जैनिथ-टिन वर्क्स |
| 52. | 268/1987 | मिराज ग्लास लिमिटेड |
| 53. | 271/1987 | नव भारत फ्लांजे एंड एलाइड |
| 54. | 280/1987 | रामा कृषि रसायन |
| 55. | 281/1987 | बाम्बे वायर रोपस लमिटेड |
| 56. | 283/1987 | सुप्रीम पावरटोनिक्स (प्रा.) लिमिटेड |
| 57. | 293/1987 | निरलोन लिमिटेड |
| 58. | 296/1987 | प्रैस मैटल कारपोरेशन |
| 59. | 299/1987 | यूनाइटेड वायर रोपस |
| 60. | 307/1987 | फैन्सी कारपोरेशन |
| 61. | 311/1987 | एनीलाईन डाईस्टफ्स एंड फार्मास्युटिकल्स |
| 62. | 10/1988 | पाउडर मैटल्स एंड अलॉयस |
| 63. | 14/1988 | एस.एल.वी. कैमो. स्ट्रिस लिमिटेड |
| 64. | 15/1988 | त्रिम्बक इस्पात लिमिटेड |
| 65. | 23/1988 | जायकवादी पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड |
| 66. | 28/1988 | बी.आर. स्टील प्रोडेक्ट्स लिमिटेड |
| 67. | 31/1988 | बाम्बे पौट्रीज एंड टाइल्स |
| 68. | 35/1988 | नागपुर पेपर मिल्स |
| 69. | 36/1988 | सी.बी.एस. ग्रामोफोन रिकार्डस एंड टेप्स (आई) लिमिटेड |
| 70. | 39/1988 | शरीफ टेक्सटाइल्स लिमिटेड |
| 71. | 44/1988 | श्री लक्ष्मी नारायण पेपर मिल्स लिमिटेड |
| 72. | 50/1988 | एलडी वेल्वेट |
| 73. | 72/1988 | फोरेस इंजीनियरिंग (आई) प्रा. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 74. | 87/1988 | शक्ति इंसुलेटिड वायर्स |
| 75. | 92/1988 | धाके डाईज लिमिटेड |
| 76. | 93/1988 | पेपर एंड पल्प कंप्रशसंस लिमिटेड |
| 77. | 101/1988 | कोंकण फिशरीज |
| 78. | 103/1988 | ब्लैक एंड डैकोर लिमिटेड |
| 79. | 105/1988 | डैकन पेपर मिल्स कंपनी |
| 80. | 114/1988 | मोरनी कैमिकल्स |
| 81. | 126/1988 | सिम्क ग्रुप (इंडिया) लिमिटेड |
| 82. | 132/1988 | टैरिटैक्स निटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 83. | 142/1988 | वैस्टर्न इंडिया टैनरीज |
| 84. | 145/1988 | देवीदयाल रोलिंग एंड रेफिन्स |
| 85. | 146/1988 | देवीदयाल स्टेनलैस स्टील |
| 86. | 164/1988 | मैनन एंड मैनन |
| 87. | 165/1988 | नर्वदा वैली कैम. |
| 88. | 183/1988 | व्हीलब्रेटर अलॉय |
| 89. | 184/1988 | स्टैन्डर्ड ड्रम एंड बैरल |
| 90. | 187/1988 | ब्रीमा शुगर लिमिटेड |
| 91. | 188/1988 | बेलापुर शुगर एंड एलाईड |
| 92. | 203/1988 | कैमो-फार्मा लैब्स लिमिटेड |
| 93. | 205/1988 | आई.एल.ए.सी. लिमिटेड |
| 94. | 217/1988 | तारापुर एसिड एंड अल्काली |
| 95. | 230/1988 | विजय टैंकस एंड वैसल्स |
| 96. | 235/1988 | रोलॉय मैटल्स |
| 97. | 239/1988 | सीलोर्ड कंटेनर्स |
| 98. | 241/1988 | सेठ वूलन्स लिमिटेड |
| 99. | 245/1988 | नायर इलैक्ट्रनिक्स प्रा. लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 100. | 255/1988 | बाम्बे फुटवियर |
| 101. | 256/1988 | पेप्को इंडस्ट्रीज |
| 102. | 266/1988 | गनन प्रैशर वेसल्स |
| 103. | 269/1988 | कृष्णा स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 104. | 270/1988 | इंडियन लीड प्रा. लिमिटेड |
| 105. | 276/1988 | वानाज इंजीनियरिंग |
| 106. | 277/1988 | एमराल्ड वूलन मिल्स |
| 107. | 281/1988 | न्यू स्टैन्डर्ड इंजीनियरिंग |
| 108. | 285/1988 | दी शिर्के पेपर मिल्स प्रा. लिमिटेड |
| 109. | 286/1988 | मर्फी (इंडिया) लिमिटेड |
| 110. | 287/1988 | बाम्बे कंपनी लिमिटेड |
| 111. | 2/1989 | होस्ट-ओ-मैक |
| 112. | 11/1989 | वोरस एक्सक्लूसिव टूल्स |
| 113. | 12/1989 | अशोक सिल्क मिल्स |
| 114. | 13/1989 | वांडलेसाईड नेशनल कंडक्टर्स लिमिटेड |
| 115. | 17/1989 | बिजली प्रोडेक्टस |
| 116. | 19/1989 | यूनी एवैक्स अलॉय प्रोडेक्टस लिमिटेड |
| 117. | 21/1989 | यूनीक शुगर्स |
| 118. | 37/1989 | हरिगंगा अलॉय एंड स्टील |
| 119. | 38/1989 | टडिया ट्रेडिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 120. | 49/1989 | साहा इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड |
| 121. | 51/1989 | प्रीमाटैक्स मशीनरी |
| 122. | 58/1989 | सिगमा पेंट्स |
| 123. | 64/1989 | सियोन गैरेज |
| 124. | 71/1989 | सिंथोजिम लैबोरेट्रीज |
| 125. | 77/1989 | किर्लोसकर घाटगे पाटिल ऑटो लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 126. | 88/1989 | एम.जी.एम. टैक्सटाइल्स |
| 127. | 106/1989 | ओरसन इलैक्ट्रोनिक्स |
| 128. | 121/1989 | लक्ष्मी विष्णु टैक्सटाइल्स मिल्स |
| 129. | 124/1989 | इन्डस्ट्रियल डवैलपमेंट एंड इंवेस्टमेंट |
| 130. | 127/1989 | पोगुल एसपीजी मिल्स |
| 131. | 130/1989 | नोबल स्कप्लोकैम |
| 132. | 135/1989 | खटाउ माकांजी एसपीजी एंड डब्ल्यू.वीजी. |
| 133. | 137/1989 | स्टैन्डर्ड फैब्रीकेटर्स |
| 134. | 138/1989 | शक्ति अलॉय स्टील |
| 135. | 140/1989 | स्पेस एज इंटरनैशनल प्रोडेक्ट्स लिमिटेड |
| 136. | 144/1989 | वामन प्रीस्ट्रैसिंग कंपनी |
| 137. | 150/1989 | मातुल्य मिल्स |
| 138. | 154/1989 | मार्डन फाउंड्री एंड मशीन वर्क्स |
| 139. | 165/1989 | बलवन्त टैक्सटाईल मिल्स लिमिटेड |
| 140. | 178/1989 | रविन्द्र स्टील |
| 141. | 186/1989 | एच.ई.एस. लिमिटेड |
| 142. | 187/1989 | खूबचंद सागरमल टायर्स लिमिटेड |
| 143. | 188/1989 | खन्ना रेयान्स इंडस्ट्रीज |
| 144. | 192/1989 | निहोन इलैक्ट्रोनिक्स |
| 145. | 203/1989 | ऑटो मुगलस प्रा. लिमिटेड |
| 146. | 2/1990 | डी.आर.एम. स्टील इंडस्ट्रीज |
| 147. | 7/1990 | इंडियन स्टैन्डर्ड मैटल्स |
| 148. | 13/1990 | अंबिका सिल्क मिल्स |
| 149. | 26/1990 | मराठवाड़ा अलॉय स्टील |
| 150. | 36/1990 | रेडियेंट एग्रो कैम. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 151. | 42/1990 | जनेलेक लिमिटेड |
| 152. | 43/1990 | नोडूंरो फाउंड्रस महाराष्ट्र |
| 153. | 44/1990 | पोरवाल पल्प एंड पेपर |
| 154. | 51/1990 | फाबीना टैक्सटाईल |
| 155. | 54/1990 | मानसिंगका इंडस्ट्रीज |
| 156. | 60/1990 | फैशन प्रिंटस लिमिटेड |
| 157. | 63/1990 | केमिंग टूल्स |
| 158. | 79/1990 | विक्रांत मैलिएब्ल्स |
| 159. | 85/1990 | चन्द्रपुर कास्टिंग |
| 160. | 99/1990 | जय भारत सिंथेटिक्स |
| 161. | 100/1990 | कृसलाम टेक्सट्राइसर्स |
| 162. | 102/1990 | नर्मदा सिमेंट कंपनी |
| 163. | 113/1990 | सेमी कंडेक्टर्स लिमिटेड |
| 164. | 117/1990 | बलॉक फ्लोर मिल्स |
| 165. | 118/1990 | महाराष्ट्र ऐस्बेस्टॉस लिमिटेड |
| 166. | 120/1990 | श्री हरिगंगा सीमेंट |
| 167. | 123/1990 | सिट्री इंडिया लिमिटेड |
| 168. | 135/1990 | अकोला ऑयल्स इंडस्ट्रीज |
| 169. | 137/1990 | न्यू विनोद सिल्क मिल्स |
| 170. | 138/1990 | साठे बिस्कुट एंड चॉकलेट कंपनी |
| 171. | 141/1990 | ब्राडी एंड मौरिस इंजीनियरिंग कंपनी |
| 172. | 145/1990 | श्री राम स्टील एंड अलॉयस |
| 173. | 149/1990 | सम्राट सिलेंडरस एंड हैवी इंजीनियरिंग |
| 174. | 150/1990 | जेनेलेक लिमिटेड |
| 175. | 5/1991 | ऑरो प्लास्ट इंडिया |
| 176. | 12/1991 | डा. राईटर्स फूड प्रोडेक्टस |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 177. | 17/1991 | एके स्ट्रक्युरल फोम लिमिटेड |
| 178. | 22/1991 | जे.बी. टेक्सटाईल इंड (पी) लिमिटेड |
| 179. | 36/1991 | रामकृष्ण इस्पात लिमिटेड |
| 180. | 44/1991 | हिन्दुस्तान फास्टनर्स लिमिटेड |
| 181. | 47/1991 | महाराष्ट्र ट्यूब्स लिमिटेड |
| 182. | 49/1991 | श्री महावीर इस्पात लमिटेड |
| 183. | 51/1991 | फिलोट टैक्सटाईल्स लिमिटेड |
| 184. | 53/1991 | के.एम.ए. लिमिटेड |
| 185. | 63/1991 | डब्ल्यू.जी. फोर्ज लिमिटेड |
| 186. | 64/1991 | अल्पना टैक्सटाईल प्रोसेसिंग |
| 187. | 65/1991 | कैमोसाइन लिमिटेड |
| 188. | 69/1991 | नीरा पल्प एंड पेपर मिल्स |
| 189. | 76/1991 | प्रीसीजन टेप्स एंड डाईस प्रा. लिमिटेड |
| 190. | 99/1991 | जैनिथ लिमिटेड |
| 191. | 107/1991 | कोंकण स्टील लिमिटेड |
| 192. | 115/1991 | शक्ति इंसूलेटिड वायर्स लिमिटेड |
| 193. | 117/1991 | रेडियेंट एग्रो कैम. प्रा. लिमिटेड |
| 194. | 129/1991 | मैलीएबल ऑयरन एंड स्टील कॉस्टिंग लिमिटेड |
| 195. | 133/1991 | बसंत ट्यूब्स लिमिटेड |
| 196. | 138/1991 | वर्धमान ऑटोमोटिव इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड |
| 197. | 141/1991 | बाम्बे एक्सट्रेक्शन्स लिमिटेड (तिरूपति इंड.) |
| 198. | 145/1991 | किर्लोस्कर किसान इकुपमेंट लिमिटेड |
| 199. | 154/1991 | सेत टैलिकामयुनिकेशन प्रा. लिमिटेड |
| 200. | 22/1992 | सिगमालोन इकुपमेंट (प्रा.) लिमिटेड |
| 201. | 28/1992 | कोठारी ऑटो पार्टर्स मैन्युफैक्चर्स लिमिटेड |
| 202. | 33/1992 | अल्पना टैक्सटाईल प्रोसेसिंग प्रा. लिमिटेड |
| 203. | 36/1992 | ऑटोमोबाईल प्रोडेक्टस ऑफ इंडिया लिमिटेड |
| 204. | 37/1992 | नैशनल ब्रिवेज प्रा. लिमिटेड |
| 205. | 41/1992 | स्पैशियल्टी फास्टनर्स प्रा. लिमिटेड |
| 206. | 44/1992 | दी कासमौस इंडिया रबड़ वर्क्स प्रा. लिमिटेड |
| 207. | 47/1992 | रेडिक्स ट्रांसमिशन्स प्रा. लिमिटेड |
| 208. | 62/1992 | वाई इंजीनियरिंग लिमिटेड |
| 209. | 65/1992 | फिट टाईट नट लिमिटेड |
| 210. | 66/1992 | पोलीऑल्स इंडिया प्रा. लिमिटेड |
| 211. | 90/1992 | विदर्भा पेपर मिल्स लिमिटेड |
| 212. | 95/1992 | हीरेमठ कैमिकल्स लिमिटेड |
| 213. | 96/1992 | बसंत एलॉय स्टील लिमिटेड |
| 214. | 105/1992 | महालक्ष्मी ग्लास वर्क्स लिमिटेड |
| 215. | 1/1993 | शुभम पौलीमर्स लिमिटेड |
| 216. | 4/1993 | टेस्टी बाईट्स इटेबल्स लिमिटेड |
| 217. | 11/1993 | के.आर. स्टील यूनियन लिमिटेड |
| 218. | 20/1993 | मास्टर प्लास्टिक बोतल मैन्युफैक्चर्स प्रा. लिमिटेड |
| 219. | 30/1993 | इंटरनैशनल डाटा मैनेजमेंट लिमिटेड |
| 220. | 33/1993 | बी.एस. कास्टिंगस एंड इंजीनियरिंग प्रा. लिमिटेड |
| 221. | 34/1993 | इंडो फ्रैंच टाईम इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 222. | 41/1993 | बायोजैनिक्स (इंडिया) लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 223. | 46/1993 | गरवारे नॉयलोनस लिमिटेड |
| 224. | 49/1993 | ऑटोफील्ड इंजीनियर्स प्रा. लिमिटेड |
| 225. | 53/1993 | राज लैदर प्रा. लिमिटेड |
| 226. | 58/1993 | पोयशा इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड |
| 227. | 66/1993 | कोरोन बिजनेस सिस्टमस लिमिटेड |
| 228. | 81/1993 | संघवी स्टीलस लिमिटेड |
| 229. | 90/1993 | पाटिल अटलांटिक फोर्स सुनाम लिमिटेड |
| 230. | 91/1993 | मतुश्री टैक्सटाईल लिमिटेड |
| 231. | 100/1993 | रायगढ पेपर्स लिमिटेड |
| 232. | 110/1993 | मियामी फार्मा एंड कैमिकल्स लिमिटेड |
| 233. | 111/1993 | सिवो प्लास्ट लिमिटेड |
| 234. | 118/1993 | इलैक्ट्रोटैक सर्किट्स (इंडिया) लिमिटेड |
| 235. | 5/1994 | जी.जी.टी. केपी लिमिटेड |
| 236. | 19/1994 | हेब लगेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 237. | 21/1994 | गायत्री पेपर मिल्स प्रा. लिमिटेड |
| 238. | 40/1994 | विदर्भा फॉस्फेट फर्टीलाइजर्स लिमिटेड |
| 239. | 47/1994 | कलबरो पौलिस्टर लिमिटेड |
| 240. | 50/1994 | मल्होत्रा स्टील (बाम्बे) लिमिटेड |
| 241. | 54/1994 | टेस्टी बाईट इटेबल लिमिटेड |
| 242. | 69/1994 | अकाई ओरगोनिक्स लिमिटेड |
| 243. | 78/1994 | यूनिवर्सल लगेजिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड |
| 244. | 88/1994 | मैट्रोनी ड्रग्स प्रा. लिमिटेड |
| 245. | 100/1994 | प्रशांत खोसला न्यूमैटिक लिमिटेड |
| 246. | 103/1994 | एक्सलो मशीन टूल्स लिमिटेड |
| 247. | 120/1994 | शुभम पौलिमर्स लिमिटेड |
| 248. | 125/1994 | राज प्रकाश कैमिकल्स लिमिटेड |
| 249. | 133/1994 | शारदा सिंथैटिक्स लिमिटेड |
| 250. | 135/1994 | एमकौल टूल्स लिमिटेड |
| 251. | 145/1994 | शोभा सिल्क मिल्स प्रा. लिमिटेड |
| 252. | 148/1994 | ऑटो मुगलस प्रा. लिमिटेड |
| 253. | 156/1994 | ईगल आयरन एंड मैटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 254. | 164/1994 | मोदीस्टोन लिमिटेड |
| 255. | 7/1995 | अनंत रोटेस्पीन लिमिटेड |
| 256. | 22/1995 | फिनिक्स मिल्स लिमिटेड |
| 257. | 30/1995 | बाम्बे पेंट्स लिमिटेड |
| 258. | 42/1995 | सैन्ट्रान इण्डस्ट्रियल एलायंस लिमिटेड |
| 259. | 48/1995 | निमित पेपर एंड एलाइड प्रोडेक्ट्स लिमिटेड |
| 260. | 49/1995 | मिड-इंडिया ऑयल्स एंड एक्सपोटर्स लिमिटेड |
| 261. | 50/1995 | कनकधारा स्टील लिमिटेड |
| 262. | 53/1995 | दी इंडियन प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी |
| 263. | 62/1995 | दवे पेंट्स लिमिटेड |
| 264. | 73/1995 | पी.जे. पाईप्स एंड वेसल्स लिमिटेड |
| 265. | 82/1995 | सुदर्शन सिंथेटिक्स प्रा. लिमिटेड |
| 266. | 84/1995 | शिवा सूटिंग्स लिमिटेड |
| 267. | 8/1996 | हिन्दुस्तान ट्रांसमिशन प्रोडेक्ट्स लिमिटेड |
| 268. | 9/1996 | अलौरा पेपर मिल्स लिमिटेड |
| 269. | 30/1996 | रिलायंस सिलिकॉन इंडिया लिमिटेड |
| 270. | 37/1996 | मेघा मैडिटैक्स लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 271. | 42/1996 | तेजूमल्स कार्बनलैस पैपर्स लिमिटेड |
| 272. | 48/1996 | पोद्दार सोया प्रोडेक्ट्स लिमिटेड |
| 273. | 58/1996 | अनंत कैपिसिटर्स प्रा. लिमिटेड |
| 274. | 66/1996 | आर्मर कैमिकल्स लिमिटेड |
| 275. | 68/1996 | महावीर बुत्यल रबड़ इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड |
| 276. | 70/1996 | घोघूपियो इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल कंपनी प्रा. लिमिटेड |
| 277. | 79/1996 | बारामती सोल्वेन्ट एक्सट्रैक्शंस प्रा. लिमिटेड |
| 278. | 83/1996 | टविन सिटी ओरगोनिक्स प्रा. लिमिटेड |
| 279. | 10/1997 | महाराष्ट्र एक्सप्लोसिव लिमिटेड |
| 280. | 12/1997 | रवलोन पैन कंपनी लिमिटेड |
| 281. | 17/1997 | जीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 282. | 21/1997 | जय इलैक्ट्रीक लिमिटेड |
| 283. | 25/1997 | कनमूर फूड्स लिमिटेड |
| 284. | 31/1997 | मकूने सोलमैक्स लिमिटेड |
| 285. | 37/1997 | कुसुम इंगोट्स एंड एलीयस लिमिटेड |
| 286. | 38/1997 | अलौरा स्टील लिमिटेड |
| 287. | 51/1997 | मधु मिलन सिंथेक्स अलौरा पेपर मिल्स लिमिटेड |
| 288. | 58/1997 | एवियन रबड़ एंड कैमिकल्स इंडस्ट्रीज |
| 289. | 61/1997 | साकेथ इंडिया लिमिटेड |
| 290. | 77/1997 | पैनटोके ओरगैनी (आई.) लिमिटेड |
| 291. | 83/1997 | एन.आर. ब्रदर्स रोलर्स फ्लोर मिल्स प्रा. लिमिटेड |
| 292. | 85/1997 | अमरैड एग्रो कॉम्पलैक्स लिमिटेड |
| 293. | 86/1997 | ग्रोवैल टाइम्स लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 294. | 92/1997 | तेजूमल्स कार्बनलैस पेपर्स लिमिटेड |
| 295. | 93/1997 | श्री क्वालिटी सीमेंट्स लिमिटेड |
| 296. | 96/1997 | वरूण पौलिमोल ओरगानिक्स लिमिटेड |
| 297. | 97/1997 | रीयल वैल्यू अपलाइसिंस लिमिटेड |
| 298. | 104/1997 | डी.के. कैमो प्लास्ट लिमिटेड |
| 299. | 118/1997 | ओरियेन्ट सिंटेक्स लिमिटेड |
| 300. | 124/1997 | मिकाडो टैक्सटाईल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 301. | 125/1997 | अपर्णा प्लांट्स एंड इकुपमेंट प्रा. लिमिटेड |
| 302. | 134/1997 | रल्लीवोल्फ लिमिटेड |
| 303. | 144/1997 | सुमैक्स कैमिकल्स लिमिटेड |
| 304. | 146/1997 | देवीदयाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 305. | 147/1997 | एच.एम.जी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 306. | 149/1997 | न्यू ताज टैक्सटाईल्स एंड एस्टैट्स प्रा. लिमिटेड |
| 307. | 150/1997 | ओमेगा एग्रो लिमिटेड |
| 308. | 154/1997 | बोनांजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 309. | 162/1997 | मोवनी एक्सट्रेक्शंस प्रा. लिमिटेड |
| 310. | 164/1997 | पोद्दार निटैक्स लिमिटेड |
| 311. | 170/1997 | लिब्रा पौलीमर्स प्रा. लिमिटेड |
| 312. | 177/1997 | प्रभावती स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड |
| 313. | 203/1997 | अल्ट्रा टेक डिवाइसिस लिमिटेड |
| 314. | 218/1997 | दी मार्डन फाउन्ड्री एंड मशीन वर्क्स लिमिटेड |
| 315. | 221/1997 | सलस्टार फूड एंड बिव्रेज लिमिटेड |
| 316. | 223/1997 | ओमनी प्रिंटस लिमिटेड |
| 317. | 224/1997 | बी.के. पेपर मिल्स प्रा. लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 318. | 225/1997 | सिंघल स्वरूप इस्पात लिमिटेड |
| 319. | 226/1997 | स्पलिमेंट्री फूड्स (आई) लिमिटेड |
| 320. | 3/1998 | सिलकॉन सिल्क मिल्स (एक्सपोर्ट) लिमिटेड |
| 321. | 10/1998 | प्रैस्टीज एच.एम. पौलीकंटेनर्स लिमिटेड |
| 322. | 11/1998 | ललित पौलिमर्स एंड इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड |
| 323. | 12/1998 | शिवाजी वर्क्स लिमिटेड |
| 324. | 15/1998 | एम.एम. डाईकैम लिमिटेड |
| 325. | 29/1998 | नौरटैक इंडिया लिमिटेड |
| 326. | 32/1998 | मोदीस्टोन लिमिटेड |
| 327. | 37/1998 | पुष्पक हौजरी एक्सपोर्ट प्रा. लिमिटेड |
| 328. | 47/1998 | पेनर अल्युमिनियम लिमिटेड |
| 329. | 50/1998 | दी स्वदेशी मिल्स कंपनी लिमिटेड |
| 330. | 51/1998 | रल्लीवोल्फ लिमिटेड |
| 331. | 61/1998 | वैलमैन हिन्दुस्तान लिमिटेड |
| 332. | 63/1998 | अरलैब्स लिमिटेड |
| 333. | 64/1998 | यूनिवर्सल फेनो एंड अलॉयड कैमिकल्स लिमिटेड |
| 334. | 69/1998 | अताष इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 335. | 70/1998 | फार्मास्युटिकल्स प्रोडेक्ट्स लिमिटेड |
| 336. | 74/1998 | करोना लिमिटेड |
| 337. | 77/1998 | श्री श्याम फैब्रिक्स लिमिटेड |
| 338. | 83/1998 | हिक्सन एंड दादाजी लिमिटेड |
| 339. | 84/1998 | प्रूडेंशियल सीमेंट लिमिटेड |
| 340. | 92/1998 | इंडियन फूड्स फरमेंनटेशन्स लिमिटेड |
| 341. | 94/1998 | माइक्रो प्लांट. लिमिटेड |
| 342. | 95/1998 | औरंगाबाद पेपर मिल्स लिमिटेड |
| 343. | 98/1998 | आर.ई.पी.एल. इंजीनियरिंग लिमिटेड |
| 344. | 111/1998 | इनलक ग्रानस्टोन लिमिटेड |
| 345. | 112/1998 | विध्या कैमिकल्स लिमिटेड |
| 346. | 113/1998 | प्रूडेंशियल पौलीवेबस लिमिटेड |
| 347. | 114/1998 | शान इंटरवैल (इंडिया) लिमिटेड |
| 348. | 118/1998 | श्री श्याम फैब्रिक्स लिमिटेड |
| 349. | 122/1998 | वालमैक मैटल एक्सटरूडर्स लिमिटेड |
| 350. | 125/1998 | पान एशिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 351. | 137/1998 | आरचर एक्सपोर्टस प्रा. लिमिटेड |
| 352. | 139/1998 | गलैक्सी प्लास्टिक (बाम्बे) प्रा. लिमिटेड |
| 353. | 166/1998 | झण्डू कैमिकल्स लिमिटेड |
| 354. | 167/1998 | सज्जन टैक्सटाईल्स लिमिटेड |
| 355. | 169/1998 | ट्रांसपावर इंजीनियरिंग |
| 356. | 175/1998 | मीकाडो सूटिंग्स लिमिटेड |
| 357. | 178/1998 | सिंह स्क्रैप प्रोसैसर्स प्रा. लिमिटेड |
| 358. | 181/1998 | त्रिडेंट स्टील लिमिटेड |
| 359. | 182/1998 | औरंगाबाद केबल्स लिमिटेड |
| 360. | 189/1998 | विजयश्री कैमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड |
| 361. | 196/1998 | ग्रांड फाउंड्री लिमिटेड |
| 362. | 207/1998 | हिल्टन इंटरमीडिएट्स लिमिटेड |
| 363. | 210/1998 | बी.सी.एल. फोरजिंग्स लिमिटेड |
| 364. | 214/1998 | विधी इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 365. | 219/1998 | ईस्टर्न ओवरसीज लिमिटेड |
| 366. | 220/1998 | क्रिस्टल पोली-फैब लिमिटेड |
| 367. | 224/1998 | शेतकारी सोलवेंट (इंडिया) लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 368. | 226/1998 | श्री प्रीकोटेड स्टीलस लिमिटेड |
| 369. | 229/1998 | पंचशील पेपर मिल्स लिमिटेड |
| 370. | 232/1998 | मेटलको इंडिया लिमिटेड |
| 371. | 238/1998 | विप्रास कारपोरेशन लिमिटेड |
| 372. | 249/1998 | शारदा टैक्सटाइल्स मिल्स (इण्डिया) लिमिटेड |
| 373. | 254/1998 | शेपर कैमिकल्स लिमिटेड |
| 374. | 255/1998 | पर्ल इंजीनियरिंग पौलिमर्स लिमिटेड |
| 375. | 256/1998 | रायगढ़ कास्टिंग लिमिटेड |
| 376. | 259/1998 | जैन स्पिनर्स लिमिटेड |
| 377. | 264/1998 | कैमोक्स लैबोरेट्रीज लिमिटेड |
| 378. | 268/1998 | जयन्त पेपर मिल्स लिमिटेड |
| 379. | 269/1998 | सरने इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 380. | 274/1998 | विप्रा कास्टिंगस लिमिटेड |
| 381. | 275/1998 | पटोडिया सीमेंट लिमिटेड |
| 382. | 277/1998 | इंडो जिंक लिमिटेड |
| 383. | 280/1998 | एस.पी.एल. इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 384. | 284/1998 | माइक्रो प्लांट एई लिमिटेड |
| 385. | 286/1998 | क्रैस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड |
| 386. | 287/1998 | नायकनावरे कैमिकल्स लिमिटेड |
| 387. | 288/1998 | पटोडिया टैक्सटाईल इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 388. | 292/1998 | पाथेजा फोरजिंगस एंड ऑटो पार्टस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड |
| 389. | 303/1998 | मैटरिस्ट स्टीलस लिमिटेड |
| 390. | 304/1998 | श्री ईशर अलॉय स्टील लिमिटेड |
| 391. | 306/1998 | स्वरूप स्टीलस लिमिटेड |
| 392. | 312/1998 | दी कोठापुर स्टील लिमिटेड |
| 393. | 314/1998 | फैरो अलॉयस कारपोरेशन लिमिटेड |
| 394. | 315/1998 | जी.एस.जे. कम्युनिकेशन्स लिमिटेड |
| 395. | 316/1998 | यूनीक एग्रो प्रोसैसर्स (आई) लिमिटेड |
| 396. | 317/1998 | कैमोक्स कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 397. | 324/1998 | ए.टी.वी. प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड |
| 398. | 327/1998 | अरिहंत तोऊनसोल लिमिटेड |
| 399. | 334/1998 | पैलीकैम लिमिटेड |
| 400. | 361/1998 | शिवम रोलिंग मिल्स प्रा. लिमिटेड |
| 401. | 2/1999 | तंगेरीन इंफोरमेटिक लिमिटेड |
| 402. | 10/1999 | विक्रम प्रोजेक्ट्स लिमिटेड |
| 403. | 18/1999 | टैक्सप्लास्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 404. | 23/1999 | फ्लैक्सो फिल्म रैप्स (इंडिया) लिमिटेड |
| 405. | 37/1999 | बिंदु सिंथेटिक्स लिमिटेड |
| 406. | 49/1999 | अजीत पेपर मिल्स लिमिटेड |
| 407. | 52/1999 | एशिया फैब लिमिटेड |
| 408. | 57/1999 | एलीजेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड# |
| 409. | 60/1999 | अमिताभ बच्चन कारपोरेशन लिमिटेड |
| 410. | 75/1999 | इंटरनैशनल निटिंग लिमिटेड |
| 411. | 77/1999 | मुक्ति ट्रांसफारमर्स लिमिटेड |
| 412. | 78/1999 | काना ग्लास लिमिटेड |
| 413. | 80/1999 | पाथेजा ब्रदर्स फोरजिंगस स्टैंपिंगस लिमिटेड |
| 414. | 87/1999 | एमरैल्ड पेपर मिल्स (प्रा.) लिमिटेड |
| 415. | 98/1999 | मैट्रिक्स स्टीलस लिमिटेड |
| 416. | 101/1999 | अनिल कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 417. | 104/1999 | स्कैन आरगेनिक्स लिमिटेड |
| 418. | 111/1999 | रेमी मैटल्स गुजरात लिमिटेड |
| 419. | 116/1999 | बिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 420. | 122/1999 | त्रि-स्टार सोया प्रोडेक्ट्स लिमिटेड |
| 421. | 125/1999 | महाराष्ट्र पौलीब्यूटिनस लिमिटेड# |
| 422. | 131/1999 | ए.वी.एस. इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 423. | 132/1999 | सुभक्ति टैक्सटाईल्स लिमिटेड |
| 424. | 140/1999 | डैनहॉल्स स्टीलस लिमिटेड |
| 425. | 141/1999 | वितारा कैमिकल्स लिमिटेड |
| 426. | 157/1999 | डक तारपोलीनस लिमिटेड |
| 427. | 161/1999 | विजय सिंथेटिक्स प्रिंटस लिमिटेड |
| 428. | 163/1999 | वरूण सीमेंट्स लिमिटेड |
| 429. | 164/1999 | मर्दिया समयंग कैपिलरी ट्यूब्स कंपनी लिमिटेड |
| 430. | 169/1999 | हरि विष्णु पैकेजिंग लिमिटेड |
| 431. | 170/1999 | सिंथेटिक्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड |
| 432. | 176/1999 | एल.डी. टेक्सटाईल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 433. | 177/1999 | बीई डेल्फत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड |
| 434. | 178/1999 | जेटीसी इंजीनियरिंग प्रा. लिमिटेड |
| 435. | 183/1999 | ई.ए.एल.आर. फैशन लिमिटेड |
| 436. | 188/1999 | मधुर एग्रो प्रोटीनस लिमिटेड |
| 437. | 190/1999 | दी ए.ई.एम.ई. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड |
| 438. | 193/1999 | हैप्पी टैक्सटाईलस लिमिटेड |
| 439. | 199/1999 | बगादे इंडिया इंजीनियरिंग लिमिटेड |
| 440. | 200/1999 | वडिलाल डेयरी इंटरनैशनल लिमिटेड |
| 441. | 202/1999 | अरीन मनटैक्स लिमिटेड |
| 442. | 204/1999 | मर्दिया ट्यूब्स लिमिटेड |
| 443. | 205/1999 | इनोटेक फार्मा लिमिटेड |
| 444. | 214/1999 | बांका (इंडिया) लिमिटेड |
| 445. | 218/1999 | एरी ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड |
| 446. | 222/1999 | बजाज प्लास्टिक लिमिटेड |
| 447. | 224/1999 | मानव यार्न प्रोडेक्ट्स लिमिटेड |
| 448. | 228/1999 | दीपक वूलन लिमिटेड |
| 449. | 230/1999 | श्रीमैन पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड |
| 450. | 231/1999 | एमराल्ड पेपर मिल्स प्रा. लिमिटेड |
| 451. | 232/1999 | असाही फाईबर्स लिमिटेड |
| 452. | 242/1999 | श्रीमान ओरगैनिक्स कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 453. | 243/1999 | नथानी स्टील लिमिटेड |
| 454. | 249/1999 | संजीवनी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 455. | 251/1999 | कूकवेल फूड्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड |
| 456. | 256/1999 | एस्सेम कैटालिस्ट लिमिटेड |
| 457. | 257/1999 | सुप्राप्ति प्लास्टिक लिमिटेड |
| 458. | 260/1999 | सन वैली फार्म प्रोडेक्ट्स लिमिटेड |
| 459. | 265/1999 | सिमको इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 460. | 270/1999 | मनसुख इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 461. | 278/1999 | श्री वेंकटेश स्टील्स लिमिटेड |
| 462. | 280/1999 | तिगरानिया मैटल्स प्रा. लिमिटेड |
| 463. | 290/1999 | सुपरियर सॉक्स लिमिटेड |
| 464. | 292/1999 | वेनट्रॉन पौलीमर्स लिमिटेड |
| 465. | 299/1999 | रवि स्पिनिंग लिमिटेड |
| 466. | 307/1999 | इंडियन ऑक्सलेट लिमिटेड |
| 467. | 311/1999 | यूनियन क्वालिटी प्लास्टिकस लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 468. | 312/1999 | वेनट्रॉन कैमिकल्स लिमिटेड |
| 469. | 330/1999 | आधुनिक यार्नर्स लिमिटेड |
| 470. | 331/1999 | प्रभात तारपीन्स एंड सिंथेटिक्स लिमिटेड |
| 471. | 333/1999 | कोंकण कैप्सूल्स लिमिटेड |
| 472. | 339/1999 | लादाम स्टील लिमिटेड |
| 473. | 348/1999 | बधानी टैक्सटाईल प्रा. लिमिटेड |
| 474. | 355/1999 | मोहता एंड हैक्ल लिमिटेड |
| 475. | 363/1999 | फ्लैक्सो फिल्म रैप्स (इंडिया) लिमिटेड |
| 476. | 368/1999 | सुभाष सिल्क मिल्स लिमिटेड |
| 477. | 369/1999 | नोवालक्स लिमिटेड |
| 478. | 372/1999 | सुविन कोएक्सटरूसियस लिमिटेड |
| 479. | 374/1999 | शकाम भारी स्पिनटैक्स लिमिटेड |
| 480. | 382/1999 | मुराब्लैक इंडिया लिमिटेड |
| 481. | 385/1999 | टैम्पटेशन फूड्स लिमिटेड |
| 482. | 396/1999 | सोलर यूसी फार्म्स लिमिटेड |
| 483. | 402/1999 | शारदा टैक्स (इंडिया) लिमिटेड |
| 484. | 1/2000 | इंडो-फ्रैंच बॉयो-टैक इंटरप्राइसिस लिमिटेड |
| 485. | 2/2000 | नथानी स्टील लिमिटेड |
| 486. | 5/2000 | डामनिया शिपिंग |
| 487. | 19/2000 | माइक्रो प्लांटी लिमिटेड |
| 488. | 20/2000 | वर्साटाईल वायर प्रोडेक्ट्स प्रा. लिमिटेड |
| 489. | 22/2000 | सिम्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 490. | 24/2000 | निग्राम्माबु वाईन इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 491. | 26/2000 | टॉप डायमंड्स लिमिटेड |
| 492. | 28/2000 | बागलकोट उद्योग लिमिटेड |
| 493. | 29/2000 | जय दुर्गा सोलवेंट प्रा. लिमिटेड |
| 494. | 35/2000 | नरेन्द्र दादा एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 495. | 36/2000 | मनसुख इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 496. | 37/2000 | ओलंपिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 497. | 44/2000 | इन्दिरा एक्सट्रैक्शन्स लिमिटेड |
| 498. | 53/2000 | रूशभ प्रीसीजन बेयरिंग लिमिटेड |
| 499. | 65/2000 | दिनेश एग्रो प्रोडेक्ट्स लिमिटेड |
| 500. | 72/2000 | पाथेजा ब्रदर्स फोरजिंग्स एंड स्टैंपिंग लिमिटेड |
| 501. | 78/2000 | इंडो-बॉयोटैक फूड्स लिमिटेड |
| 502. | 81/2000 | क्यूरियन एसिड एंड कैमिकल्स लिमिटेड |
| 503. | 82/2000 | क्लैरियन ड्रग्स लिमिटेड |
| 504. | 85/2000 | कृपा इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड |
| 505. | 96/2000 | टॉवल्स इंडिया एक्सपोर्टर्स लिमिटेड |
| 506. | 105/2000 | अमर अमित जलन अलॉयस प्रा. लिमिटेड |
| 507. | 111/2000 | अनिल कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 508. | 112/2000 | आकाश सिंकोटैक्स लिमिटेड |
| 509. | 121/2000 | यौगीर सिंथेटिक्स लिमिटेड |
| 510. | 122/2000 | गुड वैल्यू मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड |
| 511. | 127/2000 | ओरिएन्ट वैजीटैक्सपो लिमिटेड |
| 512. | 128/2000 | एस.एम.जैड.एस. कैमिकल्स लिमिटेड |
| 513. | 130/2000 | कुमार वैकयूम ग्लास लिमिटेड |
| 514. | 136/2000 | शारदा इस्पात लिमिटेड |
| 515. | 144/2000 | पीरामल स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स लिमिटेड |
| 516. | 151/2000 | ट्राइडेंट स्टील्स लिमिटेड |
| 517. | 152/2000 | डेनहॉल्स स्टील्स लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 518. | 157/2000 | वैस्टर्न फ्रूट एंड वैजीटेबलस लिमिटेड |
| 519. | 162/2000 | संघवी हिते इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 520. | 165/2000 | विराज अलॉयस लिमिटेड |
| 521. | 166/2000 | शऊघुई फिलमेंटस लिमिटेड |
| 522. | 172/2000 | बागी पैकेजिस लिमिटेड |
| 523. | 178/2000 | इबिजा इंड. लिमिटेड |
| 524. | 181/2000 | बिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 525. | 182/2000 | रॉयल कुशिन विनाईल प्रोडेक्ट्स प्रा. लिमिटेड |
| 526. | 189/2000 | सरिता अलॉय स्टील्स प्रा. लिमिटेड |
| 527. | 190/2000 | सिला अलॉय स्टील्स प्रा. लिमिटेड |
| 528. | 191/2000 | रणजीत एंड वॉयर प्रोडेक्टस प्रा. लिमिटेड |
| 529. | 193/2000 | कनकधारा कार्स्टिग प्रा. लिमिटेड |
| 530. | 197/2000 | ए.वी.एस. इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 531. | 204/2000 | ग्लोबल बोर्डस लिमिटेड |
| 532. | 208/2000 | श्री वेंकटेश स्टील्स लिमिटेड |
| 533. | 228/2000 | सैंटोजैन एक्सपोर्टस लिमिटेड |
| 534. | 231/2000 | आर.ई.पी.एल. इंजीनियरिंग लिमिटेड |
| 535. | 233/2000 | बाब एग्रो लिमिटेड |
| 536. | 237/2000 | तिरुपति फिलामेंटस लिमिटेड |
| 537. | 252/2000 | ट्रांसपावर इंजीनियरिंग लिमिटेड |
| 538. | 255/2000 | सैन्चुरी एग्रो प्रोडेक्टस प्रा. लिमिटेड |
| 539. | 261/2000 | निवास स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड |
| 540. | 266/2000 | मुथा स्पीरोकास्ट (इंडिया) प्रा. लिमिटेड |
| 541. | 272/2000 | आधुनिक सिंथेटिक्स लिमिटेड |
| 542. | 275/2000 | आई.एस.पी.एल. इंडस्ट्रीज लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 543. | 291/2000 | ए.जे. ब्रदर्स लिमिटेड |
| 544. | 292/2000 | अंकुर एग्रोकैम लिमिटेड |
| 545. | 296/2000 | ललित प्रोफाईल्स एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 546. | 303/2000 | न्यू प्लास्टोमर्स इंडिया लिमिटेड |
| 547. | 304/2000 | नाथ पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड |
| 548. | 305/2000 | रामा पल्प एंड पेपर्स लिमिटेड |
| 549. | 309/2000 | एम.जे. फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड |
| 550. | 312/2000 | दीपक वूलन्स लिमिटेड |
| 551. | 313/2000 | रूशफ प्रीसीजन बेयरिंग लिमिटेड |
| 552. | 314/2000 | डेरा पेंट्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड |
| 553. | 324/2000 | मनियार प्लास्ट लिमिटेड |
| 554. | 338/2000 | डायनामिक माईक्रोस्टैपर्स लिमिटेड |
| 555. | 346/2000 | पाथेजा ब्रदर्स फोरजिंग्स एंड स्टैंपिंगस लिमिटेड |
| 556. | 347/2000 | अल्पाईन सेरामिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 557. | 349/2000 | राज इरिगेशन पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड |
| 558. | 353/2000 | बलवन्त टैक्सटाईल मिल्स लिमिटेड |
| 559. | 354/2000 | लामयार्ड फूड्स लिमिटेड |
| 560. | 356/2000 | मायो (इंडिया) लिमिटेड |
| 561. | 360/2000 | कृष्णा विनाईल लिमिटेड |
| 562. | 361/2000 | विश्वास स्टील लिमिटेड |
| 563. | 364/2000 | रास प्रोपैक लैमीपैक लिमिटेड |
| 564. | 367/2000 | सिंघल ग्लोबल लिमिटेड |
| 565. | 369/2000 | स्ट्रीलिंग स्ट्रिप्स लिमिटेड |
| 566. | 376/2000 | कोंकण कैप्सूल्स लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 567. | 378/2000 | टॉप डायमंडस लिमिटेड |
| 568. | 384/2000 | केटी कॉटसिंथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 569. | 389/2000 | चन्द्रपीर मैगनेट वायर्स प्रा. लिमिटेड |
| 570. | 390/2000 | कैलाश वाहन उद्योग लिमिटेड |
| 571. | 391/2000 | मार्बल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 572. | 412/2000 | सुदल इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 573. | 415/2000 | राइडर इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड |
| 574. | 416/2000 | बिंदु सिंथेटिक्स लिमिटेड |
| 575. | 418/2000 | मुक्ति ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड |
| 576. | 420/2000 | टॉवल्स इंडिया एक्सपोटर्स लिमिटेड |
| 577. | 424/2000 | एस्सेम कैटलिस्ट लिमिटेड |
| 578. | 426/2000 | क्युपिड रबड्स लिमिटेड |
| 579. | 1/2001 | एलैक्सिकोन फोमकास्ट लिमिटेड |
| 580. | 10/2001 | वरसाटाईल वायर प्रोडेक्टस प्रा. लिमिटेड |
| 581. | 11/2001 | निपडामाडु वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 582. | 17/2001 | रुकमिनी सोलवैक्स प्रा. लिमिटेड |
| 583. | 28/2001 | यूरिस्को एग्रो लिमिटेड |
| 584. | 29/2001 | तुनी टैक्सटाईल मिल्स लिमिटेड |
| 585. | 32/2001 | ई.पी.सी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 586. | 35/2001 | मर्दिया ट्यूब्स लिमिटेड |
| 587. | 36/2001 | वामोटियाला कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 588. | 44/2001 | वोरा पैकेजिंग प्रा. लिमिटेड |
| 589. | 48/2001 | इंडो-डेटसें मेटलो चिमीगू लिमिटेड |
| 590. | 53/2001 | शरद फाइबर्स एंड यार्न प्रोसैसर्स लिमिटेड |
| 591. | 57/2001 | एलेक्सन एक्सटरूशन्स लिमिटेड |
| 592. | 62/2001 | रंगोली एग्रो टैक लिमिटेड |
| 593. | 64/2001 | मिशाल जिंक इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड |
| 594. | 66/2001 | वैस्टर्न स्टेट इंजीनियर्स लिमिटेड |
| 595. | 68/2001 | जे.ए.वी.एस. इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड |
| 596. | 69/2001 | शक्ति एक्वाकल्चर फार्मस लिमिटेड |
| 597. | 71/2001 | अनिल कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 598. | 80/2001 | ब्लू ब्लैंडस (इंडिया) लिमिटेड |
| 599. | 85/2001 | रामोलीन टैक्सटाईल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 600. | 97/2001 | सी.एम.एम. लिमिटेड |
| 601. | 102/2001 | आपलोट टैक्सटाईल्स (इंडिया) लिमिटेड |
| 602. | 107/2001 | विरल फिलामेंट्स लिमिटेड |
| 603. | 109/2001 | एस.पी.एल. इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 604. | 110/2001 | ओलम्पिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 605. | 115/2001 | ग्लोबल इंफ्रास्ट्रकचर एंड टैक्नोलोजिस लिमिटेड |
| 606. | 117/2001 | लादाम स्टील लिमिटेड |
| 607. | 129/2001 | दागा फाईबर्स एंड सिंथेटिक्स लिमिटेड |
| 608. | 131/2001 | नवकॉम इंडस्ट्रीज सोलवेन्ट |
| 609. | 132/2001 | विजय सोलवेन्ट एक्सट्रेक्शन्स लिमिटेड |
| 610. | 134/2001 | एस.एम.एस. वायर्स लिमिटेड |
| 611. | 137/2001 | श्री महेश कैमिकल्स लिमिटेड |
| 612. | 146/2001 | शालीमार डाईंग लिमिटेड |
| 613. | 151/2001 | मा[illegible]क्रो प्लानटे लिमिटेड |
| 614. | 154/2001 | किर्लोस्कर [illegible] इक्यूपमिंट लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 615. | 157/2001 | सैन्टोजन सिल्क मिल्स लिमिटेड |
| 616. | 159/2001 | मस्करा इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 617. | 161/2001 | इंडुस्मिन फूड लिमिटेड |
| 618. | 162/2001 | एविक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड |
| 619. | 163/2001 | इंडियन लैड लिमिटेड |
| 620. | 166/2001 | देवश्री टैक्सटाईल लिमिटेड |
| 621. | 169/2001 | कृष्णा फिलामेंट्स लिमिटेड |
| 622. | 172/2001 | सुनील इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 623. | 177/2001 | यूनिवर्थ अपैरल लिमिटेड |
| 624. | 182/2001 | प्रा-सन फैरो अलॉयस एंड मैटल्स कार्स्टिंग लिमिटेड |
| 625. | 185/2001 | माखनलाल राजकुमार कॉटन लिमिटेड |
| 626. | 187/2001 | सुनन्दा इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 627. | 188/2001 | एनकेटेक्सो फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 628. | 189/2001 | अरूण मेंटैक्स लिमिटेड |
| 629. | 190/2001 | वी.एस.एल. इंफोटेनमेंट लिमिटेड |
| 630. | 192/2001 | ट्राईडेंट स्टील लिमिटेड |
| 631. | 200/2001 | मर्दिया एक्सटरूशन्स लिमिटेड |
| 632. | 203/2001 | कनकधारा कार्स्टिंग प्रा. लिमिटेड |
| 633. | 207/2001 | इन्दौर वायर कंपनी लिमिटेड |
| 634. | 216/2001 | शान्तनु शियोरे एकुआकुल्ट लिमिटेड |
| 635. | 218/2001 | एलीजैन्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड |
| 636. | 221/2001 | निरंजन अलॉय स्टील (प्रा.) लिमिटेड |
| 637. | 222/2001 | सिमको कैमोटैक्स (प्रा.) लिमिटेड |
| 638. | 232/2001 | केगांव पेपर मिल्स लिमिटेड |
| 639. | 238/2001 | एनवा कैम (इंडिया) लिमिटेड |
| 640. | 246/2001 | विशालदीप स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड |
| 641. | 251/2001 | आईकॉन ऑयल एंड स्पैशिलिटिस लिमिटेड |
| 642. | 257/2001 | सतगुरू एग्रो इन्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 643. | 258/2001 | निवास स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड |
| 644. | 259/2001 | मार्डन थ्रेड्स (इंडिया) लिमिटेड |
| 645. | 260/2001 | दातार स्विचगेर लिमिटेड |
| 646. | 263/2001 | आर.ई. ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड |
| 647. | 264/2001 | जयसिंघ डाईकैम लिमिटेड |
| 648. | 275/2001 | राजेन्द्र माइनिंग स्पेयर्स कंपनी लिमिटेड |
| 649. | 277/2001 | टी.पी.आई. इंडिया लिमिटेड |
| 650. | 278/2001 | लायड्स स्टील इन्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 651. | 283/2001 | जेसिंथ डाई स्टफ (इंडिया) लिमिटेड |
| 652. | 285/2001 | डालमिया डाई-कैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 653. | 286/2001 | श्री श्याम फैब्रिक्स लिमिटेड |
| 654. | 291/2001 | पश्चिम पैट्रोकैम लिमिटेड |
| 655. | 294/2001 | नथानी पेपर मिल्स लिमिटेड |
| 656. | 295/2001 | गरवारे सिंथेटिक्स लिमिटेड |
| 657. | 296/2001 | रैफनोल रेजिन्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड |
| 658. | 299/2001 | सूयान ट्रांसमिशनस लिमिटेड |
| 659. | 303/2001 | ओरिएण्ट प्रैस लिमिटेड |
| 660. | 307/2001 | जोर्ड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड |
| 661. | 315/2001 | वैभव पेपर बोर्डस प्रा. लिमिटेड |
| 662. | 317/2001 | श्री बालाजी शर्टिंग्स प्रा. लिमिटेड |
| 663. | 320/2001 | रूबी पेपर मिल्स लिमिटेड |
| 664. | 322/2001 | रामा पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 665. | 323/2001 | प्रीसाईज लैबलीस एंड पेपर लिमिटेड |
| 666. | 329/2001 | एशिया पौलीटैक्स (इंडिया) लिमिटेड |
| 667. | 331/2001 | प्रदीप मैटल्स लिमिटेड |
| 668. | 339/2001 | डेनहॉल्स स्टील्स लिमिटेड |
| 669. | 344/2001 | दी हिन्दुस्तान स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स |
| 670. | 345/2001 | मुनीस फोर्ज लिमिटेड |
| 671. | 349/2001 | गुड वैल्यू मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड |
| 672. | 352/2001 | ट्रांस एग्रोटैक लिमिटेड |
| 673. | 358/2001 | ट्रिनिटी फोर्ज लिमिटेड |
| 674. | 365/2001 | टैडको प्रैस प्रा. लिमिटेड |
| 675. | 372/2001 | सुपर एंड स्टेनलैस हाई-अलॉयस लिमिटेड |
| 676. | 373/2001 | लेनीयार्ड फूड लिमिटेड |
| 677. | 379/2001 | इंडो बॉयोटैक फूड्स लिमिटेड |
| 678. | 397/2001 | मोविलैक्स इरीगेशन लिमिटेड |
| 679. | 399/2001 | वोलन्ट टैक्सटाईल्स मिल्स लिमिटेड |
| 680. | 406/2001 | वैन्ट्रॉन कैमिकल्स लिमिटेड |
| 681. | 409/2001 | ऊषा इस्पात लिमिटेड |
| 682. | 417/2001 | आरटेक ओरगानिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 683. | 418/2001 | कुलकर्णी इंजीनियरिंग एसोसिएट्स लिमिटेड |
| 684. | 422/2001 | पैनगुइन एक्सपोटर्स प्रा. लिमिटेड |
| 685. | 430/2001 | ट्रांस फरेट कंटेनर्स लिमिटेड |
| 686. | 431/2001 | पोलोलाईट इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 687. | 441/2001 | औरंगाबाद केबल लिमिटेड |
| 688. | 443/2001 | कुमार वायर क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड |
| 689. | 444/2001 | बिजनेस कम्बाईन लिमिटेड |
| 690. | 445/2001 | सिंथेटिक्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड |
| 691. | 448/2001 | कापसेल्स इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड |
| 692. | 449/2001 | श्रीमन पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड |
| 693. | 452/2001 | केडिया लैमिकोटे (इंडिया) लिमिटेड |
| 694. | 454/2001 | एवरलोन सिंथेटिक्स लिमिटेड |
| 695. | 459/2001 | ग्राहम फर्थ स्टील प्रोडेक्टस (इंडिया) लिमिटेड |
| 696. | 461/2001 | एसक्वायर पौलीमर्स लिमिटेड |
| 697. | 2/2002 | इंडो निपोन कैमिकल्स कंपनी लिमिटेड |
| 698. | 3/2002 | हुसैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 699. | 11/2002 | अरिहंत ट्यूनसोल लिमिटेड |
| 700. | 16/2002 | वास्पारर फिश्चर लिमिटेड |
| 701. | 17/2002 | प्रीमियर सिंथेटिक्स लिमिटेड |
| 702. | 20/2002 | मार्बल इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 703. | 29/2002 | टॉप डायमंडस लिमिटेड |
| 704. | 32/2002 | मायो (इंडिया) लिमिटेड |
| 705. | 33/2002 | बिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 706. | 35/2002 | चन्द्र वर्धन ओरगेनिक्स प्रा. लिमिटेड |
| 707. | 38/2002 | हरियाणा मैटल्स लिमिटेड |
| 708. | 52/2002 | कंचन पेपर मिल्स लिमिटेड |
| 709. | 72/2002 | यंगीर सिंथेटिक्स लिमिटेड |
| 710. | 74/2002 | लुबरी-कैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 711. | 77/2002 | मैल्ट्रॉन सेमीकंडक्ट्रस लिमिटेड |
| 712. | 78/2002 | डायनामिक टैक्सटाईल इंडस्ट्रीज लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 713. | 79/2002 | यूफार्मा लैबोरेट्रीज लिमिटेड |
| 714. | 92/2002 | सुयोग कैमिकल्स प्रा. लिमिटेड |
| 715. | 103/2002 | बी इलैक्ट्रोनिक्स मशीनस लिमिटेड |
| 716. | 104/2002 | निकोमेन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 717. | 111/2002 | उमेश बोर्ड एंड पेपर मिल्स प्रा. लिमिटेड |
| 718. | 122/2002 | संदीप पौलीमर्स प्रा. लिमिटेड |
| 719. | 123/2002 | विष्णु विजय पैकेजर्स लिमिटेड |
| 720. | 130/2002 | त्रिमूर्ति सिंथेटिक्स लिमिटेड |
| 721. | 138/2002 | बीचीन्स क्रियेशन प्रा. लिमिटेड |
| 722. | 145/2002 | स्पैक्ट्रम इथर्स लिमिटेड |
| 723. | 148/2002 | नेशनल टैलिकोम ऑफ इंडिया लिमिटेड |
| 724. | 149/2002 | विराट इस्पात लिमिटेड |
| 725. | 150/2002 | विराल पौली कोम्बर्स लिमिटेड |
| 726. | 151/2002 | समुराई सिंथेटिक्स प्रा. लिमिटेड |
| 727. | 160/2002 | भूपेन इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड |
| 728. | 163/2002 | गुरूदेव फोरजिंग्स प्रा. लिमिटेड |
| 729. | 164/2002 | यशराज कॉन्टेनर्स लिमिटेड |
| 730. | 166/2002 | डायनामाईक डेयरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 731. | 172/2002 | राजकुमार फोर्ज लिमिटेड |
| 732. | 174/2002 | वैन्ट्रॉन पोलीमर्स लिमिटेड |
| 733. | 178/2002 | मुक्ती ट्रांसफॉरमर्स लिमिटेड |
| 734. | 184/2002 | निवास स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड |
| 735. | 186/2002 | रामा श्री कंडक्टर्स लिमिटेड |
| 736. | 187/2002 | माइक्रोसिंथ फैब्रिक्स (इंडिया) लिमिटेड |
| 737. | 188/2002 | नेराल पेपर मिल्स प्रा. लिमिटेड |
| 738. | 189/2002 | प्रीसिजन फास्टनर्स लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 739. | 195/2002 | अशोक ओरगेनिक्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 740. | 196/2002 | रीवरडेल फूड्स लिमिटेड |
| 741. | 205/2002 | सायोन पल्प कन्वर्शन मिल्स लिमिटेड |
| 742. | 211/2002 | रूबी कोच बिल्डर्स लिमिटेड |
| 743. | 213/2002 | कृष्णा विनाईलस लिमिटेड |
| 744. | 218/2002 | मैगनम इंटरमीडिएट लिमिटेड |
| 745. | 231/2002 | ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टैकनोलोजिज लिमिटेड |
| 746. | 232/2002 | सिल्वरलाईन ब्राईट स्टील्स लिमिटेड |
| 747. | 233/2002 | विराज अलॉयस लिमिटेड |
| 748. | 235/2002 | ब्लू ब्लैंडस (इंडिया) लिमिटेड |
| 749. | 240/2002 | चन्द्रपुर मैगनेट वायर्स प्रा. लिमिटेड |
| 750. | 243/2002 | गरवारे कैमिकल्स लिमिटेड |
| 751. | 256/2002 | जाव इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड |
| 752. | 259/2002 | लॉयडस मैटल्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड |
| 753. | 260/2002 | गुड वैल्यू मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड |
| 754. | 265/2002 | देवरसा गैस-कैम लिमिटेड |
| 755. | 267/2002 | राशि फर्टिलाइजर्स लिमिटेड |
| 756. | 271/2002 | अफलोट टैक्सटाईल्स (इंडिया) लिमिटेड |
| 757. | 274/2002 | एम.टी.जैड. पोलीफिल्मस लिमिटेड |
| 758. | 276/2002 | सीरिन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 759. | 281/2002 | इंडो बॉयोटैक फूड्स लिमिटेड |
| 760. | 285/2002 | बाल्लभ पौली प्लास्ट इंटरनैशनल लिमिटेड |
| 761. | 287/2002 | श्री मारथवाडा पेपर मिल्स प्रा. लिमिटेड |
| 762. | 295/2002 | आर.ई.पी.एल. इंजीनियरिंग लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 763. | 300/2002 | शारदा इंफोरमेशन्स टैक्नोलॉजी लिमिटेड |
| 764. | 304/2002 | सिस्पर फार्माटेक लिमिटेड |
| 765. | 305/2002 | एमटैक्स इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड |
| 766. | 306/2002 | टावल्स इंडिया एक्सपोटर्स लिमिटेड |
| 767. | 317/2002 | सुदिति इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 768. | 321/2002 | प्रिंसीपल फार्मास्युटिकल्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड |
| 769. | 322/2002 | वोलेंट टैक्सटाईल मिल्स लिमिटेड |
| 770. | 323/2002 | माखनलाल राज कुमार कॉटन लिमिटेड |
| 771. | 325/2002 | टिपको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 772. | 329/2002 | कोनिक मैटल्स लिमिटेड |
| 773. | 336/2002 | श्री महेश कैमिकल्स लिमिटेड |
| 774. | 343/2002 | एस.एम.एस. वायर्स प्रा. लिमिटेड |
| 775. | 344/2002 | तिगरानिया मैटल्स प्रा. लिमिटेड |
| 776. | 357/2002 | कायागांव पेपर मिल्स लिमिटेड |
| 777. | 359/2002 | दी जामश्री रामजीतसिंह जी एसपीएनजी एंड वेव मिल्स |
| 778. | 361/2002 | वैस्टर्न स्टेट इंजीनियर्स लिमिटेड |
| 779. | 367/2002 | चिमनलाल विजय कुमार स्टील प्रा. लिमिटेड |
| 780. | 370/2002 | मुनीस फोर्ज लिमिटेड |
| 781. | 371/2002 | ग्राहम फिर्थ स्टील प्रोडेक्टस (इंडिया) लिमिटेड |
| 782. | 374/2002 | एस.जे. सिंथेटिक्स लिमिटेड |
| 783. | 376/2002 | टैक्नीकॉम सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड |
| 784. | 383/2002 | बिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 785. | 392/2002 | वैभव पेपर बोर्डस प्रा. लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 786. | 399/2002 | रामा फोस्फेट्स लिमिटेड |
| 787. | 402/2002 | टावल्स इंडिया एक्सपोटर्स लिमिटेड |
| 788. | 406/2002 | युवराज इंटरनैशनल लिमिटेड |
| 789. | 408/2002 | कृष्णा फिलामेंट्स लिमिटेड |
| 790. | 411/2002 | डालमिया डाई-कैम इन्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 791. | 413/2002 | केडिया कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 792. | 417/2002 | सेंचुरी एग्रो प्रोडेक्ट्स प्रा. लिमिटेड |
| 793. | 424/2002 | मर्दिया एक्सटरूशन्स लिमिटेड |
| 794. | 428/2002 | प्रीमियर सिंथेटिक्स लिमिटेड |
| 795. | 429/2002 | जेसिंथ एन्थ्राक्यूनियोन्स लिमिटेड |
| 796. | 430/2002 | सुमन मोटेल्स लिमिटेड |
| 797. | 433/2002 | शिवको एल.पी.जी. बाटलिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड |
| 798. | 440/2002 | दी थाना इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड |
| 799. | 443/2002 | मेडिकेलीन हैल्थकेयर लिमिटेड |
| 800. | 450/2002 | गोल्डन कैमिकल्स प्रा. लिमिटेड |
| 801. | 455/2002 | मैनन एंड मैनन लिमिटेड |
| 802. | 456/2002 | इंदौर वायर कंपनी लिमिटेड |
| 803. | 461/2002 | कोनिक मैटल्स लिमिटेड |
| 804. | 464/2002 | राजेश सोलवैक्स लिमिटेड |
| 805. | 465/2002 | सेवा मेडिकल्स लिमिटेड |
| 806. | 468/2002 | मोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 807. | 473/2002 | रूफिट इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 808. | 486/2002 | मिल्टन्स प्रा. लिमिटेड |
| 809. | 489/2002 | क्रिस्टल स्टोन एक्सपोटर्स लिमिटेड |
| 810. | 490/2002 | अनिल कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 811. | 491/2002 | डायनामिक्स डेयरी इंडस. लिमिटेड |
| 812. | 494/2002 | ग्रान्ट अपैरल प्रा. लिमिटेड |
| 813. | 498/2002 | मार्बल इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 814. | 499/2002 | दयोरा पौलीटैक्स लिमिटेड |
| 815. | 3/2003 | मोवीलैक्स इरिगेशन्स लिमिटेड |
| 816. | 11/2003 | डायनामिक टैक्सटाईल इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 817. | 19/2003 | इकील मैटल्स प्रा. लिमिटेड |
| 818. | 21/2003 | सन अर्थ सेरामिक लिमिटेड |
| 819. | 22/2003 | लॉयडस स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 820. | 39/2003 | विश्व इलैक्ट्रोनिक्स (पी) लिमिटेड |
| 821. | 45/2003 | कुमार वायर क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड |
| 822. | 51/2003 | लुबरी-कैम इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड |
| 823. | 56/2003 | नवकोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 824. | 60/2003 | माणिकचंद नदादीप पेपर प्रोडेक्टस प्रा. |
| 825. | 68/2003 | कुपिड रबड लिमिटेड |
| 826. | 76/2003 | थॉम्स सुतक्लिट टैक्सटाईलस लिमिटेड |
| 827. | 77/2003 | अंगदपाल इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड |
| 828. | 79/2003 | बाम्बे पेंट्स लिमिटेड |
| 829. | 80/2003 | मर्दिया ट्यूब्स लिमिटेड |
| 830. | 81/2003 | वैन्चर्स टैक्सटाईल्स लिमिटेड |
| 831. | 88/2003 | आरती हैल्थकेयर लिमिटेड |
| 832. | 90/2003 | सायोन पल्प कंवर्शन मिल्स प्रा. लिमिटेड |
| 833. | 91/2003 | माइक्रोसिंथ फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड |
| 834. | 92/2003 | अरिहंत तऊनसोल लिमिटेड |
| 835. | 93/2003 | दागा फाइबर्स एंड सिंथेटिक्स लिमिटेड |
| 836. | 95/2003 | इंदौर स्टील एंड आयरन मिल्स प्रा. लिमिटेड |
| 837. | 97/2003 | बी इलैक्ट्रानिक्स मशीनस लिमिटेड |
| 838. | 104/2003 | विशानदीन स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड |
| 839. | 109/2003 | कास्ट पेपर एंड पल्प लिमिटेड |
| 840. | 111/2003 | ट्रांस फरेट कंटेनर्स लिमिटेड |
| 841. | 113/2003 | विवीता लिमिटेड |
| 842. | 124/2003 | इंडो बॉयोटैक फूड्स लिमिटेड |
| 843. | 125/2003 | नेस्लर लिमिटेड |
| 844. | 127/2003 | श्री पोमानी मैटल्स एंड अलॉयस लिमिटेड |
| 845. | 137/2003 | टी.पी.टी. इंडिया लिमिटेड |
| 846. | 140/2003 | गुड वैल्यू मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड |
| 847. | 148/2003 | टॉप डायमंडस लिमिटेड |
| 848. | 158/2003 | वीराट इस्पात लिमिटेड |
| 849. | 162/2003 | मिल्टन प्लास्टिकस लिमिटेड |
| 850. | 168/2003 | सुविधा लिमिटेड |
| 851. | 176/2003 | केटी कोटसिंथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 852. | 177/2003 | श्री विंध्या पेपर मिल्स लिमिटेड |
| 853. | 183/2003 | के पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड |
| 854. | 185/2003 | विजय सोलवेन्ट एक्सट्रैक्शन्स लिमिटेड |
| 855. | 189/2003 | बालाजी कंपोजिट लिमिटेड |
| 856. | 190/2003 | यूफार्मा लैबोरेट्रीज लिमिटेड |
| 857. | 191/2003 | अजन्ता पेपर एंड जनरल प्रोडेक्टस लिमिटेड |
| 858. | 192/2003 | शार्प इन्डस्ट्रीज लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 859. | 194/2003 | पश्चिम पैट्रोकैम लिमिटेड |
| 860. | 197/2003 | इनोटेक पोलीफैब्रिक्स लिमिटेड |
| 861. | 200/2003 | वैन्ट्रॉन पौलीमर्स लिमिटेड |
| 862. | 201/2003 | सतकार सीमेंट कंपनी लिमिटेड |
| 863. | 212/2003 | एपीटीई अमेलगमेशन्स लिमिटेड |
| 864. | 214/2003 | एलीजैन्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड |
| 865. | 223/2003 | न्यू फाल्टन शुगर वर्क्स लिमिटेड |
| 866. | 232/2003 | सितुरगिया बायोकैमिकल्स लिमिटेड |
| 867. | 233/2003 | नूफाब इन्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 868. | 236/2003 | राजकुमार फोर्ज लिमिटेड |
| 869. | 239/2003 | सुयोग कैमिकल्स लिमिटेड |
| 870. | 243/2003 | अरासन एयर प्रोडेक्ट्स प्रा. लिमिटेड |
| 871. | 244/2003 | गोल्ड सील एवन पौलीमर्स प्रा. लिमिटेड |
| 872. | 249/2003 | आईटैल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 873. | 254/2003 | अल्फा रेमेडीस लिमिटेड |
| 874. | 256/2003 | हनुमान विटामिन फूड लिमिटेड |
| 875. | 257/2003 | विन्ट्रॉन इन्फोरमैटिक्स लिमिटेड |
| 876. | 269/2003 | एलाइड एशिया गियर्स लिमिटेड |
| 877. | 272/2003 | सूसेन एशिया लिमिटेड |
| 878. | 273/2003 | दिवगी मैटल्स वेयर्स प्रा. लिमिटेड |
| 879. | 275/2003 | डेरा पेंट्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड |
| 880. | 284/2003 | स्पैनटिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 881. | 285/2003 | निकोमैट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 882. | 286/2003 | चैम्पियन स्टील इंडस्ट्रीज (प्रा.) लिमिटेड |
| 883. | 291/2003 | अशोक एल्को. कैम. लिमिटेड |
| 884. | 292/2003 | साई शक्ति फिलैक्स प्रा. लिमिटेड |
| 885. | 293/2003 | श्री अम्बेश्वर पेपर मिल्स लिमिटेड |
| 886. | 294/2003 | सोनू सिंथेटिक्स लिमिटेड |
| 887. | 295/2003 | स्ट्रलिंग स्ट्रिप्स लिमिटेड |
| 888. | 298/2003 | रोहित पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड |
| 889. | 302/2003 | निवास स्पिनिंग पेपर मिल्स लिमिटेड |
| 890. | 305/2003 | डेरा पेंट्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड |
| 891. | 307/2003 | कैपसेल्स इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड |
| 892. | 309/2003 | वियाकॉम इलैक्ट्रोनिक्स प्रा. लिमिटेड |
| 893. | 315/2003 | रामा इन्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 894. | 318/2003 | लादान स्टील लिमिटेड |
| 895. | 320/2003 | हिन्दुस्तान डोमेस्टीक ऑयल एंड गैस कॉम. लिमिटेड |
| 896. | 325/2003 | वल्लभ पौलीप्लास्ट इंटरनैशनल लिमिटेड |
| 897. | 331/2003 | सतनाम श्री फोरजिंग्स प्रा. लिमिटेड |
| 898. | 338/2003 | जे.ए.वी.एस. इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड |
| 899. | 340/2003 | गरवारे कैमिकल्स लमिटेड |
| 900. | 357/2003 | एन्कर डेयू इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड |
| 901. | 361/2003 | सु-वी फार्मास्युटिकल्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड |
| 902. | 372/2003 | अजन्ता पेपर एंड जनरल प्रोडेक्ट्स लिमिटेड |
| 903. | 377/2003 | रिवोना इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 904. | 380/2003 | गुरुदेव फोरजिंग प्रा. लिमिटेड |
| 905. | 396/2003 | कृष्णा विनायल लिमिटेड |
| 906. | 400/2003 | टी.पी.आई. इंडिया लिमिटेड |
| 907. | 410/2003 | एन.एच.एन. कारपोरेशन लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 908. | 412/2003 | फेयरफील्ड एटलस लिमिटेड |
| 909. | 413/2003 | जे.जे. यार्नस प्रा. लिमिटेड |
| 910. | 415/2003 | युवराज इंटरनैशनल लिमिटेड |
| 911. | 419/2003 | विश्वास स्टील लिमिटेड |
| 912. | 3/2004 | सरीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 913. | 6/2004 | आईकॉन ऑयल एंड स्पैशियल्टीज लिमिटेड |
| 914. | 11/2004 | अनुज टैक्स प्रोसैसर्स प्रा. लिमिटेड |
| 915. | 12/2004 | ट्रांस फ्रेट कंटेनर्स लि. |
| 916. | 19/2004 | ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलोजीज लि. |
| 917. | 20/2004 | बिन्दु सिंथेटिक लि. |
| 918. | 21/2004 | सुरिन्द्रा इंजीनियरिंग कंपनी लि. |
| 919. | 23/2004 | केगांव पेपर मिल्स लि. |
| 920. | 33/2004 | यांगीर सिंथेटिक लि. |
| 921. | 34/2004 | यांगीर सिंथेटिक लि. |
| 922. | 37/2004 | वामोटीवाला केमिकल्स इंडस्ट्रीज लि. |
| 923. | 45/2004 | मिलट्रान प्लास्टिक लि. |
| 924. | 51/2004 | लायडस स्टील इण्डस्ट्रीज लि. |
| 925. | 54/2004 | एटकॉम टेक्नोलोजीज लि. |
| 926. | 55/2004 | बी इलैक्ट्रोनिक्स मशीन्स लि. |
| 927. | 59/2004 | नेराल पेपर मिल्स प्रा. लि. |
| 928. | 61/2004 | अरूणोदय मिल्स लि. |
| 929. | 65/2004 | डी.जी.पी. विंडसर इंडिया लि. |
| 930. | 67/2004 | द बडौदा रेयर कार्पोरेशन लि. |
| 931. | 73/2004 | स्नोकेम इंडिया लि. |
| 932. | 75/2004 | नर्मदा सीमेंट कंपनी लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 933. | 79/2004 | विराल पोलीकाम्बर्स लि. |
| 934. | 82/2004 | अरिहन्त टूरनेसोल लि. |
| 935. | 84/2004 | मार्डिया एक्सट्रुजन्स लि. |
| 936. | 85/2004 | मार्डिया ट्यूबस लि. |
| 937. | 89/2004 | विराल फिलामेंट लि. |
| 938. | 90/2004 | नोरिस मेडिसिन्स लि. |
| 939. | 94/2004 | नवकॉम इण्डस्ट्रीज लि. |
| 940. | 95/2004 | इन्दौर स्टील एंड ऑयरन मिल्स लि. |
| 941. | 98/2004 | श्री बालाजी शर्टिंग प्रा. लि. |
| 942. | 105/2004 | नेशनल आर्गेनिक केमिकल्स इण्डस्ट्रीज लि. |
| 943. | 106/2004 | केडिया केमिकल्स इण्डस्ट्रीज लि. |
| 944. | 111/2004 | रामोलीन टेक्सटाइल्स इण्डस्ट्रीज लि. |
| 945. | 122/2004 | लायडस मेटल्स एंड इंजीनियरिंग लि. |
| 946. | 123/2004 | शायोना पल्प कनवर्सन मिल्स प्रा. लि. |
| 947. | 126/2004 | मितेष एक्सिम लि. |
| 948. | 135/2004 | सुप्राप्ति प्लास्टिक्स लि. |
| 949. | 136/2004 | नाथ इण्डस्ट्रीयल केमिकल्स लि. |
| 950. | 138/2004 | एपेक्स पेपर मिल्स (नागपुर) प्रा. लि. |
| 951. | 143/2004 | भोर इण्डस्ट्रीज लि. |
| 952. | 152/2004 | आर्टसन इंजीनियरिंग लि. |
| 953. | 163/2004 | वेस्टर्न स्टेट इंजीनियर्स लि. |
| 954. | 164/2004 | एस.जे. आयर एंड स्टील्स प्रा. लि. |
| 955. | 168/2004 | टिप्को इण्डस्ट्रीज लि. |
| 956. | 178/2004 | नविनोन लिमिटेड |
| 957. | 185/2004 | विश्व इलैक्ट्रानिक्स (पी) लि. |
| 958. | 199/2004 | किल्लिक निक्सॉन लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 959. | 202/2004 | उमेश बोर्ड एंड पेपर मिल्स प्रा. लि. |
| 960. | 203/2004 | उमेश बोर्ड एंड पेपर मिल्स प्रा. लि. |
| 961. | 204/2004 | ब्राउन पेपर टेक्नालोजीज लि. |
| 962. | 213/2004 | मुकुट पाइपस लि. |
| 963. | 215/2004 | कसार पेट्रो प्रोडक्ट्स लि. |
| 964. | 219/2004 | पालीमारमान (एशिया) प्रा. लि. |
| 965. | 220/2004 | निकोमेट इण्डस्ट्रीज लि. |
| 966. | 222/2004 | एसआईएलआरआरकेम इण्डस्ट्रीज (बोम्बे) प्रा. लि. |
| 967. | 232/2004 | वर्ल्ड वाइड मल्टीमीडिया (इंडिया) लि. |
| 968. | 234/2004 | ब्रिल्लको सेको लि. |
| 969. | 236/2004 | मायो (इंडिया) लि. |
| 970. | 237/2004 | मायो (इंडिया) लि. |
| 971. | 240/2004 | पारेख प्लेटिनम लि. |
| 972. | 243/2004 | सोमानी एवरग्रीन निटस लि. |
| 973. | 257/2004 | ईगल फ्लास्क इण्डस्ट्रीज लि. |
| 974. | 259/2004 | हिन्दुस्तान फाइल्स लि. |
| 975. | 260/2004 | द इंडियन लिंक चेन मेन्यूफेक्चरर्स लि. |
| 976. | 273/2004 | अर्मेस्ट बिजनेस सर्विसेज प्रा. लि. |
| 977. | 280/2004 | यूनिफ्लेक्स केबल्स लि. |
| 978. | 285/2004 | सागारिका अकस्ट्रानिक्स |
| 979. | 289/2004 | फ्यूचरिस्टिक ऑफ शोर सर्विसेज एंड केम. लि. |
| 980. | 292/2004 | सनराइज एशियन लि. |
| 981. | 293/2004 | पैंटा फार्मा डाइज लि. |
| 982. | 306/2004 | जिक इण्डस्ट्रीज लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 983. | 314/2004 | स्मार्ट सेसंर्स एंड ट्रांसडूसर्स लि. |
| 984. | 319/2004 | सिटुरगिया बायोकेमिकल लि. |
| 985. | 325/2004 | हिटेची ज्वैलरी इण्डस्ट्रीज लि. |
| 986. | 328/2004 | निवास स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 987. | 335/2004 | मिल्टन प्लास्टिकस लि. |
| 988. | 339/2004 | औरंगाबाद केबल्स |
| 989. | 343/2004 | जावस इंजीनियरिंग (इंडिया) लि. |
| 990. | 344/2004 | इन्दौर स्टील एण्ड इंजीनियर्स लि. |
| 991. | 346/2004 | बिन्दु सिन्थेटिक्स लि. |
| 992. | 352/2004 | लायडस मेटल्स एंड इण्डस्ट्रीज लि. |
| 993. | 354/2004 | लायडस स्टील इण्डस्ट्रीज लि. |
| 994. | 359/2004 | कनोरिया शुगर जनरल मेन्यूफे. कं. लि. |
| 995. | 366/2004 | हाइटोन टेक्सटाइल्स लि. |
| 996. | 368/2004 | उमेश बोर्ड एंड पेपर मिल्स प्रा. लि. |
| 997. | 370/2004 | मार्डिया एक्सट्रूशन्स लि. |
| 998. | 371/2004 | मार्डिया ट्यूबस लि. |
| 999. | 385/2004 | टी.पी.आई. इंडिया लि. |
| 1000. | 386/2004 | नेराल पेपर मिल्स प्रा. लि. |
| 1001. | 390/2004 | एवरकॉन सिन्थेटिक्स लि. |
| 1002. | 391/2004 | अरिहन्त टूरनेसाल लि. |
| 1003. | 28/2005 | भारत फर्टीलाइजर इण्डस्ट्रीज लि. |
| 1004. | 37/2005 | लक्ष्मी उद्योग कंपोनेन्ट्स प्रा. लि. |
| 1005. | 40/2005 | के.टी. कोटसिन्थ इण्डस्ट्रीज लि. |
| 1006. | 41/2005 | विशालदीप स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 1007. | 48/2005 | कुमार वायर क्लाथ मेन्यू. कं. लि. |
| 1008. | 49/2005 | बी इलैक्ट्रानिक्स मशीन्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 1009. | 57/2005 | यशानन्द केमिकल्स इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. |
| 1010. | 58/2005 | यशानन्द फिलामेंट प्रा. लि. |
| 1011. | 59/2005 | स्टारलाइट कंपोनेंट्स लि. |
| 1012. | 71/2005 | आशिक वुलन मिल्स लि. |
| 1013. | 84/2005 | ट्रान्स फ्रेट कन्टेंनर्स लि. |
| 1014. | 87/2005 | इण्डो बायोटेक फूड्स लि. |
| 1015. | 88/2005 | गुड वेल्यू मार्केटिंग कं. लि. |
| 1016. | 92/2005 | टिग्रानिया मेटल्स प्रा. लि. |
| 1017. | 93/2005 | सिलारा एक्सपोर्टस लि. |
| 1018. | 95/2005 | अमित स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 1019. | 96/2005 | गणेश ग्लूको प्रा. लि. |
| 1020. | 104/2005 | गणेश बेन्जोप्लास्ट लि. |
| 1021. | 105/2005 | पेटर एंड पेटर टाइल्स लि. |
| 1022. | 109/2005 | ज्वैल टीह (इंडिया) लि. |
| 1023. | 111/2005 | मुक्ति ट्रान्सफोर्मर्स लि. |
| 1024. | 113/2005 | चिराग सेन्डीटेजेट प्रा. लि. |
| 1025. | 114/2005 | भावारी स्टार्च लि. |
| 1026. | 118/2005 | रिप्रोलाइट (इंडिया) प्रा. लि. |
| 1027. | 119/2005 | सिंगर इंडिया लि. |
| 1028. | 120/2005 | वैशाली एयरोमेटिक्स (इंडिया) लि. |
| 1029. | 121/2005 | बाजोरिया फेट्स एंड प्रोटीन्स प्रा. लि. |
| 1030. | 123/2005 | ब्राउन क्राफ्ट इंडस्ट्रीज |
| 1031. | 126/2005 | जॉन बिल्डर्स प्रा. लि. |
| 1032. | 132/2005 | आदिति फूड्स (इंडिया) प्रा. लि. |
| 1033. | 133/2005 | एम.टी.जेड. इण्डस्ट्रीज लि. |
| 1034. | 138/2005 | डालमिया डाई-केम इण्डस्ट्रीज लि. |
| 1035. | 143/2005 | कंसटसटॉफी इण्डस्ट्रीज लि. |
| 1036. | 151/2005 | अमल लि. |
| 1037. | 157/2005 | प्रणवादित्या स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 1038. | 161/2005 | सोमा पेपर एंड इण्डस्ट्रीज लि. |
| 1039. | 162/2005 | स्टारलाइट लाइटिंग लि. |
| 1040. | 166/2005 | शारदा सिंथेटिक्स लि. |
| 1041. | 2/2006 | श्री स्वामी हरिगिरी पेपर मिल्स लि. |
| 1042. | 10/2006 | मै. वेफील्ड एग्रो प्रोडक्ट्स लि. |
| 1043. | 11/2006 | मै. सिमको केमोटेक्स प्रा. लि. |
| 1044. | 19/2006 | मै. भारत पाइपस एंड फिटिंग्स लि. |
| 1045. | 25/2006 | मै. करण लेयर फार्म प्रोडक्टस लि. |
| 1046. | 29/2006 | मै. सुदर्शन सिंथेटिक्स (बोम्बे) प्रा. लि. |
| 1047. | 31/2006 | मै. एंकेटेक्सोफूड इण्डस्ट्रीज लि. |
| 1048. | 35/2006 | मै. दमन गंगा पेपर्स लि. |
| **मणिपुर** | | |
| 1. | 73/1996 | मणिपुर वनस्पति एंड एलाइड प्रोडक्टस |
| 2. | 93/2000 | पारदा स्टील प्रा. लि. |
| **मेघालय** | | |
| 1. | 80/1998 | विरगो सीमेंट लि. |
| 2. | 198/1998 | बावरी प्लाइवुड लि. |
| 3. | 318/1998 | जैनतिया सीमेंट लिमिटेड |
| **एन.सी.टी. दिल्ली** | | |
| 1. | 258/1987 | जाफरसन बोल्टस (इंडिया) लि. |
| 2. | 250/1988 | मोहन मशीन्स लि. |
| 3. | 46/1989 | शारपेज लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 4. | 120/1989 | अल्टरनेटिव एनर्जी इन्ड. लि. |
| 5. | 29/1990 | डायर इंटरनेशनल |
| 6. | 70/1990 | आलमगीर इन्ड. गैसेज |
| 7. | 86/1990 | नेशनल एयर प्रोडक्टस |
| 8. | 98/1993 | देव पेपर प्रा. लि. |
| 9. | 99/1993 | रामपुर इंजीनियरिंग कं. लि. |
| 10. | 1/1995 | डेलको परेसीटोन ज्वैलरी प्रा. लि. |
| 11. | 3/1997 | यूनिप्लास इंडिया लि. |
| 12. | 13/1997 | फोरच्यून पोलीमर इंडस्ट्रीज प्रा. लि. |
| 13. | 41/1997 | लाइपैक लि. |
| 14. | 112/1997 | हारीज क्रैंकशाफ्ट लि. |
| 15. | 129/1997 | श्री इंडस्ट्रीज लि. |
| 16. | 184/1997 | परफेक्ट ड्रग्स लि. |
| 17. | 200/1997 | सिलीकोन वैली टेक्नोलोजी (इंडिया) लि. |
| 18. | 4/1998 | वी.सी.एस. इंटरप्राइजेज लि. |
| 19. | 31/1998 | राहुल डेयरी एंड एलाइड प्रोडक्टस लि. |
| 20. | 102/1998 | डिजफ्लैक्स (इंडिया) लि. |
| 21. | 107/1998 | प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. |
| 22. | 115/1998 | दि फार्मा लि. |
| 23. | 144/1998 | ट्विन पैक इण्डस्ट्रीज लि. |
| 24. | 155/1998 | प्रीमियर पोलीफिल्म लि. |
| 25. | 165/1998 | रीयल प्रोडक्टस लि. |
| 26. | 171/1998 | राहुल डेयरी एंड एलाइड प्रोडक्टस लि. |
| 27. | 179/1998 | हिन्दुस्तान फायल्स लि. |
| 28. | 187/1998 | इण्डो अमेरिकन केमिकल्स प्रा. लि. |
| 29. | 190/1998 | एस.एन.एस. फोटो कंपनी लि. |
| 30. | 199/1998 | पोलर मार्मो एग्लोमेरेट्स लि. |
| 31. | 201/1998 | सिद्ध इण्डस्ट्रीज लि. |
| 32. | 211/1998 | प्रिसीजन इलेक्ट्रानिक्स लि. |
| 33. | 217/1998 | एलाईट एप्लाइसेंज लि. |
| 34. | 230/1998 | साइल एयरोकोन लि. |
| 35. | 251/1998 | वेस्टन इलेक्ट्रोनिक्स लि. |
| 36. | 260/1998 | पान एशिया ग्लोबल लि. |
| 37. | 291/1998 | केफाम आर्गेनिक्स लि. |
| 38. | 307/1998 | मोती इलेक्ट्रिक इण्डस्ट्रीज |
| 39. | 310/1998 | पाम फार्मास्टियूटिकल (दिल्ली) लि. |
| 40. | 335/1998 | केशर डायइंग एण्ड प्रिंटिंग प्रा. लि. |
| 41. | 4/1999 | आपेरा हाउस एक्सपोर्टर्स लि. |
| 42. | 8/1999 | इन्टेकोन (इंडिया) लि. |
| 43. | 11/1999 | सनस्टार लुब्रिकेन्टस लि. |
| 44. | 13/1999 | राजस्थान अम्बुजा इण्डस्ट्रीज लि. |
| 45. | 16/1999 | ओशो सिरेमिक लि. |
| 46. | 51/1999 | सिद्ध ऑयल मिल्स प्रा. लि. |
| 47. | 54/1999 | जेएयूएसएस पोलीमर्स लि. |
| 48. | 71/1999 | जोसोका इण्डिया लि. |
| 49. | 73/1999 | हिल पैकेजिंग लि. |
| 50. | 76/1999 | राशि डायमण्ड टूल्स लि. |
| 51. | 88/1999 | गोर्धनदास राठी स्टील्स लि. |
| 52. | 94/1999 | मिडइस्ट (इण्डिया) लि. |
| 53. | 105/1999 | ब्रह्मा प्रोडक्टस (प्रा.) लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 54. | 106/1999 | भावना केमिकल्स लि. |
| 55. | 107/1999 | दिल्ली सिंथेटिक प्रा. लि. |
| 56. | 119/1999 | एस.के.एस. लि. |
| 57. | 120/1999 | हितकारी पोटरीज लि. |
| 58. | 126/1999 | इनफोकॉम डिजिटल सिस्टम्स लि. |
| 59. | 152/1999 | पेनाम लेबोरेट्रीज लि. |
| 60. | 159/1999 | श्री श्याम कोट स्पिन लि. |
| 61. | 168/1999 | सर्वोपरि डेयरी (प्रा.) लि. |
| 62. | 189/1999 | सिंगल स्ट्रिप्स लि. |
| 63. | 197/1999 | केयरवेल मेडी प्रोडक्ट्स लि. |
| 64. | 217/1999 | ट्रांस्लेम लि. |
| 65. | 220/1999 | आई.एम.एक्स. एक्सपोर्ट्स लि. |
| 66. | 223/1999 | शिवान रोसिन प्रा. लि. |
| 67. | 233/1999 | पाम ईटेबल लि. |
| 68. | 247/1999 | ज्ञान लैदर बोर्ड लि. |
| 69. | 277/1999 | थापसन्स स्टील लि. |
| 70. | 302/1999 | सिद्धार्थ सुपर स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 71. | 315/1999 | नोवा कारपोरेशन लि. |
| 72. | 329/1999 | वर्ल्ड टेक्स लि. |
| 73. | 347/1999 | आटो टेन्सन लि. |
| 74. | 349/1999 | विलवे फोर्ट इंडिया लि. |
| 75. | 350/1999 | एस्कोर्टस कम्युनिकेशन लि. |
| 76. | 379/1999 | एमेक्सको टेकनोलोजिक्स इण्डिया लि. |
| 77. | 388/1999 | श्री एसिड एण्ड केमिकल्स लि. |
| 78. | 3/2000 | हिटेनसिल स्टील्स प्रा. लि. |
| 79. | 13/2000 | स्टैंसिल अपेरेल बाजुर्स लि. |
| 80. | 16/2000 | कोरल न्यूजप्रिंट्स लि. |
| 81. | 30/2000 | पायनीर प्रोडक्ट्स लि. |
| 82. | 64/2000 | सन इण्डस्ट्रीज लि. |
| 83. | 70/2000 | उर्वशी इन्टरप्राइजिज लि. |
| 84. | 79/2000 | अतुल ग्लास इण्डस्ट्रीज लि. |
| 85. | 90/2000 | पशुपति टेक्नोफेन लि. |
| 86. | 95/2000 | डा. एम. सोय एण्ड जनरल फूड लि. |
| 87. | 97/2000 | हमीवी नेचुरल प्रोडक्ट्स लि. |
| 88. | 108/2000 | गोविन्दा बिल्डर्स लि. |
| 89. | 119/2000 | सावित्री ओवरसीज लि. |
| 90. | 124/2000 | नोरिंड इण्डस्ट्रीज लि. |
| 91. | 131/2000 | यूनिकोर्प इण्डस्ट्रीज लि. |
| 92. | 140/2000 | बी.जे. डुप्लेक्स बोर्डस लि. |
| 93. | 141/2000 | ग्लोब सिन्थेटिक लि. |
| 94. | 145/2000 | राशि डायमण्ड टूल्स प्रा. लि. |
| 95. | 146/2000 | एस.के.एस. लि. |
| 96. | 183/2000 | वेस्टावीजन इलेक्ट्रोनिक्स लि. |
| 97. | 187/2000 | आइसर फुटवियर लि. |
| 98. | 202/2000 | शुभम आर्गेनिक्स लि. |
| 99. | 235/2000 | इंडो-कोरिया स्पोर्टस लि. |
| 100. | 259/2000 | पाहवा प्रोसेसर्स प्रा. लि. |
| 101. | 264/2000 | के.के. प्रोडक्ट्स लि. |
| 102. | 274/2000 | श्री श्याम पल्प एण्ड बोर्ड मिल्स लि. |
| 103. | 276/2000 | फ्यूजन फिटिंग्स (आई) लि. |
| 104. | 278/2000 | कृष्णा सिंथेटिक लि. |
| 105. | 283/2000 | जैना टाइम इण्डस्ट्रीज लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 106. | 299/2000 | सोलोरा सिनसंग टेक्सटाइल कं. लि. |
| 107. | 302/2000 | विलवेफोर्ट इण्डिया लि. |
| 108. | 306/2000 | आशुतोष पेपर मिल लि. |
| 109. | 307/2000 | श्री सीताराम पेपर मिल लि. |
| 110. | 323/2000 | रौनक आटोमोटिव कम्पोनेन्ट्स लि. |
| 111. | 328/2000 | कोरल न्यूजप्रिंटस |
| 112. | 329/2000 | जींद टेक्सटाइल्स लि. |
| 113. | 337/2000 | उरेका पोलीमर लि. |
| 114. | 339/2000 | अतुल ग्लास इण्डस्ट्रीज लि. |
| 115. | 375/2000 | राजस्थान अम्बुजा इण्डस्ट्रीज लि. |
| 116. | 381/2000 | एम.एम. प्रोडक्ट्स लि. |
| 117. | 383/2000 | ए.डी.एल. इन्टरनेशनल लि. |
| 118. | 410/2000 | आपेरा हाउस एक्सपोर्ट्स लि. |
| 119. | 3/2001 | शान्ति ड्रग्स प्रा. लि. |
| 120. | 27/2001 | स्तुति इलेक्ट्रानिक्स लि. |
| 121. | 56/2001 | आमेगा लेबोरेटरिज लि. |
| 122. | 58/2001 | अनुपम प्रोडक्ट्स लि. |
| 123. | 67/2001 | करीन इण्डिया लि. |
| 124. | 96/2001 | मोहिन्द्रा उद्योग लि. |
| 125. | 127/2001 | हरियाणा शीट ग्लास लि. |
| 126. | 171/2001 | मेरीगोल्ड पेपर्स लि. |
| 127. | 175/2001 | आबिर केमिकल्स लि. |
| 128. | 180/2001 | पारसराम पुरिया सिन्थेटिक लि. |
| 129. | 186/2001 | मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि. |
| 130. | 205/2001 | ट्रेजर टेक इलेक्ट्रानिक्स लि. |
| 131. | 219/2001 | हिमाचल फाइबर्स लि. |
| 132. | 243/2001 | ए.एस. एण्ड टी. इण्डिया लि. |
| 133. | 247/2001 | मिडईस्ट (इण्डिया) लि. |
| 134. | 253/2001 | ईस्ट इण्डिया सिन्थेटिक लि. |
| 135. | 279/2001 | शील इन्टरनेशनल लि. |
| 136. | 280/2001 | तराई फूड लि. |
| 137. | 293/2001 | सिंगल स्ट्रिप्स लि. |
| 138. | 312/2001 | सन राइस लि. |
| 139. | 314/2001 | पोलीलिंक पोलीमर (इण्डिया) लि. |
| 140. | 318/2001 | खुराना डुप्लेक्स बोर्ड मिल लि. |
| 141. | 324/2001 | स्टेंडर्ड इस्पात लि. |
| 142. | 330/2001 | जी.के. वाइण्डिंग वायर्स लि. |
| 143. | 334/2001 | बेस्टावीजन इलेक्ट्रानिक्स लि. |
| 144. | 337/2001 | तरल मेटल प्रा. लि. |
| 145. | 355/2001 | राज सोलवेक्स लि. |
| 146. | 360/2001 | हंसाफ्लोन प्लास्टोकेम लि. |
| 147. | 362/2001 | महान प्रोटीन्स लि. |
| 148. | 363/2001 | शिवा मेडीकेयर लि. |
| 149. | 367/2001 | पुंजस्टील कोस्टिंग प्रा. लि. |
| 150. | 374/2001 | अंका इण्डिया लि. |
| 151. | 375/2001 | पशुपति फेबरिक लि. |
| 152. | 380/2001 | मण्डिया इन्स्ट्रयुमेन्टल लि. |
| 153. | 389/2001 | युनिपेक्स बायोकेम लि. |
| 154. | 390/2001 | ए.एस.पी. सीलिंग प्रोडक्ट्स लि. |
| 155. | 403/2001 | हिन्दुस्तान फाइबर्स लि. |
| 156. | 412/2001 | के.सी. टैक्सटाइल लि. |
| 157. | 438/2001 | साकेत स्टील लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 158. | 451/2001 | अराधना बीवरेजिज, मैनु. कं. लि. |
| 159. | 455/2001 | स्टिकवैल फैशन्स लि. |
| 160. | 462/2001 | भारती एग्रीटैक (प्रा.) लि. |
| 161. | 5/2002 | ए.वी. कोटेक्स लि. |
| 162. | 6/2002 | सालाडिनो कांटिमेंटल लि. |
| 163. | 7/2002 | वोल्गा लेसिस लि. |
| 164. | 15/2002 | के.आर. फूड्स लि. |
| 165. | 23/2002 | ई.ई.आई. इंडस्ट्रीज लि. |
| 166. | 36/2002 | एच.पी.एम. इण्डस्ट्रीज लि. |
| 167. | 37/2002 | ईस्टर (इंडिया) कैमिकल्स लि. |
| 168. | 41/2002 | आलपाइन स्टील्स लि. |
| 169. | 43/2002 | अंबुजा सीमेंट्स राजस्थान लि. |
| 170. | 49/2002 | टैडको ग्रेनाइट लि. |
| 171. | 54/2002 | एलकोबैक्स मैटल्स लि. |
| 172. | 61/2002 | सिद्धार्थ सुपर स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 173. | 62/2002 | जे.एम.ए. इंडस्ट्रीज लि. |
| 174. | 63/2002 | हितकारी चाइना लि. |
| 175. | 66/2002 | दीवान एन्टरप्राइजेज लि. |
| 176. | 88/2002 | पियरले स्टाइल्स लि. |
| 177. | 91/2002 | इंटरक्राफ्ट लि. |
| 178. | 96/2002 | राशि डायमंड टूल्स प्रा. लि. |
| 179. | 112/2002 | क्रेनेक्स लि. |
| 180. | 117/2002 | ऊषा (इंडिया) लि. |
| 181. | 128/2002 | जिवो लि. |
| 182. | 137/2002 | पैन एशिया ग्लोबल लि. |
| 183. | 139/2002 | सुपर आयल सील्स इंडिया लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 184. | 154/2002 | एस.एन.एल. बियरिंग्स लि. |
| 185. | 158/2002 | फाइनैस एक्स्पोर्ट्स लि. |
| 186. | 162/2002 | रेंज टालब्रोस लि. |
| 187. | 194/2002 | पशुपति स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि. |
| 188. | 200/2002 | स्वैट कैम एंटीबायोटिक्स लि. |
| 189. | 202/2002 | सीफाम मिल्क स्पैशेलिटीज लि. |
| 190. | 203/2002 | दीवान स्टील्स लि. |
| 191. | 209/2002 | मोहिन्द्रा उद्योग लि. |
| 192. | 217/2002 | नवीन प्रोजैक्ट्स लि. |
| 193. | 226/2002 | पशुपति टैक्नोगैब लि. |
| 194. | 237/2002 | एम.एस. शूज लि. |
| 195. | 253/2002 | हिंद प्रोटैक्टिव कोटिंग्स लि. |
| 196. | 255/2002 | माधव कोटेक्स प्रा. लि. |
| 197. | 258/2002 | प्लाजा स्टील रोलिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 198. | 278/2002 | विकास लिमिनेटर लि. |
| 199. | 282/2002 | रालसन कार्बन ब्लाक लि. |
| 200. | 286/2002 | न्यूटैक पैकेजिंग लि. |
| 201. | 290/2002 | डुरोपैक लि. |
| 202. | 291/2002 | राजस्थान एंटिबायोटिक्स लि. |
| 203. | 308/2002 | हिन्दुस्तान मेक्स जी.बी. लि. |
| 204. | 319/2002 | अल्फा वोवन लेबल्स (इंडिया) लि |
| 205. | 331/2002 | हरियाणा शीट ग्लास लि. |
| 206. | 342/2002 | रिफलेक्स टेक्स्टाइल्स लि. |
| 207. | 375/2002 | मेरीगोल्ड पेपर्स लि. |
| 208. | 379/2002 | हरियाणा स्टील एण्ड अलॉयस लि. |
| 209. | 394/2002 | श्री वर्धमान कास्टर लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 210. | 414/2002 | कोठारी फर्मन्टेशन एण्ड बायोकेम. लि. |
| 211. | 427/2002 | तनुक फार्मा (इंडिया) लि. |
| 212. | 432/2002 | हरियाणा स्टील एंड एलॉयस लि. |
| 213. | 435/2002 | एस.के. पोलीमर्स प्रा. लि. |
| 214. | 442/2002 | राशि डायमण्ड टूल्स प्रा. लि. |
| 215. | 444/2002 | बी.जे. ड्यूपलैक्स बोर्डस लि. |
| 216. | 451/2002 | सुपीरियर पैकेजिंग्स प्रा. लि. |
| 217. | 474/2002 | मोहिन्द्रा उद्योग लि. |
| 218. | 477/2002 | पशुपति फेब्रिक्स लि. |
| 219. | 482/2002 | आर.एस. कोटसिन लि. |
| 220. | 292/2002 | एस.बी.एल. इंडस्ट्रीज लि. |
| 221. | 495/2002 | हरियाणा स्टील्स एंड एलॉयस लि. |
| 222. | 496/2002 | शुभ कोटिंग्स लि. |
| 223. | 8/2003 | इंडो वानिलोन केमिकल्स लि. |
| 224. | 28/2003 | गौरव सोलवेक्स लि. |
| 225. | 32/2003 | अनुपम प्रोडक्ट्स लि. |
| 226. | 34/2003 | कुसुभ स्टील लि. |
| 227. | 35/2003 | ओपेरा हाउस एक्स्पोर्टस लि. |
| 228. | 47/2003 | ए.डी.एल. इंटरनेशनल लि. |
| 229. | 48/2003 | तरल मेटल्स प्रा. लि. |
| 230. | 54/2003 | शिवालिक आटो पार्टस लि. |
| 231. | 89/2003 | इण्डो वानिलोग केमिकल्स लि. |
| 232. | 99/2003 | एच.पी. पेजर इंडिया लि. |
| 233. | 121/2003 | शिवा पेपर्स मिल्स लि. |
| 234. | 123/2003 | केयर फाइनेंस लि. |
| 235. | 150/2003 | गिवो लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 236. | 161/2003 | सिद्धार्थ सुपर स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 237. | 167/2003 | क्रानेक्स लि. |
| 238. | 184/2003 | के.आर. फूड्स लि. |
| 239. | 202/2003 | टेडको ग्रेनाइट लि. |
| 240. | 204/2003 | जगदम्बा फूड्स लि. |
| 241. | 213/2003 | सन राइस लि. |
| 242. | 220/2003 | श्री वर्धमान ओवरसीज लि. |
| 243. | 229/2003 | नवीन प्रोजेक्टस लि. |
| 244. | 230/2003 | शील इंटरनेशनल लि. |
| 245. | 252/2003 | राशि डायमण्ड टूल्स प्रा. लि. |
| 246. | 278/2003 | सुप्रीम स्ट्रिप्स लि. |
| 247. | 316/2003 | ऊषा (इंडिया) लि. |
| 248. | 323/2003 | जय माता इण्डस्ट्रीज लि. पशुपति एयरीलोन लि. |
| 249. | 364/2003 | प्लाजा केबल इण्डस्ट्रीज लि. |
| 250. | 366/2003 | कालकॉम वीजन लि. |
| 251. | 369/2003 | ड्यूरोपेक लि. |
| 252. | 374/2003 | एनालसा एपलियासंज |
| 253. | 376/2003 | हिन्दुस्तान ब्रीवरेज एंड बोटलिंग लि. |
| 254. | 378/2003 | मेकास्टर टेलीमनटिक्स लिमिटेड |
| 255. | 379/2003 | के.सी. टेक्सटाइल्स लि. |
| 256. | 388/2003 | ओ.पी.के. वूलन मिल्स प्रा. लि. |
| 257. | 389/2003 | अनुपम प्रोडक्टस लि. |
| 258. | 401/2003 | अल्कोबेक्स मेटल्स लि. |
| 259. | 402/2003 | ए.डी.एल. इंटरनेशनल लि. |
| 260. | 418/2003 | ए.डी.एल. इंटरनेशनल लि. |
| 261. | 5/2004 | सेंटस इण्डस्ट्रीज लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 262. | 24/2004 | टुवन्टी फर्स्ट सेंचुरी स्टील्स लि. |
| 263. | 41/2004 | बी.जे. डुपलेक्स बोर्ड लि. |
| 264. | 42/2004 | जी.के. वाइनडिंगू वायर्स लि. |
| 265. | 48/2004 | शिवालिक-आटो पार्टस लि. |
| 266. | 49/2004 | माधव कोटेक्स प्रा. लि. |
| 267. | 56/2004 | ए.एस.पी. सीलिंग प्रोडक्ट लि. |
| 268. | 64/2004 | नवीन प्रोजेक्ट लि. |
| 269. | 69/2004 | पाम इटेबल्स लि. |
| 270. | 74/2004 | जगदम्बा फूड्स लि. |
| 271. | 87/2004 | एच.टी.ई. एंटरप्राइजेज (पी) लि. |
| 272. | 91/2004 | हरियाणा शीट ग्लास लि. |
| 273. | 97/2004 | मिडईस्ट (इंडिया) लि. |
| 274. | 104/2004 | इनर्सिया इण्डस्ट्रीज लि. |
| 275. | 113/2004 | एस.एच.आर.आर. बैमिका इंटरनेशनल |
| 276. | 133/2004 | मोदी रेवलॉन (पी) लि. |
| 277. | 145/2004 | डोल्फिन केनपेक लि. |
| 278. | 149/2004 | ऊषा इस्पात लि. |
| 279. | 151/2004 | ओमेगा लेब्रोरेटरीज लि. |
| 280. | 165/2004 | इंटीग्रेटिड टेकनोलोजीज लि. |
| 281. | 167/2004 | श्री वर्धमान राइस इण्डस्ट्रीज (पी) लि. |
| 282. | 173/2004 | सेल्लो रॉयल (इंडिया) लि. |
| 283. | 175/2004 | अत्तर फिल्टे लि. |
| 284. | 184/2004 | यूनीपेक्स बायोकेम. लि. |
| 285. | 186/2004 | शामकेल मल्टीफेब लि. |
| 286. | 187/2004 | फाइनेस्सी एक्सपोर्ट प्रा. लि. |
| 287. | 190/2004 | सी.एम.आई. लि. |
| 288. | 194/2004 | आटो पिनस (इंडिया) लि. |
| 289. | 205/2004 | कुसम स्टील्स लि. |
| 290. | 238/2004 | एस.के. स्ट्रिप्स (पी) लि. |
| 291. | 268/2004 | डुरोपेक लि. |
| 292. | 276/2004 | इलैक्ट्रोलक्स केल्विनेटर लि. |
| 293. | 281/2004 | आर.के. इस्पात लि. |
| 294. | 294/2004 | दि बारनागोरे जूट फैक्टरी पीएलसी |
| 295. | 297/2004 | इंडियन सल्फासिड इण्डस्ट्रीज लि. |
| 296. | 299/2004 | हरियाणा स्टील एंड एलॉयस लि. |
| 297. | 309/2004 | विनट्रॉन इंफोर्मेटिक्स लि. |
| 298. | 318/2004 | श्री वर्धमान ओवरसीज लि. |
| 299. | 330/2004 | ऊषा इस्पात लि. |
| 300. | 350/2004 | इस्पात स्ट्रक्चरलस प्रा. लि. |
| 301. | 360/2004 | एच.एल. टेक्सटाइल्स लि. |
| 302. | 374/2004 | अनुपम प्रोडक्ट लि. |
| 303. | 380/2004 | पशुपति एक्रीलॉन लि. |
| 304. | 2/2005 | एडीएल इंटरनेशनल लि. |
| 305. | 3/2005 | माधव कोटेक्स प्रा. लि. |
| 306. | 4/2005 | राशि डायमण्ड टूल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 307. | 16/2005 | बी.जे. डुप्लैक्स बोर्ड्स लिमिटेड |
| 308. | 17/2005 | कैलक्म इलैक्ट्रनिक्स लिमिटेड |
| 309. | 44/2005 | दीवान शुगर्स लिमिटेड |
| 310. | 54/2005 | एच.पी.एम. इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 311. | 55/2005 | एच.पी.एम. इण्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| 312. | 60/2005 | एल्पाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 313. | 61/2005 | आर.टी. पेपर बोर्ड्स लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 314. | 65/2005 | इंडिया नेल्स मैन्यूफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 315. | 69/2005 | के.बी. सफल इंडिया लिमिटेड |
| 316. | 77/2005 | फ्यूजन फिटिंग्स इंडिया लिमिटेड |
| 317. | 78/2005 | राधिका फाइबर्स इंडिया लिमिटेड |
| 318. | 81/2005 | रोलैंटेनर्स लिमिटेड |
| 319. | 124/2005 | रितेश इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 320. | 128/2005 | खेमिका इस्पात लिमिटेड |
| 321. | 137/2005 | एस.बी. पैकेजिंक्स लिमिटेड |
| 322. | 146/2005 | शुभ कोटिंग्स लिमिटेड |
| **नागालैण्ड** | | |
| 1. | 197/1998 | नागालैण्ड रोलर फ्लोर मिल्स लिमिटेड |
| 2. | 354/1998 | लिनाक्स माइक्रो इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड |
| 3. | 21/2001 | नागालैण्ड प्लाइवुड लिमिटेड |
| **उड़ीसा** | | |
| 1. | 76/1987 | ओरिकैम लिमिटेड |
| 2. | 148/1987 | जयश्री कैमिकल्स |
| 3. | 49/1988 | सेवा पेपर्स लिमिटेड |
| 4. | 157/1988 | उड़ीसा ऑयल इंडस्ट्रीज |
| 5. | 163/1988 | अंबिका वैज एण्ड कैमिकल |
| 6. | 170/1988 | उत्काल ऑयल लिमिटेड |
| 7. | 252/1988 | कैमिकल एण्ड डाइज लिमिटेड |
| 8. | 293/1988 | कोनार्क जूट लिमिटेड |
| 9. | 4/1989 | ईस्ट एण्ड इंजीनियरिंग प्राइवेट |
| 10. | 22/1989 | उर्बी इंडस्ट्रियल प्रोजैक्ट्स |
| 11. | 146/1989 | इपाटाटा स्पोन्ज |
| 12. | 183/1989 | सेवा पेपर्स |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 13. | 17/1990 | कलिंगा कार्बोनेट्स लिमिटेड |
| 14. | 22/1990 | एस.एन. कॉरपोरेशन लिमिटेड |
| 15. | 97/1990 | उड़ीसा सिंथैटिक्स |
| 16. | 128/1990 | आई.पी.आई. स्टील लिमिटेड |
| 17. | 130/1990 | मैग्नीटिक्स इंडिया लिमिटेड |
| 18. | 11/1991 | लिंगाराजा टैक्सटाइल्स |
| 19. | 24/1991 | एल्कोनमैट लिमिटेड |
| 20. | 59/1991 | उड़ीसा वैजीटेबल ऑयल लिमिटेड |
| 21. | 87/1991 | आई.पी.आई.एस.पी. सीमेंट लिमिटेड |
| 22. | 111/1991 | माडर्न रैक्सिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 23. | 32/1992 | ईस्ट कोस्ट फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड |
| 24. | 88/1992 | जी.एम.बी. सीरेमिक्स लिमिटेड |
| 25. | 106/1992 | यूनीटेल कम्युनिकेशन्स लिमिटेड |
| 26. | 112/1993 | स्पा स्ट्रा बोर्ड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 27. | 81/1994 | आई.पी.आई. टाटा रिफ्रैक्ट्रानरी लिमिटेड |
| 28. | 157/1994 | उत्काल एस्बैस्टस लिमिटेड |
| 29. | 72/1995 | कोस्टल सिंथैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 30. | 97/1995 | भिवानीवाला जूट फाइबर प्राइवेट लिमिटेड |
| 31. | 65/1996 | साकेत रूफिंग्स लिमिटेड |
| 32. | 76/1996 | इंडो मैक्सवैल लिमिटेड |
| 33. | 7/1998 | भिवानीवाला जूट फाइबर प्राइवेट लिमिटेड |
| 34. | 135/1998 | ब[illegible]र इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 35. | 7/1998 | उत्काल पॉ[illegible]र्स लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 36. | 135/1998 | ग्रैपको इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 37. | 184/1998 | इपीनिट वनस्पति लिमिटेड |
| 38. | 225/1998 | मंगलम टिंबर प्रोडक्ट्स लिमिटेड |
| 39. | 333/1998 | कोनार्क पेपर एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 40. | 28/1999 | उड़ीसा इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 41. | 72/1999 | ईस्ट कोस्ट फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड |
| 42. | 327/1999 | उड़ीसा इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 43. | 366/1999 | सूर्यो फूड्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 44. | 43/2000 | ओरिक्यूआ लिमिटेड |
| 45. | 120/2000 | वैस्टर्न उड़ीसा शुगर लिमिटेड |
| 46. | 330/2000 | शिवानी वनस्पति लिमिटेड |
| 47. | 333/2000 | ओरिक्यूआ लिमिटेड |
| 48. | 54/2001 | तारिणी पॉलीटैक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 49. | 8/2002 | नीलांचल रिफ्रैक्टरी लिमिटेड |
| 50. | 132/2002 | अखंडलमणि स्पिनर्स एण्ड एक्सपोर्टर्स लिमिटेड |
| 51. | 159/2002 | लिंगराज ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 52. | 268/2002 | क्लासिक मशरूम्स लिमिटेड |
| 53. | 27/2003 | तारिणी पॉलीटैक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 54. | 44/2003 | नोबेल फार्मा केयर लिमिटेड |
| 55. | 122/2003 | मैकेडॉन इंडो आस्ट्रियन वैन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 56. | 217/2003 | बालासोर ऐलौयज लिमिटेड |
| 57. | 238/2003 | पाराद्वीप फास्फेट्स लिमिटेड |
| 58. | 258/2003 | भिलाई उड़ीसा लिमिटेड |
| 59. | 288/2004 | वेद व्यास रबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 60. | 311/2004 | कॉसबोर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 61. | 173/2005 | नोबेल एक्वा प्राइवेट लिमिटेड |
| **पांडिचेरी** | | |
| 1. | 42/1987 | पांडिचेरी पेपर्स लिमिटेड |
| 2. | 54/1988 | पांडियन एक्सट्रैक्शन प्राइवेट लिमिटेड |
| 3. | 173/1988 | त्रिवेणी मैटल्स एण्ड एलोयज |
| 4. | 192/1988 | लक्ष्मी ऑयल मिल्स |
| 5. | 49/1990 | पांडिचेरी स्ट्रा बोर्ड मिल्स लिमिटेड |
| 6. | 23/1991 | यनम ऑयल लिमिटेड |
| 7. | 155/1991 | मेलन मैटलोजन प्राइवेट लिमिटेड |
| 8. | 29/1992 | नेसर इंडिया लिमिटेड |
| 9. | 47/1993 | अमरावती कैमिकल्स लिमिटेड |
| 10. | 80/1995 | अमरावती कैमिकल्स लिमिटेड |
| 11. | 53/1996 | कैमक्राउन इंडिया लिमिटेड |
| 12. | 65/1998 | वेंकटरमन फूड स्पैशलिटीज लिमिटेड |
| 13. | 306/2001 | ज्ञान लैदर बोर्ड लिमिटेड |
| 14. | 338/2001 | इंडो कोरिया एक्सपोर्टस लिमिटेड |
| 15. | 25/2003 | त्रिवेणी यान्‍र्स लिमिटेड |
| 16. | 348/2004 | प्रोटकैम इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड |
| 17. | 115/2005 | करायकल स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लि. |
| **पंजाब** | | |
| 1. | 2/1987 | पंजाब आनंद बैटरीज लिमिटेड |
| 2. | 21/1987 | पंजाब स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स |
| 3. | 24/1987 | मुकेरियन पेपर्स |
| 4. | 58/1987 | पंजाब नैशनल फर्टीलाइजर |
| 5. | 84/1987 | विनोद पेपर मिल्स लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 6. | 162/1987 | पंजाब स्कूटर्स लिमिटेड |
| 7. | 219/1987 | सुखना पेपर |
| 8. | 277/1987 | मोहता इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 9. | 306/1987 | पंजाब यूनाइटेड फार्ज लिमिटेड |
| 10. | 316/1987 | यूनाइटेड पल्प एण्ड पेपर |
| 11. | 1/1988 | पंजाब इंजीनियर्स कटिंग टूल्स |
| 12. | 90/1988 | भगवानपुरा शुगर मिल्स |
| 13. | 151/1988 | डाल्मिया बिस्कुट्स |
| 14. | 202/1988 | बागरियन शूज लिमिटेड |
| 15. | 233/1988 | मुकेरियन पेपर्स लिमिटेड |
| 16. | 251/1988 | सम्राट फॉर्जिंग लिमिटेड |
| 17. | 290/1988 | यूनीवाक पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 18. | 123/1989 | एग्रो फूड्स पंजाब |
| 19. | 134/1989 | सेतिया पेपर मिल्स लिमिटेड |
| 20. | 153/1989 | खन्ना सिल्क मिल्स |
| 21. | 48/1990 | कैप्सुगल इंडिया |
| 22. | 84/1990 | आटो पिस्टन मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी |
| 23. | 28/1991 | बी.डी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 24. | 33/1991 | मैजैस्टिक आटो लिमिटेड |
| 25. | 37/1991 | स्टील स्ट्रिप्स एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड |
| 26. | 102/1991 | श्री ललित फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 27. | 105/1991 | एल्फा पैरिफिरेल्स लिमिटेड |
| 28. | 49/1992 | जे.सी.टी. फाइबर्स लिमिटेड |
| 29. | 7/1993 | जैपसन फार्मेक्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 30. | 19/1993 | मूलस ट्यूब्स लिमिटेड |
| 31. | 23/1993 | मिटगार्ड इंडिया लिमिटेड |
| 32. | 51/1993 | करतार ग्लास वर्क्स लिमिटेड |
| 33. | 54/1993 | गौडवाल स्टील लिमिटेड |
| 34. | 96/1993 | स्नेह इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 35. | 3/1994 | स्वराज माजदा लिमिटेड |
| 36. | 7/1994 | होमलैंड स्पैसिएलिटी ऑयल लिमिटेड |
| 37. | 41/1994 | मोहन फाइबर प्रोडक्ट्स लिमिटेड |
| 38. | 53/1994 | मुनक कैमिकल्स लिमिटेड |
| 39. | 62/1994 | अजय इलैक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 40. | 130/1994 | नार्दर्न डिजिटेड एक्वेंजेस लिमिटेड |
| 41. | 151/1994 | पंजाब सीरेमिक्स लिमिटेड |
| 42. | 26/1995 | एम.बी.एम. लिमिटेड |
| 43. | 37/1995 | गौडवाल स्टील लिमिटेड |
| 44. | 47/1995 | मोहन फाइबर प्रोडक्ट्स लिमिटेड |
| 45. | 60/1995 | जैपसन फार्मेक्यूटीकल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 46. | 64/1995 | एग्रो टैक इंडिया लिमिटेड |
| 47. | 65/1995 | नासा एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 48. | 67/1995 | गुरू नानक पेपर मिल्स लिमिटेड |
| 49. | 78/1995 | पंजाब नाइट्रेट लिमिटेड |
| 50. | 90/1995 | प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स 1935 लिमिटेड |
| 51. | 29/1996 | मोटरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 52. | 57/1996 | बी.सी.एल. फैरो एलोयज प्राइवेट लिमिटेड |
| 53. | 67/1996 | पंजाब पावर जैनरेशन मशीन्स लिमिटेड |
| 54. | 80/1996 | सीमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 55. | 4/1997 | छतर ए[illegible]शन लिमिटेड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 56. | 18/1997 | प्रिया टैक्सटाइल्स लिमिटेड |
| 57. | 22/1997 | उमा सिंथैटिक्स लिमिटेड |
| 58. | 29/1997 | रोम इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 59. | 35/1997 | मोंटेरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 60. | 52/1997 | नचिकेता स्ट्रिप्स एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड |
| 61. | 56/1997 | नाभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 62. | 100/1997 | थापर एग्रो मिल्स लिमिटेड |
| 63. | 116/1997 | वी.के. फाइबर्स लिमिटेड |
| 64. | 193/1997 | मोई इंजीनियरिंग लिमिटेड |
| 65. | 196/1997 | इंडसन सौलवैक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 66. | 208/1997 | थापर फूड्स लिमिटेड |
| 67. | 19/1998 | क्युयर फास्ट रैमैडीज लिमिटेड |
| 68. | 26/1998 | ओसवाल एग्रो फ्यूरेन लिमिटेड |
| 69. | 41/1998 | गर्ग कन्कास्ट लिमिटेड |
| 70. | 56/1998 | पंजाब आयरन एण्ड स्टील कं. लिमिटेड |
| 71. | 71/1998 | पान रूफी लिमिटेड |
| 72. | 73/1998 | सूरज साल्वैक्स एण्ड वनस्पति इं. लिमिटेड |
| 73. | 78/1998 | गर्ग फोर्जिंग एण्ड कास्टिंग लिमिटेड |
| 74. | 85/1998 | किसन दूध उद्योग लिमिटेड |
| 75. | 86/1998 | ड्रकग्रेफन इंडिया लिमिटेड |
| 76. | 127/1998 | ड्रकग्रेफन इंडिया लिमिटेड |
| 77. | 145/1998 | गर्ग इंपैक्स लिमिटेड |
| 78. | 188/1998 | सयाल एलोयज स्टील्स प्राइयेट लिमिटेड |
| 79. | 228/1998 | मेहर डेयरी इंडस्ट्रीज लि. |
| 80. | 246/1998 | दीदार स्टील काम्पलैक्स (पी) लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 81. | 290/1998 | एग्रो केम. पंजाब लि. |
| 82. | 296/1998 | आशियाना पेपर्स प्रा. लि. |
| 83. | 308/1998 | हिन्दुस्तान वायर प्रोडक्ट्स लि. |
| 84. | 326/1998 | कप्रिनास फार्मास्युटिकल एण्ड केमिकल्स |
| 85. | 344/1998 | राजिन्द्र सेरेमिक लि. |
| 86. | 346/1998 | पी.एम.एल. इंडस्ट्रीज लि. |
| 87. | 17/1999 | आर.के. कानकोस्ट लि. |
| 88. | 29/1999 | सेंचूरी शीट मेटल (इं.) लि. |
| 89. | 33/1999 | वशिष्ठ इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स लि. |
| 90. | 48/1999 | पाम रोफिया लि. |
| 91. | 90/1999 | गर्ग कॉनकास्ट लि. |
| 92. | 114/1999 | एस.एफ.एल. इंडस्ट्रीज लि. |
| 93. | 136/1999 | जे.आर. प्रोसेर्स लि. |
| 94. | 144/1999 | कृष्णा इंजीनियरिंग वर्क्स लि. |
| 95. | 145/1999 | प्रेशियन कारपेट एंड टेक्सटाइल्स लि. |
| 96. | 151/1999 | वाटिका स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 97. | 155/1999 | भारत सेनेट्रीवेयर प्रा. लि. |
| 98. | 167/1999 | पंजाब फाइबर्स लि. |
| 99. | 172/1999 | नवरतन स्टील इंड लि. |
| 100. | 174/1999 | स्टील स्ट्रीप्स लि. |
| 101. | 179/1999 | एम.के. इंडस्ट्रीज लि. |
| 102. | 216/1999 | डायमण्ड एग्रो इंडस्ट्रीज लि. |
| 103. | 225/1999 | बजाज एग्रो इंडस्ट्रीज लि. |
| 104. | 226/1999 | ए.पी. इंजिमिस (इं.) लि. |
| 105. | 240/1999 | इण्डस्ट्रीयल केवल्स (इं.) लि. |
| 106. | 246/1999 | एकार्ड कोटिसन लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 107. | 253/1999 | त्रिवेणी स्पिनिंग मिल्स (पी) लि. |
| 108. | 310/1999 | निज्जर एग्रो फूड्स लि. |
| 109. | 395/1999 | एम.एस.डी. इंड. इन्टरप्राइसेस लि. |
| 110. | 401/1999 | के.जे. इंटरनेशनल इन्टरप्राइस लि. |
| 111. | 4/2000 | हिरसन पेपर लि. |
| 112. | 46/2000 | सैन्चुरी शीट मैटल (इ.) लि. |
| 113. | 118/2000 | मोरिण्डा ओवरसीज इण्डस्ट्रीज लि. |
| 114. | 135/2000 | ईशरन एलायस प्रा. लि. |
| 115. | 148/2000 | नवरतन स्टील स्ट्रिप्स लि. |
| 116. | 149/2000 | ब्रहम लेवोट्रीज लि. |
| 117. | 163/2000 | जीटेक्स डाइंग्स एण्ड प्रिंटिंग मिल्स लि. |
| 118. | 174/2000 | संतोष स्ट्रक. एण्ड प्रिंटिंग मिल्स लि. |
| 119. | 201/2000 | अष्टर ड्रग्स फार्मासुटिकल्स लि. |
| 120. | 206/2000 | मिल्क स्पेसिलेटिज लि. |
| 121. | 216/2000 | एस.एफ.एल. इण्डस्ट्री लि. |
| 122. | 241/2000 | नालन्दा वुलन्स लि. |
| 123. | 268/2000 | पंजाब क्लोटोकेम. लि. |
| 124. | 269/2000 | पंजाब वूल्स कोम्बर्स लि. |
| 125. | 282/2000 | सोना पेपर बोर्ड लि. |
| 126. | 317/2000 | अंको पेपर्स लि. |
| 127. | 370/2000 | पाम रफिया लि. |
| 128. | 392/2000 | एशियन एलायस लि. |
| 129. | 398/2000 | स्टील स्ट्रिप्स लि. |
| 130. | 408/2000 | गोविन्द साल्वेक्स प्रा. लि. |
| 131. | 419/2000 | अग्नि कास्टिंग लि. |
| 132. | 31/2001 | विसाल पेपर्स (ई) लि. |
| 133. | 52/2001 | हर्कन मिल्क फूड्स लि. |
| 134. | 63/2001 | आर.के. कानकास्ट लि. |
| 135. | 87/2001 | नालन्दा स्पिनर्स लि. |
| 136. | 91/2001 | लुधियाना स्टील लि. |
| 137. | 126/2001 | दयोल इण्डस्ट्रीज लि. |
| 138. | 133/2001 | एशियन लक्टो इण्डस्ट्रीज लि. |
| 139. | 181/2001 | पिकाडिली शुगर एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज लि. |
| 140. | 198/2001 | ए.पी. एजीगिस लि. |
| 141. | 206/2001 | आदिनाथ टेक्सटाइल लि. |
| 142. | 231/2001 | एम.एस.डी. इण्डस्ट्रीयल एंटरप्राइस लि. |
| 143. | 234/2001 | राजीव पेपर मि. लि. |
| 144. | 301/2001 | अनन्त सीमेंट एण्ड एलाइड प्रोड. प्रा. लि. |
| 145. | 308/2001 | लाउर्स क्लाटो अलकली लि. |
| 146. | 310/2001 | ग्लेशियर आयन्स एण्ड गैरोज लि. |
| 147. | 340/2001 | समाना रोलर फ्लोर मिल्स लि. |
| 148. | 341/2001 | पंजाब वुल कोम्बर्स लि. |
| 149. | 342/2001 | थापर इस्पात लि. |
| 150. | 347/2001 | हिमनील ब्रेवरीज लि. |
| 151. | 359/2001 | विनर निप्पोन इलेक्ट्रानिक लि. |
| 152. | 386/2001 | मुकैरिया पेपर्स |
| 153. | 387/2001 | थापर एक्सपोर्टस लि. |
| 154. | 392/2001 | शिवालिक वाल स्टील लि. |
| 155. | 393/2001 | जे.आर. प्रोसेसर्स लि. |
| 156. | 396/2001 | शिवालिक लोहा मिल्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 157. | 416/2001 | त्रिवेणी यार्न्स लि. |
| 158. | 421/2001 | यूरो कारस्पिन लि. |
| 159. | 429/2001 | एस.एम.टी. मशीनस (इं.) लि. |
| 160. | 447/2001 | आरएमआई साइकिल्स लि. |
| 161. | 21/2002 | सुपिरियर कार्बोनेट्स |
| 162. | 28/2002 | एच.एस.के. अलाय स्टील लि. |
| 163. | 225/2002 | ए.पी.एल. इण्डस्ट्रीज लि. |
| 164. | 241/2002 | सौना पेपर बोर्ड लि. |
| 165. | 246/2002 | मासूजावा पंजाब सिल्क लि. |
| 166. | 263/2002 | ट्राइडेंट एल्को केम. लि. |
| 167. | 272/2002 | एस.एन. पेपर मिल्स प्रा. लि. |
| 168. | 279/2002 | नालन्दा स्पिनर्स लि. |
| 169. | 284/2002 | सुमेर इंटरनेशनल लि. |
| 170. | 302/2002 | राजाराम कार्न प्रोडक्ट्स (पंजाब) लि. |
| 171. | 316/2002 | जेसीटी इलेक्ट्रानिक्स लि. |
| 172. | 330/2002 | भण्डारी एक्सपोर्ट इंड. लि. |
| 173. | 348/2002 | वोसवाल सिपिंग एंड वीविंग मि. |
| 174. | 351/2002 | देवोल इं. लि. |
| 175. | 441/2002 | स्टील स्टीप्स लि. |
| 176. | 445/2002 | पंजाब फाइबर्स लि. |
| 177. | 10/2003 | शिवालिक लोहा मिल्स लि. |
| 178. | 26/2003 | शिवालिक अवाला स्टील मिल्स लि. |
| 179. | 29/2003 | विशाल पैपर टैक लि. |
| 180. | 63/2003 | मुकेरियन पेपर्स लि. |
| 181. | 64/2003 | पंजाब वूल्स लि. |
| 182. | 72/2003 | रैनब्रो ब्रेक्स इंडिया लि. |
| 183. | 145/2003 | थापर इस्पात लि. |
| 184. | 173/2003 | एक्सटॉल कैमि. प्रा. लि. |
| 185. | 207/2003 | लॉर्ड्स क्लोरा एल्कली लि. |
| 186. | 208/2003 | लॉर्ड्स क्लोरा एल्कली लि. |
| 187. | 224/2003 | बी.एस.एन. निट फैब इं. लि. |
| 188. | 226/2003 | रॉयल इण्ड. लि. |
| 189. | 228/2003 | शिवालिक लोहा मिल्स लि. |
| 190. | 265/2003 | मुनक कैमिकल्स लि. |
| 191. | 279/2003 | विकास कैम ड्रग लि. |
| 192. | 304/2003 | ब्रह्म लैबैरेटरीज लि. |
| 193. | 339/2003 | एस.एन. पेपर मिल्स प्रा. लि. |
| 194. | 342/2003 | सुपर पालीफेब्रिक्स लि. |
| 195. | 349/2003 | स्टील स्टीप्स लि. |
| 196. | 353/2003 | डीडी इंड. प्रा. लि. |
| 197. | 375/2003 | गुरू प्रोटीन लि. |
| 198. | 397/2003 | पंजाब एलकलीज एंड कैमि. लि. |
| 199. | 404/2003 | नालन्दा स्पीनर्स लि. |
| 200. | 27/2004 | अभिनव कैट स्पिन लि. |
| 201. | 35/2004 | फार्रचून ड्रग्स लि. |
| 202. | 66/2004 | शिवालिक वाल स्टील मि. |
| 203. | 107/2004 | गिरिमार फाइबर्स लि. |
| 204. | 118/2004 | एज्स डाईंग एंड फर्निशिंग मिल्स लि. |
| 205. | 119/2004 | एपैक्स फैब निट लि. |
| 206. | 137/2004 | थापर इस्पात लि. |
| 207. | 139/2004 | थापर एक्सपोट्र्स लि. |
| 208. | 144/2004 | एग्रीकास्टिंग लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 209. | 147/2004 | थापर एक्सपोट्र्स लि. |
| 210. | 209/2004 | करन कैटसिन लि. |
| 211. | 211/2004 | ब्रह्म लैबोरेटरीज लि. |
| 212. | 284/2004 | गुरदर्शन लैदर्स |
| 213. | 304/2004 | मैजिस्टिक मैटलिक्स लि. |
| 214. | 317/2004 | एक्सटैक्स वूलन मिल्स प्रा. लि. |
| 215. | 320/2004 | आदिनाथ टैक्सटाइल्स लि. |
| 216. | 327/2004 | बाबा शूज लि. |
| 217. | 331/2004 | ग्लॉसरी फूड्स लि. |
| 218. | 338/2004 | गिरनार फाइबर्स लि. |
| 219. | 340/2004 | सचदेवा एण्ड सन्स राइस मिल्स लि. |
| 220. | 342/2004 | सचदेवा एण्ड सन्स इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. |
| 221. | 15/2005 | ग्लोबल मिटफैब लि. |
| 222. | 18/2005 | राजीव पेपर मिल्स लि. |
| 223. | 20/2005 | ग्यान चंद एण्ड सन्स प्रा. लि. |
| 224. | 42/2005 | शिवालिक लोहा मिल्स लि.. |
| 225. | 45/2005 | सुपर पालीफैब्रिक्स लि. |
| 226. | 51/2005 | रोयल इण्डस्ट्रीज लि. |
| 227. | 66/2005 | थापर एक्सपोर्टस् लि. |
| 228. | 67/2005 | थापर इस्पात लि. |
| 229. | 108/2005 | देव स्पिनर्स लि. |
| 230. | 117/2005 | श्री माडर्न पैराबॉयल्ड मिल्स प्रा. लि. |
| 231. | 134/2005 | चहल मशरूम लि. |
| 232. | 165/2005 | वी.के. ऑयल प्रा. लि. |
| 233. | 4/2006 | अरिहंत थ्रड्स लि. |
| 234. | 5/2006 | मै. वी.के. कॉटसिन लि. |
| 235. | 6/2006 | मै. शिवालिक लोहा मिल्स लि. |
| 236. | 12/2006 | मै. संगरूर मिल्क प्रोडक्ट प्रा. लि. |
| 237. | 20/2006 | मै. नरेन्द्र पेपर मिल्स लि. |
| 238. | 21/2006 | मै. चरण कमल कार्ड बोर्ड एण्ड पेपर मिल |
| 239. | 23/2006 | मै. अरिहंत कॉटसिन लि. |
| 240. | 32/2006 | मै. एशियन एलॉइज लि. |
| **राजस्थान** | | |
| 1. | 17/1987 | जयपुर उद्योग |
| 2. | 34/1987 | बांसवारा फैब्रिक्स |
| 3. | 37/1987 | स्वदेशी सीमेन्ट |
| 4. | 50/1987 | बांसवारा टैक्सटाइल |
| 5. | 89/1987 | ओरिएन्टल पावर केबल्स |
| 6. | 94/1987 | सिरेमिक इंडिया लि. |
| 7. | 106/1987 | सुनील सिनकैम |
| 8. | 122/1987 | मेवार सुगर |
| 9. | 147/1987 | राजस्थाम वनस्पति |
| 10. | 158/1987 | कृष्णा मिल्स |
| 11. | 175/1987 | मेवार टैक्स्टाइल |
| 12. | 203/1987 | प्रताप राजस्थान कॉपर |
| 13. | 217/1987 | परफैक्ट थ्रेड |
| 14. | 278/1987 | भीलवाड़ा वूल टैक्सटाइल्स लि. |
| 15. | 291/1987 | सतसुयन पेपर मिल्स लि. |
| 16. | 304/1987 | इंडियन फाइबर्स लि. |
| 17. | 314/1987 | मैन इंडस्ट्रियल कार्पो. लि. |
| 18. | 9/1988 | सुमन सिंथेटिक्स लि. |
| 19. | 32/1988 | सराफ पेपर मिल्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 20. | 63/1988 | विकास वूलन मिल्स |
| 21. | 75/1988 | एरिस्टा पल एण्ड पेपर मिल्स लि. |
| 22. | 106/1988 | लैंप एण्ड लाइटिंग |
| 23. | 111/1988 | अजय पेपर मिल्स लि. |
| 24. | 121/1988 | इंडियन डेरी एंटरप्रिन्यूर लि. |
| 25. | 168/1988 | श्री पद्मा पेपर मिल्स लि. |
| 26. | 179/1988 | सराफ सिंथेटिक्स लि. |
| 27. | 193/1988 | सागर स्पिनिंग एण्ड वीविंग |
| 28. | 209/1988 | ई.सी.एस. पेपर्स |
| 29. | 254/1988 | बुल ऑटो इंड. प्रा. लि. |
| 30. | 283/1988 | एल.पी. कास्टिंग प्रा. लि. |
| 31. | 61/1989 | कल्याण सुंदरम सीमेंट |
| 32. | 63/1989 | स्पिनटैक्स ट्यूब एण्ड कोन्स |
| 33. | 90/1989 | राजस्थान ग्लायोक्सल |
| 34. | 103/1989 | ए इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. |
| 35. | 105/1989 | प्रीमियर पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स |
| 36. | 112/1989 | जोधपुर वूलन मिल्स |
| 37. | 160/1989 | पी.वी.पी. लि. |
| 38. | 181/1989 | पालीवाल मिनी स्टील |
| 39. | 199/1989 | अरुण माइका इंड. लि. |
| 40. | 12/1990 | सिटिजन सिल्क मिल्स |
| 41. | 32/1990 | बक्शी स्टील |
| 42. | 53/1990 | श्री शंकर स्टील |
| 43. | 82/1990 | सूर्या पावर |
| 44. | 103/1990 | एक्स.एल.ओ. यूनाइटेड क्लच प्रोडक्ट्स |
| 45. | 121/1990 | राजस्थान एक्स.एल.ओ. सन्च गिडलैण्ड |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 46. | 144/1990 | टैब इंडिया |
| 47. | 43/1991 | निर्मल स्टील ट्यूब लि. |
| 48. | 48/1991 | एक्यूरेट ऐन्सीलरी प्रोडक्ट लि. |
| 49. | 84/1991 | महावीर एल्युमिनियम लि. |
| 50. | 103/1991 | प्रताप राजस्थान स्पेशल स्टील लि. |
| 51. | 114/1991 | सिरोही सीमेंट प्रा. लि. |
| 52. | 6/1992 | माडर्न इंसुलेटर लि. |
| 53. | 7/1992 | खम्रोस स्टील इंडिया लि. |
| 54. | 34/1992 | राजस्थान एक्सप्लोसिव एण्ड कैमिकल |
| 55. | 35/1992 | पंकज फोर्जिंग लि. |
| 56. | 46/1992 | राजस्थान एक्स.एल.ओ. सन्च मिडलैण्ड लि. |
| 57. | 81/1992 | मेवाड मार्बल इंड. लि. |
| 58. | 8/1993 | उदय टैक्नोवैल फाउंड्रीज लि. |
| 59. | 14/1993 | ओम मार्बल लि. |
| 60. | 26/1993 | कीन्जले इंडियन सामी लि. |
| 61. | 67/1993 | बालदुआ फूड एण्ड प्रोसेसर्स लि. |
| 62. | 72/1993 | राजस्थान टेलीफोन इंड. लि. |
| 63. | 113/1993 | टोटो बल्बस इण्डिया लि. |
| 64. | 1/1994 | श्री शिवा स्पिनर्स लि. |
| 65. | 12/1994 | शिकार पोलिटैक्स लि. |
| 66. | 14/1994 | देवश्री सीमेंट लि. |
| 67. | 59/1994 | राजस्थान टेलीफोन इंडि. लि. |
| 68. | 68/1994 | भारत कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. |
| 69. | 82/1994 | आदित्य मिल लि. |
| 70. | 91/1994 | मुनाक मलवा सीड्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 71. | 102/1994 | इमामी फूड्स लि. |
| 72. | 106/1994 | कोयानो रोक्ला पाईप लि. |
| 73. | 134/1994 | स्टेनफोर्ड इंजिनियरिंग लि. |
| 74. | 138/1994 | आर.सी.एस. वनस्पति इण्डस्ट्रीज लि. |
| 75. | 176/1994 | राजस्थान कॉमिनिकेशन लि. |
| 76. | 11/1995 | इलैक्ट्रोनिक्स सर्कट्स लि. |
| 77. | 27/1995 | स्पार्क प्लग्स कं. (आई) लि. (मोदी चैमपियन) |
| 78. | 41/1995 | इमामी फूड्स लि. |
| 79. | 56/1995 | आई.जी. टेलीकॉम लि. |
| 80. | 88/1995 | असम रोलर फ्लोर मिल्स लि. |
| 81. | 10/1996 | दीपीर स्पेशल स्टील्स लि. |
| 82. | 18/1996 | मधुराम वनस्पति एण्ड सोया प्रोडक्ट्स लि. |
| 83. | 35/1996 | मधुराम वनस्पति एण्ड सोया प्रोडक्ट्स लि. |
| 84. | 16/1997 | हिन्दुस्तान एग्रो कैमिकल्स लि. |
| 85. | 24/1997 | राठी एलाय एण्ड स्टील लि. |
| 86. | 33/1997 | निहोन निर्माण लि. |
| 87. | 67/1997 | पुनसुमी इण्डिया लि. |
| 88. | 103/1997 | जयपुर सिटेंक्स लि. |
| 89. | 108/1997 | रिको एग्रआयल लि. |
| 90. | 110/1997 | रामजीदास केमिकल्स लि. |
| 91. | 115/1997 | सराफ टेक्सटाइल्स इण्डस्ट्रीज लि. |
| 92. | 123/1997 | राजस्थान पोलिमर्स एण्ड रिसिन्स लि. |
| 93. | 138/1997 | बसेरा सीमेंट लि. |
| 94. | 183/1997 | कुकर सन्स (इन्फो-फ्रैन्च) एक्सपोर्टस् लि. |
| 95. | 187/1997 | परसरामपुरिया सिंथेटिक लि. |
| 96. | 2/1998 | इण्डिटल टिनटोरिया लि. |
| 97. | 8/1998 | जनप्रिया सीमेंट लि. |
| 98. | 23/1998 | अहलोन परेन्टरल्स (आई) लि. |
| 99. | 43/1998 | धनलक्ष्मी पेसलियम प्रोसेसिंग प्राइवेट लि. |
| 100. | 59/1998 | थार सीमेंट लि. |
| 101. | 66/1998 | मानसिंघका आयल प्रोडक्ट्स लि. |
| 102. | 156/1998 | पिलानीवाला सिंथेटिक्स प्रा. लि. |
| 103. | 161/1998 | पुनसुमी फाइल एण्ड कम्पोमेंट्स लि. |
| 104. | 177/1998 | आर.के. टैक्सकान (इण्डिया) लि. |
| 105. | 218/1998 | पीकॉक इण्डस्ट्रीज लि. |
| 106. | 341/1998 | पाम ड्रग्स एण्ड फार्मा. लि. |
| 107. | 348/1998 | सुप्रिया फार्मास्यूटिकल्स लि. |
| 108. | 3/1999 | जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि. |
| 109. | 113/1999 | धनलक्ष्मी जाइलिय प्रोसेसिंग प्रा. लि. |
| 110. | 148/1999 | अजय स्पिनर्स लि. |
| 111. | 154/1999 | सौरभ सीमेंट लि. |
| 112. | 181/1999 | एच.एम.जी. ग्रेमाइट्स (इण्डिया) प्रा. लि. |
| 113. | 212/1999 | आर.बी.बी.एल. इण्डस्ट्रीज लि. |
| 114. | 254/1999 | राजस्थान पेट्रोसिंथेटिक्स लि. |
| 115. | 276/1999 | आर.के. टैक्सकॉम (इण्डिया) लि. |
| 116. | 373/1999 | लॉर्डस क्लोरो अल्कली लि. |
| 117. | 377/1999 | टैरीकैब (इण्डिया) लि. |
| 118. | 6/2000 | डी फार्मा लैबोरेटरीज लि. |
| 119. | 18/2000 | सनसिटी इण्डस्ट्रीज लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 120. | 31/2000 | तिरूपति फाइबर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. |
| 121. | 33/2000 | मोतिया स्पिनर्स लि. |
| 122. | 84/2000 | उर्बी टेक्सटाइल्स लि. |
| 123. | 87/2000 | पेसीफिक इण्डस्ट्रीज लि. |
| 124. | 99/2000 | पराक्रम टेक्नोफेब लि. |
| 125. | 101/2000 | माइक्रो फिलर्स प्रा. लि. |
| 126. | 167/2000 | मल्टी मेटल लि. |
| 127. | 238/2000 | टैरीफेब (इण्डिया) लि. |
| 128. | 242/2000 | केसरी वनस्पति प्रोडक्ट्स लि. |
| 129. | 246/2000 | राजस्थान पॉलिस्टर्स लि. |
| 130. | 248/2000 | पाम फार्मास्यूटिकल्स (दिल्ली) लि. |
| 131. | 249/2000 | श्रुति सिंथेटिक्स लि. |
| 132. | 325/2000 | मॉडर्न डेनिम लि. |
| 133. | 368/2000 | ऑटोपाल इण्डस्ट्रीज लि. |
| 134. | 399/2000 | मार्डन सिन्टेक्स (इण्डिया) लि. |
| 135. | 413/2000 | जोधपुर बियरिंग लि. |
| 136. | 422/2000 | मंगलम सीमेंट लि. |
| 137. | 65/2001 | अम्बिका रोलर फ्लोर मिल्स (प्रा.) लि. |
| 138. | 108/2001 | भरतपुर न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट्स लि. |
| 139. | 130/2001 | भारतीय स्पिनर्स लि. |
| 140. | 167/2001 | थापर ऑयल्स एण्ड फैट्स लि. |
| 141. | 212/2001 | यूनी लेगवियर (इंडिया) लि. |
| 142. | 228/2001 | राजस्थान ब्रूवरीज लि. |
| 143. | 230/2001 | विनायक एग्रोटेक लि. |
| 144. | 254/2001 | माज्दा टेक्सटाइल्स इण्डस्ट्रीज लि. |
| 145. | 269/2001 | एशिया पैक लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 146. | 284/2001 | श्री सिलिका प्रोडक्ट्स (प्रा.) लि. |
| 147. | 361/2001 | सनसिटी इण्डस्ट्रीज लि. |
| 148. | 388/2001 | सैण्ड प्लास्ट (इण्डिया) लि. |
| 149. | 394/2001 | अनुसिका ऑटोलाइट लि. |
| 150. | 425/2001 | प्राइम कैम ऑयल लि. |
| 151. | 442/2001 | सनपैक ऑयल लि. |
| 152. | 13/2002 | अम्बिका रोलर फ्लोर मिल्स (प्रा.) लि. |
| 153. | 14/2002 | भावल सिंथेटिक इंडिया लि. |
| 154. | 30/2002 | कन्धारी रबर्स लि. |
| 155. | 53/2002 | इकॉन इण्डस्ट्रीज लि. |
| 156. | 83/2002 | कैलाश स्ट्रक्चरल्स लि. |
| 157. | 98/2002 | एशिया इण्डस्ट्रीज लि. |
| 158. | 105/2002 | गणपति कॉट्सपिन लि. |
| 159. | 106/2002 | दीपक कास्टिंग्स लि. |
| 160. | 153/2002 | पैसिफिक इण्डस्ट्रीज लि. |
| 161. | 173/2002 | वसुन्धरा कैमसिंटेक्स प्रा. लि. |
| 162. | 175/2002 | श्री सकारिया स्पिनर्स लि. |
| 163. | 185/2002 | सी.बी. स्टील्स लि. |
| 164. | 206/2002 | राजस्थान टैक्सफैक्स लि. |
| 165. | 228/2002 | ग्लोबल सिंटेक्स (भीलवाड़ा) लि. |
| 166. | 339/2002 | भारतीय स्पिनर्स लि. |
| 167. | 369/2002 | पिट्टी सीमेंट एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. |
| 168. | 381/2002 | जे.के. उदयपुर उद्योग लि. |
| 169. | 415/2002 | भरतपुर न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट्स लि. |
| 170. | 481/2002 | दीपक कास्टिंग्स लि. |
| 171. | 30/2003 | भारतीय स्पिनर्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 172. | 55/2003 | सनपैक ऑयल्स लि. |
| 173. | 153/2003 | वसुन्धरा कैम-सिंटैक्स प्रा. लि. |
| 174. | 157/2003 | प्राईम कैम. ऑयल लि. |
| 175. | 180/2003 | भावल सिंथेटिक्स (इंडिया) लि. |
| 176. | 206/2003 | श्री सकारिया स्पिनर्स लि. |
| 177. | 281/2003 | राजस्थान ब्रूवरीज लि. |
| 178. | 282/2003 | श्री विद्यामल्टीमेल्ट (प्रा.) लि. |
| 179. | 283/2003 | यूनी लेगवियर्स (इंडिया) लि. |
| 180. | 288/2003 | सुपर सिंकोटेक्स (इंडिया) लि. |
| 181. | 312/2003 | अंबिका रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि. |
| 182. | 332/2003 | श्रुति सिंथेटिक्स लि. |
| 183. | 345/2003 | ऑटोपाल इण्डस्ट्रीज लि. |
| 184. | 348/2003 | ऑटोपाल इण्डस्ट्रीज लि. |
| 185. | 350/2003 | ऑटोपाल इण्डस्ट्रीज लि. |
| 186. | 360/2003 | समुराई सिंथेटिक प्रा. लि. |
| 187. | 394/2003 | कंसारा मॉडलर लि. |
| 188. | 398/2003 | अनुसिका इण्डस्ट्रीज लि. |
| 189. | 399/2003 | अनुसिका इण्डस्ट्रीज लि. |
| 190. | 403/2003 | वसुन्धरा कैम-सिंटेक्स प्रा. लि. |
| 191. | 25/2004 | भारतीय स्पिनर्स लि. |
| 192. | 72/2004 | पिट्टी सीमेंन्ट एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. |
| 193. | 83/2004 | यूनी लेगवियर (इण्डिया) लि. |
| 194. | 92/2004 | प्राईम कैम. ऑयल लि. |
| 195. | 108/2004 | सनसिटी इण्डस्ट्रीज लि. |
| 196. | 121/2004 | दीपक कार्स्टिंग्स लि. |
| 197. | 223/2004 | श्री सिलिका प्रोडक्ट्स (प्रा.) लि. |
| 198. | 265/2004 | केशव (इण्डिया) लि. |
| 199. | 269/2004 | मॉडर्न थ्रेड (इण्डिया) लि. |
| 200. | 326/2004 | कंसारा वियरिंग्स लि. |
| 201. | 332/2004 | आटोपाल इण्डस्ट्रीज लि. |
| 202. | 337/2004 | दीपक कार्स्टिंग्स लि. |
| 203. | 345/2004 | अनुसिका इण्डस्ट्रीज लि. |
| 204. | 376/2004 | कंसारा माडलर्स लि. |
| 205. | 382/2004 | मंगलम फॉस्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि. |
| 206. | 389/2004 | भारतीय स्पिनर्स लि. |
| 207. | 5/2005 | साधना अनुसिका इण्डस्ट्रीज लि. |
| 208. | 6/2005 | सनसिटी इण्डस्ट्रीज लि. |
| 209. | 14/2005 | मार्डन सिन्टेक्स (इण्डिया) लि. |
| 210. | 56/2005 | रिषभ स्पेशल यार्नस् लि. |
| 211. | 74/2005 | डर्बी टेक्सटाइल्स लि. |
| 212. | 125/2005 | चामुण्डा सिन्प्रोकअस (इंडिया) प्रा. लि. |
| 213. | 139/2005 | रत्नगिरी (इण्डिया) लि. |
| 214. | 149/2005 | समुराई सिंथेटिक प्रा. लि. |
| 215. | 153/2005 | एस.एम. टेलीसिस लि. |
| 216. | 154/2005 | निर्मल फैबटैक्स (प्रा.) लि. |
| 217. | 14/2006 | मै. स्टेनलेस इण्डिया लि. |
| **तमिलनाडु** | | |
| 1. | 10/1987 | इण्डीकार्ब लि. |
| 2. | 16/1987 | ईसन रेरॉल रिलेज एण्ड डिवाईसेस लि. |
| 3. | 19/1987 | मद्रास एल्यूमीनियम |
| 4. | 26/1987 | कावेरी शुगर्स एण्ड केमीकल्स |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 5. | 46/1987 | इण्डस्ट्रियल केमिकल्स एण्ड मोनोमर्स लि. |
| 6. | 51/1987 | श्री जनार्दन मिल्स |
| 7. | 59/1987 | मेसकॉन लि. |
| 8. | 92/1987 | कोठारी इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. |
| 9. | 120/1987 | रंगम इलेक्ट्रानिक्स |
| 10. | 128/1987 | ईश्वरम एण्ड सन्स इंजीनियर्स लि. |
| 11. | 131/1987 | सुजनी टेक्सटाइल्स लि. |
| 12. | 136/1987 | मधु स्पिनिंग एण्ड डब्ल्यूवीजी मिल्स |
| 13. | 143/1987 | कोयम्बटूर पायनियर एमसीएच |
| 14. | 149/1987 | सिल्ट्रॉनिक्स लि. |
| 15. | 152/1987 | आई.ए.ई.सी. बॉयलर्स |
| 16. | 192/1987 | हैकब्रिज हैवीट्रिक एण्ड ईसन लि. |
| 17. | 199/1987 | सदर्न कार्स्टिग्स लि. |
| 18. | 202/1987 | ओमेगा केबल्स लि. |
| 19. | 205/1987 | गॉर्डन वुडरॉफ |
| 20. | 245/1987 | निजाम पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स लि. |
| 21. | 248/1987 | बोकियू टैनरीज लि. |
| 22. | 256/1987 | सरगुना टैक्सटाइल्स प्रा. लि. |
| 23. | 261/1987 | ओरिएन्ट विजन लि. |
| 24. | 262/1987 | तमिलनाडु एलाय |
| 25. | 273/1987 | भवानी मिल |
| 26. | 282/1987 | गंगप्पा पेपर |
| 27. | 287/1987 | मिको फार्म केमिकल्स |
| 28. | 312/1987 | मद्रास शू फैबरिक लि. |
| 29. | 7/1988 | एशियन बीयरिंग लि. |
| 30. | 19/1988 | जू जू वायर्स लि. |
| 31. | 25/1988 | प्रीमियर कार्स्टिग लि. |
| 32. | 55/1988 | श्री हरि मिल |
| 33. | 59/1988 | लायल मशीन वर्क्स लि. |
| 34. | 66/1988 | जय लक्ष्मी मिल |
| 35. | 68/1988 | अगस्थियार पेपर बोर्ड प्रा. लि. |
| 36. | 70/1988 | पापनाशम पेपर मिल लि. |
| 37. | 73/1988 | तिरूपुर काटन |
| 38. | 78/1988 | लिटेलॉन लि. |
| 39. | 81/1988 | वीराघव टेक्सटाइल्स |
| 40. | 86/1988 | उषा हाइड्रोलिक्स लि. |
| 41. | 102/1988 | सेंचुरी केमि. एण्ड ऑयल |
| 42. | 110/1988 | साउर्दन एग्रीफराने |
| 43. | 115/1988 | साउर्दन हाइड्रोकार्बन |
| 44. | 116/1988 | कुनाल मशी. (इण्डियन प्रिसीजन बीयरिंग) |
| 45. | 117/1988 | रविन्द्रा मिल. लि. |
| 46. | 144/1988 | क्रोम लेदर कं. |
| 47. | 156/1988 | रीकहोल्ड केमि. प्रा. लि. |
| 48. | 158/1988 | वसन्त मिल लि. |
| 49. | 166/1988 | रिनाउन्ड आटो |
| 50. | 212/1988 | यूनियन कं. (मोटर्स) प्रा. लि. |
| 51. | 260/1988 | शिवमानी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स |
| 52. | 271/1988 | कमर केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज |
| 53. | 272/1988 | स्टैंण्डर्ड मोटर्स |
| 54. | 5/1989 | श्री विज केमिकल्स लि. |
| 55. | 8/1989 | कांची प्रिंटर्स |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 56. | 9/1989 | साउथ ईस्ट फुटवियर |
| 57. | 23/1989 | अकबर लैदर |
| 58. | 32/1989 | फाइबर पाइप्स इण्डिया (नोवा रूफिंग) |
| 59. | 40/1989 | शिवानन्द मिल्स |
| 60. | 74/1989 | एफ.सी. एलाय स्टील |
| 61. | 104/1989 | श्री माडियाम्बल टेक्सटाइल मिल लि. |
| 62. | 113/1989 | कार्तिक स्टील लि. |
| 63. | 115/1989 | मद्रास पैट्रो-कैमि. लि. |
| 64. | 118/1989 | अरुण लैदर |
| 65. | 128/1989 | रूकमणि मिल्स |
| 66. | 129/1989 | कोरोमण्डल स्टील |
| 67. | 131/1989 | विल्सन एण्ड कंपनी लि. |
| 68. | 139/1989 | इंटर कन्टीनेन्टल लैदर्स |
| 69. | 161/1989 | जैम स्टील लि. |
| 70. | 177/1989 | अक्षय टैक्सटाइल्स |
| 71. | 191/1989 | अजन्ता फोर्जिंग लि. |
| 72. | 4/1990 | श्रीनिधि स्टील |
| 73. | 9/1990 | ओसवाली केमिकल्स लि. |
| 74. | 14/1990 | लासर फ्लो कन्ट्रोल्स |
| 75. | 16/1990 | टी.एन. क्रोमेट्स एण्ड केमि. |
| 76. | 20/1990 | वाविन इण्डिया |
| 77. | 40/1990 | वल्ला कास्टिंग प्रा. लि. |
| 78. | 71/1990 | श्री रामलिंगम चूडा अम्बिका |
| 79. | 115/1990 | सेशासायी इण्डस्ट्रीज |
| 80. | 124/1990 | श्री योग लक्ष्मी मिल्स |
| 81. | 134/1990 | कालिन्द प्रेसिंग एण्ड प्रोडक्ट्स |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 82. | 136/1990 | तमिलनाडु अल्कालाइन बैटरीज |
| 83. | 1/1991 | मोना टेक्सटाइल्स |
| 84. | 8/1991 | केमटेक लेबोरेटरीज |
| 85. | 10/1991 | कुनियर पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स |
| 86. | 31/1991 | महालक्ष्मी टेक्सटाइल्स मिल्स लि. |
| 87. | 52/1991 | विन्नी लि. |
| 88. | 58/1991 | प्रैस वुड इण्डस्ट्रीज |
| 89. | 72/1991 | विगना ऑयल मिल |
| 90. | 86/1991 | जे.एग. बोटलर्स प्रा. लि. |
| 91. | 90/1991 | मारूति सिन्थेटिक एण्ड फार्मास्युटिकल्स |
| 92. | 98/1991 | साउर्थन सिन्थेटिक लि. |
| 93. | 124/1991 | कार्तिक स्टील लि. |
| 94. | 132/1991 | विवेक एलाय लि. |
| 95. | 134/1991 | श्री मुरूगन मिल |
| 96. | 149/1991 | वोरियन केमिकल्स एण्ड डिस्टलरी लि. |
| 97. | 151/1991 | रोक फोर्ट फास्टनर्स लि. |
| 98. | 13/1992 | कुमार मालीएब्लस (प्रा.) लि. |
| 99. | 54/1992 | लक्ष्मी शनमुग्गम स्पिनिंग मिल लि. |
| 100. | 72/1992 | मोनटेक हाइड्रोलिक्स प्रा. लि. |
| 101. | 77/1992 | सिमको इंजी. लि. |
| 102. | 12/1993 | कलर ग्राफिक्स प्रा. लि. |
| 103. | 21/1993 | सीयर्स इलेक्ट्रानिक्स लि. |
| 104. | 28/1993 | इन्फोटेक लि. |
| 105. | 35/1993 | सूर्या स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 106. | 45/1993 | तमिलनाडु ग्रेजुएट फिशरमैन फिशनैट |
| 107. | 48/1993 | बिन्नी लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 108. | 62/1993 | कलायमगल नटराज पेपर मिल लि. |
| 109. | 63/1993 | एस्मारॉक्स प्रा. लि. |
| 110. | 79/1993 | पीकॉक पोलीमर्स प्रा. लि. |
| 111. | 88/1993 | शक्ति सोयास लि. |
| 112. | 105/1993 | दि धनलक्ष्मी मिल लि. |
| 113. | 106/1993 | फारट्रान सरकिट इलैक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 114. | 2/1994 | सिरी अनंता उद्योग प्राइवेट लिमिटेड |
| 115. | 30/1994 | सिरी रधनावेल टेक्सटाइल प्रा. लिमिटेड |
| 116. | 46/1994 | इन्डस्ट्रियल डाइमंड इंडिया लिमिटेड |
| 117. | 57/1994 | पुलिकर मिल्स लिमिटेड |
| 118. | 64/1994 | टूल्स इंटरनेशनल लिमिटेड |
| 119. | 65/1994 | संगम एल्यूमिनियम लिमिटेड |
| 120. | 72/1994 | पेंटाशिया केमीकल्स लिमिटेड |
| 121. | 90/1994 | क्रिश ब्राउन वेलडिंग प्रा. लिमिटेड |
| 122. | 93/1994 | टेलिमेटिक्स सिस्टम लिमिटेड |
| 123. | 104/1994 | एलटेक्स रूडी लिमिटेड |
| 124. | 107/1994 | कोगारार काटन एण्ड सिन्थेटिक्स लिमिटेड |
| 125. | 114/1994 | मैक्स स्प्रिंग्स प्रा. लिमिटेड |
| 126. | 121/1994 | ट्रिची स्टील रोलिंग मिल्स लिमिटेड |
| 127. | 122/1994 | एमयेम टेक्सटाइल प्रा. लिमिटेड |
| 128. | 128/1994 | द इंडियन स्टील रोलिंग मिल्स लिमिटेड |
| 129. | 140/1994 | एनोर स्टील इन्टरप्राइजिज लि. |
| 130. | 142/1994 | जगदीश्वरन टेक्सटाइल प्रा. लि. |
| 131. | 172/1994 | टूल्स इंटरनेशनल लि. |
| 132. | 173/1994 | ओरियन्ट विसन लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 133. | 2/1995 | कलाइमगल नटराज पेपर मि. |
| 134. | 10/1995 | डाइनाविसन लि. |
| 135. | 33/1995 | एन.बी. फुटवीयर लि. |
| 136. | 76/1995 | बेस्ट एण्ड क्राम्पटन इन्जी. |
| 137. | 20/1996 | मुरुगनथन मिल्स लि. |
| 138. | 55/1996 | श्री मिनाक्षी मिल्स लि. |
| 139. | 64/1996 | सिग्मा ग्रेनाइट लि. |
| 140. | 82/1996 | कावेरी सुगर्स एण्ड केमिकल्स |
| 141. | 90/1996 | डाइना लेम्प एण्ड ग्लास वर्कस लि. |
| 142. | 9/1997 | रिची ऑयल प्रा. लि. |
| 143. | 40/1997 | मद्रास हाइ टेक सर्किट लि. |
| 144. | 64/1997 | एरगोडान प्रा. लि. |
| 145. | 68/1997 | कोगारार इंटिग्रेटिड फाइबर्स लि. |
| 146. | 69/1997 | कोगारार टेक्स. लि. |
| 147. | 70/1997 | विजयकुमार मिल्स लि. |
| 148. | 75/1997 | प्रदीप ड्रग कं. लि. |
| 149. | 101/1997 | सोलिडेयर इंडिया लि. |
| 150. | 102/1997 | कोंगारार इंटिग्रेटड फाइबर्स लि. |
| 151. | 105/1997 | स्काइलाइन लेदर इंडस्ट्रिज लि. |
| 152. | 106/1997 | मदुरइ सीमेन्ट लि. |
| 153. | 113/1997 | सुमांगला स्टील लि. |
| 154. | 117/1997 | अंबू वाटल एक्सट्रेक्ट प्रा. लि |
| 155. | 127/1997 | बीकान वाइर लि. |
| 156. | 130/1997 | श्री सीथा वेंकटेश मिल्स लि. |
| 157. | 131/1997 | युनाइटेड ब्लीचर्स लि. |
| 158. | 141/1997 | नोवा इलैक्ट्रो मेगनेटिक लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 159. | 152/1997 | अन्नामलाएर टेक्सटाइल प्रा. लि. |
| 160. | 153/1997 | मद्रास इलेसटोमर्स लि. |
| 161. | 175/1997 | प्रदीप ड्रग कं. लि. |
| 162. | 198/1997 | सुष्टि शू लि. |
| 163. | 201/1997 | वाइलाइन ग्लास वर्कस लि. |
| 164. | 202/1997 | संगम एल्यू. लि. |
| 165. | 204/1997 | क्वालिटी स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 166. | 206/1997 | रहान टेलिकोम प्रा. लि. |
| 167. | 211/1997 | श्री सिवाकामी मिल्स लि. |
| 168. | 214/1997 | बिन्नी लि. |
| 169. | 217/1997 | मिको फार्म केमिकल्स लि. |
| 170. | 219/1997 | द जानकीराम मिल्स लि. |
| 171. | 13/1998 | सीथर फूडआइल लि. |
| 172. | 17/1998 | जी.टी.वी. स्पिनस लि. |
| 173. | 24/1998 | लक्ष्मी सिंथेटिक्स मशीनरी मेनूफेक्चर |
| 174. | 46/1998 | उकल पावर सिस्टम लि. |
| 175. | 53/1998 | ओरियंट विजन लि. |
| 176. | 57/1998 | श्री रामकृष्णा स्टील इंडस्ट्रिज लि. |
| 177. | 75/1998 | सज्जन टेक्सटाइल लि. |
| 178. | 76/1998 | किंग्स केमिकलस एण्ड डिस्टिलरिज लि. |
| 179. | 91/1998 | तिरूवेंदूर मुरूहन स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 180. | 96/1998 | कोरोमंडल गारमेंट्स लि. |
| 181. | 103/1998 | द कोएमबटूर पाओनियर मि. लि. |
| 182. | 126/1998 | ओरियन्ट विजन लि. |
| 183. | 143/1998 | प्रोफेश्नल सर्किट बोर्ड लि. |
| 184. | 148/1998 | टी.टी.के. टेक्सटाइल लि. |
| 185. | 150/1998 | नीओ ईटेक्स मिल्स लि. |
| 186. | 151/1998 | डी.सी.एम. हुडाई लि. |
| 187. | 174/1998 | नोवा डाइंग एण्ड प्रिंटिंग मिल्स लि. |
| 188. | 200/1998 | सेंचूरी वूड्स लि. |
| 189. | 205/1998 | मोरगन इंडस्ट्रिज लि. |
| 190. | 209/1998 | तामाराइ मिल्स लि. |
| 191. | 227/1998 | मोनतारी लेदर लि. |
| 192. | 242/1998 | श्री अंबल मिल्स लि. |
| 193. | 245/1998 | जी.के. स्टील एण्ड एलाइड इंडस्ट्रिज लि. |
| 194. | 252/1998 | सलेम टेक्सटाइल लि. |
| 195. | 270/1998 | कामटेक्स कम्पोनेन्ट्स लि. |
| 196. | 279/1998 | गंगाधरम एप्लाइंसेज लि. |
| 197. | 289/1998 | गुरूवयूरपन टेक्सटाइल्स प्रा. लि. |
| 198. | 294/1998 | हदरस इलैक्ट्रो कास्टिंग लि. |
| 199. | 309/1998 | नदियांबल टेक्सटाइल मिल्स लि. |
| 200. | 311/1998 | तंबरापारनी डाइमंड डाइस एण्ड टुल्स लि. |
| 201. | 313/1998 | एल्टेक्स सुपर कोस्टिंग लि. |
| 202. | 330/1998 | फ्लोरा टेक्सटाइल्स लि. |
| 203. | 345/1998 | मद्रास स्पिनर्स लि. |
| 204. | 351/1998 | अरकोट टेक्सटाइल्स लि. |
| 205. | 12/1999 | मद्रास शू फेब्रिक लि. |
| 206. | 21/1999 | रासिपुरम टेक्सटाइल्स लि. |
| 207. | 26/1999 | एलनेट लि. |
| 208. | 40/1999 | किरन ओवरसीज एक्सपोर्ट लि. |
| 209. | 66/1999 | जी.इ.एम. स्पिनर्स इंडिया लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 210. | 79/1999 | अलागिरी स्पिनिंग एण्ड वीवींग प्रा. लि. |
| 211. | 85/1999 | श्री कार्तिक पेपर लि. |
| 212. | 91/1999 | स्वीगी जी मिल्स लि. |
| 213. | 108/1999 | जी ग्रेनाइट्स लि. |
| 214. | 109/1999 | श्री मीनात्थी एल्यूमिनीयम एक्सूसन्ज लि. |
| 215. | 115/1999 | करूर मिल्स लि. |
| 216. | 121/1999 | कोठारी शूगर एण्ड केमिकल्स लि. |
| 217. | 123/1999 | फीरा पैट्रो प्रोडक्ट्स लि. |
| 218. | 133/1999 | श्री वादिवम्बिगाइ टेक्सटाइल मिल्स लि. |
| 219. | 209/1999 | पशुगाइ इरिगेशन लि. |
| 220. | 219/1999 | गर्ग स्टील एण्ड एलायस लि. |
| 221. | 291/1999 | मंगल प्रोसेसिंग मिल्स लि. |
| 222. | 293/1999 | अम्मान वोवन सेक्स लि. |
| 223. | 300/1999 | एसोरपी मिल्स लि. |
| 224. | 301/1999 | अयप्पन टेक्सटाइल्स लि. |
| 225. | 303/1999 | श्री जगन्नाथ टेक्सटाइल लि. |
| 226. | 308/1999 | वर्धालक्ष्मी मिल्स लि. |
| 227. | 309/1999 | श्री रानी लक्ष्मी जीआरजी. एसपीजी. एण्ड वीवींग मिल्स लि. |
| 228. | 314/1999 | गोरी स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 229. | 320/1999 | बोजाराज टेक्सटाइल्स मिल्स लि. |
| 230. | 322/1999 | प्रीमियग ग्रेनाइट्स लि. |
| 231. | 334/1999 | डेनमूर फैक्स रोल लि. |
| 232. | 335/1999 | द जवाहर मिल्स लि. |
| 233. | 337/1999 | जयमुरूगन टेक्सटाइल्स लि. |
| 234. | 338/1999 | सीतालक्ष्मी मिल्स लि. |
| 235. | 371/1999 | मंगल निट्स लि. |
| 236. | 378/1999 | जीतस्टेक्स इन्जी. लि. |
| 237. | 386/1999 | पलानी एण्डावर काटन एण्ड एसवाईएन स्पिनर्स लि. |
| 238. | 394/1999 | द भवानी मिल्स लि. |
| 239. | 399/1999 | श्री कांची स्टील प्रा. लि. |
| 240. | 400/1999 | राम पोलिफाइबर्स लि. |
| 241. | 403/1999 | मैट्रो कार्स्टिंगस लि. |
| 242. | 8/2000 | फिराजे शू लि. |
| 243. | 11/2000 | कुमार पालिकाट मिल्स लि. |
| 244. | 14/2000 | श्री शारदा परमेश्वरी टेक्सटाइल्स लि. |
| 245. | 39/2000 | इंडिया रेडिएटर लि. |
| 246. | 40/2000 | प्रियदर्शिनी फेब्स लि. |
| 247. | 41/2000 | त्रिवेणी एलॉइज लि. |
| 248. | 55/2000 | एआईकैम इंजी. लि. |
| 249. | 60/2000 | समुद्र शू ओवरसीज |
| 250. | 77/2000 | सुमंगल स्पिनिंग मिल्स (प्रा.) लि. |
| 251. | 86/2000 | अनुषा इंटरनेशनल लि. |
| 252. | 91/2000 | देवी स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 253. | 102/2000 | पंबन ऐपरल लि. |
| 254. | 107/2000 | शिवानंदा स्टील्स |
| 255. | 109/2000 | टी.टी.जी. इंडस्ट्रीज लि. |
| 256. | 129/2000 | फीना पेट्रोप्रोडक्ट्स |
| 257. | 137/2000 | सुंदरम स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 258. | 16[illegible]/2000 | टैंटैक एग्रो कैमि. |
| 259. | 188/2000 | किंग्स इंटरनेशनल लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 260. | 199/2000 | जी.टी.के. टैक्सटाइल्स |
| 261. | 243/2000 | एरीना टैक्सटाइल्स एंड एक्सपोर्ट्स लि. |
| 262. | 257/2000 | दि नरसिंह मिल्स लि. |
| 263. | 258/2000 | तमिलनाडु स्टील ट्यूब्स लि. |
| 264. | 265/2000 | श्रीलक्ष्मी इलेक्ट्रोस्मेल्टर्स प्रा. लि. |
| 265. | 267/2000 | बी.वी.वी. पेपर इंडस्ट्रीज लि. |
| 266. | 273/2000 | अधावन प्रोसेसर्स (प्रा.) लि. |
| 267. | 277/2000 | मोहन स्टील्स (मद्रास) प्रा. लि. |
| 268. | 279/2000 | कोंगरार स्पिनर्स लि. |
| 269. | 281/2000 | एस एंड एस पावर स्विचगियर |
| 270. | 284/2000 | विश्व एग्रो एंटरप्राइजेज लि. |
| 271. | 288/2000 | मोहन फेनो एलॉइज प्रा. लि. |
| 272. | 294/2000 | लक्शाना कॉटन स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 273. | 295/2000 | अरुण प्रोसेसर्स लि. |
| 274. | 298/2000 | के.के. कार्बोनेट्स प्रा. लि. |
| 275. | 300/2000 | मद्रास सस्पेंशंस लि. |
| 276. | 301/2000 | वर्मा स्टील एंड फोर्जिंग्स प्रा. लि. |
| 277. | 308/2000 | वेंकट गंगा टैक्सटाइल्स लि. |
| 278. | 311/2000 | श्री राजेन्द्र मिल्स लि. |
| 279. | 318/2000 | सल्जर स्पिनर्स लि. |
| 280. | 327/2000 | रामा क्वालिटीक्स लि. |
| 281. | 331/2000 | लॉयड रॉकफाइबर्स लि. |
| 282. | 332/2000 | सेकल्स लि. |
| 283. | 345/2000 | पंबन एपरल लि. |
| 284. | 351/2000 | एल्कट पावर कंट्रोल्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 285. | 358/2000 | एस एंड एस इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्राइजेस लि. |
| 286. | 359/2000 | ए एंड एफ ओवरसीज लि. |
| 287. | 377/2000 | दिगविजय पालीटैक्स (प्रा.) लि. |
| 288. | 386/2000 | शिवनन्दा पाइप फिटिंग्स लि. |
| 289. | 393/2000 | अन्नामलक स्पिनिंग मिल्स (प्रा.) लि. |
| 290. | 405/2000 | श्री अरविंद स्टील लि. |
| 291. | 414/2000 | थंगवेलू टैक्सटाइल मिल्स (प्रा.) लि. |
| 292. | 421/2000 | अल्सा मरीन एंड हारवेस्ट्स लि. |
| 293. | 12/2001 | श्री उमा परमेश्वरी मिल्स लि. |
| 294. | 19/2001 | एन.बी. फुटवेयर लि. |
| 295. | 23/2001 | बे आर्गेनिक्स लि. |
| 296. | 38/2001 | ब्राइट स्पिनर्स प्रा. लि. |
| 297. | 46/2001 | मंजुला टैक्सटाइल प्रोसेसर |
| 298. | 49/2001 | ट्रांसमेडिका (इंडिया) लि. |
| 299. | 77/2001 | श्री मालिनी स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 300. | 79/2001 | श्री बालासुब्रमण्य मिल्स लि. |
| 301. | 81/2001 | ए.एस. निसार अहमद एंड कं. लि. |
| 302. | 83/2001 | थंगवेलू स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 303. | 89/2001 | एग्री मरीन एक्सपोर्टस लि. |
| 304. | 90/2001 | उमा माहेश्वरी मिल्स लि. |
| 305. | 93/2001 | चिनप्पा स्पिनिंग प्रा. लि. |
| 306. | 95/2001 | श्री विग्नेश्वर कॉटन मिल्स लि. |
| 307. | 98/2001 | श्री वेंकटेश पेपर एंड बोर्ड लि. |
| 308. | 104/2001 | प्रशांत टैक्सटाइल्स लि. |
| 309. | 111/2001 | टी.टी.जी. इंडस्ट्रीज लि. |
| 310. | 123/2001 | साउदर्न स्विचगियर लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 311. | 124/2001 | हैरिटेज पेपर मिल्स लि. |
| 312. | 140/2001 | नवोदय मॉस एंटरप्राइजेस लि. |
| 313. | 141/2001 | जी.के. स्टील्स (कोयंबटोर) लि. |
| 314. | 142/2001 | रैनबा कास्टिंग्स लि. |
| 315. | 144/2001 | रामनाशेखर स्टील्स लि. |
| 316. | 147/2001 | श्री कांची कामाक्षी कॉटन मिल्स (प्रा.) लि. |
| 317. | 148/2001 | पोनी शुगर्स एंड कैमि. लि. |
| 318. | 165/2001 | अर्चना स्पिनर्स |
| 319. | 168/2001 | सलेम टैक्सटाइल्स लि. |
| 320. | 170/2001 | लक्षनम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लि. |
| 321. | 195/2001 | श्री कुमार टैक्सटाइल्स लि. |
| 322. | 204/2001 | भवानी डिस्टिलरीज एंड कैमिकल्स लि. |
| 323. | 239/2001 | तुल्य एलॉय कार्स्टिंग्स लि. |
| 324. | 242/2001 | स्टर्लिंग स्पिनर्स लि. |
| 325. | 252/2001 | श्री नागलक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स लि. |
| 326. | 272/2001 | यूनियन मोटर्स सर्विसेज लि. |
| 327. | 289/2001 | राम पॉलीफाइबर्स |
| 328. | 311/2001 | टैन इंडिया लि. |
| 329. | 313/2001 | श्री शंकु चक्र मिल्स लि. |
| 330. | 321/2001 | आइडियल एक्सपो फैब्रिक्स लि. |
| 331. | 327/2001 | हाइटैक इलेक्ट्रोथर्मिक एंड हाइड्रो-पाउडर लि. |
| 332. | 348/2001 | सूर्यचक्र स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 333. | 371/2001 | सिरुगुप्पा शुगर्स एंड कैमिकल्स |
| 334. | 376/2001 | श्री सरबती स्टील ट्यूब्स लि. |
| 335. | 391/2001 | स्वामिनाथन स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 336. | 395/2001 | कार्तिकेय पेपर एंड बोर्ड लि. |
| 337. | 401/2001 | श्री लक्ष्मी स्पिनर्स लि. |
| 338. | 402/2001 | सिग्नेट स्टील्स लि. |
| 339. | 405/2001 | तपन प्राइस टेक लि. |
| 340. | 408/2001 | भेट्री स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 341. | 410/2001 | गोवर्धन स्पिनर्स लि. |
| 342. | 428/2001 | श्री सरस्वती मिल्स लि. |
| 343. | 434/2001 | हमसावेनी स्पिनर्स (प्रा.) लि. |
| 344. | 435/2001 | सिकोरा सल्वाडोर इंटरनेशनल लि. |
| 345. | 440/2001 | हैदींबा क्रेशंस लि. |
| 346. | 450/2001 | स्वेता इंजिनयरिंग लि. |
| 347. | 460/2001 | कोरोनेशन लिथो वर्क्स लि. |
| 348. | 12/2002 | एस.एस.एम. मिल्स लि. |
| 349. | 24/2002 | श्री कुमाला गनपति स्टील रोलिंग मिल्स |
| 350. | 25/2002 | राजन स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 351. | 56/2002 | गोल्डन विमिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 352. | 57/2002 | एल.के.पी. स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 353. | 67/2002 | पम्बन अपारेल लि. |
| 354. | 71/2002 | शिव उद्योग लि. |
| 355. | 75/2002 | कलाईममी स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 356. | 80/2002 | सेन्थिल आक्सीजन (प्रा.) लि. |
| 357. | 95/2002 | इकोट हाईटेक टूलरूम लि. |
| 358. | 97/2002 | श्री कावेरी अंबल स्टील्स लि. |
| 359. | 102/2002 | पी.एल.आर. टेक्सटाइल्स लि. |
| 360. | 113/2002 | इंडिया पिस्टनस रेपको लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 361. | 120/2002 | गुडविल टीम पेपर्स लि. |
| 362. | 129/2002 | कविकुमार स्पिनिंग मिल्स (प्रा.) लि. |
| 363. | 134/2002 | शौभाग्या स्टील्स लि. |
| 364. | 147/2002 | श्री मिनाक्षी स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 365. | 156/2002 | कास स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 366. | 161/2002 | एस एंड एस पावर स्विचगियर लि. |
| 367. | 165/2002 | मेडटेक प्रोडक्ट्स लि. |
| 368. | 169/2002 | श्री अक्कमल स्टील्स प्रा. लि. |
| 369. | 181/2002 | केथर इंडस्ट्रीज लि. |
| 370. | 193/2002 | थंगाभेल स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 371. | 208/2002 | नवदुर्गा स्पिनिंग लि. |
| 372. | 222/2002 | श्री राजेश्वरी मिल्स लि. |
| 373. | 229/2002 | कोयम्बटूर पोपलर स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 374. | 236/2002 | श्री वेंकटेवरा पेपर एंड बोर्डस लि. |
| 375. | 247/2002 | पोन्नी सूगर (उड़ीसा) लि. |
| 376. | 249/2002 | पेन्टाफर प्रोडक्टस लि. |
| 377. | 250/2002 | उमा माहेश्वरी मिल्स लि. |
| 378. | 270/2002 | सनराइज थंगस स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 379. | 280/2002 | कनकधर स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 380. | 283/2002 | विश्वभारती टेक्सटाइल्स प्रा. लि. |
| 381. | 293/2002 | नैना मोहम्मद एस.पी.एम.जी. मिल्स प्रा. लि. |
| 382. | 298/2002 | अरासम एयर प्रोडक्ट्स प्रा. लि. |
| 383. | 301/2002 | जी.के. स्टील (कोयम्बटूर) प्रा. लि. |
| 384. | 313/2002 | गोवरी स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 385. | 332/2002 | एक्को प्लास्टिक्स लि. |
| 386. | 337/2002 | पेंगुइन अल्कोहल्स प्रा. लि. |
| 387. | 345/2002 | सुब्रामनिया स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 388. | 346/2002 | पेंटाफेर सोली टेक्नोलोजी लि. |
| 389. | 352/2002 | कविया कार्बनस (चेन्नई) प्रा. लि. |
| 390. | 354/2002 | कलाईमनी स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 391. | 356/2002 | अर्चना स्पिनर्स लि. |
| 392. | 363/2002 | राजन स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 393. | 364/2002 | क्वाटम डिजीटल विजन (इंडिया) लि. |
| 394. | 365/2002 | नागराज एंड कंपनी प्रा. लि. |
| 395. | 368/2002 | अमृतालक्ष्मी एस.पी.एन.जी. मिल्स लि. |
| 396. | 372/2002 | चेन्नीमलाई यार्नस् (प्रा.) लि. |
| 397. | 380/2002 | ट्रांसमेडिका (इंडिया) लि. |
| 398. | 384/2002 | बायोमेड हाईटेक इंडस्ट्रीज लि. |
| 399. | 387/2002 | नवोदय इंटरटेनमेंट्स लि. |
| 400. | 404/2002 | अरूण व्यापार उद्योग लि. |
| 401. | 405/2002 | अरूण स्मेल्टर्स लि. |
| 402. | 407/2002 | टेक्सटूल कंपनी लि. |
| 403. | 412/2002 | श्री कुमार टेक्सटाइल (प्रा.) लि. |
| 404. | 419/2002 | तंजावर स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 405. | 434/2002 | आनंद गणपति स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 406. | 438/2002 | वी.एम.एस.वी. एक्सपोर्ट लि. |
| 407. | 439/2002 | इकोट आईटेक टूलरूम लि. |
| 408. | 462/2002 | टी.के.एस. स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 409. | 463/2002 | अकाराभ स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 410. | 485/2002 | श्री सुदर्शन पेपर मिल्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 411. | 9/2003 | कास स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 412. | 23/2003 | श्री नारायणा टेक्सटाइल प्रा. लि. |
| 413. | 49/2003 | एडिसंस प्वाइंट्स एंड केमिकल्स लि. |
| 414. | 50/2003 | हाई-टेक इलेक्ट्रो-थर्मिक्स एंड हाइड्रो-पावर |
| 415. | 65/2003 | नगामई कॉटन मिल्स प्रा. लि. |
| 416. | 70/2003 | देव फास्टनर्स लि. |
| 417. | 71/2003 | मेरिट स्पिनर्स प्रा. लि. |
| 418. | 73/2003 | श्री सरस्वती मिल्स लि. |
| 419. | 82/2003 | ए.एस. निसार अहमद एंड कंपनी लि. |
| 420. | 85/2003 | श्री विशालाक्षी मिल्स प्रा. लि. |
| 421. | 94/2003 | यूटिलिटी एलॉइज प्रा. लि. |
| 422. | 120/2003 | रेगास स्पिनर्स प्रा. लि. |
| 423. | 126/2003 | थंबी मार्डन स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 424. | 129/2003 | भारत टेक्सटाइल एंड प्रूफिंग इंडस्ट्रिज लि. |
| 425. | 135/2003 | अंगु परमेश्वरी टेक्सटाइल (प्रा.) लि. |
| 426. | 138/2003 | आउटोमोटिव कोचेज एंड कंपोनेंट्स लि. |
| 427. | 144/2003 | बालाजी मोडर्न स्पिनर्स लि. |
| 428. | 146/2003 | शन्मुगराजा स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 429. | 154/2003 | द नरसिंहा मिल्स प्रा. लि. |
| 430. | 169/2003 | सूर्यचक्र स्पिनिंग मिल्स (प्रा.) लि. |
| 431. | 170/2003 | कविकुमार स्पिनिंग मिल्स (प्रा.) लि. |
| 432. | 181/2003 | के.के. कार्बोनेट्स प्रा. लि. |
| 433. | 186/2003 | त्रिवेणी एलॉइज लि. |
| 434. | 195/2003 | द कस्तूरी मिल्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 435. | 203/2003 | श्री गुरुनाथर टेक्सटाइल मिल्स प्रा. लि. |
| 436. | 222/2003 | हेरिटेज पेपर मिल्स लि. |
| 437. | 253/2003 | पलानी अंडावर कॉटन एंड सिन. स्पिनर्स लि. |
| 438. | 261/2003 | एच.टी.एल. लिमिटेड |
| 439. | 263/2003 | एस एंड एस पावर स्विचगियर लिमिटेड |
| 440. | 306/2003 | श्री रामीलक्ष्मी जीआईएन, एसपीजी एंड डब्ल्यूई वीवर्ज |
| 441. | 335/2003 | भारत टेक्सटाइल्स एंड प्रूफिंग आईएन डीएस लि. |
| 442. | 344/2003 | मैग्नम पौलीमर्स (इंडिया) लि. |
| 443. | 356/2003 | श्री नित्यकल्याणी टेक्सटाइल्स लि. |
| 444. | 358/2003 | मेटाफिल्मस (इंडिया) लिमिटेड |
| 445. | 373/2003 | करूर श्रीनिधि यार्न मिल्स प्रा. लि. |
| 446. | 384/2003 | शन्मुगराजा स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 447. | 392/2003 | मेडटेक प्रोडक्ट्स लि. |
| 448. | 393/2003 | गांधीमती एप्लाएंसेज लि. |
| 449. | 407/2003 | शार्डलोव इंडिया लि. |
| 450. | 408/2003 | ट्रांसमेडिका (इंडिया) लि. |
| 451. | 411/2003 | एच.टी.एल. लिमिटेड |
| 452. | 421/2003 | मंजारी एपारेल्स लि. |
| 453. | 17/2004 | पंबन एपारेल लि. |
| 454. | 18/2004 | पंबन एपारेल लि. |
| 455. | 47/2004 | निर्मल एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज लि. |
| 456. | 52/2004 | इंडिया मोटोर्स लि. |
| 457. | 63/2004 | द श्री वेंकटेशा मिल्स लि. |
| 458. | 77/2004 | बी.ए.पी.एल. इंडस्ट्रीज लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 459. | 115/2004 | त्रिवेणी एलॉइज लि. |
| 460. | 125/2004 | श्री रामकृष्णा मिल्स (कोयंबटूर) लि. |
| 461. | 130/2004 | एम.एम. रबर कं. लि. |
| 462. | 131/2004 | सनराइज ज्वेलरीज प्रा. लि. |
| 463. | 134/2004 | शिवालोगम स्टील्स प्रा. लि. |
| 464. | 140/2004 | बे ऑर्गेनिक्स लि. |
| 465. | 142/2004 | दास लेगरवे विंड टर्बाइन्स लि. |
| 466. | 148/2004 | हाई टेक इलेक्ट्रोथर्मिक्स एंड हाइड्रो पावर लि. |
| 467. | 150/2004 | थेनामुथ फूड्स प्रा. लि. |
| 468. | 161/2004 | श्री संकेश चक्र मिल्स लि. |
| 469. | 162/2004 | निर्मल ईंसलेशन प्रा. लि. |
| 470. | 183/2004 | एस.एस.डी. स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 471. | 188/2004 | नैना मोहम्मद स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 472. | 189/2004 | राजन रिफाइनरीज प्रा. लि. |
| 473. | 192/2004 | स्टैण्डर्ड स्क्रीन फिल्मस एम.एफ.जी. प्रा. लि. |
| 474. | 207/2004 | एस एंड एस पावर स्विचगियर लि. |
| 475. | 228/2004 | वेंकट सुबास टेक्सटाइल मिल्स प्रा. लि. |
| 476. | 233/2004 | कंपोजिट बोर्डस प्रा. लि. |
| 477. | 245/2004 | अरासन एयर प्रोडक्ट्स प्रा. लि. |
| 478. | 261/2004 | थंगम स्पिनर्स प्रा. लि. |
| 479. | 262/2004 | एच.टी.एल. लि. |
| 480. | 287/2004 | शिरपेट इंडस्ट्रीज लि. |
| 481. | 291/2004 | आईरिस डेवलपमेंट इंजि. एप्लीकेंसस लि. |
| 482. | 313/2004 | राघवेन्द्र स्पिनर्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 483. | 324/2004 | तमिलनाडु टेलीकम्यूनिकेशंस लि. |
| 484. | 333/2004 | वेत्री स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 485. | 341/2004 | सी.पी. स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 486. | 355/2004 | हाईटेक इलैक्ट्रोथर्मिक्स एंड हाइड्रोपावर लि. |
| 487. | 361/2004 | साउदर्न आइस एंड स्टील कंपनि लि. |
| 488. | 365/2004 | पी.टी.के. स्पिनर्स लि. |
| 489. | 384/2004 | यूटिलिटी ऐंलाइज प्रा. लि. |
| 490. | 9/2005 | श्री वलापार स्पिनिंग लि. |
| 491. | 35/2005 | गोवरी स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 492. | 39/2005 | श्वेता इंजिनियरिंग लि. |
| 493. | 47/2005 | क्यू-फ्लेक्स केबल्स लि. |
| 494. | 50/2005 | सिन्धु स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 495. | 52/2005 | एन.आर.यू. स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 496. | 53/2005 | एन.आर.यू. स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. |
| 497. | 70/2005 | पी.एस.एम. स्पिनर्स प्रा. लि. |
| 498. | 72/2005 | अरूण स्मेल्टर्स प्रा. लि. |
| 499. | 82/2005 | ए.आर.के. एंटरप्राइजेज प्रा. लि. |
| 500. | 122/2005 | टानेक्स लेदर लि. |
| 501. | 129/2005 | प्रूडेन्शियल शुगर कारपोरेशन लि. |
| 502. | 130/2005 | साउदर्न लैटेक्स लि. |
| 503. | 131/2005 | शिवा कॉटन मिल्स (इंडिया) प्रा. लि. |
| 504. | 144/2005 | हम्सावेणी स्पिनर्स (प्रा.) लि. |
| 505. | 147/2005 | श्री नारायणा टेक्सटाइल्स प्रा. लि. |
| 506. | 148/2005 | राजापालायम सीमेंट एंड केमिकल्स लि. |
| 507. | 171/2005 | श्री स्नेहावल्ली टेक्सटाइल्स (प्रा.) लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 508. | 7/2006 | मैसर्स श्री राजेश्वरी मिल्स लिमिटेड |
| 509. | 17/2006 | मैसर्स मैजेस्टिक फर्मिसिंग कंपनी लि. |
| 510. | 18/2006 | मैसर्स गुडविल टीम पेपर्स लि. |
| उत्तर प्रदेश | | |
| 1. | 48/1987 | जे.के. सातोह एग्रीकल्चरल मशीन्स लि. |
| 2. | 79/1987 | स्प्रिंग्स इंडिया |
| 3. | 82/1987 | कॉनपोर केमिकल्स वर्क्स लि. |
| 4. | 99/1987 | जयवंती केमिकल्स एंड सोल्वेंटस लि. |
| 5. | 102/1987 | नवाबगंज सूगर मिल्स |
| 6. | 113/1987 | सिस्टम कन्ट्रोल्स एंड ट्रांसफार्मरस लि. |
| 7. | 126/1987 | अपर केमिकल्स लि. |
| 8. | 130/1987 | अजन्ता टेक्सटाइल्स |
| 9. | 137/1987 | श्री वेंकटेश्वरा फ्लोर मिल्स |
| 10. | 150/1987 | मदन इंडस्ट्रीज लि. |
| 11. | 193/1987 | श्री यू.पी. मेटल |
| 12. | 204/1987 | चेम्पियन इंडस्ट्रीज लि. |
| 13. | 209/1987 | महाराष्ट्रा स्टील |
| 14. | 210/1987 | हर्षा ट्रेक्टर लि. |
| 15. | 214/1987 | मोदी स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स |
| 16. | 243/1987 | यूनिवर्सल इंसूल एण्ड सेरेमिक्स |
| 17. | 279/1987 | मयूर सिन्टेक्स |
| 18. | 297/1987 | जे.के. आयरन एण्ड स्टील कम्पनी |
| 19. | 298/1987 | जय सिलण्डर्स |
| 20. | 310/1987 | सिंथेटिक फोम्स लि. |
| 21. | 5/1988 | अपट्रान आनन्द लि. |
| 22. | 29/1988 | मोदी कॉरपेट्स |
| 23. | 38/1988 | श्री सीताराम शुगर कम्पनी |
| 24. | 52/1988 | श्री मंजूषा पेपर मिल्स लि. |
| 25. | 57/1988 | अपर इण्डिया कउपर पेपर लि. |
| 26. | 62/1988 | सिंह इंजिनियरिंग वर्क्स |
| 27. | 67/1988 | गंगा एस्बेस्टोस सीमेंट |
| 28. | 79/1988 | देवरिया शुगर मिल्स |
| 29. | 84/1988 | शिवालिक रसायन |
| 30. | 89/1988 | नयनी आक्सीजन एसेल्टीलेन |
| 31. | 122/1988 | त्रिवेणी मेटल्स ट्यूबस |
| 32. | 130/1988 | मीना स्टील लि. |
| 33. | 176/1988 | एलिफेन्टा ऑयल एण्ड वनस्पति इंडस्ट्री लि. |
| 34. | 178/1988 | गर्ग इंडिया प्रा. लि. |
| 35. | 194/1988 | रत्ना शुगर मिल्स लि. |
| 36. | 223/1988 | जय प्रेसट्रेस्ड प्रोडेक्ट्स लि. |
| 37. | 249/1988 | सेन प्रोसेसिंग एण्ड विविंग |
| 38. | 289/1988 | स्टार पेपर मिल्स लि. |
| 39. | 16/1989 | गैंगेज फर्टिलाइजरस एण्ड केमिकल्स |
| 40. | 27/1989 | मुनाल डिस्टिलरी |
| 41. | 35/1989 | जुग्गीलाल कमलापत जूट मिल्स |
| 42. | 43/1989 | गुप्ता पेपर मिल्स |
| 43. | 59/1989 | पेंटागन स्क्रू |
| 44. | 69/1989 | इंडियन किचन एक्यूपमेंट्स |
| 45. | 97/1989 | शेखर ट्यूबस एण्ड सेक्शन्स |
| 46. | 98/1989 | लक्ष्मी शुगर मिल्स |
| 47. | 132/1989 | एलाइट्स इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 48. | 149/1989 | मोदी स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स |
| 49. | 166/1989 | ऊषा मोइक्रो प्रोसेस कंट्रोल्स |
| 50. | 180/1989 | गोल्डन प्रोटीन्स |
| 51. | 81/1990 | जे.के. कोटन स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स |
| 52. | 91/1990 | प्लास्टिक प्रोडक्ट्स लि. |
| 53. | 98/1990 | कानपुर प्लास्टिक पेक |
| 54. | 105/1990 | राम गंगा फर्टिलाइजर्स |
| 55. | 151/1990 | मोदी इंडस्ट्रिज |
| 56. | 2/1991 | प्रधान लेमिनेशन्स |
| 57. | 3/1991 | ट्रांस एशिया कॉरपेट्स |
| 58. | 34/1991 | भगवती बनास्पति इंडस्ट्रीज लि. |
| 59. | 38/1991 | गाजियाबाद केप्सूल्स लि. |
| 60. | 61/1991 | विशाल सिंटेक्स लि. |
| 61. | 67/1991 | वेल्गा फूड्स लि. |
| 62. | 70/1991 | इंडिया पोलिफाइबर्स लि. |
| 63. | 78/1991 | बारत फोटो सर्किटस लि. |
| 64. | 81/1991 | आमलगीर इंडस्ट्रियल गैसेज लि. |
| 65. | 93/1991 | श्री वेकेटश्वरा फ्लोर मिल्स लि. |
| 66. | 97/1991 | रजा टेक्सटाइल्स लि. |
| 67. | 108/1991 | इसेफटोन एण्ड कम्पनी प्रा. लि. |
| 68. | 109/1991 | मिकन ट्रांसमिशंन लि. |
| 69. | 110/1991 | बिनाटोन इलेक्ट्रोनिक्स लि. |
| 70. | 112/1991 | मिक्को बेटरीज लि. |
| 71. | 130/1991 | मोर वाटर पाइप्स लि. |
| 72. | 139/1991 | इंडिया इंसूलेटर्स लि. |
| 73. | 142/1991 | एम.जी. इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 74. | 148/1991 | सुपर सन लेमिनेशन्स एण्ड प्लास्टिक्स |
| 75. | 150/1991 | क्रेप्री इंटरनेशनल प्रा. लि. |
| 76. | 3/1992 | मोडून स्पिनर्स |
| 77. | 4/1992 | उपासना टेक्सटाइल्स |
| 78. | 25/1992 | मधु चन्द्रा टेक्नो केम कॉम्प्लेक्स प्रा. लि. |
| 79. | 45/1992 | बलराम पुर पेपर एण्ड बोड्स प्रा. लि. |
| 80. | 55/1992 | अलसनत एण्ड कम्पनी लि. |
| 81. | 56/1992 | थ्रेड इंडिया लि. |
| 82. | 60/1992 | विष्णु स्ट्रा बोर्डस लि. |
| 83. | 61/1992 | जैन ट्यूब्स लि. |
| 84. | 75/1992 | मित्तल फर्टिलाइजर्स लि. |
| 85. | 82/1992 | रजा टेक्सटाइल्स लि. |
| 86. | 99/1992 | कौनपुर शुगर वर्क्स लि. |
| 87. | 104/1992 | अपकॉम केबल्स लि. |
| 88. | 5/1993 | कन्हैया पेकागंग प्रा. लि. |
| 89. | 17/1993 | शेरवानी शुगर सिंडिकेट लि. |
| 90. | 36/1993 | सरस्वती स्टील एण्ड एलायज लि. |
| 91. | 55/1993 | अपट्रॉन कलर पिक्चर ट्यूब्स लि. |
| 92. | 57/1993 | सुनील सोल्वेक्स (इंडिया) लि. |
| 93. | 60/1993 | कालिन्दी ब्राइट् स्टील्स एण्ड ट्यूब्स लि. |
| 94. | 71/1993 | जैन फूड प्रोटेक्स लि. |
| 95. | 73/1993 | कारडोला बोर्ड मिल्स प्रा. लि. |
| 96. | 80/1993 | विकास इंडस्ट्रियल गैसेज लि. |
| 97. | 82/1993 | भारत बर्ग लि. |
| 98. | 85/1993 | सिडको लेदर्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 99. | 94/1993 | त्रिमूर्ति फर्टिलाइजर्स लि. |
| 100. | 9/1994 | स्टालियन शॉक्स लि. |
| 101. | 10/1994 | महादेव फर्टिलाइजर लि. |
| 102. | 17/1994 | कारडोला बोर्ड मिल्स प्रा. लि. |
| 103. | 23/1994 | बेस्ट बोर्डस लि. |
| 104. | 24/1994 | स्पेसेलिटी एल्युमिनियम ग्रील्स प्रा. लि. |
| 105. | 31/1994 | प्रकति सिंथेटिक्स लि. |
| 106. | 32/1994 | एस्लोन सिंथेटिक्स लि. |
| 107. | 33/1994 | श्री दुर्गा बंसल फर्टिलाइजर्स लि. |
| 108. | 38/1994 | इंट्रा कंसोलिड इंडिया लि. |
| 109. | 51/1994 | रेनबोज स्टील्स लि. |
| 110. | 60/1994 | रीगल पोलिमर्स लि. |
| 111. | 67/1994 | जैन ट्यूब्स कम्पनी लि. |
| 112. | 71/1994 | आशा एडिबल ऑयल्स प्रा. लि. |
| 113. | 85/1994 | तोशा इंटरनेशनल लि. |
| 114. | 89/1994 | सराया स्टील लि. |
| 115. | 94/1994 | हाइजेनिक फूड्स लि. |
| 116. | 116/1994 | फार्मोस्ट इंडस्ट्रिज इंडिया लि. |
| 117. | 117/1994 | मोहिन्द्रा स्टील ट्यूब्स लि. |
| 118. | 118/1994 | इंडोडन इंडस्ट्रिज लि. |
| 119. | 124/1994 | बी.आर. फूड्स लि. |
| 120. | 126/1994 | गीतांजली पेपर मिल्स |
| 121. | 149/1994 | झुगीलाल कमलापत जूट मिल्स कम्पनी लि. |
| 122. | 170/1994 | परफैक्ट लेटेक्स प्रा. लि. |
| 123. | 175/1994 | श्रीनिवास फर्टिलाइजर्स लि. |
| 124. | 18/1995 | रीगल पोलीमर्स |
| 125. | 21/1995 | ट्राइडेन्ट रेप्स इंडिया लि. |
| 126. | 23/1995 | मुरादाबाद सिंटैक्स |
| 127. | 24/1995 | स्केन्टेल प्रा. लि. |
| 128. | 46/1995 | श्री ध्रुव फ्लोर एण्ड फूड प्रोडक्ट्स लि. |
| 129. | 70/1995 | महेन्द्रा स्टील ट्यूब्स लि. |
| 130. | 85/1995 | हाइजेनिक फूड्स लि. |
| 131. | 91/1995 | तोशा इंटरनेशनल |
| 132. | 96/1995 | इंडियन मेज एण्ड केमिकल्स लि. |
| 133. | 7/1996 | स्वास्तिक टायर्स प्रा. लि. |
| 134. | 14/1996 | यूली मयर्स इंडिया लि. |
| 135. | 23/1996 | एलाईस बोर्ड लि. |
| 136. | 26/1996 | अजन्ता ट्यूब्स लि. |
| 137. | 60/1996 | नीलगिरी सीमेन्ट्स लि. |
| 138. | 62/1996 | सुमेक इंटरनेशनल लि. |
| 139. | 81/1996 | क्लासिक रग्स प्रा. लि. |
| 140. | 87/1996 | राम स्वरूप ऑयल एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज लि. |
| 141. | 26/1997 | सराया शुगर मिल्स लि. |
| 142. | 28/1997 | टैक्नीकास्ट इंजिनियर्स लि. |
| 143. | 50/1997 | कंसोलिडेटिड कंटेनर्स इंडिया लि. |
| 144. | 60/1997 | नोवा उद्योग लि. |
| 145. | 71/1997 | मानसरोवर पेपर एण्ड इंडस्ट्रिज लि. |
| 146. | 89/1997 | सुनील सोल्वेक्स इंडिया लि. |
| 147. | 90/1997 | त्रिवेणी रिफाइंडरी प्रा. लि. |
| 148. | 95/1997 | टैक्नीकास्ट इंजिनियर्स लि. |
| 149. | 132/1997 | सुमेक इंटरनेशनल लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 150. | 148/1997 | सुशीला पल्प एण्ड पेपर्स लि. |
| 151. | 159/1997 | राजिन्दर एलाइंस लि. |
| 152. | 161/1997 | बालाजी स्टील ट्यूब्स एण्ड पाइप्स लि. |
| 153. | 169/1997 | ज्योति एक्ट्रेक्शन्स प्रा. लि. |
| 154. | 185/1997 | आत्मा स्टील्स लि. |
| 155. | 194/1997 | वेजिप्रो फूड्स एण्ड फीड्स लि. |
| 156. | 22/1998 | जे.के. सिंथेटिक्स लि. |
| 157. | 30/1998 | अरिहन्त स्टील एण्ड एलायस |
| 158. | 54/1998 | कोमिट ग्लास लि. |
| 159. | 79/1998 | डी फर्मा लि. |
| 160. | 82/1998 | स्वर्णिमा ऑयल इंडस्ट्रिज लि. |
| 161. | 109/1998 | आर.डी. पेपर्स लि. |
| 162. | 116/1998 | रवेल पेपर्स लि. |
| 163. | 117/1998 | अमृत बनस्पति कम्पनी लि. |
| 164. | 134/1998 | इलेक्ट्रा इंडिया लि. |
| 165. | 146/1998 | किंग्स कोटिंग्स प्रा. लि. |
| 166. | 158/1998 | जैनपुर स्ट्रा बोर्ड्स एण्ड पेपर लि. |
| 167. | 204/1998 | प्रिमियर विनायल फ्लोरिंग लि. |
| 168. | 233/1998 | गर्ग स्टिप्स एण्ड रोलिंग मिल्स लि. |
| 169. | 234/1998 | आर.बी. ट्यूब्स प्रा. लि. |
| 170. | 261/1998 | लूनाव डायमंडस लि. |
| 171. | 262/1998 | विलियर्ड स्टोरेज बेट्री लि. |
| 172. | 302/1998 | हिमगिरी मेटल्स प्रा. लि. |
| 173. | 343/1998 | शेताली पेपर्स लि. |
| 174. | 5/1999 | खलीलाबाग शुगर मिल्स प्रा. लि. |
| 175. | 32/1999 | जैनपुर स्ट्रा बोर्ड्स एण्ड पेपर लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 176. | 34/1999 | फेरम स्टील्स इंडिया लि. |
| 177. | 43/1999 | बिरला ट्रांस एशिया कॉरपेट्स लि. |
| 178. | 44/1999 | अल्फा स्प्रिंगस लि. |
| 179. | 53/1999 | बजाज रिफाइंड ऑयल इंडस्ट्रियल |
| 180. | 99/1999 | अल्फा कास्टिंग प्रा. लि. |
| 181. | 110/1999 | रकन स्टील्स लि. |
| 182. | 129/1999 | फ्रंटियर अलाय स्टील्स लि. |
| 183. | 147/1999 | रामा पेपर मिल्स लि. |
| 184. | 150/1999 | सी.एन.सी. मेटल फोरमिंग लि. |
| 185. | 153/1999 | ध्रुव इंडस्ट्रियल कम्पनी लि. |
| 186. | 156/1999 | माया डुप्लैक्स लि. |
| 187. | 160/1999 | रामस्वरूप इलेक्ट्रिकल्स लि. |
| 188. | 162/1999 | मोहन स्टील्स लि. |
| 189. | 173/1999 | हिमगिरी मेटल्स प्रा. लि. |
| 190. | 180/1999 | यूनीक ब्यूटील ट्यूब इंडिस्ट्रिज प्रा. लि. |
| 191. | 191/1999 | ओम्निडा सेवक लि. |
| 192. | 194/1999 | ज्ञान पेकेजिंग इंडस्ट्रिज प्रा. लि. |
| 193. | 201/1999 | सोनू उद्योग लि. |
| 194. | 207/1999 | संगल पेपर्स लि. |
| 195. | 234/1999 | शेफाली पेपर्स लि. |
| 196. | 236/1999 | रतन बनास्पति लि. |
| 197. | 267/1999 | यमुना एलायज लि. |
| 198. | 272/1999 | सरारे ऑटो मोल्डर्स लि. |
| 199. | 273/1999 | एसबी पेकेजेस लि. |
| 200. | 284/1999 | मिरनपुर पेपर मिल्स लि. |
| 201. | 286/1999 | रोटेक्स इस्पात उद्योग प्रा. लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 202. | 298/1999 | मोदी टेलीफाइबर्स लि. |
| 203. | 305/1999 | केभीम सीमेंट्स लि. |
| 204. | 321/1999 | चौदरा सिंथेटिक्स लि. |
| 205. | 323/1999 | कनन स्टील्स लि. |
| 206. | 344/1999 | शिल्पेक्स लेबोटरिज लि. |
| 207. | 346/1999 | यू.पी. ओरगेनिक्स लि. |
| 208. | 354/1999 | राठी ग्रेफिक टेक्नोलोजी लि. |
| 209. | 63/2000 | रीक्रान सिंथेटिक्स लि. |
| 210. | 66/2000 | सोमानी आयरन एण्ड स्टील्स लि. |
| 211. | 71/2000 | कामाख्या एग्रो इंडस्ट्रिज लि. |
| 212. | 113/2000 | जैनपुर स्ट्रा बोर्ड एण्ड पेपर्स लि. |
| 213. | 123/2000 | हमीरपुर एलायस प्रा. लि. |
| 214. | 154/2000 | यूनीक ब्यूटील ट्यूब्स इंडस्ट्रिज प्रा. लि. |
| 215. | 160/2000 | मीरनपुर पेपर्स मिल्स लि. |
| 216. | 194/2000 | माया डुप्लेक्स लि. |
| 217. | 200/2000 | हिमगिरी मेटल्स प्रा. लि. |
| 218. | 212/2000 | ओसवाल फूड्स लि. |
| 219. | 215/2000 | गोविन्द बनास्पति प्रा. लि. |
| 220. | 245/2000 | यू.पी. ओरगेनिक्स लि. |
| 221. | 287/2000 | अल्फा स्प्रिंग लि. |
| 222. | 321/2000 | विजेप्रो फूड्स एण्ड फिड्स लि. |
| 223. | 350/2000 | कार्तिकेय इस्पात प्रा. लि. |
| 224. | 352/2000 | बिन्दल इंडस्ट्रिज लि. |
| 225. | 355/2000 | ओलम्पिक पेट्रोप्रोडेक्ट्स लि. |
| 226. | 371/2000 | प्रोपेन प्रोडेक्ट्स लि. |
| 227. | 402/2000 | वीनस एक्सट्रेशन प्रा. लि. |
| 228. | 406/2000 | प्रसन्न वील्स प्रा. लि. |
| 229. | 407/2000 | यू.पी. लाइम केम्प लि. |
| 230. | 5/2001 | कामाख्या फ्रेश फूड्स लि. |
| 231. | 26/2001 | सूरज बनास्पति लि. |
| 232. | 34/2001 | मोतीवाला इंडस्ट्रिज लि. |
| 233. | 40/2001 | ओशयनिक मेगनेटिक्स लि. |
| 234. | 51/2001 | गारलोन पोलीफेब इंडस्ट्रिज लि. |
| 235. | 60/2001 | प्रीमियर विनायल फ्लोरिंग लि. |
| 236. | 103/2001 | एन.पी. एग्रो इंडिया इंडस्ट्रिज लि. |
| 237. | 114/2001 | नवीन प्रोजेक्ट्स लि. |
| 238. | 120/2001 | परेरहट स्टील लि. |
| 239. | 150/2001 | एवसोल्यूट अरोमेटिक लि. |
| 240. | 152/2001 | ट्रैकपार्ट्स ऑफ इंडिया लि. |
| 241. | 153/2001 | दीवान टायर्स लि. |
| 242. | 176/2001 | यूनिक ब्यूटाईल ट्यूब इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि. |
| 243. | 178/2001 | मिशनपुर पेपर मिल्स लि. |
| 244. | 191/2001 | अल-हफीज स्पैक्ट्रम ड्रग्स एण्ड फार. प्रा. लि. |
| 245. | 196/2001 | कानन स्टील लि. |
| 246. | 213/2001 | सोमानी आयरन एण्ड स्टील लि. |
| 247. | 266/2001 | यूनाइटेड व्हीहल्स लि. |
| 248. | 274/2001 | माया डुपलैक्स लि. |
| 249. | 332/2001 | स्वास्तिक गीयर्स लि. |
| 250. | 335/2001 | दीवान रबर इंडस्ट्रीज लि. |
| 251. | 351/2001 | भीम सीमेन्ट लि. |
| 252. | 368/2001 | ओसवाल फूड्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 253. | 400/2001 | विकास इंडस्ट्रियल ग्लास लि. |
| 254. | 426/2001 | यमुना एलॉयज लि. |
| 255. | 9/2002 | हिन्द लैम्पस लि. |
| 256. | 69/2002 | रामचरण स्टीलस लि. |
| 257. | 116/2002 | कैलाश ऑटो बिल्डर्स लि. |
| 258. | 127/2002 | रतन वनस्पति लि. |
| 259. | 131/2002 | विद्या पैकेजिंग इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि. |
| 260. | 146/2002 | आशीर्वाद स्टील्स एंड एलॉयज प्रा. लि. |
| 261. | 152/2002 | एशियन फर्टीलाइजर्स लि. |
| 262. | 182/2002 | जे.के. डेयरी एंड फुड्स लि. |
| 263. | 191/2002 | हिन्डन रिवर मिल्स लि. |
| 264. | 234/2002 | हरिओम स्टील प्रा. लि. |
| 265. | 251/2002 | हिन्डन रिवर मिल्स लि. |
| 266. | 257/2002 | रामश्री स्टीलस प्राइवेट लि. |
| 267. | 262/2002 | रिमझिम इस्पात लि. |
| 268. | 273/2002 | एस.बी. पैकेहर्स प्रा. लि. |
| 269. | 292/2002 | क्यू.एस.टी. लिमिटेड |
| 270. | 328/2002 | वीनस लोहा उद्योग लि. |
| 271. | 341/2002 | यू.पी. लाइम कैम लि. |
| 272. | 366/2002 | एल.पी. पेपर्स लि. |
| 273. | 390/2002 | जय जगदम्बा मैलियेबल लि. |
| 274. | 421/2002 | श्री महावीर आयरन इंडस्ट्रीज प्रा. लि. |
| 275. | 431/2002 | सूर्या इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लि. |
| 276. | 436/2002 | शिवांगी स्टील प्रा. लि. |
| 277. | 437/2002 | इन्दर स्टीलस प्रा. लि. |
| 278. | 446/2002 | वैभव कास्टिंग प्रा. लि. |
| 279. | 466/2002 | सापा इलैक्ट्रकल्स लि. |
| 280. | 475/2002 | खुराना पेपर मिल्स प्रा. लि. |
| 281. | 480/2002 | सानडिला मैटल वायर्स प्रा. लि. |
| 282. | 43/2003 | दीवान टायर्स लि. |
| 283. | 61/2003 | आशीर्वाद स्टील्स एंड एलॉयज प्रा. लि. |
| 284. | 136/2003 | विद्या पैकेजिंग इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि. |
| 285. | 147/2003 | एस.बी. पैकेजर्स प्रा. लि. |
| 286. | 160/2003 | यूनाइटेड व्हीलस लि. |
| 287. | 347/2003 | कामाक्सया फ्रैस फुड लि. |
| 288. | 280/2003 | दर्शन ऑयल लि. |
| 289. | 308/2003 | स्पीड रोलर्स प्रा. लि. |
| 290. | 343/2003 | खलालाबाद सुगर मिल्स प्रा. लि. |
| 291. | 351/2003 | हिन्डन रीवर मिल्स लि. |
| 292. | 365/2003 | एगरो पेपर मोल्डर्स लि. |
| 293. | 370/2003 | एग्रो पल्प एंड पेपर्स लि. |
| 294. | 110/2004 | रियल आयरन कम्पनी प्रा. लि. |
| 295. | 153/2004 | मोदी रबर लि. |
| 296. | 160/2004 | ओफिक रिसॉर्टस लि. |
| 297. | 181/2004 | शामकेन सपाइनर्स लि. |
| 298. | 182/2004 | शामकेनर कोटसयन लि. |
| 299. | 195/2004 | कामाख्या एगरो इन्डस्ट्रीज लि. |
| 300. | 217/2004 | जलपाक इंडिया लि. |
| 301. | 224/2004 | ओसवाल फूड्स लि. |
| 302. | 225/2004 | ओसवाल फूड्स लि. |
| 303. | 226/2004 | ओसवाल फूड्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 304. | 239/2004 | महेश डायरी प्रोडक्ट्स (प्रा.) लि. |
| 305. | 290/2004 | पसोंडिया स्टील प्रोकाइल्स लि. |
| 306. | 8/2005 | रियल आयरन कम्पनी प्रा. लि. |
| 307. | 12/2005 | ऑफिक रिसोर्टस लि. |
| 308. | 27/2005 | क्यू.एस.टी. लि. |
| 309. | 103/2005 | जे.पी. मिल्स प्रा. लि. |
| 310. | 142/2005 | द्वारिकाधीश सपिन्नर्स लि. |
| 311. | 26/2006 | मै. श्री ओम ऑयल (इंडिया) लि. |
| **उत्तरांचल** | | |
| 1. | 13/1987 | कॉमेट फिलामेंट इंडिया लि. |
| 2. | 238/1987 | हिमालयन मैग्नेसाइट |
| 3. | 274/1987 | अमिताब टैक्सटाईल |
| 4. | 294/1987 | तारपीना प्रा. लि. |
| 5. | 302/1987 | मैग्नेसाइट एंड मिनरलस |
| 6. | 236/1988 | सरसवती वूलन मिल्स |
| 7. | 102/1989 | ए.आर.सी. सीमेंट आदित्य कैमिकल्स लि. |
| 8. | 56/1991 | आदित्या कैमिकल्स लि. |
| 9. | 119/1991 | फले मोर पॉलिस्टर्स लि. |
| 10. | 86/1992 | बैलवैल स्पिनिंग मिल्स लि. |
| 11. | 8/1994 | अलमोडा मैगनीस्टी लि. |
| 12. | 111/1994 | क्रिस्टल स्टीयरिंग लि. |
| 13. | 112/1994 | ओमनी (इंडिया) लि. |
| 14. | 153/1994 | ए.पी.आर. वेल्स प्रा. लि. |
| 15. | 163/1994 | बिरल यामहा लि. |
| 16. | 15/1995 | पारस मैगनैटिक टैप्स लि. |
| 17. | 57/1995 | ईस्टर्न टैलकॉम एंड टैक लि. |
| 18. | 86/1995 | मौखेजा रबर प्रा. लि. |
| 19. | 87/1995 | मुखेजा टायर्स प्रा. लि. |
| 20. | 99/1995 | बॉनजेन प्लास्ट प्रा. लि. |
| 21. | 59/1996 | सत्या इलैक्ट्रोनिक्स लि. |
| 22. | 61/1996 | विन्कस जर्मल कार्बन लि. |
| 23. | 141/1996 | विवा इनगोट प्राइवेट लि. |
| 24. | 240/1998 | गैमा सेमीकन्डक्टर्स लि. |
| 25. | 64/1999 | वी.आर. पोलीमर्स प्रा. लि. |
| 26. | 282/1999 | दून वैली पाइप्स लि. |
| 27. | 289/1999 | योगी फार्मेसी लि. |
| 28. | 92/2000 | भगवती पॉलीपैक्स एंड कमर्शियल्स प्रा. लि. |
| 29. | 229/2000 | रामा विजन लि. |
| 30. | 343/2000 | योगी फार्मेसी लि. |
| 31. | 7/2001 | ईस्टर इंडस्ट्रीज लि. |
| 32. | 139/2001 | एडीएसएम एग्रो प्रोडक्ट्स लि. |
| 33. | 398/2001 | आरफिक रिसोर्ट लि. |
| 34. | 413/2001 | आर.एम.आई. स्टील्स लि. |
| 35. | 22/2002 | खुशहाल फर्टिलाइजर्स लि. |
| 36. | 40/2002 | हिमगिरि सीमेन्ट कं. प्रा. लि. |
| 37. | 93/2002 | बनवारी पेपर मिल्स लि. |
| 38. | 447/2002 | त्रिसा कार्बोनेट्स एंड कैमिकल्स लि. |
| 39. | 448/2002 | त्रिसाला कार्बोनेट्स एंड कैमिकल्स लि. |
| 40. | 198/2003 | बनवारी पेपर मिल्स लि. |
| 41. | 245/2003 | आरफिक रिर्सोट्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| पश्चिम बंगाल | | |
| 1. | 1/1987 | टीटागढ़ पेपर मिल्स कं. लि. |
| 2. | 9/1987 | हनुमान कॉटन लि. |
| 3. | 11/1987 | कनोरिया जूट |
| 4. | 29/1987 | कंचन ऑयल इंड्स लि. |
| 5. | 35/1987 | टी.पी.सी.आई.एल. लि. |
| 6. | 36/1987 | बज बजू |
| 7. | 66/1987 | पेपीरस पेपर्स |
| 8. | 67/1987 | इंडिया कैपिस्टिर्स लि. |
| 9. | 68/1987 | एम.एम.सी. लि. |
| 10. | 69/1987 | इंडिया हार्ड मैटल्स |
| 11. | 75/1987 | नईहाटी जूट |
| 12. | 77/1987 | दनबार मिल्स लि. |
| 13. | 80/1987 | न्यू सैन्ट्रल जूट मिल्स |
| 14. | 88/1987 | समाल टूल्स मैन्यूफैक्चरिंग |
| 15. | 96/1987 | डलहौजी जूट |
| 16. | 104/1987 | नेपचून पेपर मिल्स लि. |
| 17. | 107/1987 | फोर्ट विलियम कम्पनी |
| 18. | 112/1987 | इंडिया जूट एंड इन्डस. |
| 19. | 117/1987 | एंग्लो इंडिया जूट मिल्स |
| 20. | 121/1987 | इंडिया मशीनरी कम्पनी |
| 21. | 123/1987 | श्री कृष्णा रबड़ |
| 22. | 124/1987 | ए.सी.सी. बैबकाफक लि. |
| 23. | 127/1987 | कलकत्ता जूट मैन्यूफैक्चरिंग |
| 24. | 151/1987 | शालीमार रोप |
| 25. | 153/1987 | टाटा ववया लि. |
| 26. | 154/1987 | अंगुस कम्पनी लि. |
| 27. | 165/1987 | इएपी इंडस्ट्रीज |
| 28. | 177/1987 | कोकास्ट प्रोडक्टस लि. |
| 29. | 186/1987 | मयूराकशी काटन |
| 30. | 190/1987 | हावड़ा मिल्स |
| 31. | 196/1987 | हायलस पेन्टस |
| 32. | 207/1987 | अरविन्द बेनाली लि. |
| 33. | 220/1987 | केलवन जूट कं. लि. |
| 34. | 221/1987 | श्री दुर्गा काटन मिल्स लि. |
| 35. | 223/1987 | नेशनल टेन्नरी कं. लि. |
| 36. | 224/1987 | बंगाल ए.आर.सी. स्टील लि. |
| 37. | 276/1987 | श्री हनुमान जूट |
| 38. | 284/1987 | ओपेक इनोवेशनस |
| 39. | 289/1987 | श्री इंजिनियरिंग प्रोडक्ट्स |
| 40. | 13/1988 | ए.बी.जे. वायरस लि. |
| 41. | 30/1988 | कन्नराराह कं. लि. |
| 42. | 33/1988 | ग्रामोफोन कं. (इंडिया) लि. |
| 43. | 34/1988 | मैटल बाक्स |
| 44. | 41/1988 | कनोडिया विसकोशन |
| 45. | 53/1988 | कोले आयरन एंड स्टील कं. लि. |
| 46. | 71/1988 | कोलमैक कैमिकल्स |
| 47. | 76/1988 | वेवरैस मैकनेइल एंड कम्पनी |
| 48. | 91/1988 | न्यू टोबैको कं. लि. |
| 49. | 98/1988 | शेखर आयरन वर्कस |
| 50. | 99/1988 | ए.बी.सी. प्रोडक्ट्स लि. |
| 51. | 107/1988 | कॉमर्शियल प्रोडक्ट |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 52. | 108/1988 | सुपर सेमी कन्डक्टर |
| 53. | 118/1988 | गौरेपोर कम्पनी रेयरोल्ले बर्न |
| 54. | 128/1988 | रेयरोल्ले बर्न |
| 55. | 135/1988 | डेल्टा जूट |
| 56. | 148/1988 | विक्टोरिया जूट कं. लि. |
| 57. | 150/1988 | सैमनुगुर जूट कं. लि. |
| 58. | 153/1988 | दुर्गापुर मैलियेबल्स |
| 59. | 154/1988 | टीटागढ़ जूट फैक्ट्री लि. |
| 60. | 172/1988 | कलकत्ता सिल्क मैनु. कं. |
| 61. | 185/1988 | रामनुगर कैन (खेतान एग्रो कॉम्पलैक्स) |
| 62. | 189/1988 | मेघना मिल्स |
| 63. | 195/1988 | ऊषा ऑटोमोबाइल्स एंड इंजी. कं. लि. |
| 64. | 199/1988 | नेफा स्टील लि. |
| 65. | 207/1988 | जीवन लाल (1929) लि. |
| 66. | 210/1988 | ए.पी.वी. टैक्समैको |
| 67. | 216/1988 | बंगाल इंगोट कं. लि. |
| 68. | 219/1988 | कोले बिस्कुट्स कं. प्रा. लि. |
| 69. | 222/1988 | बेनी लि. |
| 70. | 229/1988 | डायट्रान (इंडिया) लि. |
| 71. | 240/1988 | प्रबर्तक जूट मिल्स |
| 72. | 244/1988 | शिव शम्भू ब्रान उद्योग |
| 73. | 246/1988 | ईस्टर्न्ड पेपर |
| 74. | 259/1988 | अनन्तपुर टैक्सटाईल्स |
| 75. | 262/1988 | पुरूलिया स्टील लि. |
| 76. | 273/1988 | कुसुम इंजी वर्क्स लि. |
| 77. | 274/1988 | वैबल सेन कैपिस्टर्स लि. |
| 78. | 278/1988 | डेबीके इलैक्ट्रोनिक्स लि. |
| 79. | 279/1988 | बंगाल फैरो ऐंलाप |
| 80. | 294/1988 | हिन्द रिरैक्ट्रीज लि. |
| 81. | 295/1988 | ओरियन्ट स्टील एंड इंडस्ट्रीज लि. |
| 82. | 297/1988 | गुड्डा मिल्स |
| 83. | 3/1989 | ईस्टर्न पेपर मिल लि. |
| 84. | 14/1989 | ईस्ट इंडिया रबर वर्क्स लि. |
| 85. | 15/1989 | ग्राफिटैक इंडिया |
| 86. | 31/1989 | सैबर टूल्स |
| 87. | 41/1989 | श्री गौरी शंकर जूट मिल |
| 88. | 44/1989 | रोलस्पिरिन्ट (पैकेजिंग) लि. |
| 89. | 55/1989 | श्री बजरंग इलैक्ट स्टील |
| 90. | 60/1989 | ग्लोरिया कैमिकल्स |
| 91. | 72/1989 | जैम रिफाइनरीज लि. |
| 92. | 75/1989 | एवरेस्ट पेपर मिल्स |
| 93. | 78/1989 | मोहनी मिल्स |
| 94. | 79/1989 | जय हिन्द इनवैस्टमैंट इंड. |
| 95. | 94/1989 | छंगिया फूड प्रोसेसिंग |
| 96. | 99/1989 | अजन्ता पेपर मिल्स लि. |
| 97. | 101/1989 | हिम कनटैनर्स लि. |
| 98. | 109/1989 | डलहौजी जूट |
| 99. | 122/1989 | युनिवर्सल पेपर मिल्स लि. |
| 100. | 142/1989 | नफ्फार चन्द्रा जूट मिल्स |
| 101. | 159/1989 | अमेरिकन रेफरीजरेटर |
| 102. | 172/1989 | वूलकम्बर्स इंडिया लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 103. | 174/1989 | सुपरिम पेपर मिल्स |
| 104. | 179/1989 | एशियाटिक आक्सीजन |
| 105. | 184/1989 | लाइट मेटल इन्डस्ट्रीयल लि. |
| 106. | 202/1989 | कलकत्ता केमीकल्स कम्पनी |
| 107. | 3/1990 | हिमालया रबर प्रोडक्ट्स लि. |
| 108. | 24/1990 | ईगल लिथोग्राफिंग |
| 109. | 25/1990 | विजय श्री लि. |
| 110. | 28/1990 | अशोक स्टील कार्पोरेशन |
| 111. | 38/1990 | बोवरीआ काटस मिल्स |
| 112. | 39/1990 | गंगेस मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी |
| 113. | 68/1990 | सांकेय व्हीलस |
| 114. | 69/1990 | इंडो जापान स्टील्स |
| 115. | 72/1990 | बंगाल लैम्पस |
| 116. | 75/1990 | हिस्को स्टील |
| 117. | 88/1990 | सिलीगुड़ी स्टील लि. |
| 118. | 107/1990 | इलैक्ट्रिक लैम्पस मैन्यूफैक्चर्स (इंडिया) |
| 119. | 119/1990 | रेकान कास्टिंगस |
| 120. | 122/1990 | इस्टर्न एकसपलोसिव एंड कैमिकल्स लि. |
| 121. | 125/1990 | करेबस एंड सीआईई (इंडिया) |
| 122. | 152/1990 | आशुतोष कास्टिंग्स |
| 123. | 13/1991 | बालाजी स्टील कास्टिंग्स |
| 124. | 20/1991 | बुलकम्पर्स ऑफ इंडिया लि. |
| 125. | 77/1991 | खेतावट कैमीकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लि. |
| .26. | 85/1991 | परफैक्ट एयर प्रोडक्ट्स लि. |
| 127. | 95/1991 | बंगाल एनैमल वर्क्स लि. |
| 128. | 100/1991 | एससीआईएल इंडिया लि. |
| 129. | 106/1991 | कमारहाटी कम्पनी लि. |
| 130. | 121/1991 | बज बज रिफाइनरीज लि. |
| 131. | 136/1991 | न्यू टोबैको कम्पनी लि. |
| 132. | 16/1992 | ग्रांड स्टील एंड अलायस लि. |
| 133. | 17/1992 | दीपीजय लि. |
| 134. | 24/1992 | गुलमोहर पेपर लि. |
| 135. | 94/1992 | सोमानी फैरो अलाया स्टील लि. |
| 136. | 31/1993 | जयश्री फाइबर प्रोडक्ट्स लि. |
| 137. | 68/1993 | मानस फ्लोर मिल्स लि. |
| 138. | 83/1993 | भारतीय कोटेड स्टीलस लि. |
| 139. | 84/1993 | वेबल कम्यूनीकेशन्स इंडस्ट्रीज लि. |
| 140. | 11/1994 | जय इंजिनियरिंग वकर्स लि. |
| 141. | 80/1994 | वेजीटेबलस प्रोडक्टस लि. |
| 142. | 97/1994 | गजानन्द कमर्शियल प्रा. लि. |
| 143. | 159/1994 | इंडो अमेरिकन एली. लि. |
| 144. | 5/1995 | अगरपारा जूट मिल्स लि. |
| 145. | 13/1995 | कलेडोनियन जूट एंड इन्डस्ट्रीज लि. |
| 146. | 31/1995 | डनलप यूसन डीपेपियर इंडिया लि. |
| 147. | 38/1995 | विजय श्री लि. |
| 148. | 44/1995 | द एशियाटिक ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन |
| 149. | 54/1995 | लाइट मैटल इंडस्ट्रीज लि. |
| 150. | 63/1995 | ई.एन.आर. पोलीटैक्स लि. |
| 151. | 66/1995 | मानस फ्लोर मिल्स लि. |
| 152. | 69/1995 | ए.एस. रोटोटैक लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 153. | 81/1995 | शारदा फर्टिलाइजर्स लि. |
| 154. | 89/1995 | चिरंजी कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि. |
| 155. | 92/1995 | वेजीटेबल प्रोडक्ट्स लि. |
| 156. | 25/1996 | नार्थ बंगाल स्ट्रमबोर्ड इंड लि. |
| 157. | 27/1996 | शंकर ट्यूल्स लि. |
| 158. | 78/1996 | एयर कंडीशनिंग कं. लि. |
| 159. | 11/1997 | सैराइकैला ग्लास वर्क्स लि. |
| 160. | 20/1997 | सीरसोल कैमिकल्स लि. |
| 161. | 43/1997 | कालिक पेपर इंडस्ट्रीज प्रा. लि. |
| 162. | 45/1997 | शंकर गैस इंडस्ट्रीज प्रा. लि. |
| 163. | 46/1997 | ऑटो पोली प्लास्ट लि. |
| 164. | 106/1997 | देवरैन्स मैकनिल एंड कं. लि. |
| 165. | 136/1997 | हिन्द वॉयर इंडस्ट्रीज लि. |
| 166. | 155/1997 | वैली एब्रासिव लि. |
| 167. | 173/1997 | कानकैशवर आयरन एंड स्टील कं. प्रा. लि. |
| 168. | 195/1997 | क्राइपटॉन इंडस्ट्रीज लि. |
| 169. | 199/1997 | वैबफिल लि. |
| 170. | 207/1997 | एयर कंडीशनिंग कारपोरेशन लि. |
| 171. | 209/1997 | सिंह एलॉय एंड स्टील लि. |
| 172. | 210/1997 | द बंगाल पेपर मिल्स (1989) कं. लि. |
| 173. | 1/1998 | लैमनोस सीमेन्ट लि. |
| 174. | 14/1998 | डनलप इंडिया लि. |
| 175. | 49/1998 | भिवाडी पॉलीपैक लि. |
| 176. | 55/1998 | वैलमेन इनकैन्डीसैंट इंडिया लि. |
| 177. | 58/1998 | कार्बन कम्पोजिट (इंडिया) लि. |
| 178. | 130/1998 | प्रापको माइनिंग एंड कं. प्रा. लि. |
| 179. | 132/1998 | विश्वा इंडस्ट्रियल कं. प्रा. लि. |
| 180. | 157/1998 | एक्सट्रयूजन (1985) प्रा. लि. |
| 181. | 162/1998 | केडिया कैसटल डैलन इंडस्ट्रीज लि. |
| 182. | 163/1998 | एच.एम.पी. सीमेन्ट लि. |
| 183. | 164/1998 | एच.एम.पी. इंजीनियर्स लि. |
| 184. | 202/1998 | शक्तिगढ टैक्सटाईल एंड इंडस्ट्रीज लि. |
| 185. | 212/1998 | फाउन्ड्री फ्यूल प्रोडक्ट्स लि. |
| 186. | 244/1998 | सरला जैम्स लि. |
| 187. | 273/1998 | न्यूडडिया मिल्स कं. लि. |
| 188. | 293/1998 | कैस्टल ब्रीवरिज लि. |
| 189. | 299/1998 | डाइलैस फोर्ज लि. |
| 190. | 329/1998 | एलाइड रैजिन एंड कैमिकल्स लि. |
| 191. | 337/1998 | जैनिथ एलायज एंड स्टील्स लि. |
| 192. | 350/1998 | डोमिनियॉन कैमिकल इंडस्ट्रीज लि. |
| 193. | 6/1999 | ब्रूकजूट कं. लि. |
| 194. | 19/1999 | टीस्ता एग्रो इंडस्ट्रीज लि. |
| 195. | 30/1999 | कैयक्स फार्मास्यूटिकल्स लि. |
| 196. | 42/1999 | हिफाजत कैमिकल्स लि. |
| 197. | 63/1999 | मैका कविल्ट्स लि. |
| 198. | 65/1999 | के.डी.एल. फार्मा लि. (यूअर वर्थ इंडिया) |
| 199. | 69/1999 | जमशेदपुर सीमेन्ट लि. |
| 200. | 93/1999 | खेतान पेपर मशीनस लि. |
| 201. | 100/1999 | परटैक कम्प्यूटर्स लि. |
| 202. | 117/1999 | अग्रवाल स्टील कॉम्पलैक्स |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 203. | 127/1999 | सनसाईन एग्रो इंडस्ट्रीज लि. |
| 204. | 130/1999 | कोठारी ग्लोबल लि. |
| 205. | 158/1999 | द अमलगामेटड कोलफील्ड्स लि. |
| 206. | 165/1999 | एस.के.जी. कनसोलिडेटड लि. |
| 207. | 184/1999 | ए.जे. ब्रदर्स लि. |
| 208. | 203/1999 | हिन्दुस्तान वायर्स लि. |
| 209. | 221/1999 | एच.एम.पी. सीमेन्ट्स लि. |
| 210. | 235/1999 | सीटा इंडस्ट्रीज लि. |
| 211. | 239/1999 | श्री हनुमान फाउर्डिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड |
| 212. | 258/1999 | अम्बे सनैड ऑक्साईड लि. |
| 213. | 274/1999 | ड्रयूइड फार्मा लि. |
| 214. | 275/1999 | संजय पेपर एंड कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लि. |
| 215. | 281/1999 | वैली रिफ्रेक्टरीज लि. |
| 216. | 326/1999 | जय श्री कैमिकल्स लि. |
| 217. | 336/1999 | इलैक्यू पॉलीस्टर्स लि. |
| 218. | 361/1999 | वैल इंडस्ट्रीज लि. |
| 219. | 364/1999 | ड्यूब्रेमयूल प्रेसमैन लि. |
| 220. | 380/1999 | द इंडिया जूट एंड इंडस्ट्रीज लि. |
| 221. | 390/1999 | इनकैब इंडस्ट्रीज लि. |
| 222. | 393/1999 | द इंडिया जूट एंड इंडस्ट्रीज लि. |
| 223. | 38/2000 | एयर कंडीशनिंग कारपोरेशन लि. |
| 224. | 52/2000 | डयूमरोन टैक्सटाईल्स लि. |
| 225. | 62/2000 | द इम्पायर जूट कम्पनी लि. |
| 226. | 98/2000 | शानप्राकॉन कैमिकल्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 227. | 103/2000 | श्री मैनफैक्चरिंग कं. लि. |
| 228. | 114/2000 | एसोशिएटड पिगमैंट लि. |
| 229. | 125/2000 | मार्डन मैलिएबल लि. |
| 230. | 139/2000 | जी.के.डब्ल्यू. लि. |
| 231. | 159/2000 | यूनिक एकवा फार्मस लि. |
| 232. | 164/2000 | किलबर्न इंजि. लि. |
| 233. | 170/2000 | श्री बद्रीनारायण एलॉय्ज एंड स्टील लि. |
| 234. | 185/2000 | बालमेर लारि फ्रेट कन्टेनर्स लि. |
| 235. | 203/2000 | रैपरो स्कैन इंडिया प्रा. लि. |
| 236. | 218/2000 | मारसन्स टैक्सटाईल लि. |
| 237. | 219/2000 | गजानन्द कमर्शियल प्रा. लि. |
| 238. | 224/2000 | आर.डी.बी. टैक्सटाइल्स लि. |
| 239. | 225/2000 | अरामबाग पेपर मिल्स प्रा. लि. |
| 240. | 234/2000 | मैट्रोपोलह ओवर्सीज लि. |
| 241. | 286/2000 | दीपक इंडस्ट्रीज लि. |
| 242. | 326/2000 | स्टैन्डर्ड इस्पात लि. |
| 243. | 336/2000 | हाडा टैक्साइल इंडस्ट्रीज लि. |
| 244. | 344/2000 | श्री हर आगरा इंडस्ट्रीज लि. |
| 245. | 363/2000 | डेल्टा लि. |
| 246. | 365/2000 | वैली रिफ्रैक्ट्रीज लि. |
| 247. | 388/2000 | ओम स्टील एंड इस्पात उद्योग लि. |
| 248. | 404/2000 | बी एंड एन केमीकल्स लि. |
| 249. | 411/2000 | इम्को सुकाबी फैवरिक्स लि. |
| 250. | 2/2001 | एच.एम.पी. सीमेंट्स लि. |
| 251. | 14/2001 | पीप्लस पेपर्स लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 252. | 25/2001 | एडन कॉस्मेटिक्स लि. |
| 253. | 47/2001 | क्रिएटिव वायर्स लि. |
| 254. | 86/2001 | मेघदूत प्रोजेक्ट्स लि. |
| 255. | 116/2001 | मोनोटाइवर्स इंडिया लि. |
| 256. | 122/2001 | द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लि. |
| 257. | 143/2001 | फोर्ट ग्लोसटर इंडस्ट्रीज लि. |
| 258. | 155/2001 | कलयानपुर सीमेंट लि. |
| 259. | 158/2001 | हिन्दुस्तान डिवेलपमेंट कारपोरेशन लि. |
| 260. | 184/2001 | मैक्सलक्स ग्लास प्रा. लि. |
| 261. | 208/2001 | नेशनल स्टैन्डर्ड डकन लि. |
| 262. | 217/2001 | स्टैंडर्ड फैरो अलाय प्रा. लि. |
| 263. | 244/2001 | एस.के.जी. कन्सोलीडेट्स लि. |
| 264. | 256/2001 | सन क्रोम लि. |
| 265. | 261/2001 | गेपको इन्टरनेशनल लि. |
| 266. | 276/2001 | यूनीवर्थ लि. |
| 267. | 302/2001 | आई.एफ.बी इन्डस्ट्रीज लि. |
| 268. | 309/2001 | क्रिस्टल केवल इंडस्ट्रीज लि. |
| 269. | 325/2001 | पहार गूम्बिआ एक्सपोर्टस लि. |
| 270. | 336/2001 | वरसाटाईल वायर लि. |
| 271. | 354/2001 | सैन्चुरी एक्सटरूशनस लि. |
| 272. | 369/2001 | वालरे कॉरपोरेशन लि. |
| 273. | 381/2001 | इलैक्ट्रीकल मैन्यूफैक्चरिंग कं. लि. |
| 274. | 407/2001 | फोर्ट विलियम इंडस्ट्रीज लि. |
| 275. | 419/2001 | कुसुम प्रोडक्ट्स लि. |
| 276. | 27/2002 | दीपक इन्डस्ट्रीज लि. |
| 277. | 50/2002 | इस्पात प्रोफाइलस इंडिया लि. |
| 278. | 73/2002 | मेकनो पेपर मशीनस लि. |
| 279. | 109/2002 | वैली रिफैक्ट्रीज लि. |
| 280. | 110/2002 | एच.एम.पी. सीमेंट्स लि. |
| 281. | 118/2002 | के.आर.एम. इंटरनैशनल लि. |
| 282. | 124/2002 | एच.एम.पी. पोरबन्दर सीमेंट लि. |
| 283. | 144/2002 | के.पी. बालाइ कामाक्षी चोटियार एंड सन्स प्रा. |
| 284. | 171/2002 | एम.बी. इंडस्ट्रीज लि. |
| 285. | 192/2002 | सुपर फोर्जिंग्स एंड स्टील्स लि. |
| 286. | 201/2002 | क्रिस्टल फैबटैक्स एंड इनवैस्टमैंट प्रा. लि. |
| 287. | 207/2002 | यूनिवर्थ टैक्सटाईल्स प्रा. लि. |
| 288. | 220/2002 | लिंगराज राइस मिल्स प्रा. लि. |
| 289. | 297/2002 | कैटला टी कम्पनी प्रा. लि. |
| 290. | 324/2002 | हनुमान टी कम्पनी लि. |
| 291. | 333/2002 | मैट्रोपोलि ओवरसीज लि. |
| 292. | 347/2002 | टैक्सप्रिंट ओवरसीज लि. |
| 293. | 378/2002 | यूनिवर्थ लिमिटेड |
| 294. | 382/2002 | बैको इंडस्ट्रीज लि. |
| 295. | 385/2002 | मैट्रोपोलि ओवरसीज लि. |
| 296. | 391/2002 | ड्यूरोपालिप्रीन लि. |
| 297. | 15/2003 | द हेमालता टैक्सटाइल्स लि. |
| 298. | 18/2003 | जुपिटर रबर प्रा. लि. |
| 299. | 33/2003 | लिंगराज ऑयल इंडस्ट्रीज लि. |
| 300. | 36/2003 | बिलासपुर बारयूट्स एंड कैमिकल्स प्रा. लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 301. | 59/2003 | ईस्ट इंडिया उद्योग लि. |
| 302. | 84/2003 | दातरे कारपोरेशन लि. |
| 303. | 98/2003 | जी.बी. प्लास्टोकैमू प्रा. लि. |
| 304. | 102/2003 | कवैली रिफ्रैक्टरीज लि. |
| 305. | 103/2003 | कैलसिनर इंडिया लि. |
| 306. | 133/2003 | बैल्स कन्ट्रोल लि. |
| 307. | 155/2003 | एम.बी. इंडस्ट्रीज लि. |
| 308. | 205/2003 | श्री गोविन्ददियो ग्लास वर्क्स लि. |
| 309. | 231/2003 | आई.सी. टैक्सटाईल्स लि. |
| 310. | 237/2003 | मिका क्विलट्स लि. |
| 311. | 255/2003 | बंगाल सिलेन्डरस एंड कन्टेनर्स (प्रा.) लि. |
| 312. | 267/2003 | प्यूपलस पेपर्स लि. |
| 313. | 289/2003 | खजाना एग्रीकल्चरल एक्यूपमैंटस लि. |
| 314. | 301/2003 | कन्नोई पेपर एंड इंडस्ट्रीज लि. |
| 315. | 303/2003 | सुपर फोर्जिगस एंड स्टील्स लि. |
| 316. | 322/2003 | मैकनिल इंजीनियर्स लि. |
| 317. | 333/2003 | यूनिवर्थ टैक्सटाइल्स लि. |
| 318. | 334/2003 | यूनिवर्थ लि. |
| 319. | 367/2003 | मिका क्विलट्स लि. |
| 320. | 382/2003 | हनुमान टी कम्पनी लि. |
| 321. | 395/2003 | जैनशन एंड निकाल्सन (इंडिया) लि. |
| 322. | 406/2003 | वैली रिफ्रैक्टरीज लि. |
| 323. | 417/2003 | टैक्सप्रिंट ओवर्सीज लि. |
| 324. | 16/2004 | के.पी. बालाकामाक्षी चैटियार एंड सन्स प्रा. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 325. | 43/2004 | कन्सीलीडेटड फाइनरस एंड केमीकल्स लि. |
| 326. | 62/2004 | इस्पात प्रोफाइलस इंडिया लि. |
| 327. | 76/2004 | इस्ट इंडिया उद्योग लि. |
| 328. | 78/2004 | आरामबाग पेपर मिल्स प्रा. लि. |
| 329. | 102/2004 | एम.पी. कॉटसथिन लि. |
| 330. | 117/2004 | शालीमार वायर इन्डस्ट्रीज लि. |
| 331. | 154/2004 | ऑक्सफोर्ड प्रोसैसर्स (प्रा.) लि. |
| 332. | 159/2004 | गीन्टरमान पेइपर्स (इंडिया) लि. |
| 333. | 171/2004 | एसोशिएटड पिग्मैंट्स लि. |
| 334. | 196/2004 | विकटरी आयरन वर्कस लि. |
| 335. | 198/2004 | विलासपुर कारबाइटे प्रा. लि. |
| 336. | 206/2004 | डौलफिन लेबोरेट्रीज लि. |
| 337. | 212/2004 | स्टैन्डर्ड इस्पात लि. |
| 338. | 218/2004 | बी.टी. कम्पोजिट लि. |
| 339. | 230/2004 | इम्पीरियल ट्यूब्स (प्रा.) लि. |
| 340. | 231/2004 | इस्ट्रन फाइबर इन्डस्ट्रीज लि. |
| 341. | 235/2004 | चौवहान एक्सपोर्टस लि. |
| 342. | 247/2004 | अनताइ बालाजी लि. |
| 343. | 266/2004 | ताई चोनबाग टैक्सटाईल इन्डस्ट्रीज लि. |
| 344. | 270/2004 | यूनीवर्थ लि. |
| 345. | 274/2004 | यूनीवर्थ टैक्सटाइल मिल्स लि. |
| 346. | 283/2004 | केसोराम टैक्सटाइल मिल्स लि. |
| 347. | 302/2004 | द इम्पायर जूट कं. लि. |
| 348. | 334/2004 | के.सी. बालाकामाक्षी चेल्यिार एंड संस प्राइवेट |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 349. | 356/2004 | इस्ट इंडिया उद्योग लि. |
| 350. | 357/2004 | विक्टरी कास्टिंग्स लि. |
| 351. | 358/2004 | हनुमान टी कम्पनी लि. |
| 352. | 375/2004 | नकेनो पेपर मशीनस लि. |
| 353. | 11/2005 | वैली रिफैक्ट्रीज लि. |
| 354. | 19/2005 | ऑक्सफोर्ड प्रोशैसर्स प्रा. लि. |
| 355. | 43/2005 | कानोइ पेपर एंड इन्डस्ट्रीज लि. |
| 356. | 68/2005 | श्री फैलटस प्रा. लि. |
| 357. | 76/2005 | चोवहान एक्सपोर्टस लि. |
| 358. | 79/2005 | इस्पात प्रोफाइलस इंडिया लि. |
| 359. | 80/2005 | महालक्ष्मी फाइवरस एंड इंडस्ट्रीज लि. |
| 360. | 155/2005 | ग्लोबल सीमेंट्स लि. |
| 361. | 156/2005 | पहारगुमिआ एक्सपोर्टस लि. |
| 362. | 170/2005 | पहारगुमिआ टी एसोसिएशन लि. |
| 363. | 172/2005 | पीप्लस पेपर मिल्स लि. |
| 364. | 8/2006 | मै. इंडिया फॉयलस लि. |
| 365. | 28/2006 | मै. द कलकत्ता फोटोटायप कम्पनी लि. |
| असम | | |
| 1. | 222/1987 | अशोक पेपर मिल्स लि. |
| 2. | 14/1991 | कुण्डा वुड प्रोडक्ट्स लि. |
| 3. | 113/1991 | असम वैलीप्लाइपुड प्रा. लि. |
| 4. | 22/1996 | कामरूप रूफिंग |
| 5. | 87/1997 | नीसैम सीमेन्ट्स लि. |
| 6. | 52/1998 | शक्ति ट्यूब्स एंड इंडस्ट्रीज लि. |
| 7. | 124/1998 | अमीन्स एंड प्लास्टिसाइजर्स लि. |
| 8. | 352/1990 | अमरोंगसो सीमेन्ट लि. |

| क्र.सं. | मामला सं. | कंपनी |
|---|---|---|
| 9. | 15/2000 | द असम ट्यूब्स लि. |
| 10. | 160/2001 | नैशनल प्लाइवुड इंडस्ट्रीज लि. |
| 11. | 297/2001 | जोरहॉट ग्रुप लि. |
| 12. | 446/2001 | एम.पी.एस. इंडिया प्राइवेट लि. |
| 13. | 259/2003 | नैशनल प्लाइवुड इंडस्ट्रीज लि. |
| 14. | 32/2005 | ईस्टर्न स्पिनिंग मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. |

**पिछड़े क्षेत्रों को विशेष अधिकार**

**956. श्री मणी कुमार सुब्बा:** क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स आर्गनाइजेशन के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु कतिपय विशेष अधिकारों की मांग के संबंध में प्रधान मंत्री से मुलाकात की थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त संगठन को क्या सहायता उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) और (ख) जी, हां। पूर्वोत्तर छात्र संगठन (एन.ई.एस.ओ.) का एक प्रतिनिधि मंडल 17-06-06 को प्रधानमंत्री से मिला और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लोगों के लिए शिक्षा और एच.आर.डी., मानव अधिकारों और शांति प्रक्रिया, अंतरराज्य बीमा मामले, सेल्युलर सेवाओं से संबंधित मामले तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के लिए विशेष संवैधानिक स्तर के लिए एक ज्ञापन दिया।

(ग) केंद्रीय सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में शांति और विकास को अपेक्षित महत्व दे रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग के स्तरोन्नायन इस दिशा में एक कदम था। केंद्रीय मंत्रालय विभाग उन्हें छोड़कर जिसे विशेष रूप से छूट प्राप्त है, को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अपने बजट सहायता (जी.बी.एस.) का कम से कम 10 प्रतिशत निर्धारित करना अपेक्षित होता है। इस आबंटन का खर्च न हुआ शेष अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एन.एल.सी.पी.आर.) को अन्तरित किया जाता है जिसका उपयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवस्थापना विकास के लिए किया जाता है। जहां तक संगठन को किसी सहायता का संबंध है, इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

### राष्ट्रीय पटसन नीति

**957. श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पटसन नीति, 2005 को ध्यान में रखते हुए पटसन क्षेत्र के निष्पादन का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नीति के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):** (क) जी, हां। सरकार ने पटसन क्षेत्र के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया है और राष्ट्रीय पटसन नीति, 2005 के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है।

(ख) पटसन प्रौद्योगिकी मिशन (जे.टी.एम.) शुरू करने और राष्ट्रीय पटसन बोर्ड स्थापित करने के अनुमोदन के संबंध में मंत्रिमंडल द्वारा संबंधित मंत्रालयों के साथ व्यापक परामर्श और संबंधित कारकों की गहन समीक्षा के बाद निर्णय ले लिया गया है। जुलाई 2005 में प्रकाशित पटसन प्रौद्योगिकी मिशन के व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) ज्ञापन में पटसन क्षेत्र की शक्ति, कमियों, अवसरों और आशंकाओं का (ए.डब्ल्यू.ओ.टी.) का पता लगाते हुए पटसन क्षेत्र की विस्तृत समीक्षा की व्यवस्था है। तदनुसार पटसन क्षेत्र की सभी बुराइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पटसन नीति, 2005 में लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय पटसन नीति, 2005 में उल्लिखित अनेक लक्ष्यों में से कुछ कार्यान्वित कर दिए गए है और अन्य को किया जा रहा है। जे.टी.एम. प्रचालित किए जाने की प्रक्रिया में है और राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, की स्थापना का मामला, जिससे समग्र रूप से पटसन क्षेत्र का एकीकृत विकास समकालिक और सहक्रियाशील होगा, एक विधेयक के रूप में पहले ही संसद के समक्ष है। राष्ट्रीय प्राकृतिक फाइबर संस्थान और राष्ट्रीय पटसन एवं पटसन वस्त्र संग्रहालय की स्थापना के मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

### हस्तशिल्प का विकास

**958. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने हस्तशिल्प के विकास संबंधी प्रस्ताव/परियोजनाएं केन्द्र सरकार को भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा क्या सहायता उपलब्ध कराई गई है/कराई जानी है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):** (क) हस्तशिल्पों के संवर्धन और विकास की स्कीमें केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें हैं और इनमें राज्य सरकारों को सीधे कोई सहायता देने की परिकल्पना नहीं की गई है। ये स्कीमें सहायता अनुदान स्कीमें हैं और इनका कार्यान्वयन राज्य हस्तशिल्प विकास निगमों/शीर्ष समितियों तथा गैर-सरकारी संगठनों आदि के माध्यम से किया जा रहा है। तथापि, कुछ प्रस्तावों/परियोजनाओं में राज्य सरकारों की सिफारिशें भी प्राप्त होती हैं।

(ख) से (घ) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए राज्य सरकार की सिफारिशों के साथ प्राप्त प्रस्तावों/परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा, उन पर की गई कार्रवाई और दी गई सहायता/दी जाने वाली सहायता संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

*विवरण*

| क्र. सं. | वर्ष | राज्य का नाम | प्रयोजन | की गई कार्रवाई | मुहैया कराई गई/मुहैया कराई जाने वाली धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 2005-06 | त्रिपुरा | त्रिपुरा में हस्तशिल्प विकास के अध्ययन के लिए | प्रक्रिया में | 5.00 लाख रुपये मुहैया कराई जाने वाली धनराशि। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 2005-06 | उत्तर प्रदेश | रामपुर में शहरी हाट की स्थापना के लिए | स्वीकृत | 140.00 लाख रुपये मुहैया कराई जाने वाली धनराशि। |
| | | | | | 35.00 लाख रुपये मुहैया कराई गई धनराशि। |
| 3. | 2005-06 | उत्तर प्रदेश | बरेली में शहरी हाट की स्थापना के लिए | स्वीकृत | 140.00 लाख रुपये मुहैया कराई जाने वाली धनराशि। |
| | | | | | 35.00 लाख रुपये मुहैया कराई गई धनराशि। |
| 4. | 2005-06 | गोवा | पणजी में शहरी हाट की स्थापना के लिए | स्वीकृत | 140.00 लाख रुपये मुहैया कराई जाने वाली धनराशि। |
| 5. | 2005-06 | राजस्थान | जयपुर में शहरी हाट की स्थापना के लिए | स्वीकृत | 140.00 लाख रुपये मुहैया कराई जाने वाली धनराशि। |
| | | | | | 70.00 लाख रुपये मुहैया कराई गई धनराशि। |
| 6. | 2005-06 | छत्तीसगढ़ | राज्य द्वारा उपक्रमित डिजाइन केंद्र की स्थापना | प्रक्रिया में | अभी अंतिम रूप दिया जाना है। |
| 7. | 2005-06 | नागालैंड | राज्य द्वारा उपक्रमित डिजाइन केंद्र की स्थापना | प्रक्रिया में | अभी अंतिम रूप दिया जाना है। |
| 8. | 2005-06 | नागालैंड | संग्रहालय की स्थापना | प्रक्रिया में | अभी अंतिम रूप दिया जाना है। |
| 9. | 2005-06 | उत्तर प्रदेश | राज्य द्वारा उपक्रमित डिजाइन केंद्र की स्थापना | प्रक्रिया में | अभी अंतिम रूप दिया जाना है। |
| 10. | 2006-07 | उत्तरांचल | काष्ठ हस्तशिल्पों के निर्यात को सुसाध्य बनाने के लिए काष्ठ का प्रमाणीकरण | स्वीकृत | 10.00 लाख रुपये मुहैया कराई जाने वाली धनराशि। |
| 11. | 2006-07 | उत्तर प्रदेश | झांसी में शहरी हाट की स्थापना के लिए | प्रक्रिया में | अभी अंतिम रूप दिया जाना है। |
| 12. | 2006-07 | बिहार | पटना में शहरी हाट की स्थापना के लिए | प्रक्रिया में | अभी अंतिम रूप दिया जाना है। |

**खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 50 वर्ष पूरे किए जाने संबंधी समारोह**

**959. श्री सुबोध मोहिते:** क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने संगठन द्वारा 50 वर्ष पूरे किए जाने संबंधी समारोह को आयोजित करने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा क्रियान्वित राज्य-वार नए कार्यक्रम क्या हैं; और

(घ) युवाओं को स्व-रोजगार दिलाने हेतु सरकार द्वारा क्या पहल की गई है?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद):** (क) और (ख) हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की पुनः स्थापना की गई है, आयोग के 50 वर्ष पूरे किए जाने संबंधी समारोह की योजना को अब तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) सरकार ने हाल ही में वर्ष 2005-06 से शुरू करके पांच वर्षों में खादी, ग्रामीण और कॅयर उद्योगों के 100 क्लस्टरों में परम्परागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (एस.एफ.यू.आर.टी.आई.) के क्रियान्वयन के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। स्कीम में सामान्य सुविधा केन्द्रों (सी.एफ.सी.) की स्थापना, गुणवत्ता सुधार, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण, नए उत्पादों के विकास, सुधरी हुई पैकेजिंग, नए डिजाइन, विपणन संवर्धन इत्यादि के लिए सहायता की परिकल्पना की गई है।

(घ) सरकार, देश में अतिरिक्त रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए दो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीमों, अर्थात् (i) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) तथा (ii) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) का क्रियान्वयन कर रही है। इन दोनों कार्यक्रमों का एक मुख्य उद्देश्य प्रत्येक राज्य के स्थानीय (ग्रामीण और शहरी) क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार अवसर के सृजन की सुविधा प्रदान करना है। आर.ई.जी.पी. का कार्यान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से, 20,000 तक की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे कस्बों में ग्रामोद्योगों की स्थापना करने में पात्र आवेदकों की सहायता करने के लिए तथा पी.एम.आर.वाई. का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए किया जाता है।

*[हिन्दी]*

**राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्षेत्राधिकार**

**960. श्री कैलाश बैठा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्षेत्राधिकार क्या है;

(ख) क्या आयोग के पास मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की शक्ति है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ध्यान में लाए गए अत्याचारों की प्रकृति राज्य-वार और अत्याचार-वार क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) का क्षेत्राधिकार पूरे भारत में विस्तारित है। तथापि, जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में, क्षेत्राधिकार संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची-I या सूची-III में बताई गई किसी भी प्रविष्टि, जो उस राज्य पर लागू होती है, से संबंधित मामले तक विस्तारित है। आयोग का क्षेत्राधिकार, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 36 द्वारा सीमित किया गया है और आयोग ऐसे किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकता है जो राज्य आयोग या अन्य किसी आयोग के समक्ष लंबित है। मानवाधिकार 'आयोग, उस तिथि, जिसको मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन का कृत्य हुआ है, से एक वर्ष बीत जाने के पश्चात् ऐसे किसी मामले की भी जांच नहीं कर सकता है।

(ख) एन.एच.आर.सी., दोषी लोक सेवक के विरुद्ध, मानवाधिकारों के उल्लंघन के सही पाए गए प्रत्येक मामले में, उचित सिफारिशें कर सकता है। तथापि, इसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई संबंधित सरकार द्वारा की जानी अपेक्षित है।

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान राज्य-वार और अत्याचार-वार दर्ज शिकायतों की संख्या दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(घ) प्राप्त सभी शिकायतों पर विचार किया गया है और प्रत्येक मामले में, क्रियाविधि विनियमनों के साथ पठित अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त आदेश पारित किए गए।

**विवरण**

| क्र. सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | बच्चों संबंधी मुद्दे | | | स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे | | | जेल संबंधी मुद्दे | | | न्यायपालिका | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2003-04 | 04-05 | 05-06 | 2003-04 | 04-05 | 05-06 | 2003-04 | 04-05 | 05-06 | 2003-04 | 04-05 | 05-06 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 16 | 16 | 13 | 15 | 16 | 16 | 121 | 124 | 141 | 20 | 13 | 17 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | – | – | – | – | – | 03 | 02 | – | – | – | – |
| 3. | असम | 1 | – | – | – | 01 | 06 | 19 | 14 | 31 | 07 | – | 01 |
| 4. | बिहार | 19 | 33 | 16 | 26 | 24 | 23 | 210 | 203 | 324 | 46 | 24 | 25 |
| 5. | गोवा | – | – | – | – | – | 01 | – | 04 | 06 | 01 | 01 | – |
| 6. | गुजरात | 05 | 10 | 02 | 03 | 14 | 10 | 55 | 59 | 54 | 38 | 41 | 15 |
| 7. | हरियाणा | 08 | 11 | 09 | 13 | 24 | 20 | 90 | 94 | 93 | 32 | 23 | 18 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | – | – | 01 | 04 | – | 01 | 06 | 10 | 09 | 01 | 06 | – |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | 1 | 01 | 02 | 01 | 03 | 03 | 01 | 02 | 03 | – | – | 01 |
| 10. | कर्नाटक | 04 | 09 | 07 | 06 | 05 | 05 | 74 | 65 | 85 | 13 | 13 | 07 |
| 11. | केरल | 02 | 01 | 04 | 03 | 09 | 07 | 54 | 55 | 51 | 09 | 07 | 05 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 08 | 15 | 26 | 22 | 27 | 34 | 77 | 81 | 63 | 44 | 30 | 32 |
| 13. | महाराष्ट्र | 138 | 207 | 166 | 21 | 27 | 09 | 242 | 162 | 137 | 36 | 24 | 23 |
| 14. | मणिपुर | – | – | – | – | 01 | 02 | – | – | – | – | 01 | – |
| 15. | मेघालय | – | – | – | – | – | – | 03 | 06 | 04 | – | – | – |
| 16. | मिजोरम | – | – | – | – | – | 01 | 02 | – | 01 | – | – | – |
| 17. | नागालैंड | 01 | – | – | – | – | – | 01 | – | – | – | – | – |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. उड़ीसा | 17 | 11 | 09 | 37 | 12 | 08 | 85 | 56 | 55 | 20 | 08 | 18 |
| 19. पंजाब | 05 | 06 | – | 07 | 13 | 11 | 105 | 84 | 134 | 17 | 10 | 10 |
| 20. राजस्थान | 9 | 13 | 16 | 19 | 27 | 32 | 99 | 104 | 91 | 21 | 20 | 23 |
| 21. सिक्किम | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22. तमिलनाडु | 10 | 13 | 11 | 13 | 15 | 14 | 128 | 108 | 113 | 29 | 27 | 29 |
| 23. त्रिपुरा | – | – | – | – | 01 | – | 03 | 04 | 04 | 02 | – | – |
| 24. उत्तर प्रदेश | 84 | 85 | 121 | 233 | 291 | 239 | 440 | 461 | 487 | 200 | 136 | 108 |
| 25. पश्चिम बंगाल | 05 | 05 | 22 | 24 | 45 | 12 | 58 | 90 | 79 | 01 | 07 | 04 |
| 26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | – | – | 01 | – | 01 | – | 01 | 01 | 02 | – | – | – |
| 27. चंडीगढ़ | – | – | 01 | – | 06 | 07 | 07 | 04 | 05 | 02 | 04 | 02 |
| 28. दादरा और नगर हवेली | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29. दमन और दीव | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30. दिल्ली | 39 | 42 | 47 | 52 | 61 | 84 | 96 | 91 | 78 | 23 | 37 | 28 |
| 31. लक्षद्वीप | – | – | – | 02 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32. पांडिचेरी | – | – | – | 02 | 01 | 02 | 03 | 01 | 01 | 01 | – | 01 |
| 33. छत्तीसगढ़ | 01 | 01 | 04 | 04 | 02 | 06 | 43 | 30 | 55 | 03 | 06 | 01 |
| 34. झारखंड | 07 | 15 | 06 | 15 | 14 | 11 | 84 | 95 | 88 | 15 | 11 | 15 |
| 35. उत्तरांचल | 04 | 08 | 07 | 15 | 09 | 12 | 22 | 20 | 28 | 09 | 11 | 05 |
| 36. अखिल भारत | – | – | 01 | – | – | 01 | – | – | – | – | – | 01 |
| 37. भारत से बाहर | – | – | 04 | 01 | 01 | 01 | 07 | 03 | 04 | 01 | – | – |

| क्र. सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | समाज-विरोधी/अतिवादी | | | श्रमिक | | | अल्पसंख्यकों से भेदभाव | | | पुलिस | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2003-04 | 04-05 | 05-06 | 2003-04 | 04-05 | 05-06 | 2003-04 | 04-05 | 05-06 | 2003-04 | 04-05 | 05-06 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 51 | 49 | 32 | 30 | 08 | 05 | 13 | 06 | 04 | 288 | 324 | 212 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 02 | 01 | 01 | – | – | – | – | – | – | 08 | 03 | 06 |
| 3. | असम | 08 | 05 | 07 | 01 | 02 | – | 01 | 01 | – | 42 | 33 | 36 |
| 4. | बिहार | 144 | 196 | 101 | 11 | 13 | 08 | 26 | 06 | 17 | 1683 | 1325 | 1395 |
| 5. | गोवा | – | 01 | – | – | 03 | 02 | – | – | 01 | 22 | 12 | 14 |
| 6. | गुजरात | 32 | 34 | 21 | 19 | 18 | 17 | 38 | 40 | 08 | 386 | 300 | 178 |
| 7. | हरियाणा | 155 | 259 | 298 | 68 | 69 | 69 | 11 | 06 | 06 | 1321 | 1168 | 1218 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 03 | 01 | 02 | 03 | 42 | 40 | 29 |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | 05 | 01 | 07 | – | 01 | 01 | – | – | 01 | 47 | 35 | 34 |
| 10. | कर्नाटक | 32 | 26 | 22 | 21 | 14 | 04 | 05 | 03 | 04 | 171 | 150 | 140 |
| 11. | केरल | 13 | 13 | 10 | 07 | 02 | 03 | 01 | 03 | 02 | 48 | 39 | 33 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 125 | 245 | 182 | 22 | 22 | 43 | 14 | 09 | 11 | 556 | 534 | 578 |
| 13. | महाराष्ट्र | 114 | 96 | 37 | 60 | 27 | 25 | 22 | 16 | 09 | 666 | 334 | 273 |
| 14. | मणिपुर | 02 | 04 | 05 | – | – | – | – | – | – | 03 | 09 | 05 |
| 15. | मेघालय | – | – | – | – | – | 01 | – | – | – | 07 | 03 | 05 |
| 16. | मिजोरम | – | – | 03 | – | – | – | – | – | – | – | – | 01 |
| 17. | नागालैंड | 01 | – | – | – | – | – | – | – | – | 01 | 04 | – |
| 18. | उड़ीसा | 30 | 40 | 35 | 27 | 18 | 07 | 14 | 09 | 12 | 253 | 190 | 155 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. पंजाब | 21 | 19 | 29 | 55 | 09 | 11 | 03 | 02 | 01 | 371 | 368 | 328 |
| 20. राजस्थान | 64 | 74 | 42 | 13 | 16 | 22 | 15 | 14 | 10 | 736 | 705 | 806 |
| 21. सिक्किम | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 01 | – | 01 |
| 22. तमिलनाडु | 64 | 66 | 42 | 17 | 09 | 01 | 14 | 06 | 04 | 549 | 424 | 283 |
| 23. त्रिपुरा | – | 03 | – | – | – | 02 | – | 02 | – | 08 | 05 | 08 |
| 24. उत्तर प्रदेश | 3828 | 5292 | 4491 | 273 | 235 | 189 | 32 | 54 | 58 | 18932 | 20396 | 19315 |
| 25. पश्चिम बंगाल | 22 | 09 | 16 | 09 | 03 | 09 | 02 | – | 01 | 247 | 238 | 171 |
| 26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | – | – | – | – | 01 | – | – | 02 | – | 04 | 06 | 02 |
| 27. चंडीगढ़ | 02 | 03 | 08 | 01 | – | – | 02 | – | – | 43 | 48 | 40 |
| 28. दादरा और नगर हवेली | – | – | – | 01 | 01 | 03 | – | – | – | 01 | 03 | 01 |
| 29. दमन और दीव | – | – | – | – | 01 | – | – | – | – | 01 | – | 05 |
| 30. दिल्ली | 188 | 177 | 305 | 59 | 11 | 46 | 08 | 07 | – | 1867 | 2151 | 1927 |
| 31. लक्षद्वीप | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32. पांडिचेरी | 03 | 05 | 02 | 02 | – | – | – | 01 | 01 | 13 | 13 | 09 |
| 33. छत्तीसगढ़ | 03 | 12 | 20 | 06 | 06 | 09 | 03 | 04 | 05 | 84 | 110 | 126 |
| 34. झारखंड | 44 | 59 | 30 | 07 | 10 | 10 | 08 | 03 | 04 | 457 | 347 | 395 |
| 35. उत्तरांचल | 162 | 209 | 154 | 27 | 27 | 21 | 01 | 04 | 03 | 735 | 653 | 648 |
| 36. अखिल भारत | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 37. भारत से बाहर | – | – | 01 | 06 | 03 | 07 | 01 | 01 | 01 | 05 | 05 | 01 |

| क्र. सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | वातावरण | | | प्रवासी | | | सांप्रदायिक हिंसा | | | सेवा संबंधी मामले | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2003-04 | 04-05 | 05-06 | 2003-04 | 04-05 | 05-06 | 2003-04 | 04-05 | 05-06 | 2003-04 | 04-05 | 05-06 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 05 | 05 | 06 | – | 01 | 01 | 05 | – | 18 | 103 | 88 | 88 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | – | – | – | 01 | 01 | – | – | – | – | 06 | 04 | 06 |
| 3. | असम | 01 | – | 04 | – | – | – | 02 | – | 03 | 46 | 28 | 47 |
| 4. | बिहार | 10 | 09 | 05 | – | 01 | – | 17 | 03 | 04 | 488 | 348 | 430 |
| 5. | गोवा | 01 | – | – | – | – | – | – | – | 01 | 5 | 03 | 04 |
| 6. | गुजरात | 12 | 08 | 06 | – | – | – | 33 | 18 | 10 | 131 | 100 | 73 |
| 7. | हरियाणा | 10 | 13 | 12 | 01 | – | 02 | 11 | – | 01 | 205 | 141 | 165 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 01 | 01 | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 25 | 32 |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | – | – | 02 | 03 | 03 | 02 | – | 01 | 02 | 46 | 34 | 29 |
| 10. | कर्नाटक | 02 | 04 | 02 | – | – | – | 02 | 02 | 07 | 87 | 53 | 72 |
| 11. | केरल | 04 | 04 | 03 | – | – | – | 03 | – | 04 | 32 | 29 | 25 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 07 | 02 | 09 | 01 | – | – | 06 | 02 | 24 | 551 | 456 | 451 |
| 13. | महाराष्ट्र | 13 | 05 | 09 | 01 | – | – | 13 | 05 | – | 385 | 233 | 180 |
| 14. | मणिपुर | – | – | – | 01 | – | – | – | – | – | 02 | 02 | 03 |
| 15. | मेघालय | – | – | – | – | – | 01 | – | – | – | 05 | 04 | 04 |
| 16. | मिजोरम | – | – | – | 02 | – | 01 | 01 | – | 01 | – | – | 04 |
| 17. | नागालैंड | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 02 | 04 | 02 |
| 18. | उड़ीसा | 12 | 04 | 04 | – | – | – | 02 | 02 | 07 | 200 | 185 | 147 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. पंजाब | 06 | 04 | 04 | 02 | – | – | 03 | 02 | 06 | 105 | 82 | 87 |
| 20. राजस्थान | 15 | 11 | 20 | – | – | 01 | 26 | 05 | 08 | 290 | 252 | 290 |
| 21. सिक्किम | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 02 | – | – |
| 22. तमिलनाडु | 05 | 16 | 04 | 04 | 01 | – | 05 | 01 | 04 | 129 | 104 | 79 |
| 23. त्रिपुरा | – | – | – | 01 | – | – | – | – | – | 08 | 06 | 10 |
| 24. उत्तर प्रदेश | 93 | 110 | 101 | 03 | – | 01 | 39 | 34 | 39 | 2002 | 1543 | 1516 |
| 25. पश्चिम बंगाल | 07 | 07 | 03 | – | – | 01 | 06 | 01 | 02 | 186 | 151 | 155 |
| 26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 02 | 05 | 09 |
| 27. चंडीगढ़ | – | 01 | – | – | 01 | – | – | – | – | 10 | 16 | 20 |
| 28. दादरा और नगर हवेली | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 02 | 01 | 01 |
| 29. दमन और दीव | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 01 |
| 30. दिल्ली | 25 | 17 | 20 | – | 01 | 02 | 10 | 06 | 09 | 382 | 477 | 442 |
| 31. लक्षद्वीप | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32. पांडिचेरी | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 06 | 07 | 03 |
| 33. छत्तीसगढ़ | 01 | 02 | 03 | – | – | 01 | 01 | 01 | 06 | 107 | 62 | 81 |
| 34. झारखंड | 10 | 16 | 05 | – | – | – | 10 | 01 | 03 | 275 | 205 | 247 |
| 35. उत्तरांचल | 02 | 04 | 08 | – | – | – | 07 | 03 | 04 | 125 | 116 | 92 |
| 36. अखिल भारत | – | – | – | – | – | – | – | – | 01 | – | – | – |
| 37. भारत से बाहर | – | – | – | – | 02 | – | – | 01 | 02 | 04 | 05 | 04 |

| क्र. सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | महिलाओं संबंधी मुद्दे | | | टाडा/पोटा | | | विविध | | | रक्षा बल | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2003-04 | 04-05 | 05-06 | 2003-04 | 04-05 | 05-06 | 2003-04 | 04-05 | 05-06 | 2003-04 | 04-05 | 05-06 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 64 | 54 | 31 | – | – | – | 276 | 178 | 210 | 05 | – | 01 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 05 | 01 | – | – | – | – | 11 | 04 | 03 | – | 01 | 01 |
| 3. | असम | 09 | 07 | 05 | – | – | – | 39 | 34 | 42 | 18 | 18 | 07 |
| 4. | बिहार | 520 | 537 | 445 | – | 03 | – | 1189 | 1201 | 1606 | 03 | 02 | – |
| 5. | गोवा | 02 | 02 | 03 | 03 | – | – | 13 | 09 | 07 | – | – | – |
| 6. | गुजरात | 53 | 50 | 30 | – | 03 | – | 366 | 312 | 193 | 04 | – | 01 |
| 7. | हरियाणा | 262 | 299 | 328 | – | – | – | 660 | 481 | 609 | 04 | 02 | 02 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 15 | 10 | 13 | – | – | – | 63 | 62 | 53 | 01 | – | 02 |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | 11 | 10 | 10 | – | – | – | 63 | 61 | 43 | 27 | -25 | 13 |
| 10. | कर्नाटक | 51 | 34 | 26 | 01 | – | – | 163 | 84 | 135 | 02 | – | 01 |
| 11. | केरल | 12 | 15 | 03 | – | – | – | 66 | 54 | 70 | – | – | 02 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 218 | 188 | 166 | – | – | – | 543 | 480 | 775 | 04 | 03 | 02 |
| 13. | महाराष्ट्र | 103 | 79 | 47 | 01 | 01 | – | 652 | 297 | 281 | 05 | 03 | 05 |
| 14. | मणिपुर | 07 | 02 | 04 | – | – | – | 02 | 04 | 04 | 08 | 16 | 03 |
| 15. | मेघालय | – | – | – | – | – | – | 03 | 04 | 07 | – | – | 02 |
| 16. | मिजोरम | – | – | 02 | – | – | – | – | 02 | 12 | – | – | – |
| 17. | नागालैंड | – | – | – | – | – | – | 03 | 01 | – | – | – | – |
| 18. | उड़ीसा | 132 | 109 | 71 | – | – | – | 325 | 190 | 196 | 03 | 01 | – |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. पंजाब | 74 | 64 | 55 | – | – | 01 | 255 | 300 | 318 | 06 | 04 | 06 |
| 20. राजस्थान | 250 | 259 | 268 | – | – | – | 649 | 773 | 880 | 03 | 08 | 05 |
| 21. सिक्किम | – | – | – | – | – | – | – | – | 04 | – | – | – |
| 22. तमिलनाडु | 109 | 82 | 50 | 06 | – | – | 408 | 364 | 243 | 01 | 01 | 01 |
| 23. त्रिपुरा | 02 | 07 | 02 | – | – | – | 06 | 05 | 06 | 01 | 02 | 01 |
| 24. उत्तर प्रदेश | 3903 | 4306 | 4644 | 01 | -- | 02 | 9718 | 10733 | 12145 | 25 | 13 | 21 |
| 25. पश्चिम बंगाल | 88 | 54 | 48 | – | – | – | 277 | 311 | 300 | 05 | 05 | 06 |
| 26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 02 | 01 | – | – | – | – | 07 | 06 | 10 | – | – | – |
| 27. चंडीगढ़ | 09 | 06 | 11 | – | – | – | 27 | 23 | 39 | – | – | – |
| 28. दादरा और नगर हवेली | 01 | – | – | – | – | – | 01 | 02 | – | – | – | – |
| 29. दमन और दीव | – | 01 | – | – | – | – | 05 | – | 04 | – | – | – |
| 30. दिल्ली | 513 | 413 | 429 | 01 | – | 01 | 1307 | 1737 | 1550 | 18 | 14 | 15 |
| 31. लक्षद्वीप | – | – | – | – | – | – | 02 | – | – | – | – | – |
| 32. पांडिचेरी | 01 | 04 | 05 | – | – | – | 22 | 10 | 08 | – | – | – |
| 33. छत्तीसगढ़ | 32 | 30 | 34 | – | – | – | 112 | 66 | 125 | – | – | – |
| 34. झारखंड | 134 | 128 | 145 | 02 | – | – | 476 | 444 | 542 | 02 | 03 | 01 |
| 35. उत्तरांचल | 150 | 161 | 157 | – | – | 02 | 517 | 522 | 590 | 04 | 02 | 02 |
| 36. अखिल भारत | – | – | 04 | – | – | – | – | – | 01 | – | – | – |
| 37. भारत से बाहर | 05 | – | 08 | – | – | – | 44 | 72 | 39 | – | – | – |

| क्र. सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | अर्द्ध-सैनिक | | | भिक्षुक गृह | | | अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों पर अत्याचार | | | विदेशी नागरिक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2003-04 | 04-05 | 05-06 | 2003-04 | 04-05 | 05-06 | 2003-04 | 04-05 | 05-06 | 2003-04 | 04-05 | 05-06 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 05 | 01 | – | – | 01 | 03 | 47 | 30 | 38 | – | – | – |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 02 | – | – | – | – | – | 02 | – | – | – | – | – |
| 3. | असम | 06 | 04 | 02 | – | – | – | 07 | 02 | 01 | – | – | – |
| 4. | बिहार | 04 | 04 | – | 01 | 01 | 06 | 141 | 137 | 138 | 01 | – | – |
| 5. | गोवा | – | – | – | – | 01 | – | – | – | – | 01 | – | – |
| 6. | गुजरात | – | – | – | – | 02 | – | 73 | 40 | 11 | 02 | 01 | 01 |
| 7. | हरियाणा | 01 | – | 03 | 03 | 02 | 02 | 122 | 126 | 145 | 02 | – | 01 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 01 | – | – | – | – | – | 07 | 08 | 04 | – | – | 01 |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | 07 | 05 | 07 | – | – | – | 01 | – | – | 01 | 01 | – |
| 10. | कर्नाटक | 01 | 01 | 01 | – | – | – | 17 | 11 | 07 | – | – | 03 |
| 11. | केरल | – | – | 01 | 01 | – | – | 06 | – | 06 | – | – | 01 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 04 | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 | 71 | 83 | 61 | – | 02 | – |
| 13. | महाराष्ट्र | 02 | – | 04 | 305 | 284 | 358 | 57 | 23 | 20 | 01 | – | 03 |
| 14. | मणिपुर | 12 | 04 | 04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15. | मेघालय | 02 | – | 04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16. | मिजोरम | – | – | 01 | – | – | – | – | 01 | – | – | 01 | – |
| 17. | नागालैंड | 02 | 02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. उड़ीसा | 01 | 03 | 03 | 01 | 01 | 03 | 34 | 18 | 22 | – | – | – |
| 19. पंजाब | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | – | 08 | 06 | 16 | – | 02 | 05 |
| 20. राजस्थान | 04 | 01 | 03 | 01 | – | 03 | 88 | 135 | 117 | 02 | 03 | – |
| 21. सिक्किम | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22. तमिलनाडु | – | – | – | 02 | 01 | 06 | 64 | 59 | – | 01 | 02 | 01 |
| 23. त्रिपुरा | 04 | 07 | 03 | – | – | – | 01 | – | – | – | – | – |
| 24. उत्तर प्रदेश | 07 | 12 | 09 | 08 | 05 | 08 | 832 | 932 | 1055 | 02 | 03 | 03 |
| 25. पश्चिम बंगाल | 10 | 04 | 07 | – | 09 | 27 | 02 | 02 | 01 | – | – | – |
| 26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | – | – | – | – | – | 01 | 01 | – | – | 01 | – | – |
| 27. चंडीगढ़ | – | – | 01 | – | – | – | 04 | – | 01 | – | – | – |
| 28. दादरा और नगर हवेली | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29. दमन और दीव | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30. दिल्ली | 12 | 02 | 13 | 04 | 02 | – | 26 | 15 | 23 | 05 | 03 | 04 |
| 31. लक्षद्वीप | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32. पांडिचेरी | – | – | – | 01 | – | – | 02 | – | – | – | – | – |
| 33. छत्तीसगढ़ | – | – | 02 | – | – | – | 16 | 06 | 11 | – | – | – |
| 34. झारखंड | 03 | 03 | 02 | – | 02 | – | 44 | 42 | 37 | – | – | 01 |
| 35. उत्तरांचल | – | – | 03 | – | 01 | – | 36 | 48 | 53 | – | – | – |
| 36. अखिल भारत | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 37. भारत से बाहर | – | 01 | – | – | – | – | – | – | – | 07 | 11 | 12 |

| क्र. सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | दंगे | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2003-04 | 04-05 | 05-06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | – | – | 01 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | – | – | 01 |
| 3. | असम | – | – | – |
| 4. | बिहार | 02 | – | 02 |
| 5. | गोवा | – | – | – |
| 6. | गुजरात | 28 | 20 | 05 |
| 7. | हरियाणा | 01 | – | – |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | – | – | – |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | – | 01 | 01 |
| 10. | कर्नाटक | 01 | – | 01 |
| 11. | केरल | – | – | 01 |
| 12. | मध्य प्रदेश | – | – | 01 |
| 13. | महाराष्ट्र | 01 | – | 01 |
| 14. | मणिपुर | – | – | – |
| 15. | मेघालय | – | – | – |
| 16. | मिजोरम | – | – | – |
| 17. | नागालैंड | – | – | – |
| 18. | उड़ीसा | – | – | 01 |
| 19. | पंजाब | – | 02 | – |
| 20. | राजस्थान | 02 | – | 01 |
| 21. | सिक्किम | – | – | – |
| 22. | तमिलनाडु | – | – | 02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 23. | त्रिपुरा | - | - | - |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 04 | 02 | 09 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | - | - | 01 |
| 26. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | - | - | - |
| 27. | चंडीगढ़ | - | - | - |
| 28. | दादरा और नगर हवेली | - | - | - |
| 29. | दमन और दीव | - | - | - |
| 30. | दिल्ली | 01 | - | 03 |
| 31. | लक्षद्वीप | - | - | - |
| 32. | पांडिचेरी | - | - | - |
| 33. | छत्तीसगढ़ | 01 | - | 02 |
| 34. | झारखंड | 01 | - | - |
| 35. | उत्तरांचल | 01 | - | - |
| 36. | अखिल भारत | - | - | - |
| 37. | भारत से बाहर | 01 | - | - |

*[अनुवाद]*

**रबर का मूल्य/आयात**

**961. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान रबर के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऑल इंडिया रबर इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने सरकार से देश में लघु उद्योग इकाइयों हेतु स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के माध्यम से प्राकृतिक रबर का आयात करने का अनुरोध किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा रबर की कमी और उसके मूल्य को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) जी हां।

(ख) प्राकृतिक रबड़ की घरेलू कीमत मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय कीमत द्वारा निर्धारित होती है। विभिन्न घटक जैसे मुख्य रबड़ की खपत करने वाले देशों में निरंतर आर्थिक वृद्धि संभावित जलवायु घटकों के फलस्वरूप कुछ उत्पादक देशों में कम आपूर्ति की स्थिति और सिंथेटिक रबड़ की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप तेल क्षेत्र की घटनाओं से प्राकृतिक रबड़ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में वृद्धि पर प्रभाव पड़ा है।

(ग) और (घ) जी हां। तथापि, प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं हो सकता क्योंकि प्राकृतिक रबड़ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो इस

समय चल रही थी. जुलाई, 2005 के बाद लगातार घरेलू कीमत से अधिक थी।

(ङ) देश में 2005-2006 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन घरेलू खपत से अधिक हो गया था और प्राकृतिक रबड़ की कोई कमी नहीं थी। इसके अतिरिक्त गैर परंपरागत क्षेत्रों सहित देश में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा रबड़ बोर्ड के जरिए विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

### जवाहर नवोदय विद्यालयों में हुई मौतें

962. **श्री गुंडलूर निजामुद्दीन:**
**श्री अशोक अर्गल:**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से आज तक देश के विभिन्न प्रदेशों में जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रदेश-वार कितनी मौतें हुई हैं;

(ख) क्या छात्रों की हुई मौत के कारणों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भविष्य में उक्त घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार/नवोदय विद्यालय समिति द्वारा बच्चों के परिवारों को कोई सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या नवोदय विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों को कोई समूह बीमा उपलब्ध कराया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी):** (क) दिनांक 1-4-2005 से आज तक जवाहर नवोदय विद्यालयों में मौतों की संख्या क्षेत्रवार नीचे दी गई है:-

| क्र.सं. | क्षेत्र का नाम | मौतों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | भोपाल | 03 |
| 2. | चंडीगढ़ | 01 |
| 3. | हैदराबाद | 09 |
| 4. | जयपुर | 01 |
| 5. | लखनऊ | 05 |
| 6. | पुणे | 01 |
| 7. | पटना | 02 |
| 8. | शिलांग | 03 |
| | कुल | 25 |

(ख) से (घ) जी, हां। जवाहर नवोदय विद्यालयों में छात्रों की मौत के कारणों के अध्ययन के लिए नवोदय विद्यालय समिति द्वारा श्री के.के. बक्शी, पूर्व सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक एक-सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु इस समिति द्वारा उठाए गए कदम निम्नवत् हैं:-

(i) परिस्थितियों के सावधानीपूर्वक किए गए विश्लेषण के आधार पर जवाहर नवोदय विद्यालयों में बच्चों की संरक्षा और सुरक्षा संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश तैयार कर विद्यालयों को परिचालित किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन का विभिन्न स्तरों पर मानीटरन किया जा रहा है।

(ii) ऐसे सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में अतिरिक्त महिला स्टाफ नर्स की नियुक्ति की गई है जहां वर्तमान में स्टाफ नर्स पुरुष हैं।

(iii) 100 से अधिक बालिकाओं की संख्या वाले जवाहर नवोदय विद्यालयों में मैट्रन की संविदा आधार पर नियुक्ति की गई है।

(iv) जवाहर नवोदय विद्यालयों में संरक्षा और सुरक्षा के सरोकारों को उजागर करने वाली एक फिल्म बनाई गई है और छात्रों को उन सरोकारों के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु इस फिल्म को सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रदर्शित करने के लिए इसकी सी.डी. प्रदान की गई है।

(v) छात्रों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है और प्रत्येक छात्र का व्यापक मेडिकल रिकार्ड रखा जाता है।

(ङ) और (च) सुपात्र मामलों में परिजनों को 50,000 रु. का अनुग्रह अनुदान प्रदान किया गया है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

**सीमा व्यापार केन्द्र**

**963. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कोई सीमा व्यापार केन्द्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन व्यापार केन्द्रों हेतु कितना धन संस्वीकृत किया गया है और इस हेतु कार्यकारी व्यवस्था क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार भारत-बांग्लादेश सीमा पर कोई अन्य सीमा व्यापार केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) और (ख) स्थल मार्ग के जरिए हमारे पड़ोसी देशों के साथ व्यापार का विनियमन सीमा पर परस्पर रूप से सहमत स्थानों पर स्थित भू-सीमाशुल्क स्टेशनों द्वारा किया जाता है।

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित भू-सीमाशुल्क स्टेशनों पर अवसंरचना विकास के उन्नयन हेतु जारी निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

| क्र. सं. | भू-सीमाशुल्क स्टेशन | स्वीकृत राशि (लाख रु. में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | पेट्रापोल | 867.69 रुपए |
| 2. | महादीपुर | 545.00 रुपए |
| 3. | हिल्ली | 552.64 रुपए |
| 4. | चंग्रदंघा | 210.00 रुपए |

(घ) और (ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव वाणिज्य विभाग के विचाराधीन नहीं है।

**टी.यू.एफ.एस. के अन्तर्गत अतिरिक्त आबंटन**

**964. श्री सुग्रीव सिंह:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आबंटन करने हेतु सहमत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) योजना को लागू करने के बाद निर्धारित किए गए लक्ष्यों एवं प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा करने में कितनी समर्थ होगी?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन):** (क) और (ख) 31-05-2006 की स्थिति के अनुसार योजना की क्षेत्रवार प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है। इस योजना को भारी सफलता मिली है।

(ग) और (घ) इस योजना के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन के मानदंडों के अनुसार स्वीकृत ऋण तथा स्वीकार्य सहायता के आधार पर वित्त मंत्रालय निधियां प्रदान कर रहा है।

(ङ) और (च) मूल रूप से एक ब्याज प्रतिपूर्ति योजना होने के नाते इस योजना के लिए कोई वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। तथापि, सरकार ने अनुमान लगाया कि इस योजना से भारतीय वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश हो सकेगा। इससे भारतीय वस्त्र उद्योग आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा।

**विवरण**

*टी.यू.एफ.एस. के तहत संघटक-वार प्रगति (अनंतिम)*
*(01-04-1999 से 31-05-2006)*

(करोड़ रु. में)

| क्र. सं. | उद्योग संघटक | प्राप्त किए गए | | | स्वीकृत | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवेदनों की संख्या | परियोजना लागत* | ऋण राशि | आवेदनों की संख्या | परियोजना लागत* | ऋण राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | कताई | 938 | 13670.24 | 8100.24 | 866 | 12225.41 | 6243.50 |
| 2. | संयुक्त उन्नयन | 370 | 12435.26 | 6015.89 | 339 | 10566.36 | 4251.03 |
| 3. | फाइबर, यार्न, फैब्रिक्स, परिधान एवं मेड-अप्स का प्रसंस्करण | 699 | 6511.17 | 2820.97 | 660 | 5834.77 | 2145.34 |
| 4. | बुनाई | 822 | 5494.69 | 2349.42 | 802 | 5232.90 | 2108.14 |
| 5. | परिधान विनिर्माण | 358 | 1797.35 | 1079.61 | 334 | 1684.91 | 1198.25 |
| 6. | निटिंग | 683 | 2426.77 | 1377.09 | 661 | 2217.57 | 750.48 |
| 7. | सिंथेटिक फिलामेंट यार्न टेक्स्चराइजिंग क्रिंपींग एंड ट्विस्टिंग | 721 | 1605.22 | 704.96 | 702 | 1408.59 | 565.29 |
| 8. | तकनीकी वस्त्र | 39 | 874.74 | 430.91 | 37 | 852.72 | 372.85 |
| 9. | फैब्रिक कशीदाकारी | 483 | 759.94 | 413.87 | 475 | 570.63 | 315.57 |
| 10. | मेडअप्स विनिर्माण | 54 | 1084.39 | 682.96 | 48 | 720.26 | 219.12 |
| 11. | विस्कोस फिलामेंट यार्न का विनिर्माण | 8 | 134.29 | 107.17 | 8 | 134.29 | 107.17 |
| 12. | जूट उद्योग | 27 | 204.65 | 120.55 | 25 | 185.88 | 105.80 |
| 13. | कपास जिनिंग एवं प्रेसिंग | 63 | 195.68 | 125.10 | 59 | 177.96 | 101.78 |
| 14. | स्वतंत्र प्रारंभिक बुनाई | 22 | 62.15 | 59.32 | 18 | 47.13 | 47.14 |
| 15. | रेशम रीलिंग एवं ट्विस्टिंग | 170 | 86.01 | 56.70 | 165 | 62.27 | 42.04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | नॉन-वूवन | 9 | 103.42 | 34.74 | 9 | 103.42 | 32.65 |
| 17. | ऊन मंझाई एवं कोम्बिंग | 8 | 21.72 | 15.04 | 8 | 21.72 | 15.04 |
| 18. | अन्य | 6 | 17.75 | 13.35 | 6 | 17.75 | 13.35 |
| | कुल | 5480 | 47485.44 | 24507.89 | 5222 | 42064.54 | 18634.54 |

*परियोजना लागत जिसमें इक्विटी (गैर-ऋण राशि), गैर-टी.यू.एफ. पात्र निवेश के लिए ऋण शामिल है।

**नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अन्तर्गत दुकानों, कियोस्क हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करना**

**965. श्री किसनभाई वी. पटेल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के लाइसेंसिंग प्राधिकरण के अन्तर्गत दुकानों, कियोस्क एवं आवासीय इकाइयों की संख्या अलग-अलग कितनी है;

(ख) उन इकाइयों की कुल संख्या कितनी है जिनकी अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त हो चुकी है;

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और आज की तिथि तक ऐसी इकाइयों की कुल संख्या कितनी है जिनकी अनुज्ञप्तियों को निरस्त किया गया है;

(ङ) इन इकाइयों के नवीकरण हेतु नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के पास लंबित अनुरोधों की कुल संख्या कितनी है;

(च) इन अनुरोधों का निपटान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(छ) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का विचार अनुज्ञप्ति धारकों को स्वामित्व अधिकार देने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के तहत खोखों (कियोस्क), दुकानों और आवासीय इकाइयों की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

| | | |
|---|---|---|
| दुकान | : | 2198 |
| खोखे (कियोस्क) | : | 251 |
| आवासीय फ्लैट | : | 28 |

(ख) 553 इकाइयों के लाइसेंस समाप्त हो चुके हैं।

(ग) अपेक्षित दस्तावेजों के साथ लाइसेंस धारक की सहमति मिलने और सामान्य औपचारिकताओं के पूरा होने पर लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाता है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने मार्केट परिसंघों/संघों से अनुरोध किया है कि वे आबंटियों को अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराने हेतु अपनी सहमति और अपेक्षित दस्तावेज भेजने के लिए प्रेषित करें।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ऐसी कुल इकाइयों की संख्या, जिनके लाइसेंस रद्द हो गए हैं, निम्न हैं:-

| वर्ष | इकाइयों की संख्या |
|---|---|
| 2003-04 | 1 |
| 2004-05 | 0 |
| 2005-06 | 68 |
| 2006-07 (28 जुलाई 2006 तक) | 6 |

(ङ) और (च) लाइसेंसों के नवीनीकरण हेतु लम्बित 61 आवेदन प्रक्रिया के विभिन्न अवस्थाओं में है।

(छ) और (ज) लाइसेंस धारकों को स्वामित्व अधिकार देने के प्रस्ताव को, विभिन्न सरकारी एजेंसियों से क्लियरेंस न मिलने के कारण अभी तक साकार रूप नहीं दिया गया है।

*[हिन्दी]*

## पाठ्य पुस्तकों की काला-बाजारी

**966. श्री कमला प्रसाद रावत:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुकानदारों द्वारा एन.सी.ई.आर.टी. एवं सी.बी.एस.ई. की विभिन्न विषयों की पुस्तकों की काला-बाजारी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या बाजार में उक्त पुस्तकों की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो उक्त विषयों विशेषकर गणित एवं अंग्रेजी की पुस्तकों की कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त कमी हेतु उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी):** (क) से (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को जब भी पाठ्यपुस्तकों की कालाबाजारी अथवा पायरेसी के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है तब पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कार्रवाई की जाती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद पहले ही अब तक ऐसी 3 शिकायतें दर्ज करवा चुकी है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों की कालाबाजारी का कोई मामला केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जानकारी में नहीं आया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने गणित तथा अंग्रेजी सहित विभिन्न विषयों की पाठ्यपुस्तकों को समुचित मात्रा में प्रकाशित किया है ताकि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी मांग के आधार पर पुस्तकें मुद्रित करवाई हैं।

*[अनुवाद]*

## अंतर-राज्यीय परिषद का कार्यनिष्पादन

**967. श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या गृह मंत्री 16-05-2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3823 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रेटर कूच विहार पीपुल्स एसोसिएशन से प्राप्त अभ्यावेदनों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक केन्द्र राज्य समस्याओं के समाधान और संबंधित क्षेत्रों में संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में अन्तर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद् अथवा अन्य परिषद/आयोग का कार्य-निष्पादन अलग-अलग क्या रहा है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित):** (क) सरकार ने ग्रेटर कूच विहार पीपुल्स एसोसिएशन से प्राप्त अभ्यावेदनों में की गई मांगों की जांच की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 के संगत उपबंध के साथ पठित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के अनुसरण में अंगीकार पत्र या कूच विहार के महाराजा द्वारा हस्ताक्षरित विलय समझौते में कुछ भी गैर-कानूनी या असंवैधानिक नहीं था। राज्यों का विलय (पश्चिमी बंगाल) आदेश, 1949 के तहत कूच विहार राज्य का 1-1-1950 से पश्चिम बंगाल के साथ विलय भी कानूनी और वैध प्रतीत होता था। इसके अतिरिक्त, विलय समझौते का अन्य कोई भी मुद्दा बगैर कार्यान्वयन के नहीं बचा है। ग्रेटर कूच विहार पीपुल्स एसोसिएशन से प्राप्त अभ्यावेदनों पर पश्चिम बंगाल सरकार के संबंधित पदाधिकारियों के साथ भी चर्चा की गई थी। कूच विहार के लोगों की वर्तमान असंतुष्टि कूच विहार के आर्थिक पिछड़ेपन से पैदा हुई प्रतीत होती है। अतः अभ्यावेदनों को पश्चिम बंगाल सरकार को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित किया गया था कि वे क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन के मुद्दे को दीर्घावधिक और अल्पावधिक दोनों प्रकार से हल करने के लिए उचित कार्रवाई और उपाय करें।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज तक अंतर्राज्यीय परिषद की दो बैठकें आयोजित की गई थीं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्र-राज्य के मामलों जैसे प्रशासनिक संबंधों, आपातकालीन प्रावधान और केन्द्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती से संबंधित सरकारिया आयोग की सिफारिशें; सरकारिया आयोग की सफारिशों पर अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों पर कार्यान्वित रिपोर्ट; आपदा प्रबंधन-आपदाओं से निपटने के लिए राज्यों की तैयारी पर चर्चा की गई थी। 1988 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में सरकारिया आयोग ने 247 सिफारिशें की थीं। अंतर्राज्यीय परिषद ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक सभी सिफारिशों पर आम सहमति के साथ विचार किया और निर्णय लिया है।

सभी पांचों क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें 2005 में हुई थीं। ग्रामीण विकास, आधारभूत संरचना, पर्यटन, स्वास्थ्य, जनम शक्ति आदि जैसे कई सेक्टरों में आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों पर इन बैठकों में चर्चा की गई थी।

## एन.ई.सी. परियोजना

**968. डा. अरुण कुमार शर्मा:** क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रियायत के संबंध में स्थायी अनुदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है और एन.ई.सी. परियोजनाओं में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थायी अनुदेशों के कड़े अनुपालन के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) से (ग) जी, नहीं। एन.ई.सी. परियोजनाएं 1998-99 से पहले एस.एफ.सी./ई.एफ.सी. की प्रक्रिया में नहीं आती थीं। यह पाया गया कि बहुत सी एन.ई.सी. परियोजनाएं परियोजना बनाने की और निगरानी की कमी के कारण लागत और समय की सीमा लांघ जाती हैं। सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद केंद्रीय सरकार ने निर्णय किया कि एस.एफ.सी./ई.एफ.सी./पी.आई.बी. द्वारा संवीक्षा वित्तीय किफायत के पालन में सहायता करेगी और वे परियोजनाओं जो कि एस.एफ.सी./ई.एफ.सी./पी.आई.बी. द्वारा व्यवहार्य समझी जाती हैं के कार्यान्वयन द्वारा एन.ई.सी. का उद्देश्य और बेहतर ढंग से पूरा होगा।

## खनन क्षेत्र का निष्पादन

**969. श्री नवीन जिन्दल:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनन क्षेत्र का निष्पादन आशा से कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र के निष्पादन को अपेक्षित स्तर पर लाने के लिए किस प्रकार के ढांचागत सुधार निर्धारित किए गए हैं?

**खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी):** (क) और (ख) खनिज क्षेत्र की वृद्धि में मंदी बनी रही है। खनिज उत्पादन सूची में कोयला और लिग्नाइट का भारांश 33%, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का 53% तथा दूसरे गैर-ईंधन और गैर-परमाणु खनिजों का 14% है। खानों के अस्थायी रूप से बन्द होने, भारी वर्षा के कारण खनन प्रचालनों के बन्द होने तथा श्रम समस्याओं के कारण वर्ष 2005-06 में खान मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले गैर-ईंधन और गैर-परमाणु खनिजों के लिए खनिज उत्पादन सूची मूल्य में मात्र 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई है।

(ग) श्री अनवर-उल-होदा, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की समीक्षा की है और खनन क्षेत्र में निवेश के प्रवाह को प्रोत्साहित करने और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को लाने के लिए खनिज रियायतें प्रदान करने की प्रक्रियाओं को सरल एवं सुप्रवाही बनाने हेतु विभिन्न उपायों के साथ-साथ खनिजों के गवेषण और विदोहन में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु परिवर्तनों का सुझाव दिया है।

*[हिन्दी]*

## आयोडीनयुक्त नमक का मूल्य

**970. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा मानव के लिए उपभोग हेतु साधारण नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् आयोडीन युक्त नमक की कीमतों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार):** (क) से (ग) मानव के प्रत्यक्ष उपभोग के लिए गैर-आयोडीनयुक्त नमक की बिक्री पर रोक के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना 17 मई, 2006 से लागू हुई है। चूंकि मानव के प्रत्यक्ष उपभोग के लिए गैर-आयोडीनयुक्त नमक की बिक्री पर अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसलिए अधिसूचना के जारी होने के कारण आयोडीन-युक्त नमक के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

*[अनुवाद]*

## मानव दुर्व्यापार

**971. श्री जी.बी. हर्ष कुमार:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा मानव दुर्व्यापार संबंधी अमरीका की हाल की रिपोर्ट की तरफ गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में भारत पर क्या टिप्पणियां की गई हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित):** (क) जी हां, श्रीमान। सरकार को युनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमैंट ऑफ स्टेट द्वारा 5-6-2006 को जारी "ट्रेफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट-2006" की जानकारी है।

(ख) रिपोर्ट में पेशेवर यौन शोषण के प्रयोजनार्थ महिलाओं और लड़कियों के अवैध व्यापार तथा जबरन या बंधवा मजदूरी के प्रयोजनार्थ पुरुषों, महिलाओं और लड़कियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने के साक्ष्य बताने में सरकार और इसके तंत्र की कथित असफलता के लिए इस रिपोर्ट के सामान्य रूप से आलोचना की गई है।

(ग) और (घ) सरकार को मानव के अवैध व्यापार की समस्या की पूरी जानकारी है और वह इससे चिंतित है तथा वह अवैध व्यापार के अपराध को नियंत्रित करने और शिकार लोगों के पुनर्वास के उपाय करने के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके कई उपाय कर रही है। संघ सरकार ने सभी राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे अवैध व्यापार के अपराध से समग्र रूप से निपटें और कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के अतिरिक्त शिकार हुए लोगों के बचाव, राहत और पुनर्वास के उपाय शामिल करते हुए एक कारगर और विस्तृत रणनीति तैयार करें।

### हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र

**972. श्री ई.जी. सुगावनमः** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हथकरघा क्षेत्र को विद्युतकरघा क्षेत्र से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान हथकरघा से बुने कपड़े के उत्पादन में वृद्धि हुई है/कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):** (क) और (ख) जी हां, हथकरघा क्षेत्र विभिन्न कारणों से सस्ते विद्युतकरघा उत्पादों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। विद्युतकरघा की तुलना में हथकरघा उत्पादों की लागत में अधिक वेतन घटक है। विद्युतकरघा भी उच्चतम प्रौद्योगिकी और स्केल की मितव्ययिता का लाभ उठाता है। हथकरघा बुनाई यद्यपि वृहद रूप से घरेलू उद्योग एवं सर्वाधिक ग्रामीण गतिविधि है, जो पूरे देश में बिखरा है जबकि विद्युतकरघा निवेश की उपलब्धि तथा विपणन के संगठन में बेहतर रूप से संगठित है। इस प्रकार, हथकरघा विद्युतकरघा दोनों एक ही प्रकार के विपणन सेगमेन्ट के लिए प्रतिस्पर्धी है।

(ग) हथकरघा क्षेत्र में अनुमानित कपड़ा उत्पादन वर्ष 2005-06 में अनुमानित कपड़ा उत्पादन 6203 मिलियन वर्ग मीटर (अनन्तिम) था, 2004-05 में 5722 मिलियन वर्ग मीटर तथा वर्ष 2003-04 में 5493 मिलियन वर्ग मीटर था। इस प्रकार वर्ष 2005-06 में 8.41% तथा वर्ष 2004-05 में 4.17% वार्षिक वृद्धि हुई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र के उत्पादन, उत्पादकता एवं क्षमता बढ़ाने तथा बुनकरों के कौशल उन्नयन एवं अवसंरचनात्मक निवेश एवं विपणन सहायता देते हुए उनकी आय एवं सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। महत्वपूर्ण विकासात्मक योजनाएं हैं:- दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, एकीकृत हथकरघा, प्रशिक्षण परियोजना, विपणन संवर्धन कार्यक्रम, मिल गेट कीमत योजना, कार्यशाला सह आवास योजना, बुनकर कल्याण योजना, हथकरघा निर्यात योजना। इसके अतिरिक्त नई योजनाएं हैं अर्थात्:- एकीकृत हथकरघा समूह विकास (आई.एच.सी.डी.) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना एवं स्वास्थ्य बीमा योजना 2005-06 में शुरू की गई है।

*[हिन्दी]*

### आतंकवादी-नक्सलवादी गठजोड़

**973. डा. चिन्ता मोहनः**
**श्री रामजीलाल सुमनः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लश्कर-ए-तैयबा, नेपाल के माओवादी और देश के नक्सलवादियों के बीच कोई गठजोड़ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन देश में उग्रवाद फैलाने के लिए सक्रिय हो रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे गठजोड़ पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) और (ख) भारतीय नक्सलवादी गुटों की नेपाली माओवादियों के साथ वैचारिक और संभारिकी संबंध होने की सूचना है। भारतीय नक्सलवादियों और लश्कर-ए-तैयबा के बीच संबंध सुझाने वाली कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) कुछ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गुट, जम्मू और कश्मीर और देश के कुछ अन्य भागों में आतंकवादी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं।

(घ) सरकार राजनैतिक, विकास और सुरक्षा मोर्चों पर आतंकवाद के खतरे से निपटने हेतु बहु-आयामी रणनीति अपनाती रही है। आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, सरकार ने उपाय किए हैं जिनमें घुसपैठ रोकने हेतु सीमा प्रबंधन सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, केन्द्र और राज्यों, दोनों में, सुरक्षा बलों हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरण सुनिश्चित करना, सुसमन्वित आसूचना आधारित ऑपरेशनों द्वारा आतंकवादी/राष्ट्र-विरोधी तत्वों की योजनाओं को निष्क्रिय करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आतंकवाद के विश्वव्यापी विस्तारण को देखते हुए, इस खतरे से निपटने हेतु द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

## खनिज आधारित संयंत्र

**974. श्री ब्रजेश पाठक:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में खनिज आधारित संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में उपलब्ध खनिज आधारित संयंत्र इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार चालू योजनावधि के दौरान अधिक खनिज आधारित संयंत्रों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी):** (क) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार देश में राज्यवार प्रमुख खनिज आधारित संयंत्र नीचे दिए गए हैं:-

| क्र. सं. | राज्य | खनिज आधारित उद्योगों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 96 |
| 2. | असम | 14 |
| 3. | बिहार | 32 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 32 |
| 5. | दिल्ली | 5 |
| 6. | गोवा | 4 |
| 7. | गुजरात | 77 |
| 8. | हरियाणा | 18 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 3 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 2 |
| 11. | झारखण्ड | 62 |
| 12. | कर्नाटक | 53 |
| 13. | केरल | 38 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 52 |
| 15. | महाराष्ट्र | 118 |
| 16. | मणिपुर | 1 |
| 17. | मेघालय | 2 |
| 18. | नागालैंड | 1 |
| 19. | उड़ीसा | 54 |
| 20. | पंजाब | 18 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 21. | राजस्थान | 88 |
| 22. | सिक्किम | 1 |
| 23. | तमिलनाडु | 68 |
| 24. | उत्तरांचल | 6 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 61 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 83 |
| 27. | चंडीगढ़ | 1 |
| 28. | दादर और नागर हवेली | 7 |
| 29. | दमन और दीव | 2 |
| 30. | पांडिचेरी | 17 |

(ख) यद्यपि, लगभग सम्पूर्ण घरेलू मांग घरेलू आपूर्ति द्वारा पूरी की जाती है, लेकिन कुछ विशिष्ट अन्त्य उपयोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ विशेष गुणवत्ता/प्रकार के खनिजों और धातुओं/फैरो-एलायज की कुछ मात्रा में आयात किया जाता है।

(ग) और (घ) सरकार की भूमिका निजी क्षेत्र में खनिज आधारित संयंत्र लगाने को सुगम बनाना है।

*[अनुवाद]*

**जन शिक्षण संस्थान के ध्यान को परिवर्तित करना**

**975. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
**श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
**श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जन शिक्षण संस्थान (जे.एस.एस.) एक बहु-विषयक वयस्क शिक्षा कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो संस्थान के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने जन शिक्षण संस्थान का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की ओर केंद्रित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितना व्यय हुआ है; और

(ङ) जन शिक्षण संस्थान के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी):** (क) जी, हां।

(ख) संस्थान के लक्ष्य और उद्देश्य निम्नवत है:-

- नव-साक्षरों और अन्य प्रशिक्षणार्थियों के व्यावसायिक कौशल और तकनीकी ज्ञान में सुधार करना;
- नव-साक्षरों के लिए व्यावसायिक और कौशल विकास कार्यक्रम चलाने के लिए जिला साक्षरता समितियों को अकादमिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करना;
- नव-साक्षरों के लिए सतत् शिक्षा कार्यक्रमों की योजना के तहत मुक्त अधिगम पद्धति के माध्यम से सादृश्य कार्यक्रम आयोजित करना, संसाधन व्यक्तियों के लिए प्रबोधन पाठ्यक्रम चलाना तथा कौशल विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करना;
- धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकीकरण, जनसंख्या और विकास, महिला समानता, पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्रोत्साहित करना।

(ग) जन शिक्षण संस्थान जिला स्तरीय संसाधन सहायता केंद्र हैं और ये पूरे जिले की शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े और शैक्षणिक रूप से लाभवंचित वर्गों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान किया गया कुल व्यय निम्नवत है:-

| वर्ष | व्यय |
|---|---|
| 2003-04 | 25.86 करोड़ रु. |
| 2004-05 | 27.82 करोड़ रु. |
| 2005-06 | 42.08 करोड़ रु. |

(ङ) जन शिक्षण संस्थानों की गतिविधियां जिला के शहरी और ग्रामीण लाभग्राहियों को कवर करती हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर किए जाने वाले व्यय का कोई पृथक्करण नहीं है।

*[हिन्दी]*

## आमों का निर्यात

**976. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:**

**प्रो. महादेवराव शिवनकर:**

**श्री मो. ताहिर:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान सहित कुछेक देशों ने देश से आमों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो देशवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) किन-किन देशों ने चालू वर्ष के दौरान आमों के आयात पर प्रतिबंध को वापस लिया है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान उन देशों को आमों के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) देश से आमों के निर्विघ्न निर्यात के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) और (ख) भारतीय आम में फल की मक्खियों, आम की गुठली, कीटों, गूदा कीटों और अन्य कीटों आदि के कारण अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारत से आमों का आयात करने की अनुमति नहीं है।

(ग) जापान ने 23 जून, 2006 को भारतीय आमों के आयात पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है।

(घ) आमों के निर्यात हेतु देशवार लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया गया है।

(ङ) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), आम सहित कृषि उत्पाद के निर्यात को सुकर बनाने के लिए निर्यातकों को बाजार विकास अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास और अनुसंधान तथा विकास जैसी अपनी स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। इस दिशा में किए गए अन्य उपायों में कृषि निर्यात जोनों की स्थापना करना, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर शीघ्र खराब होने वाले कार्गो की हैंडलिंग के लिए सुविधाओं का प्रावधान करना, आम संवर्धन अभियानों का आयोजन और क्रेता-विक्रेता बैठकें करना आदि शामिल हैं।

*[अनुवाद]*

## उल्फा नेताओं को मुक्त करना

**977. श्री चन्द्रभूषण सिंह:**

**श्री हंसराज जी. अहीर:**

**श्री मणी कुमार सुब्बा:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पी.सी.जी. के साथ एक बैठक के पश्चात् उल्फा के पांच महत्वपूर्ण नेताओं को जेल से रिहा करने को तैयार हो गई है;

(ख) यदि हां, तो किन नेताओं के लिए रिहाई की मांग की गई है;

(ग) क्या उल्फा ने सरकार को आश्वस्त किया है कि उल्फा नेताओं को जेल से रिहा किए जाने के पश्चात् असम में आतंकवादी गतिविधियों को रोक दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) से (घ) यूनाईटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) द्वारा गठित असम पीपल्स कंसलटेटिव ग्रुप (पी.सी.जी.) ने सरकार के साथ 26-10-2005, 7-2-2006 और 22-6-2006 को वार्ता के तीन दौर आयोजित किए। 22-6-2006 को आयोजित वार्ता के तीसरे दौर के दौरान, पी.सी.जी. द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, यह कहा गया है कि पांच उल्फा कैदियों को रिहा करने संबंधी उनके अनुरोध पर असम सरकार के साथ परामर्श करके अनुकूल दृष्टि से विचार किया जाएगा। साथ ही साथ पी.सी.जी. से शांतिपूर्ण और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने हेतु उल्फा पर दबाव डालने का आग्रह किया गया ताकि भारत सरकार के साथ सीधी वार्ता शीघ्र आयोजित की जा सके। पी.सी.जी. ने वार्ता के प्रति भारत सरकार के दृष्टिकोण पर संतोष व्यक्त किया जिससे असम में चिरस्थायी शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी। पी.सी.जी. ने भारत सरकार को यह भी आश्वासन दिया कि वे असम में शांतिपूर्ण माहौल पैदा करने के लिए उल्फा से अपील करेगी, जिससे सीधी वार्ता आयोजित करने में सहायता मिलेगी।

यह नोट किया गया है कि 22 जून, 2006 को हुई बैठक के बाद से असम में सुरक्षा स्थिति कुल मिलाकर शांतिपूर्वक रही है।

## नालको का लाभ

**978. श्री सुनील खां:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नालको एक लाभप्रद इकाई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 के दौरान नालको द्वारा अर्जित किए गए लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नालको का विनिवेश करने के क्या कारण है?

**खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी):** (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 के दौरान नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

| वर्ष | (करोड़ रु. में) |
|---|---|
| 2003-04 | 737.37 |
| 2004-05 | 1234.84 |
| 2005-06 (अनंतिम) | 1562.20 |

(ग) सरकार ने 22 जून, 2006 को नालको में सरकार की 87.15% के शेयर होल्डिंग में से प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 10% को बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से बेचने के एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया था। तत्पश्चात्, 6 जुलाई 2006 को सरकार ने, आगे की समीक्षा तक, सभी विनिवेश निर्णयों तथा प्रस्तावों को स्थगित रखने का निर्णय लिया है।

## विनिर्माण इकाइयों का सकल घरेलू उत्पाद

**979. श्री के.एस. राव:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान विनिर्माण इकाइयों का सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में कितना योगदान रहा; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इन इकाइयों में कितना विदेशी निवेश किया गया?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार):** (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान तथा विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश निम्न प्रकार है:-

| वर्ष | स्थिर मूल्यों पर (1993-94) (प्रतिशत के रूप में) जी.डी.पी. में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान | विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह (राशि मिलियन अमेरिकी डालर में) |
|---|---|---|
| 2000-01 | 17.2 | 806.73 |
| 2001-02 | 16.9 | 1827.77 |
| 2002-03 | 17.3 | 1036.57 |
| 2003-04 | 17.0 | 671.47 |
| 2004-05 | 17.4 | 1196.93 |

## भारत-थाइलैण्ड मुक्त व्यापार समझौता

**980. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और थाइलैंड के बीच व्यापार की स्थिति क्या है;

(ख) क्या मुक्त व्यापार समझौते के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपरोक्त समझौते के अंतर्गत कौन-कौन से उत्पादों पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) भारत और थाइलैंड के बीच व्यापार की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

(मूल्य मिलियन अम.[illegible] में)

| वर्ष | निर्यात | आयात | कुल |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2004-05 | 901.39 | 865.88 | 1767.27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2005-06 | 1062.25 | 1201.75 | 2264.00 |
| % वृद्धि | 17.85 | 38.79 | 28.11 |

(स्रोत: डी.जी.सी.आई. एण्ड एस., कोलकाता)

(ख) और (ग) जी, हां। भारत और थाइलैंड के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना हेतु एक कार्य ढांचे करार पर दिनांक 9-10-2003 को हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों देशों के बीच व्यापार में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2005-06 के दौरान 28.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(घ) दोनों देशों के निर्यात हित की 82 सामान्य मदों पर से दिनांक 1-9-2004 से फास्ट ट्रैक आधार पर टैरिफ की समाप्ति हेतु सहमति हो गई है। इन मदों की सूची http://commerce.nic.in/ पर देखी जा सकती है।

### फार्मेसी कालेजों की स्थापना

981. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ए.आई.सी.टी.ई. के समक्ष फार्मेसी कालेजों की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश से लगभग 20 आवेदन लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या परिषद के पास स्थान को ध्यान में रखते हुए आवेदकों को प्राथमिकता देने की कोई नीति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थान आधारित प्राथमिकता वाले कितने आवेदन ए.आई.सी.टी.ई. के समक्ष लम्बित पड़े हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी):** (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश में फार्मेसी कॉलेज स्थापित करने के लिए कोई आवेदन पत्र उनके पास लम्बित नहीं है। आन्ध्र प्रदेश से नये फार्मेसी कॉलेज स्थापित करने के लिए 46 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इन सभी आवेदन पत्रों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानदंडों के अनुसार संसाधित किया गया था। यद्यपि पांच आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया गया, 41 आवेदकों को आशय पत्र दिए गए जिनमें से 6 आवेदकों ने अनुमोदन पत्र प्राप्त कर लिए हैं।

(ग) और (घ) स्थानीय दृष्टिकोण से आवेदकों को प्राथमिकता दिए जाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की कोई नीति नहीं है।

### हाथ से बने वस्त्र

982. **श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाथ से वस्त्र बनाने वाले लोगों की स्थिति बिगड़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो हाथ से वस्त्र बनाने वालों की स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार के पास ड्यूटी एनटाइटल में पास बुक (डी.ई.पी.बी.) दरों को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन):** (क) और (ख) जी, नहीं। मानव निर्मित फाइबर, मानव-निर्मित फिलामेंट यार्न एवं कपड़े के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि सामने आती रही है। पिछले तीन वर्षों में उत्पादन के ब्यौरे निम्नलिखित है:-

| उत्पादन | एकक | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 (अनं.) | 2004-05 से 2005-06 में वृद्धि % | अप्रैल-मई (अनंतिम) | | वृद्धि % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2006-07 | 2005-06 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| मानव निर्मित फाइबर | मि.कि.ग्रा. | 953 | 1023 | 965 | (-)5.7 | 190 | 154 | 23.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फिलामेंट यार्न | मि.कि.ग्रा. | 1118 | 1109 | 1176 | 6.0 | 216 | 194 | 11.3 |
| फैब्रिक्स | | | | | | | | |
| मिश्रित | मि.वर्ग.मी. | 6068 | 6032 | 6184 | 2.5 | 1051 | 1002 | 4.9 |
| 100% गैर-कपास | मि.वर्ग.मी. | 17613 | 17998 | 18572 | 3.2 | 3270 | 2716 | 20.4 |
| कुल फैब्रिक्स | मि.वर्ग.मी. | 42383 | 45378 | 49007 | 8.0 | 8422 | 7681 | 9.6 |

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने 3 जुलाई, 2006 की सार्वजनिक सूचना संख्या-29 (आर.ई.-2006-09/2004-09) द्वारा शुल्क हकदारी पासबुक (डी.ई.पी.बी.) दरों में संशोधन कर दिया है।

*[हिन्दी]*

**मध्य प्रदेश को विपणन सहायता**

**983. श्री विजय कुमार खण्डेलवाल:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार से दीन दयाल हथकरघा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम और मध्य प्रदेश रेशम परिसंघ को विपणन सहायता देने के लिए अलग-अलग प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):** (क) भारत सरकार को दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डी.डी.एच.पी.वाई.) के विपणन प्रोत्साहन घटक के तहत केवल मध्य प्रदेश राज्य रेशम विकास एवं व्यापार सहकारी संघ लि. के बारे में वर्ष 2005-06 के लिए 79,008/-रुपये का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य रेशम विकास एवं व्यापार सहकारी संघ लि. के विपणन प्रोत्साहन प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि हथकरघा संगठन को पूर्व में जारी की गई केन्द्रीय अंश की 70,51,770/-रुपये के बारे में राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए थे, जिसमें सिल्क संघ के लिए 1,41,230/-रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र शामिल हैं। राज्य सरकार से, इस कार्यालय के पत्र संख्या 15/15/डी.सी.एच./डी.डी.एच.पी.वाई./एम.पी./एम. एंड ई./2001 दिनांक 24-5-2006 के माध्यम से, अनुरोध किया गया था कि वे अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजें परंतु वे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

**निवेश को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन**

**984. श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खनन क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) समझौता ज्ञापन की शर्तें कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

**खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी):** (क) और (ख) सरकार ने, विशेष रूप से, गैर-ईंधन, गैर-परमाणु खनिज क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि, भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को सुसाध्य बनाने के लिए सरकार ने अन्य देशों के साथ-साथ फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, चीन, उज्बेकिस्तान आदि के साथ समझौतों/समझौते-ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों/समझौता ज्ञापनों में अनुसंधान एवं विकास, कार्मिकों के प्रशिक्षण में द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रमों, संयुक्त उद्यमों की सम्भावनाओं का पता लगाने और गवेषण, विकास और विदोहन के क्षेत्रों में उत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां लाने की परिकल्पना की गई है।

*[अनुवाद]*

### जामिया मिलिया इस्लामिया में अरब सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना

**985. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जामिया मिलिया इस्लामिया में अरब सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसे केन्द्र के उद्देश्य क्या हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी):** (क) से (ग) किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने, जो कि विश्वविद्यालय के मत में उसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने हेतु अपेक्षित है, का अधिकार स्वयं विश्वविद्यालय के पास है। जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इसकी कार्यकारी परिषद ने 28 मई, 2006 को एक अरब सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने को अनुमोदित किया था। इस केन्द्र का वित्तपोषण संपूर्ण रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाएगा। यह केन्द्र अरब जगत विशेषकर, सऊदी अरेबिया से जुड़ी जानकारी के एक भंडार के रूप में कार्य करने के साथ-साथ इसका उद्देश्य दोनों देशों के रचनाकारों, अध्येताओं तथा विचारकों के आदान-प्रदान को आगे बढ़ाना है, जिससे भारत-अरब संबंधों का दायरा बढ़ेगा।

*[हिन्दी]*

### महाराष्ट्र में खनन कार्य

**986. श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में खनन कार्य और पट्टे पर दिए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) खानों को पट्टे पर देने के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष महाराष्ट्र के कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं; और

(ग) आवेदकों को खानों को आबंटित न करने के क्या कारण है?

**खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी):** (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31-03-2005 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र में नागपुर, चन्द्रपुर, गढ़चिरोली, भण्डारा, यवतमाल, अमरावती, सिन्धुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापुर, रायगढ़, गोंडिया, जालना और सतारा जिलों में गैर-ईंधन खनिजों के लिए 153.44 वर्ग किलोमीटर पर कुल 231 खनन पट्टे मंजूर किए गए हैं।

(ख) खान और खनिज (विकास और विनियमान) अधिनियम 1957 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दस खनिजों के संबंध में, खनन पट्टा मंजूर करने के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित होता है। महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त खनन पट्टा मंजूर करने के 36 प्रस्ताव पूर्व अनुमोदन के लिए मंत्रालय में लंबित हैं।

(ग) 1-4-2005 से 30-6-2006 की अवधि के दौरान, सात प्रस्तावों को प्रस्तावों में कुछ खामियां होने के कारण, महाराष्ट्र राज्य सरकार को वापस लौटा दिया गया है।

*[अनुवाद]*

### सुनामी पीड़ितों के लिए कार्यरत एन.जी.ओ.

**987. श्री ए.वी. बेल्लारमिन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुनामी पीड़ितों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में संलग्न स्वयंसेवी संगठनों और धर्मार्थ न्यासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक को राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा अब तक प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे संगठनों द्वारा प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सुनामी प्रभावित परिवारों के लिए स्थायी घरों के निर्माण के लिए कितने खर्च का अनुमान है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) सुनामी से प्रभावित सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में राहत और पुनर्वास अभियानों में स्वैच्छिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। क्षतिग्रस्त मकानों के बदले स्थायी मकानों के निर्माण संबंधी पुनर्वास गतिविधियों में उनका मुख्य योगदान रहा है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में निर्मित किए जा रहे मकानों की संख्या संबंधी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

| राज्य/संघ शासित प्रदेश | क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या | गैर सरकारी संगठनों द्वारा निर्मित किए जा रहे मकानों की संख्या |
|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 481 | – |
| केरल | 4055 | 2431 |
| तमिलनाडु | 53562 | 35386 |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 9714 | 1686 |
| पांडिचेरी | 10061 | 5042 |
| कुल | 77873 | 44545 |

(ख) राज्य/संघ शासित प्रदेशों ने मकानों का निर्माण करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नही करवाई है। तथापि, निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करवाई गई है।

(ग) स्थायी मकानों के निर्माण हेतु गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए व्यय संबंधी ब्यौरे मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

*[हिंदी]*

**आपराधिक माफिया और फिल्म अभिनेताओं का गठजोड़**

**988. श्री रामदास आठवले:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिल्म अभिनेताओं/अभिनेत्रियों और आपराधिक माफियाओं के बीच कोई गठजोड़ हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस प्रकार के गठजोड़ पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित):** (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ फिल्म अभिनेताओं/अभिनेत्रियों की अपराधियों के साथ संलिप्तता सूचित की गई है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय है और इसलिए, अपराध का पता लगाना, दर्ज करना, जांच पड़ताल करना, अभियोग चलाना और रोकथाम करने की जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है।

*[अनुवाद]*

**हथकरघा क्षेत्र का पुनरुद्धार**

**989. श्री पी. मोहन:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हथकरघा क्षेत्र के पुनरुद्धार हेतु कोई पैकेज अथवा योजना घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन से राज्यों में ऐसे पैकेजों/योजनाओं की घोषणा की जानी है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और इसको जुटाने के स्रोत क्या हैं;

(ङ) क्या इस क्षेत्र के विकास के लिए इन्पुट सामग्री की अबाध आपूर्ति, विपणन, सुविधायें, गलाकाट प्रतिस्पर्धा से संरक्षा, प्रौद्योगिकीय प्रोन्नयन और राजसहायता को सांविधिक बाध्यता बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):** (क) से (च) भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र की उत्पादन, उत्पादकता एवं क्षमता बढ़ाने तथा हथकरघा बुनकरों को उनके कौशल उन्नयन एवं अवसंरचनात्मक निवेश एवं विपणन सहायता देते हुए उनकी आय तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई विकासात्मक योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। महत्वपूर्ण विकासात्मक योजनाएं इस प्रकार हैं:- दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना, विपणन संवर्धन कार्यक्रम, मिल गेट कीमत योजना, कार्यशाला सह

आवास योजना, बुनकर कल्याण योजना एवं हथकरघा निर्यात योजना। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2005-06 में एकीकृत हथकरघा समूह विकास, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना एवं स्वास्थ्य बीमा योजना नामक नई योजनाएं शुरू की गई हैं। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2006-07 के दौरान प्लान योजना के तहत हथकरघा क्षेत्र को 185.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

**पब्लिक विद्यालयों के विरुद्ध सम्पदा कर**

**990. श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के कुछ पब्लिक विद्यालयों के विरुद्ध सम्पदा कर की भारी राशि लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो विद्यालय-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विद्यालयों से इन बकाया राशियों की वसूली के लिए एम.सी.डी. ने क्या कदम उठाए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) और (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

**(i) दिल्ली नगर निगम**

दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्थित विभिन्न पब्लिक स्कूलों पर 31-3-2004 तक, सम्पत्ति कर निर्धारण की पुरानी व्यवस्था के तहत 26,58,18,263/- रुपये की राशि बकाया है। उपर्युक्त बकाया राशि विवादग्रस्त अदायगी, यदि कोई हो, तो के समायोजन के अध्याधीन है। दिल्ली नगर निगम ने सम्पत्ति कर आकलन की नई व्यवस्था, अर्थात् 1-4-2004 से इकाई क्षेत्र व्यवस्था (यूनिट एरिया सिस्टम) शुरू की है। इस व्यवस्था के तहत, कर दाता अपने सम्पत्ति कर का स्वयं हिसाब लगाएंगे और तद्नुसार स्व. आकलन विवरणी दायर करेंगे और सम्पत्ति कर अदा करेंगे। 1-4-2004 से आगे की अवधि की बकाया राशि का पता स्वः आकलन विवरणियों की छानबीन पूरा होने के बाद ही चलेगा। बकाया राशि के स्कूल-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

**(ii) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद**

दिल्ली नगर पालिका परिषद के क्षेत्र में स्थित विभिन्न स्कूलों से 27 जुलाई, 2006 तक 1,15,18,719 रुपये की राशि बकाया है। बकाया राशि के स्कूल-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

**(iii) दिल्ली छावनी बोर्ड**

दिल्ली छावनी बोर्ड ने, अपने क्षेत्राधिकार में स्थित तीन पब्लिक स्कूलों में सम्पत्ति कर लागू करने का प्रस्ताव है। यह मामला आकलन समिति के प्रक्रियाधीन है।

(ग) पब्लिक स्कूलों से बकाया राशि वसूलने हेतु दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई में मांग संबंधी नोटिस और कारण बताओ नोटिस जारी करना और बैंक खातों, किराये और सम्पत्ति की कुर्की शामिल है।

***विवरण-I***

| क्रम सं. | स्कूल का नाम | 31-3-2004 तक की अवधि के लिए बकाया (रुपयों में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ऐ.पी.जे., सेक्टर-8, द्वारका | 23491283 |
| 2. | टेगोर स्कूल, जी-8 एरिया, राजौरी गार्डन | 6585052 |
| 3. | एन. ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल, अलकनंदा | 13831560 |
| 4. | हाई राइस पब्लिक स्कूल, मोहन गार्डन, उत्तम नगर | 1161000 |
| 5. | लखानी चंद चैरीटेबल, द्वारका | 12742500 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6. | जी.एच.के. पब्लिक स्कूल, टी-30, पंजाबी बाग | 11312765 |
| 7. | डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, विकासपुरी | 10561264 |
| 8. | सैनिक पब्लिक स्कूल, इंदर इंक्लेव | 8899100 |
| 9. | टी. विद्या भारती स्कूल, वसंत कुंज | 8778413 |
| 10. | एस.डी. स्कूल, दयानंद कालोनी, लाजपत नगर | 8093346 |
| 11. | पी.एस.जे. प्रोग्रेसिव स्कूल, गुरु हरकृष्ण नगर | 7914769 |
| 12. | सोलंकी पब्लिक स्कूल, बुध विहार | 7190483 |
| 13. | बोहरीयन वाला थाला, इन्द्रपुरी | 7171001 |
| 14. | थामसन पब्लिक स्कूल, मोहन गार्डन, उत्तम नगर | 7050000 |
| 15. | सेंट गिरी पब्लिक स्कूल, सेक्टर-13, रोहिणी | 6043200 |
| 16. | ऑक्सफोर्ड सीनियर सेंकडरी स्कूल, विकासपुरी | 5895316 |
| 17. | गंगा पब्लिक स्कूल, रोहतक रोड | 2541693 |
| 18. | लिटिल पीपुल स्कूल, द्वारका | 5651000 |
| 19. | आदर्श सीनियर सेंकडरी स्कूल, लिबासपुर | 5623789 |
| 20. | पैराडाइस पब्लिक स्कूल, गुरु हरकृष्ण नगर | 5003239 |
| 21. | खजानी पब्लिक स्कूल, मुंगेशपुर | 4933438 |
| 22. | सरस्वती पैराडाइस स्कूल, सेक्टर-3, रोहिणी | 4134700 |
| 23. | भगवान महावीर विद्यालय, अशोक विहार | 4107196 |
| 24. | शिवा राय हिल स्कूल, बुराड़ी | 3999499 |
| 25. | महावीर सीनियर मॉडल स्कूल, संगम पार्क एक्सटेंशन | 3688698 |
| 26. | श्रीराम पब्लिक स्कूल, बमरौली, गांव नजफगढ़ | 3507600 |
| 27. | एन.ई.ओ.-कॉनवेंट स्कूल, पश्चिम विहार | 3193200 |
| 28. | मैसौनिक पब्लिक स्कूल, वसंत कुंज | 3029303 |
| 29. | रौजरी प्राइमरी स्कूल, गांव धीरपुर | 3010430 |
| 30. | ब्राइट फाउंडेशन पब्लिक स्कूल, सेक्टर-13, रोहिणी | 2897160 |
| 31. | मालवीय पब्लिक स्कूल, टी-55, खिड़की एक्सटेंशन | 2695596 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 32. | भाई परमानंद विद्यालय, सूर्या निकेतन | 2590391 |
| 33. | एस.डी.एम.एम.वी.एन. पब्लिक स्कूल, महावीर एंक्लेव | 2515691 |
| 34. | गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, फतेह नगर | 2500325 |
| 35. | महाराजा अग्रसेन स्कूल, अशोक विहार | 2407678 |
| 36. | जनरल राज पब्लिक स्कूल, हौजखास | 2390650 |
| 37. | सर छोटू राम एजूकेशन ट्रस्ट/स्कूल, कंजावला | 2291136 |
| 38. | संत निरंकारी पब्लिक स्कूल, अवतार एंक्लेव | 2260560 |
| 39. | एम.डी. पब्लिक स्कूल, बवाना | 1932591 |
| 40. | कैम्ब्रीज स्कूल, श्रीनिवासपुरी | 1967705 |
| 41. | होली इंनोसेंस पब्लिक स्कूल, विकासपुरी | 1955505 |
| 42. | ए.पी.जे. स्कूल, सैनिक विहार | 1915692 |
| 43. | लवली पब्लिक स्कूल, गीता कालोनी | 1828500 |
| 44. | रुकमणी देवी पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा | 1794160 |
| 45. | ग्यान सागर पब्लिक स्कूल, राजनगर-II, पालम कॉलोनी | 1747364 |
| 46. | साईं श्री दादा देव एजुकेशन सोसायटी, राज नगर-II, पालम कॉलोनी | 1733292 |
| 47. | जी.टी.बी. पब्लिक स्कूल, मोहन पार्क | 1717500 |
| 48. | सेंट सोफिया सीनियर सेंकडरी स्कूल, पश्चिम विहार | 1158095 |
| 49. | सन बीम पब्लिक स्कूल, पर्यावरण काम्पलेक्स | 1627500 |
| 50. | सिप्रिंग फील्ड एजुकेशन सोसायटी स्कूल, नजफगढ़ | 1581000 |
| 51. | सेंट लारेंस कांनवेंट, गीता कालोनी | 4652796 |
| 52. | गुरु नानक विद्या भंडार स्कूल, ए-ब्लॉक, जनकपुरी | 1559862 |
| 53. | रामजस स्कूल, आर.के.पुरम | 1552178 |
| 54. | एस.डी. पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा | 1350135 |
| 55. | रामा पब्लिक स्कूल, सागरपुर | 1338354 |
| 56. | जिंदल इंटरनेशनल स्कूल, दौलतपुर | 1312500 |
| 57. | जस्ट फॉर किड स्कूल, पीतमपुरा | 1295500 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 58. | डी.पी.एस. इंटरनेशनल, पुष्प विहार | 3454000 |
| 59. | मदर ग्रेस मौंटेसरी स्कूल, वसंत विहार | 1290402 |
| 60. | रामजस स्कूल, पूसा रोड | 1273308 |
| 61. | डी.पी.एस., रोहिणी | 2027706 |
| 62. | ग्रीन लैंड मॉडल स्कूल, शास्त्री पार्क, शाहदरा | 1041594 |
| 63. | एम.बी.डी. आर्य मॉडर्न स्कूल, ककरौला | 1017000 |
| | कुल | 265818263 |

***विवरण-II***

| क्रम सं. | स्कूल का नाम | 27-7-2006 तक बकाया |
|---|---|---|
| 1. | कारमेल कॉनवेंट स्कूल, मालचा मार्ग, चाणक्यपुरी | 77642 |
| 2. | एस.जी.एच.के. गर्ल्स सीनियर सेंकडरी स्कूल, बंगला साहिब रोड | 88287 |
| 3. | हरकोर्ट बटलर सीनियर सेंकडरी स्कूल, मंदिर मार्ग | 211721 |
| 4. | क्रीस्ट राजा स्कूल, डी.आई.जेड. एरिया, बंगला साहिब रोड | 889563 |
| 5. | कॉनवेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल, बंगला साहिब रोड | 3107600 |
| 6. | आर.एम. आर्य गर्ल्स सीनियर सेंकडरी स्कूल, राजा बाजार | 567288 |
| 7. | खालसा मीडिल स्कूल, चाइल्ड वैलफेयर सेंटर के पीछे एक्स.वाई. ब्लॉक के पास, सरोजनी नगर | 430389 |
| 8. | बिधान चन्द्रा विद्यालय, मोतीबाग | 101685 |
| 9. | श्याम प्रसाद मुकर्जी सीनियर सेंकडरी स्कूल, लोधी स्टेट | 269173 |
| 10. | दिल्ली कन्नड स्कूल, लोधी स्टेट | 4272862 |
| 11. | केरल एजुकेशन सोसायटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कैनिंग लेन | 624769 |
| 12. | गुरु तेग बहादुर सीनियर सेंकडरी स्कूल, अलीगंज, लोधी कॉलोनी | 178189 |
| 13. | निर्मल शिक्षा केन्द्र, शाहजहां रोड | 699551 |
| | कुल | 11518719 |

## कृषि/रोपण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

991. **श्री बसुदेव आचार्य:**

**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:**

**श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रियों के समूह ने कृषि तथा रोपण को निषेध किए गए कार्यकलापों की सूची से हटाकर ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोलने की सिफारिश की है जैसाकि 12 जुलाई, 2006 के 'बिजनेस स्टैन्डर्ड' में समाचार प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा इसका घरेलू कृषि/रोपण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या सरकार ने कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को शामिल करते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार):** (क) और (ख) जी, हां। एफ.डी.आई. पर मंत्रियों के समूह ने जनवरी, 2006 में एफ.डी.आई. नीति की समीक्षा के प्रस्ताव पर विचार करते समय अन्य बातों के साथ-साथ कृषि और रोपण को कुछ अपवर्जनों के साथ निषिद्ध कार्यकलापों की सूची से हटाने के प्रस्ताव की सिफारिश की थी और इन क्षेत्रों में क्षेत्रीय नीति के तहत अनुमत कार्यकलापों को सूची से निकालने की सिफारिश की थी। कृषि और रोपण में स्वत: मार्ग के माध्यम से सौ प्रतिशत एफ.डी.आई. खोलने के लिए मंत्रियों के समूह द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई थी, जैसाकि 12 जुलाई, 2006 के बिजनेस स्टैंडर्ड में समाचार प्रकाशित किया गया है। तथापि, मंत्रियों के समूह ने अनुमत कार्यकलापों में संशोधन की सिफारिश की थी जो कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का हस्तांतरण अथवा निर्गम) विनियम, 2000 में शामिल हैं जिन्हें 'मशरूम' शब्द के बाद आने वाले 'इत्यादि' शब्द को हटाकर तथा 'जल-जीव पालन' शब्द को शामिल करके 18-6-2003 को संशोधित किया गया था।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त एक पत्र के आधार पर सरकार ने स्पष्ट किया कि कृषि और रोपण में एफ.डी.आई. के संबंध में वर्तमान नीति निम्न प्रकार है:-

(i) निम्नलिखित कार्यकलापों अर्थात् नियंत्रित स्थितियों में पुष्पकृषि, बागवानी, बीज विकास, पशु-पालन, मत्स्यपालन, जल-जीव पालन तथा वनस्पति और मशरूम की खेती और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाओं में स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है।

(ii) चाय बागान में पांच वर्ष की अवधि में किसी भारतीय भागीदार/भारतीय जनता के पक्ष में कंपनी की 26 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश करने और भविष्य में भूमि के प्रयोग में किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में संबंधित राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन लेने की शर्त के अध्यधीन 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है।

(iii) उपर्युक्त दो के अतिरिक्त, किसी अन्य कृषि क्षेत्र/कार्यकलाप में एफ.डी.आई. की अनुमति है।

## महिला शिल्पकार

992. **श्री रघुनाथ झा:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हस्तशिल्प उद्योग में शिल्पकारों की संख्या कितनी है तथा इनमें से महिलाएं कितनी हैं;

(ख) क्या महिला शिल्पकारों को उनके कार्य स्थलों पर बेहतर कार्य स्थितियों के अभाव में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या महिला शिल्पकारों को रियायती दरों पर ऋण सुविधाएं देने का कोई प्रावधान नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन):** (क) वर्ष 1995-96 में एन.सी.ए.ई.आर. द्वारा की गई हस्तशिल्पों की गणना के अनुसार हस्तशिल्प कारीगरों की कुल संख्या 47.61 लाख थी, जिनमें से 22.57 लाख महिला कारीगर है।

(ख) जी, हां। सामान्यतया महिलाओं सहित हस्तशिल्प कारीगरों को अपने कार्य स्थल पर कार्य करने की परिस्थितियों संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है।

(ग) सरकार महिलाओं सहित हस्तशिल्प कारीगरों के लिए, वर्कशेड स्कीम कार्यान्वित कर रही है, जिसके अन्तर्गत कार्यान्वयनकारी अभिकरणों जैसे गैर-सरकारी संगठनों, राज्य/केन्द्रीय हस्तशिल्प विकास निगमों इत्यादि को वर्कशेड के विनिर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) और (ङ) हस्तशिल्प कारीगरों के लाभ के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई है जिसमें महिला कारीगर भी शामिल है। यह स्कीम क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट फॉर स्मॉल इण्डस्ट्रीज (सी.जी.टी.एस.आई.) की छत्रछाया में कार्यान्वित की गई है जिसका उद्देश्य संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा थर्ड पार्टी गारंटी को समाप्त करना तथा हस्तशिल्प क्षेत्र में ऋण प्रवाह में आने वाली रुकावटों को दूर करना है। ऋण संबंधी यह सुविधा सभी कारीगरों को बिना किसी लिंग भेद के समान शर्तों पर उपलब्ध करवाई जाती है। आर्टिजन क्रेडिट कार्ड की यह सुविधा महिला कारीगरों सहित सभी कारीगरों को उत्पादन के दौरान कच्चे माल की खरीद तथा अन्य आकस्मिक व्यय के लिए छोटे ऋण प्राप्त करने के लिए भी दी जा रही है।

**विदेशी शिक्षा संस्थाएं**

**993. श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
**श्री प्रहलाद जोशी:**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विदेशी शिक्षा संस्थाओं को चलाने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन विश्वविद्यालयों के लिए क्या शर्तें एवं निबंधन निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या इस आशय के प्रस्ताव को मंत्रियों के समूह को विस्तृत चर्चा के लिए भेजा गया है;

(ङ) यदि हां, तो मंत्रियों के समूह द्वारा इस मुद्दे पर कब तक अपने विचार दिए जाएंगे;

(च) क्या सरकार इन संस्थाओं में आरक्षण नीति पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी):** (क) से (छ) भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश और संचालन और वाणिज्यीकरण को रोकने को विनियमित करने के लिए एक केन्द्रीय विधान का प्रस्ताव है। इन प्रावधानों पर सिफारिशें देने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है।

**गुजरात की निर्यात क्षमता**

**994. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के ऐसे उत्पाद कौन से हैं, जिनमें निर्यात क्षमता है;

(ख) गत दो वर्षों तथा चालू वर्षों के दौरान गुजरात से कितना निर्यात किया गया तथा इससे देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) इस संबंध में भावी योजनाएं क्या हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) गुजरात से पेट्रोलियम उत्पादों, रसायन और भेषज, वस्त्र और कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं हैं।

(ख) पिछले दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान गुजरात से किए गए निर्यात क्रमशः 51655.26 करोड़ रुपए और 59192.73 करोड़ रुपए के रहे हैं। गुजरात द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) निर्यात संवर्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा की गई पहल के अलावा निर्यात संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा संबद्ध कार्यकलापों के लिए राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.) स्कीम के राज्य संघटक के तहत 47.70 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

*[हिन्दी]*

**औद्योगिक इकाई समूह**

**995. श्री कैलाश बैठा:** क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लघु उद्योगों के विस्तार तथा विकास हेतु औद्योगिक इकाई समूह की स्थापना हेतु कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या सरकार को राज्य सरकारों विशेषकर बिहार सरकार से नए समूह स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में राज्यवार विशेष रूप से बिहार राज्य में पहले चुने गए औद्योगिक इकाई समूहों द्वारा कितनी प्रगति की गई है?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद):** (क) सरकार लघु उद्योग क्लस्टरों के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन, विपणन, प्रशिक्षण, आदि में सहायता के लिए लघु उद्योग मंत्रालय के माध्यम से लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एस.आई.सी.डी.पी.) नामक एक योजना संचालित करती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2006-07) के लिए एस.आई.सी.डी.पी. हेतु बजट अनुदान 43.19 करोड़ है। सरकार एकीकृत आधारभूत संरचना विकास (आई.आई.डी.) योजना भी संचालित करती है जिसके तहत नए क्लस्टरों तथा विद्यमान औद्योगिक इस्टेटों के उन्नयन में सहयोग दिया जाता है। 2006-07 के लिए आई.आई.डी. योजना हेतु बजट अनुदान 19 करोड़ रुपये है।

(ख) जबकि एस.आई.सी.डी.पी. विद्यमान लघु औद्योगिक क्लस्टरों के विकास से संबंधित कार्य करता है, आई.आई.डी. योजना के तहत नए क्लस्टर स्थापित किए जा सकते हैं। 2005-06 के दौरान, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के दो प्रस्तावों को आई.आई.डी. योजना के तहत अनुमोदित किया गया है। बिहार राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) एस.आई.सी.डी.पी. के तहत देश में चुने हुए लघु औद्योगिक क्लस्टरों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

***विवरण***

*लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एस.आई.सी.डी.पी.) के तहत आने वाले क्लस्टरों की राज्यवार सूची*

| क्र.सं | राज्य | | क्लस्टर का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| 1. | असम | 1. | ब्रास एंड बेल मेटल इंडस्ट्री क्लस्टर, हाजो |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 1-2. | बल्क ड्रग एंड फार्मूलेशन इंडस्ट्री क्लस्टर, हैदराबाद और मेडक जिला |
| | | 3. | फल प्रसंस्करण उद्योग क्लस्टर, चित्तूर |
| | | 4. | फाउंड्री इंडस्ट्री क्लस्टर, हैदराबाद |
| | | 5. | क्रोचेट लेस इंडस्ट्री क्लस्टर, नरसापुर |
| | | 6. | तैयार वस्त्र, रायदुर्ग |
| | | 7. | ग्रेफाइट क्रूसिबल्स इंडस्ट्री क्लस्टर, राजमुंदरी |
| | | 8. | इमिटेशन ज्वेलरी इंडस्ट्री क्लस्टर, मछलीपत्तनम |
| | | 9. | मैंगो जेली उद्योग क्लस्टर, भिमाली |
| | | 10. | मैंगो जेली उद्योग क्लस्टर, काकीनाडा |
| | | 11. | बर्न्ट लाइम इंडस्ट्री क्लस्टर, पिदुगुराला |
| | | 12. | हल्दी प्रसंस्करण उद्योग क्लस्टर, दुगीराला |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| | | 13. | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्लस्टर, विजयवाडा |
| | | 14. | प्रिसीजन कंपोनेंट्स एंड मशीन टूल्स इंडस्ट्री क्लस्टर, बालनगर |
| | | 15. | प्लास्टिक उत्पाद उद्योग क्लस्टर, अदीलाबाद |
| | | 16. | प्लास्टिक उत्पाद उद्योग क्लस्टर, नालगोंडा |
| | | 17. | इलेक्ट्रोनिक्स उत्पाद इंडस्ट्री क्लस्टर, कुशियागुडा |
| | | 18. | पंखा उद्योग क्लस्टर, हैदराबाद। |
| 3. | बिहार | 1. | ब्रास एवं ब्रांज मेटल यूटेंसिल्स क्लस्टर, परेब (पटना) |
| | | 2. | गन मैन्युफैक्टरिंग क्लस्टर, मुंगेर |
| | | 3. | खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर, मुजफ्फरपुर |
| | | 4. | हर्बल और सुगंधित पौधा आधारित क्लस्टर (पुदीना), मुजफ्फरपुर |
| 4. | छत्तीसगढ | 1. | स्टील रीरोलिंग इंडस्ट्री क्लस्टर, रायपुर |
| 5. | दिल्ली | 1. | तैयार वस्त्र उद्योग क्लस्टर, नई दिल्ली |
| 6. | गोवा | 1. | फार्मास्यूटिकल उद्योग क्लस्टर, मारगांव |
| 7. | गुजरात | 1. | डीजल पम्प एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज क्लस्टर, राजकोट |
| | | 2. | विशेषीकृत तेल और सॉल्वेंटों के निर्माण के लिए हाइड्रोजिनेशन प्रक्रिया पर ट्रायल रन, अहमदाबाद |
| | | 3. | राइस फ्लेक्स इंडस्ट्री क्लस्टर, गोंडल, अहमदाबाद |
| 8. | हरियाणा | 1. | राइस मिलिंग इंडस्ट्री क्लस्टर, करनाल |
| | | 2. | कृषि उपकरण उद्योग क्लस्टर, करनाल |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1. | जनरल एंड लाइट इंजीनियरिंग उद्योग क्लस्टर, परवानू |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 1. | ज्वाइनरी/फर्नीचर उद्योग क्लस्टर श्रीनगर |
| | | 2. | क्रिकेट बैट निर्माण उद्योग क्लस्टर, अनंतनाग |
| 11. | झारखंड | 1. | ऑटो कंपोनेंट्स उद्योग क्लस्टर, जमशेदपुर |
| 12. | कर्नाटक | 1. | भारतीय मशीन टूल उद्योग क्लस्टर के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, बंगलौर |
| | | 2. | फाउंड्री इंडस्ट्री क्लस्टर, बेलगाम |
| | | 3. | तैयार वस्त्र, बंगलौर |

| 1 | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|
| 13. | केरल | 1. | पश्चिमी तट, केरल के साथ टाइल उद्योग क्लस्टर |
| | | 2. | कोट्टयम में रबर क्लस्टर विकास कार्यक्रम |
| | | 3. | स्वर्णाभूषण उद्योग क्लस्टर, त्रिशूर |
| | | 4. | प्लास्टिक उद्योग क्लस्टर में टूल रूम की स्थापना, पेरंबवूर |
| 14. | मध्य प्रदेश | 1. | फार्मास्यूटिकल उद्योग क्लस्टर, इंदौर |
| | | 2. | तैयार वस्त्र उद्योग क्लस्टर, इंदौर |
| 15. | महाराष्ट्र | 1. | बेसिक ड्रग्स उद्योग क्लस्टर, थाणे, नवी मुंबई |
| 16. | नागालैंड | 1. | बेंत तथा बांस उद्योग क्लस्टर, दीमापुर |
| 17. | उड़ीसा | 1. | औषधीय और सुगंध वाले पौधों (केवड़ा) पर आधारित क्लस्टर, गंजम |
| | | 2. | ब्रास एंड बेल मेटल उद्योग क्लस्टर, खुर्दा |
| | | 3. | इंजीनियरिंग उद्योग क्लस्टर, कटक-भुवनेश्वर क्षेत्र |
| 18. | पंजाब | 1-2. | लुधियाना और जलंधर में फोर्जिंग उद्योग क्लस्टर |
| | | 3. | जलंधर क्लस्टर पर फोकस्ड हैंड टूल लघु उद्योग क्षेत्र में ऊर्जा सक्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम |
| | | 4. | सिलाई मशीन और पार्ट्स उद्योग क्लस्टर, लुधियाना |
| | | 5-7. | ऑटो पार्ट्स उद्योग क्लस्टर, फगवाड़ा, जलंधर और लुधियाना |
| 19. | राजस्थान | 1. | नीम आधारित क्लस्टर, झालवाड़ |
| | | 2. | वेटिवर आधारित क्लस्टर, धोलपुर |
| | | 3. | राजस्थान केंद्रित भारतीय पत्थर उद्योग क्लस्टर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम |
| | | 4. | बॉल बियरिंग उद्योग क्लस्टर, जयपुर |
| 20. | तमिलनाडु | 1. | ऑटो कंपोनेंट्स उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम, चेन्नई |
| | | 2. | वेट ग्राइंडर उद्योग क्लस्टर, कोयंबटूर |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 1. | पॉटरी/व्हाइटवेयर उद्योग क्लस्टर, खुर्जा |
| | | 2. | नीम और परफ्यूमरी उद्योग क्लस्टर, कन्नौज |
| | | 3. | नोएडा केंद्रित भारतीय खिलौना उद्योग क्लस्टर के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | 4. अलीगढ़ में फोकस्ड भारतीय ताला उद्योग क्लस्टर के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम |
| | | 5. कॉटन होजरी उद्योग क्लस्टर, कानपुर |
| | | 6. पॉटरी उद्योग क्लस्टर, चुनार |
| | | 7. ग्रे ऑयरन फाउंड्री इंडस्ट्री क्लस्टर के लिए कम लागत का गैस फायर्ड क्यूपोला, आगरा |
| | | 8. लेदर फुटवियर इंडस्ट्रीय क्लस्टर आगरा |
| 22. | उत्तरांचल | 1. सर्वेक्षण उपकरण उद्योग क्लस्टर, रुड़की |
| | | 2. गुणवत्ता मूल्यांकन/आकला सहयोग सेवा केंद्र की स्थापना, सेलाकी, देहरादून |
| | | 3. हर्बल तथा एरोमेटिक पौधों (जिरेनियम) पर आधारित क्लस्टर, भुवाली |
| 23. | पश्चिम बंगाल | 1. ब्रास एंड ब्रांज मेटल यूटेंसिल उद्योग क्लस्टर, कांजेकुरा, बांकुरा |
| | | 2. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स उद्योग क्लस्टर, बरुईपुर |
| | | 3. चर्म उत्पाद उद्योग क्लस्टर, शांति निकेतन |

**के.वी.एस. द्वारा अध्यापकों की भर्ती**

**996. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.) द्वारा कितने अध्यापकों की भर्ती की गई;

(ख) क्या केंद्रीय विद्यालयों में अध्यापकों के पद के लिए हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब से अनिवार्य किया गया है;

(घ) क्या सरकार गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के उम्मीदवारों को लेने के लिए इस शर्त में छूट देगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी):** (क) केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान भर्ती किए गए अध्यापकों की संख्या नीचे दी गई है:-

| क्र. सं. | वर्ष | भर्ती किए गए शिक्षकों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | 2002-2003 | 720 |
| 2. | 2003-2004 | 1765 |
| 3. | 2004-2005 | 1015 |

(ख) और (ग) जी, हां। केंद्रीय विद्यालयों में स्नातकोत्तर अध्यापकों तथा प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के लिए नब्बे के दशक से तथा प्राथमिक शिक्षकों के लिए अस्सी के दशक से हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अध्यापन में प्रवीणता/दक्षता एक अनिवार्य अर्हता है। 2002-03 भर्ती-वर्ष तक हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का मूल्यांकन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता था। 2003-04 भर्ती-वर्ष से हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अध्यापन की प्रवीणता/दक्षता की जांच हिन्दी तथा अंग्रेजी में द्विभाषी टैस्ट (परीक्षा) के माध्यम से की जा रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

### उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए पैकेज

997. **डा. अरुण कुमार शर्मा:** क्या उत्तर- पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए कुल आबंटित वार्षिक परिव्यय तथा निर्धारित लक्ष्य को दर्शाते हुए प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रालयों द्वारा घोषित विभिन्न पैकेजों तथा कृतिक बलों के कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) और (ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास केन्द्रीय सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इस उद्देश्य के साथ क्षेत्र के राज्यों के लिए विशेष पैकेज घोषित किए गए हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए प्रधान मंत्री द्वारा निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैं:-

| | |
|---|---|
| 1. असम एवं मणिपुर | नवम्बर, 2004 |
| 2. त्रिपुरा | अक्तूबर, 2005 |
| 3. असम | जनवरी, 2006 |

पैकेज लागू करना एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें शामिल हैं। प्रमुख अवसंरचना मंत्रालयों/विभागों जैसे कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, विद्युत, जल संसाधन, रेलवे, पर्यटन, मानव संसाधन एवं विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने अपने-अपने क्षेत्रों में आने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुमान और समयावधि तैयार कर लिए हैं। हाल ही में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय को प्रधान मंत्री की घोषणाओं के त्वरित कार्यान्वयन और प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करने के लिए सरकार के संबद्ध मंत्रालयों एवं विभागों के साथ मिलकर इन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

### साम्प्रदायिक हिंसा के संबंध में राष्ट्रीय एकता परिषद् की रिपोर्ट

998. **श्री सुग्रीव सिंह:**
**श्री किसनभाई वी. पटेल:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद ने देश में साम्प्रदायिक हिंसा रोकने के साधनों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय एकता परिषद ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उस रिपोर्ट को कब तक सौंप दिये जाने की संभावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) से (घ) पुनर्गठित राष्ट्रीय एकता परिषद् (एन.आई.सी.) की पहली बैठक 31-8-2005 को नई दिल्ली में हुई थी। एन.आई.सी. की 31-8-2005 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों में से एक निर्णय के अनुसार, सांप्रदायिक दंगों की जांच करने और सांप्रदायिक हिंसा रोकने तथा प्रशासनिक पुलिस और न्यायिक तंत्र आदि को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदम सुझाने हेतु विगत में समय-समय पर, स्थापित किए गए न्यायिक आयोगों/जांच आयोगों की विभिन्न रिपोर्टों की जांच और अध्ययन करने के लिए एक ग्रुप गठित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था।

एन.आई.सी. के सुझाव के अनुसरण में, सांप्रदायिक दंगों के विश्लेषण के बारे में न्यायिक आयोगों और जांच आयोगों की रिपोर्टों का अध्ययन करने हेतु इस मंत्रालय ने 17-1-2006 को राष्ट्रीय एकता परिषद् के एक कार्यकारी ग्रुप का गठन किया था। इस कार्यकारी ग्रुप को छः माह के अंदर अर्थात् 16-7-2006 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। चूंकि कार्यकारी ग्रुप निर्धारित समय के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सका इसलिए इसका कार्यकाल 16-10-2006 तक बढ़ा दिया गया है। इसकी कारवाईयां निरंतर चल रही हैं और इसने अभी तक सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

*[हिन्दी]*

### डोलोमाइट के भण्डार

999. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की स्थिति के अनुसार डोलोमाइट के भण्डार का राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन क्षेत्रों में डोलोमाइट का उचित दोहन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी):** (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में डोलोमाइट के कुल भण्डार 992 मिलियन टन हैं और इनका ब्यौरा निम्नवत है:-

| राज्य | भण्डार (मिलियन टन में) | पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 112 | 1749 |
| छत्तीसगढ़ | 191 | 9103 |
| गुजरात | 115 | 1225 |
| हरियाणा | 9 | 252 |
| झारखंड | 20 | 18 |
| कर्नाटक | 71 | 305 |
| मध्य प्रदेश | 121 | 602 |
| महाराष्ट्र | 21 | 218 |
| उड़ीसा | 176 | 877 |
| राजस्थान | 69 | 579 |
| उत्तर प्रदेश | 17 | 1656 |
| उत्तरांचल | 10 | उपलब्ध नहीं |
| पश्चिम बंगाल | 60 | 927 |

आंकड़े पूर्णांकों में हैं।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राज्यों के भूविज्ञान एवं खनन विभाग द्वारा डोलोमाइट के ग्रेड और गुणवत्ता को सिद्ध करने और इसके भण्डारों को प्रमाणित करने के लिए गवेषण का कार्य सतत् रूप से किया जाता है।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान**

**1000. श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आई.आई.टी. की तर्ज पर राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.एफ.टी.) के उन्नयन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में संसद में पुरःस्थापित तथा पारित विधेयक की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में और एन.आई.एफ.टी. खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नए एन.आई.एफ.टी. के कब तक खोले जाने की संभावना है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):** (क) और (ख) संसद का एक अधिनियम फैशन प्रौद्योगिकी में शिक्षा एवं अनुसंधान के संवर्द्धन एवं विकास के लिए तथा उससे संबंधित मामले के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान को स्थापित एवं शामिल करने के लिए 2006 के अधिनियम सं. 28 के रूप में बनाया गया तथा उसे 14 जुलाई, 2006 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-1 में प्रकाशित कर दिया गया है। इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

(i) इस अधिनियम के तहत उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षणिक विशेष योग्यताएं प्रदान करना, जो इस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी स्थापित अथवा शामिल किए गए किसी भी विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी समकक्ष उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमणपत्रों और अन्य शैक्षणिक विशेष योग्यताओं के समकक्ष होंगी।

(ii) निफ्ट को इस अधिनियम में उल्लिखत कार्य करने के लिए और अधिक प्रकार्यात्मक स्वायत्तता दी गई है।

(iii) भारत के राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर होंगे।

(iv) निफ्ट के शासी बोर्ड में सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले अन्य सदस्यों, जो फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद अथवा उद्योगपतियों में से होंगे, के अलावा तीन संसद सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

(v) शासी बोर्ड का अध्यक्ष प्रख्यात शिक्षाविद, वैज्ञानिक अथवा प्रौद्योगिकीविद अथवा व्यावसायिक होगा और उसे विजिटर द्वारा नामित किया जाएगा।

(ग) से (ङ) यदि निफ्ट केंद्र खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त होता है तो प्रशिक्षित जनशक्ति के लिए अपैरल और वस्त्र उद्योग की आवश्यकता, केंद्र को चालू रखने की क्षमता, अवसंरचना और वित्तीय संसाधनों की व्यवहार्यता, क्षेत्रीय और प्रतिनिधित्व दिए जाने संबंधी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर उस पर विचार किया जाएगा।

## आदिवासियों का पुनर्वास

1001. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर जोर देते हुए आदिवासियों की सुरक्षा, संपूर्ण विकास, कल्याण तथा सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है जैसा कि दिनांक 16 जून, 2006 के "हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) और (ख) जी हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय जनजातीय नीति का प्रारूप तैयार किया है, जिसके अंतर्गत जनजातीय भूमि का हस्तांतरण, जनजातीय वन अंतरापृष्ठ, विस्थापन, पुनर्वास एवं पुन:स्थापना, मानव विकास सूचकांक में वृद्धि; महत्वपूर्ण आधारभूत अवसंरचना का सृजन; उग्र अभिव्यक्ति; विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.टी.जी.) का संरक्षण एवं विकास; जनजातीय उपयोजना रणनीति को अपनाना; सशक्तिकरण, लिंग समानता; गैर-सरकारी संगठनों को समर्थन का सूचीकरण; जनजातीय संस्कृति एवं पारंपरिक ज्ञान; जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन; नियामक एवं सुरक्षात्मक शासन प्रणाली; जनजातियों को सूचीबद्ध करना तथा सूची से निकालना; इत्यादि जैसे विभिन्न विषय समाहित हैं। प्रारूप नीति को जनता के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है तथा इसकी प्रतियां केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, शिक्षाविदों, नृविज्ञानियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनजातीय लोगों के कल्याणार्थ कार्यरत विशेषज्ञों तथा अन्य हितधारियों को भेजते हुए उनसे उनके विचार, टिप्पणियां तथा सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

(ग) चूंकि प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया जाएगा, इसलिए, अभी इसे अंतिम रूप देने की किसी समय-सीमा का कोई उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

*[हिन्दी]*

## टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सिलेंस

1002. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री अशोक कुमार रावत:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मो. ताहिर:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के कुछ शहरों को "टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सिलेंस" का दर्जा दिया है जैसा कि दिनांक 7 जून, 2006 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे शहरों को क्या निर्यात सुविधाएं दी जा रही हैं;

(ग) ऐसे शहरों का चयन करने हेतु क्या मानदण्ड हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कुछ और शहरों को "टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सिलेंस" का दर्जा देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। निर्यात संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों के लिए स्वीकृत ए.एस.आई.डी.ई. स्कीम के अलावा निर्यात उत्कृष्टता वाले कस्बों को प्रदत्त सुविधाएं इन क्षेत्रों में सामान्य सेवा प्रदाता हैं और ये ई.पी.सी.जी. स्कीम की सुविधा के पात्र हैं तथा इकाइयों की मान्यता प्राप्त एसोसिएशनें संकेन्द्रित प्रौद्योगिकीय सेवाएं सृजित करने के लिए बाजार पहुंच पहल स्कीम के अंतर्गत निधियां प्राप्त कर सकती हैं।

(ग) विशिष्ट भौगोलिक स्थानों पर अनेक कस्बे गतिशील औद्योगिक समूहों के रूप में उभरे हैं जो भारत के निर्यातों में उल्लेखनीय योगदान कर रहे हैं। इन औद्योगिक समूहों की क्षमता को अधिकतम समूहों की क्षमता को अधिकतम बनाने तथा मूल्य की दृष्टि से उन्हें अधिक क्रियाशील बनाने तथा नए बाजारों का पता लगाने में समर्थ बनाने की दृष्टि से इन्हें मान्यता प्रदान करना आवश्यक है। 1000 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक के माल का उत्पादन करने वाले चुनिंदा कस्बों को निर्यात वृद्धि की संभावना के आधार पर निर्यात उत्कृष्टता वाले कस्बों के रूप

में अधिसूचित किया जाएगा। तथापि, हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि एवं मत्स्य क्षेत्र में निर्यात उत्कृष्टता वाले कस्बों के लिए आरंभिक सीमा 250 करोड़ रुपए की होगी।

(घ) और (ङ) यह निरंतर चलने वाले प्रक्रिया है और जब कभी राज्य सरकार और/अथवा व्यापार एसोसिएशनों से अनुरोध प्राप्त होते हैं तो उनकी उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की जाती है।

*विवरण*

*निर्यात उत्कृष्टता वाले कस्बों की सूची*

| क्र. सं. | निर्यात उत्कृष्टता वाला कस्बा | राज्य | उत्पाद की श्रेणी |
|---|---|---|---|
| 1. | त्रिरुपुर | तमिलनाडु | हॉजरी |
| 2. | लुधियाना | पंजाब | ऊनी निटवियर |
| 3. | पानीपत | हरियाणा | ऊनी कंबल |
| 4. | कन्नूर | केरल | हथकरघा |
| 5. | करूर | तमिलनाडु | हथकरघा |
| 6. | मदुरै | तमिलनाडु | हथकरघा |
| 7. | ए.ई.के.के. (अरूर, इझुपुन्न कोर्डथुरुथु तथा कुथियाथाडु) | केरल | समुद्री खाद्य |
| 8. | जोधपुर | राजस्थान | हस्तशिल्प |
| 9. | खेकड़ा | उत्तर प्रदेश | हथकरघा |
| 10. | देवास | मध्य प्रदेश | भेषज |
| 11. | अल्लेपी | केरल | कॉयर उत्पाद |

*[अनुवाद]*

**जी.आई. रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत उत्पाद**

**1003. श्री बाडिगा रामकृष्णा:**
**श्री के.सी. पलनिसामी:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश के हितों की रक्षा के लिए किन-किन उत्पादों को 'ज्योगरफिकल इंडीकेशन्स रजिस्ट्रेशन' (जी.आई.) के अंतर्गत लाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने जी.आई. रजिस्ट्रेशन हेतु ऐसे और उत्पादों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) इससे किस प्रकार से अन्य देशों से आयात/पाटन से बचने की संभावना है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार):** (क) विवरण-I में दिये गये विवरण के अनुसार, भौगोलिक सूचक (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत अट्ठाइस उत्पादों का पंजीकरण अब तक किया जा चुका है।

(ख) और (ग) विवरण-II में दिये गये विवरण के अनुसार बत्तीस आवेदन लंबित हैं।

(घ) भौगोलिक सूचक (जी.आई.) पंजीकरण, पंजीकृत मालिक एवं इसके प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं को जी.आई. के अनन्य उपयोग का कानूनी अधिकार देता है तथा इसके अतिक्रमण के संदर्भ में राहत पाने का अधिकार भी देता है। गैर-प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा भौगोलिक सूचकों के दुरुपयोग का अपवर्जन, वैध उत्पादकों के विशुद्ध उत्पाद के विपणन को सुनिश्चित करेगा। तथापि, भौगोलिक सूचकों का पंजीकरण, अन्य देशों से आयात/डंपिंग से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं है।

*विवरण-I*

*पंजीकृत भौगोलिक सूचक (उत्पाद)*

| क्र. सं. | भौगोलिक सूचक | उत्पाद | राज्य | आवेदक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | दार्जिलिंग चाय | चाय | पश्चिम बंगाल | टी बोर्ड, 14, बी.टी.एम., सरानी (बारबोर्न रोड), पी.ओ. बॉक्स नं. 2172, कोलकाता-700 001। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | पोचाम्पल्ली इकाट | वस्त्र | आंध्र प्रदेश | पोचाम्पल्ली हैन्डलूम विमर्स कोप. सोसाइटी लि.,<br>पोचाम्पल्ली हैंडलूम टाई एंड डाई सिल्क साड़ी मैनूफैक्चरर्स एसोसिएशन, पोस्ट एंड मंडल पोचाम्पल्ली, जिला-नालगोंडा-508 284 आंध्र प्रदेश। |
| 3. | चंदेरी साड़ी | वस्त्र | गुना, मध्य प्रदेश | चंदेरी डेवलपमेंट फाउंडेशन, ओल्ड टेलीफोन एक्सचेंज, राजघाट रोड, चंदेरी, मध्य प्रदेश। |
| 4. | कोटपाड हैन्डलूम फैब्रिक | वस्त्र | कोरापुट, उड़ीसा | द उड़ीसा स्टेट हैन्डलूम विमर्स कोप. सोसाइटी लि., (बोयानिका) पंडित जवाहर लाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर- 751001, उड़ीसा |
| 5. | कोटा दोरिया | वस्त्र | कोटा, राजस्थान | कोटा दोरिया डेवलपमेंट हदौती फाउंडेशन (के.डी.एच.एफ.), सदर बाजार, कैथून, जिला-कोटा, राजस्थान |
| 6. | कांचीपुरम सिल्क | वस्त्र | तमिलनाडु | हथकरघा एवं वस्त्र विभाग, (तुमिलनाडु सरकार) कुरालागम द्वितीय तल, चेन्नई-600 018 |
| 7. | भवानी जमाक्कलम | वस्त्र कारपेट | इरोड तमिलनाडु | हथकरघा एवं वस्त्र विभाग (तमिलनाडु सरकार) कुरालागम द्वितीय तल, चेन्नई-600 018 |
| 8. | मैसूर अगरबत्ती | सुगंधित अगरबत्ती | मैसूर, कर्नाटक | आल इंडिया अगरबत्ती मैनूफैक्चरर्स एसोसिएशन, एफ.के.सी.सी.आई. भवन, केम्पगोडा रोड, बंगलोर-560 009 |
| 9. | अरानमूला कन्नडी | मेटल मिरर | केरल | विश्वब्राह्मण अरानमूला कन्नडी निर्माण सोसाइटी, विश्वब्राह्मण भवन, एस. फोर्ट, |
| 10. | सालेम वस्त्र | वस्त्र | तमिलनाडु | सालेम एक्सपोर्टस एसोसिएशन, 108, शिवनार मेन रोड, गुगाई, सालेम-636 006 |
| 11. | सोलापुर टेरी टावेल | वस्त्र | महाराष्ट्र | टेक्सटाइल डेवलपमेंट फाउंडेशन, 79, जोदबासवन्ना चौक, रविवार, पेठ, सोलापुर-413 005 |
| 12. | मैसूर सिल्क | वस्त्र | कर्नाटक | कर्नाटक सिल्क इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, (कर्नाटक सरकार का उद्यम), तृतीय एवं चतुर्थ तल, पब्लिक यूटिलिटी बिल्डिंग, एम.जी. रोड, बंगलौर-560 001, कर्नाटक |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 13. | कुल्लु शॉल | वस्त्र | हिमाचल प्रदेश | एच.पी. पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेन्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, बी-34, एस.डी.ए. कंप्लेक्स, कसुम्पटी, शिमला-171 009 |
| 14. | मदुरई संगुडी | वस्त्र | तमिलनाडु | हथकरघा एवं वस्त्र विभाग, (तमिलनाडु सरकार) कुरालागम द्वितीय तल, चेन्नई-600 018 |
| 15. | कांगड़ा चाय | चाय | हिमाचल प्रदेश | एच.पी. पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेन्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, बी-34, एस.डी.ए. कंप्लेक्स, कसुम्पटी, शिमला-171 009 |
| 16. | कुर्ग संतरा | बागवानी उत्पाद | कर्नाटक | बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार, बायोटेक्नोलोजी सेंटर, हुलीमावु, पो.बो. नं. 7648, बंगलोर-560 076, कर्नाटक |
| 17. | मैसूर बेटेल लीफ | बागवानी उत्पाद | कर्नाटक | बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार, बायोटेक्नोलोजी सेंटर, हुलीमावु, पो.बो. नं. 7648, बंगलोर-560 076, कर्नाटक |
| 18. | नन्जानागुड बनाना | बागवानी उत्पाद | कर्नाटक | बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार, बायोटेक्नोलोजी सेंटर, हुलीमावु, पो.बो. नं. 7648, बंगलोर-560 076, कर्नाटक |
| 19. | मैसूर सैंडल ऑइल | सुगंधित तेल | कर्नाटक | कर्नाटक सोपस एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड (कर्नाटक सरकार का उद्यम) सैंडलवुड ऑइल डिविजन मैसूर, कर्नाटक राज्य इंडिया एंड सैंडलवुड ऑइल डिविजन, सिमोगा, कर्नाटक, भारत |
| 20. | मैसूर सैंडल सोप | साबुन | कर्नाटक | कर्नाटक सोपस एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड (कर्नाटक सरकार का उद्यम) सैंडलवुड ऑइल डिविजन मैसूर, कर्नाटक राज्य इंडिया एंड सैंडलवुड ऑइल डिविजन, सिमोगा, कर्नाटक, भारत |
| 21. | बिद्रीवेयर | हस्तशिल्प | कर्नाटक | कर्नाटक स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, 45 महात्मा गांधी रोड, बंगलोर-560 001 |
| 22. | चन्नपटना खिलौने एवं गुड़िया | हस्तशिल्प | कर्नाटक | कर्नाटक स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, 45 महात्मा गांधी रोड, बंगलोर-560 001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 23. | कोयम्बटूर वेट ग्रिंडर | वेट ग्रिंडर | तमिलनाडु | कोयम्बटूर वेट ग्रिंडर एंव एसेसरीज मैनू-फैक्चरर्रस एसोसिएशन, 133, कट्टूर स्ट्रीट, पी.एन. पालायम, कोयम्बटूर-641 037 |
| 24. | मैसूर रोसवुड इनले | हस्तशिल्प | कर्नाटक | कर्नाटक स्टेट हैंडीक्राफ्टस डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, 45 महात्मा गांधी रोड, बंगलोर-560 001 |
| 25. | कसूटी कशीदाकारी | कशीदाकारी (वस्त्र) | कर्नाटक | कर्नाटक स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, 45 महात्मा गांधी रोड, बंगलोर-560 001 |
| 26. | मैसूर परंपरागत पेंटिंग्स | पेंटिंग्स | कर्नाटक | कर्नाटक स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, 45 महात्मा गांधी रोड, बंगलोर-560 001 |
| 27. | उड़ीसा इकात | वस्त्र उत्पाद हेतु धागों की रंगाई | उड़ीसा | प्रबंध निदेशक, उड़ीसा स्टेट हैंडलूम विवर्स कोप. सोसाइटी लि., (बोयानिका) पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर-751 001, उड़ीसा |

*विवरण-II*

*भौगोलिक सूचकों का आवेदन*

| क्र. सं. | जी.आई. आवेदन संख्या | जी.आई. का नाम | वस्तु | राज्य | आवेदक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 6 | पय्यान्नूर पवित्र रिंग (विरोध किया गया) | आभूषण | केरल | पय्यान्नूर पवित्र रिंग आर्टिसंस एंड देव सोसाइटी, लक्ष्मी ज्वेलरी, मेन रोड पय्यानूर, कन्नूर जिला-670 307 |
| 2. | 14 | बासमती चावल | चावल | हरियाणा, पंजाब | द हेरिटेज, दुकान सं. 127, न्यू अनाज मंडी, तरोरारी, जिला करनाल-132 116 |
| 3. | 17 | नवारा चावल | चावल | केरल | नवारा इको फार्म, करूनकामणि कालास्ट चित्तुर कालेज, पी.ओ. पालकाड-6?? 104, केरल |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 27 | फुलकारी (विरोध किया गया) | कशीदाकारी | पंजाब, हरियाणा राजस्थान | पंजाब स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि., 18, हिमालय मार्ग, उद्योग भवन, सेक्टर 17, चंडीगढ़ |
| 5. | 28 | कलमकारी (विरोध किया गया) | वस्त्र | आन्ध्र प्रदेश | कलमकारी आर्टिसंस रिवाइवल एंड अपसर्ज फोर नेशनल एक्लेम (के.ए. आर.यू.एन.ए.), श्रीकलाहस्ती, चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश-517 644 |
| 6. | 36 | पलाक्कादन मट्टा चावल | चावल | केरल | पलाक्कादन मट्टा फार्मस प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड, करूकमानीकलाम, चित्तुर कालेज, पी.ओ., पालक्कड-678 104, केरल |
| 7. | 37 | मधुबनी पेंटिंग | पेंटिंग | बिहार | डाइरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, विकास भवन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, बिहार, पटना |
| 8. | 38, 39, 41 तथा 42 | जाम नगर लोगो | पेट्रोलियम उत्पाद | गुजरात | रिलाइंस इंडस्ट्रीज लि., मेकर चैम्बर-IV, तृतीय तल, 222, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400 021 |
| 9. | 40 | कृष्णा गोदावरी गैस | गैस | आंध्र प्रदेश | रिलाइंस इंडस्ट्रीज लि., मेकर चैम्बर-IV, तृतीय तल, 222, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400 021 |
| 10. | 43 | पी.आई.एस.सी.ओ. (देशीय करार आवेदन) | अल्कोहलिक पेय | पेरू | पेरू दूतावास (भारत में पेरू के राजदूत) सी-1/24, वसंत विहार, नई दिल्ली-110 057 |
| 11. | 44 | कोंडापल्ली बोम्मालु | हस्तशिल्प | आंध्र प्रदेश | (i) एल.आई.जी.एच.टी. (लैंको इंस्टिट्यूट ऑफ जनरल ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट), लैंको हाउस, 141 एवेन्यू 8, रोड नं.-2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500 034, आंध्र प्रदेश तथा (ii) कोंडापल्ली वूटेन ट्वाइस मैनूफैक्चरर्स म्यूचूअल एडेड परचेज एंड सेल कोपरेटिव लि., कोंडापल्ली इब्राहिमपट्नम मंडल, कृष्णा, जिला, आंध्र प्रदेश |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 45 | पोद्दार डायमंड | आभूषण | महाराष्ट्र | मेसर्स पोद्दार डायमंड लि., 117/212-ए, पंचरत्ना ओपेरा हाउस, मुम्बई-400 004 |
| 13. | 46 | कश्मीर पश्मीना | हस्तशिल्प | जम्मू एवं कश्मीर | क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सिल्क फैक्ट्री के पास, सोलिना बाजार, श्रीनगर-190 009, कश्मीर, जे एंड के |
| 14. | 47 | तंजावर पेंटिंग | पेंटिंग | तमिलनाडु | तंजावर ओविया, पदुगप्पु संग 17/58, मनोजियप्पा विधि, तंजावूर |
| 15. | 48 | कश्मीर सोजानी क्राफ्ट | वस्त्र | जम्मू एवं कश्मीर | क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सिल्क फैक्ट्री के पास, सोलिना बाजार, श्रीनगर-190 009, कश्मीर, जे एंड के |
| 16. | 49 | मालावार मिर्च | कृषिगत उत्पाद | केरल | स्पाइस बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सुगन्ध भवन, एन.एच. वाई पास, पी.बी. नं. 2277 पालारिवत्तम, कोचीन-25 |
| 17. | 50 | इलाहाबाद सुरखा | अमरूद | उत्तर प्रदेश | डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्रोजेक्ट, 4 पी मंजिल, पी.आई.सी.यू.पी. भवन, विभूति खंड, गोमतीनगर, लखनऊ-226 010 |
| 18. | 51 | कानी शॉल | वस्त्र | जम्मू एवं कश्मीर | क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सिल्क फैक्ट्री के पास, सोलिना बाजार, श्रीनगर-190 009,कश्मीर जे एंड के |
| 19. | 52 | नक्शी कंथा | वस्त्र | नई दिल्ली | कारू-कुल फाउंडेशन, एफ-463, (खसरा सं. 316), गली नं. 2, लाडो सराय, नई दिल्ली-110 030 |
| 20. | 53 | करीमनगर का चांदी की काशीदाकारी | हस्तशिल्प | आंध्र प्रदेश | करीमनगर सिल्वर फिलीग्री हैंडी-क्राफ्ट्स म्यूचुअली एडेड कापरेटिव वेलफेयर सोसाइटी लिमिटेड, सं. 4-5-38, फतेहपुरा, करीमनगर-505 001, आंध्र प्रदेश |
| 21. | 54 | एलिपि कयर | कयर उत्पाद | केरल | कयर बोर्ड, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, कोचीन |
| 22. | 55 | मूगा सिल्क | वस्त्र | असम | असम साइंस टेक्नोलोजी एंड इनवायरोनमेंट काउंसिल, तृतीय तल |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | सिटी कापरेटिव बिल्डिंग, यू.एन.बी. रोड, शिलपुखुरी, गुवाहाटी-781 003, असम, भारत |
| 23. | 56 | तेल्लीचेरी मिर्च | कृषिगत उत्पाद | केरल | स्पाइस बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सुगन्ध भवन, एन.एच. बाई पास, पी.बी. नं. 2277 पालारिवत्तम, कोचीन-25 |
| 24. | 57 | केरल का नारियल छिलक का शिल्प | हस्तशिल्प | केरल | विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, वेस्ट ब्लॉक, नं. 7, आर.के.पुरम, नई दिल्ली |
| 25. | 58 | केरल का स्क्रयूपाइन शिल्प | हस्तशिल्प | केरल | विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, वेस्ट ब्लॉक, नं. 7, आर.के.पुरम, नई दिल्ली |
| 26. | 59 | पालक्काड का मद्दलम | हस्तशिल्प (संगीत संबंधी उपकरण) | केरल | विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, वेस्ट ब्लॉक, नं. 7, आर.के.पुरम, नई दिल्ली |
| 27. | 60 | मैसूर का गंजीफा कार्ड | हस्तशिल्प | कर्नाटक | विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, वेस्ट ब्लॉक, नं. 7, आर.के.पुरम, नई दिल्ली |
| 28. | 61 | नवलगुंड डूरीज | वस्त्र | कर्नाटक | विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, वेस्ट ब्लॉक, नं. 7, आर.के.पुरम, नई दिल्ली |
| 29. | 62 | कर्नाटक के कांसे के बर्तन | हस्तशिल्प | कर्नाटक | विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, वेस्ट ब्लॉक, नं. 7, आर.के.पुरम, नई दिल्ली |
| 30. | 63 | तंजावर कला प्लेट | हस्तशिल्प | तमिलनाडु | विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, वेस्ट ब्लॉक, नं. 7, आर.के.पुरम, नई दिल्ली |
| 31. | 64 | स्वामिमलाई कांस्यमूर्ति | हस्तशिल्प | तमिलनाडु | विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, वेस्ट ब्लॉक, नं. 7, आर.के.पुरम, नई दिल्ली |
| 32. | 65 | नागरकोइल के मंदिर आभूषण | हस्तशिल्प | तमिलनाडु | विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, वेस्ट ब्लॉक, नं. 7, आर.के.पुरम, नई दिल्ली |

**श्रमिकों का पलायन**

**1004. श्री ए. साई प्रताप:** क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपर्याप्त कृषि आधारित उद्योगों के कारण आन्ध्र प्रदेश से श्रमिक बड़ी संख्या में अन्य राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए आन्ध्र प्रदेश में उद्योगों की स्थापना हेतु क्या प्रस्ताव है?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद):** (क) और (ख) श्रमिकों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों को तथा एक राज्य से दूसरे राज्य को पलायन करने के विभिन्न कारण हैं। सरकार, आन्ध्र प्रदेश सहित देश में अतिरिक्त रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए दो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीमें अर्थात् (i) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.); (ii) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) का क्रियान्वयन कर रही है। इन दोनों कार्यक्रमों का एक मुख्य उद्देश्य प्रत्येक राज्य के स्थानीय (ग्रामीण या शहरी) क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसरों के सृजन की सुविधा प्रदान करना है। आर.ई.जी.पी. का कार्यान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से, 20,000 तक की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे कस्बों में ग्रामोद्योग की स्थापना करने में पात्र आवेदकों की सहायता करने के लिए तथा पी.एम.आर.वाई. का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए किया जाता है।

आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान 14858 परियोजनाओं की स्थापना की गई है और आर.ई.जी.पी. के तहत अनुमानित 132959 रोजगार अवसर सृजित किए गए हैं। इसी प्रकार, पी.एम.आर.वाई. के तहत इसी अवधि के दौरान अनुमानित 70986 स्व-रोजगार अवसर सृजित करते हुए 47321 शिक्षित बेरोजगार युवाओं की सहायता की गई है।

*[हिन्दी]*

**हस्तशिल्प का निर्यात**

**1005. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शिल्पकार क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत शिल्पकारों तथा बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजना के लाभाभोगियों की संख्या कितनी है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन):** (क) हस्तशिल्प कारीगरों के लिए ऋण प्रवाह को सरल बनाने के लिए बैंकों के माध्यम से एक लाख कारीगर क्रेडिट कार्ड (ए.सी.सी.) जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, हथकरघा बुनकरों को स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड (एस.सी.सी.) स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाता है जो अन्य व्यवसायों के लिए भी है; और बुनकरों के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में कारीगर क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत कवर किए गए कारीगरों की संख्या वर्ष 2003-04 के दौरान 16,500, वर्ष 2004-05 के दौरान 8,222 और वर्ष 2005-06 के दौरान 43,442 है। राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत हथकरघा कारीगरों के कवरेज के संबंध में नाबार्ड के पास व्यवसाय वार ब्यौरा नहीं है; इसके पास स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत कुल कवरेज का ही ब्यौरा है।

*[अनुवाद]*

**सुनामी से प्रभावित मछुआरों को राहत**

**1006. श्री ए.वी. बेल्लारमिन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुनामी में अपने मत्स्यन संबंधी उपकरण खो देने वाले मछुआरों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता, ऋण तथा अनुदान सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सहायता वाणिज्यिक बैंकों अथवा किसी अन्य वित्तीय एजेंसी द्वारा दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) से (ग) मछुआरा समुदाय को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, तत्काल राहत और कार्रवाई, मत्स्य पालन और कृषि क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए सहायता उपलब्ध करवाने के लिए "राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज" नामक विशेष पैकेज की घोषणा की। 3644.05 करोड़ रुपए के कुल पैकेज में से मत्स्य पालन क्षेत्र, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों के जरिए आर्थिक सहायता तथा ऋण के घटक शामिल हैं, और फिशिंग हार्बर के लिए 1223.06 करोड़ (33.56%) रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है। आर्थिक सहायता और ऋण, मछुआरों को क्षतिग्रस्त नावों/जालों, बेड़ों और अन्य मत्स्य पालन

औजारों को प्रतिस्थापित/मरम्मत करने में समर्थ बनाने के लिए है। आर्थिक सहायता और ऋणों के रूप में मछुआरों को वाणिज्यिक बैंकों के जरिए सहायता जारी की जा रही है। राजीव गांधी पैकेज के अन्तर्गत ऋण और आर्थिक सहायता के राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

(रुपए करोड़ में)

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र | ऋण | आर्थिक सहायता | कुल |
|---|---|---|---|
| तमिलनाडु | 566.47 | 441.08 | 1007.55 |
| केरल | 34.13 | 44.85 | 78.98 |
| आन्ध्र प्रदेश | 7.51 | 27.66 | 35.17 |
| पांडिचेरी | 31.13 | 32.01 | 63.14 |
| अंडमान और निकोबार | - | 15.01 | 15.01 |
| कुल योग | 639.24 | 560.61 | 1199.85 |

## विदेशी कॉफी कंपनियों का प्रवेश

**1007. श्री पी. मोहन:** *क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या कुछ विदेशी कॉफी कंपनियों ने अपनी दुकानें खोलने के लिए भारत में प्रवेश करने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हमारे व्यवसाय तथा वर्तमान प्रौद्योगिकी को इससे किस प्रकार लाभ पहुंचने की संभावना है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) और (ख) अमरीका की एक प्रमुख कॉफी खुदरा कंपनी भारत में अपने खुदरा ऑउटलैट खोलने के लिए संभावित अवसरों के बारे में पूछताछ कर रही है। तथापि, इस संबंध में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।

(ग) सरकार ने आपूर्ति एवं मांग के बीच बेहतर संतुलन लाने और कॉफी की कीमतों को स्थिर करने के लिए देश में कॉफी की खपत में वृद्धि को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया है। इस संदर्भ में कॉफी खुदरा व्यापार में संसाधन रखने वाले प्रतिस्पर्धी देश में कॉफी की खपत को बढ़ाने में सहायता करेंगे।

## खुली जेल

**1008. श्री प्रभुनाथ सिंह:** *क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) देश में खुली जेलों की कुल संख्या कितनी है तथा उसमें राज्य-वार कितने कैदी अपनी सजा काट रहे हैं;

(ख) क्या खुली जेलों की यह प्रणाली ने केवल सस्ती है बल्कि इसका निश्चित पुनर्वास महत्व भी है; और

(ग) यदि हां, तो और अधिक खुली जेलें खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित):** (क) राज्यवार ब्यौरे दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ख) खुली जेलें, दोषसिद्ध कैदियों को सुधारने और उनका पुनर्वास करने की विचारधारा को लागू करने के लिए है ताकि वे रिहा होने के बाद स्व-अनुशासित और सुसंस्कृत जीवन गुजार सकें।

(ग) "जेल" राज्य का विषय है। इसलिए, यह राज्य सरकारों का काम है कि वे अपनी आकलित आवश्यकताओं के अनुसार खुले जेलों की स्थापना के लिए पहल करें। तथापि, भारत सरकार, जेलों की आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है जिसके अंतर्गत वे यदि आवश्यकता हो तो खुली जेलों सहित नई जेलों का निर्माण कर सकती है।

### *विवरण*

*31-12-2004 के अंत तक राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार खुली जेलें और खुली जेलों में दोषसिद्ध व्यक्तियों के ब्यौरे*

| क्र. सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | खुली जेल | दोष सिद्ध व्यक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 2 | 284 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश* | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | असम | 1 | 34 |
| 4. | बिहार | 0 | 0 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0 | 0 |
| 6. | गोवा | 0 | 0 |
| 7. | गुजरात | 2 | 93 |
| 8. | हरियाणा | 0 | 0 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 36 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 0 | 0 |
| 11. | झारखंड | 0 | 0 |
| 12. | कर्नाटक | 1 | 25 |
| 13. | केरल | 2 | 234 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 0 | 0 |
| 15. | महाराष्ट्र | 3 | 418 |
| 16. | मणिपुर | 0 | 0 |
| 17. | मेघालय | 0 | 0 |
| 18. | मिजोरम | 0 | 0 |
| 19. | नागालैंड | 0 | 0 |
| 20. | उड़ीसा | 1 | 50 |
| 21. | पंजाब | 1 | 27 |
| 22. | राजस्थान | 9 | 406 |
| 23. | सिक्किम | 0 | 0 |
| 24. | तमिलनाडु | 1 | 89 |
| 25. | त्रिपुरा | 0 | 0 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 0 | 0 |
| 27. | उत्तरांचल | 1 | 310 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 1 | 23 |
| | **कुल (राज्य)** | **26** | **2029** |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 |
| 30. | चंडीगढ़ | 0 | 0 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 |
| 32. | दमण और दीव | 0 | 0 |
| 33. | दिल्ली | 0 | 0 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0 | 0 |
| 35. | पांडिचेरी | 0 | 0 |
| | **कुल (संघ शासित क्षेत्र)** | **0** | **0** |
| | कुल (अखिल भारत) | 26 | 2029 |

(स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो)

**आई.आई.टी. में डिजाइन पाठ्यक्रम का प्रारम्भ**

**1009. श्री धनुषकोडी आर. अतियन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने डिजाइन में चार वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा स्थिति क्या है; और

(ग) इसके कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी):** (क) से (ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी पहले ही वर्ष 1998 से डिजाईन में (बेचलर ऑफ डिजाईन) चार वर्षीय पाठ्यक्रम चला रहा है तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास ने भी जुलाई, 2005 से इंजीनियरी डिजाईन में पांच वर्षीय दोहरी डिग्री कार्यक्रम (बी.टेक तथा एम.टेक) आरंभ किया है। किसी अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित नहीं है।

**प्याज का निर्यात**

1010. **श्री सुग्रीव सिंह:**

**श्री किसनभाई वी. पटेल:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान प्याज के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या किसानों को प्याज के लाभकारी मूल्य मिल रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार प्याज हेतु एक स्थायी निर्यात नीति तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक तैयार कर लिए जाने की संभावना है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) प्याज के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(ख) और (ग) वे कीमतें, जो किसान प्याज के लिए प्राप्त करते हैं, बाजार में व्याप्त स्थितियों पर निर्भर करती हैं। जब कभी कीमतों में मंदी आती है सरकार कीमतों को स्थिर करने के लिए हस्तक्षेप करती है। हाल की घटना में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लि. (नेफेड) ने अप्रैल-जून, 2006 के महीनों के दौरान 55525 क्विंटल प्याज की खरीद की थी जिसमें उन भिन्न-भिन्न विद्यमान बाजार कीमतों की तुलना में 300 रुपए प्रति क्विंटल की निर्धारित कीमत पर की गई खरीद भी शामिल थी जो खरीद के दिन विद्यमान थी ताकि किसान अपने उत्पाद की लाभकारी कीमतें प्राप्त कर सकें।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**रुग्ण लघु उद्योग**

1011. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:**

**श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**

**श्री रायापति सांबासिवा राव:**

**श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:**

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितने मध्यम तथा लघु उद्योग रुग्णता के कारण बन्द हो गए;

(ख) इन उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद):** (क) रुग्णता के कारण बंद हो गए मध्यम एवं लघु उद्योगों पर केन्द्रीय तौर पर सूचना तैयार नहीं की जाती है। तथापि, संदर्भ वर्ष 2001-02 के लिए लघु उद्योगों की तृतीय अखिल भारतीय गणना के परिणामों के अनुसार, 31-03-2001 तक पंजीकृत 22,62,401 लघु उद्योग इकाइयों में से 39 प्रतिशत (संख्या 8,87,427) इकाइयां बंद पाई गई थी। इन बंद लघु उद्योग इकाइयों का राज्य-वार वितरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों सहित प्राथमिक देनदारी संस्थानों (पी.एल.आई.) द्वारा रुग्ण लघु उद्योग के पुनर्वास के लिए नए ऋणों सहित ऋण पुनर्संरचना, आदि के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु उद्योग में आरंभिक चरण में ही रुग्णता का पता लगाने तथा सुधारात्मक उपाय करने और संभाव्य रूप से जीवनक्षम रूप में पहचानी गई रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास के लिए, बैंकों को समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किए हैं।

16 जनवरी, 2002 के विस्तृत दिशानिर्देशों के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने केन्द्र सरकार द्वारा 10 अगस्त, 2005 को घोषित "लघु एवं मध्यम उद्यमों को क्रेडिट बढ़ाने के लिए नीति पैकेज" के आधार पर 8 सितम्बर, 2005 को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश अन्य बातों के साथ-साथ जीवनक्षमता का मानदण्ड, पुनर्गठित लेखों के लिए विवेकपूर्ण मानक, अतिरिक्त वित्त का प्रावधान, पुनर्गठित पैकेज तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के लिए टाइम फ्रेम से संबंद्ध हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को पुनर्वास तथा त्रैमासिक आधार पर लघु एवं मध्यम उद्यम लेखों के पुनर्गठन की प्रगति की समीक्षा की भी सलाह दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के

प्रतिनिधि की अध्यक्षता में, प्रत्येक राज्य में स्थापित राज्य स्तरीय अन्तरसंस्थानिक समिति (एस.एल.आई.आई.सी.) को भी अन्य बातों के साथ-साथ, इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने की भी सलाह दी गई है।

**विवरण**

*पंजीकृत लघु उद्योगों की तृतीय अखिल भारतीय गणना, 2001-02 के अनुसार बंद लघु उद्योग इकाइयों का राज्य-वार वितरण*

| क्र. सं.. | राज्य/ संघ शासित क्षेत्र का नाम | बंद इकाइयों की कुल संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | जम्मू-कश्मीर | 22709 |
| 2. | हिमाचल प्रदेश | 6509 |
| 3. | पंजाब | 82731 |
| 4. | चंडीगढ़ | 1405 |
| 5. | उत्तरांचल | 12100 |
| 6. | हरियाणा | 27546 |
| 7. | दिल्ली | 8357 |
| 8. | राजस्थान | 36847 |
| 9. | उत्तर प्रदेश | 122282 |
| 10. | बिहार | 20525 |
| 11. | सिक्किम | 155 |
| 12. | अरुणाचल प्रदेश | 248 |
| 13. | नागालैंड | 129 |
| 14. | मणिपुर | 1226 |
| 15. | मिजोरम | 1313 |
| 16. | त्रिपुरा | 1077 |
| 17. | मेघालय | 1908 |
| 18. | असम | 10338 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 26080 |
| 20. | झारखंड | 13822 |
| 21. | उड़ीसा | 9708 |
| 22. | छत्तीसगढ़ | 27830 |
| 23. | मध्य प्रदेश | 65649 |
| 24. | गुजरात | 39159 |
| 25. | दमन और दीव | 454 |
| 26. | दादर और नगर हवेली | 423 |
| 27. | महाराष्ट्र | 54243 |
| 28. | आन्ध्र प्रदेश | 38582 |
| 29. | कर्नाटक | 46611 |
| 30. | गोवा | 2327 |
| 31. | लक्षद्वीप | 16 |
| 32. | केरल | 74832 |
| 33. | तमिलनाडु | 127185 |
| 34. | पांडिचेरी | 2586 |
| 35. | अंडमान और निकोबार | 515 |
| | अखिल भारत | 8,87,427 |

**ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा नए पाठ्यक्रम**

**1012. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने नए पाठ्यक्रमों तथा संस्थानों की स्वीकृति के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान प्रणाली में पायी गई कमियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब दूर कर दिया गया है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी):** (क) से (ग) जी हां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने नये पाठ्यक्रमों तथा नई संस्थाओं के अनुमोदन हेतु संशोधित दिशानिर्देश जारी किये हैं जो अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में तथा परिषद की वेबसाइट www.aicte.ernet.in पर उपलब्ध हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने पारदर्शिता, जवाबदेही, विश्वसनीयता, गुणवत्ता तथा समानता पर बल देते हुए नई पहल शुरू की है। नई अनुमोदन प्रक्रिया में किए गए कुछ परिवर्तन इस प्रकार हैं:-

1. संस्थाओं हेतु अनिवार्य स्व-घोषणा की शुरुआत कर पारदर्शिता लाना;

2. संस्थाओं को अपने मामले प्रस्तुत करने तथा उस पर सुनवाई हेतु प्रावधान की व्यवस्था कर समानता को बढ़ावा देना;

3. आपसी विश्वास एवं भरोसा बनाने के लिए अनुपालन रिपोर्ट तथा अनिवार्य स्व-घोषणा के आधार पर अनुमोदन अवधि में बढ़ोतरी;

4. कलैंडर आधारित अनुमोदन प्रक्रिया की तुलना में "वर्ष में किसी भी समय" अनुमोदन प्रक्रिया को लागू करना;

5. समय की स्पष्ट रूपरेखा के साथ 'समयबद्ध अनुमोदन प्रक्रिया';

6. तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, मानकों एवं मानदंडों के अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए 'यादृच्छिक एवं आकस्मिक दौरा';

7. राज्य सरकारों से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की आवश्यकता नहीं है।

*[हिन्दी]*

### एल्यूमिनियम संयंत्रों की स्थापना

1013. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में नए एल्यूमिनियम संयंत्रों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी):** (क) और (ख) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि. (नालको), खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है और यह देश में नया अल्यूमिनियम रिफाइनरी/स्मेल्टर संयंत्र स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रहा है। सरकार को इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

### कार्य के घंटों में वृद्धि

1014. **श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:**
**श्री कैलाश मेघवाल:**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत फैक्टरियों तथा उद्योगों में कार्य कर रहे श्रमिकों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (ओ.जी.एम.) समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या कार्य के घंटों को 8 घंटे से 2 घंटे प्रतिदिन करने तथा सप्ताह में 48 घंटों को 60 घंटे करने तथा फैक्टरी अधिनियम में परिवर्तन करने संबंधी एक प्रस्ताव मंत्रियों के समूह के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रियों का समूह/समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) फैक्टरी अधिनियम में परिवर्तन करने हेतु अधिकार प्राप्त सक्षम प्राधिकारी/विभाग कौन सा है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन):** (क) से (छ) सरकार ने "वस्त्र निर्यात परिदृश्य-निष्पादन, सम्भावनाओं और आगे के तरीके" पर एक मंत्री समूह (जी.ओ.एम.) का गठन किया है। मंत्री समूह ने 15 मई 2006 को अपनी एक बैठक की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वस्त्र क्षेत्र में श्रम कानूनों में लचीलापन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया:-

(i) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन द्वारा वस्त्र निर्यातक इकाइयों, (अपने वार्षिक उत्पादन का 75% तक निर्यात करने वाली इकाइयां), को अध्याय V(बी) के प्रावधानों से छूट देकर मजदूर लेने में वस्त्र

निर्यातक इकाइयों के लिए लचीलापन प्रदान किया जाए बशर्ते ऐसी इकाइयां अपने सभी कामगारों को एक वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार देती हों।

(ii) औद्योगिक विवाद के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में निर्यात क्रियाकलाप को एक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में मानना। इसके लिए वस्त्र निर्यात क्रियाकलाप को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित करते हुए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(एन) में संशोधन की आवश्यकता होगी।

(iii) साप्ताहिक कार्य घंटों को 48 घंटे प्रति सप्ताह से बढ़ाकर 60 घंटे प्रति सप्ताह करने और दैनिक कार्य घंटों को 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे प्रतिदिन करने के लिए फैक्ट्री अधिनियम, 1948 की धारा 51 और 54 में संशोधन करना। कामगारों को अतिरिक्त कार्य घंटों के दौरान कार्य करने के लिए उपयुक्त रूप से मुआवजा दिया जाएगा।

मंत्री समूह ने 15 मई, 2006 को अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और फैक्ट्री अधिनियम, 1948 में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों/राज्य सरकारों के श्रम मंत्रियों, ट्रेड यूनियन नेताओं और अन्य भागीदारों के साथ विचार-विमर्श करने का निर्णय किया। इन परामर्शों के दौरान विद्युत और व्यापार कार्य लागत, जो अन्य राज्य के विषय हैं, के संबंध में भी विचार-विमर्श किया जा सकता है।

तदनुसार 25-1-2006 को राज्य सरकारों/ट्रेड यूनियनों और वस्त्र उद्योग संघों का एक सम्मेलन हुआ और इसमें वस्त्र क्षेत्र के श्रम, विद्युत और व्यापार कार्य लागत संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। मंत्री समूह ने अभी तक इस मामले में अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दिया है।

*[अनुवाद]*

**जन्म तथा मृत्यु संबंधी कानून में संशोधन**

**1015. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**

**श्री रवि प्रकाश वर्मा:**

**श्री हंसराज जी. अहीर:**

**श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**

**श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**

**क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेघर बच्चे देश की जनसंख्या का भाग नहीं हैं जैसा कि दिनांक 24 मई, 2006 के 'हिन्दुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे बच्चों को जनगणना में शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार जन्म तथा मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कार्यसमूह की सिफारिश के अनुसार जन्म तथा मृत्यु संबंधी वर्तमान कानूनों में संशोधन पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या ऐसे मामले सरकार की जानकारी में आए हैं, जहां राज्य, जन्म/मृत्यु संबंधी वर्तमान कानून के अंतर्गत जारी निदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित):** (क) से (घ) जी नहीं श्रीमान, 2001 की जनगणना में सभी व्यक्तियों की गणना की गई है। इसमें गलियों के बच्चे भी शामिल हैं।

(ङ) और (च) जी हां, श्रीमान, भारत के महारजिस्ट्रार की अध्यक्षता में एक समिति ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधानों की समीक्षा की है तथा अधिनियम के और प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन हेतु संशोधन सुझाए हैं। प्रस्तावित संशोधनों पर राज्य सरकारों से टिप्पणियां प्राप्त की गई हैं। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से अपनी टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया गया है।

(छ) और (ज) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन का है। इन सभी ने इस प्रयोजनार्थ नियम बनाए हैं। इस समय, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का स्तर अलग-अलग है।

**जेल में महिलाएं**

**1016. श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जेलों में महिला कैदियों को पेश आ रही समस्याओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महिला कैदियों के कष्टों को कम करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) महिला कैदियों से संबंधित मुकदमों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान उनके द्वारा कितनी जेलों का दौरा किया गया और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित):** (क) और (ख) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के तहत "कारागार" राज्य का विषय है और कारागार प्रशासन, मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए कारागार अधिनियम के उपबंध और जेल नियमवली, कारागार प्रशासन का मार्गदर्शन करती है। तथापि, भारत सरकार ने, समय-समय पर, कई समितियां गठित की हैं जिन्होंने, अन्य बातों के साथ-साथ, महिला कैदियों के सामने आई समस्याओं की जांच की है जिनमें भीड़-भाड़ कुपोषण और उचित कपड़ों, मनोरंजन के साधनों, शिक्षा, व्यावसायिक और कानून आदि की सुविधाओं की कमी शामिल है।

इन समितियों ने महिला कैदियो को पोषक आहार, उचित कपड़े व्यावसायिक और मनोरंजन की सुविधायें, कानूनी सुविधायें और साफ और स्वस्थ वातावरण जैसी मूलभूत सुविधायें, जो उनके पुनर्वास में सहायक होंगी, प्रदान करने के लिए कई सिफारिशें की थीं। इन सिफारिशों को उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को भेज दिया गया है।

भारत सरकार ने भी कारागारों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए मॉडल कारागार नियमावली तैयार की है। इस नियमावली में महिला कैदियों के लिए विशेष अध्याय है जिसमें उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया गया है। मॉडल कारागार नियमावली, सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में परिचालित कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, भारत-सरकार, नए कारागारों का निर्माण करने, मरम्मत करने और वर्तमान कारागारों का पुनरुद्धार करने तथा जल और साफ-सफाई सुविधायें प्रदान करने के लिए कारागारों की आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। यह काफी हद तक कारागारों में भीड़ भाड़ कम करेगी और उन्हें रहने सहने के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करेगी।

(ग) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में यह व्यवस्था करने के लिए एक नई धारा 436 क जोड़ दी गई है कि यदि किसी कानून के उल्लंघन के तहत किए गए अपराध की जांच पड़ताल, जांच या विचारण की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति को उस कानून के तहत उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि की आधी अवधि तक जेल में रखा जाता है तो उसे निजी मुचलके पर छोड़ दिया जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, जांच-पड़ताल, पूछताछ या विचारण की अवधि के दौरान, उस कानून के तहत के उक्त अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक समय के लिए जेल में नहीं रखा जाएगा।

इसके अतिरिक्त, अदालतों में लम्बित मामलों को कम करने के लिए अभिवचन सौदेवाजी (प्ली बार्गेनिंग) पर दंड प्रक्रिया संहिता में एक नया अध्याय अर्थात् XXI क जोड़ गया है।

केन्द्र सरकार ने भी 1562 फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की हैं जिन्होंने अब तक कुल 791344 मामले निपटा दिए हैं।

(घ) कारागार, राज्य का विषय है। तथापि, गृह मंत्रालय के पदाधिकारी, समय पर, कारागारों की आधुनिकीकरण योजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए विभिन्न कारागारों का दौरा करते हैं।

## परीक्षा उत्तीर्ण करना

**1017. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में "तृतीय श्रेणी और उदारतापूर्वक अंक सुविधा" में परीक्षा उत्तीर्ण करने की सुविधा समाप्त करने पर सक्रियता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब तक लिए और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त निर्णय से देश में शिक्षा के स्तर में किस प्रकार सुधार होगा?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**बालिकाओं के माता-पिता को नकद प्रोत्साहन**

1018. **श्री सुग्रीव सिंह:**

**श्री किसनभाई वी. पटेल:**

**श्री जसुभाई धानाभाई बारड:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बालिका भ्रूण हत्या और महिलाओं के प्रति भेदभाव के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए माता-पिता को अपनी पुत्रियों की देखभाल हेतु नकद प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या कुछ देशों में इस अवधारणा को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस योजना के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए इनमें से कुछ देशों में किसी दल को भेजा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

**महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी):** (क), (ख) और (ङ) योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) हेतु "बाल विकास" पर कार्य दल का गठन अप्रैल, 2006 में किया। सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित यह कार्य दल, जिसमें अन्य विशेषज्ञ भी शामिल हैं, बच्चों हेतु मौजूदा दृष्टिकोण तथा कार्यक्रमों की समीक्षा करेगा और बालिकाओं सहित बच्चों की उत्तरजीविता, संरक्षण, कल्याण तथा विकास के लिए उपयुक्त उपाय एवं कार्यक्रम भी सुझाएगा। इस कार्य दल में किए गए विचार-विमर्श से योजना आयोग की संचालन समिति की रिपोर्ट हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त होगी। इस संचालन समिति की अनुशंसाएं ही ग्यारहवीं योजना में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों एवं स्कीमों का आधार बनेंगी।

(ग) इस मंत्रालय को अन्य देशों में मादा भ्रूण हत्या रोकने के लिए नकद प्रोत्साहन देने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

**उद्योगों की स्थापना**

1019. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:**

**श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में नए उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या नीति बनाई गई है;

(ख) इस योजना की अवधि के दौरान उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित/स्वीकृत की गई;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थापित उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार):** (क) सरकार ने एक उदार औद्योगिक नीति की व्यवस्था की है जिसमें अधिकांश उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंसिंग से छूट प्रदान की गई है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) नीति के अन्तर्गत अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों के लिए स्वतः मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति है। उदार और निवेशक अनुकूल नीतियों में उद्यमियों को उनके पसन्द के स्थल के अनुसार तथा तकनीकी आर्थिक महत्व के आधार पर उद्योगों की स्थापना करने की स्वतंत्रता है।

(ख) यद्यपि इस विभाग द्वारा विशेष तौर पर उद्योगों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों को निधियां आवंटित नहीं की जाती है, लेकिन सरकार अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना करने तथा विभिन्न स्कीमों के तहत अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। इन स्कीमों में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा चलाई जा रही विकास केन्द्र योजना, औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना, पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति पैकेज, विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के लिए पैकेज, चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास तथा औद्योगिक पार्क योजना शामिल है तथा इन योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए मानदण्डों के अनुसार निधियां आवंटित की जाती हैं।

(ग) और (घ) चूंकि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने किसी भी राज्य को औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य अधिसूचित नहीं किया है, इसलिए 1-4-2002 से 30-6-2006 तक प्राप्त हुए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन तथा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी किए गए आशय-पत्र/प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों के रूप में यथा उपलब्ध सभी राज्यों की राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

**विवरण**

*वर्ष 2002-2003 से आगे राज्य-वार निवेश आशय (आई.ई.एम.+एल.ओ.आई.+डी.आई.एल.)*

| क्र. सं. | राज्य का नाम | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 (अप्रैल-जून) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये) | संख्या | प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये) | संख्या | प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये) | संख्या | प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये) | संख्या | प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये) |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 271 | 8721 | 266 | 16527 | 422 | 16596 | 493 | 19001 | 178 | 18392 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 6 | 89 | 7 | 68 | 6 | 51 | 7 | 41 | 2 | 5 |
| 3. | असम | 42 | 372 | 39 | 163 | 73 | 430 | 71 | 809 | 18 | 443 |
| 4. | बिहार | 2 | 3 | 5 | 27 | 12 | 314 | 37 | 3913 | 25 | 2688 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 105 | 12388 | 212 | 16155 | 453 | 47602 | 242 | 39914 | 49 | 14750 |
| 6. | दादर और नगर हवेली | 99 | 1860 | 227 | 4137 | 96 | 834 | 88 | 2374 | 25 | 1069 |
| 7. | दमन और दीव | 40 | 275 | 91 | 390 | 54 | 418 | 72 | 780 | 13 | 37 |
| 8. | दिल्ली | 10 | 39 | 9 | 14 | 7 | 20 | 5 | 20 | 2 | 6 |
| 9. | गोवा | 47 | 743 | 33 | 325 | 29 | 171 | 36 | 296 | 10 | 191 |
| 10. | गुजरात | 304 | 10038 | 447 | 32341 | 613 | 29695 | 753 | 82901 | 169 | 7848 |
| 11. | हरियाणा | 195 | 858 | 185 | 8372 | 198 | 2737 | 232 | 5578 | 70 | 915 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 20 | 547 | 63 | 1126 | 107 | 3384 | 115 | 1174 | 42 | 862 |
| 13. | जम्मू-कश्मीर | 64 | 795 | 56 | 774 | 126 | 2719 | 134 | 2058 | 28 | 726 |
| 14. | झारखंड | 18 | 343 | 65 | 1861 | 88 | 10539 | 202 | 54089 | 28 | 5068 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. कर्नाटक | 154 | 2168 | 180 | 14074 | 224 | 10969 | 268 | 15353 | 94 | 5706 |
| 16. केरल | 19 | 84 | 20 | 417 | 26 | 294 | 48 | 610 | 10 | 167 |
| 17. मध्य प्रदेश | 68 | 1520 | 70 | 1616 | 139 | 8538 | 175 | 18782 | 45 | 2094 |
| 18. महाराष्ट्र | 616 | 21498 | 685 | 8878 | 709 | 13256 | 826 | 24694 | 217 | 5524 |
| 19. मणिपुर | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 20. मेघालय | 31 | 817 | 32 | 99 | 32 | 215 | 33 | 634 | 4 | 819 |
| 21. नागालैंड | 1 | 1 | 5 | 16034 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. उड़ीसा | 56 | 3477 | 155 | 17718 | 248 | 45565 | 167 | 38255 | 26 | 13064 |
| 23. पांडिचेरी | 38 | 545 | 51 | 252 | 34 | 263 | 48 | 411 | 13 | 60 |
| 24. पंजाब | 82 | 692 | 110 | 1844 | 170 | 4190 | 195 | 7127 | 52 | 2750 |
| 25. राजस्थान | 126 | 713 | 170 | 1096 | 156 | 2162 | 186 | 5077 | 63 | 3779 |
| 26. सिक्किम | 0 | 0 | 2 | 18 | 5 | 243 | 7 | 548 | 1 | 10 |
| 27. तमिलनाडु | 209 | 1506 | 256 | 2898 | 419 | 54481 | 630 | 11841 | 206 | 6844 |
| 28. त्रिपुरा | 4 | 47 | 2 | 2 | 7 | 251 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29. उत्तर प्रदेश | 258 | 1843 | 238 | 2179 | 565 | 21633 | 631 | 31710 | 251 | 21418 |
| 30. उत्तरांचल | 34 | 592 | 142 | 1334 | 174 | 2441 | 392 | 5706 | 156 | 6330 |
| 31. पश्चिम बंगाल | 313 | 8584 | 450 | 7637 | 452 | 14078 | 380 | 12047 | 86 | 1520 |

टिप्पणी: 1. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंसिंग उपबंधों से छूट प्राप्त उद्योगों और जिनके लिए अनुमोदन आवश्यक नहीं ऐसे उद्योगों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.) उद्यमियों द्वारा दायर किये जाने होते हैं।

2. एल.ओ.आई./डी.आई.एल. ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए जारी किए जाते हैं जो औद्योगिक लाइसेंसिंग के अध्यधीन हैं।

## अग्निशमन सलाहकार परिषद

1020. श्री ब्रजेश पाठक:

श्री पंकज चौधरी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) की अध्यक्षता में स्थायी अग्निशमन सलाहकार परिषद का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परिषद के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या उक्त परिषद राज्यों की अग्निशमन सेवाओं से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए नियमित बैठकें करती है ताकि अग्निशमन के संबंध में सिफारिशें की जा सकें;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक हुई बैठकों का ब्यौरा क्या है और इन बैठकों में कौन-कौन से मुद्दों को उठाया गया तथा क्या सिफारिशें की गईं;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए आबंटित निधियों का राज्य सरकारों द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे राज्यों के विरुद्ध राज्यवार क्या कार्रवाई की गई है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) और (ख) अग्निशमन से संबंधित तकनीकी मामलों की जांच करने और उनके बारे में सिफारिशें करने हेतु 1956 में एक स्थायी अग्निशमन सलाहकार परिषद् का गठन किया गया था। इस परिषद के अध्यक्ष महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा है और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों/केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की अग्निशमन सेवाओं के प्रमुख हैं। राष्ट्रीय अग्निशमन कॉलेज, नागपुर के निदेशक और भारतीय मानक ब्यूरो के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं। भारत सरकार के अग्निशमन सलाहकार इस परिषद के सदस्य-सचिव होते हैं।

(ग) और (ङ) स्थायी अग्निशमन सलाहकार परिषद् नियमित रूप से बैठकें आयोजित करती है। परिषद् की 29वीं, 30वीं और 31वीं बैठकें क्रमशः 15 फरवरी, 2003, 10 और 11 दिसम्बर, 2003 और 4 एवं 5 अगस्त, 2005 को आयोजित की गईं। इन बैठकों में निम्नलिखित प्रमुख मुद्दे उठाए गए और उन पर चर्चा की गई:-

(i) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में एकसमान अग्निशमन सेवा अधिनियम;

(ii) अग्निशमन सेवाओं के प्रमुखों को महानिदेशक का रैंक प्रदान करना;

(iii) आपदा से निपटने हेतु संगठनात्मक और कमान ढांचा;

(iv) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय निर्माण संहिता अपनाना;

(v) अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण;

(vi) विशिष्ट अग्निशमन उपकरणों हेतु मानक विशिष्टियां;

(vii) अग्निशमन उपकरणों के आयात पर सीमा-शुल्क से छूट;

(viii) क्षेत्रीय अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन और सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को अग्निशमन संबंधी प्रशिक्षण देना;

(ix) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जन जागरुकता अभियान; और

(x) वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान का उपयोग।

(ङ) और (च) 10वें और 11वें वित्त आयोगों ने अग्निशमन सेवाओं के लिए राज्यों को उन्नयन और विशेष समस्या संबंधी अनुदान की सिफारिश की। 31-3-2005 तक उपयोग के ब्यौरों के अनुसार, 11वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत 201 करोड़ रुपए के अनुदान की उपयोग संबंधी स्थिति इस प्रकार है:-

| 11वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियों के उपयोग के ब्यौरे | (रु. करोड़ में) |
|---|---|
| राज्य स्तरीय शक्ति प्राप्त समितियों द्वारा संस्तुत योजनाएं | 197.28 |
| जारी निधियां | 162.07 |
| उपयोग की गई निधियां | 147.53 |

राज्यों को, वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का समय से और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर स्मरण कराया गया है।

## आपदाओं हेतु सहायता

1021. **श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सहायता हेतु प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में पशुधन की मृत्यु और पेयजल समस्याओं जैसी कुछ अतिरिक्त प्रकार की प्राकृतिक और मानव कारणों से हुई आपदाओं को सम्मिलित करने के अनुरोध किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने राज्यों में आपदा राहत और पुनर्वास के लिए निर्धारित केन्द्रीय सहायता को जारी करने की तारीख को पहले जारी करने की भी इच्छा व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। बारहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा सी.आर.पी. की वर्तमान स्कीम अधिसूचित की गई है। टी.एफ.सी. ने, सी.आर.एफ./एन.सी.सी.एफ. के अन्तर्गत सहायता हेतु पात्र प्राकृतिक आपदाओं की सूची में कुछ विशिष्ट आपदाओं को शामिल करने के संबंध में विभिन्न राज्यों द्वारा दिए अनेक सुझावों पर विचार किया था। ये हैं भूस्खलन (अरुणाचल प्रदेश, असम और तमिलनाडु), मृद्राक्षरण (असम), लू और शीत लहर (बिहार, हरियाणा, उड़ीसा), बिजली गिरना, (हरियाणा), कीट आक्रमण (पंजाब, तमिलनाडु), जल संचयन, (पंजाब), बांस बहाव (मिजोरम) और नदियों के मार्ग में परिवर्तन (बिहार)।

तथापि, बारहवें वित्त आयोग ने "भूस्खलनों" "हिम स्खलनों" "बादल फटने" और "कीट आक्रमण" को परिभाषित प्राकृतिक आपदाओं, जैसे चक्रवात, सूखा, भूकम्प/सुनामी, आग, बाढ़, ओलावृष्टि, जो कि सी.आर.एफ./एन.सी.सी.एफ. से सहायता के पात्र हैं, की वर्तमान सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। कई परिभाषित प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकम्प, चक्रवात, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन हिमस्खलन की स्थिति में मवेशी मारे जाते हैं और पेयजल समस्या की रिपोर्ट होती है। भारवाही/दुधारू पशुओं की हानि और पेयजल की आपातकालीन आपूर्ति के लिए सहायता प्रदान करने हेतु सी.आर.एफ. और एन.सी.सी.एफ. के अधीन वर्तमान मदों और मानदंडों में पहले से ही प्रावधान है।

(ग) से (ङ) 5 जून, 2006 को आयोजित राज्यों के राहत आयुक्तों के वार्षिक सम्मेलन के दौरान कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों ने जून महीने से अप्रैल महीने तक सी.आर.एफ. के केन्द्रीय अंशदार की प्रथम किश्त समयपूर्व जारी करने का अनुरोध किया।

तथापि, वित्त मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि राज्य बजट में पहले से ही निधियों का प्रावधान है जिसमें केन्द्रीय अंशदान शामिल है और यह राज्य सरकार द्वारा आपदा राहत पर व्यय के लिए उपलब्ध है। जैसा कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा अप्रैल महीने में सी.आर.एफ. के केन्द्रीय अंशदान की प्रथम किश्त जारी न करने का सुझाव दिया है। इससे राज्यों पर राहत अभियानों हेतु खर्च करने पर रोक नहीं लगती है। इसके अतिरिक्त, गम्भीर स्वरूप की प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, भारत सरकार, सी.आर.एफ. के केन्द्रीय अंशदान की किश्त अग्रिम रूप से जारी कर सकती है। सी.आर.एफ. की स्कीम में यह प्रावधान है कि राज्य, सी.आर.एफ. के केन्द्रीय अंशदान, जो राज्य को अगले वर्ष में देय है, का 25% अग्रिम रूप से आहरित कर सकते हैं और इसे अनुवर्ती वर्ष में उन्हें देय राशि में समयोजित किया जाएगा। भारत सरकार, एन.सी.सी.एफ. से "आन एकाउन्ट" आधार पर धनराशि पर भी धनराशि जारी कर सकती है।

## कुटीर उद्योगों की दशा

1022. **डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:**

**श्री सुनिल कुमार महतो:**

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में विभिन्न राज्यों विशेष रूप से झारखण्ड में कुटीर उद्योगों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) विभिन्न राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा विशेष रूप से झारखण्ड में कुटीर उद्योगों की बिगड़ती स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद):** (क) और (ख) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्योगों (जिन्हें कुटीर उद्योगों के रूप में भी जाना जाता है) की स्थापना के लिए, सरकार (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में), खादी

एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से कार्यान्वित ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के नाम से, अपनी क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना के तहत संभावी उद्यमियों को सहायता प्रदान करती है। झारखण्ड सहित देश में आर.ई.जी.पी. के तहत (31 मार्च, 2005 तक) पात्र लाभार्थियों द्वारा स्थापित इकाइयों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

ग्रामीम उद्योगों की स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, निम्नोक्त योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं:-

(i) ऐसे उद्योगों को आधारभूत संरचनात्मक सहयोग एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आर.आई.एस.सी.) योजना।

(ii) उत्पादों के सुधरे हुए डिजाइन और पैकेजिंग के लिए उत्पाद विकास, डिजाइन इण्टरवेंशन और पैकेजिंग (पी.आर.ओ.डी.आई.पी.) कार्यक्रम।

(iii) उत्पादों के विपणन में सुधार लाने के लिए ऐसी इकाइयों को राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय स्तरों, आदि पर प्रदर्शनियों में भागीदारी करने के लिए सहायता।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान आर.ई.जी.पी. के तहत स्थापित इकाइयों और अतिरिक्त रोजगार अवसरों के संबंध में प्रगति का ब्यौरा निम्नोक्त तालिका में दिया गया है:-

| क्र. सं. | वर्ष | इकाइयों की संख्या | रोजगार (लाख व्यक्ति) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2003-04 | 24747 | 4.71 |
| 2. | 2004-05 | 23453 | 5.30 |
| 3. | 2005-06 | 26650 | 5.68 |

आर.आई.एस.सी. के तहत, अब तक 37 परियोजनाएं स्थापित की गई हैं जबकि पी.आर.ओ.डी.आई.पी. के तहत 146 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। 2005-06 के दौरान, राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय स्तरों, आदि पर कुल 208 प्रदर्शनियां आयोजित की गई थीं।

**विवरण**

*आर.ई.जी.पी. के तहत स्थापित इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा (31 मार्च, 2005 तक)*

| क्र. सं. | राज्य का नाम | आर.ई.जी.पी. इकाइयों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | चंडीगढ़ | 156 |
| 2. | दिल्ली | 228 |
| 3. | हरियाणा | 6249 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | 2374 |
| 5. | जम्मू-कश्मीर | 7556 |
| 6. | पंजाब | 10467 |
| 7. | राजस्थान | 27434 |
| 8. | अंडमान और निकोबार | 422 |
| 9. | बिहार | 1100 |
| 10. | झारखण्ड | 1058 |
| 11. | उड़ीसा | 4157 |
| 12. | पश्चिम बंगाल | 19807 |
| 13. | अरुणाचल प्रदेश | 422 |
| 14. | असम | 3865 |
| 15. | मणिपुर | 840 |
| 16. | मेघालय | 3293 |
| 17. | मिजोरम | 1070 |
| 18. | नागालैंड | 4941 |
| 19. | सिक्किम | 286 |
| 20. | त्रिपुरा | 666 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 21. | आंध्र प्रदेश | 14858 |
| 22. | कर्नाटक | 14093 |
| 23. | केरल | 9341 |
| 24. | लक्षद्वीप | 10 |
| 25. | पांडिचेरी | 956 |
| 26. | तमिलनाडु | 6741 |
| 27. | दादर और नगर हवेली | 15 |
| 28. | गोवा | 2439 |
| 29. | गुजरात | 1474 |
| 30. | महाराष्ट्र | 21684 |
| 31. | छत्तीसगढ़ | 1787 |
| 32. | मध्य प्रदेश | 19884 |
| 33. | उत्तरांचल | 2307 |
| 34. | उत्तर प्रदेश | 17725 |
| | कुल | 209705 |

*[अनुवाद]*

**निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं के अंतर्गत बकाया राशि**

**1023. श्री आर. प्रभु:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं के अंतर्गत सीमा शुल्क में छूट लेने वाले आयातकों पर कितनी राशि बकाया है; और

(ख) उन आयातकों के नाम क्या हैं जिन पर 50 करोड़ रुपये से अधिक विदेशी मुद्रा बकाया है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

**हथकरघा क्षेत्र के लिए योजना**

**1024. श्रीमती सी.एस. सुजाता:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने अपने राज्य में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए कोई प्रस्ताव पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन):** (क) जी हां।

(ख) और (ग) केरल सरकार ने विभिन्न हथकरघा योजनाओं जैसे दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डी.डी.एच.पी.वाई.), विपणन संवर्धन कार्यक्रम (एम.पी.पी.), बुनकर कल्याण योजनाओं इत्यादि के तहत विभिन्न प्रस्ताव भेजे हैं जिनमें से कुछ अनुमोदित कर दी गई हैं और कुछ पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है क्योंकि यह सतत् प्रक्रिया है।

**अंतर्राष्ट्रीय चर्म मेला**

**1025. श्री रेवती रमन सिंह:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय चर्म मेले का आयोजन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मेले के क्या उद्देश्य हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) जी, हां। 14वें दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय चर्म मेले (डी.आई.एल.एफ.) का आयोजन 1-3 जुलाई, 2006 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया गया था।

(ख) मेले में चीन, इटली इत्यादि से 33 विदेशी प्रतिभागियों सहित कुल 135 प्रदर्शकों ने भाग लिया था। मेले में प्रदर्शित उत्पादों में तैयार चमड़ा, जूते, जूतों के संघटक, चर्म परिधान और चर्म की अन्य वस्तुएं, फैशन संबंधी सहायक सामग्रियां, मशीनें, रसायन और परामर्शी सेवाएं इत्यादि शामिल थे। इस मेले का उद्देश्य चर्म और चर्म उत्पादों के विनिर्माताओं और अन्य संबद्ध उद्योगों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और संभावित क्रेताओं के साथ व्यापारिक विचार-विमर्श करने हेतु एक मंच प्रदान करना है।

**पोटा को पुनः लागू करना**

**1026. प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
**श्री शिशुपाल पटले:**
**श्री बची सिंह रावत "बचदा":**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बढ़ते हुए आतंकवाद के मद्देनजर पोटा को पुनः लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कानून को वापस लेने के बाद आतंकवादी गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति का आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा आतंकवाद से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) सितम्बर, 2004 में पोटा निरस्त करने के साथ-साथ, सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में संशोधन किया और उसमें ऐसे उपबंध शामिल किए जो आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं।

(ङ) आतंकवादी गुटों की आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें घुसपैठ रोकने के लिए सीमा प्रबंधन सुदृढ़ बनाना, आसूचना तंत्र को चुस्त बनाना, केन्द्र और राज्य, दोनों के सुरक्षा बलों के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरणों की व्यवस्था करना, सुसमन्वित आसूचना आधारित अभियानों द्वारा लश्कर-ए-तैयबा/राष्ट्र-विरोधी तत्वों/आई.एस.आई. एजेंटों सहित आतंकवादी ग्रुपों की योजनाओं को निष्क्रिय करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, आतंकवाद के विश्वव्यापी आयाम को देखते हुए इसके खतरे से निपटने के लिए द्विपक्षीय और बहु-पक्षीय सहयोग प्राप्त करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

**राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों में कार्यकरण ठीक न होना**

**1027. श्री गणेश सिंह:**
**श्री आलोक कुमार मेहता:**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने बिहार स्थित राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों तथा शोरूम में गड़बड़ी की शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या निकले हैं; और

(ङ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):** (क) और (ख) माननीय संसद सदस्यों से कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें खुदरा विपणन प्रभाग, पटना, राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) के अधिकारियों के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप दर्शाए गए हैं:-

1. खुदरा विपणन प्रभाग (आर.एम.डी.), पटना द्वारा जिला प्राधिकारी, पटना को 1.30 लाख रुपए मूल्य की धोतियों/साड़ियों की आपूर्ति।
2. आर.एम.डी. के गोदाम में 10.00 लाख रुपए मूल्य का कपड़ा/स्टॉक इकट्ठा होना जो अब क्षतिग्रस्त हो गया है।
3. जमशेदपुर स्थिति शॉरूमों के परिसरों को खाली करना तथा उनका कब्जा भू-स्वामी को सौंपना और उसके बाद किराए पर दूसरा शॉरूम खोलना।
4. स्टाफ कार आदि का दुरुपयोग।
5. अपनी स्टाफ कार होने के बावजूद कारें अवैध रूप से किराए पर लेना।
6. पूर्णिया और पटना स्थिति एन.टी.सी. शॉरूमों में जीर्णोद्धार के नाम पर अवैध एवं अवांछित व्यय।
7. बिना किसी आवश्यकता के बाहरी एजेंसियों से खरीद।
8. अनौचित्यपूर्ण यात्रा व्यय।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। तथापि एन.टी.सी. ने इस मामले में प्राथमिक जांच शुरू कर दी है जिसे अभी पूर्ण होना है।

### सलवा जुडुम आन्दोलन

**1028. श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को माओवादियों के खिलाफ 'सलवा जुडुम' आन्दोलन के कारण जारी हिंसा के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस आंदोलन के कारण कितने आदिवासी विस्थापित हुए हैं तथा शिविरों में रह रहे हैं; और

(घ) हिंसा को समाप्त करने तथा लोग अपने गांवों को लौट सकें ऐसी स्थिति बनाने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) और (ख) सलवा जुडुम को इस आधार पर समाप्त करने की कुछ मांग हुई है कि यह एक पुलिस अभियान है और कि आम जनजातीय लोग पुलिस और नक्सलवादियों की लूटपाट के शिकार हो रहे हैं।

(ग) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 50,000 सलवा जुडुम कार्यकर्ता राहत शिविरों में रह रहे हैं।

(घ) सलवा जुडुम, शांति के लिए एक आंदोलन है। छत्तीसगढ़ के दांतेवाडा जिले में नक्सलवादियों के गढ़ क्षेत्र में नक्सलवादियों की हिंसक गतिविधियों के विरुद्ध यह स्थानीय लोगों की पहल है। सलवा जुडुम कार्यकर्ताओं और राहत शिविरों के विरुद्ध नक्सलवादियों के हमलों को देखते हुए, राज्य सरकार को राहत शिविरों को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करने तथा इन स्थानीय लोगों की अपने मूल निवासों को वापसी के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु तत्काल कदम उठाने की सलाह दी गई है।

### एस.एस.ए. के अन्तर्गत लक्ष्य

**1029. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन मूल सुविधाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए केंद्र सरकार द्वारा एस.एस.ए. के अन्तर्गत राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और अनुसंधान संस्थान ने एस.एस.ए. के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आ रही बाधाओं का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है जैसा कि दिनांक 15 जुलाई, 2006 के 'हिन्दुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे सर्वेक्षण के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी):** (क) सर्व शिक्षा अभियान स्कूल भवनों, अतिरिक्त शिक्षण-कक्षों, शौचालयों, पेयजल सुविधाओं आदि के स्कूल अवसंरचना संबंधी मदों पर 33% परिव्यय की सीमा में व्यय करने के साथ-साथ स्कूलों में पहुंच, अवधारण और गुणवत्ता सुधार के लिए निवेश करता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। प्रारंभिक शिक्षा में प्रत्येक सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों से जिला शैक्षिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत हर वर्ष आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) द्वारा विश्लेषित कर प्रकाशित किया जाता है। नीपा के विश्लेषणों का ब्यौरा इसकी वेबसाइट http:/www.depepmis.org पर उपलब्ध है।

(घ) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2005-06 तक 1,20,629 स्कूल भवन, 3,29,690 अतिरिक्त शिक्षण-कक्ष, 1,61,764 पेयजल सुविधाएं और 2,22,071 शौचालय संस्वीकृत किए गए हैं।

### बच्चों को लैपटॉप देना

**1030. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:**
**श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक बच्चे के लिए एक लैपटॉप खरीदने का है जैसा कि दिनांक 3 जुलाई, 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि और विदेशी मुद्रा खर्च होगी;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों सहित सभी बच्चों को इसकी आपूर्ति करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर इस धनराशि को खर्च करने हेतु इस पर पुनः विचार किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी):** (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

### प्रतिपाटन महानिदेशालय (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एंटी-डम्पिंग)

**1031. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एंटी-डम्पिंग एंड अलायड ड्यूटीज (डी.जी.ए.डी.) के कार्य क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डी.जी.ए.डी. द्वारा की गयी प्रतिपाटन जांचों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जांच के दौरान किस प्रकार की कमियां पकड़ी गयीं तथा प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गयी?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 3 के तहत नियुक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी एवं सब्सिडीरोधी/प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी जांच की जाती है और जहां उचित होता है केन्द्रीय सरकार को पाटनरोधी अथवा प्रतिसंतुलनकारी उपाय लागू करने की सिफारिशें की जाती हैं। ये शुल्क अन्ततः राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा लागू/उद्ग्रहीत (तथा संग्रहीत) किए जाते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान शुरू की गई पाटनरोधी जांचों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

| क्र.सं. | विवरण | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 (तिथि तक) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | नये मामले | 14 | 12 | 11 | 5 |
| 2. | मध्यावधि समीक्षा | 4 | 9 | 4 | 2 |
| 3. | निर्णायक समीक्षा | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 4. | न्यू शिपर समीक्षा | 1 | 4 | 3 | – |

(ग) जांच के दौरान पाई गई कमियां सामान्यतः आवेदन की प्रारम्भिक संवीक्षा के स्तर पर दूर कर दी जाती हैं। आवेदन में प्रदत्त साक्ष्य की यथार्थता एवं पर्याप्तता की जांच की जाती है और इस बात से संतुष्ट होने पर कि पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंध के बारे में साक्ष्य पर्याप्त है, जांच शुरू करने के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है। उपर्युक्त के अलावा प्राधिकारी द्वारा एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया जाता है जिसमें अनुरोध करने हेतु सभी हितबद्ध पक्षों को आमंत्रित किया गया है। सभी प्रकार के मौखिक अनुरोधों को प्राधिकारी के संज्ञान हेतु लिखित रूप में भी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है। अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पूर्व प्राधिकारी द्वारा सभी हितबद्ध पक्षों को उन अनिवार्य तथ्यों, जिन पर उसका निर्णय आधारित होता है, से अवगत कराया जाता है।

*[हिन्दी]*

### औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश

**1032. श्री बी.के. हुम्मर:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में उद्योग स्थापित करने हेतु विदेशी निवेशकों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन प्रस्तावों की संख्या कितनी है जिन्हें स्वीकृति दे दी गई परन्तु देश में ये उद्योग अभी तक स्थापित नहीं हो पाए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन उद्योगों की स्थापना में सहायता पहुंचाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार):** (क) से (घ) सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के बारे में एक उदार और निवेशक अनुकूल नीति की शुरुआत की है जिसमें ऐसे अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वतःमार्ग के अन्तर्गत 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. की अनुमति दी जाती है जिनके लिए सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। सरकार के पूर्व अनुमोदन के अपेक्षित क्षेत्रों/कार्यकलापों में एफ.डी.आई. प्रस्तावों के लिए विदेशी निवेशक संवर्धन बोर्ड एफ.आई.पी.बी.) एक एकल विण्डो स्वीकृति प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। उदार आर्थिक माहौल के अन्तर्गत स्थापना-स्थल सहित निवेशकों के निवेश संबंधी निर्णय तकनीकी-आर्थिक तथा वाणिज्यिक समझ पर आधारित होते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत राज्यवार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) प्रस्तावों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान एफ.डी.आई. अन्तर्वाह का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

वर्तमान में अनुमोदनों के अनुसार उद्योग की स्थापना की स्थिति के बारे में तालिका के रूप में सूचना नहीं रखी जाती है।

*विवरण-I*

*राज्य वार अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (अप्रैल, 2003 से अप्रैल 2006)*

(करोड़ रुपये)

| क्र. सं. | राज्य | 2003-04 अप्रैल-मार्च | | 2004-05 अप्रैल-मार्च | | 2005-06 अप्रैल-मार्च | | 2006-07 अप्रैल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | फिन | एफ.डी.आई. रुपये में | फिन | एफ.डी.आई. रुपये में | फिन | एफ.डी.आई. रुपये में | फिन | एफ.डी.आई. रुपये में |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 107 | 526.66 | 78 | 689.10 | 25 | 371.82 | 0 | 0.00 |
| 2. | असम | 0 | 0.00 | 1 | 0.40 | 1 | 0.51 | 0 | 0.00 |
| 3. | बिहार | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4. | गुजरात | 52 | 148.04 | 35 | 1,711.81 | 9 | 153.05 | 0 | 0.00 |
| 5. | हरियाणा | 26 | 248.29 | 16 | 34.07 | 12 | 57.54 | 1 | 0.00 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 0.10 | 2 | 52.63 | 1 | 9.00 | 0 | 0.00 |
| 7. | कर्नाटक | 257 | 449.41 | 191 | 1,099.44 | 39 | 917.02 | 2 | 3,376.98 |
| 8. | केरल | 31 | 21.22 | 11 | 230.43 | 6 | 76.77 | 0 | 0.00 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 7 | 0.44 | 1 | 0.05 | 2 | 6.00 | 0 | 0.00 |
| 10. | महाराष्ट्र | 361 | 1,527.34 | 302 | 1,579.60 | 111 | 3,961.85 | 3 | 0.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | मणिपुर | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12. | उड़ीसा | 2 | 0.10 | 2 | 6.14 | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 |
| 13. | पंजाब | 9 | 465.50 | 10 | 690.49 | 3 | 19.11 | 0 | 0.00 |
| 14. | राजस्थान | 15 | 28.03 | 4 | 4.14 | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 15. | तमिलनाडु | 223 | 815.18 | 109 | 348.17 | 39 | 261.63 | 1 | 0.00 |
| 16. | त्रिपुरा | 2 | 2.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 25 | 102.32 | 15 | 18.44 | 9 | 82.48 | 0 | 0.00 |
| 18. | पश्चिम बंगाल | 36 | 303.45 | 29 | 278.23 | 9 | 113.66 | 0 | 0.00 |
| 19. | छत्तीसगढ़ | 0 | 0.00 | 3 | 200.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20. | झारखंड | 1 | 0.20 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 21. | उत्तरांचल | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 28.63 | 0 | 0.00 |
| 22. | चंडीगढ़ | 10 | 5.75 | 9 | 127.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23. | दादर और नगर हवेली | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 24. | दिल्ली | 328 | 1,163.36 | 213 | 1,063.52 | 71 | 740.99 | 1 | 0.00 |
| 25. | गोवा | 39 | 19.13 | 39 | 9.07 | 3 | 39.41 | 0 | 0.00 |
| 26. | पांडिचेरी | 8 | 42.61 | 2 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 27. | दमन और दीव | 3 | 0.24 | 2 | 5.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 28. | नहीं दर्शाये गए राज्य | 82 | 353.73 | 84 | 576.27 | 79 | 1,750.98 | 5 | 0.00 |

फिम-वित्तीय सहयोग

**विवरण-II**

*राज्यवार प्राप्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्वाह (अप्रैल, 2003 से अप्रैल 2006 तक)*

(करोड़ रुपये)

| क्र. सं. | आर.बी.आई. के क्षेत्रीय कार्यालय | शामिल राज्य | 2003-04 अप्रैल-मार्च | 2004-05 अप्रैल-मार्च | 2005-06 अप्रैल-मार्च | 2006-07 अप्रैल-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | हैदराबाद | आन्ध्र प्रदेश | 353.49 | 747.85 | 1,056.78 | 279.76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | गुवाहाटी | असम, अरुणाचल प्रदेश मणिपुर, मेघालय, मिजोरम नागालैंड, त्रिपुरा | 19.48 | 13.39 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | पटना | बिहार, झारखंड | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | अहमदाबाद | गुजरात | 917.12 | 610.53 | 666.36 | 175.61 |
| 5. | बंगलौर | कर्नाटक | 926.53 | 1,131.34 | 1,818.05 | 391.10 |
| 6. | कोच्चि | केरल, लक्षद्वीप | 44.53 | 33.77 | 57.90 | 0.22 |
| 7. | भोपाल | मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ | 34.85 | 69.25 | 42.55 | 0.38 |
| 8. | मुंबई | महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव | 1,355.31 | 3,183.13 | 4,290.17 | 268.52 |
| 9. | भुवनेश्वर | उड़ीसा | 0.00 | 0.00 | 315.88 | 0.00 |
| 10. | जयपुर | राजस्थान | 1.89 | 4.58 | 3.32 | 0.00 |
| 11. | चेन्नई | तमिलनाडु, पांडिचेरी | 603.80 | 358.47 | 1,190.10 | 1,340.02 |
| 12. | कानपुर | उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | कोलकाता | पश्चिम बंगाल, सिक्किम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 84.50 | 467.37 | 407.82 | 130.50 |
| 14. | चंडीगढ़ | चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा हिमाचल प्रदेश | 76.71 | 13.49 | 378.16 | 0.00 |
| 15. | नई दिल्ली | दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का मार्ग | 2,123.46 | 3,717.53 | 4,564.93 | 138.59 |
| 16. | पणजी | गोवा | 160.59 | 100.66 | 33.73 | 0.56 |
| 17. | नहीं दर्शाये गए राज्य* | | 3,360.72 | 4,201.34 | 9,758.63 | 247.11 |

टिप्पणी: (i) केवल इक्विटी पूंजी घटक शामिल

(ii) आर.बी.आई. के अनुसार क्षेत्रवार एफ.डी.आई. अन्तर्वाह वर्गीकृत-क्षेत्र-वार, अन्तर्वाह, आर.बी.आई., मुम्बई द्वारा सूचित

(iii) *आवासियों द्वारा अन्तरित मौजूदा शेयरों के अधिग्रहण के द्वारा अन्तर्वाह को दर्शाता है। इसके लिए आर.बी.आई. द्वारा क्षेत्रवार सूचना नहीं दी गई है।

*[अनुवाद]*

**अर्द्ध सैनिक बल कार्मिक द्वारा अपने सहकर्मी की हत्या**

**1033. श्रीमती मिनाती सेन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान आज तक अर्द्ध सैनिक बल के कार्मिक द्वारा अपने सहकर्मियों/वरिष्ठ अधिकारियों पर हमले/हत्या की बल-वार कुल कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) क्या ऐसी घटनाओं के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई मनो विश्लेषणात्मक अध्ययन कराए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क)** विगत एक वर्ष के दौरान, आज तक केन्द्रीय पुलिस बलों के कार्मिकों द्वारा अपने सहकर्मियों/वरिष्ठ अधिकारियों पर हमले/हत्या की घटनाओं की कुल संख्या नीचे दी गई है:-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | असम राइफल | 5 |
| 2. | एस.एस.बी. | 2 |
| 3. | सी.आई.एस.एफ. | शून्य |
| 4. | एन.एस.जी. | शून्य |
| 5. | सी.आर.पी.एफ. | 9 |
| 6. | बी.एस.एफ. | 10 |
| 7. | आई.टी.बी.पी. | 1 |

(ख) और (ग) नमूने के रूप में कुछ मामलों में मनो विश्लेषणात्मक अध्ययन करवाया गया है जिससे पता चला है कि विशेषकर सुरक्षा कार्मिक जब छुट्टी से वापस आते हैं, तो उनके बीच "तनाव" रहता है।

(घ) सुरक्षा कार्मिकों में "तनाव" पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं प्रायः छुट्टी प्रदान करना, पर्याप्त आराम, कठिन से सरल क्षेत्रों में ड्यूटी को आवधिक रूप से बदलते रहना, मनोरंजन की सुविधाओं और आवास में वृद्धि, बाह्य खेल और योगा का आयोजन करना, अन्तर-व्यैक्तिक संबंधों में सुधार करना, परामर्श आदि।

**भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते में परिवर्तन**

**1034. श्री पी. राजेन्द्रन:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार श्रीलंका से भारतीय बाजारों में वस्तुओं के पाटन के चलते और टी.आर.क्यू. के द्वारा श्रीलंका से आयात की मात्रा को निर्धारित करने के लिए भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते में कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल की इन रिपोर्टों पर ध्यान दिया है कि श्रीलंका में एक गिरोह मूल देश को बाध्य करके भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत भारत को इंडोनेशियाई लौंग और सुपारी के निर्यात में लिप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क)** और (ख) भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आई.एस.एल.एफ.टी.ए.) के अंतर्गत भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच चल रही वार्ताओं में वनस्पति तथा काली मिर्च जैसी वस्तुओं से संबंधित आयात की मात्रा निर्धारित करने के मुद्दे पर अन्य बातों का साथ-साथ वार्ताएं की जा रही हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत धोखाधड़ी करने वाले मूलता के देश द्वारा भारत को लौंग और सुपारी का निर्यात करने में अंतर्ग्रस्त रैकेटों का मुद्दा जून, 2006 के तीसरे सप्ताह में आयोजित तकनीकी स्तर की वार्ताओं के सातवें दौर में हमारे ध्यान में आया था। इस मामले को श्रीलंका सरकार के साथ उठाया गया था और उन्होंने यह पुष्टि की है कि भुगतान प्रमाण पत्र जाली था और लगान बीजक एक नकली दस्तावेज था और श्रीलंका के सीमाशुल्क प्राधिकारियों को राजस्व आसूचना निदेशालय, चेन्नई द्वारा एक सरकारी शिकायत भेजी गई थी। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और इसमें शामिल शिपिंग लाइन को अभिज्ञात किया गया है। श्रीलंका सरकार द्वारा किया गया एक अन्य उपाय यह है कि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित अन्य अपेक्षाओं में पोत पर प्रदान किए जाने वाले परेषण कोलम्बो पत्तन के गेटों के जरिए प्रवेश करेंगे।

भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत शुल्क की रियायती दर पर लौंग और सुपारी की निकासी के लिए प्रस्तुत उद्‌गम देश के प्रमाण पत्र की वास्तविक्ताा को मालूम करने के लिए भारत सरकार के राजस्व आसूचना निदेशालय के सभी क्षेत्रीय संस्थानों को अवगत करा दिया गया है। राजस्व आसूचना निदेशालय के सभी क्षेत्रीय संगठनों को यह भी निदेश दिए गए हैं कि श्रीलंका से सभी लौंग/सुपारी की निकासियां अगले दो महीनों के लिए निदेशालय के जरिए उद्‌गम देश प्रमाण पत्र के सत्यापन के पश्चात् ही की जाएंगी और यदि जांच रिपोर्ट में एक महीने अथवा उससे अधिक का समय लगता है तो अनंतिम अनुमति दी जा सकती है यदि आयातक के पूर्ववृत्तों के बारे में कोई उचित संदेह नहीं हो। इसके फलस्वरूप लौंग और सुपारियों के आयातक द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्‌गम प्रमाण पत्र के देश की नियमित जांच भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार का धोखे से लाभ प्राप्त करने को रोकने के लिए श्रीलंका के सीमाशुल्क अधिकारियों के साथ की जा रही है।

**किशोर न्याय अधिनियम, 2000**

**1035. श्री विजय कृष्ण:** क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के कई भागों में बाल विवाह की कुप्रथा अभी भी काफी प्रचलित है; और

(घ) यदि हां, तो बाल विवाह को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

**महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी):** (क) और (ख) जी, हां। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005, दिनांक 29-8-2005 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। मौजूदा सत्र में ही इस विधेयक पर विचार कर इसे पारित किए जाने का नोटिस भेजा गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) बाल विवाह प्रथा का निषेध करने के लिए बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 में उपयुक्त संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस प्रयोजनार्थ जन-जागरूकता एवं संचेतना कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

**निर्यातकों को छूट**

**1036. श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यातकों को "ड्यूटी इनटाइटलमेंट पास बुक स्कीम" और "ड्यूटी-फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट स्कीम" के अंतर्गत क्रेडिट की बिक्री अथवा अंतरण से प्राप्त लाभों पर देय कर के भुगतान पर कुछ छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बकाया देय पर जुर्माना एवं ब्याज को माफ किए जाने की संभावना है एवं देय राशि का, भुगतान पांच वर्षों की अवधि तक करना होगा; और

(घ) यदि हां, तो व्यवसायी समुदाय के इससे किस प्रकार लाभान्वित होने की संभावना है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** (क) और (ख) जी, हां। कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80 एच.एच.सी. के संशोधन से पूर्व शुल्क हकवारी पासबुक स्कीम तथा शुल्क मुक्त पुनः पूर्ति प्रमाण-पत्र स्कीम के अंतर्गत क्रेडिट के अंतरण पर लाभ आयकर अधिनियम की धारा 80 एच.एच.सी. के तहत कटौती का पात्र नहीं था। उक्त धारा में संशोधन के परिणामस्वरूप 10 करोड़ रुपये से अनधिक का निर्यात कारोबार करने वाला कोई निर्यातक धारा 80 एच.एच.सी. के अंतर्गत शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम तथा शुल्क मुक्त पुनः पूर्ति प्रमाण-पत्र स्कीम के अंतर्गत क्रेडिट के अंतरण पर लाभ की कटौती का पात्र है। इसके अलावा 10 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात कारोबार करने वाला कोई निर्यातक भी धारा 80 एच.एच.सी. के तहत कर लाभ का पात्र है, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो:-

(i) उसके पास शुल्क प्रति अदायगी अथवा शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम चुनने का विकल्प था; और

(ii) सीमाशुल्क के लिए प्रति अदायगी क्रेडिट की दर शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम के तहत अनुमत्य क्रेडिट की दर से अधिक थी।

अथवा

(i) उसके पास शुल्क प्रति अदायगी अथवा शुल्क मुक्त पुनः पूर्ति लाइसेंस प्रमाण पत्र चुनने का विकल्प था; और

(ii) सीमाशुल्क के लिए प्रति अदायगी क्रेडिट की दर शुल्क मुक्त पुनः पूर्ति प्रमाण पत्र के तहत अनुमत्य ऋण की दर से अधिक थी।

(ग) डी.ई.पी.बी. क्रेडिट अथवा डी.एफ.आर.सी. की बिक्री से प्राप्त लाभ हेतु वापस/निर्धारित की गई आय में परिवर्तन के कारण जारी की गई किसी भी मांग के संबंध में कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया जाएगा अथवा ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसी मांग की वसूली 5 वर्ष की अवधि में की जाएगी।

(घ) कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80 एच.एच.सी. में संशोधन के परिणामस्वरूप 10 करोड़ रुपये से अनधिक का निर्यात कारोबार करने वाले निर्यातक आयकर अधिनियम की धारा 80 एच.एच.सी. के तहत कटौती के पात्र होंगे। इसके अलावा, 10 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाले निर्यातक भी ऊपर उल्लिखित कतिपय शर्तों को पूरा करने पर कर लाभ के पात्र होंगे।

उपर्युक्त उत्तर वित्त मंत्रालय से प्राप्त जानकारी पर आधारित है।

*[हिन्दी]*

**पाठ्य पुस्तकों से आपत्तिजनक अंशों को हटाना**

**1037. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को इतिहास की कुछ पाठ्य पस्तकों के संबंध में आपत्तियां प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पाठ्यक्रम से इन्हें कब तक हटाए जाने की संभावना है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी):** (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में जैन तीर्थकरों, सिक्ख गुरुओं, महाराजा रणजीत सिंह, जाटों की परंपराओं/इतिहास, गौमांस भक्षण तथा 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में व्यक्तियों, समूहों तथा संगठनों से कुछ आपत्तियां प्राप्त हुई हैं।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने सभी आपत्तियों/सुझावों पर विचार किया है तथा इन्हें ध्यान में रखते हुए कुछ भागों को हटा दिया है अथवा संशोधित कर दिया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 को लागू किए जाने के उपरांत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् पुरानी पाठ्य पुस्तकों को बदलने के लिए सभी विषयों तथा कक्षाओं हेतु नई पाठ्य पुस्तकें तैयार कर रही है। शैक्षिक सत्र 2006-2007 से कक्षा I, III, VI, IX तथा XI हेतु इतिहास की नई पाठ्य पुस्तकों को लागू कर दिया गया है। बाकी कक्षाओं की नई पाठ्य पुस्तकों को शुरू करने की समय-सीमा निम्नलिखित है:-

(i) कक्षा II, IV, VII तथा X - 2007-2008

(ii) कक्षा V तथा VIII - 2008-2009

*[अनुवाद]*

**होदा समिति की रिपोर्ट**

**1038. श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनिज संपदा से भरपूर राज्यों ने एकजूट होकर होदा समिति की रिपोर्ट पर प्रधान मंत्री को विमति टिप्पण भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उनकी अप्रसन्नता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या समिति ने खनिज संपदा युक्त राज्यों और खनिज संपदा विहीन राज्यों को विभाजित कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो दोनों श्रेणी के राज्यों के बीच संतुलन को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

**खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी):** (क) और (ख) कर्नाटक और छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों ने होदा समिति की रिपोर्ट के इन मुद्दों पर प्रधान मंत्री को अभ्यावेदन दिया है - अनुसूचित क्षेत्रों में विकास और आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ाने के उपायों, खनिज रियायत के ऐसे आवेदनों पर, जिनका निपटान सांविधिक समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता, सीधे तौर पर विचार करने के लिए केन्द्र सरकार को अनुमति देने का प्रस्ताव, लौहा अयस्क के निर्यात पर सभी मात्रात्मक तथा गुणात्मक प्रतिबंधों को हटाना, राज्य के गवेषण और विदोहन के लिए क्षेत्रों को आरक्षित करने के लिए प्रावधान, खनिज रियायत पर अनन्य अधिकार क्षेत्र मंजूर करने से चुनिन्दा कंपनियों द्वारा बहुत बड़े क्षेत्र में संभावित एकाधिकरण, नीलामी

द्वारा खनन पट्टा मंजूर करने के विकल्प को तथा केपटिव खनन के लाभों को सीमित करना।

(ग) और (घ) उच्च स्तरीय समिति ने अपनी सिफारिशों में खनिज समृद्ध राज्यों तथा गैर-खनिज समृद्ध राज्यों के बीच संतुलन बनाने को कहा है जिसके लिए सुझाव दिया है कि खानों के आवंटन हेतु राज्य में उद्योगों की स्थापना करने के लिए आर्थिक व्यवहार्यता को मानदण्ड बनाया जाए जिसे बाजार बेहतर रूप से निर्धारित करते हैं न कि राज्य और इस प्रकार देश के लिए लाभों में वृद्धि होती है जिसका प्रवाह उद्योग और व्यापार के लिए संसाधनों के विदोहन से हो सकता है जो वृहद खनन परियोजना के साथ-साथ चलता है।

**अध्यक्ष महोदय:** अब सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

**पूर्वाह्न 11.34 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**मध्याह्न 12.00 बजे**

*लोक सभा अपराह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई*

**(अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए)*

*...(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.00¼ बजे**

*इस समय श्री सुखबीर सिंह बादल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए*

*...(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.00½ बजे**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री श्रीप्रकाश जायसवाल।

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** मैं नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत नागरिकता (संशोधन) नियम, 2006, जो 12 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 417(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 4530/2006)

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) एजुकेशनल कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2006-07 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 4531/2006)

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 4532/2006)

(4) तेजपुर विश्वविद्यालय के वर्ष 2004-05 के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 4533/2006)

(5) असम विश्वविद्यालय सिलचर के वर्ष 2003-04 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी]

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 4534/2006)

(7) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 4535/2006)

(9) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 4536/2006)

(11) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 4537/2006)

(13) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 4538/2006)

(15) (एक) विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 4539/2006)

(17) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 1998-1999 और 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 4540/2006)

(19) (एक) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (पूर्व में मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज के नाम से ज्ञात), इलाहाबाद के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (पूर्व में मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज के नाम से ज्ञात), इलाहाबाद के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 4541/2006)

(21) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 4542/2006)

(23) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, वडोदरा के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, वडोदरा के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, वडोदरा के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, वडोदरा के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 4543/2006)

...(*व्यवधान*)

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत बासमती चावल का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) (संशोधन) नियम, 2006, जो 24 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 791(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 4544/2006)

---

...(*व्यवधान*)

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मद संख्या 5 - श्री हरिन पाठक।

*[हिन्दी]*

**श्री हरिन पाठक** (अहमदाबाद): इस शोर शराबे में मैं कैसे पेपर ले कर सकता हूं?...(*व्यवधान*)

**अपराह्न 12.01 बजे**

## अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

### अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**श्री बाजू बन रियान** (त्रिपुरा पूर्व): मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की अक्तूबर, 2005 के दौरान भोपाल, मुम्बई और पणजी की यात्रा के बारे में समिति का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[श्री बाजू बन रियान]

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की फरवरी, 2006 के दौरान भुवनेश्वर, मुम्बई, कोच्चि और लक्षद्वीप यात्रा के बारे में समिति का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

**अपराह्न 12.02 बजे**

## लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

*[अनुवाद]*

**श्री चन्द्रभूषण सिंह** (फरुखाबाद): मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा श्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धान्त के अनुसार अपने में से लोक सभा का एक सदस्य निर्वाचित करे।"

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि यह सभा श्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धान्त के अनुसार अपने में से लोक सभा का एक सदस्य निर्वाचित करे।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

...(*व्यवधान*)

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** अब सभा मद संख्या 9 - ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेगी।

...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाए?

...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

**अपराह्न 12.03 बजे**

*(तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 2 अगस्त, 2006, 11 श्रावण, 1928 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

---

## अनुबंध-I

*तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका*

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | प्रश्न संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री सुग्रीव सिंह<br>श्री किसनभाई वी. पटेल | 121 |
| 2. | डा. चिन्ता मोहन<br>श्री रामजीलाल सुमन | 122 |
| 3. | श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ | 123 |
| 4. | श्री जी. करूणाकर रेड्डी | 124 |
| 5. | श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा | 125 |
| 6. | श्री कैलाश नाथ सिंह यादव<br>श्री रामदास आठवले | 126 |
| 7. | श्री सुब्रत बोस<br>श्री चन्द्रकांत खैरे | 127 |
| 8. | श्री एम. राजा मोहन रेड्डी<br>श्री इकबाल अहमद सरडगी | 128 |
| 9. | श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार | 129 |
| 10. | श्री के.एस. राव<br>श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील | 130 |
| 11. | श्री बाडिगा रामकृष्णा<br>श्री ए. साई प्रताप | 131 |
| 12. | श्री सुबोध मोहिते<br>श्री हंसराज जी. अहीर | 132 |
| 13. | श्री मोहन रावले | 133 |
| 14. | श्री निखिल कुमार<br>श्री अधीर चौधरी | 134 |
| 15. | श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी<br>प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा | 135 |
| 16. | श्री बिक्रम केशरी देव<br>श्री एस. अजय कुमार | 136 |
| 17. | श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया | 137 |
| 18. | डा. अरुण कुमार शर्मा | 138 |
| 19. | श्रीमती प्रतिभा सिंह | 139 |
| 20. | श्री जुएल ओराम | 140 |

*अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका*

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | प्रश्न संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आचार्य, श्री बसुदेव | 919, 991 |
| 2. | अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा | 937, 951, 975, 1001, 1015 |
| 3. | अग्रवाल, डा. धीरेंद्र | 1022 |
| 4. | अहीर, श्री हंसराज जी. | 977, 1015 |
| 5. | अर्गल, श्री अशोक | 962 |
| 6. | आठवले, श्री रामदास | 988 |
| 7. | अतिथन, श्री धनुषकोडी आर. | 900, 961, 1009, 1017 |
| 8. | 'बचदा', श्री बची सिंह रावत | 1026 |
| 9. | बैठा, श्री कैलाश | 898, 960, 995 |
| 10. | बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई | 958, 994, 1011, 1018 |
| 11. | बर्मन, श्री रनेन | 921 |
| 12. | बेल्लारमिन, श्री ए.वी. | 934, 987, 1006 |
| 13. | चक्रवर्ती, श्री स्वदेश | 904 |
| 14. | चन्द्रप्पन, श्री सी.के. | 919 |
| 15. | चावड़ा, श्री हरिसिंह | 892 |
| 16. | चिन्ता मोहन, डा. | 973 |
| 17. | चौधरी, श्री पंकज | 1020 |
| 18. | दासगुप्त, श्री गुरुदास | 909 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 19. | देवरा, श्री मिलिन्द | 893, 909 |
| 20. | धनराजू, डा. के. | 929 |
| 21. | धोत्रे, श्री संजय | 886 |
| 22. | गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर | 906, 963 |
| 23. | गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव | 948, 991, 1030 |
| 24. | गंगवार, श्री संतोष | 939 |
| 25. | गेहलोत, श्री थावरचन्द | 922 |
| 26. | हर्ष कुमार, श्री जी.वी. | 920, 971 |
| 27. | झा, श्री रघुनाथ | 940, 992 |
| 28. | जिन्दल, श्री नवीन | 887, 969 |
| 29. | जोशी, श्री प्रहलाद | 897, 993 |
| 30. | करूणाकरन, श्री पी. | 937 |
| 31. | खैरे, श्री चंद्रकांत | 986 |
| 32. | खां, श्री सुनील | 924, 978 |
| 33. | खंडेलवाल, श्री विजय कुमार | 918, 983, 1005 |
| 34. | खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र | 902 |
| 35. | खारवेनथन, श्री एस.के. | 935, 938, 1000 |
| 36. | कृष्ण, श्री विजय | 944, 1035 |
| 37. | कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह | 1001 |
| 38. | महतो, श्री सुनिल कुमार | 1022 |
| 39. | मनोज, डा. के.एस. | 946 |
| 40. | मेघवाल, श्री कैलाश | 891, 984, 1014 |
| 41 | मेहता, श्री आलोक कुमार | 929, 1027 |
| 42. | मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद | 909 |
| 43. | मोहन, श्री पी. | 942, 989, 1007 |
| 44. | मो. ताहिर, श्री | 912, 976, 1002 |
| 45. | मोहिते, श्री सुबोध | 934, 959 |
| 46. | मोल्लाह, श्री हन्नान | 931 |
| 47. | मुर्मू, श्री हेमलाल | 912, 933, 967 |
| 48. | नायक, श्री अनन्त | 901 |
| 49. | निजामुद्दीन श्री गुंडलूर | 905, 962 |
| 50. | ओवेसी, श्री असादूद्दीन | 896, 957, 993, 1038 |
| 51. | पलनिसामी, श्री के.सी. | 950, 1003 |
| 52. | पाण्डा, श्री प्रबोध | 911, 917 |
| 53. | परस्ते, श्री दलपत सिंह | 899 |
| 54. | पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई | 907 |
| 55. | पटेल, श्री किसनभाई वी. | 965, 998, 1010, 1018 |
| 56. | पाठक, श्री ब्रजेश | 913, 974, 999, 1013, 1020 |
| 57. | पाटील, श्री बालासाहिब विखे | 925 |
| 58. | पाटील, श्रीमती रूपाताई डी. | 927 |
| 59. | पटले, श्री शिशुपाल | 1026 |
| 60. | पिंगले, श्री देविदास | 923 |
| 61. | प्रभु, श्री आर. | 1023 |
| 62. | प्रसाद, श्री हरिकेवल | 908 |
| 63. | राजेन्द्रन, श्री पी. | 945, 1034 |
| 64. | रामकृष्णा, श्री बाडिगा | 981, 1003 |
| 65. | राणा, श्री काशीराम | 932 |
| 66. | राव, श्री के.एस. | 979 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 67. | राव, श्री रायापति सांबासिवा | 1011 |
| 68. | राठौड़, श्री हरिभाऊ | 949 |
| 69. | रावत, श्री अशोक कुमार | 912, 1002 |
| 70. | रावत, श्री कमला प्रसाद | 910, 966 |
| 71. | रेड्डी, श्री जी. करूणाकर | 953, 996, 1012, 1019 |
| 72. | रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. | 916, 985 |
| 73. | रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु | 1011, 1015 |
| 74. | रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव | 931, 1019, 1031 |
| 75. | साई प्रताप, श्री ए. | 955, 1004 |
| 76. | सरडगी, श्री इकबाल अहमद | 954 |
| 77. | शर्मा, डा. अरुण कुमार | 968, 997 |
| 78. | सरोज, श्री तूफानी | 909 |
| 79. | सेन, श्रीमती मिनाती | 943, 1033 |
| 80. | शाहीन, श्री अब्दुल रशीद | 931 |
| 81. | शाक्य, श्री रघुराज सिंह | 928 |
| 82. | शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील | 937, 975, 1001, 1015, 1021 |
| 83. | शिवन्ना, श्री एम. | 941 |
| 84. | शिवनकर, प्रो. महादेवराव | 912, 976, 1002, 1026 |
| 85. | सिद्दीश्वर, श्री जी.एम. | 888 |
| 86. | सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी | 915, 932, 945 |
| 87. | सिंह, श्री चन्द्रभूषण | 911, 977 |
| 88. | सिंह, श्री चन्द्रभान | 936 |
| 89. | सिंह, श्री दुष्यंत | 952 |
| 90. | सिंह, श्री गणेश प्रसाद | 1027 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 91. | सिंह, श्री कीर्ति वर्धन | 948, 991, 1030 |
| 92. | सिंह, कुंवर मानवेन्द्र | 933 |
| 93. | सिंह, श्री प्रभुनाथ | 930, 931, 990, 1008, 1016 |
| 94. | सिंह, श्री रेवती रमन | 1025 |
| 95. | सिंह, श्री सुग्रीव | 964, 998, 1010, 1018 |
| 96. | सिप्पीपाराई, श्री रविचन्द्रन | 890, 982 |
| 97. | सुब्बा, श्री मणी कुमार | 895, 956, 977 |
| 98. | सुगावनम, श्री ई.जी. | 894, 914, 972 |
| 99. | सुजाता, श्रीमती सी.एस. | 1024 |
| 100. | सुमन, श्री रामजीलाल | 973 |
| 101. | ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. | 889 |
| 102. | टुम्मर, श्री वी.के. | 892, 908, 1032 |
| 103. | त्रिपाठी, श्री बृज किशोर | 980, 1029 |
| 104. | वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी | 1011 |
| 105. | वसावा, श्री मनसुखभाई डी. | 915 |
| 106. | वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह | 970, 1014, 1037 |
| 107. | वर्मा, श्री रवि प्रकाश | 937, 951, 975, 1001, 1015 |
| 108. | विनोद कुमार, श्री बी. | 926 |
| 109. | यादव, श्री गिरिधारी | 947 |
| 110. | यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह | 912, 976, 1002 |
| 111. | येरननायडु, श्री किन्जरपु | 903, 1028, 1036 |

## अनुबंध-II

*तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका*

| | | |
|---|---|---|
| कृषि एवं ग्रामीण उद्योग | : | 127 |
| वाणिज्य और उद्योग | : | 122, 129, 130, 137 |
| उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास | : | 138 |
| गृह | : | 133, 134, 135 |
| मानव संसाधन विकास | : | 123, 128 |
| खान | : | 136, 140 |
| लघु उद्योग | : | 124 |
| वस्त्र | : | 121, 125 |
| जनजातीय कार्य | : | 126, 132, 139 |
| महिला और बाल विकास | : | 131 |

*अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका*

| | | |
|---|---|---|
| कृषि एवं ग्रामीण उद्योग | : | 888, 897, 959, 1004, 1022 |
| वाणिज्य और उद्योग | : | 890, 892, 893, 895, 900, 901, 914, 916, 917, 919, 922, 932, 934, 935, 937, 941, 947, 951, 953, 955, 961, 963, 970, 976, 979, 980, 991, 994, 1002, 1003, 1007, 1010, 1019, 1023, 1025, 1031, 1032, 1034, 1036 |
| उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास | : | 891, 956, 968, 997 |
| गृह | : | 899, 909, 920, 923, 927, 928, 929, 931, 939, 942, 946, 948, 952, 960, 965, 967, 971, 973, 977, 987, 988, 990, 998, 1006, 1008, 1015, 1016, 1020, 1021, 1026, 1028, 1033 |
| मानव संसाधन विकास | : | 886, 902, 905, 906, 907, 908, 910, 911, 915, 925, 938, 940, 945, 950, 954, 962, 966, 975, 981, 985, 993, 996, 1009, 1012, 1017, 1029, 1030, 1037 |
| खान | : | 904, 969, 974, 978, 984, 986, 999, 1013, 1038 |
| लघु उद्योग | : | 903, 912, 921, 924, 926, 936, 995, 1011 |
| वस्त्र | : | 887, 896, 918, 930, 943, 949, 957, 958, 964, 972, 982, 983, 989, 992, 1000, 1005, 1014, 1024, 1027 |
| जनजातीय कार्य | : | 898, 933, 1001 |
| महिला और बाल विकास | : | 889, 894, 913, 944, 1018, 1035 |

## इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

## लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण लोक सभा की कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

## लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 48/21/7/2006 (एन.)
232

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।